



**भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना, आयुध निर्माणियां और
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
2015 की प्रतिवेदन संख्या- 44**

**भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना, आयुध निर्माणियां और
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
2015 की प्रतिवेदन संख्या- 44**

विषय-सूची

पैराग्राफ		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय I : भूमिका		
1.1	प्राक्कथन	1
1.2	लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1
1.3	एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण	2
1.4	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	3
1.5	लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन	3
1.6	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	4
1.7	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितताएं	8
1.8	लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	8
1.9	पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही	9
1.10	वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन	9
1.11	अनुदान संख्या 22 से 27 तक- रक्षा सेवाओं के अनुमान	11
1.12	थल सेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा- अनुदान संख्या -22,25,26 और 27	13
1.13	राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)	15
1.14	पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति -मुख्य शीर्ष - 4076 अनुदान संख्या 27 -रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	18
1.15	रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) का वर्णन	21
अध्याय II: रक्षा मंत्रालय		
2.1	छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली	23
2.2	विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता	53
2.3	लामबंदी अग्रिम पर ब्याज की अल्प वसूली	55

अध्याय III : थलसेना		
3.1	सेना विमानन कोर का प्रकार्य	59
3.2	भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी	83
3.3	टी-55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति	85
3.4	भण्डारों की अकारण खरीदारी	87
3.5	परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती	89
3.6	द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन	91
3.7	हाई- लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय	92
3.8	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवं वार्षिक लेखाओं में संशोधन	94
अध्याय IV: कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवायें		
4.1	विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवम् अल्प वसूली के कारण हानि	95
4.2	परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण	112
4.3	परिसम्पत्ति का अनुपयोग	114
4.4	स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरूद्ध रहा	116
4.5	निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय	118
अध्याय V : सीमा सड़क संगठन		
5.1	उच्च दरों पर ठेकों की स्वीकृति से परिहार्य व्यय	120
5.2	ठेकेदारों से सेवा-कर की अल्प-वसूली	122
5.3	पानी के ट्रकों की खरीदारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय	123
अध्याय VI :रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन		
6.1	चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में परियोजना प्रबंधन	125
6.2	अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद में एस ए पी उद्यम संसाधन योजना प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	138
अध्याय VII: आयुध निर्माणी संगठन		
7.1	आयुध निर्माणी बोर्ड की दक्षता	157
7.2	हथियार विनिर्माण निर्माणियों का उत्पादन	172
7.3	रसायन निर्माता निर्माणियों का कार्य निष्पादन	227

7.4	निर्यात आदेशों के विरुद्ध संविदात्मक शर्तों की अनापूर्ति के कारण ₹1.37 करोड़ की हानि	266
7.5	भंडारण टैंकों की अनुचित अधिप्राप्ति	268
7.6	फीडर प्रणाली का अनुपयोग	271
7.7	परीक्षण उपस्कर की निष्क्रियता	274
7.8	निविदा पूछताछ/आपूर्ति आदेश में विकल्प उपबन्ध का समावेश न होने के कारण अतिरिक्त व्यय	276
7.9	रूपान्तरण आदेशों में ब्रास छड़ों की वसूली कम होने के कारण हानि	280
7.10	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली	282
अध्याय VIII : रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम		
8.1	अधिप्राप्ति तथा सम्पत्ति-सूची प्रबंधन - बी ई एम एल	285
8.2	बैंक टू बैंक अनुबंध में सुपुर्दगी कार्यक्रमों के गैर-तुल्यकालन के कारण ₹4.90 करोड़ की हानि	311
8.3	सम्पत्ति-सूची के संचय के कारण निधियों का अवरोधन- ₹16.14 करोड़	312
अनुलग्नक -I		316
अनुलग्नक -II		320
अनुलग्नक -III		322
अनुलग्नक -IV		323
अनुलग्नक -V		324
अनुलग्नक -VI		325
अनुलग्नक -VII		326
अनुलग्नक -VIII		327
अनुलग्नक -IX		333
अनुलग्नक -X		340
अनुलग्नक -XI		342
अनुलग्नक -XII		343
अनुलग्नक -XIII		344
अनुलग्नक -XIV		345
अनुलग्नक -XV		346
अनुलग्नक -XVI		347

अनुलग्नक -XVII	351
अनुलग्नक -XVIII	355
अनुलग्नक -XIX	358
अनुलग्नक -XX	360
अनुलग्नक -XXI	363
अनुलग्नक -XXII	365
अनुलग्नक -XXIII	367
अनुलग्नक -XXIV	371
अनुलग्नक -XXV	374
अनुलग्नक -XXVI	377
अनुलग्नक -XXVII	381
अनुलग्नक -XXVIII	382
अनुलग्नक -XXIX	393
अनुलग्नक -XXX	394
अनुलग्नक -XXXI	395
अनुलग्नक -XXXII	396
अनुलग्नक -XXXIII	397
अनुलग्नक -XXXIV	398
अनुलग्नक -XXXV	399
अनुलग्नक -XXXVI	400
अनुलग्नक -XXXVII	403
अनुलग्नक -XXXVIII	406
अनुलग्नक -XXXIX	412
परिशिष्ट -I	413
परिशिष्ट -II	416
परिशिष्ट -III	418
परिशिष्ट -IV	422

प्रस्तावना

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2013-14 में थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेन-देन तथा निष्पादन समीक्षाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। 2013-14 के लिए रक्षा सेवाओं के वित्तीय और विनियोजन लेखाओं से उद्भूत मामले 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 (वित्तीय लेखापरीक्षा) में शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लेखित हैं, जो 2013-14 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए तथा जो पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगत हुए, किंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट नहीं किए जा सके; 2013-14 की परवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को भी जहाँ कहीं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 33 पैराग्राफ शामिल हैं (तीन निष्पादन समीक्षाएं और पांच दीर्घ पैराग्राफ), जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निरीक्षणों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि आगे अध्याय II से चर्चा की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

विहंगावलोकन

छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली

छावनी बोर्डों (सी बी), जिन्हें नगरपालिकाओं का स्थान प्राप्त है, को छावनियों में रहने वाले कार्मिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये 17 सी. बी. में से एक सी बी (क्लेमेंट टाउन) को छोड़कर किसी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नगर आयोजना पद्धतियों आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी सी बी ने अपने निवासियों को छावनी अधिनियम के अनुसार अध्यादेशित सभी 24 प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं कीं और गरीबों के उन्नयन हेतु सी बी में केन्द्रीय सरकार की कोई भी स्कीम लागू नहीं थी। सी बी, कर तथा करेतर माध्यम से पर्याप्त राजस्व सृजन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे, जिसके कारण रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले सहायता अनुदान पर उनकी निर्भरता बढ़ी। यह मुख्य रूप से हर पांच वर्ष में करों का संशोधन न किए जाने, निर्धारित दर से कम दर पर संपत्ति कर की वसूली तथा वाहन प्रवेश कर की गैर-उगाही आदि के कारण था।

(पैराग्राफ 2.1)

विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता

डी आर डी ओ द्वारा 2006 में विकसित कमबैट फ्री फॉल पैराशूटों का सफल उत्पादन ₹10.75 करोड़ व्यय करने के बाद भी नहीं किया जा सका। इसलिए भारतीय सेना के पैराशूट (विशेष बल) बटालियनों के पास पिछले एक दशक से अधिक समय से इन विशिष्ट पैराशूटों का अभाव है।

(पैराग्राफ 2.2)

सेना विमानन कोर का प्रकार्य

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

(पैराग्राफ 3.1)

भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

७

(पैराग्राफ 3.2)

टी-55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति

रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू), सेना ने टैंक टी-55 के कमांडर के लिए फरवरी 2011 और जून 2013 के बीच ₹22.12 करोड़ मूल्य के इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अधिप्राप्ति की, जबकि दिसंबर 2011 में उस टैंक को अप्रचलित घोषित किया गया था।

(पैराग्राफ 3.3)

परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती

हालांकि परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की उगाही संबंधी कार्यविधि ने नियत किया कि कम दरों पर एल डी की उगाही केवल उस समय की जानी थी, जब सरकार को कोई हानि नहीं हुई हो, किंतु सेना क्रय संगठन ने हानि के संबंध में तथ्यों का पता लगाए

बिना वह शर्त लगा दी और इस प्रकार दोषी संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया। एक नमूना जाँच मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि हानि वास्तव में हुई थी।

(पैराग्राफ 3.5)

द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन

संस्थापन/चालू होने में और मरम्मत कार्यशालाओं में अपेक्षित अवसंरचनाओं के सृजन में विलंब के कारण ₹2.23 करोड़ की लागत पर एम बी टी अर्जून के लिए अधिप्राप्त पांच हाइड्रोलिक टेस्ट बेंच में से चार नवंबर 2010 में अधिप्राप्ति से ही निष्क्रिय पड़े हुए थे।

(पैराग्राफ 3.6)

हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (डी जी ए एफ एम एस) द्वारा हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति हेतु संविदा में समग्र वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सी ए एम सी) के समावेशन के संबंध में अनिर्णय के कारण पुनः निविदा करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 1406 बेडों की अधिप्राप्ति में ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवम् वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारे निरीक्षणों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते, विविध प्रभारों, विद्युत प्रभारों की वसूली की तथा अनियमित निर्माण संस्वीकृतियों को निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं का संशोधन किया, जिसका कुल प्रभाव ₹11.70 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.8)

विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली के कारण हानि

आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग करने में और अनुमोदित विद्युत शुल्क का अनुवर्तन करने में दुर्ग अभियंताओं (जी ई) की ओर से हुई विफलता के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित दुर्ग अभियंताओं द्वारा ₹24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। निजी पार्टियों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में भी जी ई विफल रहे, जो मुख्यतः ऊर्जा और नियत प्रभारों

की अल्प वसूली, बिल देने में विलंब, त्रुटिपूर्ण मीटर आदि के कारण था। अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली की ये गलतियां एम ई एस में आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता को रेखांकित करती हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण

अभियंताओं द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून के लिए कार्यान्वित कार्य को अपर्याप्त निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप ₹22.75 करोड़ लागत के मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। पांच वर्षों के विलंब से न केवल कैडेटों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण से वंचित किया, बल्कि ₹2.50 करोड़ मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजनाएँ भी रुकी रहीं।

(पैराग्राफ 4.2)

परिसंपत्ति का अनुपयोग

₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में निर्मित मिसाइल भंडारण शेड का उपयोग वातानुकूलन प्रणाली के अभाव के कारण उस प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका। संस्वीकृति में भवन के साथ वातानुकूलन के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने के बावजूद भी सी ई एस जेड के लिए संविदा करने में विफल रहा। शेडों की अनुपलब्धता ने मिसाइलों की आहरण योजना को प्रभावित किया, क्योंकि ये मिसाइलों 110 कि. मी. की दूरी पर दूसरे स्थान पर रखी जा रही थीं और इससे प्रयोक्ताओं की परिचालन क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.3)

स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरुद्ध रहा

मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र ने बेंगलूर रेंज के निर्माण हेतु खाली स्थल की उपलब्धता के बिना संविदाएं कीं। यह न केवल नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹1.68 करोड़ का भुगतान भी किया गया। अब इस कार्य को समाप्त करने के लिए मामला शुरू किया गया है।

(पैराग्राफ 4.4)

निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय

मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र (सी ई जे जेड) द्वारा त्रुटिपूर्ण पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निम्नस्तर का कार्य कार्यान्वित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, एक गोला-बारूद डिपो पर ₹2.33 करोड़ की लागत पर सृजित अग्नि शमन अवसंरचना को छोड़ देना पड़ा, जिससे इसपर किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 4.5)

उच्च दरों पर ठेकों की स्वीकृति से परिहार्य व्यय

वैधता अवधि के अंदर एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आई एफ ए) की सहमति मिलने में विलंब के कारण महानिदेशक सीमा सड़क ने निम्नतम निविदा को अनुमोदन प्रदान नहीं कर सका। तीसरे कॉल के बाद उच्च दर पर संविदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.89 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

ठेकेदारों से सेवा-कर की अल्प-वसूली

मुख्य अभियंता (परियोजना), विजयक द्वारा की गई पांच संविदाओं में निर्माण कार्य के सकल मूल्य पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों से सेवा कर के रूप में ₹1.06 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

पानी के ट्रकों की खरीदारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

अधिप्राप्त किए जानेवाले ट्रकों के प्रकार का चयन करने हेतु महानिदेशक सीमा सड़क (डी जी वी आर) द्वारा निर्णय लेने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि के कारण ₹81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में परियोजना प्रबंधन

टी बी आर एल द्वारा 1998 और 2013 के बीच प्रारंभ की गई 26 चयनित आर एंड डी परियोजनाओं में से टी बी आर एल 24 परियोजनाएं पूरी की थीं। निर्धारित लक्ष्यों

के प्रति सफलता, गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में, तथापि केवल 10 समाप्त परियोजनाओं में ही प्राप्त हुई थी। शेष 14 परियोजनाओं में लक्ष्यों की केवल आंशिक प्राप्ति हुई थी। कार्यकारी समिति, परियोजना निरीक्षण समिति आदि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण करने के बावजूद 58 प्रतिशत परियोजनाएं मुख्यतया आपूर्ति आदेशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण विलंबित हुईं।

(पैराग्राफ 6.1)

हथियार विनिर्माण निर्माणियों का उत्पादन

लेखापरीक्षा में 25 रणनीतिक शस्त्र मर्दों पर 2011-12 से 2013-14 के लिए छह शस्त्र विनिर्माण निर्माणियों का निष्पादन सम्मिलित था, जो एक साथ इन निर्माणियों की उत्पाद लाइन में आनेवाली 68 शस्त्रों की कुल उत्पादन लागत का 79 प्रतिशत था।

मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति

2011-12 से 2015-16 के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करने वाली सेना की रोल-ऑन-योजना को अल्प कालीन योजना निर्माण में बोर्ड की सहायता करनी थी। तथापि, सेना से प्राप्त मांगपत्र सेना की रोल-ऑन-योजना के साथ मेल नहीं खा रहे थे। गृह मंत्रालय ने, यद्यपि 2010 में एक रोल-ऑन-योजना प्रक्षेपित की थी किंतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठकों में उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो गयीं थी।

बोर्ड ने 68 प्रतिशत मर्दों में क्षमता की कमी का सामना किया और इसलिए अधिकांश मर्दों के लिए सेना की आवश्यकताओं की तुलना में निम्नतर लक्ष्य निर्धारित किए। बोर्ड ने पिछले वर्ष के नवंबर/दिसंबर में निर्माणियों का वास्तविक लक्ष्य प्रदान किया और इस प्रकार इनपुट सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित छह महीने के समय के प्रति निर्माणियों द्वारा अग्रिम नियोजन के लिए केवल तीन महीने का समय दिया। वर्ष के मध्य में इन लक्ष्यों के संशोधन ने उत्पादन को भी भंग किया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान निर्माणियों ने आठ से 16 मर्दों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए। किंतु पांच से 10 मर्दों के लिए, उपलब्धि 60 प्रतिशत से कम थी। संशोधित लक्ष्यों की तुलना में चयनित शस्त्रों के निर्गम में कमी का कुल मूल्य 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹1479 करोड़ था। इनपुट सामग्रियों की प्राप्ति में होने वाले विलंब निर्माणियों के स्लिपेज के लिए प्रमुख कारण है।

• उत्पादन हेतु संसाधनों का विन्यास

भंडारों की अधिप्राप्ति में हुए विलंब ने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्माणियों को प्रभावित किया। छह निर्माणियों में से तीन ने 2011-12 से 2013-14 में भंडारों

की आवश्यकता का पता लगने के पांच महीने के अंदर अपने 60 से 70 प्रतिशत आपूर्ति आदेश दिए। शेष निर्माणियां केवल 3 से 52 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों में ही समयसीमाओं का पालन कर सकीं। व्यापार स्रोतों से अधिप्राप्ति करने में अदक्षताओं में वृद्धि फील्ड गन निर्माणी, कानपुर पर उच्च-कैलिबर शस्त्रों हेतु बैरलों के निर्माण के लिए गढ़ी वस्तुओं की मांगे पूरी करने में उप निर्माणी की असमर्थता के कारण हुई। निर्माणियां 40 से 63 प्रतिशत उदाहरणों में 15 दिनों की निर्धारित समय के भीतर भंडारों का गुणवत्ता नियंत्रण पूरा नहीं कर सकीं।

- **गुणवत्ता नियंत्रण तथा गुणवत्ता आश्वासन**

गुणवत्ता समस्याएं, निर्माणियों को लागत, लक्ष्यों की प्राप्ति और इसके अतिरिक्त बोर्ड एवं उसके उत्पादों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करके घेर लेती हैं। 'परिशोधन हेतु वापसी' तथा वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं (एस क्यू ए ई) द्वारा घोषित निराकरण के उदाहरण 5.56 मि.मी. राइफल 7.62 मि.मी. एम ए जी, 30 मि.मी. तोप और स्पेयर बैरल टी-90 जैसे कुछ उत्पादों के लिए अधिक थे। एस क्यू ए ई द्वारा अपनी गुणवत्ता निरीक्षण टिप्पणियों में पहले बतायी गयी त्रुटियों की पुनरावृत्ति सूचित करती है कि इन टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निर्माणी के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग द्वारा निरीक्षणों में सम्मिलित गेज आयामों में परिवर्तन जैसे त्रुटियों का पता नहीं लगा और एस क्यू ए ई द्वारा अनुवर्ती चरणों में उठाई गई। प्रयोक्ताओं, अर्थात् सेना ने शस्त्र की त्रुटियों के कारण फील्ड इकाइयों में होने वाली विश्वास की कमी पर ध्यान दिया।

- **वित्तीय प्रबंधन**

पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत नियंत्रण प्रभावकारी था तथा घट-बढ़, विशेषकर ऊपरी खर्च में, नियंत्रित थी। तथापि इन निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसने अधिक ऊपरी खर्च, विशेषकर नियत ऊपरी खर्च पर कार्य किया। उत्पादों पर ऊपरी खर्च का संविभाजन असंगत था, उसे कुछ उत्पादों पर अतिभारित करने का अर्थ उनको महंगा बनाना था। आयुध निर्माणियां सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं लागत कटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने के लिए सकेंद्रित हैं। सशस्त्र सेनाओं के पास सुनिश्चित निधियों की उपलब्धता ने उच्च निर्गम मूल्यों की परवाह किए बिना बोर्ड से उत्पादों को स्वीकार करने में उनकी सहायता की।

- **भविष्य के लिए योजना**

बोर्ड ने सशस्त्र सेनाओं को "उचित मूल्य पर नूतन प्रौद्योगिकी की सामयिक आपूर्ति" का प्रावधान करने हेतु संदर्श योजना 2007-12 तैयार की। संदर्श योजना की

कल्पनाओं को यथार्थता में परिवर्तित नहीं किया जा सका, क्योंकि उनका कार्यान्वयन नयी मर्दों के विकास में विलंबों के कारण बाधित हुआ।

जबकि बोर्ड ने परवर्ती अवधि के लिए कोई योजना नहीं बनायी, परिवेश में तात्विक रूप में परिवर्तन हो गया है। सेना ने 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालीन एकीकृत संदर्श योजना (एल टी आई पी पी) बनायी, जिसके संबंध में बोर्ड ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में खड़ा करने हेतु अभी तक कोई योजना नहीं बनायी है।

लघु शस्त्र निर्माणियां, मांगकर्ताओं से गिरती मांग और गुणवत्ता समस्यायें; अपने नये उत्पादों के लिए ग्राहकों से कमजोर प्रतिक्रिया; और नयी पीढ़ी के कारबड़नों के लिए परियोजना में विलंब जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही थीं। 81 मि.मी. मोर्टार, 105 मि.मी. एल एफ जी उच्च कैलिबर रेंज का पारंपरिक शस्त्र कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त, विलंबित स्वदेशीकरण तथा कुछ असंबलियों के आयात पर निरंतर निर्भरता ने मांग को पूरा करने में निर्माणियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी।

(पैराग्राफ 7.2)

रसायन निर्माता निर्माणियों का कार्य निष्पादन

रसायनिक निर्माणी समूह का प्रचालन समूह: गोला-बारूद एवम् विस्फोटक (ए एंड ई) के अंतर्गत एक उप-समूह है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उत्पादन की कुल लागत का 35 प्रतिशत इस समूह के हिसाब में था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान चार रसायनिक उत्पादन निर्माणियों, जिनकी वार्षिक उत्पादन लागत ₹755 करोड़ थी, ने आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन लागत का लगभग पांच प्रतिशत देने में सहयोग किया।

• मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना

अनेक मामलों में अधिकांश उत्पादों के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्माणियों को लक्ष्य के संशोधनों की मध्य-वर्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निर्माणियां मूल लक्ष्य प्राप्त करने में भी असमर्थ थीं।

रसायनिक निर्माणी समूह के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी तक उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है; यह प्रतिबद्धता निर्माणियां पूरी नहीं कर सकीं। इससे गोला-बारूद भराव निर्माणियों के उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा।

उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी, आयुध निर्माणी भंडारा और आयुध निर्माणी इटारसी में मांगकर्ताओं को उत्पादों के वास्तविक भौतिक निर्गम के बिना ऋण का दावा करने हेतु अग्रिम निर्गम वाउचर तैयार करने की अनियमित प्रथा विद्यमान थी।

बोर्ड में लक्ष्यों के प्रति उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए आंतरिक नियंत्रण नेमी प्रकृति के थे और इसलिए उनकी प्रभावकारिता कम थी।

- **उत्पादन के लिए संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण**

निर्माणियाँ एक-तिहाई अधिप्राप्तियों में आपूर्ति आदेश देने में बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, यदि भंडारों की सुपुर्दगी के लिए समय सीमा को सम्मिलित किया जाना था तो अधिप्राप्ति के लिए उत्पादन वर्ष का अधिकांश समय नष्ट हो जाएगा। अधिप्राप्ति में विलंबों के कारण, निर्माणियाँ उत्पादन की गति को नहीं बनाए रख सकी, जबकि वर्ष के अंतिम भाग में उत्पादन चरम सीमा पर होता है। निर्माणियों द्वारा बतलायी गई श्रमिक उत्पादकता अधिक थी और लक्ष्यों के प्रति निष्पादन के साथ उसका कोई सहसंबंध नहीं था।

- **गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन**

गुणवत्ता नियंत्रण के दौरान निराकरण के मामले में तथा प्रूफ स्थापना में अत्याधिक समय लिया गया, जिसके कारण लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति पर प्रपाती प्रभाव पड़ा।

निर्माणियों पर समर्पित प्रूफ रेंज के अभाव के कारण गतिशील प्रूफ का आयोजन करने में विलंब हुआ; दिसंबर 2008 में संस्वीकृत एक परियोजना को छोड़ दिया गया तथा इसके विकल्प फलन में नहीं आये।

- **वित्तीय प्रबंधन**

निर्माणियाँ अधिक ऊपरी खर्च पर चल रही थी, जिसने उत्पादन लागत को बढ़ाया। पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत में असाधारण उतार-चढ़ाव का नज़दीकी निरीक्षण करने हेतु लागत नियंत्रण प्रभावकारी था। तथापि निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसके लिए दो नियंत्रण थे: शॉप बजट समिति और तिमाही वित्तीय समीक्षा, जो संरचनात्मक कमियों से पीड़ित अपर्याप्त हस्तक्षेप हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण आयुध निर्माणियाँ सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं कटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने पर संकेंद्रित हैं।

- **पर्यावरण के मुद्दे**

निर्माणियों ने विशिष्ट पर्यावरण जोखिमों की पहचान नहीं की अथवा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए परिपेक्ष्य योजना नहीं बनायी। पर्यावरण संबंधी उपायों पर निधियों का निवेश सभी निर्माणियों में कम था। ऊर्जा लेखापरीक्षा में असंख्य लंबित

संस्तुतियों ने भावी संभावित बचतों का संकेत दिया, जिसके लिए निधियों की आवश्यकता होगी।

दुर्घटनाओं की सामान्य प्रवृत्ति, विशेषकर आयुध निर्माणी, इटारसी में, ने कर्मचारियों के सुरक्षा प्रशिक्षण में कमी को सूचित किया।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्यात आदेशों के विरुद्ध संविदात्मक शर्तों की अनापूर्ति के कारण ₹1.37 करोड़ की हानि

आयुध निर्माणी बोर्ड ने कवच प्रणाली के विकास में स्लिपेज तथा एक भारतीय फर्म द्वारा अग्नि नियंत्रण प्रणाली (कवच का भाग) की गैर-आपूर्ति के कारण निर्यात आदेश के प्रति कवच प्रणाली की सुपुर्दगी में विलंब किया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी फर्म ने बोर्ड के बिलों से ₹1.37 करोड़ जुर्माने की कटौती की।

(पैराग्राफ 7.4)

फीडर प्रणाली का अनुपयोग

जून 2006 में ₹4.09 करोड़ की लागत पर राइफल निर्माणी ईशापुर (आर एफ आई) द्वारा स्थापित एक नया उप-केन्द्र, उसके लिए स्विच गियरों को अधिप्राप्त और स्थापित करने के लिए आर एफ आई की विफलता (अप्रैल 2015) के कारण अनुत्पादक पड़ा रहा।

(पैराग्राफ 7.6)

अधिप्राप्ति तथा संपत्ति-सूची प्रबंधन - बी ई एम एल

लाभों में कमी के लिए कारक अनेक घटकों में से एक उच्च संपत्ति-सूची के स्तर था, जिसने कार्यशील पूंजी को प्रभावित किया। कंपनी द्वारा की गई विक्रेता बातचीत क्रय नियमावली और सी वी सी दिशानिर्देशों के विचलन में थीं। दत्त अग्रिमों के लिए प्राप्त बैंक प्रत्याभूतियों की राशि सी वी सी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रलेखन अपर्याप्त था। सिस्टम में सभी निविदाओं के बारे में डाटा की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन सुस्पष्ट नहीं था। विक्रेता सूची में धिरेवृत्ति समाविष्ट थी, जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव को सूचित करती है। अग्रिम असमायोजित रहे तथा साथ ही अग्रिमों के अंतर्गत प्रोफार्मा बीजकों के प्रति किए गए भुगतान, लंबित पी ओ के प्रति किए गए तदर्थ भुगतानों

आदि के कारण उसकी निगरानी नहीं की जा सकी। भंडार नियमावली को पिछले 23 वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया। अपर्याप्त सुरक्षा विशिष्टताओं के कारण विदेशी विक्रेताओं को कंपनी की एस आर एम प्रणाली पर विश्वास की कमी थी। एस ए पी और एस आर एम के बीच डाटा एकीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 8.1)

सम्पत्ति-सूची के संचय के कारण निधियों का अवरोधन- ₹16.14 करोड़

जबकि नयी प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी, मेसर्स बी ई एम एल द्वारा कच्ची सामग्री की निरंतर अधिप्राप्ति तथा उपयुक्त शॉवेल के बिना डम्पर के उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹16.14 करोड़ मूल्य के मर्दों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 8.3)

अध्याय I : भूमिका

1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थल सेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थल सेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाए;
- रक्षा लेखा विभाग;
- आयुध फैक्ट्रियां और,
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। तदोपरांत अध्यायों में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

थल सेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थल सेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्टॉनिक, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम. ई. एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ है। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध निर्माणियाँ होता है। उनतालिस आयुध फैक्ट्रियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके मुखिया चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं।

1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जाँच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखाकंन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखाकंन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13¹ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14² के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियां “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित हैं।

1.5 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टैकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात् उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल टी ए आर) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जाँच परिणाम का उत्तर एल टी ए आर प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल टी ए आर में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2013-14 के दौरान 10,920³ लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 732⁴

¹ (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

² भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों जो बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

³ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

⁴ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फॉर्मेशनों की संख्या

यूनिटों/फॉर्मेशनो की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फॉर्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी पी एम) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान प्रतिवेदन विशेष पैराशुट्स की अनुपलब्धता, भारतीय सेना द्वारा बीएमपी वाहन की आवश्यकता का गलत आकलन, छावनी बोर्ड की कार्यप्रणाली, सेना विमानन कोर, अत्यधिक भुगतान तथा विद्युत प्रभार की कम वसूली से होने वाली हानि, आर्डर परिवर्तन के दौरान ब्रास रोड की कम वसूली से होने वाली हानि, हथियार निर्माण करने वाली निर्माणीयों का उत्पादन तथा समान आदि के संचयन के कारण निधियों का अवरोध होना जैसे संबंधी मुद्दों/मामलों को भी उजागर करती है।

- भारत में छावनियाँ स्थायी सैन्य स्टेशन होते हैं जिनमें कि सैन्य टुकड़ियों की नियमित रूप से तैनाती की जाती है। देश में 62 अधिसूचित छावनी बोर्ड (सी बी) हैं। सी बी की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (दायित्व, शक्तियाँ एवं शर्तें) एक्ट 1971 की धारा 14(1) एवं (2) (सी ए जी के डी पी सी एक्ट 1971) के तहत की जाती है। प्रत्येक सी बी की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) द्वारा की जाती है जोकि बोर्ड के कार्यकारिणी संबंधी सभी कार्य करता है तथा बोर्ड के सदस्य सचिव की भी भूमिका निभाता है। वह महानिदेशक रक्षा संपदा (डी जी डी ई), नई दिल्ली को सूचित करता है। जनसंख्या के आधार पर सी बी को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। छावनी में रह रहे व्यक्तियों कमियों को नगरीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सी बी को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, सी बी क्लेमेंट टाँउन को छोड़कर 17 सी बी की जाँच नहीं हुई, नगर योजना स्कीम को तैयार एवं कार्यान्वयित किया, आर्थिक विकास एवं समाजिक न्याय हेतु अपने क्षेत्र में योजना बनाई। यहाँ तक की छावनी एक्ट के अनुसार अपने आवासियों को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली 24 तरह की सेवाओं को किसी भी सी बी ने नहीं दिया। इसके बाद भी सी बी में निर्धन उम्मीदवारों की सहायता हेतु कोई केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को छावनी में कार्यान्वित नहीं किया गया। राजस्व उत्पादन संबंधी स्थिति को भी प्रोत्साहित नहीं किया था, क्योंकि सी बी करों एवं गैर करों के माध्यम से

राजस्व उत्पादन में बढ़ोतरी करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय से सहायता अनुदान पर इनकी निर्भरता बढ़ती गई। ऐसा होने के कारण थे हर पाँच वर्षों में करों का संशोधन न किया जाना, अनुबंधित दर से कम दर पर संपत्ति कर की वसूली करना तथा वाहन प्रवेश कर आदि का न लिया जाना। (पैरा 2.1)

- काम्बैट फ्री फॉल (सी एफ एफ) पैराशूट, उन पैराशूट (पी ए आर ए) विशेष बल (एस एफ) कर्मियों के लिए आवश्यक होता है जिनको इसकी आवश्यकता अति विशिष्ट परिचालन के दौरान होती है और यह किसी भी मिशन की सफलता के लिए प्रमुख है। सी एफ एफ पैराशूट आयात माध्यम से 1986 में अधिप्राप्त किए गए थे, जिनका शैल्फ जीवन 10 वर्ष का था, तथा वर्ष 2002 में परिचालन योग्य न रह जाने के कारण उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। यह पैराशूट डीआरडीओ द्वारा वर्ष 2006 में बनाया गया किंतु सफलतापूर्वक उत्पादित नहीं किया जा सका। भारतीय सेना का पैराशूट विशेष सेना बटालियन के पास एक दशक से भी अधिक से पैराशूट नहीं थे। उनके विकास तथा उत्पादन पर ₹10.75 करोड़ का व्यय हुआ गैर-लाभकारी सिद्ध हुआ। (पैरा 2.2)
- सेना विमानन कोर का निर्माण इस मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया था कि फील्ड कमांडरों को निर्णायक युद्ध शक्तियों को लागू करने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करके युद्ध क्षेत्र में सफलता के प्रति योगदान करें। दल हालांकि प्राधिकृत बेड़े की ताकत के विरुद्ध 32 प्रतिशत कमियों से त्रस्त था। उपलब्ध हेलिकॉप्टर भी पुराने तथा जीर्ण अवस्था में है तथा इनमें 52 प्रतिशत बेड़े 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। हेलिकॉप्टरों की निम्न स्तर की उपयोगिता ने आगे इनकी परिचालन हेतु प्रभावकारी उपलब्धता को प्राधिकरण की 40 प्रतिशत क्षमता तक कम कर दिया। इन कमियों के बावजूद सेना विमानन कोर ने अपने चीता/चेतक हेलिकाप्टरों के बेड़ों को जो टोह लेने तथा अवलोकन हेतु प्रयोग में लाए जा रहे थे का प्रतिस्थापित नहीं कर सके, जो कि 10 वीं योजना अवधि (2002-2007) से ही अनधिष्ठापन हेतु 11वीं तथा 12वीं सेवा पूंजी अधिग्रहण योजना, संविदा के संदर्भ में, अनुमोदित 18 योजनाओं के विरुद्ध, पिछले नौ वर्षों में अभी तक केवल चार योजनाओं को ही पूरा किया जा सका। अतः लक्ष्यों की प्राप्ति एवं अधिप्राप्ति योजना में विफलता तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सुस्ती के मुख्य कारण थे जिसने दल को पुराने एवं जीर्ण दस्ते हेतु उपयुक्त प्रतिस्थापना अधिप्राप्त करने से रोका। (पैरा 3.1)
- पैदल सेना का लड़ाकू वाहन बी एम पी भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड पैदल सेना का मुख्य आधार है। यह वर्ष 1986 में टैंक के साथ कॉम्पलिमेंटरी वाहन के तौर पर सेवा में लाया गया। बी एम पी एक लड़ाकू वाहन टैंक है जो मूल रूप से रूस की उत्पत्ति है और वर्तमान में आयुध निर्माणी (ओ एफ) मेड़ाक

द्वारा निर्मित किया जाता है। 600 बी एम पी की क्षमता के विरुद्ध ओ एफ बी पिछले छः वर्षों के दौरान केवल 265 बी एम पी का ही उत्पादन कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता में 55 प्रतिशत की कमी आई। अतः आयुध निर्माणी मेडाक में बी एम पी के उत्पादन हेतु सुविधाओं को न बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप न सिर्फ सेना को ₹ 1374 करोड़ मूल्य के 389 बी एम पी की आपूर्ति में विलम्ब हुआ बल्कि मैकनाइज बलों की परिचालन तैयारी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण ₹ 270.97 करोड़ पर अतिरिक्त ऋण/व्यय देना पड़ा। (पैरा 3.2)

- सेना ने टैंक टी-55 के लिए 432 इमेज इंटेसिफायर साइट्स की अधिप्राप्ति में 10 से भी अधिक वर्ष का समय ले लिया और इस समय तक टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया तथा अनधिष्ठापन योजना के अनुसार इन टैंकों को वर्ष 2018-19 तक ही सेवा में रखा जाएगा। चूँकि, टैंक कमांडर टी-55 हेतु इमेज इंटेसिफायर साइट की अधिप्राप्ति में एक दशक से भी अधिक का विलम्ब होने तथा मांग-पत्र के निरस्त न होने के कारण ₹22.12 करोड़ की लागत के 432 साइट्स की अधिप्राप्ति हुई, यद्यपि सेना द्वारा उस विलम्बित चरण में कोई अधिप्राप्ति नहीं हुई थी। टैंक टी-55 के अप्रचलित घोषित कर दिए जाने के उपरान्त उनमें ₹9.22 करोड़ लागत के 180 साइट्स को कमान इकाईयों में दे दिया गया तथा ₹12.90 करोड़ लागत के 252 साइट्स अप्रैल 2014 से स्टॉक में थे। (पैरा 3.3)
- यद्यपि, गेरिसन इंजीनियर (जीई) का यह दायित्व है कि वह विद्युत आपूर्ति संस्था को अदायगी करने से पूर्व विद्युत बिलों पर जाँच को सुनिश्चित करे, किंतु हमने यह पाया कि जी ई की तरफ से आवश्यक जाँच को किए जाने में हुई विफलता से एवं पहले से ही स्वीकृत विद्युत शुल्क का समर्थन करने से ₹24.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान जीई द्वारा किया गया जिसे लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। जी ई एस भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ लागत के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में विफल रहा, जिसमें निजी पार्टियाँ भी शामिल हैं, जोकि मुख्यतः ऊर्जा एवं नियत शुल्कों की कम वसूली, बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब, खराब मीटरों आदि शामिल हैं। अत्यधिक अदायगी तथा कम वसूली से संबंधित यह कमियाँ एमईएस में आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता को रेखांकित करती हैं। (पैरा 4.1)
- चयनित छः हथियार विनिर्माण निर्माणियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) में उत्पादन की कुल कीमत का 11 प्रतिशत हथियारों, वाहनों तथा उपस्कर समूह के अंतर्गत योगदान दिया। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए छः निर्माणियों के निष्पादन को 25 सामरिक हथियार मर्दों जो 68 हथियार मर्दों की निर्माणियों की उत्पाद रेखा में

थी, कुल उत्पादन के 79 प्रतिशत के लिए जिम्मेदारी थी को पूरा किया। पाँच लक्ष्यों के साथ हमारी लेखापरीक्षा का उद्देश्य अपने ग्राहकों, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के लिए समय पर उत्पाद गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बोर्ड की क्षमता पर एक राय बनाने का था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान संशोधित लक्ष्य के विरुद्ध चयनित हथियारों के मुद्दे में कमी का कुल मूल्य ₹ 1479 करोड़ रहा। निर्माणियों में गिरावट का प्रमुख कारण इनपुट स्टोरों में विलम्ब का होना था। गुणवत्ता संबंधी दिक्कतों ने निर्माणियों में मूल्य, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उससे भी ऊपर बोर्ड की ख्याति तथा उसके उत्पादों के लिए अवरोध का काम किया। निर्माणियाँ स्टोरों की गुणवत्ता नियंत्रण को निर्धारित समय 15 दिनों के भीतर 40 से 63 प्रतिशत मामलों में पूरा नहीं कर सकी। सशस्त्र सेना के पास सुनिश्चित निधियों की उपलब्धता ने उनको उच्च निर्गम मूल्य पर ध्यान दिए बिना बोर्ड से उत्पादों को स्वीकार करने में सहायता दी। उपभोक्ताओं, सेना ने हथियारों में खराबी आने के कारण फील्ड यूनिटों में अविश्वास को पाया। बाद में एस क्यू ए ई द्वारा उसके गुणवत्ता निरीक्षण टिप्पणी में खराबियों के पुनः उत्पन्न होने की बात को पहले भी उजागर किया गया जो यह दर्शाता है इन टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, स्वदेशीकरण में विलम्बता तथा कुछ सभा के लिए लगातार आयात पर निर्भर रहने से निर्माणियों के समक्ष अपनी मांगों को पूरा करने की चुनौती को खड़ा कर दिया। (पैरा 7.2)

- धातु और इस्पात निर्माणी ईसापुर द्वारा ट्रेड फर्म को अपने आर्डरों में उत्पाद उपज तथा उच्च प्रक्रिया हानि के प्रावधान का प्रयोग ब्रास की टिकान को ब्रास की छड़ में बदलने में किया, वह भी इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी एक ट्रेड फर्म उच्च उत्पाद उपज एवं न्यून प्रक्रिया हानि उपलब्ध करा रही थी, परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ के ब्रास की छड़ की कम वसूली हुई थी और उसी सीमा तक ट्रेड फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया। (पैरा 7.9)
- उचित कारण जानने के उद्देश्य से कि मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपने व्यवसायिक हितों की उचित रूप से पूर्ति की, या नहीं, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान कम्पनी में अधिप्राप्ति तथा सूची प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया। मुनाफे में आई गिरावट के विभिन्न कारणों के लिए किए गए हमारे विश्लेषण ने यह उजागर किया कि विभिन्न कारकों में से एक कारक जिसने अपना योगदान दिया वह था पूँजी पर पड़ने वाला उच्च सूची स्तर का प्रभाव कम्पनी द्वारा, विक्रेता समझौते, सी वी सी मार्गदर्शन तथा खरीद नियमपुस्तक से बिल्कुल अलग थे। अग्रिम अदायगी हेतु प्राप्त की गई बैंक गारन्टी की राशि सी वी सी मार्गदर्शन के अनुसार नहीं थी। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रलेखन अपर्याप्त था। प्रणाली व्यवस्थाओं में सभी निविदाओं से संबंधित डेटा

की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन सुस्पष्ट नहीं था। विक्रेता सूची में द्विरावृत्ति थी, जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाती थी। अग्रिम असमायोजित रहे तथा प्रोफार्मा चालान के विरुद्ध की गई अदायगी का समावेश लंबित पीओएस आदि के विरुद्ध तदर्थ अदायगी अग्रिम के अंतर्गत निगरानी नहीं की जा सकी। स्टोर नियम पुस्तिका पिछले 23 वर्षों से उत्परिवर्तित नहीं की थी। अपर्याप्त सुरक्षा विशेषताओं के कारण, कम्पनी की एस आर एम प्रणाली ने विदेशी विक्रेताओं में विश्वास को खो दिया। एस एपी और एस आर एम के बीच समाकलन का कोई भी डेटा प्रदान नहीं किया गया था। (पैरा 8.1)

1.7 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितता

2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 तथा 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 में स्टाफ परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसार परियोजना डेलिवरेबल्सो का वास्तविक रूप में न आने वाले मामलों को हाईलाईट किया गया है। तथापि, कोई विशिष्टतापूर्ण सुधार नहीं देखा गया जैसा कि अध्याय-VI में रिपोर्ट दिया गया है। इस संबंध में सुधारात्मक कदम तत्काल लेने की जरूरत है।

1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक महालेखापरिक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरिक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, जनवरी 2015 तथा जून 2015 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VIII तक के 33 पैरों में से 30 पैरों के उत्तर नहीं भेजे (सितम्बर 2015)।

1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

सितम्बर 2015 तक थल सेना से संबंधित की गई कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक के 60 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 20 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 14 (क्र. स. 1 से 14) में की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि परिशिष्ट- I में दिखाया गया है।

1.10 वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन

1.10.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय के बजटीय आबंटन की आठ अनुदान मांगों के अधीन समाविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें माँग संख्या-20, रक्षा सेवाएं(सिविल) एवम् माँग संख्या-21- रक्षा सेवाएं पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान जो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं:-

माँग संख्या 22, रक्षा सेवा - सेना

माँग संख्या 23, रक्षा सेवाएँ - नौसेना

माँग संख्या 24, रक्षा सेवाएँ - वायुसेना

माँग संख्या 25, रक्षा आयुध निर्माणियाँ

माँग संख्या 26, रक्षा सेवाएँ - अनुसंधान एवं विकास(आर एण्ड डी)।

माँग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अनुदान हेतु मांगों के अंतर्गत आने वाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।

- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, पुर्जे आदि), राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये, दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एयरो इंजन, गोदीबाड़े आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद⁵ की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात् मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्ध व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष /अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित हैं, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है। अनुदान संख्या 23 - रक्षा सेवाएँ नौसेना तथा अनुदान संख्या -24 रक्षा सेवाएँ वायुसेना के अलावा जिन्हें अलग रिपोर्ट में प्रकट किया गया है, का सारांश विश्लेषण नीचे दिया गया है।

1.10.2 अनुदान संख्या 20 तथा 21 सिविल अनुदानों से व्यय

1.10.2.1 अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) का व्यय

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजी गत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका - 1 में दर्शाया गया है:

तालिका -1 बजटीय आबंटन तथा वास्तविक व्यय : रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
17,293.79	16,811.89	16,828.99

⁵ रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 20 (2012-13 पंद्रहवीं लोक सभा)

वर्ष 2013-14 के लिए ₹15,732.60 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी) (₹12,290.22 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹1,037.20 करोड़), तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹1,047.73 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹300.96 करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई) (₹837.27 करोड़) आदि है। संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹1,096.39 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय में मुख्य आंबटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹1,070.22 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹23.94 करोड़) तथा सी एस डी द्वारा संचालित यूनिट कैन्टीनों (यू आर सी) के लिए विविध ऋण (₹0.62 करोड़) के लिए पूँजीगत परिव्यय हैं। इसके बाद ₹729.79 करोड़ की राशि को अंतिम भाग (27.03.2014) में सौंप दिया गया जोकि मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिशत की अनिर्वाय कटौती के कारण था।

1.10.2.2 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन, पेंशन प्रभारों हेतु तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित) तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय आंबटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

तालिका - 2 बजटीय आंबटन तथा वास्तविक व्यय : रक्षा पेंशन

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
44,500.00	45,500.00	45,499.54

1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.11.1 सरसरी दृष्टि से


2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट (अनुदान संख्या 22 से 27), आंबटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारत) तालिका-3 एवं चार्ट- 1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

तालिका - 3 कुल रक्षा बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट का प्रावधान	वास्तविक व्यय
2009-10	1,48,499.26	1,45,781.04
2010-11	1,56,126.83	1,58,723.20
2011-12	1,78,891.06	1,75,897.94
2012-13	1,98,525.90	1,87,469.00
2013-14	2,17,648.54	2,09,788.52

चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय




- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 43.91 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में वृद्धि 11.91 प्रतिशत है।

1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-2 राजस्व व्यय बनाम पूंजी व्यय (दत्तमत)



उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है। तथापि, पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में व्यय की प्रतिशता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

1.12 थल सेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26, और 27⁶

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ एवं आर एंड डी के व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
थल सेना	वास्तविक	77,512.29	80,789.82	86,776.05	94,274.06	1,021,38.70
	राजस्व	62,716.64 (80.91%)	65,001.96 (80.46%)	71,832.66 (82.78%)	79,516.95 (84.35 %)	87,720.08 (85.88%)
	पूँजीगत	14,795.65 (19.09 %)	15,787.86 (19.54%)	14,943.39 (17.22%)	14,757.11 (15.65%)	14,418.62 (14.12%)
आयुध निर्माणियाँ	वास्तविक	3,520.27	1,527.00	1,704.15	2,116.26	3,963.91
	राजस्व	3,279.98 (93.17%)	1,073.42 (70.30%)	1,427.94 (83.79%)	1,754.03 (82.88%)	3,498.57 (88.26%)
	पूँजीगत	240.29 (6.83%)	453.58 (29.70%)	276.21 (16.21%)	349.07 (16.60%)	465.34 (11.74%)
आर एंड डी	वास्तविक	8,507.87	1,0191.99	9,932.29	9,860.56	10,929.57
	राजस्व	4,355.57 (51.20%)	5,230.88 (51.32%)	5,321.24 (53.58%)	5,218.32 (52.92%)	5,696.25 (52.12%)
	पूँजीगत	4,152.30 (48.81%)	4,961.11 (48.68%)	4,611.05 (46.43%)	4,642.24 (47.08%)	5,233.32 (47.88%)

टिप्पणी:- कोष्ठक में दिए गए अंक राजस्व/पूँजीगत व्यय के वास्तविक व्यय की प्रतिशता के रूप में प्रस्तुत करता हैं।


⁶ अनुदान संख्या 23- नौसेना एवं अनुदान संख्या- 24 वायुसेना- का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

- 2013-14 के दौरान थल सेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 2.29 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 से दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 87.31 की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 33.30 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 99.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 12.73 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.12.1 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति-पूँजीगत और राजस्व

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-3 में दर्शायी गई है:

चार्ट-3 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल पूंजीगत और राजस्व व्यय का विश्लेषण



- **थलसेना:** वर्ष 2013-14 में थल सेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2009-10 में 81 प्रतिशत थी वह 2013-14 में 86 प्रतिशत हो गई, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 19 प्रतिशत (2009-10) से 14 प्रतिशत (2013-14) में तदनरूप कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणिया:** वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों के कुल वास्तविक व्यय के राजस्व घटक में 2009-10 में 93 प्रतिशत से 2013-14 में 88 प्रतिशत हुई जिससे 5 प्रतिशत की कमी आई जबकि पूंजीगत घटक में 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक अनुरूप प्रतिशतता में वृद्धि हुई।
- **अनुसंधान एवं विकास:** आर एंड डी के राजस्व व्यय में 2009-10 से 2013-14 के दौरान 2009-10 में 51 प्रतिशत से 2013-14 में 52 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 49 प्रतिशत से 48 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशतता के रूप में कमी हुई।

1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)

1.13.1 थल सेना (दत्तमत)


2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थल सेना के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका- 5 और चार्ट- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका-5 :- थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	भण्डार (लघु शीर्ष-110)	कार्य (लघु शीर्ष-111)	राष्ट्रीय राईफल्स (लघु शीर्ष-112)	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	अन्य व्यय (लघु शीर्ष- 800)
2009-10	36,896.23	9,404.65	4,608.34	3,047.58	3,132.27	1,380.31
2010-11	35,445.39	12,144.48	5,308.35	3,098.71	3,051.42	1,475.79
2011-12	39,996.27	12,442.20	5,708.68	3,585.38	3,361.21	1,644.18
2012-13	46,057.23	12,749.70	5,768.73	4,076.22	3,673.96	1,638.63
2013-14	50,532.55	13,953.78	6,383.76	4,435.58	4,055.56	1,770.98

चार्ट-4 थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- छः लघु शीर्ष जिनका व्यय उच्चतम था जैसे सेना एवं सहायक बलों के वेतन एवं भत्ते, भण्डार, कार्य, राष्ट्रीय राईफल, असैनिकों के भुगतान एवं भत्ते और अन्य व्यय उनके व्यय में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई हैं। उनके प्रतिशत 2009-10 से 2013-14 तक 36.96 प्रतिशत, 48.37 प्रतिशत, 38.53 प्रतिशत, 45.54 प्रतिशत, 29.48 प्रतिशत और 28.30 प्रतिशत क्रमानुसार थे।

1.13.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)


2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियाँ के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट-5 में दर्शाया गया है:

तालिका-6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	निर्माण लघु शीर्ष 054	अन्य व्यय लघु शीर्ष 800	नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर) लघु शीर्ष- 797	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष- 106	परिवहन लघु शीर्ष - 105
2009-10	5,965.16	3,566.03	506.74	280.00	228.24	86.59
2010-11	5,704.96	3,499.75	582.66	600.00	207.82	110.73
2011-12	6,101.41	4,415.33	649.75	325.00	310.25	115.98
2012-13	5,691.76	4,335.73	767.68	350.00	415.85	135.01
2013-14	5989.63	4,562.58	794.97	375.00	697.01	146.75

चार्ट- 5 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 'नवीकरण एवं प्रतिस्थापन', 'परिवहन', 'अन्य व्यय', 'आर एवं आर पूँजी', उत्पादन एवं भण्डार जैसे लघु शीर्ष ने खर्च में क्रमानुसार 205.38 प्रतिशत, 69.47 प्रतिशत, 56.88 प्रतिशत, 33.93 प्रतिशत, 27.95 प्रतिशत, एवं 0.41 प्रतिशत, की बढ़ोतरी दर्शायी।

1.13.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)


2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-6 में दर्शाया गया है:

तालिका- 7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	असैनिको के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 102	आर एंड डी लघु शीर्ष- 004	निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	सेवा कार्मिको के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 101	अन्य व्यय लघु शीर्ष - 800
2009-10	1,453.76	1,525.66	562.81	411.80	220.34	101.31
2010-11	1,665.91	1,409.71	1,218.25	492.17	201.61	144.02
2011-12	1,774.18	1,534.88	983.91	543.20	198.23	167.55
2012-13	1,870.19	1,694.22	516.97	621.39	226.38	163.43
2013-14	1,837.27	1,864.71	764.72	669.10	250.76	197.27

चार्ट-6 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- लघु शीर्ष व्यय- 2009-10 से 2013-14 के दौरान 'अन्य व्यय', 'कार्य', 'अनुसंधान एवं विकास', भण्डार, वेतन एवं भत्ते-असैनिक एवं कर्मचारीगण के वेतन एवं भत्ते में क्रमशः 94.72 प्रतिशत, 62.48 प्रतिशत, 35.87 प्रतिशत, 26.38 प्रतिशत, 22.22 प्रतिशत एवं 13.81 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

1.14 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति - मुख्य शीर्ष- 4076 अनुदान संख्या- 27 रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

1.14.1 पूँजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, उप मुख्य शीर्ष- 01 थल सेना, उप मुख्य शीर्ष-02 नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04, आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07 विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष-08 प्रौद्योगिकी विकास।

1.14.2 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष -01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरे नीचे तालिका- 8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका- 8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थल सेना, आयुध निर्माणियाँ और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पूंजीगत व्यय	थल सेना का पूंजीगत व्यय	आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय	आर एंड डी का पूंजीगत व्यय
2009-10	51,019.42	14,795.65	240.29	4,152.30
2010-11	62,011.53	15,787.86	453.58	4,961.11
2011-12	67,843.96	14,943.39	276.21	4,611.05
2012-13	70,483.32	14,757.11	349.07	4,642.24
2013-14	79,092.91	14,418.62	465.34	5,233.32

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्यय:** 2009-10 से 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 55.02 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। परन्तु थल सेना के व्यय में इस अवधि के दौरान 2.55 प्रतिशत का घटाव दर्ज हुआ। इस की तुलना में आयुध निर्माणियाँ एवं आर एवं डी के पूंजीगत व्यय में घटकों के आधार पर 93.66 प्रतिशत एवं 26.03 प्रतिशत क्रमानुसार बढ़ोतरी हुई।
- **थल सेना का पूंजीगत व्यय:** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थल सेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2009-10 में 29 प्रतिशत से 2013-14 में 18.23 प्रतिशत तक 11 प्रतिशत की कमी हुई। 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 2.29 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्यय:** 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2009-10 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.47 प्रतिशत से 2013-14 में 0.59 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। पूर्व के

⁷ एस एम एच - 02 तथा एस एम एच - 03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायुसेना तथा नौसेना की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एस एम एच - 08 के संबंध में 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय क्रमशः 54.23 करोड़ तथा 139.11 करोड़ था। एस एम एच - 07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2013-14 में 33.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी।

- **आर एंड डी का पूंजीगत व्यय:** कुल पूंजीगत व्यय तुलना में आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 2 प्रतिशत अर्थात् 8.14 प्रतिशत (2009-10) से 6.62 प्रतिशत (2013-14) की कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एंड डी का पूंजीगत व्यय 12.73 प्रतिशत बढ़ा है।

1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 'बचत' और 'आधिक्य' की प्रवृत्ति नीचे तालिका - 9 में दर्शायी गई है:

तालिका-9 पूंजीगत व्यय में बचत/आधिक्य का प्रवृत्ति

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन	
			बचत(-)	आधिक्य (+)
2009-10	54,779.62	51,019.42	3,760.20 (6.86%)	-
2010-11	60,776.21	62,011.52	-	1,235.31 (2.03 %)
2011-12	69,148.01	67,843.96	1,304.05 (1.89%)	-
2012-13	79,526.99	70,483.32	9,043.67 (11.37%)	-
2013-14	86,685.31	79,092.91	7,592.40 (8.76%)	-

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत (-)/ आधिक्य (+) को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचत' हुई थी, जबकि 2.03 प्रतिशत का 'आधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचत' 11.37 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत के बीच रही है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान हुई ₹9043.67 करोड़ (11.37 प्रतिशत) से वर्ष 2013-14 में ₹7592.40 करोड़ (8.76 प्रतिशत) की बचत में कमी देखी गई। तथापि बचत वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹7854.78 करोड़ (9.06 प्रतिशत) की राशि की निधि जो कि बचत से ज्यादा थी।

1.15 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) का वर्णन

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नौ⁸ रक्षा पी एस यू हैं। यह रक्षा पी एस यू दो अतिरिक्त शाखा के साथ प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलूरू द्वारा लेखापरीक्षा किए जाते हैं।

- i) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलूरू (बी ई एल) भारत सरकार के साथ अधिकतम शेयर होल्डर (75.02 प्रतिशत) कंपनी के रूप में सूचिबद्ध हैं। यह प्रमुख रूप से भारतीय रक्षा सेवाओं के विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। बी ई एल को भारत सरकार की ओर से नवरत्न की उपाधि प्राप्त हुई है। इसकी एक अतिरिक्त शाखा है जो कि ओपट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे है। बी ई एल की भुगतान की हुई पूँजी, 31 मार्च 2014 को ₹80 करोड़ थी। बी ई एल का उत्पाद 2012-13 में ₹6103.53 करोड़ से बढ़कर 2013-14 ₹6275.52 करोड़ हो गया जोकि 3 प्रतिशत है।
 - बी ई एल ओपट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे (बी ई एल ओ पी) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (92.79 प्रतिशत शेयर होल्डर) की एक अतिरिक्त शाखा है। इसकी स्थापना, अनुसंधान, विकास एवं इमेज इनटेन्सीफायर ट्यूब को उत्पाद एवं सम्मिलित उच्च वोल्टेज पावर आपूर्ति इकाइयों के उत्पाद जो कि सेना, सुरक्षा एवं वाणिज्यिक प्रणाली में उपयोग होते हैं, के लिए हुई है। बी ई एल ओ पी की भुगतान की हुई पूँजी, 31 मार्च 2014 को ₹18.32 करोड़ थी। बी ई एल ओ पी का उत्पादन 2012-13 में ₹146.65 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹171.49 करोड़ हो गया जोकि 17 प्रतिशत हैं।
- ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) बैंगलूरू भारत सरकार की सूची में एक अधिकतम शेयर होल्डर कंपनी (54.03 प्रतिशत) है कंपनी तीन प्रमुख व्यापारिक उदगर्ग जो कि खनन एवं निर्माणी, रक्षा एवं रेल और मेट्रो है। इसकी एक अतिरिक्त शाखा जो कि विग्नयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड तारीकेरे है। बी ई एम एल की भुगतान की पूँजी 31 मार्च 2014 ₹41.77 करोड़ थी। बी ई एम एल का उत्पाद 2012-13 में ₹2808.91 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹2911.51 करोड़ जो कि 4 प्रतिशत था, हो गया।
 - विग्नयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तारीकेरे (वी आई एल) बी ई एम एल लिमिटेड (95.56 प्रतिशत शेयर होल्डर) की अतिरिक्त शाखा है। यह

⁸ चार पोतानिर्माणी (मझगाँव डॉक शिपविल्डस लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनीयर्स लिमिटेड, गोआ शिपयार्ड लिमिटेड एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड) के रेखाचित्र एवं ए टी एन अवस्था और हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु एवं नौसेना के सी एंड ए जी के प्रतिवेदन में समेटा गया है।

इकाई एक स्टील को ढालने की संघानशाला है जो कि अर्थ मूविंग मशीनों, वाल्वों, डाई-कास्टिंग मशीनों, रोपवे, मोटर-कार एवं रेलवे के लिए घटकों को मथने का कार्य करती है। वी आई एल की भुगतान की हुई पूँजी 31 मार्च 2014 को ₹2.79 करोड़ थी। इसका उत्पाद 2012-13 में ₹24.50 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹32.72 करोड़ हो गया जोकि 34 प्रतिशत हैं।

- iii) भारत डाइनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (बी डी एल) एक पूरी तरह से भारत सरकार का उपक्रम है। यह गाइडिड वेपन सिस्टम के उत्पादन में लगा हुआ है। बी डी एल की भुगतान की गई पूँजी 31 मार्च 2014 ₹115.00 करोड़ थी। इसका उत्पादन 2012-13 में ₹1072.01 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹1774.05 करोड़ जो कि 65 प्रतिशत है, हो गया।
- iv) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद (मिधानी) एक पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम है। वह उन्नत धातुओं व मिश्रधातुओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के उत्पादों की विस्तृत श्रेणी के विनिर्माण में लगा है। मिधानी की भुगतान की हुई पूँजी 31 मार्च 2014 को ₹187.34 करोड़ थी। इसका उत्पादन 2012-13 में ₹553.90 करोड़ से न्यूनतम रूप में बढ़कर 2013-14 में ₹554.62 करोड़ हो गया।

अध्याय II: रक्षा मंत्रालय

2.1 छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में से छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाउन को छोड़कर किसी ने भी टाउन प्लानिंग स्कीमों, आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय की योजनाओं को संबंधित क्षेत्रों में न तो बनाया न ही कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त न ही किसी भी छावनी बोर्ड ने, छावनी अधिनियम में उल्लेखित 24 प्रकार की सुविधाओं को, अपने नागरिकों को प्रदान किया। गरीबों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ, जो छावनी बोर्डों के लिए भी उपयुक्त थीं लागू नहीं किया गया तथा जिन आधारभूत सुविधाओं के प्रावधानों को, छावनी में कार्यान्वित करना था। राजस्व उत्पत्ति संबंधी स्थिति भी प्रोत्साहनीय नहीं थी क्योंकि, छावनी बोर्ड करों तथा बिना कर के जरिए राजस्व उत्पत्ति की वृद्धि में असमर्थ थीं जिसकी वजह से उनकी निर्भरता रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाले सहायक अनुदान की ओर बढ़ती गई। यह मुख्यतः हर पाँच वर्षों में करों के असंशोधन, निर्धारित दरों से कम पर संपत्ति करों की वसूली तथा वाहन प्रवेश कर न लेने इत्यादि के कारणों से हुआ ।

2.1.1 प्रस्तावना

2.1.1.1 छावनी तथा छावनी बोर्ड

भारत में छावनी स्थायी मिलिटरी स्टेशन हैं जहाँ पर फौज नियमित रूप से रखी जाती है। भारतीय संविधान के तहत छावनी क्षेत्र केंद्रीय प्रदेश हैं, जिस कारणवश, इन क्षेत्रों में कार्यरत नागरिक निकाय, राज्य नगर-निगम कानूनों के अधीन आवरित नहीं हैं। इसीलिए छावनियों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों के लिए छावनी अधिनियम, 1924 बनाया गया जिसे, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) (अधिनियम) के द्वारा संशोधित किया गया है। किसी क्षेत्र को छावनी घोषित करने के उपरान्त, केंद्र सरकार एक वर्ष के भीतर उस छावनी के लिए एक बोर्ड गठित करती है जिसे छावनी बोर्ड (सी बी) कहा जाता है।

देश में 62 अधिसूचित छावनी बोर्ड हैं जो 19 राज्यों में स्थित हैं तथा पाँच सेना कमानों के बीच बाँटी गई हैं। जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्ड को चार वर्गों⁹ में वर्गीकृत किया गया है।

2.1.1.2 संगठनीय संरचना

प्रत्येक छावनी बोर्ड का प्रधान एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.क.अ.) होता है, जो छावनी के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ, बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करता है। वह सेना के प्रत्येक कमान मुख्यालय में तैनात प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा के माध्यम से महानिदेशक रक्षा सम्पदा (म.नि.र.सं.) नई दिल्ली को रिपोर्ट करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेना से स्वतंत्र होता है तथा वह असैनिक जनसंख्या का असैनिक कार्यकारी इंटरफेस है।

छावनी बोर्ड की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा की ड्यूटी, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 (सी ए जी का डी पी सी एक्ट 1971) के खण्ड संख्या 14 (1) तथा (2) के अधीन की जाती है।

इस उद्देश्य से कि क्या छावनी बोर्ड अपने निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम थी और क्या वित्तीय प्रबंधन एवं संपत्तियों की व्यवस्था कायम थी, पाँच प्रधान निदेशकों एवं महानिदेशक कार्यालयों सहित 17 छावनी बोर्डों¹⁰ के वर्ष 2009-10 से 2013-14 अवधि तक के दस्तावेजों की नमूना जाँच की गई।

रक्षा मंत्रालय को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जून 2015 को जारी किया गया। मंत्रालय से अभी तक जवाब प्राप्त (अगस्त 2015) नहीं हुआ है।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

छावनी बोर्डों का मुख्य कार्य मोटे तौर पर वैसा ही है जैसा कि नगरपालिका निगमों का होता है। छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड (छावनी बोर्ड) का यह कर्तव्य है कि, वो उसको दी गई निधि के अंतर्गत 24 प्रकारों की सेवाओं जिनका विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है, का छावनी क्षेत्र में प्रावधान करें।

⁹वर्ग I जिसमें 50000 से अधिक जनसंख्या है, वर्ग-II जिसमें जनसंख्या 10000 तथा 50,000 के बीच क्रमबद्ध, वर्ग-III जिसमें 2500 तथा 10000 के बीच जनसंख्या तथा वर्ग-IV जिसमें जनसंख्या 2500 से कम।

¹⁰वर्ग-I मेरठ (सीसी) लखनऊ (सीसी) देहरादून (सीसी), रामगढ़ (सीसी) वर्ग-II - अहमदनगर (दक), बरकपुर (पूक), विलिंगटन (दक), रानीखेत (सीसी), दानापुर (सीसी), शिलांग (पूक), क्लेमेंट टाउन (सीसी) खास्योल (उक)*, पचमढी (सीसी), वर्ग-III- लण्ड्सडोन (सीसी) चक्राता (सीसी), वर्ग-IV- डलहौजी (प.क.), जबलपुर (पूक)

*सितम्बर/अक्टूबर 2014 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बाढ़ की वजह से छावनी बोर्ड बदामीबाग की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके बजाय छावनी बोर्ड खास्योल का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया।

2.1.2.1 आयोजना

छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार यह जरूरी था कि, छावनी बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में टाऊन प्लानिंग स्कीमों तथा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए परियोजनाओं को तैयार करें तथा उन्हें लागू करने की व्यवस्था करें। छावनी बोर्ड के लिए यह भी जरूरी था कि, वो 15 वर्षों में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं को तैयार करें तथा उनको लागू करने के लिए पंचवार्षिक विकास परियोजना को भी तैयार करें।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने छावनी बोर्डों को छावनियों की नागरिक आधारभूत संरचना में सुधार तथा निवासियों को उच्च कोटि की सेवाएँ प्रदान करने के प्रस्तावों को सूत्रबद्ध तथा लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए (मई 2011)। यदि निधि का अभाव हो, तो महानिदेशक ने छावनी बोर्डों को निर्देश जारी किए कि वे विशेष सहायता अनुदान की संस्वीकृति के प्रस्ताव भेजे।

हमने पाया कि, छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन के अलावा नमूना जाँच की गई अन्य किसी भी छावनी बोर्ड ने अधिनियम प्रावधानों व निर्देशों के अनुसार कोई योजना तैयार नहीं की।

2.1.2.2 छावनी बोर्डों द्वारा आदेशात्मक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना

अधिनियम में आदेशात्मक कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में, लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उजागर किया, कि नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में से किसी ने भी अधिनियम में लिखे गए सभी 24 कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। छावनी बोर्डों द्वारा कर्तव्यों को निभाने की क्रमबद्ध संख्या तीन (छावनी बोर्ड रानीखेत, मध्य कमान) तथा 22 (छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन, मध्य कमान) के बीच थी।

लेखापरीक्षा के सवाल के जवाब में छावनी बोर्ड ने कहा कि, कर्तव्यों को न निभाने का मुख्य कारण था कर्मचारियों या निधियों की अनुपलब्धता।

निम्नलिखित कारणों की वजह से यह जवाब अस्वीकार है:

- छावनी बोर्डों में कर्मचारियों की प्राधिकृत जनशक्ति व पदस्थापित जनशक्ति में अत्यधिक कमी नहीं पायी गई। नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों की पदस्थापित जनशक्ति तुलना में, प्राधिकृत नफरी की क्रमबद्धता 59 प्रतिशत छावनी बोर्ड बैरकपुर (वर्ग- II), तथा 92 प्रतिशत छावनी बोर्ड पछमढी (वर्ग-II) और विलिंगटन (वर्ग-II) के बीच रही जैसा कि **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है। तथापि यह पाया गया कि, कर्मचारियों की 41 प्रतिशत कमी के बावजूद छावनी बोर्ड बैरकपुर ने 20 कर्तव्यों को पूरा किया था, वहीं छावनी बोर्ड पछमढी और विलिंगटन ने कर्मचारियों

की आठ प्रतिशत की कमी के बावजूद क्रमशः 16 तथा आठ कर्तव्यों को पूरा किया।

- छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तुलना में श्रमशक्ति का मूल्यांकन करने वाले प्रतिमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रश्न के लिए डी जी ई से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2015)।
- आदेशात्मक सेवाओं के निष्पादन के लिए जहाँ तक निधियों की उपलब्धता का सवाल है तो, ऐसा पाया गया कि, निधियों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि, नमूना जाँच की गई छावनी बोर्ड पिछले पाँच वर्षों के दौरान उन्हें आबंटित निधियों का उपयोग करने में असफल रहें जैसा कि पैरा 2.5.3.2 में चर्चा की गई है।

2.1.2.3 केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का अमल में न लाया जाना

अधिनियम के खण्ड 10 के द्वारा, छावनी बोर्डों को अनुदान और विनिधान लेने या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, सुरक्षा, जल आपूर्ति, सफाई, शहरी नवीनीकरण और शिक्षा योजनाओं को अपने निवासियों के लिए अमल में लाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 243-पी के उपवाक्य (ई) के अनुसार नगरपालिकाओं के रूप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं को छावनी बोर्ड द्वारा अमल में लाना था:

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाय)
- राजीव आवास योजना (आर ए वाई)

जे एन एन यू आर एम: पहचाने गए शहरों के सुधारों तथा शीघ्र गति नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने (दिसम्बर 2005) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन को चुनिन्दा शहरों में सुधार लाने तथा तीव्र गति नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू किया।

इस योजना के कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत धनराशि शहरी विकास मंत्रालय(एमओयूडी) द्वारा, 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान करनी थी। चूँकि राज्य सरकारें छावनी क्षेत्रों में आधार भूत संरचना परियोजनाओं के लिए मिशन के अधीन निधि देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए संयुक्त सचिव छावनियाँ तथा कार्य [जे एस(सी एण्ड डब्ल्यू)] ने मिशन डायरेक्टर (जे एन एन यू आर एम) से (मार्च 2010) अवगत कराया कि रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्डों द्वारा दी जाने वाली 20 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार (30 प्रतिशत) द्वारा दी जाने वाली निधि को भी देने का विचार कर रही है। तथापि, वित्त मंत्रालय को प्रेषण से पूर्व शहरी विकास

मंत्रालय(एम ओ यू डी) से इस आशय की पुष्टी मांगी कि, क्या जे एन एन यू आर एम निधि छावनी बोर्डों को उपलब्ध करवाई जाएगी ।

जे एन एन यू आर एम के मिशन डायरेक्टर ने (अप्रैल 2010) संयुक्त सचिव (सी एण्ड डब्ल्यू) को सूचित किया कि, बहुतांश राज्यों ने उनके द्वारा आंबटित राशि को खर्च कर दिया है इसलिए छावनी क्षेत्रों में शहरी आधारभूत संरचना को आर्थिक सहायता के लिए तब तक रूकना पड़ेगा जब तक मिशन के लिए अतिरिक्त आंबटन प्राप्त नहीं हो जाता। मार्च 2011 में रक्षा राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से निवेदन किया कि, वे इस मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए ताकि छावनी बोर्डोंको मिशन का लाभ मिलसके। फरवरी 2012 में हुई बैठक में जे एन एन यू आर एम के मिशन डायरेक्टर ने कहा कि,राज्य सरकारों द्वारा छावनी बोर्डों की जरूरतों को, जे एन एन यू आर एम के अगले फेज के लिए शहर विकास योजनाओं(सी डी पी) को तैयार करते समय, ध्यान में रखा जाएगा ।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने रक्षा मंत्रालय को (मई 2014) सूचित किया कि, छावनी बोर्डों को जे एन एन यू आर एम फेज-1 में शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि, महानिदेशक रक्षा सम्पदा और शहरी विकास मंत्रालय के बीच पिछले नौ वर्षों से योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि से संबंधित मामले को सुलझाया नहीं जा सका।

सारांश यह है कि, यद्यपि 28 छावनी बोर्ड, जो उन शहरों से सटी हुई थीं जिनका नाम योजना के फेज-1 में जे एन एन यू आर एम के तहत मिलने वाले लाभों के लिए योग्य पायी गई थीं (जिसमें से सात¹¹ छावनी बोर्ड नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में शामिल थीं) ,फिर भी योग्य छावनियों के निवासियों को इस योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

यह भी देखा गया कि योग्य छावनी बोर्डों ने मामले को राज्य प्राधिकारों के सामने रखा,फिर भी यह मिशन निम्नलिखित कारणों की वजह से कार्यान्वित नहीं किया जा सका:

- **छावनी बोर्ड शिलांग:** छावनी बोर्ड ने जे एन एन यू आर एम के विषय में शहर विकास योजना के अंतर्गत छावनी बोर्ड शिलांग के क्षेत्र को शामिल करने के लिए मामले को (जनवरी 2008) मेघालय शहरी विकास प्राधिकारी (एम यू डी ए),जो मेघालय सरकार का उपक्रम हैं, के सामने रखा। मेघालय सरकार ने (जुलाई 2008) सूचित किया कि, छावनी बोर्ड शिलांग का क्षेत्र, जल आपूर्ति परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है और छावनी बोर्ड से इस परियोजना के लिए अलग से निधि रखने के लिए कहा जो कि, कुल

¹¹दानापुर, लखनऊ, मेरठ, रामगढ़, शिलांग, देहरादून तथा बैरकपुर

परियोजना लागत का 0.20 प्रतिशत था। छावनी बोर्ड शिलॉग ने (दिसम्बर 2009) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने के लिए एम यू डी ए को निवेदन किया ताकि छावनी बोर्ड निधि के आंबटन के लिए मामले को प्रस्तुत कर सके। एम यू डी ए ने (फरवरी 2010) सूचित किया कि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पी एच ई) विभाग द्वारा तैयार किया गया है अतः इस मामले को उनके साथ लिया जाए। 20 महीनों के अन्तराल के बाद छावनी बोर्ड शिलॉग ने (अक्टूबर 2011) छावनी बोर्ड द्वारा वहन की जाने वाली आनुपातिक लागत को सूचित करने के लिए, पी एच ई विभाग से निवेदन किया। लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता ने (दिसम्बर 2011) सूचित किया कि, छावनी बोर्ड को दो स्थानों पर टंकियों को बनाना होगा तथा छावनी क्षेत्र के भीतर जल के वितरण की व्यवस्था करनी होगी। तथापि, हमने देखा कि, छावनी बोर्ड शिलॉग ने टंकियों को बनाने की कोई योजना तैयार नहीं की।

जवाब में (दिसम्बर 2014) छावनी बोर्ड शिलॉग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने कहा कि, दो टंकियों के निर्माण की आवश्यकता है जिनका निर्माण किया जाएगा। यह भी कहा कि, छावनी बोर्ड पी एच ई की मौजूदा सप्लाई लाइन से निवासियों को 48 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति कर रही है।

- **छावनी बोर्ड दानापुर:** महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के छावनी बोर्ड दानापुर को दी गई हिदायतों के अनुसार छावनी बोर्ड दानापुर ने जे एन एन यू आर एम के अधीनशहर विकास योजना (सी पी डी) को तैयार करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्णय (जुलाई 2010) लिया। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने, शहरी विकास तथा गृह रचना विभाग, बिहार सरकार के सचिव से भी (अगस्त 2012) भेंट की जिसमें तय हुआ कि, जे एन एन यू आर एम के अधीन योजनाओं के एकत्रीकरण के लिए छावनी बोर्ड तथा दानापुर नगर निगम के प्राधिकारी मिलें।

तथापि, कोई कार्रवाई नहीं की गई और छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2014) कि, शहरी योजना/मल व्यवस्था योजना इत्यादि बनाने के लिए आवश्यक कुशल तथा अनुभवी तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण छावनी बोर्ड दानापुर द्वारा सीडीपी या डीपीआर ढाँचा तैयार नहीं किया गया।

- **छावनी बोर्ड रामगढ़** प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा (मध्य कमान) ने छावनी बोर्ड रामगढ़ को (फरवरी 2012) निर्देश दिए कि, वो अपने छावनी क्षेत्र के लिए छावनी विकास योजना को जल्द पूरा करे और उसे जेएनएन यू आर एम फेज - II के लिए राँची शहर की सीडीपी में एकीकृत किया जाए। छावनी बोर्ड के दस्तावेजों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि, सीडीपी को बनाने के लिए छावनी बोर्ड द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई।

छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) उत्तर में कहा कि छावनी बोर्ड ने शहरी विकास विभाग राँची तथा नगर-निगम से इस बारे में आग्रह किया था लेकिन, उन्होंने सूचित किया कि छावनी बोर्ड रामगढ़ जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत नहीं आता। विभाग का यह दावा सही नहीं था क्योंकि छावनी बोर्ड रामगढ़ इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा चयनित योग्य छावनियों में सम्मिलित थी।

- **छावनी बोर्ड बैरकपुर:** छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (नवम्बर 2006) कोलकाता के व्यापक शहर नवीनीकरण योजना में छावनी बोर्ड बैरकपुर को एकत्रीकृत करने के मामले को सचिव, शहर विकास/स्थानीय स्वायत्त शासन, पश्चिम बंगाल सरकार के सामने रखा। प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा, पू.क. कोलकाता ने भी (जुलाई 2009) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से निवेदन किया कि, वे म्युनिसिपल कमिश्नर बैरकपुर को व्यापक सी डी पी तैयार करते समय छावनी बोर्ड बैरकपुर की आधारभूत संरचना की मांग को संज्ञान में रखे। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने, (सितम्बर 2010) राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक की सिफारिश के साथ राज्य शहर विकास प्राधिकारी के डायरेक्टर के जरिए म्युनिसिपल अफयर्स विभाग के सचिव को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भिजवायी। परंतु छावनी बोर्ड को (अप्रैल 2015) कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
- **छावनी बोर्ड लखनऊ:** छावनी बोर्ड लखनऊ ने (जुलाई 2009) जेएनएनयूआरएम योजना के क्रियान्वयन के लिए लखनऊ नगर निगम के लिए व्यापक शहरी विकास योजना में छावनी बोर्ड लखनऊ क्षेत्र को शामिल करने के लिए लखनऊ नगर-निगम (एल एम सी) को आग्रह किया। छावनी बोर्ड आधारभूत संरचना के विकास जिसमें, जल आपूर्ति संवर्धन, मल- व्यवस्था, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट शामिल था जिसकी लागत ₹91.10 करोड़ आँकी गई, को लखनऊ शहर की अन्तिम रूप दिए गए सी डी पी में शामिल करली गई। यद्यपि, छावनी बोर्ड ने (दिसम्बर 2010) एल एम सी को छावनी बोर्ड में जेएनएनयूआरएम योजना के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक कदम उठाने के लिए पुनः निवेदन किया लेकिन उत्तर प्रदेश जल निगम (जेएनएनयूआरएमके इन्चार्ज) ने (फरवरी 2014) बताया कि जेएनएनयूआरएम के अधीन छावनी बोर्ड के संबंध में मल व्यवस्था योजना को उनके द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता तथा इस योजना पर आने वाला खर्च पूर्णतया छावनी बोर्ड द्वारा ही वहन किया जाना होगा। इस योजना को छावनी बोर्ड में कार्यान्वित (फरवरी 2015) नहीं किया जा सका।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)

यह योजना बेराजगारों और अपूर्ण रोजगारों को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त लोक संपत्तियों के निर्माण में अपने कौशल, वैयक्तिक एवं वेतनीक काम करने का अवसर प्रदान करती थी। इस योजना के तहत धनराशि की पद्धति थी, 75 प्रतिशत केंद्र तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा प्रदान करना। उपाध्यक्ष योजना आयोग ने (जून 2010) महानिदेशक रक्षा सम्पदा को सूचित किया कि, इस योजना से मिलने वाले लाभों को छावनी बोर्डों के क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अपनी आई को बढ़ाने के अवसर का लाभ दिलाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, किसी भी नमूना जाँच किए गए छावनी बोर्डों में योजना कार्यान्वित नहीं की गई।

राजीव आवास योजना (आरएवाय)

जून 2011 में, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने झुग्गी - झोपड़ी से मुक्त भारत को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 2017 तक दो चरणों में लागू करने का अनुमोदन किया।

इस योजना का उद्देश्य उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार सौंपने की इच्छुक हो ताकि अच्छे आश्रय बने और झुग्गी - झोपड़ियों के पूर्ण उत्थान और खरीद सकने वाले घरों के निर्माण के लिए मूलभूत तथा सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने की इच्छा रखते हो। उन संपत्तियों के प्रावधान के लिए, जिसमें उनका प्रचालन व रखरखाव शामिल है, 50 प्रतिशत लागत केंद्र को उठानी थी। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड) के लिए केंद्र का हिस्सा 90 प्रतिशत था।

इस योजना की परिकल्पना थी कि जहाँ जमीन छावनी बोर्ड की है तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित छावनी बोर्ड, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निगमों (यूएलबीओं) के सहयोग से कार्य करते हुए ऐसे उपाय करे ताकि गंदी बस्तियों के संपत्ति अधिकारों के साथ उनका पुनर्विकास व पुनःस्थापन से, अतिक्रमण में फंसी जमीन निकल सके।

हाऊसिंग तथा अर्बन पावर्टी एलीविएशन मंत्रालय (एम ओ एच यू पी ए) के सचिव ने, 2022 तक 'सभी के लिए घर' प्रदान करने की केंद्र सरकार की सर्वप्रथम वरीयता की ओर ध्यान दिलाते हुए रक्षा मंत्रालयसे उस जमीन के विवरण अति शीघ्र (अक्टूबर 2014) माँगे जिन पर गंदी बस्तियाँ बसी थीं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने एमओएचयूपीए द्वारा मांगी गई अद्यतन जानकारी (जनवरी 2015) नहीं दी थी।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा से (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015) योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति पूछी गई थी लेकिन, (अगस्त 2015) तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

2.1.2.4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) का लागू न होना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने म्युनिसिपल तथा सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट तथा हैंडलिंग) नियम 2000 को बनाया, जो प्रत्येक नगर प्राधिकारी को लागू होती है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के एकत्रीकरण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया तथा निपटान के लिए जिम्मेदार है।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (जनवरी 2011) सभी रक्षा सम्पदा के प्रधान निदेशकों और छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। इस नियम में घर-घर से एकत्रीकरण, म्युनिसिपल वेस्ट का बायो-डिग्रेडेबल तथा नॉन-बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट में पृथक्करण, ढका हुआ परिवहन, बायो-डिग्रेडेबल/नॉन बायो-डिग्रेडेबल/ रिसाईकिलिंग के अलग भंडारण तथा अन्य वेस्टों को अलग रखना और बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट का वर्मिन-कम्पोस्टिंग शामिल थे।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा के दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि महानिदेशक ने 10 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद महानिदेशक रक्षा सम्पदा व छावनी बोर्डों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए। नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा ने निम्नलिखित बातों को प्रकट किया है:

- छावनी बोर्ड लखनऊ तथा छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के सिविल एरिया को छोड़कर बाकी किसी भी नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में इस नियम को कार्यान्वित नहीं किया गया।

जवाब में छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (मार्च 2015) कहा कि, मिलिटरी क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करना पॉलिसी के अनुसार अधिकृत नहीं था।

- अन्य छावनी बोर्डों ने मात्र दो कार्यकलापों जैसे कि वेस्ट को घर-घर से एकत्रीकरण तथा वेस्ट को खंदक जमीन/भराई में डालते हुए इस योजना को आंशिक रूप में कार्यान्वित किया।
- छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नवम्बर 2014 को दिए जवाब में कहा कि, सिविल क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने का प्रस्ताव कार्यान्वित हुआ था तथा आर्मी क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन के प्रस्ताव को प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा से अनुमति (नवम्बर 2014), जो कि सेना के एकीकृत वित्तीय

सलाहकार हैं और जिनकी अनुमति इसके लिए जरूरी थी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

- छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (अप्रैल 2015) बताया कि, छावनी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए हाऊसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी संपर्क किया गया है लेकिन प्रक्रिया को अभी क्रियान्वित (अप्रैल 2015) किया जाना है ।

2.1.2.5 छावनी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली जल आपूर्ति सेवा में अपर्याप्तता

अधिनियम के खण्ड 62 (X) के अनुसार, छावनी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे अपने आवासियों को उपयोग के लिए पेय तथा पर्याप्त जल मुहैया करवाए।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की जाँच व उनके द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी की संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि, देहरादून, मेरठ, लखनऊ, रामगढ़, दानापुर, डलहौजी तथा पचमढ़ी छावनी बोर्डों के खुद के जल आपूर्ति स्रोत हैं। छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन में उत्तराखण्ड पेय जल संस्थान द्वारा सीधे ही छावनी क्षेत्र में जल की सप्लाई की जाती है। बाकी बची नौ छावनी बोर्ड अपने आवासियों को पानी की आपूर्ति या तो एम.ई.एस. से खरीदकर या पड़ोसी नगर निगमों से खरीद कर करती है। 16 छावनी बोर्डों (छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन को छोड़कर) के द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की मात्रा के ब्यौरे अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।

हमने देखा कि:

- मात्र छह छावनी बोर्ड ही विश्व स्वास्थ्य संगठन मानदण्डों के समतुल्य रिहाइशी आवास के लिए की गई 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति अपने आवासियों के लिए कर पाई । बाकी 10 छावनी बोर्डों द्वारा की गई जल आपूर्ति की मात्रा 36 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (छावनी बोर्ड लॅणसडाऊन, वर्ग-III) तथा 95 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (छावनी बोर्ड विलिंग्टन, वर्ग-II) के बीच रही।
- केवल 12 छावनी बोर्ड ही पाइपों द्वारा ही शत प्रतिशत जल की आपूर्ति कर पाए। शेष बची छावनी बोर्डों के संबंध में पाइपों द्वारा जल आपूर्ति की प्रतिशतता 28 (छावनी बोर्ड रामगढ़ (वर्ग-I)) तथा 99 (छावनी बोर्ड लॅणसडाऊन (वर्ग-III)) के बीच रही।
- पेय जल के अभाव से उभरने के लिए छावनी बोर्ड अहमदनगर ने, ₹4.19 लाख की लागत से फरवरी-मार्च 2009 में सात बोअरवेल खुदवायी और पेयजल को सुनिश्चित किए बगैर उसे जनता के लिए खोल दिया। नवम्बर 2014 तक बोर्ड ने बोअरवेल के पानी की पेयजन्य जाँच नहीं करवायी थी। छावनी बोर्ड ने हालांकि

कहा कि, निवासियों को सूचित कर दिया गया था कि, बोअरवेल का पानी पीने के उपयोग में न लाएँ।

अतः छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की गई जल आपूर्ति अपर्याप्त थी।

जल खरीदी पर परिहार्य अत्यधिक खर्च और राजस्व की हानि

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान जल खरीदी पर परिहार्य व्यय और राजस्व हानि के निम्नलिखित मामले प्रकट हुए:

- 1589 किलो लीटर प्रति दिन (के एल पी डी) पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, छावनी बोर्ड अहमदनगर 1012 (के एलपीडी) पानी मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस) से व्यावसायिक दरों पर खरीद रही थी जो इसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम आई डी सी) से ले रही थी। एम आई डी सी पड़ोसी नगर-निगम को पानी की आपूर्ति घरेलू दरों ₹7.50 प्रति के एल पर कर रही थी, जबकि एम.ई.एस. से वह व्यावसायिक दरों पर वसूली कर रही थी जिसके कारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य ₹3.19 करोड़ का परिहार्य अधिक खर्चा हुआ। यद्यपि छावनी बोर्ड ने (जून 2003) में एम.आई.डी.सी से छावनी तक स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के लिए विशेष अनुदान का प्रस्ताव जनरल ऑफिसर कमानडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान को भेजा था, लेकिन आज तक उसे मंजूरी नहीं मिली। इस बीच इस प्रोजेक्टकी लागत ₹1.20 करोड़ (जून 2003) से बढ़कर ₹7.62 करोड़ (जनवरी 2013) हो गई।
- छावनी बोर्ड वेलिंग्टन अपने आवासियों को आपूर्ति के लिए लगभग 22 लाख लीटर पानी बिलिंग समय सीमा 2 महीने के लिए एम.ई.एस. से ले रही थी। इसके लिए एम.ई.एस. ने अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹16.52 प्रति किलो लीटर और दिसम्बर 2012 से ₹41.80 प्रति किलो लीटर की दर से पैसे वसूले। तथापि हमने देखा कि, वर्ष 2008 से छावनी बोर्ड मात्र ₹7 किलो लीटर जिसकी अधिकतम सीमा ₹70 प्रति माह थी, की दर से रिहाइशी मकानों से पानी की वसूली कर रही थी जिसके कारण 2009-10 से 2013-14 की अवधि में ₹58.13 लाख के राजस्व की हानि हुई।

जब इस पर आपत्ति जताई गई तो, जवाब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (मार्च 2015) उत्तर में कहा कि निर्वाचित सदस्यों ने पानी की दरों में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई।

2.1.2.6 चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के प्रावधानों के लिए मानदण्डों का अभाव

इरादतन छावनियाँ मूल रूप से पूरी तरह सेना, सेना टुकड़ियाँ तथा उनके अनुयायियों के लिए आरक्षित थी। समय के अंतराल के साथ, बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक भी

छावनियों में आकर रहने लगे। उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि, सेना के अफसरों, सैनिकों तथा अनुचरों को सुख- सुविधाएँ प्रदान की जा सके।

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 (XIII) तथा (XIV) के अनुसार, यह छावनी बोर्डों की जिम्मेवारी है कि, वे अस्पतालों तथा स्कूलों की स्थापना करें उनका रखरखाव करें।

जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को **अनुलग्नक V** तथा **VI** में निर्दिष्ट किया गया है।

- इन छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की गई अस्पताल तथा स्कूलों की सुविधाओं का लाभ छावनी क्षेत्रों में रहने वाले सशस्त्र सेनाओं द्वारा नहीं लिया जा रहा था। यह मुख्यतया इसलिए क्योंकि, सशस्त्र सेनाएँ अब ऐसी सुविधाओं के लिए छावनी बोर्डों पर निर्भर नहीं है चूँकि उन्होंने अपनी माँगों के अनुरूप स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सेवाओं की व्यवस्था कर ली है।
- संवीक्षा से यह भी पता चला कि 88781 की आबादी के लिए छावनी बोर्ड रामगढ़ (वर्ग-I) के पास 32 बिस्तरों वाला अस्पताल था, वहीं 63000 की आबादी के लिए छावनी बोर्ड लखनऊ (वर्ग-I) के पास 44 बिस्तरों वाला अस्पताल था। दानापुर, रानिखेत, शिलाँग तथा पछमढी छावनी बोर्ड जो कि वर्ग-II के छावनी बोर्ड हैं, के पास कोई भी अस्पताल नहीं था, अतः वहाँ की आबादी चिकित्सा संबंधी सेवाओं से वंचित रही वहीं, छावनी बोर्ड दानापुर (28723) से तुलनात्मक आबादी के साथ छावनी बोर्ड अहमदनगर (28986) के पास 36 बिस्तरों वाला अस्पताल था। वर्ग-III के अधीन छावनी बोर्ड चक्राता और लॅणसडाऊन की लगभग 5000 की तुलनात्मक जनसंख्या थी, परंतु छावनी बोर्ड लॅणसडाऊन के पास 33 बिस्तरों का अस्पताल था, जबकि छावनी चक्राता बोर्ड के पास अस्पताल ही नहीं है।
- छावनी बोर्ड मेरठ जो वर्ग- (I) श्रेणी छावनी बोर्ड है, के पास 93312 आबादी के लिए 4 प्राथमिक विद्यालय, तथा एक इन्टरमीडिएट कॉलेज थे जबकि छावनी बोर्ड रामगढ़ जो वर्ग (I) श्रेणी का है, के पास 88781 आबादी के लिए 6 मीडिल स्कूल तथा एक हायस्कूल था।
- छावनी बोर्ड दानापुर जो वर्ग (II) श्रेणी का है, के पास 28723 आबादी के लिए कोई स्कूल नहीं था। जबकि छावनी बोर्ड अहमदनगर जिसकी आबादी 28986 है और जो वर्ग-II की श्रेणी में आता है, के पास एक किन्डरगार्टन, पाँच प्राइमरी और एक हाईस्कूल था।
- छावनी बोर्ड खास्योल तथा पछमढी जो वर्ग-II की छावनी बोर्ड हैं तथा जिसकी लगभग 12000 की तुलनात्मक आबादी है, परंतु छावनी बोर्ड खास्योल में चार

प्राथमिक स्कूलें तथा एक हायस्कूल था, जबकि छावनी बोर्ड पछमढी में मात्र एक ही प्राथमिक स्कूल था।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में देखा गया है कि, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रावधान संबंधी कोई मानदण्ड/मान नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप छावनी की आबादी के संदर्भ में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता आ गई।

2.1.3 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय माँगों के पूर्वानुमान जरूरत के आधार पर निधियों की व्यवस्था, विवेकपूर्ण आंबटन तथा वास्तविक व्यय को मॉनिटरिंग करना शामिल है।

छावनी अधिनियम 2006 छावनी बोर्डों को केंद्र सरकार की अनुमति से उनके क्षेत्रों में कर/दरों/भारों की उगाही के द्वारा राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है। छावनी बोर्डों के कुल राजस्व को मोटे तौर पर स्वयं स्रोत राजस्व, केंद्र सरकार से सहयता अनुदान और राज्य सरकार से अन्य अनुदानों में विभाजित किया जा सकता है।

2.1.3.1 प्राप्ति तथा व्यय

हमने पाया कि, नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों की 2009-10 से 2013-14 की पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियाँ जिनमें सहायक अनुदान समाविष्ट था, ₹1125.41 करोड़ थीं और जो खर्चा हुआ वह ₹1015.58 करोड़ का था जैसा कि तालिका -10 में ब्यौरेवार दिया गया है:

तालिका -10

(₹ करोड़ में)

छावनी/ वर्ग	कर प्राप्तियाँ	गैर कर प्राप्तियाँ	सहायक अनुदान		कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय
			केंद्र	राज्य		
देहरादून/।	39.53	19.72	35.36	1.77	96.38	99.62
लखनऊ/।	73.86	43.47	46.44	शून्य	163.77	161.06
मेरठ/।	110.01	29.10	28.82	0.69	168.62	172.85
रामगढ़/।	16.81	20.88	37.23	1.13	76.05	73.82
अहमदनगर/।।	31.77	13.24	23.92	5.77	74.70	60.99
बैरकपुर/।।	26.98	14.36	23.92	0.07	65.33	48.05
क्लेमेंटटाऊन/।।	3.4	13.69	30.11	शून्य	47.20	42.97
दानापुर/।।	4.23	12.77	24.47	शून्य	41.47	31.75
खास्योल/।।	2.95	6.25	18.04	शून्य	27.24	24.52
पछमढी/।।	8.23	4.88	20.62	0.01	33.74	31.38
रानीखेत/।।	7.87	12.74	51.56	2.51	74.68	59.39
शिलाँग/।।	7.27	11.78	20.42	1.12	40.59	22.65
विलिंग्टन/।।	7.00	14.56	60.06	शून्य	81.62	78.53

छावनी/ वर्ग	कर	गैर कर	सहायक अनुदान		कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय
चक्राता/III	1.78	5.91	42.11	1.28	51.08	35.86
लॅण्डसडाऊन/III	4.03	6.87	33.76	1.46	46.12	39.83
डलहौजी/IV	2.13	4.48	10.20	शून्य	16.81	15.25
जलपहार/IV	1.05	2.71	16.25	शून्य	20.01	17.06
कुल	348.90	237.41	523.29	15.81	1125.41	1015.58

नोट: करों में सेवा भार शामिल है तथा गैर-करों में मिलिटरी सफाई-व्यवस्था, निवेशों पर ब्याज तथा अन्य विविध आई शामिल है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों की प्राप्तियाँ और व्यय का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि:

- नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्ड मुख्यतया सहायक अनुदान पर निर्भर थी क्योंकि, कुल प्राप्तियों का 48 प्रतिशत सहायक अनुदान से ही मिली थीं।
- ₹1125.41 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹651.51 करोड़ सेवाओं को प्रदान करने के उपयोग में लाई गई जिसमें, स्थापना पर ₹398.82 करोड़ (61 प्रतिशत), रखरखाव तथा मरम्मतों पर ₹246.38 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा ₹6.31 करोड़ नए कार्य पर (एक प्रतिशत), सम्मिलित था, जैसा कि **अनुलग्नक-VII** में ब्यौरेवार दिया गया है।
- नए कार्यों पर खर्चा मात्र एक प्रतिशत का खर्च हुआ था, जो यह निर्दिष्ट करता है कि, पाँच वर्षों के दौरान छावनी बोर्डों द्वारा कोई नई मूर्त संपत्तियों का निर्माण नहीं किया गया।

2.1.3.2 छावनी बोर्डों द्वारा अवास्तविक बजट बनाना

आगामी वर्ष के लिए छावनी निधि में जमा होनेवाली प्राप्तियों (जिसमें अपेक्षित अनुदान समाविष्ट है) तथा व्यय जिसे वर्ष में खर्च करना है, का अनुमानित बजट जिसे बोर्ड द्वारा पारित किया जाना था, को छावनी बोर्डप्रत्येक वर्ष के सितम्बर के पहले दिन या उससे पूर्व अपने-अपने कमान के जी ओ सी-इन-सी को प्रस्तुत करती हैं। जी ओ सी-इन-सी अपनी सिफारिशों के साथ रक्षा सम्पदाओं के प्रधान निदेशक के जरिए इसे रक्षा मंत्रालय को सहायक अनुदान को रिलिज करने के लिए प्रस्तुत करता है।

2009-10 से 2013-14 अवधि के लिए नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के बजट अनुमानों तथा वार्षिक लेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि, वर्ष के दौरान पूर्वानुमानित व्यय के विषय में छावनी बोर्डों द्वारा बनाए गए बजट अनुमान अवास्तविक थे तथा बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों में छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तावित रकमों में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ द्वारा आबंटित निधियों तथा छावनी

बोर्डों द्वारा वास्तविक रूप में किए गए खर्चों में असंबद्धता दिखाई देती है जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में निर्दिष्ट किया गया है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमानों में प्रत्याशित व्यय की तुलना में निम्न के बीच रहा:

- वर्ष 2009-10 के दौरान 29 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 98 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2010-11 के दौरान 33 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 102 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2011-12 के दौरान 30 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 99 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2012-13 के दौरान 27 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 107 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2013-14 के दौरान 40 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 101 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल)

इसके अलावा छावनी बोर्डों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा सेवाएँ द्वारा संस्वीकृत निधि को छावनी बोर्ड पूर्णतया उपयोग में नहीं ला सका। आबंटित निधियों, जिसमें सहायक अनुदान शामिल था, के विपरित वास्तविक व्यय का प्रतिशत निम्न के बीच रहा:

- वर्ष 2009-10 के दौरान 37 प्रतिशत (छावनी बोर्ड चक्राता) तथा 78 प्रतिशत (छावनी बोर्ड अहमदनगर),
- वर्ष 2010-11 के दौरान 38 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 98 प्रतिशत (छावनी बोर्ड विलिंगटन)
- वर्ष 2011-12 के दौरान 29 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 89 प्रतिशत (छावनी बोर्ड विलिंगटन)
- वर्ष 2012-13 के दौरान 26 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 87 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल)
- वर्ष 2013-14 के दौरान 43 प्रतिशत (छावनी बोर्ड चक्राता) तथा 85 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल)

इससे यह निर्दिष्ट होता है कि छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किए गए अनुमानित बजट अवास्तविक थे और निधियों की उपलब्धता के बावजूद छावनी बोर्ड सेवाएँ प्रदान करने के लिए निधियों का उपयोग करने में असफल रहीं।

वर्ष के दौरान आंबटित निधियों के इस्तेमाल न करने के कारणों के जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर तथा छावनी बोर्ड विलिंगटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने (क्रमशः नवम्बर 2014 तथा फरवरी 2015) कहा कि, संस्वीकृतियाँ वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थीं, तथापि प्रदान किए गए व्यय को उपगत करने के अधिकतम प्रयास किए गए लेकिन प्रशासनिक कारणों के कारण उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

तथापि, सच्चाई यही है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में प्रत्येक वर्ष दो से 74 प्रतिशत के क्रम में निधियाँ इस्तेमाल नहीं हो सकी।

2.1.3.3 छावनी बोर्डों द्वारा सहायक निधि के उपयोग संबंधी प्रमाणीकरण

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 212(1) के अनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त सहायक निधि के उपयोग के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र छावनी बोर्डों द्वारा महानिदेशक रक्षा सम्पदा को दिया जाता है, जो प्राप्त सहायक निधि की राशि के उपयोग या अन्यथा, को प्रदर्शित करता है। नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा ने यह प्रकट किया है कि यद्यपि छावनी बोर्डों ने प्राप्त सहायक निधि के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों को जारी किया, परंतु उन्होंने सहायक निधि के लेखा-जोखा के लिए अलग से सहायक रोकड़ बही/लेखों को नहीं बनाया। परिणामस्वरूप हम छावनी बोर्डों द्वारा जारी किए उपयोग प्रमाणपत्रों के यथातथ्यों को सत्यापित नहीं कर पाए।

सहायक निधि के लिए अलग से सहायक रोकड़ बही/लेखों को न बनाए जाने के कारणों संबंधी जारी (मार्च 2015) लेखापरीक्षा के सवाल पर महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (अगस्त 2015) कोई जवाब नहीं दिया।

2.1.3.4 राज्य प्राधिकारियों द्वारा राजस्व की कुल वसुलियों को न बाँटा जाना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 X जिसे अनुच्छेद 243 Y सहित पढ़ा जाए, के प्रावधानों तथा राज्य वित्तीय आयोगों द्वारा दी गई लगातार सिफारिशों के अनुसार राज्यों की नगरपालिकाओं को उनके राज्यों के द्वारा वसूल किए गए करों, मार्ग-करों, शुल्कों तथा फीसों का हिस्सा प्राप्त होने लगा था। इसके अलावा नगरपालिकाएँ कुछ करों, शुल्कों तथा फीसों को भी नियत करती हैं। ये राज्यों के समेकित निधि में से नगर निगमों को दिए जाने वाले सहायक निधि से अलग हैं।

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड-10 के अनुसार छावनी बोर्डों को नगरपालिकाएँ समझने के रूप में भी घोषित किया गया था। अपनी-अपनी राज्य सरकारों से शुद्ध कर वसुलियों में से हिस्सा, साथ ही साथ अन्य आंबटनों और अनुदानों को प्राप्त

करने के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (अगस्त 2011) सुझाव दिया कि सभी रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशक तथा छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी-अपनी राज्य सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें तथा उसे जारी रखें जब तक राज्य सरकारें निधियों के ऐसे हस्तांतरण पर सहमत नहीं हो जाती। तत्पश्चात महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (जनवरी 2013) विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ छावनी बोर्डों को कुल कर वसूली का तथा अन्य आंबटनों तथा अनुदानों को जिस प्रकार से नगरपालिकाओं को इनका आंबटन किया जाता है उसी पद्धति के समान यथोचित हिस्से के आंबटन के लिए मामला उठाया ।

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से प्रकट हुआ है कि महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा मामले को विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ उठाने तथा छावनी बोर्ड विलिंगटन, दानापुर तथा रामगढ़ को छोड़कर अन्य छावनी बोर्डों ने भी अपनी-अपनी राज्य सरकारों/राज्य वित्तीय आयोग के सामने मामले को रखने के बावजूद, नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों को राज्यों की नगरपालिकाओं की तर्ज पर अपनी-अपनी राज्य सरकार के शुद्ध कर वसुलियों तथा अन्य अनुदानों में से हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, यह देखा गया कि दिल्ली सरकार ने तीसरे दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए और हर साल दिए जाने वाले शिक्षा अनुदान के अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि के लिए शुद्ध कर वसुलियों में से 0.07 प्रतिशत हिस्सा छावनी बोर्ड, दिल्ली को हस्तांतरण करना मान लिया है।

2.1.3.5 केंद्र सरकार के विभागों से सेवा करों की वसूली न होना

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 109 छावनी बोर्डों को यह अधिकार देती है कि, वो छावनी में जहाँ केंद्र या राज्य सरकार की संपत्तियाँ स्थित हैं, को सामूहिक नगरपालिका सेवाएँ या विकास कार्य करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से वार्षिक सेवा भारों की वसूल करे । केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर इन सेवा भारों को छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किया जाता है। महानिदेशक रक्षा सम्पदा के दस्तावेजों से यह पता चला कि:

- 31 मार्च 2014 तक, 62 छावनी बोर्डों में स्थित रक्षा संपत्तियों के विषय में छावनी बोर्डों द्वारा पिछले वर्षों की माँग उठाने के कारण रक्षा मंत्रालय के पास ₹10521.39 करोड़ की राशि बकाया थी। इसमें से नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों की बकाया ₹311.00 करोड़ की राशि शामिल थी।
- इसके अलावा, दो केंद्र सरकार के संगठनों के पास ₹40.83 करोड़ की राशि बकाया थी । छावनी बोर्ड रामगढ़, मेरठ तथा विलिंगटन के विषय में भारतीय रेलवे के पास से 13.03 करोड़ की राशि तथा छावनी बोर्ड लखनऊ के विषय में

इंडियन इन्सटिट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ के पास से ₹27.80 करोड़ की राशि।

इस संबंध में लेखापरीक्षा के सवाल पर, महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने अगस्त 2015 तक कोई जबाब नहीं दिया। छावनी बोर्ड रामगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (अप्रैल 2015) बताया कि, लगातार अनुस्मारकों को भेजने के बावजूद, रेलवे प्राधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) कहा कि रेलवे प्राधिकारियों ने देय राशि को यह कहते हुए मना कर दिया कि रेलवे स्टेशन के अलावा अधिकांश इमारते जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं।

2.1.3.6 छावनी बोर्डों द्वारा राजस्व उत्पन्न में कमी

अधिनियम के खण्ड 66 (1) के अनुसार बोर्ड को अ) संपत्ति कर तथा ब) व्यापारों, व्यवसायों, कॉलिंग्स तथा रोजगार पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। उसे पड़ोसी नगरपालिका द्वारा लगाए गए करों को भी लगाने का अधिकार प्राप्त है।

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डोंके दस्तावेजों की संवीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि, निम्नवत कारणों की वजह से छावनी बोर्ड करों तथा गैर-करों के जरिए राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ रहीं।

- हर पाँच वर्षों में संपत्ति कर का संशोधन न करना,
- संपत्ति कर का निर्धारित दरों से कम पर वसूल करना।
- वाहन प्रवेश कर न लगाना।

लेखापरीक्षा में देखे गए कुछ उदाहरण स्वरूप मामलों को नीचे दिया गया है:

➤ संशोधित कर दरों को अमल में न लाना

अधिनियम के खण्ड 66 (2) के अनुसार, छावनी बोर्ड कोई भी कर लगा सकती है, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत हो, जो राज्य की किसी भी नगरपालिका में लग सकता है जहाँ छावनी स्थित है, बशर्ते कि बोर्ड संपत्ति कर, व्यापारों, व्यवसायों, कॉलिंग्स पर करों तथा रोजगार करों की दरों को प्रत्येक पाँच वर्षों में संशोधित करे।

- नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से यह पता चलता है कि, रानीखेत तथा डलहौजी छावनी बोर्डों को छोड़कर किसी भी अन्य नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों ने पिछले पाँच वर्षों में करों को संशोधित नहीं किया।

- छावनी बोर्ड देहरादून ने 1982 के बाद से छावनी बोर्ड लखनऊ ने 1953 के बाद से छावनी बोर्ड मेरठ ने 1941 के बाद से छावनी बोर्ड रामगढ़ ने 1947 के बाद से छावनी बोर्ड अहमदनगर ने 1990 के बाद से छावनी बोर्ड बैरकपुर ने 2001 के बाद से, छावनी बोर्ड क्लैमट टाऊन ने 1990 के बाद से छावनी बोर्ड दानापुर ने 1998 के बाद से छावनी बोर्ड खास्योल ने 2009 के बाद से छावनी बोर्ड पछमढी ने 2008 के बाद से छावनी बोर्ड शिलाँग ने 1945 के बाद से छावनी बोर्ड चक्राता ने 1971 के बाद से छावनी बोर्ड लॅणसडाऊन ने 1989 के बाद से तथा छावनी बोर्ड जलपहार ने 1989 के बाद से संपत्ति कर संशोधित नहीं किए।
- यह भी देखा गया कि छावनी बोर्ड अहमदनगर ने (अक्टूबर 2013) आवासीय संपत्तियों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने के लिए समेकित संपत्ति कर (सी पी टी) की दरों को अनुमोदित किया, परंतु उसे (नवम्बर 2014) कार्यान्वित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप पुरानी दरों पर लागू कर वसूली होती रही और ₹51.17 लाख की राजस्व हानि हुई ।

जवाब में छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (नवम्बर 2014) कहा कि, कर संशोधन संबंधी प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान को भेजा गया है तथा उसे मंजूरी मिलते ही कार्यान्वित किया जाएगा।

- छावनी बोर्ड शिलाँग ने (जून 2010) व्यापार तथा व्यवसाय कर ₹50 की एकसमान दर को (व्यापार तथा व्यवसाय की विभिन्नताओं का ध्यान रखे बगैर) विभिन्न व्यापारों तथा व्यवसायों के लिए ₹250 तथा ₹2500 के बीच दरों में संशोधित करने का निश्चय किया। इस प्रस्ताव को (जुलाई 2010) प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, पूर्वी कमान को, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने के लिए भेजा गया जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप पुरानी दरों पर कर वसूली की वजह से 2011-12 से 2013-14 की अवधि दौरान ₹17.60 लाख की राजस्व हानि हुई।

जवाब में छावनी बोर्ड शिलाँग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (दिसम्बर 2014) बताया कि व्यापार तथा व्यवसाय कर के संशोधन का प्रस्ताव उच्च प्राधिकारियों को अनुमोदन हेतु भेजा गया है जो अभी प्रतीक्षित है।

सार यह है कि यद्यपि छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के खण्ड 66 (2) के अधीन करों के संशोधन के लिए अधिकृत है परन्तु जवाब यह निर्दिष्ट करते हैं, ऐसा नहीं किया गया तथा छावनी बोर्डों ने पुरानी दरों पर ही कर लगाना जारी रखा।

➤ **संपत्तियों पर वार्षिक दरीय मूल्य (ए आर वी) में अनुचित कटौती का परिणाम ₹4.10 करोड़ का राजस्व कम उत्पन्न**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 73 के अनुसार, संपत्ति की ए आर वी का निर्धारण छावनी बोर्ड द्वारा बिल्डिंग तथा जमीन या कुल वार्षिक किराए की कुल अनुमानित लागत के एक बीसवें भाग के रूप में किया जाता है। समेकित संपत्ति कर (सी पी टी) की उगाही इस तरह से निर्धारित ए आर वी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। अधिनियम का खण्ड 73 (बी) अध्यक्ष छावनी बोर्ड (पी सी बी) को अपवादात्मक सारी स्थितियों में किए गए ऐसी किसी भी कम से कम एआरवी जो उसे उपयुक्त प्रतीत होती है, निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2004-07 तथा 2007-10 के निर्धारण वर्षों के दौरान छावनी बोर्ड अध्यक्ष (पी सी बी) ने अपवादात्मक परिस्थितियों, जो ए आर वी में कटौती को उचित बनाती है, को विनिर्दिष्ट किए बगैर खण्ड 73 के अनुसार सभी प्रकार की संपत्तियों की ए आर वी पर अत्यधिक कटौती कर दी। इसके फलस्वरूप सी पी टी की कम वसूली के कारण छावनी बोर्ड अहमदनगर को ₹3.72 करोड़ की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने (नवम्बर 2014) बताया कि अधिनियम के खण्ड 76 के प्रावधानों के अनुसार, छावनी बोर्डने प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई आयोजित की तथा संपत्तियों के मालिकों से चर्चा करने के पश्चात् ए आर वी निश्चित की गई परंतु बैठक के कार्यवृत्त को तैयार नहीं किया गया।

उत्तर यह दर्शाता है कि छावनी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ए आर वी में कटौती को न्याय संगत बताने के लिए कोई रिकार्ड नहीं थे।

- छावनी बोर्ड वेलिंग्टन में, छावनी बोर्ड अध्यक्ष ने बिना कोई कारण बताए 2008-2011 के निर्धारण अवधि के लिए नए निर्माणों के 139 मामलों में ए आर वी में कटौती की। जैसा कि सी पी टी की गणनाए आर वी के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, ए आर वी में कटौती के परिणामस्वरूप सी पी टी की कम वसूली के कारण ₹38.12 लाख की राजस्व हानि हुई।

जवाब में छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) कहा कि, ए आर वी का प्रारंभिक निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया। उसकी कटौती इसलिए की गई क्योंकि, अधिकांश निवासी निम्न मध्यम वर्ग से थे तथा बैंक से कर्ज लेकर स्वयं के निवास के लिए घरों का निर्माण किया था।

यह जवाब संगत नहीं था क्योंकि, स्वयं-अधिकृत घरों के निर्माण के लिए बैंक से कर्जा लेने से रिहाइशों को यह हक नहीं मिलता कि वे निम्न दरों पर करों की उगाही करें।

- छावनी बोर्ड दानापुर में, 1743 होल्डिंग्स के संबंध में ए आर वी को छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड-73 के प्रावधानों के अनुसार की गई ए आर वी की गणना को 0.046 प्रतिशत तथा 19.88 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया गया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सी पी टी की उगाही 30¹² प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की गई। वसूल की गई सी पी टी की राशि बहुत कम थी, क्योंकि छावनी बोर्ड द्वारा निर्धारित ए आर वी ही बहुत कम थी। ए आर वी की असामान्य रूप से कम किए गए निर्धारण की परिणति पुनरीक्षण की अवधि के दौरान ₹8.44 करोड़ के हानि के रूप में हुई।

जवाब में, छावनी बोर्ड दानापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अक्टूबर 2014 में बताया कि 2013-16 अवधि के लिए निर्धारण की तीन वर्षीय पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है तथा क्षेत्र के अनुसार तथा विशिष्ट इलाके में मकान के क्षेत्रफल के मूल्य के अनुसार ए आर वी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

- **छावनी बोर्ड रामगढ़ में निर्धारित दर से कम संपत्ति कर की वसूली के परिणामस्वरूप ₹29.16 लाख की राजस्व हानि के रूप में हुई**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 68 के अनुसार छावनी में जमीनों तथा इमारतों पर संपत्ति कर की वसूली की जाती है तथा जो जमीनों तथा इमारतों के वार्षिक कर योग्य मूल्य के 10 प्रतिशत से कम तथा 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती है।

छावनी बोर्ड रामगढ़ के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि 10 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित दर की बजाय 8.5 प्रतिशत की दर से सी पी टी की वसूली की जा रही थी। आगे यह देखा गया कि यद्यपि छावनी बोर्ड ने सितम्बर 2011 सम्पत्ति कर को बढ़ाने के लिए संपत्ति कर की दर ए आर वी के 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तथा प्रकाश कर को ए आर वी की एक प्रतिशत से दो प्रतिशत तक बढ़ाकर कम से कम 10 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा परंतु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया और छावनी बोर्ड ने 2013-14 तक 8.5 प्रतिशत संशोधन पूर्व दर पर सी पी टी की वसूली को जारी रखा। इसका परिणाम 2009-10 से 2013-14 अवधि के दौरान ₹29.16 लाख की राजस्व हानि में हुआ।

¹² मकान कर- 12.5 प्रतिशत, सफाई कर- 4.5 प्रतिशत, जल कर- 10 प्रतिशत, लाइट कर- तीन प्रतिशत

➤ **छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर वाहन प्रवेश फीस कर (वी ई एफ/वी ई टी) की गैर-वसूली/गैर संशोधन।**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 67 (ई) में यह उल्लेख है कि बोर्ड छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर लाइसेन्स फीस लगाएगा।

नमूना जाँच किए गए छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि देहरादून, लखनऊ, मेरठ, अहमदनगर, बैरकपुर, खास्योल, पछमढी, रानीखेत, चक्राता और डलहौजी छावनी बोर्डों द्वारा वी ई एफ/वी ई टी/टोल टैक्स की वसूली की गई। बाकी सात छावनी बोर्डों ने इस कर/फीस को वसूल नहीं किया।

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि दानापुर, रामगढ़, अहमदनगर, तथा विलिंग्टन छावनी बोर्डों द्वारा छावनी क्षेत्रों में वाहन प्रवेश कर/लाइसेन्स फीस की गैर-वसूली तथा गैर-संशोधन के परिणाम स्वरूप ₹43.15 करोड़ की राजस्व हानि में हुई, जैसा की नीचे ब्यौरेवार दिया गया है:

- छावनी बोर्ड दानापुर ने छावनी से गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या के निर्धारण के लिए जुलाई 2009 में वाहनों का फील्ड सर्वेक्षण किया था। इस डाटा को संभाव्य कुल फीस के अनुमान की प्राप्ति में प्रयुक्त किया गया, जिसे वाहन प्रवेश फीस लगाकर उसे इकट्ठा किया जा सके। तथापि, छावनी बोर्ड दानापुर द्वारा वी ई एफ की वसूली को कार्यान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2009 से मार्च 2014 तक ₹37.53 करोड़ राजस्व की उगाही नहीं हो पाई।

छावनी बोर्ड दानापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्वीकार (अक्टूबर 2014) किया कि वी ई एफ को लागू करने में विलम्ब हुआ तथा उसकी उगाही कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में थी।

- छावनी बोर्ड रामगढ़ ने अक्टूबर 2007 में, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए रामगढ़ छावनी बोर्ड की सीमा के अंतर्गत वाहनों के प्रवेश पर लाइसेन्स फीस लागू करने का प्रस्ताव रखा। तथापि, छावनी बोर्ड ने छावनी सीमांत में वाहनों के प्रवेश पर वी ई एफ लागू (फरवरी 2015) नहीं किया।

जवाब में छावनी बोर्ड रामगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फरवरी 2015 में बताया कि छावनी की सड़कें सभी वार्डों/मुहल्लों को राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र आंतरिक रूप से जोड़ने का काम करती है तथा छावनी सड़कों पर वी ई एफ लगाना किफायती नहीं होगा।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छावनी बोर्ड ने खुद ही अक्टूबर 2007 में छावनी सीमा के भीतर वाहनों के प्रवेश के लिए वी ई एफ का प्रस्ताव रखा था।

- फरवरी 2007 में छावनी बोर्ड अहमदनगर ने वाहन प्रवेश फीस लगाना तय किया और ₹3 करोड़ की मौजूदा न्यूनतम आरक्षित कीमत पर वाहन प्रवेश कर तथा ₹12 करोड़ की न्यूनतम आरक्षित कीमत पर वाहन लाइसेन्स फीस को इकट्ठा करने के लिए टेंडरों को मँगवाया। छावनी बोर्ड अहमदनगर ने मार्च 2007 में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान पुणे को अप्रैल 2007 से वाहन प्रवेश कर की बजाय वी ई एफ को लागू करने के लिए मामले को भेजा। फरवरी 2009 में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ से सिफारिश की थी कि वी ई एफ के प्रारंभ होने तक वाहन प्रवेश कर (वी ई टी) को इकट्ठा करने के लिए मौजूदा करार को छावनी बोर्ड के राजस्व हानि से बचने के लिए जारी रखा जाए। तदनुसार छावनी बोर्ड अहमदनगर ने 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए वी ई टी को इकट्ठा करने के लिए एक ठेकेदार के साथ ₹3.56 करोड़ की राशि का करारनामा किया। करार में एक प्रावधान अनुबद्ध करता है कि, यदि वी ई टी करार की समाप्ति पूर्व खत्म नहीं होता, तो ठेकेदार 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ोतरी के साथ ठेका करार जारी रखेगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नही प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान द्वारा वी ई एफ के लागू संबंधी करार शर्तों को क्रियान्वित किया गया न ही छावनी बोर्ड द्वारा करारनामा के उस प्रावधान को लागू किया गया जिसके द्वारा वी ई एफ करारनामों की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती थी इसका परिणाम, छावनी बोर्डको वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹3.98 करोड़ का राजस्व हानि की पीड़ा से गुजरना पड़ा।

जवाब में छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नवम्बर 2014 में बताया कि, करारनामे की मुकदमेबाजी के कारण बोर्ड कोई निर्णय नहीं ले सका।

हालाँकि जून 2010 के बाद से मामला निम्न कोर्ट में मुकदमे के तहत था, छावनी बोर्ड अहमदनगर ने अब तक इस विवाद को सुलझाने के लिए यथोचित कदम नहीं उठाए ।

- छावनी बोर्ड विलिंग्टन ने आठ प्रवेश बिन्दुओं पर जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो प्रवेश बिन्दु शामिल थे, छावनी सीमा क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेशों (वी ई एफ) पर लाइसेन्स फीस की उगाही का प्रस्ताव (नवम्बर 2009) रखा। छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी ने फरवरी/मार्च 2010 में 2010-11 के दौरान वी ई एफ को इकट्ठा करने के लिए टेंडरों को जारी किया तथा ₹41 लाख प्रति वर्ष की उच्चतर बोली को स्वीकार योग्य समझा गया। यद्यपि ठेका करार नहीं किया गया, परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिखित अनुदेशों पर ठेकेदार ने बोली राशि तथा सुरक्षा डिपॉजिट के 25 प्रतिशत के रूप में मार्च 2010 में ₹14.35 लाख जमा करवाए। इसी बीच छावनी बोर्ड ने दिसम्बर 2009

में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइसेन्स फीस की उगाही पर आपत्ति जताई। नीलगिरी जिला के कलेक्टर के अनुरोध पर छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ठेकेदार से राष्ट्रीय राजमार्ग बिन्दुओं पर वाहन प्रवेश शुल्क की वसूली बंद करने को तथा अन्य बिन्दुओं पर वसूली जारी रखने को कहा। अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य प्रवेश बिन्दुओं पर ठेकेदार ने प्रवेश फीस इकट्ठा की। तथापि अप्रैल 2012 के बाद से वहाँ वाहन प्रवेश शुल्क को इकट्ठा नहीं किया गया। हमने देखा कि छावनी के भीतर अन्य छह बिन्दुओं पर वाहन प्रवेश शुल्क को इकट्ठा करने हेतु छावनी बोर्ड द्वारा बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन प्रवेश शुल्क के लागू करने संबंधी मामला मंत्रालय के पास लंबित था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹1.64 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

जवाब में छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फरवरी 2015 में कहा कि हालाँकि वी ई एफ को लागू करने का मामला जून 2014 में छावनी बोर्ड के सामने रखा गया, परंतु छावनी बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

➤ **छावनी बोर्ड विलिंग्टन द्वारा छावनी स्टालों के आंबटन में विलम्ब**

छावनी बोर्ड विलिंग्टन में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि दुकानों के आंबटन में 18 से 30 महीनों के बीच देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप भाड़े की गैर-वसूली के कारण ₹77.41 लाख राशि की राजस्व हानि हुई।

जवाब में मार्च 2015 को छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विलम्ब को न्यायोचित ठहराए बिना घटनाओं के कालक्रम का विवरण प्रस्तुत किया।

2.1.3.7 राज्य राजमार्ग के रखरखाव पर ₹1.35 करोड़ राशि की निधि का अविवेकपूर्ण उपयोग

दिसम्बर 2005 में महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने छावनी की सड़कों, जिसमें एमईएस सड़कें भी शामिल थीं तथा जिन पर आम जनता को आवाजाही का अधिकार है, के रखरखाव के लिए दिशानिर्देशों को परिचालित किया। चूँकि, दिशानिर्देशों में छावनी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य पी डब्ल्यू डी सड़कों के रखरखाव का उल्लेख नहीं था, प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा (द.क.) पुणे ने दिसम्बर 2006 में, महानिदेशक रक्षा सम्पदा से निवेदन किया कि वो ऐसे दिशा निर्देश दे कि क्या छावनी बोर्ड उनके अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों की मरम्मत कर सकता है?

छावनी बोर्ड अहमदनगर के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि स्टेशन कमांडर अहमदनगर ने मरम्मत तथा रखरखाव के उद्देश्य से 2.2 किलोमीटर की जामखेड

सड़क (जे के रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग को एम ई एस से छावनी बोर्ड अहमदनगर को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति (फरवरी 2007) दी। एम ई एस जो उक्त समय तक सड़कों का रखरखाव कर रही थी, ने भी इस प्रभाव हेतु एक प्रमाणपत्र (अप्रैल 2007) जारी किया कि, एम ई एस को छावनी बोर्ड अहमदनगर द्वारा अगले तीन वर्षों (अप्रैल 2010) तक जेके रोड की मरम्मत तथा रखरखाव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि राज्य राजमार्गों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। छावनी बोर्ड ने उस सड़क के रखरखाव पर ₹1.35 करोड़ का खर्च (2009-14) किया जिसमें 2010-11 से 2013-14 अवधि के लिए ₹93.93 का खर्च शामिल है, जो तीन वर्षों की उस अवधि से ऊपर था जिसके लिए एम ई एस द्वारा छावनी बोर्ड को सड़क हस्तांतरित की गई थी।

छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने जवाब में कहा कि जे के रोड के रखरखाव पर ₹93.93 लाख का खर्च बोर्ड की स्वीकृति पर किया गया था।

यह जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि छावनी बोर्डों द्वारा राज्य राजमार्ग के रखरखाव संबंधी कोई दिशानिर्देश महानिदेशक रक्षा सम्पदा से जारी नहीं किए गए। इसके अलावा, राजमार्ग के रखरखाव का छावनी बोर्ड का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि छावनी बोर्ड अपने क्रियाकलापों के लिए रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदानों पर निर्भर रहती है।

2.1.3.8 छावनी विकास निधि लेखों का गैर-रखरखाव

अधिनियम के खण्ड 119 (i) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक छावनी बोर्ड द्वारा एक ऐसे छावनी निधि का गठन किया जाएगा जिसमें छावनी बोर्ड द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त धन तथा यदि कोई शेष छावनी निधि हो तो उसे शामिल किया जाएगा। अधिनियम के खण्ड 119 (ii) यह अनुबद्ध करता है कि सभी छावनी बोर्ड द्वारा एक अलग छावनी विकास निधि का संचालन किया जाएगा तथा ऐसी सभी धन-राशियाँ जो (i) किसी विशिष्ट परियोजना के कार्यान्वयन या किसी विशिष्ट परियोजना को लागू करने के लिए योगदान, अनुदानों, सहायताओं या किसी अन्य तरह से केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त हो (ii) किसी व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा भेंट या डिपॉजिटों के रूप में प्राप्त हो तथा (iii) विशिष्ट विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए निर्माण की गई या उधार ली गई, उस खाते में जमा की जाती है। आगे अधिनियम का खण्ड 120 यह निर्धारित करता है कि छावनी निधि तथा विकास निधि को अलग खातों में रखा जाएगा।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि इस उद्देश्य के लिए छावनी बोर्ड अहमदनगर, विलिंगटन, लखनऊ, रानीखेत,

लॅण्डडाऊन तथा पछमढी ने अलग छावनी विकास निधि को सम्पादित किया वहीं रामगढ़ तथा देहरादून छावनी बोर्डों ने यह खाता नहीं बनाए रखा हालाँकि दोनों छावनी बोर्डों को क्रमशः वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2013-14 में विशेष सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। छावनी बोर्ड शिलाँग, क्लेमेंट टाऊन, दानापुर, चक्राता तथा डलहौजी ने खाता बनाया ही नहीं।

2.1.4 संपत्तियों का प्रबंधन

रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। जिसमें से ऐसे 2 लाख एकड़ से ऊपर की जमीन अधिसूचित छावनियों में स्थित है। ये जमीनें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकृत हैं और सशस्त्र बलों, केंद्रीय तथा राज्य सरकार संगठनों तथा नागरिक आबादी द्वारा अधिकृत हैं। रक्षा भूमि को ए 1, ए2, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 तथा सी के रूप में वर्गीकरण किया गया है। मात्र वर्ग सी भूमि का प्रबंधन छावनी बोर्डों के साथ बना है जिसमें पब्लिक प्रिमाइसेस इक्विशन (पी पी ई) एक्ट 1971 के द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा जमीन से अतिक्रमण को निकालना शामिल है।

2.1.4.1 भूमि रिकार्ड प्रबंधन

भूमि का सीमांकन, सत्यापन तथा आवधिक सर्वेक्षण, भूमि प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तदनुसार सभी रक्षा भूमियों के सर्वेक्षण, सीमांकन तथा सत्यापन के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा के प्रस्ताव (फरवरी 2011) को सरकार ने स्वीकृत किया। छावनी के भीतर की जमीनों का सर्वेक्षण सीमांकन तथा सत्यापन की जिम्मेदारी छावनी बोर्डों की थी। आगे, छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मौजूदा दस्तावेजों अर्थात् जनरल लॅण्ड रजिस्टर प्लान (जी एल आर) तथा वास्तविक भौतिक सत्यापन सहित जी एल आर की प्रविष्टियों को सत्यापित करना तथा उसे प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया।

- नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों ने सूचित किया कि स्थल सर्वेक्षण कार्य उन एजन्सियों द्वारा जिन्हें यह कार्य आउटसोर्स (मेसर्स वॅल्कोस लिमिटेड, आई आई टी, रुड़की, आई आई टी खड़कपुर, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल) किया गया था, के द्वारा पूरा किया गया, परंतु छावनी बोर्ड अहमदनगर, मेरठ, चक्राता, बैरकपुर, दानापुर, रामगढ़, शिलाँग, लखनऊ, पछमढी, जलपहार, विलिंग्टन तथा रानीखेत के विषय में सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष था।
- छावनी बोर्ड खास्योल, देहरादून तथा क्लेमेंट टाऊन द्वारा भूमि दस्तावेजों का सर्वेक्षण नहीं किया गया क्योंकि छावनी बोर्ड खास्योल के पास कोई जमीन नहीं

थी तथा छावनी बोर्ड देहरादून तथा क्लेमेंट टाउन के विषय में जी एल आर को रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा बनाए रखा जाता है।

जवाब में अहमदनगर तथा बैरकपुर छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (क्रमशः नवम्बर 2014, फरवरी 2015 में) कि अंतिम रूप दी जा रही रिपोर्ट के मसौदे की परिशोधन संबंधी कार्यवाही चल रही है। आगे छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर ने यह पुष्टि की कि पिछले पाँच वर्षों से उनकी सीमाओं का वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। अतः छावनी के भूमि दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण अभी होना बाकी है, यह सत्य साबित होता है।

2.1.4.2 भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

राज्य रक्षा मंत्री के निर्देशों (अगस्त 2006) के अनुसार छावनी बोर्डों तथा रक्षा सम्पदा अधिकारियों को (मार्च 2007) भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने को अनुदेशित किया गया था। महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने रक्षा सम्पदाओं के प्रधान निदेशकों को सूचित (सितम्बर 2006) किया था कि रक्षा भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण के लिए रक्षा भूमि नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्ड ने बताया कि, सभी छावनी बोर्डों में रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया जा चुका था तथापि अहमदनगर तथा विलिंग्टन छावनी बोर्डों में नमूना जाँच यह प्रकट करती है कि, दोनों छावनी बोर्डों द्वारा बताई गई विशिष्ट गलतियों को अभी भी संशोधित किया जाना बाकी था।

इस प्रकार भूमि दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण जिसे मार्च 2007 तक पूरा किया जाना था, वह इन दो छावनी बोर्डों द्वारा अभी भी पूरा किया जाना शेष था।

2.1.4.3 छावनी बोर्डों के अधीन वर्ग "सी" भूमि का अतिक्रमण

प्रत्येक छावनी बोर्ड उनके निहित भूमि पर अतिक्रमणों को पहचानने तथा उन्हें हटाने के लिए जिम्मेदार है तथा इसे हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि प्राइवेट पार्टियों द्वारा छावनी बोर्ड अहमदनगर, विलिंग्टन (पाँच मामलें), मेरठ, चक्राता, पछमढी तथा बैरकपुर के नियंत्रणाधीन वर्ग "सी" भूमि के अतिक्रमण के 3184 मामले पाए गए। यह भी देखा गया था कि छावनी बोर्ड खास्योल के पास कोई भूमि नहीं थी तथा छावनी बोर्ड की संपत्ति का निर्माण ए-1 रक्षा भूमि पर किया गया था।

- छावनी बोर्ड मेरठ में, 13.3799 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के कुल 2320 मामलें (पाँच वर्षों से कम के 39 मामले, पाँच वर्षों से ऊपर के 87

मामले, 10 वर्षों से अधिक के 404 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 1790 मामले) थे जिनमें से, 32 मामले निर्णयाधीन थे। बकाया मामलों में छावनी बोर्ड द्वारा कोई दण्ड लगाया नहीं गया था।

- छावनी बोर्ड पछमढी में, पिछले 13-14 वर्षों से ज्यादा समय से 11.40 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के 525 मामलों को पाया गया। यद्यपि अतिक्रमणों को निकालने के लिए पी पी ई एक्ट के अधीन नोटिसों को जारी किया गया था, फिर भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया ।
- छावनी बोर्ड अहमदनगर में, 3655.18 वर्ग किलोमीटर रक्षा भूमि पर 1992 और उसके बाद की अवधि से 205 निवासियों (पाँच वर्षों से कम के नौ मामले, पाँच वर्षों से अधिक के 14 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 168 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 14 मामले) द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें, 155 निवासियों की गंदी बस्ती का क्षेत्र भी शामिल है। यह भी देखा गया कि, अतिक्रमणों करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गंदी बस्ती क्षेत्र में आवश्यक नगरीय सुविधाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया था ।

जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को 30 दिन के भीतर अतिक्रमणों को हटाने के लिए नोटिसों को जारी किया गया। तथापि, 19 मामलों में अतिक्रमण करने वालों ने कोर्ट से स्टेटार्डरों को प्राप्त करवा लिया था। 31 मामलों में हटाने की कार्रवाई लंबित थी और शेष 155 मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हटाने की कार्रवाई लंबित थी ।

- छावनी बोर्ड चक्राता में यह देखा गया कि छावनी बोर्ड अतिक्रमणों के संबंध में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ लखनऊ को शून्य रिपोर्ट भेज रहा था जबकि अतिक्रमणों को हटाने के लिए छावनी बोर्ड द्वारा 89 नोटिस को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई इस विसंगति के कारण अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं।
- छावनी बोर्ड बैरकपुर में 0.2326 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के 40 मामले (पाँच वर्ष से कम के तीन मामले, पाँच वर्षों से अधिक के चार मामले, 10 वर्षों से अधिक के 17 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 16 मामले) पाए गए ।

जवाब में छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पी पी ई एक्ट 1971 के अधीन अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भिजवाई गई थी।

2.1.4.4 अनधिकृत निर्माण

अधिनियम के खण्ड 248 के अनुसार, बोर्ड (छावनी बोर्ड) किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा छावनी में किसी भी भूमि के मालिक, पट्टेदार या रहने वाले को इमारत के निर्माण या पुनर्निर्माण को रोकने के निर्देश तथा इमारत को या उसके या किसी भाग को परिवर्तित करने या नष्ट करने के निर्देश दे सकता है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि मेरठ, लखनऊ, पछमढ़ी, बैरकपुर, अहमदनगर, विलिंगटन तथा चक्राता छावनी बोर्डों में अनधिकृत निर्माणों के 9557 मामले पाए गए।

- छावनी बोर्ड मेरठ में, अनधिकृत निर्माणों के 7822 मामलों में से पाँच वर्षों से कम के 1018 मामले थे, पाँच वर्षों से अधिक के 851 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 915 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 5038 मामले बकाया थे।

जवाब में छावनी बोर्ड मेरठ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह बताया गया कि अधिकांश मामले निर्णयाधीन थे तथा पिछले दो वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माणों के कोई नए मामले नहीं पाए गए।

- छावनी बोर्ड लखनऊ में अनधिकृत निर्माणों के कुल 739 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। तथापि, छावनी बोर्ड ने इन मामलों की स्थिति पर कोई जवाब नहीं दिया।
- छावनी बोर्ड बैरकपुर में 1983 तथा 2014 के बीच फैले हुए अनधिकृत निर्माणों के 454 मामले देखे गए।

जवाब में छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह कहा गया कि छावनी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर में अनधिकृत निर्माणों के कुल 259 मामलों में से पाँच वर्षों से कम के 48 मामले, पाँच वर्षों से अधिक के 26 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 85 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 100 मामले लंबित थे। इन मामलों में से छह मामलों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है, 84 मामले निर्णयाधीन थे तथा शेष 169 मामलों में नोटिस जारी की गई है।
- छावनी बोर्ड पछमढ़ी में अनधिकृत निर्माणों के कुल 174 मामले लंबित थे जिसमें 16 मामले कोर्ट में लंबित थे तथा 158 मामलों में अनधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण के लिए संबंधित व्यक्तियों ने आवेदन किया है।
- छावनी बोर्ड वेलिंगटन में, अनधिकृत निर्माणों के कुल 85 मामलों में से सात मामले पाँच वर्षों से कम समय के, पाँच वर्षों से अधिक समय के 49 मामले, दस वर्षों से अधिक समय के लिए 28 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक समय

का एक मामला लंबित था। इन मामलों में से, 41 मामलों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था तथा शेष 44 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे ।

- छावनी बोर्ड चक्राता में अनधिकृत निर्माणों के कुल 24 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित तथा निर्णयाधीन थे । छावनी बोर्ड चक्राता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी पुष्टि की थी कि अनधिकृत निर्माणों के विषय में वहाँ कोई कोर्ट मामले नहीं थे ।

2.1.4.5 वर्ग सी भूमि के पुनर्वर्गीकरण के अनुमोदन बगैर बी 4 भूमि पर ₹32.40 लाख की लागत से छावनी बोर्ड अहमदनगर द्वारा दुकानों का निर्माण

छावनी भूमि प्रशासन नियमावली (सी एल आर) 1937 के नियम 7 के अनुसार, सरकार या छावनी बोर्ड के साथ निहित भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन केन्द्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी जिन्हें इस संबंध में अधिकार प्राप्त है, के अलावा और किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा ।

इन नियमावलियों का नियम 43 (ii) यह निर्दिष्ट करता है कि, छावनी बोर्ड को सौंपी गई भूमि का प्रबंधन इस शर्त पर किया जाएगा कि, बोर्ड को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए या उनके खुद के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति बगैर भूमि को अपने कब्जे में या उसका उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु सी एल ए आर के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उक्त भूमि जो उपरोक्त उद्देश्य के लिए और जो छावनी बोर्ड के साथ निहित है, वर्ग सी में हस्तांतरित किया जा सकता है ।

हमने देखा कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अहमदनगर छावनी बोर्ड ने सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत भूमि को वर्ग सी में पुनः वर्गीकृत किए बगैर स्वयं वित्तीय आधार पर वर्ग बी - 4 भूमि पर सितम्बर तथा दिसम्बर 2002 में 34 दुकानों का निर्माण किया । इन दुकानों की लागत ₹32.40 लाख थी जिसे आंबटियों द्वारा वसूला गया ।

तदनन्तर इन दुकानों के निर्माण के 11 वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद छावनी बोर्ड ने उक्त भूमि को वर्ग बी - 4 से वर्ग 'सी' में पुनः वर्गीकरण के लिए फरवरी 2014 में उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निश्चित किया था। तथापि, हमने यह देखा कि नवम्बर 2014 तक, मामला उच्च प्राधिकारी को नहीं भेजा गया।

निष्कर्ष

छावनी बोर्ड, जिन्हें नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ है वे छावनियों में रहने वाले कर्मियों को नागरी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। छावनी बोर्ड ने किसी भी टाऊन प्लानिंग स्कीमों तथा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं, प्लानों को

प्रारंभ नहीं किया गया था। हालाँकि, छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक छावनी बोर्ड द्वारा 24 प्रकार की सेवाओं को प्रदान किया जाना जरूरी था, फिर भी नमूना जाँच की गई किसी भी छावनी बोर्ड ने सभी अनिवार्य सेवाएँ प्रदान नहीं की यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार की वे योजनाएँ जो पास में स्थित नगरपालिकाओं में जारी थीं तथा छावनी बोर्डों में भी लागू होने योग्य थीं, उन्हें भी कार्यान्वित नहीं किया गया। पुनः आबादी के आधार पर चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के मानदण्डों कि अनुपस्थिति के कारण, विभिन्न छावनियों में प्रदान किए गए अस्पतालों तथा विद्यालयों के प्रकारों और संख्याओं में विसंगति थी। छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किए गए अनुमानित बजट अवास्तविक थे तथा निधि की उपलब्धता के बावजूद, सेवाओं को प्रदान करने हेतु निधियों का उपयोग करने में छावनी बोर्ड असफल रहीं। छावनी बोर्ड राजस्व उत्पत्ति की वृद्धि में असमर्थ थी हालाँकि छावनी बोर्ड ऐसा करने में सक्षम थीं, परंतु संपत्ति करों में प्रत्येक पांच वर्षों में गैर संशोधन, निर्धारित दरों से कम संपत्ति करों की वसूली, तथा वाहन प्रवेश शुल्कों की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि हुई और वे रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों पर अधिकाधिक निर्भर होती गई। अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माणों के मामलों में वृद्धि, छावनी बोर्डों द्वारा सरकारी संपत्ति के रक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही में कमी की ओर इंगित करती है।

2.2 विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता

भारतीय सेना के पैराशूट विशेष बलों बटैलियनों के पास एक दशक से अधिक समय से पैराशूट नहीं थे। 2006 में डी आर डी ओ द्वारा जो पैराशूट विकसित किये गये थे को सफलतापूर्वक उत्पादित नहीं किया जा सका। इसके विकास और उत्पादन पर ₹10.75 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हो गया था।

पैराशूट (पैरा) विशेष बल (एस एफ) कार्मिकों को कॉम्बट फ्री फॉल (सी एफ एफ) पैराशूट प्राधिकृत हैं, जो अति विशिष्ट परिचालनों के दौरान अपेक्षित हैं तथा मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। 10 वर्षों के शेल्फ लाईफ से युक्त इन सी एफ एफ पैराशूटों की अधिप्राप्ति 1986 में आयात द्वारा की गई थी और परिचालन योग्य स्थिति में न होने के कारण 2002 में सेवा से बाहर किए गए थे।

2001 में, 1,031 सी एफ एफ पैराशूटों की कुल प्राधिकृत मात्रा के प्रति सेना ने अपरिहार्य परिचालन आवश्यकता पूरी करने हेतु विदेशी सैन्य बिक्री (एफ एम एस)¹³

¹³ विदेशी सैन्य बिक्री (एफ एम एस) अमेरिकी रक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है, जो विदेशी सरकारों को अमेरिकी हथियारों, रक्षा उपकरणों, रक्षा सेवाओं तथा सैन्य प्रशिक्षण की बिक्री को सुगम बनाता है।

मार्ग से फास्ट ट्रेक प्रक्रिया (एफ टी पी)¹⁴ के अंतर्गत 410 पैराशूटों की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) को प्रस्ताव भेजा। 621 पैराशूटों की शेष मात्रा के लिए, ए डी आर डी ई¹⁵ (डी आर डी ओ) द्वारा मार्च 2003 में स्वदेशी सी एफ एफ पैराशूट के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। तथापि, एफ एम एस मार्ग से पैराशूटों की अधिप्राप्ति का मामला एम ओ डी द्वारा 2006 में यह सुझाव देते हुए बंद कर दिया कि इन पैराशूटों को स्वदेशी स्रोतों से अधिप्राप्त किया जाए। डी आर डी ओ द्वारा विकसित सी एफ एफ पैराशूटों के परीक्षण मार्च और नवंबर 2006 के बीच पूरे किए गए तथा सफल पाए गए। उसके सफल विकास के आधार पर पैराशूटों के विनिर्माण हेतु आयुध पैराशूट निर्माणी (ओ पी एफ), कानपुर को टी ओ टी प्रदान किया गया। एम ओ डी ने 700 सी एफ एफ पैराशूटों के लिए ₹55.35 करोड़ की कुल लागत पर ओ पी एफ, कानपुर को अक्टूबर 2008 में आपूर्ति आदेश (एस ओ) दिया। आपूर्ति आदेश के अनुसार, आपूर्ति आदेश दिए जाने के छह से आठ महीने के अंदर वैधीकरण परीक्षणों के लिए ओ पी एफ, कानपुर द्वारा 40 पैराशूटों का पायलट नमूना सुपुर्द किया जाना था, जो नमूने की प्राप्ति के पांच महीने के अंदर पूरा किया जाना था। नमूना पैराशूटों के सफल वैधीकरण के पश्चात् ओ पी एफ, कानपुर को थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान की जानी थी, बी पी सी देने के 2 महीने के अंदर, न्यूनतम 50 पैराशूट प्रतिमाह की दर से शेष 660 पैराशूटों की आपूर्ति प्रारंभ की जानी थी।

हमने देखा कि सेना को अप्रैल 2010 में 40 पैराशूटों के पायलट नमूने सुपुर्द किए गए तथा मई 2010 और नवंबर 2010 के बीच परीक्षण किए गए। परीक्षण दल ने अनेक कमियां¹⁶ पायीं, जो प्राणों को संकट में डालने वाली थी। इसके होते हुए भी जुलाई 2011 में बी पी सी इस शर्त पर प्रदान की गई कि थोक आपूर्ति से पहले गुणवत्ता नियंत्रण की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक 25 पैराशूटों के दो पारेषणों की प्रारंभिक सेटों की नमूना जांच की जाएगी। ओ पी एफ, द्वारा प्रथम 25 सी एफ एफ पैराशूट अगस्त 2014 में प्रदान किए गए, जिनमें से केवल सात पैराशूट वैधीकरण परीक्षणों में (अक्टूबर 2014) सफल हुए। वैधीकरण परीक्षणों के लिए परीक्षणों के दूसरे सेट की सुपुर्दगी के संबंध में ओ पी एफ, कानपुर ने बताया (नवंबर 2014) कि कपड़े की सीमित उपलब्धता/अनुपलब्धता के कारण सुपुर्दगी विलंबित हो जाएगी और

¹⁴ एफ टी पी एक ऐसी कार्यविधि है जिसमें आसन्न के रूप में पहले ही से जात अथवा एक ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्व चेतावनी के बिना कोई संकट उभरकर आता है, के लिए तुरंत परिचालन आवश्यकताओं की शीघ्र अधिप्राप्ति को सुनिश्चित किया जाता है।

¹⁵ ए डी आर डी ई- हवाई परिदान अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, आगरा, एक डी आर डी ओ प्रयोगशाला।

¹⁶ सामग्री की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, वेस्ट बैल्ट और बैल्ट में टाइटनिंग स्टैप स्लिपिंग की सूती धागा अनुपात के अधिक समावेशन की आवश्यकता, विषम सिलाई, फटने वाली कनक्टर्स तथा खराब गुणवत्ता के रबड़ बैंड।

ये पैराशूट अब तक सुपुर्द किए जाने हैं (जून 2015)। पायलट परेषणों के वैधीकरण परीक्षणों में 25 पैराशूटों में से 18 पैराशूटों की विफलता (75 प्रतिशत), ₹2.28 करोड़ की लागत पर डी आर डी ओ द्वारा सी एफ एफ पैराशूट के विकास के पश्चात् मार्च 2006 और नवंबर 2006 के बीच किए गए प्रारंभिक प्रयोक्ता परीक्षणों पर प्रश्न उठाती है। ओ पी एफ, कानपुर ने, तथापि, पैराशूटों के विनिर्माण के लिए ₹7.97 करोड़ खर्च किए, जो वैधीकरण परीक्षणों में विफल हुए और प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।

इसी बीच जनवरी 2008 में, भारतीय वायुसेना ने एफ एम एस मार्ग के अंतर्गत, सी 130 जे 30 वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए एक संविदा की। जिसमें 600 सी एफ एफ पैराशूटों की खरीद भी शामिल थी। इस अधिप्राप्ति से, जनवरी 2013 में 400 पैराशूट सेना को दिए गए।

यह मामला प्रकट करता है कि 2001 से सैनिकों के लिए सी एफ एफ पैराशूटों की तुरंत आवश्यकता के बावजूद मंत्रालय ने दिसंबर 2012 तक न तो एफ एम एस मार्ग से, और न ही स्वदेशी स्रोतों से उनकी अधिप्राप्ति की। इसके परिणामस्वरूप एक दशक से अधिक समय से सेना के पास तत्काल परिचालन आवश्यकता के लिए पैराशूटों की अनुपलब्धता रही। ए डी आर डी ई और ओ पी एफ कानपुर ₹10.75 करोड़ व्यय करने के पश्चात् 12 वर्षों में सी एफ एफ पैराशूटों का उत्पादन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप सेना को 631 पैराशूटों की कमी (61 प्रतिशत) हुई।

यह मामला मार्च 2015 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

2.3 लामबंदी अग्रिम पर ब्याज की अल्प वसूली ।

ठेकेदारों को भुगतान किए जाने वाले लामबंदी अग्रिम में वसूली के लिए दो ब्याज की दरें होती हैं। परन्तु, वह आदेश जिससे अग्रिम की वसूली की जानी थी, विनिर्देशित नहीं की गई। पहली बार में, पहले दस प्रतिशत की वसूली नहीं हो पाने के कारण, महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजनाओं, से संबंधित दस ठेकों में ₹1.06 करोड़ ब्याज की कम वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, यद्यपि लामबंदी अग्रिम का उपयोग पाँच महीनों के भीतर होना था, अन्यथा ठेकेदारों द्वारा दिए गए बैंक प्रत्याभूति को भूनाना या महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजना से संबंधित ठेकों में समयावधि के भीतर अग्रिम भुगतान का उपयोग नहीं होने के बावजूद बैंक प्रत्याभूति को नहीं भुनाया गया।

महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजनाएँ विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के साथ ठेका किया करते हैं। ठेके की विशेष शर्तों के खण्ड 26.1 एवं

27.1 के अनुसार ठेका राशि के 15 प्रतिशत तक लामबंदी अग्रिम ठेकेदार को अगर वह चाहे तो, एक लिखित प्रार्थना पत्र एवं वसूली न होने वाले बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने पर दिया जा सकता है। ठेका राशि के दस प्रतिशत लामबंदी अग्रिम के लिए आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं बकाया पाँच प्रतिशत लामबंदी अग्रिम के लिए दस प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगेगा। खण्ड 26.2 एवं 27.2 के अनुसार ठेकेदार को लामबंदी अग्रिम एक किश्त में एवं राशि के अनुरूप बैंक प्रत्याभूति की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गई:-

I ठेके में ब्याज के वसूली के क्रम को उल्लेखित न करना

यथोपरि ठेका राशि के दस प्रतिशत तक लामबंदी अग्रिम पर 8 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज होता है एवं बकाया 5 प्रतिशत पर दस प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष होता है। परन्तु, ठेके में ब्याज की वसूली के क्रम को विनिर्देशित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के अनुसार चूँकि शर्तों के अनुसार पहले ठेका राशि के दस प्रतिशत पर ब्याज की दरें पहले हैं, इसलिए इनकी वसूली पहले होनी चाहिए एवं लामबंदी अग्रिम की बकाया राशि पर ब्याज की वसूली बाद में की जानी चाहिए। ठेका दरों के दस प्रतिशत की वसूली पहले नहीं की जाने के कारण से महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजना से संबंधित दस ठेकों, जिनकी समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई, में ₹1.06 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई, जो नीचे तालिका - 11 में विस्तार दे दिया गया है।

तालिका - 11

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ठेका संदर्भ	ठेकेदार	ठेका राशि	भुगतान की गई लामबंदी अग्रिम	वसूली किया जाने वाला ब्याज	वसूल किया गया ब्याज	अन्तर
1.	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 24/21-2010-11	मेसर्स ओमाक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, नई दिल्ली	99.41	14.91	1.54	1.95	0.09
2.	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 24/21-2010-11	मेसर्स ओमाक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, नई दिल्ली	36.45	5.47	0.60	0.56	0.04
3	डी जी एम ए पी/ फेज-II/पी के जी 23/ए/15/2010-11	मेसर्स डी एस सी लिमिटेड गुडगाँव	94.82	14.22	1.41	1.20	0.21

क्रम संख्या	ठेका संदर्भ	ठेकेदार	ठेका राशि	भुगतान की गई लामबंदी अग्रिम	वसूली किया जाने वाला ब्याज	वसूल किया गया ब्याज	अन्तर
4	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 23/ए/15/ 2010-11	मेसर्स डी एस सी लिमिटेड गुड़गाँव	14.08	2.11	0.15	0.13	0.02
5	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 22/जे ओ डी एच(ए)/18-2010-11	मेसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद	121.94	18.29	1.66	1.51	0.15
6	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 37/17- 2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई	47.62	7.14	0.70	0.66	0.04
7	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 37/17- 2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई	14.45	2.17	0.21	0.20	0.01
8	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 37/17- 2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई	28.52	4.28	0.41	0.39	0.02
9	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी -21/01/02 (2010-11)	मेसर्स एपेक्स एकोन प्रोजेक्ट्स नई दिल्ली	127.51	19.13	2.01	1.83	0.18
10	डी जी एम ए पी/ फेज-III/ पी के जी 36 एन ए वी वाय/16 (2009-10)	मेसर्स नागार्जुना कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद	301.26	45.19	3.80	3.50	0.30
					12.49	11.43	1.06

रक्षा लेखा नियंत्रक (सी डी ए), सिकन्दराबाद एवं प्रधान सी डी ए, पुणे ने उत्तर दिया (अगस्त 2013/नवम्बर 2013) कि कौन सी राशि पहले वसूली की जानी है यह उल्लेखित नहीं था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शर्तें यह विनिर्देश करती हैं ठेका राशि के दस प्रतिशत पर आठ प्रतिशत की दर एवं बकाया राशि का दस प्रतिशत अर्थात् जिस राशि पर आठ प्रतिशत का ब्याज लागू था उसे पहले वसूलना चाहिए।

II ठेके में विनिर्देशित समयावधि के भीतर लामबंदी अग्रिम का उपयोग करने में असफलता के कारण बैंक गारंटी का नकदीकरण नहीं होना।

ठेके के विशेष शर्तों के खण्ड 27.8 के अनुसार, लामबंदी अग्रिम भुगतान के पाँच महीनों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए एवं ऐसा न करने पर, महानिदेशक

लामबंदी अग्रिम के लिए दिए गए बैंक गारंटी का नकदीकरण कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित चार ठेकों में (तालिका-12) यह देखा कि लामबंदी अग्रिम का उपयोग विनिर्देशित पाँच महीनों के अंतराल में नहीं किया गया-

तालिका -12

क्रम संख्या	ठेका संदर्भ	ठेका राशि	अग्रिम	भुगतान दिनांक	लामबंदी अग्रिम के भुगतान के पाँच महीनों के बाद का निर्माण कार्य
1	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 24/21 (2010-11)	99.41	14.91	02 मई 11	3.96
2	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 24/21 (2010-11)	36.45	5.47	19 अप्रैल 11	1.01
3	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 23/ए/15 (2010-11)	94.82	14.22	22 मार्च 11	7.94
4	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 23/ए/15 (2010-11)	14.08	2.11	22 मार्च 11	0.52

परन्तु, बैंक गारंटी का नकदीकरण नहीं किया गया जबकि विनिर्देशित अवधि के भीतर अग्रिम राशि का उपयोग नहीं किया गया। बैंक गारंटी का नकदीकरण न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के पास पैसा पड़ा रहा जिससे उनको अनुचित लाभ हुआ।

पी सी डी ए, पुणे ने कहा (नवम्बर 2013), कि चूँकि ठेकेदारों ने उनके कार्यालय में अग्रिम के उपयोग दर्शाने वाले बैंक खाता को प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अग्रिम की उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधक/डी जी, एम ए पी की थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी सी डी ए, पुणे को यह सुनिश्चित करना था कि अग्रिम भुगतान के विवरण बैंक खातों की विस्तृत विवरण हरेक आर ए आर के साथ संलग्न हो एवं सरकारी पैसों पर ब्याज को सुरक्षित रहे। वास्तविकता यह है कि अग्रिम राशि के उपयोग न होने के बावजूद बैंक गारंटी के नकदीकरण न करने के परिणामस्वरूप पूंजी ठेकेदारों के पास रह गई जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर (सितम्बर 2015) तक प्रतीक्षित था।

अध्याय III : थलसेना

3.1 सेना विमानन कोर का प्रकार्य

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

3.2 भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

3.3 टी-55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति

टैंक टी-55 के कमांडर के लिए ₹22.12 करोड़ मूल्य का इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अधिप्राप्ति फरवरी 2011 और जून 2013 के बीच किया गया जबकि टैंक दिसम्बर 2011 में अप्रचलित घोषित कर दिया गया था।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रणाली 2002 यह विनिर्दिष्ट करती है कि उपकरणों की अधिप्राप्ति में देरी को कम करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिप्राप्ति प्रणाली सैन्य बलों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरकारी हो, विभिन्न अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के समापन की एक समय-सीमा बनानी चाहिए। इसके अलावा सेना आदेश (ए ओ) 14/94, के अनुसार, जब भी सेवा भण्डार/उपकरण 'अप्रचलित' (ओ बी टी) घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए आगे कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा।

हमने अक्टूबर 2012 में केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा की लेखापरीक्षा एवं आगे नवम्बर 2013 में परीक्षण के दौरान पाया कि रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) की एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू) सेना को टैंक टी-55 के लिए एक उपकरण³² (संख्या 432) को अधिप्राप्त करने में 10 वर्षों से अधिक समय लगा जबकि उस अवधि तक टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया था एवं डी-इंडक्सन प्लान के अनुसार यह सेवा में केवल 2018-19 तक शामिल रहेगा।

मामले की चर्चा नीचे दर्शायी गयी है:-

टैंक टी-55 को भारतीय सेना में 1966 एवं 1988 के बीच शामिल किया गया था। डि-इंडक्सन समयसारणी के अनुसार, 1971 से 1988 के बीच शामिल किए गए सभी टी-55 टैंकों को 2018-19 तक हटा दिया जाना है। 455 टी- 55 टैंकों के कमांडरों को इमेज इंटेन्सिफायर (II) पर आधारित नाइट वीजन डिवाइस (साइट) से लैस करने की आवश्यकता महसूस हुई (अगस्त 2002) ताकि तोपची (गनर) को रात में लक्ष्य साधने में आसानी हो सके। अगस्त 2002 में जारी किए गए प्रस्ताव हेतु अनुरोध एवं दिसम्बर 2002 तथा मार्च 2003, को उपयोगकर्ता के परीक्षण के आधार पर, ओप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री (ओ एल एफ) देहरादून के बाइनोकुलर साइट को सफल पाया गया। वाणिज्यिक समझौता कमेटी (सी एन सी), जुलाई 2006 में अपनी मिटिंग में विचार-विमर्श के बाद, करीब 4 वर्षों के अंतराल पर ₹5.12 लाख प्रति इकाई की

³² जेड 71 जेड जी- 1282 साइट पेरिस्कॉप कमांडर ए वी, एन वी डी निष्क्रिय (टी- 55)

संशोधित दर पर ओ एल एफ देहरादून से टी-55 टैंक के कमांडर के लिए संख्या-455 (II) साइट की अधिप्राप्ति की सिफारिश की। सितम्बर 2002 की बोली में उद्दत मूल किमत ₹1.87 लाख प्रति इकाई थी। महानिदेशालय आयुध सेवाएं, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ने ओ एल एफ, देहरादून को फरवरी 2007 में कुल ₹23.30 करोड़ की लागत पर (₹5.12 लाख प्रति इकाई) संख्या 455 के (II) साइट की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र दिया जिसे जून 2008 तक सी ओ डी, आगरा को भेजा जाना था। परन्तु, सुपुर्दगी की अंतिम तिथि तक ओ एल एफ, देहरादून द्वारा कोई उपकरण नहीं सौंपा गया था। सेना के इस सुझाव की, कि सुपुर्दगी की अवधि को बढ़ाया न जाय चूँकि टी-55 टैंक शीघ्र सेवा से बाहर किये जाने थे, बावजूद इसके फरवरी 2009 में यह निर्णय लिया गया कि ओ एल एफ देहरादून दिसम्बर 2009 तक 455 कमांडर साइट की आपूर्ति करेगा। फिर भी ओ एल एफ ने जनवरी 2011 तक कोई भी (II) साइट आपूर्ति नहीं किए। सितम्बर 2012 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सुपुर्दगी के लिए दिए गए अंतिम अवधि विस्तार दिसम्बर 2009 तक को नियमित किया जा सके एवं आगे मार्च 2013 तक विस्तरित किया जा सके। परन्तु अक्टूबर 2013 में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना) ने संविदा को बन्द कर दिया एवं संख्या को संशोधित करके 432 कर दिया। कुल 432 कमांडर साइट सी ओ डी, आगरा में फरवरी 2011 से जून 2013 के बीच प्राप्त हुए।

इस बीच में दिसम्बर 2011 में 433 टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया जिसके लिए सेना आदेश 14/94 के अनुसार किसी भी भंडार/उपकरण का प्रावधान नहीं किया जा सकता था। इकाइयों में स्थित सभी ओ बी टी टैंकों (433) को 2018-19 तक कार्य से निवृत्त हो जाना था। अतः 432 साइटों की अधिप्राप्ति जिन्हें टी-55 टैंक के कमांडर द्वारा उपयोग किया जाना था, ए ओ 14/94 के तालमेल न होने के कारण अविवेकपूर्ण था। हमने पाया कि ₹9.22 करोड़ की लागत वाले 180 साइट फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के बीच प्राप्त हुए थे, उपयोगकर्ता इकाइयों को जून 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच ओ बी टी टैंकों के लिए जारी किए गए जबकि इसके बारे में लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 2012 में इंगित किया गया था। शेष 252 साइट जिनकी किमत ₹12.90 करोड़ थी, अप्रैल 2012 तथा जून 2013 में प्राप्त हुए, अभी भी (अप्रैल 2014) सी ओ डी आगरा में पड़े हुए हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ता इकाइयों के मांग का इंतजार है।

मामले को जून 2014 में सी ओ डी आगरा को तथ्यात्मक रूप (एफ एस सी) में भेजा गया। अगस्त 2014 में सी ओ डी ने उत्तर में कहा कि किसी उपकरण को ओ बी टी घोषित करने का मतलब उसके लिए सभी प्रावधान रोक देना। परन्तु रक्षा मंत्रालय के पूरक निर्देश 2014 के अनुसार विद्यमान मांगपत्र पूर्व व्यापार/स्वदेशीकरण निदेशालय के साथ जारी रहेगा। सी ओ डी ने आगे कहा कि

सेना द्वारा इन टैंकों को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए, इन नाइट साइटों की अधिप्राप्ति सही थी।

सी ओ डी का यह तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ओ एल एफ इन साइटों की आपूर्ति मूल मांगपत्र की अवधि के भीतर नहीं कर पाया एवं टैंकों (433) को दिसम्बर 2011 में ओ बी टी घोषित करने के बाद सुपुर्दगी की अवधि को सितम्बर 2012 में बढ़ा दिया गया। सेना ने दिसम्बर 2008 के आगे टी- 55 साइटों की सुपुर्दगी की अवधि को आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया था परन्तु निश्चित समय अवधि के बाद भी साइटों की अधिप्राप्ति होती रही, जो कि टी-55 टैंकों के डी-इंडक्सन योजना एवं ओ बी टी घोषित कर दिए जाने के बाद आवश्यक नहीं था। हालांकि अधिप्राप्ति फरवरी 2014 के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय द्वारा जारी पूरक निर्देश के पहले की अवधि की थी। एक क्वचित रेजिमेंट में (II) साइट के उपयोग के सत्यापन जाँच में यह देखा गया कि बिना मांग के जारी किए गए 23 (II) साइटों में 22 (II) साइट जारी करने के बाद भी भण्डार में पड़ी हुई थी।

अतः कमांडर टी-55 टैंको के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अधिप्राप्ति में 9 वर्षों का विलंब एवं टैंकों के ओ बी टी घोषित करने के बाद भी मांगपत्र को खारिज न करने के परिणामस्वरूप ₹22.12 करोड़ की लागत पर 432 साइटों की अधिप्राप्ति हुई, यद्यपि इस लंबित अवस्था में सेना को इनकी जरूरत नहीं थी। इसमें से ₹9.22 करोड़ की 180 साइटें कमांड इकाइयों को जारी की गईं, जबकि टैंक टी-55 अप्रचलित घोषित कर दिये गये थे एवं ₹12.90 करोड़ की लागत वाले 252 साइटें अप्रैल 2014 तक स्टॉक में पड़ी हुई थीं।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.4 भण्डारों की अकारण खरीदारी

प्रधान निदेशक, आयुध का वैद्युतिकी एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के महानिदेशालय से आवश्यकताओं के आकलन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ की लागत वाले भण्डारों की अकारण खरीदारी की गई। यद्यपि एम जी ओ ने ठेका होने के बाद फर्म से मात्रा घटाने का आग्रह किया था, लेकिन फर्म ने ऐसा करने से मना कर दिया।

प्रापण प्रगति संगठन (पी पी ओ) जो प्रधान निदेशक आयुध (एम जी ओ), रक्षा मंत्रालय (थल सेना) के एकीकृत मुख्यालय (आइ एच क्यू) के नियंत्रण में कार्य करता है, केन्द्रिय आयुध डिपो तथा आयुध सेवाएँ निदेशालय (ओ एस) द्वारा दिए गए आयात मांगपत्र पर आधारित सभी अतिरिक्त पुर्जों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार है

आवश्यकताओं की मांग प्रस्ताव के आग्रह (आर एफ पी) के रूप में सार्वभौम निविदा अथवा एकल निविदा के आधार पर दिया जाता है।

हमने दिसम्बर 2012 में यह पाया कि मिसाइलें एवं हथियारों, इत्यादि के अतिरिक्त पुर्जों की खरीदारी के लिए डी डी जी, पी पी ओ की अध्यक्षता में फरवरी 2011 में वाणिज्यिक समझौता कमीटी (सी एन सी) की बैठक हुई। सी. एन. सी. के सदस्यों में डी जी ई एम ई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, जिन्होंने विचार विमर्श के दौरान अतिरिक्त पुर्जों के गंभीर भण्डार स्थिति को स्वीकार किया। सी एन सी के परामर्श पर, मेसर्स एस एफ ई, युक्रेन को दिसम्बर 2011 में कुल 11.83 मिलियन यूरो³³ (लगभग ₹80.78 करोड़) की मूल्य पर अलग-अलग प्रेषिति पर पुर्जों की आपूर्ति के लिए दो ठेके दिए गए। परन्तु ठेके होने के बाद एम जी ई ओ शाखा ने डी जी एम ई को जुलाई 2012 में, जिसके लिए अतिरिक्त पुर्जों को आयात द्वारा खरीदा जा रहा था, हथियार तंत्र से सम्बन्ध उपकरण प्रबंधक द्वारा पुनरीक्षण करने आग्रह किया। इसके जवाब में जुलाई 2012 में डी जी एम ई ने आवश्यकता को 0.87 मिलियन यूरो (₹5.95 करोड़) से कम कर दिया। चूँकि, डी जी ई एम ई से मात्रा के पुनरीक्षण के पहले ही ठेका कर लिया गया था, एम जी ओ की शाखा ने जुलाई 2012 में फर्म को मात्रा में बदलाव करने एवं तदनुसार ठेका में संशोधन करने का आग्रह किया। परन्तु फर्म ने ठेकों में किसी प्रकार का बदलाव करने से यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि सभी सामान सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं और उनके संयंत्रों को अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। फर्म ने दोनों ठेकों की आपूर्ति को सम्पन्न किया एवं नवम्बर 2012 में इनका भुगतान किया गया।

इस प्रकार ठेका करने के बाद एम जी ओ द्वारा डी जी ई एम ई से अतिरिक्त पुर्जों की मात्रात्मक आवश्यकता मांगे जाने के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ की लागत के अधिक भण्डारों की खरीदारी हुई। रक्षा मंत्रालय (सेना) के आई एच क्यू ने ड्राफ्ट पैरा में उठाए गए मुद्दों के जवाब में कहा (अप्रैल 2015) कि ठेका को हस्ताक्षरित करने के बाद भण्डार की आकलन आवश्यकताओं से बचा जा सकता था, परन्तु अतिरिक्त पुर्जों की अकारण खरीद को लेकर उनके अलग विचार थे। अत्यधिक खरीदे गए पुर्जों को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया गया कि ठेका के तहत खरीदे गए सभी भण्डार उपयोग में लाए गए हैं तथा सब डिपो/इकाइयों को जारी कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि सभी भण्डार उपकरण को 2025 तक चलाने हेतु जीवन-पर्यंत खरीद के अंतर्गत लिया गया।

दिया गया जवाब निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:-

- एम जी ओ ने डी जी ई एम ई से भण्डारों की मात्रात्मक आवश्यकता को प्राप्त करने से पहले ठेका कर लिया। सी एन सी चरण में भी डी जी ई एम ई ने

³³ 1 यूरो = ₹80.78

खरीदे जा रहे शेष मात्रा पर कोई आपति नहीं की, बावजूद इसके कि सी एन सी के 10 महीने बाद ठेका हुआ।

- खरीद गए अतिरिक्त पुर्जों को सब डिपो एवं युनिटों को कर जारी कर उसका हल निकालना अत्यधिक खरीदारी को उचित नहीं ठहरा सकता।
- भण्डारों की अवस्था को देखते हुए डिपो को भण्डार जारी करना किसी भी तरह से भण्डारों का उचित उपयोग इंगित नहीं करता।

इस प्रकार, एम जी ओ का ठेका करने से पहले डी जी ई एम ई से भण्डारों की आवश्यकता का आकलन करने में हुई असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ लागत की अकारण खरीदारी हुई।

मामला मंत्रालय को मार्च 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर सितम्बर 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.5 परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती

परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) को लागू करने की प्रणाली के अनुसार घटी हुई दरों पर एल डी तभी लागू की जानी चाहिए अगर सरकार को कोई हानि ना हो, फिर भी सेना क्रय संगठन ने हानि के तथ्यों को पता लगाए बिना दोषी ठेकेदारों को अनुचित लाभ मुहैया कराया। जाँच के एक मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तव में हानि हुई थी।

भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन (डी जी एस एंड डी)³⁴ द्वारा दिये जाने वाले संविदा पर लागू सामान्य शर्तों के अनुसार क्रेता परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की वसूली ठेकेदार से कर सकता है जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है, यह दण्ड के रूप में न होकर, तय समय अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा सुपुर्द न किए गए भण्डारों के मूल्य के 2 प्रतिशत प्रति माह आंशिक माह के तुल्य राशि देने का प्रावधान है, बशर्ते की मांगी हुई कुल हानि कुल संविदा शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मुख्य निदेशक की अध्यक्षता में सेना क्रय संगठन (ए पी ओ) सेना के लिए खाद्य सामग्री, खाद्यान्न, खाद्य तेल, माल्टेड वस्तुओं आदि के केन्द्रीय क्रय के लिए जिम्मेदार है। इन अधिप्राप्तिओं के भुगतान की जिम्मेदारी प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पी सी डी ए), मुख्यालय (एच क्यू) नई दिल्ली के पास है।

ए पी ओ द्वारा निविदाओं की स्वीकृति (ए टी) डी जी एस एंड डी द्वारा किए गए संविदा के समान शर्तों के अधीन है।

³⁴ डी जी एस एवं डी- महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान

2010-11 एवं 2013-14 के बीच हुए अधिप्राप्ति के 32 मामलों से संबंधित ए टी एवं भुगतान वाउचरों की पी सी डी ए मुख्यालय में जाँच से पता चला कि विक्रेताओं द्वारा भंडार आपूर्ति में विलम्ब किया गया जिससे संविदा की सामान्य शर्तों के तहत प्रति माह 2 प्रतिशत की दर से प्रतिनिर्धारित हर्जाना लगाना पड़ा। हालांकि हमने पाया कि आपूर्ति में एक महीने से आठ महीने का विलम्ब हुआ जिसे सी डी पी द्वारा 0.2 प्रतिशत प्रति महीने की निम्न दर पर एल डी लगाकर नियमित किया गया। निम्नतर दर पर एल डी लगाने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति के इन 32 मामलों में अनुचित लाभ दिया गया एवं ₹3.55 करोड़ की कम वसूली की गई।

दो प्रतिशत एल डी के स्थान पर 0.2 प्रतिशत के निम्नतर दर पर एल डी के वसूली के मामले को ए पी ओ के साथ उठाया गया (दिसम्बर 2014)। अपने उत्तर में ए पी ओ ने कहा (मार्च 2015) की मौजूदा प्रक्रिया जो कि कानूनी सलाह पर आधारित है, के अनुसार वास्तविक नुकसान के मामले में मूल्य के दो प्रतिशत का दावा किया जा सकता है। हालांकि यह कहा गया था कि अगर कोई वास्तविक हानि नहीं होती, तब केवल नाममात्र, 10 प्रतिशत के तुल्यमान जो कि 0.2 प्रतिशत होती है वही लागू होनी चाहिए। हानि के किसी सबूत के बिना उच्च दर पर एल डी का दावा करना न्यायिक जाँच के लिए अनुरूप नहीं होगा। उत्तर के बावजूद हमने पाया कि न्यूनतम दर 0.2 प्रतिशत पर एल डी लगाते समय ए पी ओ द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जो प्रमाणित करता हो कि विलंब से आपूर्ति के कारण कोई हानि नहीं हुई।

इसके विपरित नमूने के तौर पर माल्टेड मिल्क फूड की अधिप्राप्ति, जो कि 2013 में ₹143.46 से ₹174.84 प्रति किलोग्राम की दरों पर संविदा किया गया था, के विस्तृत जाँच के दौरान हमने पाया कि ए पी ओ द्वारा समय पर आपूर्ति करने में विफलता के कारण, डी जी एस एण्ड टी ने सैनिकों की शीघ्र पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान औसतन ₹217 प्रति किलोग्राम की उच्च दरों पर मदों की स्थानीय खरीद की थी। इसमें सरकार को हानि हुई जो इस तथ्य को साबित करता है कि ए पी ओ ने राज्य को हुई हानि के तथ्यों को नहीं जाँचा एवं इससे दोषी ठेकेदारों को निम्नतर दर पर एल डी लगाकर अनुचित लाभ दिया। उपर्युक्त 32 मामलों में ₹3.55 करोड़ की अधोवसूली हुई है।

मामला मंत्रालय को मार्च 2015 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2015)।

3.6 द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन

एम बी टी अर्जुन के लिए ₹2.23 करोड़ की लागत पर खरीदे गए पाँच में से चार द्रवचालित टेस्ट बेन्च आवश्यक आधारभूत संरचना तथा उपकरणों के अधिष्ठापन/चालू होने में देरी के चलते नवम्बर 2010 में उनकी खरीदारी के बाद से ही निष्क्रिय पड़े थे।

प्रधान निदेशक आयुध (एम जी ओ), एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय ने मुख्य संघर्ष टैंक (एम बी टी) अर्जुन के बंदूक नियंत्रण प्रणाली (जी सी एस) की परीक्षण सुविधा के रूप में मरम्मत कार्यशाला में प्रतिस्थापित कराने हेतु द्रवचालित टेस्ट बेन्चों (एच टी बी) की मांगपत्र भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच वी एफ) को दिया। तदनुसार एच वी एफ ने अप्रैल 2009 में मैमर्स लियो नार्डो इंजिनियर प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, को ₹2.79 करोड़ की लागत पर पाँच एच टी बी, के लिए आपूर्ति आदेश दिए। एच टी बी का परेषिती एच वी एफ अवाडी था।

एच वी एफ अवाडी ने अगस्त 2009 में एम जी ओ एवं सभी चुनी गई इकाइयों को आवश्यक आधारभूत ढाँचे अर्थात् 415 वोल्ट का वातानुकूलन आपूर्ति एवं पूर्वानुमानित शीतल करने की व्यवस्था के लिए पानी आपूर्ति के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद, उपयोगकर्ता स्थल पर प्रतिस्थापन के लिए सुविधा की संरचना करने के लिए एच टी बी का सम्पूर्ण चित्रण/विनिर्देशन सभी इकाइयों को अगस्त 2009 में बताया गया था।

फर्म द्वारा उपकरण नवम्बर 2010 में आपूर्ति की गई एवं एच पी एफ अवाडी द्वारा अक्टूबर/नवम्बर 2010 में सैन्य वैद्युतिकी एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं दिल्ली कैंन्ट, जैसलमेर, जोधपुर और अहमदनगर के सेना कार्यशालाओं को भेज दिया गया। आपूर्ति आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार मार्च 2010 तथा मई 2010 के बीच ₹ 2.57 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

फरवरी 2013 में 12 कार्प्स क्षेत्रीय कार्यशाला, जोधपुर के रिकार्डों की नमूना परीक्षण ने यह प्रदर्शित किया कि दिसम्बर 2010 में प्राप्त हुई द्रवचालित प्रशिक्षण बेन्च निष्क्रिय पड़ी थी क्योंकि आधारभूत ढाँचे के प्रावधान का कार्य स्वीकृति (2011-12) के बावजूद उसका निर्माण कार्य निष्पादित नहीं हो पाया था। परन्तु जनवरी 2015 में कार्यशाला ने यह पुष्टि की कि आधारभूत संरचना हो जाने के बावजूद इसकी स्थापना नहीं हुई है क्योंकि बकाया देय की निकासी तक फर्म ने ऐसा करने में असमर्थता जताई।

इसके अतिरिक्त, चार और स्टेशनों पर प्रेषित किए गए एच टी बी की अधिष्ठापन एवं चालू होने की जाँच से यह प्रदर्शित हुआ कि चारों स्टेशनों पर सितंबर 2013 तक आधारभूत ढाँचे की संरचना के बावजूद, उपकरण केवल एम सी ई एम ई में स्थापित किए गए थे। दिल्ली कैंन्ट एवं अहमदनगर की कार्यशालाएँ अभी तक अधिष्ठापन

होने का इंतजार कर रही है, जबकि जैसलमेर में उपकरण अधिष्ठापित होने के बावजूद चालू नहीं की गई है।

इस प्रकार, ₹2.23 करोड़ की लागत से खरीदे चार एच टी बी को उनके नवंबर 2010 में खरीदने के बाद उपयोग में नहीं लाया गया (जनवरी 2015) क्योंकि आवश्यक आधारभूत ढाँचे की संरचना एवं उपकरण की अधिष्ठापन/चालू करने में देरी की गई। खरीद का प्रयोजन इस प्रकार निरर्थक रहा।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

3.7 हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

पहली कॉल के दौरान हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति के साथ विस्तृत वार्षिक रख-रखाव ठेका के लिए पहली कॉल के दौरान अनिर्णय के कारण पुनः निविदा करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1406 बेडों की अधिप्राप्ति में ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम- 2009) यह विनिर्दिष्ट करती है कि चिकित्सा उपकरणों के मामले में जहाँ पांच वर्षों की वारंटी/गारंटी प्रदान की जाती है, वहाँ फर्मों को वारंटी की अवधि की समाप्ति पर पांच वर्ष के लिए विस्तृत वार्षिक रखरखाव ठेके (सी ए एम सी) का दर उद्धृत करने के लिए कहा जा सकता है एवं इन्हें निविदाओं के तुलनात्मक विवरण में शामिल कर एल- I विक्रेता का चुनाव करते समय विचार में लाना चाहिए। डी पी एम में आगे बताया गया है कि इस तरह के मामलों में मूल्यांकन मानदंड को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

महानिदेशक, सैन्य बल, चिकित्सा सेवाएं (डी जी ए एफ एम एस) ने नवम्बर 2012 में सी ए एम सी के उपरोक्त प्रावधानों को निविदा दस्तावेजों में विधिवत् समाविष्ट करते हुए 1406 हाइ-लो बेड्स, जिन्हें चिकित्सा उपकरण के योग्य माना गया था, की अधिप्राप्ति के लिए खुली निविदाओं को आमंत्रित किया। इस संदर्भ में नौ फर्मों से उत्तर प्राप्त हुआ (दिसम्बर 2011) जिसमें से तीन फर्मों को तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकार किया गया (जनवरी 2012)। तकनीकी रूप से योग्य तीन फर्मों में से केवल एक फर्म जिसका नाम मेसर्स सर्जिकोन मेडिकविप प्राइवेट लिमिटेड था, सी ए एम सी के साथ ₹5.31 करोड़ उद्धरित की थी एवं मेसर्स कार्वेल सिस्टम ने न्यूनतम दर ₹3.93 करोड़ बिना सी ए एम सी के उद्धरित की थी। जैसाकि सी ए एम सी के लिए प्राप्त बोलियाँ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुरूप नहीं थी, जिससे जुलाई 2012 में पुनः निविदा जारी करना पड़ा। इस बार जवाब में चौदह फर्मों के उत्तर प्राप्त हुए, इनमें से तीन फर्म टी ई सी द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किए गए।

मेसर्स हाई-टेक मेटल एवं मेडिकल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ₹5.38 करोड़ (सी ए एम सी पुर्जों के साथ) एवं ₹4.77 करोड़ (सी ए एम सी के बिना) उद्धरित दर के साथ दोनों अवस्थाओं में सबसे न्यूनतम (एल- I) पाया गया। मेसर्स डस्टेक इंजीनियर्स ने ₹5.75 करोड़ सी ए एम सी के साथ एवं ₹5.10 करोड़ सी ए एम सी के बिना उद्धरित किया था। मेसर्स जनक हेल्थकेयर ने ₹8.49 करोड़ सी ए एम सी के साथ एवं ₹7.43 करोड़ सी ए एम सी के बिना उद्धरित किया था। अचानक मूल्य समझौता समिति की तकनीकी रूप से स्वीकृत फर्मों के साथ हुई 2 नवम्बर 2012 की बैठक में सी ए एम सी खण्ड को निविदा की स्वीकृती (ए.टी) से इस आधार पर हटाने का सुझाव दिया कि सशस्त्र बल चिकित्सा भण्डार डिपो (ए एफ एम एस डी) ही प्रारंभिक एवं एकमात्र प्रेषिति थे एवं इन बेडों को आस-पास के कई इकाइयों में जारी किया जाना था इसलिए मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं थी। डी पी एम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सी एन सी ने सी ए एम सी खण्ड को हटाने का निर्णय किया।

डी जी ए एफ एम एस ने दिसम्बर 2012 में मेसर्स हाई-टेक मेटल एण्ड मेडिकल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को तय राशि ₹4.56 करोड़ (बिना सी ए एम सी शुल्क) पर 1406 बेडों की आपूर्ति 60 दिनों के भीतर अर्थात् 16.02.2013 तक करने की शर्त पर निविदा को स्वीकृती दे दी। परन्तु, फर्म द्वारा बेडों की आपूर्ति अप्रैल 2013 में की गई।

यद्यपि दूसरी कॉल के दौरान, मेसर्स हाई टेक की दरें ₹4.56 करोड़ (बिना सी ए एम सी) की स्वीकृत कर ली गई थीं जो कि डी पी एम के प्रावधानों के उल्लंघन था जबकि पहली कॉल के दौरान मेसर्स केयरबेल सिस्टम की ₹3.93 करोड़ की निविदा सी ए एम सी की दर उद्धरित न करने के कारण अस्वीकार कर दी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा की पुनः निविदा संबंधित प्रश्नों (जनवरी 2013) जो कि फर्म द्वारा न्यूनतम राशि (सी ए एम सी के बिना) डी पी एम के प्रावधान के अनुसार एवं दूसरी कॉल में न्यूनतम राशि को स्वीकृती (सी ए एम सी के बिना) से थी, इस पर डी जी ए एफ, एम, एस ने कहा (मई 2013) कि सी ए म सी शुल्क काफी सोच विचार के बाद सी एन सी द्वारा हटाए थे, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि वारंटी अवधि के बाद सी ए एम सी निष्पादित करना बेकार एवं निरर्थक होगा क्योंकि बेडों को पूरे देश में पहुँचाना था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सी एन सी के पास सी ए एम सी शुल्क हटाने का अधिकार नहीं था। अत्याधिक व्यय से बचने के लिए पहली कॉल के दौरान ही सी ए एम सी को हटाने के लिए मंत्रालय से सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

डी पी एम प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा हाई-लो बेडों को उच्च दरों पर क्रय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर में, (जुलाई 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं डी जी ए एफ एम एस को खामियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा।

3.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवम् वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर, लेखापरीक्षित इकाइयों ने अधिक भुगतान किए हुए वेतन एवं भत्तों, विविध शुल्कों और विद्युत शुल्कों की वसूली की, अनियमित निर्माण कार्यों की संस्वीकृति को निरस्त किया एवं वार्षिक लेखा को संशोधित किया, जिससे ₹11.70 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा के क्रम में, हमें अनियमित भुगतान के, प्रभार की कम/न वसूली, अनियमित संस्तुतियों के एवं लेखा गलतियों के कई उदाहरण देखने को मिले। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कार्य करते हुए लेखापरीक्षित इकाइयों ने सुधारक कार्यवाहियों की, जिसका सार निम्नवत है-

वसूली

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान निदेशक, रक्षा लेखा, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), कैन्टीन भण्डार विभाग (सी एस डी) मुख्यालय, आदि के रिकोर्ड की जाँच ने ₹7.02 करोड़ की राशि के वेतन एवं भत्तों, विद्युत बिल एवं कर, विविध शुल्कों के अनियमित भुगतान को उजागर किया। इंगित करने पर, संबंधित इकाइयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की।

बचत

विभिन्न संस्वीकृतिदाता अधिकारी जैसे सेना के उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालय, कोर्प्स मुख्यालय आदि ने निर्माण कार्यों के अनियमित प्रशासनिक संस्वीकृति को रद्द किया। इसका निवल परिणाम कुल ₹1.65 करोड़ की बचत थी।

वार्षिक लेखाओं का संशोधन

जब हमने ऑक्ट्रूई एवं मूल्य वर्धित कर (वी ए टी) के अधिक संग्रहण जो सी एस डी की आय नहीं थीं, के उदाहरण दिए। तब सी एस डी ने अधिशेष राशि को आम संचय पूंजी में अंतरित कराते हुए अपनी वार्षिक लेखों में सुधार किया। इन सुधारों का निवल परिणाम ₹3.03 करोड़ का लाभ था।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2015) था।

अध्याय IV: कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवायें

4.1 विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवम् अल्प वसूली के कारण हानि

यद्यपि दुर्ग अभियंता (जी ई) विद्युत आपूर्ति अभिकरणों को भुगतान करने से पूर्व विद्युत बिलों की पूर्व-जांच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, हमने पाया कि आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग करने में और अनुमोदित विद्युत शुल्क का अनुवर्तन करने में दुर्ग अभियंताओं की ओर से हुई विफलता के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित दुर्ग अभियंताओं द्वारा ₹24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। निजी पक्षों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में भी जी ई विफल रहे, जो मुख्यतः ऊर्जा और नियत प्रभारों की अल्प वसूली, बिल देने में विलंब, त्रुटिपूर्ण मीटर आदि के कारण था। अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली की ये गलतियाँ एम ई एस में आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता रेखांकित करती है।

4.1.1 प्रस्तावना

सैन्य इंजीनियरी सेवायें (एम ई एस) अपने प्रभार के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति प्रणाली के तकनीकी प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी है। एम ई एस सैन्य क्षेत्रों अथवा छावनी क्षेत्रों में आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) अथवा किसी कम्पनी (आपूर्ति एजेन्सियों) से थोक में बिजली ऊर्जा प्राप्त करता है जिसके लिए एम ई एस आपूर्ति एजेन्सियों के साथ आवश्यक अनुबंध अथवा शर्तों का ज्ञापन अनुबंध करता है। लागू शुल्क सूची के अनुसार विद्युत की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान करने के पूर्व संबंधित दुर्ग अभियंता (जी ई) को सम्बन्धित लेखा अधिकारी³⁵ (जी ई) के माध्यम से बिलों की पूर्व जांच करानी होती है। एस ई बी आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान के लिए जी.ई को शुल्क सूची शीर्ष में बजट का आवंटन प्राप्त होता है। भुगतान के लिए उत्तरदायी 30 दुर्ग अभियंताओं को वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए शुल्क सूची शीर्ष में आवंटन एवम् व्यय **अनुलग्नक-X** में दर्शाया गया है। एम ई एस में दुर्ग अभियंताओं के अन्तर्गत राजस्व कार्य देखने वाले बैरक स्टोर्स ऑफिसर्स (बी एस ओ) तथा लेखा अधिकारी (जी ई)/(बी एस ओ), रक्षा मंत्रालय (आर्मी) के आई एच क्यू, इंजीनियर-इन-चीफ (ई-एन-सी) शाखा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं अर्थात् सैन्य कर्मिकों रक्षा नागरिकों, मैसों, छावनी बोर्डों, निजी पक्षों आदि से विद्युत प्रभारों की सही वसूली के लिए उत्तरदायी होते हैं। एम ई एस द्वारा सैन्य स्टेशनों पर विवाहितों के लिए आवास के अतिरिक्त रक्षा

³⁵ लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (ए ओ जी ई) रक्षा लेखा विभाग से होता है तथा वह कुछ लेखाओं के रख रखाव तथा प्राथमिक लेखापरीक्षा हेतु अभियंता कार्यालय के साथ होता है।

संस्थापनों, स्ट्रीट लाईटों, थल सेना बलों के प्रशासनिक कार्यालयों तथा एम ई एस प्रतिष्ठानों इत्यादि को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने 30 सैन्य स्टेशनों में बी एस ओ सहित 44 दुर्ग अभियंताओं³⁶ द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक तीन वर्षों में आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान एवम विद्युत प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की सितम्बर 2014 से नवम्बर 2014 तक एक संवीक्षा की। उपरोक्त चयनित कार्यालयों के अतिरिक्त दुर्ग अभियंताओं की सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान सामने आये ऐसे ही मामलों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

4.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने पाया कि 44 चयनित दुर्ग अभियंताओं में से 25 दुर्ग अभियंताओं ने वांछित शक्ति घटक³⁷ (पी एफ) का पालन न करने के कारण भुगतान की गई तथा बढी हुई अनुबंधित अधिकतम माँग (सी एम डी) तथा दंड/अधिभार आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा की गयी गलत बिलिंग के कारण आपूर्ति एजेन्सियों को ₹ 24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित 44 में से 41, दुर्ग अभियंताओं में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रभारों, विद्युत शुल्क, मीटर किराया, ईंधन अधिभार इत्यादि की कम वसूली/वसूली न करने के बाबत ₹ 23.66 करोड़ की राशि की वसूली करने में असफल रहे। अनुवर्ती पैराग्राफों में इन मामलों पर चर्चा की गयी है:-

³⁶ 1. जी ई (यूटिलिटी) मेरठ, 2. जी ई (नार्थ) मेरठ, 3. जी ई (साउथ), मेरठ, 4. जी ई रुड़की, 5. जी ई (क्लीमेंट टाउन) देहरादून, 6 जी ई (मिलिट्री कालेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) महो, 7. जी ई (ईस्ट) बरेली, 8. जी ई (थलसेना) सूरतगढ़, 9. जी ई चण्डीगढ़, 10. जी ई (साउथ) जयपुर, 11. जी ई (ईस्ट) जालंधर, 12. जी ई (सीएमई) डापोडी, पुणे, 13. जी ई (I) आर एंड डी पशान पुणे, 14. जी ई (नार्थ) एम.ई.जी सेन्टर बैंगलौर, 15. जी ई (आर एंड डी) (ईस्ट) बंगलौर, 16. जी ई(I) आर एंड डी,आर सी आई हैदराबाद, 17. जी ई (थल सेना) हैदराबाद, 18. जी ई (ईस्ट) लखनऊ, 19. जी ई (I) आर एंड डी कानपुर, 20. जी ई कानपुर, 21. जी ई (वेस्ट) जबलपुर, 22. जी ई (ईस्ट) जबलपुर, 23. जी ई(ईस्ट) इलाहाबाद ,24. जी ई झाँसी, 25. जी ई बवीना, 26. जी ई गुवाहाटी, 27. जी ई शिलाँग, 28. जी ई दीपाटोली, 29. जी ई(सेन्ट्रल) कोलकाता, 30. जी ई अलीपुर, 31. जी ई बिनागुडी, 32. जी ई मिसामारी, 33. जी ई(साउथ) उधमपुर, 34. जी ई (नार्थ) उधमपुर, 35. जी ई (यू) उधमपुर, 36. जी ई(नार्थ) मामून, 37. जी ई योल कैन्ट, 38. जी ई सतवारी, 39.जी ई (यूटिलिटी) दिल्ली कैन्ट, 40. जी ई (वेस्ट) दिल्ली कैन्ट, 41.जी ई (साउथ) दिल्ली कैन्ट, 42. जी ई (सेन्ट्रल) दिल्ली कैन्ट, 43. जी ई, नई दिल्ली, 44. जी ई (बेस हॉस्पिटल) दिल्ली कैन्ट,)

³⁷ शक्ति घटक - बिलिंग माह के दौरान कुल किलोवाट घंटों की कुल किलोवाट एमपीयर घंटों से प्रतिशता से रूप में दर्शाया गया अनुपात होता है।

4.1.3.1 गलत बिलिंग के कारण राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत आपूर्ति एजेंसियों को अधिक भुगतान

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत शुल्क निर्धारित करने के लिए राज्य विद्युत नियंत्रक आयोग (एस ई आर सी) सक्षम प्राधिकरण है। विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार³⁸, निर्धारित प्रभार³⁹, विद्युत कर⁴⁰, चुँगी⁴¹, मीटर किराया⁴², ईंधन अधिभार⁴³, शक्ति घटक अधिभार⁴⁴ हाई टेंशन(एच टी) थोक आपूर्ति पर छूट⁴⁵ इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मासिक विद्युत बिलों के भुगतान में बिलों की यथार्थता सुनिश्चित करने कि दृष्टिगत दुर्ग अभियंता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विद्युत आपूर्ति एजेंसियों द्वारा गलत बिलिंग के कारण दुर्ग अभियंता द्वारा अधिक/ परिहार्य भुगतान करने के मामलों को नीचे दिया गया है:

(क) शुल्क अनुसूची के गलत लागू करने के कारण अधिक भुगतान

प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड समय-समय पर अपने शुल्क अधिसूचित करती है। थोक आपूर्ति शुल्क एम ई एस, सी पी डब्ल्यू डी, संस्थानों, अस्पतालों, निजी कालोनियों, समूह आवास समितियों एवम्, अन्य ऐसे ही स्थापनाओं पर लागू होती है जो विभिन्न आवासीय एवम् गैर आवासीय भवनों को आगे इसका वितरण करते हैं।

³⁸ **ऊर्जा प्रभार**- यह उपभोक्ता द्वारा शुल्क दरों के अनुसार उपभोग की गयी ऊर्जा की लागत होती है।

³⁹ **निर्धारित प्रभार** - यह विद्युत आपूर्ति के वितरण के लिए सृजित अधिसंरचना की लागत वसूली हेतु लगाया जाता है। यह किसी उपभोक्ता से प्रतिमाह ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त उसे संयोजित संस्वीकृत भार पर वसूली जाने वाली लागत है। निर्धारित प्रभार प्रतिमाह आवश्यक रूप से देय है चाहे ऊर्जा उपभोग किया गया है अथवा नहीं।

⁴⁰ **विद्युत कर** - राज्य में लागू कानून के अनुसार किसी राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन/आपूर्ति के लिए लगाया जाने वाला प्रभार

⁴¹ **चुँगी** - राज्य में लागू कानून के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में विद्युत के उपभोग पर लगाया जाने वाला प्रभार

⁴² **मीटर किराया** - विद्युत आपूर्ति एजेंसी द्वारा मीटर उपलब्ध कराये जाने की अवस्था में मीटर के प्रकार के अनुरूप किराये की वसूली

⁴³ **ईंधन अधिभार** -विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किये जाने वाले ईंधन की लागत में भिन्नता को समायोजित करने के लिए विद्युत आपूर्ति एजेंसि द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार

⁴⁴ **शक्ति घटक अधिकार** - ऊर्जा की वितरण हानि के समायोजन हेतु वसूला जाना प्रभार। यदि उपभोक्ता के औसत शक्ति घटक में एक निश्चित प्रतिशतता से गिरावट आती है तो उपभोक्ता को बिल की कुल राशि पर "ऊर्जा प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभारों से अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा।

⁴⁵ **हाई टेंशन (एचटी) थोक आपूर्ति पर छूट** - उच्च वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति में वितरण में विद्युत हानि कम होती है। एच टी आपूर्ति विभिन्न वोल्टेज जैसे कि, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी पर की जाती है। यदि कोई उपभोक्ता सम्बन्धित श्रेणी में निर्धारित मानक वोल्टेज आपूर्ति से उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति अनुरोध करता है तो यदि शुल्क आदेशों में प्रावधान हो तो विद्युत आपूर्ति एजेंसी द्वारा उसे ऊर्जा की दरों/राशि में छूट अनुमत की जाती है।

हमने पाया कि 30 सैन्य स्टेशनों में से 12 स्टेशनों⁴⁶ पर राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा एम ई एस के लिए लागू शुल्क अनुसूची के अन्तर्गत उच्च दरों पर बढ़े हुए बिल प्रस्तुत किये गये थे। संबंधित दुर्ग अभियंताओं द्वारा बिलों की यथार्थता की जाँच किये बिना ही भुगतान कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान ₹ 11.85 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **अनुलग्नक-XI** में दर्शाया गया है।

अपने उत्तरों में (अप्रैल 2013 से अगस्त 2015) सभी दुर्ग अभियंताओं ने बताया कि सही शुल्क अनुसूची लागू करने तथा अधिक प्रभारों की वापसी के लिए आपूर्ति एजेन्सियों के साथ मामला उठाया गया है जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

(ख) निर्धारित प्रभारों को सही से न लगाने के कारण अधिक भुगतान

- उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यू पी पी सी एल) की शुल्क सूची के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं के लिए माह के दौरान बिल योग्य माँग वास्तविक अधिकतम माँग अथवा संविदित भार (सी एम डी) का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगी। जी ई झाँसी में, वास्तविक माँग तीनों सेनाओं से सम्बन्धित सी एम डी की 75 प्रतिशत से कम थी किन्तु विद्युत आपूर्ति एजेंसी ने सी एम डी की 75 प्रतिशत के बजाय सी एम डी पर निर्धारित प्रभार प्रसारित किये थे जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 29.66 लाख का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अक्टूबर 2014) जी ई झाँसी ने अक्टूबर 2014 में बताया कि अनुबंध के संशोधन हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी वी वी एन एल) से सम्पर्क किया जा रहा था ताकि सी एम डी संशोधित की जा सके। यह अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 2015)।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एच पी एस ई बी) की शुल्क सूची के अनुसार, थोक आपूर्ति के मामले में किसी एक माह में किन्हीं 30 मिनटों के अन्तराल के दौरान दर्ज की गयी वास्तविक अधिकतम माँग अथवा अनुबंधित माँग के 90 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, के आधार पर विद्युत शुल्क अनुसूची माँग प्रभार प्रभारित किये जायेंगे। हमने पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान वास्तविक अधिकतम माँग का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था किन्तु जी ई योल छावनी ने अनुबंधित माँग के 90 प्रतिशत के स्थान पर एच पी एस ई बी की अनुबंधित माँग पर माँग प्रभारों का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के लिए जी ई द्वारा एच पी एस ई बी को माँग प्रभारों की बावत ₹19.68 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

⁴⁶ महु (एमपी), सहारनपुर (यूपी), पुरकाजी (यूपी), बाबूगढ़ (यूपी), दबधुआ (यूपी), देहरादून (यूके), तावी (संगरूर) उधमपूर, दापोदी (पुणे), पशान (पुणे), कानपुर, पचमढ़ी (एम पी) एवम् द्वारका (दिल्ली)।

(ग) विद्युत शुल्क (ई डी) विद्युत कर/(ई टी) का अनियमित भुगतान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, राज्य का कोई भी कानून भारत सरकार के उपभोग हेतु विद्युत की आपूर्ति अथवा उपभोग पर कोई कर लगाने को अधिकृत नहीं है। इस प्रकार, सरकार द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर ई डी नहीं लगनी थी। तथापि, दो दुर्ग अभियंताओं ने सरकार द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों को ₹70.58 लाख के विद्युत ई डी/ई टी का भुगतान किया था जैसा कि तालिका -23 में नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 23: जी ई वार भुगतान की गयी ई डी/ई टी की राशि

क्रम सं.	जी ई का नाम	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1.	जी ई चंडीगढ़	04/2001 से 03/2014 तक	58.76
2.	जी ई नई दिल्ली	04/2011 से 03/2014 तक	11.82
		योग	70.58

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जून 2014), जी ई चंडीगढ़ ने जून 2014 में बताया कि भुगतान की गयी ई डी की वापसी/समायोजन के लिए मामला विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के समक्ष उठाया जायेगा तथापि जुलाई 2015 तक ऐसा नहीं किया गया था। जी ई नई दिल्ली ने मामला नई दिल्ली महानगर पालिका (एन डी एम सी) के समक्ष नवम्बर 2014 में उठाया किन्तु एन डी एम सी ने विद्युत कर भुगतान की राशि को वापस करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि एन डी एम सी ने यह कर एन डी एम सी के 1994 के अधिनियम के तहत लगाया था और यह राज्य का कानून नहीं है। जी ई द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई डी/ई टी भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 का उल्लंघन करके लगाया गया था। ई डी/ई टी की भुगतान की गयी राशि अगस्त 2015 तक भी वसूल नहीं की गयी थी।

(घ) चुँगी प्रभारों का अनियमित भुगतान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा स्थापनाओं को विद्युत आपूर्ति पर चुँगी प्रभारों से छूट प्राप्त है तथापि हमने पाया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी एस सी एल) ने जालंधर छावनी को विद्युत आपूर्ति के मासिक बिलों पर अनियमिततापूर्वक चुँगी प्रभार प्रभारित किये थे। जी ई (ईस्ट) जालंधर छावनी ने जनवरी 2000 से जुलाई 2012 तक इस बाबत ₹ 2.70 करोड़ की राशि का भुगतान पी एस पी सी एल को किया था यद्यपि जुलाई 2012 के बाद चुँगी प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, जी ई चण्डीगढ़ ने 'के' क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए पी एस पी सी एल को अप्रैल 2011 से जुलाई 2012 तक के लिए ₹3.18 लाख चुँगी प्रभारों का अनियमित भुगतान किया था।

जी ई (ईस्ट) जालंधर ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि वापसी के लिए मामला पी एस पी सी एल के साथ उठाया गया था तथा जी ई चण्डीगढ़ ने जून 2014 में सूचित किया कि राशि के समायोजन के लिए मामला पी एस पी सी एल के साथ उठाया जायेगा। तथापि, तथ्य यही कहता है कि दुर्ग अभियंताओं ने चुँगी की बाबत ₹2.73 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया जो कि अभी तक वापस आना बाकी है।

(इ) एच टी आपूर्ति पर छूट का लाभ न उठाना

प्रेषण/रूपान्तरण हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्ड/आपूर्ति एजेन्सियां अपने शुल्क अनुसूची में प्रावधान के अनुसार 11 के वी/33 के वी/ 66 के वी/132 के वी की थोक विद्युत आपूर्ति पर छूट प्रदान करती हैं।

हमने पाया कि दो दुर्ग अभियंताओं ने मासिक बिलों में अनुमन्य छूट का लाभ नहीं उठाया तथा एस ई बी/आपूर्ति एजेन्सियों को ₹1.24 करोड़ का अधिक भुगतान किया। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे वी वी एन एल) के 2011 की शुल्क अनुसूची के अनुसार 1500 के वी ए से 5000 के वी ए तक की अनुबन्धित मांग की मानक निर्धारित वोल्टेज आपूर्ति 33 के वी से होती है जिस पर 3 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। जी ई (साउथ) जयपुर 5000 के वी ए की अनुबन्धित मांग की आपूर्ति 33 के वी द्वारा प्राप्त कर रहा था तथापि कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी। इस प्रकार, 04/2011 से 03/2014 की अवधि में जे वी वी एन एल को ₹99.63 लाख का अधिक भुगतान किया गया। जी ई ने बताया (अगस्त 2014) कि वापसी/समायोजन हेतु मामला जे वी वी एन एल के साथ उठाया जा चुका था किन्तु यह अभी भी होना था (अगस्त 2015)
- इसी प्रकार, जी ई योल ने भी एच पी एस ई बी से अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक मानक आपूर्ति 11 के वी ए वोल्टेज के प्रति 33 के वी ए पर ऊर्जा प्राप्त की किन्तु तीन प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एच पी एस ई बी को ₹24.40 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

हमने यह भी पाया कि जी ई गुरदासपुर सी एम डी को यथार्थपरक रूप से न घटा पाने के कारण, ₹52.08 लाख की छूट का लाभ नहीं उठा सका। मामले पर नीचे चर्चा की गयी है:

- पंजाब राज्य में, पी एस पी सी एल अपने सभी वर्तमान उपभोक्ताओं (01 अप्रैल 2010 से पूर्व) को जो आपूर्ति की शर्तों में निर्धारित के इतर

उच्चतर वोल्टेज, अर्थात् 4000 के वी ए तक भी निर्धारित माँग के प्रति 11 के वी पर विद्युत आपूर्ति, पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को तीन प्रतिशत की एच टी छूट प्रदान करता है। यह पाया गया कि (अक्टूबर 2014) कि जी ई गुरदासपुर 7095 के डब्ल्यू की अनुबंधित माँग के प्रति 66 के वी पर आपूर्ति प्राप्त कर रहा था किन्तु अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक वास्तविक अधिकतम माँग 1597 के डब्ल्यू से 2929 के डब्ल्यू के बीच अर्थात् 3661 के वी ए (2929/0.8) रही थी जिसके लिए अनुमन्य आपूर्ति वोल्टेज 11 के वी थी। यदि जी ई द्वारा अनुबंधित माँग को यथार्थतापूर्वक घटाकर 4000 के वीए कर दिया गया होता तो उच्चतर वोल्टेज पर आपूर्ति करके जनवरी 2010 से मार्च 2013 की अवधि में तीन प्रतिशत की छूट ₹52.08 लाख प्राप्त की जा सकती थी।

(घ) सुरक्षा जमा पर ब्याज का समायोजन न होना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति कोड-2005 (अगस्त/सितम्बर 2006 में किया गया तीसरा संशोधन) के प्रावधानों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारक उपभोक्ता को लागू बिलिंग चक्र के अनुसार अप्रैल, मई अथवा जून में सुरक्षा जमा पर बिल में जमा के माध्यम से वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। हमने पाया कि दो दुर्ग अभियंताओं अर्थात् जी ई बबीना तथा जी ई झाँसी ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति एजेन्सी द्वारा बिलों में सुरक्षा जमा पर ब्याज का समायोजन न करने के कारण यू पी पी सी एल को ₹56.90 लाख का परिहार्य भुगतान किया। लेखापरीक्षा में इस बारे में इंगित किये जाने पर जी ई बबीना (सितम्बर 2014) तथा जी ई झाँसी (अक्टूबर 2014) ने बताया कि आगे के बिलों में ब्याज की वसूली की जायेगी जो कि अभी तक प्रतीक्षित (अगस्त 2015) थी।

4.1.3.2 अनुबंधों में अधिकतम अनुबंधित माँग के बढ़ा हुआ होने के कारण माँग/निर्धारित प्रभारों का परिहार्य भुगतान

थलसेना मुख्यालय की ई-इन-सी शाखा ने जुलाई 2005 में निर्देश जारी किये थे कि अनुबन्ध में परिलक्षित अनुबंधित अधिकतम माँग (सीएमडी)⁴⁷ यथापरक आंकलन पर आधारित होनी चाहिये तथा यह स्टेशन पर वास्तविक अधिकतम माँग के अनुरूप होनी चाहिये। बढ़ी हुई सी एम डी के कारण न्यूनतम बिल योग्य माँग पर निश्चित प्रभारों के रूप में निष्फल भुगतान होता है जो कि सामान्यतः सी एम डी के 75 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार सी एम डी के कम आंकलन के परिणामस्वरूप अधिक

⁴⁷ अनुबंधित अधिकतम माँग (सीएमडी)/अनुबंधित भार:- यह वह अधिकतम माँग है जिसके लिए उपभोक्ता तथा विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के बीच किसी आपूर्ति बिन्दु पर विशिष्ट दरों पर आपूर्ति हेतु अनुबंध किया जाता है।

माँग प्राप्त करने पर दंडिक प्रभारों का भुगतान करना पड़ सकता है। विचलन के दोनों ही मामलों में जी ई को समय रहते संशोधित अनुबंध करना चाहिये।

30 स्टेशनों में से हमने पाया कि 13 स्टेशनों पर जहाँ अनुबंधित माँग वर्तमान आवश्यकता से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप 13 जी ई द्वारा आपूर्ति एजेन्सियों को न्यूनतम माँग/ निश्चित प्रभारों के रूप में ₹3.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा, जिसका विवरण **अनुलग्नक-XII** में दिया गया है।

निश्चित प्रभारों के निष्फल भुगतान सम्बंधित तीन महत्वपूर्ण मामलों का विस्तृत रूप में नीचे चर्चा की गई है:-

- दबथुआ सैन्य स्टेशन (मेरठ) पर वर्तमान सी एम डी 378 के वी ए थी। सितम्बर 2009 में, स्टेशन पर रक्षा संचार नोड (डी सी एन) की अधिसंरचना सृजित करने की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके लिए 378 के वी ए के विद्युत भार को 1600 के वी ए तक उन्नयन किया जाना था। सेना द्वारा डी सी एन की अधिसंरचना के प्रावधान की परियोजना मार्च 2010 में संस्वीकृत की गयी तथा कार्यान्वयन दिसम्बर 2011 में आरम्भ हुआ, जो कि जनवरी 2014 तक पूर्ण होना था। डी सी एम की अधिसंरचना के कार्यान्वयन से पूर्व ही जी ई ने जनवरी 2011 में विद्युत आपूर्ति एजेन्सी से दबथुआ में भार को 1600 के वी ए तक उन्नयन करने का अनुरोध किया तथा भार बढ़ाने के लिए जनवरी 2012 में ₹44.46 लाख जमा करा दिये। विद्युत आपूर्ति एजेन्सी ने अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 तक के मासिक बिलों पर 283.5 के वी ए (378 के वी ए का 75 प्रतिशत) के स्थान पर 1200 के वी ए भार (1600 के वी ए के 75 प्रतिशत) पर माँग प्रभार लगाये, जिनका जी ई ने भार वृद्धि का अनुबंध किये बिना ही भुगतान कर दिया। यद्यपि डी सी एन परियोजना हेतु अधिसंरचना कार्य पूर्ण न होने के कारण स्टेशन पर वास्तविक बिल योग्य माँग अनुबंधित 378 के वी ए भार से भी कम थी। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति एजेन्सी को अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 के दौरान ₹40.44 लाख के माँग प्रभारों का अनावश्यक भुगतान किया गया था।
- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे वी वी एन एल) द्वारा विद्युत बिलों में अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि में अशुद्ध अनुबंधित माँग दर्शाये जाने के कारण जी ई सूरतगढ़ ने निश्चित प्रभारों की बावत ₹93.25 लाख का परिहार्य भुगतान किया था। हमने पाया कि यद्यपि सी एम डी 2600 के वी ए थी, किन्तु जे वी वी एन एल 4600 के वी ए के लिए निश्चित प्रभारों की वसूली कर रहा था। चीफ इंजीनियर भटिंडा जॉन ने ₹93.25 लाख के गलत भुगतान को स्वीकार किया (नवम्बर 2014), जिसमें से ₹29.46 लाख मई 2014 के बिल में समायोजित किये गये थे। आगे यह भी बताया गया कि बाकी राशि के समायोजन हेतु विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के साथ मामला उठाया

जायेगा। अधिक भुगतान किये गये ₹63.79 लाख की शेष-राशि का समायोजन अभी तक प्रतीक्षित था।

- इसी प्रकार जी ई (ईस्ट) जबलपुर केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर (सी ओ डी) के आधुनिकीकरण की प्रत्याशा में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के साथ 1700 के वी ए सी एम डी विद्युत की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया (जुलाई 2011)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी ओ डी का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण जुलाई 2013 के अलावा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान वास्तविक अभिलेखित माँग सी एम डी के 50 प्रतिशत से कम रही थी। इस प्रकार, अवास्तविक सी एम डी के कारण जी ई द्वारा 2013-14 के दौरान ₹37.53 लाख के निश्चित प्रभारों का परिहार्य भुगतान किया गया था। जी ई ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि माँग को घटाकर 750 के वी ए करने का मामला उठाया गया है।

4.1.3.3 दंड/अधिभार का परिहार्य भुगतान

उपभोक्ता को अधिभार/दंड के भुगतान से बचने के लिए, संबन्धित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पी एफ (0.85 से 0.90) बनाये रखने की आवश्यकता होती है। ई-इन-सी शाखा, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली ने उच्चतर पीएफ पर सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठाने तथा कम पीएफ पर दंडिक प्रभारों से बचने के लिए सभी थोक उपभोक्ताओं के लिए पी एफ को 0.95 या इससे अधिक बनाये रखने के लक्ष्य जून 2004 में निर्धारित किये थे।

हमने प्रेक्षित आठ जी ई में से एक चयनित जी ई सहित पंजाब राज्य स्थित सात जी ई में पाया कि थोक विद्युत आपूर्ति के अधिग्रहण बिन्दु पर पी एस पी एस सी एल द्वारा निर्धारित 0.90 पी एफ बनाये नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप उन्हें अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹92.69 लाख की अधिभार राशि का भुगतान करना पड़ा था।

4.1.3.4 अनुबंधित भार की वृद्धि में देरी के कारण अधिभार का परिहार्य भुगतान

जी ई (I) आर एंड डी, आर सी आई हैदराबाद ने मार्च 2011 में विद्यमान 10 मैगावोल्ट एमपीयर (एम वी ए) की सी एम डी को बढ़ाकर 14 एम वी ए कराने के लिए आंध्रप्रदेश केन्द्रीय ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड (ए पी टी आर ए एन एस सी ओ) को ₹92.72 लाख राशि का भुगतान किया। तथापि, जी ई ने पिछले वर्ष की ऊर्जा उपभोग के दृष्टिगत 10 एम वी ए सी एम डी को 12 एम वी ए सी एम डी में संशोधित करने हेतु आवेदन किया (फरवरी 2013), जो कि जून 2013 में लागू हुआ। तथापि, अनुबंधित भार को बढ़वाने में दो वर्ष के विलम्ब के कारण इस बीच की अवधि के दौरान जी ई द्वारा ₹90.46 लाख के दंडिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान

किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2014), जी ई (I) आर एंड डी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि शीघ्र ही विद्युत उर्जा माँग बढ़ने की प्रत्याशा में अतिरिक्त चार एम वी ए अवमुक्त करने के लिए ए पी टी आर ए एन एस सी ओ के पास ₹92.72 लाख की राशि जमा करा दी किन्तु प्रत्याशा के अनुरूप आर सी आई की आवश्यकता में वृद्धि नहीं हुई थी।

4.1.3.5 साख पत्र (एल सी) खोलने में देरी के कारण छूट की हानि।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी ई आर सी) के मार्च 2007 के आदेशानुसार भुगतान सुरक्षा तन्त्र की स्थापना हेतु विद्युत उत्पादक कम्पनी मैसर्स प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पी पी सी एल) और विद्युत प्रेषण कम्पनी दिल्ली टांसको लिमिटेड (डी टी एल) वितरण धारकों द्वारा अपने अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार साख पत्र खोलने पर मासिक बिलों पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी।

दिल्ली में एम ई एस को माना हुआ अनुज्ञप्ति धारक का ओहदा प्राप्त है। वायु सेना और डी आर डी ओ कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों सहित पूरे दिल्ली छावनी में बाहरी विद्युत आपूर्ति के वितरण एवं देखभाल हेतु जी ई (यूटिलिटी) को केन्द्रक अभिकरण बनाया है। उत्पादक/प्रेषण कम्पनियों के साथ अनुबन्ध/साख पत्र के कार्यान्वयन में देरी के कारण, जी ई (यूटिलिटी) विद्युत आपूर्ति दिल्ली छावनी अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के मासिक बिलों में दो प्रतिशत छूट (₹61.74 लाख) नहीं प्राप्त कर सका जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- दिसम्बर 2011 से एम ई एस पी पी सी एल, बवाना दिल्ली से 25 एम डब्ल्यू विद्युत प्राप्त कर रहा था। तथापि, विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी पी ए) पर केवल 10 सितम्बर 2012 को हस्ताक्षर हुआ जबकि मंत्रालय ने इसे दिसम्बर 2011 में अनुमोदन दे दिया था। दो प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु साख पत्र अगस्त 2013 में खोला गया जो कि दिसम्बर 2013 तक वैध था। पी पी ए के साइन होने तथा साख पत्र के खोलने में देरी के कारण ₹22.53 लाख की छूट एम ई एस प्राप्त नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक हानि हुई।
- दिल्ली में विद्युत प्रेषण की जिम्मेदारी डी टी एल की थी और एम ई एस सहित सभी वितरकों को उनके साथ विद्युत प्रेषण अनुबन्ध (बी पी टी ए) पर हस्ताक्षर किये जाने थे। डी टी एल ने अपने मासिक बिलों पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव भी किया, यदि भुगतान साख पत्र के द्वारा किया जाये। जी ई (यूटिलिटी) इलेक्ट्रिक सप्लाइ दिल्ली छावनी द्वारा बी पी टी ए के हस्ताक्षर बिना अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु ₹19.60 करोड़ का प्रेषण प्रभारों का भुगतान डी टी एल को कर दिया था जिस पर दो प्रतिशत ₹39.21 लाख की छूट, एल सी नहीं खोलने कारण प्राप्त नहीं की जिसके कारण सरकार को हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2014 में

बताये जाने पर जी ई (यूटीलिटी) दिल्ली छावनी ने नवम्बर 2014 में सूचित किया कि एम ई एस और डी टी एल के बीच बी पी टी ए हस्ताक्षर का मामला मंत्रालय के पास प्रगति पर था इसलिए बी पी टी ए पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने पर ही साख पत्र खुलना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार बी पी टी ए हस्ताक्षर न होने तथा साख पत्र न खोलने के परिणामस्वरूप सरकार ₹39.21 लाख की हानि हुई। बी पी टी ए पर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी था (अगस्त 2015)।

4.1.4 विद्युत प्रभारों की गैर/कम वसूली

मंत्रालय ने अक्टूबर 2005 में 01 नवम्बर 2005 से अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जे सी ओस) तथा अन्य रैंक हेतु विद्युत की 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त देना तय किया। ई एन सी ब्रांच थल सेना मुख्यालय ने नवम्बर 2005 और अक्टूबर 2006 में निर्देशित किया कि मुफ्त सीमा से अधिक निर्धारित प्रभार, मीटर किराया और विद्युत कर जैसा कि सिविल प्राधिकारियों द्वारा सामान्य जनता जो कि आस-पास की कालोनी में रहती है, से वसूला जाता है, सभी घरेलू उपभोक्ताओं से भी उसी दर पर वसूली योग्य था। भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया में एम ई एस के मीटर रीडर द्वारा मीटर माप को दर्ज किया जाना एम ई एस राजस्व कर्मचारियों द्वारा ले.अ. (जी ई.) को वसूली का प्रतिवेदन⁴⁸ प्रस्तुत करना एवम ले.अ. जी ई द्वारा बिल तैयार कर सम्बन्धित भुगतान एवं लेखा अधिकारियों (पी ए ओ) को व्यक्तिगत रनिंग लेजर एकाउन्ट (आई आर एल ए) से वसूली हेतु भेजा जाना और पी ए ओ द्वारा बिलों की प्राप्ति होने की निगरानी करना सम्मिलित है।

हमने निर्धारित प्रभारों, उर्जा प्रभारों, मीटर किराया, विद्युत कर, नियामक अधिभार और अन्य करों की कम/गैर वसूली होने के कारण सरकार को ₹23.66 करोड़ की राजस्व हानि पायी, जिसकी नीचे चर्चा की है:-

4.1.4.1 निर्धारित प्रभारों (एफ सी) की कम/गैर वसूली

राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत आपूर्ति एजेन्सियां अनुमन्य शुल्क अनुसूची में अधिसूचित दरों पर बिलों में विद्युत भार (थोक आपूर्ति) के आधार पर निर्धारित प्रभार लगाती हैं। सभी भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रभार उसी दर पर, जैसे कि सामान्य लोग जो कि आस-पास की कालोनी में रहते हैं, से सिविल प्राधिकारी वसूली करते हैं, वसूल किये जाते हैं। दस सैन्य स्टेशनों पर 12 जी ई द्वारा ₹2.45 करोड़

⁴⁸ रिटर्न आफ रिकवरी (इलेक्ट्रिक) - इस प्रलेख में विभिन्न व्यक्तियों से लिए जाने वाले बिजली प्रभार जो कि लेखा कार्यालयों एम ई एस द्वारा बिल बनाये जाते हैं, को दिखाया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली संकलित राशि को भी इसमें दिखाया गया है।

के निर्धारित प्रभारों की कम/गैर वसूली की गयी जिसका विवरण **अनुलग्नक - XIII** में दर्शाया गया है।

जी ई (पूर्व) बरेली और जी ई(I) आर एण्ड डी कानपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में सही दर पर निर्धारित प्रभारों की वसूली की जायेगी। अन्य दस जी ई ने कोई उतर नहीं दिया (अगस्त 2015)।

- जी ई नोर्थ और जी ई (साउथ) मेरठ कैंप ने भी भुगतान करने वाले अपने उपभोक्ताओं से जून 2011 तक निर्धारित प्रभारों की वसूली नहीं की थी। यह केवल लेखापरीक्षा के कहने पर हुआ कि जी ई ने जुलाई 2011 से वसूली करनी शुरू की। हमने दिसम्बर 2004 से जून 2011 तक क्रमशः ₹5.27 करोड़ और ₹3.93 करोड़ की वसूली नहीं किये जाने की गणना की।

4.1.4.2 भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिल जारी करने में देरी

जल्द से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जी ई की है। भुगतान करने वाले प्रत्येक उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाले विद्युत प्रभारों को दर्शाते हुए वसूली प्रतिवेदन बी एस ओ द्वारा ले.अ (जी ई) को मासिक बिल जारी करने हेतु भेजा जाता है।

हमारे संज्ञान में आया है कि उर्जा प्रभारों की वसूली हेतु बिल बी एस ओ द्वारा समय से प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशि के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी थी। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गयी है:-

- उतरी कमान में स्थित तीन जी ई⁴⁹ और पश्चिमी कमान में एक जी ई⁵⁰ ने रिहायशी मकानों के विद्युत के बिल जारी नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 तक के ₹2.84 करोड़ लेने बकाया थे। जी ई (उतरी) उधमपुर और जी ई मामून (सितम्बर 2014) ने बताया कि बिल जारी करने के लिए प्रयास जारी थे। जी ई नागरोटा और जी ई (दक्षिण) उधमपुर (अगस्त 2015) ने कोई उतर नहीं दिया।
- अहमदाबाद स्टेशन पर, बी एस ओ, जी ई सैन्य अहमदाबाद ने जे सी ओ/ओ आर के 2011-12 से 2013-14 तक के वसूली प्रतिवेदन जारी नहीं किये थे। यह केवल तीन वित्तीय वर्षों के अन्तराल के बाद था कि अगस्त 2014 में ₹44.91 लाख के बिल जारी किये। जी ई ने उतर दिया (सितम्बर 2014) कि मीटर रीडर की उपलब्धता न होने के कारण देरी हुई थी। ऐसे ही जी ई(I) आर एण्ड डी आर सी आई, हैदराबाद जे सी ओ /ओ आर को आंबटित 135

⁴⁹ जी ई नागरोटा, जी ई (उतर) उधमपुर और जी ई (दक्षिण) उधमपुर

⁵⁰ जी ई (उतर) मामून।

आवासीय मकानों का वसूली प्रतिवेदन जारी नहीं कर रहा था। वसूली प्रतीक्षित थी (अगस्त 2015)।

4.1.4.3 मीटर किराये की गैर- वसूली

थल सेना मुख्यालय, ई एन सी शाखा नई दिल्ली के नवम्बर 2005 के पत्र के अनुसार, सभी भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर किराये की वसूली उसी प्रकार से की जानी है जैसा कि सिविल प्राधिकारी आस-पास की कालोनी में रह रही जनता से वसूलते हैं। हमने पाया कि चार जी ई द्वारा ₹92.62 लाख के मीटर किराये की घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली नहीं की गयी थी यद्यपि सिविल प्राधिकारियों द्वारा सामान्य जनता से उसकी अनुमन्य दरों पर वसूली की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, एक जी ई ने संशोधित दर नहीं अपनाने के कारण ₹15.87 लाख कम वसूले। इस तरह के मामले **अनुलग्नक XIV** में दिये हैं।

लेखापरीक्षा में द्वारा इंगित करने पर, जी ई (पूर्व) जबलपुर को छोड़कर सभी जी ई ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2014 से अक्टूबर 2014) कि बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे, जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

4.1.4.4 विद्युत कर (ई डी) की कम वसूली

यू पी पी सी एल ने सितम्बर 2012 से ई डी को ₹0.09 प्रति यूनिट से विद्युत प्रभारों (उर्जा+निर्धारित प्रभार) को 5 प्रतिशत संशोधित किया। जी ई बबीना ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक घरेलू उपभोक्ताओं से संशोधित दरों पर ई डी की वसूली नहीं की, जिसके फलस्वरूप ₹16.36 लाख की कम वसूली हुई। जी ई बबीना वसूली के लिए पूरक बिल जारी करने के लिए सहमत हुए। इसी प्रकार, जी ई झाँसी ने ई डी को संशोधित दरों पर वसूली नहीं की जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक ₹10.79 लाख की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा ने जब इस पर पूछा तो जी ई झाँसी ने कहा (अक्टूबर 2014) कि उन्हें संशोधित दरों का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी संशोधित दरों पर वसूली की जाएगी जो कि अभी अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।

4.1.4.5 उर्जा प्रभारों की गैर/कम वसूली

समय-समय पर निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार सही दरों पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली को बी एस ओ तथा ले.अ. (जी ई) उतरदायी है। हमने घरेलू उपभोक्ताओं, मैस, सस्थानों, निजी पक्षों आदि से ₹3.56 करोड़ के उर्जा प्रभारों की कम/गैर वसूली पाई, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

घरेलू उपभोक्ता

- यू पी पी सी एल ने 10 जून 2013 से सभी उपभोक्ताओं के लिए उर्जा प्रभारों तथा निर्धारित प्रभारों की दरें संशोधित कीं। जी ई (पूर्व) लखनऊ ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अप्रैल 2014 से उर्जा एवं निर्धारित प्रभारों की संशोधित दरें लागू कीं। इस प्रकार, प्रभावी तारीख से संशोधित दरे न लागू करने के परिणामस्वरूप जुलाई 2013 से मार्च 2014 तक ₹16.17 लाख की घरेलू उपभोक्ताओं से कम वसूली हुई।
- रक्षा मंत्रालय के दिसम्बर 1998 के पत्र के अनुसार एम ई एस संबंधित स्टेशन पर अनुमन्य विद्युत की दरें एस ई बी/आपूर्ति एजेन्सियों से प्राप्त करेंगे तथा समय-समय पर अनुगामी बदलावों को भी सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल ऊर्जा नियामक आयोग (डब्ल्यू बी ई आर सी) ने दिसम्बर 2012 में शुल्क संशोधित की, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लागू थी तथा शुल्क में ₹1.10 प्रति यूनिट की न्यूनतम वृद्धि थी। तथापि, जी ई (एन) बिनागुरी ने 1 अप्रैल 2012 से संशोधित दरें लागू नहीं की, जिसके फलस्वरूप 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि में ₹ 65.19 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। बताये जाने पर जी ई ने लेखापरीक्षा को सही ठहराते हुए कहा कि शुल्कों की प्राप्ति न होने के कारण संशोधित दरें प्रभावी नहीं थी। जी ई का जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि यह एम ई एस की जिम्मेदारी है कि वह विद्युत प्रभारों में परिवर्तन को एस ई बी से प्राप्त करे।
- सेना इंजीनियर सेवा नियमावली (आर एम ई एस) के अनुसार वसूली प्रतिवेदन बनाने का उत्तरदायित्व बी एस ओ का है। अलीपुर स्टेशन पर, जे सी ओ/ ओ आर के आवासीय भवनों में विद्युत मीटर सही नहीं होने के कारण विद्युत प्रभारों की वसूली सितंबर 2003 के बोर्ड आफ ऑफिसर द्वारा निश्चित विद्युत की युनिटों के आधार पर होनी थी। मीटर रीडर की कमी तथा बी एस ओ की तैनाती न होने के कारण जी ई अलीपुर क्षेत्र के बिल जारी नहीं हो सके परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹25.22 लाख के राजस्व वसूल नहीं हुए, जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थे।

मैस/संस्थान

- बबीना सैन्य स्टेशन पर बिजली चार्ज बिना विद्युत मीटर के स्थापित (120) ए सी एवं कूलरो के प्रति अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ₹1.29 करोड़ की राशि के विद्युत प्रभार अधिकारियों के मैसों से वसूल नहीं हुए थे। जी ई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सितम्बर 2014 में कहा कि मामला स्टेशन हैडक्वार्टर से वसूली के लिए उठाया गया है जो कि अभी प्रतीक्षित था।

- जी ई सतवारी ने दो ऑफिसर मैसों/संस्थानों में लगे ए सी के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा नियत यूनिट के आधार पर विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक के लिए ₹9.85 लाख की गैर वसूली में हुई जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

निजी पक्ष

मंत्रालय के दिसम्बर 1998 में आदेश किया कि निजी उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली पिछले वर्ष के “ऑल इन कास्ट”⁵¹ की दरों पर की जानी थी। तथापि जी ई के साथ-साथ प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में ले.अ. जी ई ने “ऑल इन कास्ट” दरों पर विद्युत प्रभारों की वसूली हेतु मंत्रालय के आदेश की अनुपालना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ के विद्युत प्रभारों की निजी पक्षों से वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे बताया गया है:-

- जी ई (बेस हॉस्पिटल) दिल्ली छावनी ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली छावनी और मेडिकल हॉस्टल (निजी उपभोक्ता) से नवम्बर 2012 से जुलाई 2014 तक ₹5.08 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रभारों की वसूली की। तथापि पिछले वर्ष की ऑल-इन-काल दरें, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए अनुमन्य दरें क्रमशः ₹5.15 और ₹6.70 प्रति यूनिट थीं। परिणामस्वरूप ₹26 लाख की वसूली कम हुई थी इसमें से जी ई (बेस हॉस्पिटल) ने फरवरी 2015 में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से ₹17.54 लाख की वसूली कर ली थी और ₹8.46 लाख की शेष राशि (अगस्त 2015) वसूलनी बाकी थी।
- आर्मी पब्लिक स्कूल, नहेरू रोड लखनऊ के साथ-साथ हॉस्टल निर्माण सन् 2000 में हुआ था, लेकिन विद्युत के उपयोग को दर्ज करने के लिए एम ई एस द्वारा स्कूल में कोई भी विद्युत मीटर नहीं लगाया हुआ था। हमने यह देखा कि जी ई (पूर्व) लखनऊ ने कोई भी बिल स्कूल को नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने स्कूल द्वारा उपभोग की गई विद्युत की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ₹9.80 लाख की “ऑल इन कास्ट” की गणना की जो कि अगस्त 2015 तक वसूल नहीं की जा रही थी।
- इसी प्रकार, जबलपुर में आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अप्रैल 2001 से आर्मी पब्लिक स्कूल सं. 02 चलाया जा रहा था। लेकिन अप्रैल 2001 से सितम्बर 2013 तक स्कूल से विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं हुई थी। बी एस ओ (पश्चिम) जबलपुर ने अक्टूबर 2014 में उत्तर दिया कि ₹5.66 लाख बकाया की वसूली के लिए वसूली प्रतिवेदन दे दिया था। ₹5.66 लाख की वसूली अभी प्रतीक्षित थी (अगस्त 2015)।

⁵¹ “ऑल इन कास्ट” - विद्युत की “ऑल इन कास्ट” सभी कुल संचालन की लागत को वास्तविक पूर्ति की कुल मात्रा से भाग लेकर निकाला जाता है।

- जी ई सतवारी और जी ई (कंगरा हिल्स) योल ने निजी पक्षों जैसे छावनी बोर्ड, सैन्य फार्म, दुकानें आदि हेतु बिल जारी करते समय “ऑल इन कास्ट” की अनुमन्य दरें लागू नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹14.96 लाख की कम वसूली हुई थी। ₹14.96 लाख की वसूली अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।
- जी ई (पश्चिम) और जी ई (पूर्व) जबलपुर ने निजी उपभोक्ताओं जैसे आर्मी वाईफ वेलफेयर एसोसिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए), बैंक, केबिल नेटवर्क, कैंटिन स्टोर डिपार्टमेंट कैंटिन आदि को 2011-12 से 2013-14 तक बिजली बिल नहीं दिये थे जिस कारण से सरकार को काफी हानि हुई। वसूली प्रतिवेदन न होने के कारण, हानि की गणना नहीं की जा सकी। जी ई ने कोई उतर नहीं दिया।
- दक्षिण कमान के छः जी ई⁵² ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान निजी पक्षों जैसे दुकानें, ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ए टी एम वेट कैंटिन से “ऑल इन कास्ट” की दरों पर विद्युत प्रभार वसूल नहीं किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹67.49 लाख के विद्युत प्रभारों की कम वसूली हुई। चार जी ई, अर्थात् (जी ई आर्मी), अहमदाबाद, जी ई (सी एम ई), किरकी, पुणे, जी ई (आई) आर एण्ड डी (ईस्ट), बेंगलूरु और जी ई (आर्मी) त्रिवेन्द्रम ने उतर दिया कि “ऑल इन कास्ट” दरों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के कारण सही दर पर वसूली नहीं हो सकी और उपभोक्ताओं से वसूली करने के लिए सहमति दी। बाकी के दो जी ई ने अगस्त 2015 तक कोई उतर नहीं दिया।
- जी ई अहमदाबाद ने एक निजी पक्ष गौरव सेनानी भवन से जून 2011 से अप्रैल 2014 तक उपभोग की गई विद्युत यूनिट (1,21,241) पर “ऑल इन कास्ट” दरों के स्थान पर घरेलू दरें प्रभावित की जिसका परिणाम ₹4.18 लाख की कम वसूली में हुआ। जी ई ने कम वसूली को स्वीकारते हुए सितम्बर 2014 में वसूली के लिए ₹4.18 लाख की वसूली हेतु बिल जारी किये जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थे।

4.1.4.6 खराब मीटर्स

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 55 में प्रावधान है कि किसी भी भवन/उपभोक्ता को बिना मीटर के आपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए भले ही विद्युत मुफ्त में दी जा रही हो। विद्युत के अधिक उपयोग की वसूली हेतु ई इन सी शाखा द्वारा जून 2008 में जारी स्थायी प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार अकार्यरत मीटर्स को दो महीने के भीतर बदलना चाहिए।

⁵² जी ई (एन) सांताक्रूज, जी ई ई/एम, सिकन्दराबाद, जी ई (आर्मी) अहमदाबाद, जी ई (सीएमई) किरकी पूणे, जी ई (I) आर एण्ड डी ईस्ट, बेंगलोर तथा जी ई आर्मी त्रिवेन्द्रम।

हमने यह देखा कि लखनऊ, जबलपुर, बबीना बिनागुरी, अलीपुर (कोलकाता) और दिल्ली छावनी स्टेशनों पर पिछले तीन सालों से खराब मीटर्स को कार्यरत नहीं किया गया था। दिल्ली छावनी में 13060 मकानों में से 5943 मकानों (46 प्रतिशत) के मीटर खराब थे। ज्यादातर खराब मीटर 75 प्रतिशत जी ई (पूर्व) के पास थे। इसी तरह बबीना में 66 प्रतिशत तथा जबलपुर में 20 प्रतिशत विद्युत मीटर दो वर्षों से खराब थे। 3 वर्ष से अधिक के पहले स्टेशन बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा तय औसतन यूनिट के आधार पर कुछ जी ई द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली की गयी। कार्यरत मीटर लगे न होने के कारण विद्युत यूनिट की वास्तविक अधिक खपत गणना नहीं की जा सकी जिससे राजस्व की हानि को नहीं गिना जा सका। यद्यपि, इन स्टेशनों पर बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति विद्युत अधिनियम तथा ई-इन-सी स्थायी प्रचालन प्रक्रिया का इस विषय पर उल्लंघन था। लेखापरीक्षा के बताये जाने पर, जी ई (पश्चिम) जबलपुर ने अक्टूबर 2014 में कहा कि खराब मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदला जा रहा था। जी ई (ई/एम) बेस अस्पताल दिल्ली छावनी ने नवम्बर 2014 में कहा कि खराब/अप्रयोज्य मीटर्स को किफायती मरम्मत से परे घोषित किये जाने का कार्य चल रहा था। अन्य जी ई ने कोई उतर अगस्त 2015 तक नहीं दिया।

4.1.4.7 अन्य प्रभारों की गैर वसूली

(क) विनियमन अधिभार

यू पी पी सी एल ने ऊर्जा प्रभारों पर विनियमन अधिभार लागू किया, जो कि सभी उपभोक्ताओं पर जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावी था। लेकिन जी ई (पूर्व) लखनऊ और जी ई बबीना ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से इसे नहीं वसूला जिसके परिणामस्वरूप जून 2013 से मार्च 2014 तक ₹9.02 लाख की कम वसूली हुई। जी ई ने कम वसूली को माना (अगस्त 2014) और उसकी शीघ्र वसूली की सहमति दी जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।

(ख) ईंधन अधिभार

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 10 अप्रैल 2012 से ऊर्जा प्रभारों के एक हिस्से के रूप में ईंधन कीमत समायोजन (एफ सी ए) लागू किया लेकिन बी एस ओ (पश्चिम) जबलपुर ने सेवारत व्यक्तियों और रक्षा सिविलियन से इसकी वसूली नहीं की। बी एस ओ ने अक्टूबर 2014 में कहा कि मई 2012 से मार्च 2014 तक ₹11.80 लाख की राशि के एफ सी ए की कम वसूली हुई, जिसे वसूला जायेगा।

- दक्षिण कमान के 5 जी ई⁵³ ने एफ ए सी को 2011-12 से 2013-14 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से नहीं वसूला, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.60 करोड़ के राजस्व की वसूली कम हुई। लेखापरीक्षा के बताये जाने पर दो जी ई⁵⁴ ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से एफ ए सी प्रभारित करने की सहमति दी। अन्य जी ई ने कोई उतर नहीं दिया (अगस्त 2015)।

निष्कर्ष

इस प्रकार, एम ई एस में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र तथा विद्युत प्रभारों की वसूली व भुगतान निगरानी में कमी के कारण ₹24.54 करोड़ का विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों को अधिक भुगतान किया और ₹23.66 करोड़ उपभोक्ताओं से कम वसूले। इसके अतिरिक्त, समय पर विद्युत बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिये जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी हानि हुई।

यह मामला मई 2015 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

4.2 परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून में अभियंताओं द्वारा काम के निष्पादन के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप ₹22.75 करोड़ की लागत का मुख्य भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा। पाँच वर्ष के विलम्ब ने न केवल आई एम ए में प्रशिक्षणरत जैन्टलमैन कैडेटों (जी सी) को आधुनिक सुविधा से युक्त उचित प्रशिक्षण से वंचित रखा बल्कि ₹2.50 करोड़ के मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजना को भी बाधित किया।

रक्षा कार्य प्रक्रिया- 2007 परियोजना के कार्यों के निष्पादन के सामयिक एवं मूल्य प्रभावी संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण पर बल देती है।

मुख्य अभियंता (सी ई) बरेली क्षेत्र (जुलाई 2014) एवं भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए) देहरादून (सितम्बर 2014) की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि परियोजना के अपर्याप्त निरीक्षण के कारण कार्य के निष्पादन में पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण आवश्यकताओं वाली उपभोक्ता परियोजनाओं की स्थापना नहीं हो सकी। मामला नीचे चर्चित है:-

⁵³ जी ई (ई एम)/ बी एस ओ (एस) सिकन्दराबाद, जी ई (आर्मी) अहमदाबाद, जी ई (I) आर एण्ड डी आर सी आई हैदराबाद, जी ई (सी एम ई) दापोदी पुणे और जी ई (एन) संताक्रुज।

⁵⁴ जी ई (सी एम ई), दापोदी, पुणे तथा जी ई (आर्मी) अहमदाबाद।

आई एम ए देहरादून एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है एवं जेंटलमेन कैडेटों (जी सी) को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। आई एम ए के जी सी के लिए निर्बाध सेवाओं के संचालन एवं शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2006 में अनुमानित राशि ₹21.40 करोड़ की लागत पर आई एम ए में प्रशिक्षण दल तथा शैक्षणिक ब्लॉक (टी ए बी) के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जिसको बाजार के उतार-चढ़ाव एवं भण्डारण के मूल्यों की भिन्नता (एम वी एम डी सी एस) के बढ़ने के कारण ₹23.97 करोड़ पर दिसम्बर 2007 में संशोधित किया गया। परियोजना में जी सी के लिए कक्षाओं, व्याख्यान हॉल, रेत के नमूनों के कमरे, जी सी हेतु कम्प्यूटर लैब एवं प्रशिक्षण दल के लिए कार्यालय आवास और शैक्षिक विभाग के साथ समवर्ती सेवाएं समाविष्ट की गई थीं।

सी ई बरेली क्षेत्र ने मेसर्स विलायती राम मित्तल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ ₹22.75 करोड़ की संविदा दिसम्बर 2007 में मुख्य निर्माण कार्य, यथा टी ए बी के निर्माण के लिए की। कार्य आरंभ एवं अंत करने की तिथि क्रमानुसार 5 जनवरी 2008 एवं 4 जनवरी 2010 थी। ठेकेदार कार्य को नियत तिथि तक पूर्ण नहीं कर पाया एवं जुलाई 2010 में केवल 43 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण हो पाया। मन्द गति से कार्य प्रगति के बावजूद सी ई द्वारा तीन बार से अधिक समयावधि बढ़ाई गई। ठेकेदार कार्य की प्रगति को बढ़ा नहीं पाया एवं आखिरकार अगस्त 2011 में 50.51 प्रतिशत विकसित कार्य पर चूककर्ता ठेकेदार के खतरे एवं मूल्य पर ठेके का निरसन कर दिया गया। अपितु, ठेकेदार ने सितम्बर 2011 में सेना मुख्यालय में मुख्य अभियंता (ई इन सी) के पास जाकर उन्हें 31 अगस्त 2012 तक कार्य को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता जताई। इस वचन के अनुसार, ई इन सी ने सी ई को ठेका निरसन आदेश रद्द करने का निर्देश दिया कि ठेकेदार कम से कम पाँच प्रतिशत की मासिक कार्य प्रगति पर दर प्राप्त करेगा। रद्द ठेके का प्रतिसंहरण सी ई द्वारा अक्टूबर 2011 में किया गया एवं ठेकेदार को कार्य जारी रखते हुए अगस्त 2012 तक पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी गई। ठेकेदार कार्य पर उद्यमी तरीके से प्रगति नहीं कर पाया एवं मासिक 5 प्रतिशत का लक्ष्य अनुसरित नहीं हो सका। प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता एवं लगातार होते विलंब के बावजूद सी ई ने दिसंबर 2013 तक बार-बार समय का विस्तार प्रदान किया। ठेके को आखिरकार मार्च 2014 में, चूककर्ता ठेकेदार के खतरे एवं मूल्य पर 77 प्रतिशत विकसित कार्य पर फिर से रद्द कर दिया गया। ₹20.41 करोड़ के कुल भुगतान जिसमें ₹3.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई भुगतान सम्मिलित थी, चूककर्ता ठेकेदार को की गई। वृद्धि के कारण की हुई भुगतान की राशि में ₹2.78 करोड़ का संघटक सम्मिलित था जो कि कार्य समाप्ति की मूल अवधि के बाद भुगतान किया गया जो कि परिहार्य था। बचे हुए (23 प्रतिशत) कार्य को फरवरी 2016 तक पूर्ण करने के लिए मेसर्स निधि कन्स्ट्रक्शंस देहरादून के साथ चूककर्ता ठेकेदार की मूल्य एवं खतरे पर संविदा की गई।

कार्य के निष्पादन में हुए पाँच वर्षों के विलम्ब ने न केवल प्रशिक्षणरत जी सी को आधुनिक सुविधाओं के साथ आई एम ए में उचित प्रशिक्षण लेने से वंचित रखा बल्कि इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण टी ए बी भवन की अवनति भी हुई। हमने यह भी देखा कि 2012-13 से आई एम ए की कुल ₹2.50 करोड़ की लागत वाली विविध स्वीकृत/संविदाकृत परियोजनाओं जैसे कि टी ए बी का स्वचलन (₹ 75 लाख), रेत के डिजिटल नमूनों वाला कमरा (₹58.50 लाख) निगरानी लैब (₹ 70 लाख) तथा भाषा-सीखने की लैब (₹47 लाख) टी ए बी के अपूर्ण होने के कारण रुकी हुई थी, जिसने जी सी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित एवं विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने को भी निष्फल किया। मुख्य भवन के अभाव में टी ए बी भवन के लिए ₹1.67 करोड़ की लागत में, अप्रैल 2010 में निर्मित चार संबंधित असैनिक कार्य⁵⁵ भी अपनी नियत उद्देश्य के लिए पूरी तरह उपयोग में नहीं लाए जा सके।

अतः कार्यों के अपर्याप्त निरीक्षण एवं ठेकेदार द्वारा उद्यमी कार्य प्रगति प्रयास नहीं किए जाने के बाद भी प्रदान किए गए असामान्य समय की बढ़ोतरी के कारण टी ए बी भवन के निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹20.41 करोड़ (89.71 प्रतिशत) के भुगतान के बाद भी पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ। दूसरी संबंधित संविदित परियोजनाएं जो कि ₹2.50 करोड़ की राशि पर जी सी के प्रभावकारी प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत की गई थी, उन्हें भी टी ए बी भवन के अभाव में रोक कर रखा गया जिससे कैंडेटों को प्रदान की जा रही प्रशिक्षण काफी प्रभावित हुई।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था; जिसका उत्तर (सितंबर 2015 तक) प्रतीक्षित था।

4.3 परिसम्पत्ति का अनुपयोग

₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में निर्मित मिसाइल भण्डारण शेड उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि शेड में वातानुकूलन प्रणाली मुहैया नहीं कराई गई।

आवासीय मापदंडों के अनुसार, मिसाइलों के भण्डारण के लिए वातानुकूलित आवास प्राधिकृत है। साथ ही, रक्षा कार्य प्रक्रिया यह अनुबन्धित करती है कि क्योंकि समय अति महत्वपूर्ण होता है अतैव प्रशासनिक स्वीकृति में अनुबंध की हुई समापन अवधि को जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ाया जाए।

⁵⁵ (1) साइकिल स्टैंड का निर्माण

(2) कार शेड का निर्माण

(3) जेनरेटर कक्ष का निर्माण

(4) गार्ड कक्ष का निर्माण

हमने (जुलाई 2014) मुख्य अभियंता 31 क्षेत्र में यह देखा कि 2008 में बनाए गए ₹2.29 करोड़ की लागत वाले मिसाइल शेड सात वर्षों तक, वातानुकूलन नहीं बनाए जाने के कारण अनुपयोगी पड़े हुए थे। मामले की चर्चा नीचे की गई है:-

अप्रैल 2000 में अधिकारियों की समिति ने इनफैंट्री डिविजन सैंक्टर में संश्रित सुविधाओं के साथ तीन वातानुकूलित मिसाइल शेडों के निर्माण कार्य को अनुशंसित किया। रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने नवम्बर 2001 में उपरोक्त आवास के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार किया एवं ₹2.91 करोड़ की अनुमानित लागत पर 35 गोलाबारूद प्वाइंट (ए पी) के लिए फेज़- 1 के अंतर्गत खलसर में एक वातानुकूलित मिसाइल शेड के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य की समाप्ति वर्ष 2004 तक तीन कार्यकारिणी अवधियों में होनी थी।

मुख्य अभियंता श्रीनगर क्षेत्र (सी ई एस जैड) ने शेड निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें वातानुकूलन सम्मिलित नहीं था, ₹1.93 करोड़ की लागत पर जून 2003 में ठेका स्वीकृत किया एवं भण्डारण शेड बनाने का कार्य ₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में सम्पूर्ण किया। परन्तु, वातानुकूलन कार्य का ठेका स्वीकृति के अनुसार नहीं किया गया, हालांकि मिसाइल शेडों में गर्म एवं ठण्डा करने वाली प्रणाली को भी मुहैया कराया जाना था। सी ई एस जैड ने अगस्त 2011 में संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मामला आरंभ किया, जिसके अनुसार स्टेशन के अनुरूप वातानुकूलन को समाविष्ट किया गया। तदनुसार, मंत्रालय ने ₹3.61 करोड़ के मूल्य पर अक्टूबर 2012 में संशोधित स्वीकृति प्रदान की। वातानुकूलन/ताप कार्य के लिए सी ई एस जैड ने ₹1.25 करोड़ के मूल्य पर (दिसम्बर 2013) में ठेका किया।

ठेके का विकास कार्य 25 प्रतिशत था (फरवरी 2015) । वातानुकूलन के अभाव में, मिसाइल शेडों को फरवरी 2015 तक मिसाइल भण्डारण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सका।

मिसाइल शेडों में वातानुकूलन न होने के परिणामस्वरूप उसके अनुपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रश्नों (जुलाई 2014) के उत्तर में सी ई एस जैड ने कहा (जुलाई 2014) कि वातानुकूलन/हवा के ताप प्रणाली को स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि कार्य का प्रारंभिक प्रावधान थंब रूल गणना पर आधारित था, जिसमें आंतरिक वातावरण के विस्तार पूर्वक चित्रण किए जाने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन के द्वारा सुधार करना आवश्यक था। उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि अभियन्ता तकनीकी रूप से स्टेशन के वातावरण के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली के प्रकार का चयन करने में सक्षम थे एवं उनके पास निर्माण कार्य का ठेका करने से पहले संशोधित स्वीकृति लेने का पर्याप्त समय था। स्पष्टतया, परियोजना के निष्पादन को योजनाबद्ध करने में कमी थी।

सभी सुविधाओं से संपन्न (तापन एवं वातानुकूलन) मिसाइल शेड के अपूर्ण निर्माण के कारण परिचालन योग्यता के प्रभाव से संबंधित मामले को उपयोगकर्ता (35 ए पी) के साथ लेखापरीक्षा मई 2015 में उठाया गया। इसका उत्तर दिया गया (मई 2015) कि मिसाइल की आहरण योजना प्रभावित हुई, क्योंकि मिसाइलों को अन्य स्थान (31 ए पी) पर 110 कि. मी. की दूरी पर रखा गया था, जो कि सबसे ऊंची मोटरयोग्य मार्ग को लांघकर जाती थी एवं इससे पारगमन में काफी समय लगता था।

इस प्रकार मिसाइल शेड के निर्माण का ठेका करने के दौरान वातानुकूलन की सही योजना नहीं बनाने के कारण, ₹2.29 करोड़ की लागत पर बनाई हुई परिसंपत्ति बिना उपयोग के अगस्त 2008 से पड़ी रही। इससे परिचालन तत्परता काफी प्रभावित हुई क्योंकि 35 ए पी के वास्ते स्वामी-इकाई से मिसाइलों को स्थानान्तरित करने में बहुत अधिक समय की बर्बादी होती है।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था। (सितंबर 2015)।

4.4 स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरूद्ध रहा

मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर ने खाली स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेका किया जो कि न केवल कोडल प्रावधान का उल्लंघन था बल्कि इसके परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन के बिना ही ₹1.68 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

सैन्य अभियंता सेवाएँ, ठेकों की नियमावली- 2007 यह निर्धारित करती है कि निविदा को स्वीकृति प्रदान करने से पहले दुर्ग अभियंता (जी ई) से एक प्रमाण-पत्र लिया जाएगा जिसके तहत यह सिद्ध हो कि बाधाओं से मुक्त एक खाली स्थान, सभी कार्यों हेतु उपलब्ध है। थल सेना नियमावली एवं कैंटोनमेन्ट भूमि प्रशासन नियम 1937 यह अनुबन्धित करता है कि वह स्थान जो सेना प्राधिकारियों द्वारा राइफल रेंज के प्रयोजन हेतु असल में उपयोग में लाये जाते हैं अथवा उनके द्वारा अधिकृत हैं वह क्लास 'ए'- 1 स्थान हैं।

हमने जी ई रामगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि दिसम्बर 2013 में मुख्य जबलपुर क्षेत्र (सी ई जे जैड), जबलपुर द्वारा रामगढ़ कैंट में खाली स्थल की उपलब्धता न होने के बावजूद बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹12.27 करोड़ की राशि पर दो ठेकों को किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ का सरकारी धन अवरूद्ध रहा। मामले की चर्चा निम्नवत की गई हैं:-

अक्टूबर 2001 में हुई, अधिकारियों की समिति (बी ओ ओ) की अनुशंसा पर, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2004, में ₹2.44 करोड़ की लागत वाले, विद्यमान क्लास 'ए'- 1 के रक्षा स्थल पर बैफल रेंज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, जिसे (फरवरी 2006) संशोधित करके ₹4.26 करोड़ कर दिया गया। बैफल रेंज का अभिविन्यास चरम बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (टी बी आर एल) की तकनीकी आवश्यकताओं पर पूरा उतरने के बावजूद जमीनी विवाद के कारण इसे स्टेशन कमांडर द्वारा बदल दिया गया। स्टेशन कमांडर रामगढ़ कैंट के सुझाव पर बैफल रेंज के निर्माण के लिए दूसरे स्थान को टी बी आर एल द्वारा (अप्रैल 2007) में स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि वह B- 4⁵⁶ स्थल पर स्थित थी। बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹9.65 करोड़ की लागत हेतु रक्षा मंत्रालय की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति को मई 2010 में प्राप्त किया गया। आगे, मंत्रालय ने नवम्बर 2012 में ₹12.36 करोड़ की लागत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पर शुद्धिपत्र जारी किया।

एक बैफल रेंज के निर्माण के लिए क्लास 'ए'- 1 का रक्षा-स्थल होना पूर्वापेक्षित है। स्टेशन मुख्यालय द्वारा सितम्बर 2010 में बी-4 स्थलों को 'ए'- 1 में परिवर्तित कराने का उपक्रम किया गया किन्तु मई 2015 तक सरकार की स्वीकृति नहीं प्रदान हुई। परन्तु इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि 'ए'- 1 रक्षा स्थल उपलब्ध नहीं है एवं बी-4 स्थल को 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तित करने का मामला अभी प्रक्रिया में है; सी ई जे जैड जबलपुर ने फरवरी 2012 में ₹1.29 करोड़ की लागत पर कम्पाउंड दीवार व गेट बनाने के लिए ठेका दिया। कार्य का आरंभ मार्च 2012 में किया गया जिसे मार्च 2013 तक पूर्ण हो जाना था। इसी प्रकार, सी ई जे जैड द्वारा बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹10.98 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2012 में दूसरा ठेका किया गया। कार्यादेश के अनुसार (जनवरी 2013) कार्य का आरंभ जनवरी 2013 में हुआ जिसे जुलाई 2014 तक पूर्ण हो जाना था। तदनुसार ठेकेदारों ने शुरुआती कार्य आरंभ किया एवं स्टील की प्राप्ति की जिसके एवज में उन्हें ₹1.68 करोड़ का भुगतान किया गया। जनवरी 2013 में स्टेशन कमांडर ने जी ई को कार्य रोकने का निर्देश दिया क्योंकि मामला रक्षा मंत्रालय में बी- 4 स्थल को 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तित करने हेतु लंबित था। जनवरी 2013 तक कार्य रूका हुआ। ठेकों के पूर्व समापन का मामला जून 2014 में प्रक्रम में लाया गया एवं इसका निर्णय दिसम्बर 2014 तक लंबित था। स्टील प्राप्त करने के प्रयोजन से ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर ₹1.68 करोड़ का व्यय हुआ। जी ई ने लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि स्टील की उपयोगिता के बारे में निर्णय (₹1.68 करोड़) जो कि दिसम्बर 2014 तक स्थल पर पड़ी हुई थी कार्य के पूर्व रद्दीकरण के बाद लिया जाएगा।

इस प्रकार यह मामला प्रदर्शित करता है कि स्टेशन कमांडर ने मई 2010 में बैफल रेंज के लिए, संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जो कि वैकल्पिक स्थान 'बी' 4

⁵⁶ B-4 स्थल: खाली स्थल जो कि किसी अन्य क्षेत्र जैसे गिरिजाघर, शमशान-घाट, कब्रिस्तान में सम्मिलित।

स्थल हेतु थी, परन्तु उसके 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तन की स्वीकृति मंत्रालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई (मई 2015) थी। सी ई जे जैड ने बिना स्थलों के बाधामुक्त होने की जाँच कराएँ ठेका कर दिया, जो कि न केवल कोडल प्रवधानों का उल्लंघन है बल्कि इसके परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ का सरकारी धन अवरुद्ध हुआ।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2015)।

4.5 निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय

खराब/दोषपूर्ण पाइपों की प्राप्ति के कारण निकृष्ट कार्य का निष्पादन हुआ। फलतः ₹2.33 करोड़ की लागत पर बनाए गए अग्नि शमन आधारभूत संरचना पर किए गए समूचे व्यय को निष्फल करार देते हुए परित्याग करना पड़ा।

रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने भरतपुर में गोला-बारूद के भंडारण के लिए मार्च 2003 में 20 विस्फोटक भण्डार गृहों (ई एस एच) का निर्माण ₹32.85 करोड़ जिसे संशोधित करके ₹35.32 करोड़ (मार्च 2007) कर दिया गया था, की लागत पर करने की स्वीकृति प्रदान की। इस स्वीकृति में अन्य बातों के अलावा ₹2.30 करोड़ की लागत पर अग्नि शमन कार्यों हेतु अग्नि नलकों के लिए 'ढलवाँ लोहा (सी आई) क्लास 'बी' पाइपों की आपूर्ति एवं उनको लगाना भी सम्मिलित था। मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र (सी ई जे जैड) ने नवम्बर 2004 में ₹42.92 लाख की लागत पर 'तन्य लौह (डी आई) क्लास पाइप को बिछाने हेतु संविदा की। संविदा की सूची 'बी' के अंतर्गत विभाग द्वारा डी आई पाइपों को जारी किया जाना था। कार्य दिसम्बर 2004 में शुरू किया गया जिसे दिसम्बर 2005 में पूर्ण होना था, किंतु अगस्त 2015 तक भी यह पूर्ण नहीं हुआ। इसी दौरान ई एस एच का निर्माण कार्य दिसम्बर 2005 में पूर्ण हुआ।

क्योंकि डी आई पाइप ठेका दरों (आर सी) में नहीं थे, अतः सी ई जे जैड द्वारा पाइपों के विनिर्देश को बदल कर ठेके में सी आई कर दिया गया। तदनुसार सी ई जे जैड ने ₹2.13 करोड़ की लागत पर सी आई पाइपों की आपूर्ति के लिए डी जी एस एंड डी द्वारा स्वीकृत तीन फर्मों मैसर्स केजरीवाल कॉस्टिंग्स, मैसर्स धर्म इंजीनियरिंग कम्पनी बटाला व मैसर्स आर्को पाइपग्राम्स, जालधर को सप्लाइ ऑर्डर दिए। इन फर्मों द्वारा पाइपों की आपूर्ति जून 2005 से जून 2007 के बीच की गई।

तथापि दुर्ग अभियंता, भरतपुर, द्वारा मैसर्स धर्म इंजीनियरिंग कम्पनी बटाला एवं मैसर्स केजरीवाल कास्टिंग से प्राप्त हुए पाइपों को उनके निम्न गुणवत्ता की होने की आशंका पर स्वतंत्र परीक्षण के लिए भेजा गया। यह नमूने द्रवीय परीक्षण में असफल हुए। अतः समूचे सामान को अधिकारियों की समिति द्वारा जून 2005 एवं जुलाई

2005 में अस्वीकार कर दिया गया। किन्तु, सी डब्ल्यू ई, जयपुर के निर्देश पर इन नमूनों को पुनः नैशनल टैस्ट हाउस गाजियाबाद भेजा गया, परन्तु अधिकारियों के टैक्निकल बोर्ड के अनुसार वहां पर द्वितीय परीक्षण के आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इन नमूनों को सितम्बर 2005 में सफल घोषित किया गया। तदनुसार, सभी आपूर्तियों को फर्मों के ठिकानों पर स्वीकार किया गया।

पाइपों को ठेकेदार को जारी कर दिया गया, परंतु अप्रैल 2009 में, ठेकेदार ने सूचित किया कि विभाग द्वारा जारी की गई पाइपें निम्न गुणवत्ता वाली थीं एवं 100 मी मी की व्यास वाली पाइपों की ज्यादातर मात्रा खराब थी एवं उनमें छिद्र थे तथा उनमें दरारें भी पड़ी हुई थीं। सी इ जे जैड ने सी डब्ल्यू ई जयपुर को व्यक्तिगत रूप से मामले की जाँच करने के निर्देश दिए एवं सहायक गैरिसन अभियंता (स्वतंत्र) भरतपुर (ए जी ई (आई)) को संयुक्त निरीक्षण के द्वारा जारी किए गए पाइपों को पुनः जाँचने के निर्देश दिए। 14 दिसम्बर 2011 को ए जी ई (आई) भरतपुर एवं मुख्यालय सी डब्ल्यू ई जयपुर में एक अधिकारियों की समिति बुलाई गई ताकि फ्लेंजों पर इन पाइपों के फटने एवं फूटने के कारणों की जाँच हो सके। इस समिति ने इन पाइपों की संभावित असफलता को 'गलत पाइपों का चयन', उत्पादकता में कमी एवं गलत योजना के कारण से बताया। फरवरी 2012 में, लेखापरीक्षा ने कार्य में निकृष्ट पाइपों के उपयोग की बात को रेखांकित किया। इसके बाद ही क्षेत्रीय सी ई इस मामले को कमांड सी ई तक ले गए ताकि मामले की जाँच, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से करवाई जा सके।

मुख्यालय सी ई दक्षिण पश्चिमी कमान ने तकनीकी अधिकारियों की समिति (टी बी ओ) का आयोजन, कारणों को जानने एवं उनको सुधारने के लिए, सुझाव देने के लिए किया। टी बी ओ ने यह पाया कि पाइपों में लगा हुआ सामान एवं उनकी कार्यकुशलता बेहद खराब थी एवं सारी समस्याओं का मूल कारण यही था। टी बी ओ ने अंत में यही निर्णय किया (जुलाई 2014) कि अग्नि शमन की विद्यमान योजनाओं को न बदला जा सकता है और न क्रियान्वित किया जा सकता है। इसीलिए एक नई योजना को तैयार करने की आवश्यकता थी। परन्तु कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कार्य अभी प्रगति पर था (अप्रैल 2015) ताकि दोषपूर्ण योजना बनाने एवं निकृष्ट पाइपों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

अतः खराब योजना एवं निकृष्ट पाइपों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹2.33 करोड़ का व्यय जो अभी तक किया जा चुका था, निष्फल साबित हुआ। अग्नि शमन के लिए कोई दूसरा विकल्प अभी नहीं है एवं अग्नि शमन कार्यों के लिए नई योजना बनाने की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी अभी तक लागू नहीं की गई है।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

अध्याय V : सीमा सड़क संगठन

5.1 उच्च दरों पर ठेकों की स्वीकृति से परिहार्य व्यय

वैध अवधि के भीतर एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति न होने के कारण महानिदेशक, सीमा सड़कें, न्यूनतम निविदा को स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाए। तीसरी कॉल के बाद ठेका उच्च दर पर निष्पादित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹1.89 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नवम्बर 2007 में सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) में प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार परिशोधित किया जिससे अपर महानिदेशक, सीमा सड़कें (ए डी बी जी आर) को ₹5 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले कार्यों को एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आई एफ ए), सीमा सड़क, (बी आर) के परामर्श से ठेकों द्वारा कार्य के निष्पादन को स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त हुई। उक्त कार्यों के ठेकों को मुख्य अभियंता (सी ई) परियोजना द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। मई 2011 में डी जी बी आर ने निविदा की वैध अवधि, निविदाओं के खुलने के दिनांक से 60 दिनों से बढ़ाकर 120 दिनों की कर दी।

दिसम्बर 2011 में, डी जी बी आर ने कटरा-रीसी क्लास-9 से राष्ट्रीय राजमार्ग तक दोहरी लेन जिसका विनिर्देशन के एम 13.00 से के एम 24.188 तक था, उसकी ठेका द्वारा सतह-कार्य के निष्पादन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की संस्वीकृति प्रदान की। इसकी अनुमानित लागत ₹8.60 करोड़ थी जिसमें ठेके द्वारा निष्पादित ₹6.08 करोड़ की लागत वाला कार्य सम्मिलित था।

कार्य के निष्पादन के लिए, सी ई (पी) संपर्क ने 15 मार्च 2012 को निविदा दस्तावेज जारी किया एवं 31 मार्च 2012 को सात उद्धरित निविदा प्राप्त किए गए। 20 अप्रैल 2012 को 5 निविदाकार के मूल्यों की बोली खोली गई एवं ₹5.80 करोड़ के मूल्य के 18 अगस्त 2012 तक की वैधता वाले न्यूनतम मूल्य की बोली के साथ मेसर्स न्यू झेलम कन्सट्रक्शंस कंपनी को पाया गया। उद्धरित राशि ₹5 करोड़ से अधिक होने के कारण 12 मई 2012 को मामले को ए डी जी बी आर की स्वीकृति के लिए डी जी बी आर भेजा गया। आई एफ ए द्वारा कुछ प्रश्नों के उठाए जाने एवं पुनर्निविदा की अनुशंसा के कारण ए डी जी बी आर निविदा के वैध अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाए।

फरवरी 2013 में पुनः निविदा कराना पड़ा जिसके लिए मूल्यों की बोली 17 मई 2013 में खोली गई। ₹5.62 करोड़ की उद्धरित राशि के साथ मेसर्स जय लक्ष्मी स्टोन क्रसर्स को एल 1 पाया गया। निविदा की वैधता 14 सितम्बर 2013 तक की

थी। मामले को स्वीकृति के लिए डी जी बी आर को 27 मई 2013 को सौंपा गया। 01 अगस्त 2013 को आई एफ ए (बी आर) ने डी जी बी आर एवं सी ई (पी) को दरों में कटौती की संभावना तलाशने के लिए एल 1 से समझौते की सलाह दी। 6 अगस्त 2013 को सी ई (पी) ने उत्तर देते हुए कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा के बाद एल 1 से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता एवं इस संबंध में सुझाव मांगा। 12 सितम्बर 2013 को आई एफ ए ने प्रस्ताव को लौटाते हुए सी एफ ए से यह पुष्टि करने के लिए कहा कि एल 1 की दरें उचित थीं एवं इन्हें आगे बिना किसी समझौते के स्वीकार कर लेना चाहिए। निविदा की वैधता 14 सितम्बर 2013 को खत्म हो गई। इस निविदा को वैध अवधि में त्रुटिपूर्ण कारणों अर्थात् एल 1 से निविदा के उपरांत समझौता आदि, के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

फलतः सी ई (पी) को निर्माण कार्य के लिए अक्टूबर 2013 में पुनः निविदा मंगाना पड़ा। मेसर्स जय लक्ष्मी स्टोन क्रसर्स द्वारा 18 नवम्बर 2013 को ₹7.60 करोड़ की उद्धरित राशि को न्यूनतम पाया गया, जिसे और घटाकर ₹7.51 करोड़ कर दिया गया। मामले को डी जी बी आर के पास स्वीकृति के लिए फरवरी 2014 में भेजा गया, जिसके लिए स्वीकृति मार्च 2014 में मिली। सी ई (पी) द्वारा फर्म के साथ ठेका ₹7.51 करोड़ में मार्च 2015 में किया गया, जो दूसरे मांग में एल-1 दर से ₹1.89 करोड़ अधिक था। कार्यादेश 2 अप्रैल 2014 में दिया गया जिसके पूर्ण होने की तिथि 1 अक्टूबर 2014 थी। जनवरी 2015 तक कार्य निष्पादन हो रहा था एवं कार्य का विकास 72.88 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में सी ई (पी) ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ठेके को उच्च दरों पर इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि अलकतरा के मूल्य में वृद्धि हुई थी एवं दूसरी कॉल के दौरान निविदाकार वैध अवधि भी बढ़ाने को तैयार नहीं था। दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तीसरी काल के दौरान अलकतरा एवं इमलसन की दरों में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 12.25 एवं 10.52 प्रतिशत थी, जबकि ठेके की राशि में 33.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

इस प्रकार यह मामला उजागर करता है कि ए डी जी बी आर द्वारा पहली एवं दूसरी कॉल के दौरान आई एफ ए के गलत सुझाव के कारण स्वीकृति प्रदान करने में हुई देरी से निविदा को तीसरी बार मंगाना पड़ा जिससे ₹1.89 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ एवं जिसकी नियमितता अपेक्षित है।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

5.2 ठेकेदारों से सेवा-कर की अल्प-वसूली

जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना के अनुसार मुख्य अभियंता (परियोजना) विजायक, द्वारा किए गए पाँच निर्माण कार्य ठेके के सकल मूल्य पर सेवा-कर नहीं वसूले गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों से ₹1.06 करोड़ की अल्प-वसूली हुई।

जम्मू एवं कश्मीर (जे एवं के) सरकार ने मार्च 2007 एवं मार्च 2010 में निर्माण कार्य ठेकों पर 10 प्रतिशत की दर से सेवा-कर एवं सेवा-कर की राशि पर 5 प्रतिशत अधिशुल्क लागू करने की अधिसूचना जारी की। सरकार ने जनवरी 2014 में आगे और स्पष्ट किया कि जम्मू एवं कश्मीर सामान्य विक्री अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सेवा कर एवं अधिशुल्क ठेकों के सकल मूल्य पर ठेकेदारों से वसूल किए जाने हैं। जनवरी 2014 में रक्षा लेखा (सीमा सड़क) के संयुक्त नियंत्रक द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन के लिए माल/सामान की खरीद के स्रोत से निरपेक्ष, सेवा कर ठेके के सकल मूल्य पर लगाया जाएगा।

हमने, सितम्बर 2014 में मुख्य अभियंता (परियोजना) विजायक (सी ई) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा कि सी ई ने अपनी कमांड के अंदर आने वाली विभिन्न सड़कों के पुनः सतहीकरण के लिए 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान दो फर्म के साथ पाँच ठेका किया था। परन्तु, सेवा-कर एवं अधिशुल्क 10.5 प्रतिशत की दर पर ठेकेदारों से ठेकों के सकल मूल्य पर लेने के बजाय अनुसूची "बी" के अंदर भण्डारों की लागत को घटाने के बाद किए गए कार्य की मात्रा पर वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों से ₹1.06 करोड़ सेवा-कर की अल्प-वसूली की गई।

इस बात को लेखापरीक्षा में इंगित करने पर सितम्बर 2014 में सी ई ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2007 के आदेशों को 2010 में परिशोधित किया गया जो उक्त ठेकों पर लागू या एवं सेवा कर के अनुप्रयोज्यता के बारे में सभी मामलों को 2007 के आदेशों के साथ जोड़ना उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विषय-वस्तु पर नीतियों पर आधारित उपयुक्त कार्यवाई उचित समय पर की जाएगी। सी ई का दावा मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य पर सेवा कर लगाने संबंधी 2007 के जम्मू एवं कश्मीर राज्य की अधिसूचना अभी तक लागू है। 2010 की अधिसूचना में, केवल सेवा कर की दरें 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक संशोधित की गई थीं। जनवरी 2014 में राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण भी किया गया था कि सेवा-कर एवं अधिशुल्क ठेकेदारों से ठेके के सकल मूल्य पर वसूला जाएगा।

ठेकेदारों से सेवा-कर के रूप में ₹1.06 करोड़ की वसूली दिसम्बर 2014 तक होना था।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था, उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

5.3 पानी के ट्रकों की खरीदारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

खरीदे जाने वाले ट्रकों को चुनने के निर्णय में हुए विलम्ब के कारण दर में संशोधन के परिणामस्वरूप ₹81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) ने जून 2010 में वाहनों/उपकरणों/संयंत्रों की खरीद के लिए मुख्यालय, महानिदेशक सीमा सड़क (एच क्यू डी जी बी आर) के 2010-11 के वार्षिक प्रापण परियोजना (ए पी पी) को स्वीकृति दी, जिसमें 9 कि.ली. क्षमता वाले 52 पानी के ट्रकों की खरीददारी सम्मिलित थी। डी जी एस एवं डी ठेका दर पर दो आपूर्तिकर्ता यथा, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड ने प्रति ट्रक का भाव क्रमशः ₹8.52 लाख और ₹8.84 लाख बताया, जिनके दरों की वैधता 30 जून 2010 तक थी। डी जी बी आर के पास पहले से ही 519 टाटा की ट्रकें एवं नौ अशोक लीलैण्ड की ट्रकें थी, इस प्रकार मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ट्रकों के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे।

जून 2010 में मुख्यालय डी जी बी आर ने बी आर डी बी के साथ मेसर्स अशोक लीलैण्ड से ₹5.74 करोड़ (परिवहन शुल्क समेत) की कुल लागत पर 52 ट्रकों की खरीदारी हेतु मामला शुरू किया। इसके पीछे तर्क यह था कि परियोजनाओं के निर्माण कार्य लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए पानी की ट्रकों की समयबद्ध आपूर्ति आवश्यक थी। कंपनी अर्थात् मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को 2009-10 के ए पी पी के अंतर्गत मार्च 2010 की आपूर्ति आदेश के विरुद्ध जुलाई 2010 तक 99 ट्रकों की आपूर्ति करनी थी, परंतु उन्होंने जून 2010 तक सुपुर्दगी को प्रारंभ नहीं किया था। बी आर डी बी ने जून 2010 में प्रस्ताव की जाँच करते हुए मुख्यालय डी जी बी आर को एकीकृत वित्तीय सलाहकार के द्वारा मामलों को रखने हेतु निर्देश दिए क्योंकि उसने मेसर्स अशोक लीलैण्ड से ट्रकों की खरीद पर महंगी होने के कारण आपत्ति जताई थी। इस प्रकार मुख्यालय डी जी बी आर ने आर सी की वैधता के अन्तिम दिन, अर्थात् 30.6.2010 को मेसर्स टाटा मोटर्स के समर्थन में प्रस्ताव में संशोधन किया, परन्तु यह बी आर डी बी द्वारा 30.06.2010 को स्वीकृत नहीं हो पाया। आर सी 30.06.2010 को समाप्त हो गई जबकि इसे डी जी एस एंड डी द्वारा जुलाई 2010 में 30.09.2010 तक आगे बढ़ा दिया गया था।

अपने निर्णय के विपरीत, मुख्यालय डी जी बी आर ने अगस्त 2010 में फिर से मेसर्स अशोक लीलैण्ड से वाहन खरीदने का प्रस्ताव रखा जो बी आर डी बी द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि उसमें ₹16.35 लाख का अतिरिक्त व्यय था। उसके बाद मुख्यालय, डी जी बी आर ने 30.09.2010 अर्थात् आर सी की वैधता की अंतिम तिथि को अपना निर्णय बदलते हुए मेसर्स टाटा मोटर्स से 52 ट्रकों को

खरीदने का संशोधित प्रस्ताव रखा, किन्तु इस बार यह बी आर डी बी द्वारा खरीद की मात्रा के औचित्य पर अस्वीकृत कर दिया गया।

अक्टूबर 2010 में डी जी एस एवं डी ने मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को उसी ट्रक के लिए 14.10.2010 से 30.09.2012 तक की अवधि के लिए नई आर सी प्रदान की जिसमें पहले की दर ₹8.52 लाख प्रति ट्रक को बढ़ाकर ₹9.76 लाख कर दिया गया। नवम्बर 2010, में मुख्यालय डी जी बी आर ने फिर से मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड से ₹6.43 करोड़ की कुल लागत पर 52 ट्रकों की खरीद का मामला अग्रेषित किया। तदन्तर दिसम्बर 2010 में बी आर डी बी द्वारा अनुमोदित 30 और पानी की ट्रकों को जोड़ते हुए ट्रकों की आवश्यकता को बढ़ाकर 82 कर दिया। ये अतिरिक्त ट्रक इण्डो चाइना बार्डर रोड (आई सी बी आर) के निर्माण के लिए बी आर ओ में अग्रणी उपकरणों का बैंक बनाने के लिए था। आखिरकार, फरवरी 2011 में बी आर डी बी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी एवं कुल ₹10.14 करोड़ की लागत पर 82 ट्रकों की खरीद हेतु आपूर्ति आदेश मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को दिया गया। फर्म ने जुलाई 2012 तक सुपुर्दगी पूर्ण किया।

इस प्रकार मुख्यालय, डी जी बी आर खरीदे जाने वाली ट्रकों के प्रकारों का चयन के अपने निर्णय में अडिग नहीं रहे एवं उसमें दो बार बदलाव किया। प्रस्ताव डी जी बी आर एवं बी आर डी बी के बीच पत्राचार में ही पड़ा रहा तथा पुरानी ठेका दरों की बढ़ी हुई वैधता अवधि में पानी के ट्रकों को खरीदने के अवसर का लाभ नहीं उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर दरों पर 52 ट्रकों की खरीदारी में ₹81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को मार्च 2015 में भेजा गया था, उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

अध्याय VI : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

6.1 चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में परियोजना प्रबंधन

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 28 परियोजनाओं में से, दो स्टाफ और 22 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं सहित 24 परियोजनाएं टी बी आर एल द्वारा पूरी की गईं। तथापि हमने देखा कि दो स्टाफ परियोजनाओं के लिए सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार प्राचल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए गए। शेष 22 समाप्त आर एंड डी परियोजनाओं में से, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति सफलता गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में केवल 10 परियोजनाओं में प्राप्त हुई थी। इन परियोजनाओं का तथापि डिलिवरेबल्स के रूप में अभी तक रूपांतरण नहीं हुआ था। शेष 12 समाप्त परियोजनाओं में, लक्ष्यों की केवल आंशिक प्राप्ति हुई थी।

6.1.1 प्रस्तावना

चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (टी बी आर एल) चण्डीगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) की एक प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला सितंबर 2013 से महानिदेशक मिसाइल तथा स्ट्रेटेजिक सिस्टम (एम एस एस) के तकनीकी नियंत्रण तथा एक निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह प्रयोगशाला प्रक्षेपास्त्रों और प्रतिरक्षा प्रोफाइलों का निष्पादन मूल्यांकन करने के अलावा उच्च विस्फोटक प्रक्रमण, प्रस्फोटन एवं प्रघाती तरंग गतिकी विस्फोट और क्षति प्रतिरक्षा, प्राणघातकता व विखंडन, कवच की निष्फलता तथा स्फोटक शीर्षों और अन्य शस्त्र-सज्जा प्रणालियों के निष्पादन के क्षेत्रों में मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती है। इस प्रयोगशाला के अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम को चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- i. **स्टाफ परियोजना/मिशन मोड परियोजना (एस एल/एम एम):** स्टाफ परियोजनाएं गुणात्मक आवश्यकता (क्यू आर) के विषय में सुनिश्चित प्रयोक्ता-आवश्यकताओं के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में उद्देश्य, डिलिवरेबल्स और समय क्रम को संस्वीकृति में स्पष्टतः बताया जाता है। इन परियोजनाओं से अपेक्षित है कि एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सेवाओं में इन प्रणालियों का अधिष्ठापन हो जाए।
- ii. **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना (टी डी):** टी डी परियोजनाएं उन क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं, जहाँ प्रयोक्ता की आवश्यकता ज्ञात है, किंतु एक सुनिश्चित लागत और समयावधि के साथ स्टाफ परियोजना का दायित्व लेने

के लिए प्रौद्योगिकी अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। टी डी परियोजनाएं प्रयोक्ता अनुकूल भावी परियोजनाओं का दायित्व लेने के लिए आधार बनाती है तथा यह अपेक्षित है कि तीन से पाँच वर्षों में डिलिवरेबल्स में परिवर्तित हो जाएँगी।

- iii. **अनुसंधान एवं विकास परियोजना (आर एंड डी):** आर एंड डी परियोजनाएं अनुसंधान के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में सामान्य योग्यता निर्माण परियोजनाएं हैं अथवा स्टाफ परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए अथवा स्टाफ परियोजनाओं से संबंधित है।
- iv. **अवसंरचना (आई एफ):** ये परियोजनाएं प्रतीकात्मक रूप में उन्नत परीक्षण और योग्यता सुविधाओं का सृजन करने हेतु प्रारंभ की जाती है।

6.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस प्रयोगशाला की अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करने हेतु लंबा निर्माणकाल सम्मिलित है। इस प्रकार लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 1998 से 2013 तक 15 वर्षों की अवधि के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाएं शामिल थीं। जनवरी 1998 से दिसंबर 2013 तक की अवधि के दौरान टी बी आर एल द्वारा कुल 36 परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। चूंकि इस अवधि के दौरान प्रयोगशाला द्वारा कोई स्टाफ परियोजना प्रारंभ नहीं की गई थी, इसलिए हमने 1998 से पूर्व प्रारंभ की गई दो स्टाफ परियोजनाओं, जो बाद में आर एंड डी और टी डी परियोजनाओं के द्वारा विकसित की गईं, को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया।

38 परियोजनाओं में से (श्रेणी वार ब्यौरा नीचे तालिका-24 में दिया गया है) 24 परियोजनाएं पूरी की गईं और 14 चल रही थी। उन 28 परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा जांच की गई, जिनकी संभावित समापन तिथि (पी डी सी) मार्च 2014 तक थी। चयनित परियोजनाओं में 24 समाप्त और 04 चालू परियोजनाएं शामिल थीं। नीचे तालिका-24 में लेखापरीक्षा द्वारा परियोजनाओं के चयन का सार प्रस्तुत है।

तालिका-24

परियोजनाओं की कुल संख्या		स्टाफ	आर एंड डी	टी डी	आई एफ	कुल
	प्रारंभ की गई	2	23	9	4	38
	प्रगति पर	0	3	8	3	14
चयनित	प्रगति पर			3	1	4
	समाप्त	2	20	1	1	24
	कुल	2	20	4	2	28

6.1.3 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

6.1.3.1 लक्ष्यों की अप्राप्ति

सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के अंदर संस्वीकृत किए जाने के पश्चात प्रयोगशाला द्वारा सभी प्रकार की डी आर डी ओ परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की जाती हैं। इस संस्वीकृति में अन्य बातों के साथ परियोजना के लक्ष्यों का उल्लेख तथा परिगणन होता है। अतः ये लक्ष्य परियोजना की सफलता का मूल्यांकन करने की कसौटी बन जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित अवधि के दौरान प्रयोगशाला द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं की समग्र सफलता दर की जांच की। प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति समाप्त परियोजनाओं की सफलता का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि सभी लक्ष्यों को, जैसा कि संस्वीकृति में उल्लिखित था, 24 समाप्त परियोजनाओं में से केवल 10 में पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया। शेष 14 परियोजनाओं में, ये लक्ष्य आंशिक रूप से अर्थात् सीमित गुणात्मक सफलता के साथ, प्राप्त किए गए। इस प्रकार, इन परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दर केवल 42 प्रतिशत थी।

परियोजनाओं की प्रकार-वार सफलता आगे यह दर्शाती है कि दो स्टाफ परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना में लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए गए। केवल लक्ष्यों की आंशिक प्राप्ति के बाद ही ये परियोजनाएं बंद कर दी गईं। इसी प्रकार, आर एंड डी परियोजनाओं में, लक्ष्यों की प्राप्ति बीस परियोजनाओं में से केवल नौ में हुई थी, अर्थात् 45 प्रतिशत।

इसका ब्यौरा नीचे तालिका - 25 में दिया गया है:

तालिका-25

परियोजना का प्रकार	परियोजनाओं की संख्या (सं.)	पूर्ण रूप से प्राप्त किए गए लक्ष्य (सं.)	आंशिक रूप से प्राप्त किए गए लक्ष्य (सं.)	पूर्ण रूप से सफल परियोजनाओं की प्रतिशतता
स्टाफ परियोजनाएं एम एम	2	0	2	00
आर एंड डी	आर एंड डी-12	4	8	33
	अध्ययन/परीक्षण/मूल्यांकन-8	5	3	63
टी डी	1	1	-	100
आई एफ	1	-	1	00
कुल	24	10 (42%)	14 (58%)	

(क) स्टाफ परियोजनाएं

हमने देखा कि प्रयोक्ता की स्पष्ट गुणात्मक आवश्यकता (क्यू आर) और परियोजना के लिए सुनिश्चित लक्ष्यों के होने के बावजूद प्रयोगशाला द्वारा प्रारंभ की गई स्टाफ परियोजनाओं को उन्हें सफल घोषित करने के पश्चात् प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा बंद कर दिया गया, हालांकि परीक्षणों/विनिर्माण चरण के दौरान पाया गया कि गुणात्मक आवश्यकता तथा परियोजना के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए गए थे। अतः वास्तव में आंशिक उत्पादनकरण तथा गोला-बारूद के अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगने के पश्चात् वांछित गुणता के अभाव में दोनों स्टाफ परियोजनाओं को समयपूर्व बंद कर दिया गया। इन परियोजनाओं में लक्ष्यों की सफल प्राप्ति में हुई विफलता को निम्न प्रकार से संक्षेपित किया गया है:

(i) मल्टीमोड ग्रेनेड का विकास

संवर्धित क्षमताओं से युक्त एक हल्के रूपांतर द्वारा विद्यमान ग्रेनेड का प्रतिस्थापन करने के लिए मल्टीमोड ग्रेनेड विकसित करने का कार्य 1989 में ₹ 98 लाख की संसूचित लागत पर टी बी आर एल को सौंपा गया। इसका उद्देश्य मल्टीमोड ग्रेनेड के लिए 3.5 और 4.5 सेकेंडों के बीच विलंबकाल प्राप्त करना था। प्रथम प्रयोक्ता परीक्षण दिसंबर 1997 में किया गया, यद्यपि इस परियोजना की पी डी सी जून 1997 में समाप्त हो गयी थी। सफल प्रयोक्ता परीक्षणों के आधार पर मई, 1998 में ग्रेनेड के उत्पादन के लिए ₹ 19 लाख की लागत पर डी आर डी ओ द्वारा आयुध निमाणीर् बोर्ड (ओ एफ बी) को पर्यौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) के लिए एक परियोजना संसूचित की गई। टी ओ टी वाली यह परियोजना मई 2000 में पूरी हुई और यह सिफारिश की गई कि विस्तृत प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए एक नयी परियोजना शुरू की जाए। तदनुसार, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने ₹ 24.8 लाख की लागत पर विस्तृत प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद 2000 ग्रेनेडों के विनिर्माण के लिए एक अन्य परियोजना को संसूचित दी (जून 2000)। टी बी आर एल द्वारा जून 2003 में इस परियोजना को सफल घोषित करने के बाद बंद कर दिया गया। समापन रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ताओं ने उनके परीक्षणों में 95 प्रतिशत विश्वसनीयता प्राप्त की थी। तथापि, समापन रिपोर्ट में विलंबकाल के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था।

मार्च 2010 में, रक्षा मंत्रालय ने ₹193.80 करोड़ की कुल लागत पर 10 लाख ग्रेनेडों की आपूर्ति हेतु ओ एफ बी को आपूर्ति आदेश दिया। किंतु ₹6.78 करोड़ मूल्य के मात्र 35,000 ग्रेनेडों की प्राप्ति के बाद सेना ने टी बी आर एल को सूचित किया (नवंबर 2011) कि उस ग्रेनेड का प्रस्फोटक कालविलंब 3.5 से 4.5 सेकेंडों के अपेक्षित/विनिर्दिष्ट विलंब के प्रति 2.5 और 50 सेकेंडों के बीच था। चूंकि यह विलंबकाल एक परिचालन आवश्यकता थी और उसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सेना ने नवंबर 2011 में ग्रेनेडों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और

सितंबर 2014 से ग्रेनेडों के उत्पादन की प्रगति अवरुद्ध है। चूंकि टी बी आर एल पहले 10 लाख ग्रेनेडों तक के उत्पादन के लिए मोहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी (एच एस पी) थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना प्रयोगशाला का उत्तरदायित्व था कि उक्त मात्रा का उत्पादन होने तक प्रयोक्ता की आवश्यकताएँ पूर्ण रूप से पूरी की गई हैं। तथापि, 3.5 सैकेंड से 4.5 सैकेंड तक के वांछित विलंब की प्राप्ति न होने के कारण लगभग 25 वर्ष बीत जाने और ₹8.20 करोड़ व्यय करने के बाद भी टी बी आर एल संवर्धित क्षमता से युक्त ग्रेनेड के हल्के रूपांतर का विकास करने में विफल रही।

मंत्रालय ने प्रतिवेदन के मसौदे के उत्तर में (अगस्त 2015) इस कमी को स्वीकार किया और कहा कि 100 प्रतिशत ग्रेनेडों का 3.5 सैकेंड और 4.5 सैकेंड के बीच कार्य करते हुए मिलना संभव नहीं था और इसलिए 0.5 सैकेंड की छूट के अनुमोदन हेतु एक मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है। आगे यह बताया गया कि टी बी आर एल निजी उद्योग के सहयोग द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही थी।

इस उत्तर के होते हुए भी तथ्य यह है कि टी बी आर एल जी एस क्यू आर में निर्दिष्ट विलंबकाल प्राप्त करने में विफल रही और इसलिए सेना की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकी।

(ii) बंड ब्लास्टिंग डिवाइस का विकास

जी एस क्यू आर सं. 573 के आधार पर टी बी आर एल द्वारा फरवरी 1991 में “बंड ब्लास्टिंग डिवाइस (बी बी डी) का डिजाइन तथा विकास” पर परियोजना प्रारंभ की गई। इसकी पी डी सी जून 1991 थी, जिसे बाद में संशोधित कर दिसंबर 1994 किया गया।

टी बी आर एल द्वारा विकसित बी बी डी के प्रयोक्ता परीक्षण 1994 में किए गए, किंतु बंड का विस्फोट करने के बाद प्राप्त कट के आयाम (9×5.5×2 मी.) जी एस क्यू आर के अनुसार वांछित आयाम (8×4×2.5 मी.) से कम थे। इसके अतिरिक्त 15 से 20 कि.ग्रा. की जी एस क्यू आर आवश्यकता के प्रति बी बी डी का भार 22.5 कि. ग्रा. था। सीमित उपलब्धियों के बावजूद, एक उन्नत रूपांतर का विकास और परीक्षण किए जाने तक सेवा में इस यंत्र को प्रवर्तित करने हेतु प्रयोक्ता परीक्षण दल द्वारा सिफारिश के साथ इस परियोजना को बंद कर दिया गया। सेना की कुल आवश्यकता 2880 नग के प्रति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2004 में टी बी आर एल को 1440 नग के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया। टी बी आर एल द्वारा 2007-08 तक इसकी आपूर्ति की गई। चूंकि वर्तमान रूपांतर में यंत्र के निष्पादन में सुधार नहीं किया जा सका, इसलिए एम के-II के उन्नत रूपांतर के माध्यम से अपेक्षित प्राचल

प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए नवंबर 2009 में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय द्वारा टी बी आर एल को कहा गया।

तदनुसार, जून 2010 में टी बी आर एल द्वारा ₹ 48 लाख की लागत पर 'बी बी डी की निष्पादन वृद्धि' के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसकी पी डी सी 18 माह थी (अर्थात् दिसंबर 2011 तक), जो बाद में 30 जून 2013 संशोधित की गई। यह परियोजना टी बी आर एल द्वारा ₹20.37 लाख की लागत पर जून 2013 में सफलतापूर्वक समाप्त कर दी गई, यद्यपि महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन द्वारा मूल्यांकन परीक्षण अभी (जुलाई 2015) किया जाना शेष है।

छह महीने के भीतर बी बी डी प्रदान करने के लक्ष्य के बावजूद 24 वर्षों के बाद भी टी बी आर एल अपेक्षित विनिर्देशनों से युक्त डिवाइस का विकास नहीं कर सकी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (अगस्त 2015) स्वीकार किया कि जी एस क्यू आर के अनुसार 2.5 मी. की आयाम कट के प्रति परीक्षणों के दौरान केवल 2 मी. कट प्राप्त हुई। इस कमी के बावजूद, प्रयोक्ताओं द्वारा लघु विचलन के साथ बी बी डी एम के-1 स्वीकार किया गया। आगे यह बताया गया कि दूसरी परियोजना के अंतर्गत डिज़ाइन किए गए बी बी डी एम के-11 ने अधिकांश भौतिक/परिचालन विशिष्टताएं पूरी की, फिर भी अंतिम प्रयोक्ता परीक्षण अभी प्रतीक्षित हैं।

प्रयोक्ताओं द्वारा बी बी डी एम के-1 की स्वीकृति पूर्ण नहीं थी, क्योंकि उन्नत रूपांतर का विकास एवं परीक्षण होने तक तुरंत आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल आंशिक मात्रा की अधिप्राप्ति की गई थी।

(ख) आर एंड डी/टी डी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग

लेखापरीक्षा में चयनित 22 पूर्ण हुई आर एंड डी/टी डी परियोजनाओं में से आठ अध्ययन/परीक्षण मूल्यांकन चरण पर थीं जबकि एक-एक परियोजना टी डी और आई एफ चरण पर थी। हमने 12 आर एंड डी परियोजनाओं में से आठ में देखा कि इन परियोजनाओं की संस्वीकृति में निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य के अनुसार प्रौद्योगिकियों का विकास नहीं किया गया है। इसलिए इन परियोजनाओं को टी डी/एम एम परियोजनाओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के कारण एक समाप्त टी डी परियोजना के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी का भावी अथवा आसन्न मिशन मोड परियोजनाओं के लिए एक पोषक प्रौद्योगिकी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका। जबकि दो आर एंड डी परियोजनाओं में लक्ष्यों को प्राप्त करने की विफलता के बारे में इसके पहले पैरा सं. 3.1.1.1 में चर्चा की गई है, शेष छह परियोजनाओं का सारांश निम्नलिखित है:

(i) **मल्टी पी-चार्ज एवं भविष्यानुकूल आकारित चार्ज स्फोटक शीर्ष का विकास**

विस्फोटक रूप में बने वेधक (ई पी एफ) पर आधारित स्फोटक शीर्ष के निष्पादन को 0.8-1.0 डी तक उन्नत करने के लिए "मल्टी पी-चार्ज⁵⁷ एवं भविष्यानुकूल आकारित चार्ज स्फोटक शीर्षों का विकास" के लिए डी आर डी ओ द्वारा ₹4.62 करोड़ की लागत पर 4 ½ वर्ष की पी डी सी के साथ एक परियोजना जून 1998 में संस्वीकृत की गई।

स्वदेशी रूप में विकसित मध्यम व्यास के 'हीट' आधारित स्फोटक शीर्ष को प्रमाणित करने तथा मल्टी पी-चार्ज और मल्टी स्टेज आकारित चार्ज स्फोटक शीर्ष की व्यवहार्यता को सिद्ध करने हेतु स्फोटक शीर्ष के वेधन का कुंठित सजातीय कवच में परीक्षण किया जाना था। टी बी आर एल ने मई 2000 में परियोजना का तकनीकी कार्य पूरा किया। हमने अभिलेखों में देखा कि फोर्ड इस्पात के लक्ष्य पर केवल 700 मि.मी. का अधिकतम वेधन ही प्राप्त किया गया। आर एच ए में, यह वेधन 85 मि. मी. व्यास के स्फोटक शीर्ष से 0.6 डी था और 50 मि. मी. व्यास के स्फोटक शीर्ष से 0.5 डी था। इस प्रकार, आर एच ए में 0.8-1.0 डी का वांछित वेधन प्राप्त नहीं किया जा सका, जो कि परियोजना का लक्ष्य था। यह परियोजना ₹ 4.62 करोड़ खर्च करने के बाद सीमित उपलब्धि के साथ समाप्त कर दी गई।

टी बी आर एल द्वारा अंतिम रूप दी गई समापन रिपोर्ट में यह बताया गया कि विभिन्न योजनाओं में नवोन्नत प्रौद्योगिकी निर्धारित लक्ष्यों के निकटस्थ को प्राप्त करने के माध्यम से सिद्ध की गई है और इसलिए भिन्न उपयोग के लिए अलग से आकारित चार्ज आधारित स्फोटक शीर्ष पर आधारित विकास योजना आरंभ करने की सिफारिश की गई। यह इस तथ्य के बावजूद था कि उसके उत्पादन के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई थी।

डी आर डी ओ मुख्यालय ने तदनुसार भविष्यानुकूल उच्च ऊर्जा आकारित स्फोटक शीर्षों के लिए आकारित चार्ज आधारित स्फोटक शीर्षों की स्थापना के लिए तीन अलग आर एंड डी परियोजनाएं संस्वीकृत की, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदे के लिए अपने उत्तर में मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2015) कि यह परियोजना आकारित चार्ज संबंधी प्रौद्योगिकियों के बारे में उनके ज्ञान को उन्नत करने तथा ई एफ पी के निष्पादन को बेहतर बनाने के भी लक्ष्य से प्रारंभ की गई थी। आर एच ए के बजाय मृदु इस्पात में वेधन का परीक्षण करने के बारे में उनका उत्तर तथापि कुछ नहीं कहता है, जो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य था।

⁵⁷ पी-चार्ज प्रक्षेपास्त्र चार्ज

- **आकारित चार्ज आधारित पोतभेदी और पनडुब्बी भेदी स्फोटक शीर्षों तथा कवच भेदी प्रौद्योगिकी की स्थापना।**

टी बी आर एल द्वारा यह परियोजना अक्टूबर 2003 में ₹4.95 करोड़ की लागत पर प्रधान युद्ध टैंकों (एम बी टी), पोतों, पनडुब्बियों, आकाशीय लक्ष्यों को दी जा रही सुरक्षा को विफल करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस परियोजना की पी डी सी 54 महीने थी (अर्थात् मार्च 2008)। आकारित चार्ज तथा मल्टी पी-चार्ज आधारित स्फोटक शीर्ष के प्रोटोटाइप डिज़ाइन का विकास करने के बाद उसके वांछित वेधन स्तर के प्रति उपलब्धि के संबंध में कुछ भी बताए बिना यह परियोजना ₹ 4.70 करोड़ खर्च करने के उपरांत अप्रैल 2008 में समाप्त कर दी गई। यह परियोजना भविष्यानुकूल उच्च ऊर्जा आकारित चार्ज स्फोटक शीर्षों के डिज़ाइन हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक पोषक परियोजना बनायी गई। वेधन के विनिर्दिष्ट स्तर के संबंध में किसी उल्लेख के अभाव में लेखापरीक्षा में इस परियोजना की सफलता दर का पता नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि प्रयोगात्मक परीक्षणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रमाणित किया गया, जो आकारित चार्ज स्फोटक शीर्षों को डिज़ाइन करने में सहायक हुई। तथापि, यह उत्तर परियोजना की विशिष्ट उपलब्धि तथा परियोजना के लक्ष्यों के संदर्भ में उसकी सफलता के बारे में कुछ नहीं कहता।

- **भविष्यानुकूल उच्च उर्जा आकारित चार्ज स्फोटक शीर्ष के डिज़ाइन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास**

फरवरी 2009 में 60 महीने की पी डी सी के साथ ₹ 13.70 करोड़ की लागत पर टी बी आर एल द्वारा एक टी डी परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत, गहन भूमिगत कमान एवं नियंत्रण बंकरों, दोहरे खोल से युक्त पनडुब्बियों को विफल करने के लिए उच्च उर्जा आकारित चार्ज स्फोटक शीर्ष के डिज़ाइन के लिए तथा नौसेना पोतों और आकाशीय लक्ष्यों को विफल करने के लिए उच्च ऊर्जा मल्टी पी-चार्ज आधारित स्फोटक शीर्षों के डिज़ाइन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना था। जैसा कि प्रयोगशाला द्वारा अगस्त 2008 में (परियोजना की संस्वीकृति से पूर्व) स्पष्ट किया गया, बहुस्तरित लक्ष्य जैसे ट्रिपल रीइनफोर्सड सीमेंट कंकरीट (टी आर सी सी)/सघन भूमि में 4.5 मीटर बेधना भी एक लक्ष्य था। इस परियोजना की सीमित सफलता के बावजूद, ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की कार्यकारी पुनरावलोकन समिति के अध्यक्ष ने, तथापि टी आर सी सी में 4.5 मी. के वेधन के प्रति साधारण सीमेंट कंकरीट (पी सी सी) में 3 मी. वेधन की प्राप्ति के बाद परियोजना के समापन की सिफारिश की (जनवरी 2014)। यह कार्यकारी समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण भूल थी। लेखापरीक्षा के इस प्रश्न कि किस प्रकार परीक्षण को सफल बताया गया, जबकि वेधन टी आर सी सी में 4.5 मी. के प्रति पी सी सी में केवल 3 मी. था, के उत्तर में यह बताया गया कि उच्चतर वेधन अर्थात् आर सी सी

में 4.5 मी. तक, प्राप्त करने के लिए 12 वीं योजना के अंतर्गत एक अलग परियोजना ग्रहण की गई है। इस प्रकार, यद्यपि लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए गए थे, फिर भी कार्यकारी समिति द्वारा परियोजना को सफल घोषित किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 4.5 मी. वेधन स्तर प्राप्त करने हेतु “कठोरीकृत गहन भूमिगत लक्ष्यों को विफल करने के लिए आकारित चार्ज आधारित मल्टी स्टेज स्फोटक शीर्ष प्रणाली के डिज़ाइन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास” हेतु दिसंबर 2013 में टी बी आर एल द्वारा एक और टी डी परियोजना (टी डी-13/टी बी आर-655) शुरू की गई। इस परियोजना की पी डी सी दिसंबर 2018 है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2015) कि मल्टी ई एफ पी प्रौद्योगिकी को इस सीमा तक विकसित किया गया कि अपेक्षित विनिर्देशन के अनुसार स्फोटक शीर्षों के डिज़ाइन का आर सी आई हैदराबाद के ए डी कार्यक्रम के अंतर्गत अवरोधन मिसाइलों के अनेक उड़ान परीक्षणों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। अतः उनका उत्तर लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को सिद्ध करता है कि विकसित की गई प्रौद्योगिकी का प्रयोग पोषक प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया तथा विनिर्दिष्ट वेधन स्तरों को प्राप्त करने हेतु एक और परियोजना शुरू की गई।

इस प्रकार, दो आर एंड डी परियोजनाएं और एक टी डी परियोजना शुरू करने और 16 वर्षों के बीत जाने के बाद भी वांछित लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के कारण विकसित की गई प्रौद्योगिकी को स्टाफ/एम एम परियोजना में परिवर्तित नहीं किया जा सका। आकारित चार्ज प्रयोग हेतु चौथी परियोजना टी डी परियोजना के रूप में अभी चल रही है।

(iii) बंकर बस्टर का डिज़ाइन एवं विकास

कठोरीकृत बंकरों/गहन भूमिगत संरचनाओं को बेधने तथा नष्ट करने में सक्षम बंकर बस्टर का डिज़ाइन और विकास करने के लिए विशिष्ट शस्त्र प्रौद्योगिकी का विकास करना इस परियोजना के लक्ष्य थे। मंत्रालय ने मार्च 2004 में ₹4.90 करोड़ की लागत पर ‘बंकर बस्टर का डिज़ाइन और विकास’ के लिए एक परियोजना को संस्वीकृति दी, जिसके अनुसार इसकी पी डी सी 48 महीने थी, जिसे बाद में संस्वीकृति की तिथि से 60 महीने में संशोधित कर दिया गया।

यद्यपि यह परियोजना मार्च 2009 में ₹1.42 करोड़ की लागत पर समाप्त की गई, फिर भी परियोजना के समापन के चार वर्ष (अप्रैल 2009 से नवंबर 2013) के बाद भी विकसित की गई प्रौद्योगिकी का उत्पादन में रूपांतरण नहीं किया गया। टी बी आर एल ने परियोजना के लंबित वित्तीय समापन को इस विलंब के लिए कारण बताया (नवंबर 2014)। यह भी बताया गया कि यह एक पोषक परियोजना थी, जिससे विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग दिसंबर 2018 की पी डी सी के साथ दिसंबर

2013 में संस्वीकृत अब चल रही 12 वीं योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजना में किया जा रहा है। अतः पिछली परियोजना में विकसित प्रौद्योगिकी का परवर्ती परियोजना में पाँच वर्षों से अधिक समय तक प्रयोग नहीं किया गया, जिसके कारण उत्पाद में रूपांतरण के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में व्यापक विलंब हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2015) कि विकसित की गई प्रौद्योगिकी विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययनों, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन विश्लेषण हेतु निर्णय सहायता (डी ए टी ई) और पोषक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना शुरू करने से पहले परियोजना प्रस्तावों के प्रतिपादन के अधीन थी। तथापि तथ्य यह है कि चूंकि विषयगत परियोजना को एक पोषक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया, इसलिए व्यवहार्यता अध्ययन, डी ए टी ई विश्लेषण आदि जैसे कार्यकलाप इस परियोजना के सफल समापन से पूर्व किए जाने चाहिए थे।

(iii) स्लैपर डेटोनेटरों का विकास

स्लैपर डेटोनेटर विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने ₹4.29 करोड़ की लागत पर नवंबर 2002 में एक परियोजना को संस्वीकृति दी। इस परियोजना की पी डी सी संस्वीकृति जारी होने की तिथि से 42 महीने थी।

परियोजना का लक्ष्य विकसित देशों द्वारा प्रयुक्त डिवाइसों की बराबरी पर प्रणाली तैयार करने हेतु परिष्कृत शस्त्र प्रणाली के लिए स्लैपर डेटोनेटर डिवाइसों का विकास करना था। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद उसे भावी शस्त्र प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए उत्पादन निर्माणियों में हस्तांतरित किया जाना था। यह परियोजना 30 नवंबर 2006 को सफल घोषित करके समाप्त कर दी गई। शस्त्र प्रणाली में समावेशन के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में टी बी आर एल ने कहा (दिसंबर 2014) कि इस परियोजना के अंतर्गत विकसित डेटोनेटर ने वांछित वोल्टेज स्तर से अधिक वोल्टेज प्राप्त की। इस प्रकार, वोल्टेज स्तर को कम करने हेतु एक टी डी परियोजना (टी बी आर-1249) शुरू की गई, जिसकी पी डी सी नवंबर 2015 थी। इस प्रकार टी बी आर एल ने परियोजना प्रारंभ करने के पहले स्फोटक शीर्ष के साथ डेटोनेटर की वोल्टेज उपयुक्तता का उचित अध्ययन नहीं किया। इस परियोजना के लिए बनाए गए लक्ष्य इसलिए त्रुटिपूर्ण थे।

अतः प्रौद्योगिकी का विकास करने के बाद परियोजना के समापन के आठ वर्षों के बाद भी शस्त्र प्रणाली के साथ उसको एकीकृत करने के लिए वांछित वोल्टेज स्तर प्राप्त न किए जाने के कारण उसे उत्पादन निर्माणियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका।

(iv) डिवाइसों को प्रवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास

इस परियोजना का लक्ष्य एकल बिंदु प्रवर्तन और बहु बिंदु प्रवर्तन के लिए लेज़र आयुध प्रवर्तक का विकास करना तथा बाद में उसके सफल विकास के पश्चात् शस्त्र प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए उत्पादन अभिकरणों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ₹ 4.76 करोड़ की लागत पर नवंबर 2002 में 'डिवाइसों को प्रवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास' के लिए परियोजना संस्वीकृत की गई, जिसकी पी डी सी संस्वीकृति की तिथि से 4 वर्ष थी, जो बाद में 5 वर्ष में संशोधित कर दी गई। इस परियोजना में लेज़र प्रौद्योगिकी द्वारा एकल बिंदु प्रवर्तन प्राप्त कर लिया गया, किंतु बहु बिंदु प्रवर्तन प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि वह लेज़र प्रणाली, जिसका आयात किया जाना था, नवंबर 2007 तक परियोजना की विस्तारित अवधि में भी प्राप्त नहीं की जा सकी थी। तथापि, इस परियोजना को किरणपुंज को विखंडित करके तथा अनेक लेज़र डायोडों को एक साथ दाग कर बहु-लक्ष्यों के प्रवर्तन के आधार पर निदेशक टी बी आर एल द्वारा नवंबर 2007 में सफल घोषित करके समाप्त कर दिया गया।

शस्त्र प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए उत्पादन अभिकरणों को लेज़र आयुध प्रवर्तक प्रणाली के हस्तांतरण, जो परियोजना के लक्ष्य में परिकल्पित था, के संबंध में लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में टी बी आर एल ने कहा (दिसंबर 2014) कि यह आर एंड डी परियोजना थी और इसके अंतर्गत विकसित लेज़र आयुध प्रवर्तन प्रणाली (एल ओ आई एस) एक प्रयोगशाला नमूना है और फील्ड ढांचे का विकास करने के लिए परवर्ती टी डी परियोजना (टी बी आर -1249) नवंबर 2008 में शुरू की गई है। इस परियोजना की पी डी सी मई 2014 थी, जिसे बाद में नवंबर 2015 तक बढ़ा दिया गया।

इस प्रकार, शस्त्र प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु लेज़र प्रवर्तक प्रौद्योगिकी का विकास तथा उत्पादन अभिकरणों को उसके हस्तांतरण का लक्ष्य इस परियोजना में प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके बावजूद परियोजना को सफल घोषित करके समाप्त किया गया।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि यह सूक्ष्म, सुरक्षित और लघु डेटोनेटर के विकास की दिशा में भावी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी है, जो मुख्यतः गुप्त रणनीतिक प्रयोग हेतु है। इस उत्तर के होते हुए तथ्य तो यह है कि विकसित की गई प्रौद्योगिकी का अब तक कोई उपयोग नहीं है।

(v) बहुउद्देशीय दीर्घ विलंब फ्यूज़ का डिज़ाइन एवं विकास

निदेशक, टी बी आर एल, चण्डीगढ़ ने जनवरी 1998 में "दीर्घ विलंब सहित बहुउद्देशीय फ्यूज़ के डिज़ाइन एवं विकास" के लिए आर एंड डी परियोजना

संस्वीकृत की, जिसकी पी डी सी 18 महीने थी (जून 1999)। यह परियोजना अगस्त 1989 में संस्वीकृत पूर्ववर्ती स्टाफ परियोजना “सामान्य प्रयोजन व्यक्ति-नाशक ग्रेनेड का डिज़ाइन एवं विकास” के अनुक्रम में थी, जिसे संतोषजनक गुणात्मक स्तर सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद जून 1997 में बंद कर दिया गया था। इस आर एंड डी परियोजना का लक्ष्य स्टाफ परियोजना के अंतर्गत विकसित विद्यमान फ्यूज़ के समय विलंब को राइफल ग्रेनेड के लिए अपेक्षित 5 सैकेंड विलंब से 7 सैकेंड विलंब में परिवर्तित करना था। 1997 और 1999 के बीच आयोजित चार परीक्षणों के दौरान, राइफल ग्रेनेड में प्रयुक्त फ्यूज़ प्राचलों को पूरा करने में विफल हुए। अतः प्रयोक्ताओं द्वारा अक्टूबर 2000 में यह परियोजना समयपूर्व बंद करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, इस परियोजना ने राइफल ग्रेनेड हेतु फ्यूज़ विकसित करने के वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2015) कि जिस वांछित विलंब के लिए टी बी आर एल उत्तरदायी थी, वह सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। तथापि तथ्य यह है कि वस्तुतः केवल (हैंड ग्रेनेड) के मामले में सफलता प्राप्त की गई थी। राइफल ग्रेनेड के मामले में प्राचल प्राप्त नहीं किए जा सके, जिसके कारण सेना ने अक्टूबर 2000 में मल्टी मोड ग्रेनेड (राइफल) संबंधी परियोजना को बंद कर दिया।

6.1.4 आर एंड डी /टी डी/आई एफ परियोजनाओं में समय अधिक्रमण

नयी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, संसाधनों की उपलब्धता, संभावित समापन तिथि (पी डी सी) और कार्यान्वयन योजना मुख्य मापदंड है। परियोजनाओं की समग्र प्रगति की समीक्षा हेतु सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना की संस्वीकृति के समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत समीक्षा और निगरानी प्रक्रिया विद्यमान है।

हमने देखा कि जबकि प्रत्येक परियोजना के लिए एक निर्धारित पी डी सी है, फिर भी 24 समाप्त परियोजनाओं में से 14 (58 प्रतिशत) विलंबित हुई थीं। यह विलंब 8 महीने से 54 महीने तक था। विलंबित परियोजनाओं के काल-वार विश्लेषण का सार नीचे तालिका-26 में दिया गया है।

तालिका-26

परियोजनाओं की कुल संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	विलंब की अवधि				
		एक वर्ष तक	एक से दो वर्ष तक	दो से तीन वर्ष तक	तीन से चार वर्ष तक	चार से पांच वर्ष तक
24	14	6	5	1	1	1

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही पी डी सी/विस्तारित पी डी सी समाप्त हो जाती है, परियोजनाओं को बंद माना जाता है। तथापि, प्रशासनिक रूप से उसके बंद होने में कुछ समय लग जाता है। मंत्रालय ने उपरोक्त विलंब की अवधि का यह कहते हुए विरोध किया कि जब परियोजनाएं भौतिक रूप से समाप्त हो गई थी, उनके प्रशासनिक समापन में विलंब हुआ। मंत्रालय का यह दावा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एक परियोजना को उससे संबद्ध सभी क्रियाकलापों के समापन के बाद ही बंद माना जाता है।

मंत्रालय ने तथापि “द्वि-उपयोग मदों” के आपूर्ति आदेशों के गैर-कार्यान्वयन को इस विलंब के लिए कारण बताया, जिसके लिए प्रयोगशाला को प्रौद्योगिकी प्रदान नहीं की गई।

6.1.5 विकसित प्रौद्योगिकी का भावी उपयोग

प्रारंभ की गई परियोजनाओं की समापन रिपोर्टों में विकसित प्रौद्योगिकी/प्राप्त परिणामों के भावी उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। विकसित की गई प्रौद्योगिकी को परखने हेतु लेखापरीक्षा में यह मामला उठाया गया। लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में निदेशक, टी बी आर एल ने पुष्टि की (दिसंबर 2014) कि समापन रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं होता है और बताया कि चूंकि कुछ परियोजनाएं रणनीतिक प्रकृति की हैं और पहले से ही विकसित प्रणालियों की उन्नति के लिए हैं, इसलिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता प्रयोक्ता/महानिदेशक (मुख्यालय) को प्रदान की जाती है। लक्ष्यों की प्राप्ति में निम्न सफलता दर को देखते हुए, जैसाकि इस प्रतिवेदन में पहले चर्चा की गई है, विकसित प्रौद्योगिकी/प्राप्त परिणामों की प्रस्तावित व्यवहार्यता का उल्लेख पारदर्शिता हेतु समापन रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- स्टाफ परियोजनाएं प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तावित सुनिश्चित क्यू आर के आधार पर प्रारंभ की जाती हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य एक विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर सेवाओं में इन प्रणालियों का अधिष्ठापन किया जाना है। तथापि, टी बी आर एल ने विगत 15 वर्षों में कोई भी स्टाफ परियोजना प्रारंभ नहीं की। 1998 से पूर्व प्रारंभ की गई दो स्टाफ परियोजनाएं, जो बाद में 2000 और 2010 में आर एंड डी और टी डी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित की गई, अब भी सफल उत्पादनकरण की प्रतीक्षा में थीं। निर्धारित गुणता प्राचलों को प्राप्त करने में टी बी आर एल की विफलता गैर-उत्पादनकरण और सेवा में प्रौद्योगिकी के संभावित अधिष्ठापन न होने के लिए कारण थी।

- आर एंड डी तथा टी डी डी परियोजनाओं का अंततः स्टाफ परियोजनाओं में अनुप्रयोग प्रत्याशित है। ऐसी परियोजनाओं में कुछ बौद्धिक संपदा के सृजन की संभावना है, जो पेटेंट प्राप्त करने योग्य है। तथापि, टी बी आर एल द्वारा पिछले 15 वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई अधिकांश आर एंड डी / टी डी परियोजनाओं को लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के कारण स्टाफ परियोजनाओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका। 20 आर एंड डी परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं ने, यद्यपि उन्हें सफल घोषित करने के बाद बंद किया गया, वस्तुतः निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे तथा अंततः परवर्ती परियोजनाओं के लिए पोषक परियोजनाओं के रूप में उनका प्रयोग किया गया।
- परियोजनाओं की समग्र प्रगति की समीक्षा हेतु सभी परियोजनाओं के लिए उनकी संस्वीकृति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत और निगरानी प्रक्रिया विद्यमान है। तथापि, कार्यकारी समिति तथा परियोजना निरीक्षण समिति के द्वारा विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के बावजूद मुख्यतः आपूर्ति आदेशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण 58 प्रतिशत परियोजनाएं विलंबित हुईं, जो गलत योजना एवं निगरानी की ओर संकेत करता है।

यह मामला मंत्रालय को भेजा गया (जून 2015)। मंत्रालय से प्राप्त उत्तर (अगस्त 2015) को उपयुक्त रूप में सम्मिलित किया गया है।

6.2 अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद में एस ए पी उद्यम संसाधन योजना प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् अगस्त 2011 में ₹15 करोड़ की लागत से ई आर पी प्रणाली को कार्यान्वित किया गया था जिसे व्यावसायिक नियमों के अपूर्ण मानचित्रण के कारण आंशिक रूप से प्रयोग, मॉड्युलों के अपर्याप्त प्रयोग तथा एम आय एस रिपोर्ट को उत्पन्न करने तथा निर्णय लेने में मैनुअल हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। ई आर पी में इन्वेंट्री डाटा अपूर्ण था क्योंकि, उसे लिगैसी डाटाबेस से मात्र आंशिक रूप से पोर्ट किया गया था। ई आर पी डाटाबेस में डाटाबेस का गलत कोडीकरण किया गया था। परियोजना प्रणाली मॉड्युल का प्रयोग केवल सामग्री प्रबंधन मॉड्युल के साथ एकीकृत प्रक्रियाओं से संबंधित खरीद के लिए ही किया गया तथा परियोजनाओं की शेड्यूलिंग तथा मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग नहीं किया गया।

6.2.1 प्रस्तावना

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) की एक प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र इमारत (आर सी आई) हैदराबाद की स्थापना प्रौद्योगिकियों की डिजाइन तथा विकास के लिए हुई जो भरोसेमंद देशी शस्त्र प्रणाली तैयार करेगी। यह नॅविगेशन,

नियंत्रण, मार्गदर्शक पद्धति, इन्फ्रारेड तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी अन्वेषक की इमेजिंग, बॅटरियों तथा उड्डयन उपकरण तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान करती है। मार्च 2005 में, आर सी आई ने बड़े अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं, जिसमें बहुत सी अनिश्चितताएँ तथा चुनौतियों तकनीकी निष्पादन में परियोजना जोखिम को रोकने, समय-सारिणी तथा लागत, पिछली आई टी निवेश की सुरक्षा करने हेतु मौजूदा वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर तथा प्रयोज्यता सॉफ्टवेयर के एकीकरण, आर सी आई का सभी डिविजनों अन्य अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थाओं तथा विभिन्न डीआरडीओं प्रयोगशालाओं के एकीकरण, निर्णय लेने हेतु सभी डाटा तथा स्वचलित परियोजना मानिट्रिंग और विभिन्न रिपोर्टों की आन लाइन तैयार करने जिसमें प्रबंधन सूचना रिपोर्ट शामिल है, के एकीकरण के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ एस ए पी ई आर पी⁵⁸ प्रणाली के क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखा। सितम्बर 2007 में आर सी आई ने ₹14.91 करोड़ की कुल लागत पर टर्न-की आधार पर एक डाटा केंद्र को स्थापित करने तथा एस ए पी ई आर पी प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए मेसर्स टाटा कन्सल्टैन्सी सर्विस (टी सी एस) को मुख्य ठेकेदार तथा मेसर्स कम्प्युटर मेन्टेनेन्स कॉर्पोरेशन (सी एम सी) को उप ठेकेदार के रूप में लगाया। आर सी आईने अगस्त 2011 में निर्धारित समय से तीन वर्ष देरी से ई आर पी प्रणाली के अधीन 23 मॉड्युल्सों को क्रियान्वित किया। वेब आधारित पोर्टल के जरिए उपभोक्ताओं को एस ए पी ई आर पी उपलब्ध करवायी जाती है तथा पी सी ओ/थिन क्लायंटों को एस ए पी जी यू आई प्रदान की जाती है। जनवरी से अप्रैल 2015 के दौरान लेखापरीक्षा ने एस आर पी ई आर पी के व्यावसायिक प्रक्रिया, पुनर्निर्माण, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, अनुकूलन तथा कार्यान्वयन का पुनरीक्षण किया तथा कैलेन्डर वर्ष 2011-2014 के डाटा का विश्लेषण किया। इसमें परियोजना प्रणाली (पी एस) तथा सामग्री प्रबंधन (एम एम) मॉड्युल को चयनित किया गया। पी एस मॉड्युल परियोजना प्रस्ताव तैयार करना, संस्वीकृति, अधिप्राप्ति तथा आविष्कार प्रबंधन के लिए परियोजना नियोजन से संबंध रखती है जबकि, एम एम मॉड्युल सेवा बिन्दु के आंतरिक ऑपरेशनों के जरिए उनके प्रारंभिक खरीद से सामग्री प्रवाह के नियोजन, आयोजन तथा नियंत्रण से संबंधित है।

6.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.2.1 नियंत्रण की कमजोरियाँ

पर्याप्त तथा उचित सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण यह सुनिश्चित करती है कि, पर्याप्त उपायों को बनाया गया है तथा विभिन्न जोखिमों को कम करने में उसका उपयोग

⁵⁸ एस आर पी ई आर पी यह उद्यम संसाधन योजना सॉफ्टवेयर है जिसे जर्मन कम्पनी एस ए पी द्वारा

विकसित किया गया तथा जिसमें किसी संगठन के सभी प्रकारों का समावेश है।

किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का लक्ष्य व्यावसायिक उद्यम के डाटा की उपलब्धि, गोपनीयता, एकीकरण, तथा उद्यम की सूचना प्रौद्योगिकी का संपूर्ण प्रबंधन करना है।

क) भौतिक नियंत्रण

आर सी आई डाटा केंद्र में रखे गए संवेदनशील डाटा के सहज प्राप्ति को रोकनेवाले नियंत्रण यंत्रों जैसे कि प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, फिंगर प्रिंट रिडर, निगरानी प्रणाली (सी सी टी व्ही), चुंबकीय डोर संस्पर्श और नियंत्रक, के इंस्टालेशन का प्रावधान संविदा में किया गया। डाटा केंद्र की जिम्मेदारी निजी पार्टियों को सौंपी गई थी, जिसमें प्रवेश नियंत्रक प्रणाली का रखरखाव शामिल था। तथापि, हमने देखा कि, डाटा केंद्र में सहज प्रवेश के लिए दरवाजा खुला ही रखा जाता है ।

डाटा केंद्र में प्रवेश नियंत्रण संबंधी स्पष्टीकरण माँगे जाने पर, डी आर डी ओ ने (अगस्त 2015) में बताया कि, डाटा केंद्र कमरों में सभी सॉफ्टवेयर रखरखाव/इन्सटॉलेशन/प्रशासकीय स्टाफ के प्रवेश की जरूरत नहीं थी। डाटा केंद्र में रखरखाव टीम के प्रवेश को डाटा केंद्र इनचार्ज द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा सीसीटीव्ही द्वारा लोगों की आवाजाही रिकार्ड की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, डाटा केंद्र में कर्मियों की बेरोक/सहज आवाजाही है तथा आर सी आई द्वारा अपनाई गई प्रणाली अनुकूल के बजाय प्रतिकूल ही दिखाई देती है। पुनः अनधिकृत प्रवेश की निगरानी हेतु प्रवेश नियंत्रण उपकरणों की लॉग फाइलें बनाई नहीं गई थीं। आर सी आई द्वारा मिसाइलों तथा रक्षा क्षेत्र के उपकरणों से संबंधित डाटा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए भौतिक प्रवेश नियंत्रण की कमियाँ प्रणाली तथा डाटा में अनधिकृत पहुँच को उजागर करती हैं।

ख) तार्किक तथा प्राधिकरण नियंत्रण

पासवर्ड नीती/पॉलिसी

लेखापरीक्षा में आर सी आई में अनधिकृत पहुँच सुरक्षा पैरामीटरों, उनके कार्यों, एस ए पी मानक सेटिंग्स तथा सिफारीश की गई सेटिंग्स के सामने वास्तविक सेटिंग्स का निरीक्षण किया गया। हमने देखा कि, प्रणाली में पासवर्ड की समाप्ति तथा पासवर्ड की अवधि निश्चित नहीं कि गई थी । पासवर्ड बदलने से संबंधित प्रोफाइल पैरामीटरों का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि, प्रयोक्ताओं द्वारा पासवर्ड को बदलना जो आई टी सुरक्षा के लिए योग्य होती है, की मात्रा बहुत कम थी जैसा कि 630 प्रयोक्ताओं में मात्र 48 प्रयोक्ताओं ने 90 दिनों के भीतर अपने पासवर्ड को बदल दिया था।

लेखापरीक्षा के सवाल के जवाब में, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, आर सी आई की ई आर पी प्रणाली यह पहली एकीकृत स्वचलित प्रणाली है जिसे संगठन में क्रियान्वित किया गया जो सीधे-साधे प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोग में लाने के लिए थोड़ी जटिल है। डी आर डी ओ ने आगे यह कहा कि, आर सी आई कर्मचारियों के लिए ई आर पी प्रणाली के प्रयोग को सरल बनाने के लिए, लचीली पासवर्ड पॉलिसियों को निर्धारित किया गया है जिसे कुछ समय के पश्चात धीरे-धीरे कठोर किया जाएगा। यह भी कहा गया कि, बार-बार पासवर्ड परिवर्तन नीति को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जवाब इस बात की पुष्टी करता है कि, प्रणाली के गो-लाइव के चार वर्षों की समाप्ति होने पर भी पासवर्ड पॉलिसी को सशक्त नहीं बनाया जा सका। इससे यह सूचित होता है कि, प्रणाली में विद्यमान तार्किक तथा प्राधिकरण नियंत्रण बहुत कमजोर है जो आर सी आई की आई टी सुरक्षा से समझौता करते हैं।

कर्तव्यों का पृथक्करण

कर्तव्यों का अलग होना तभी पाया जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों पर अवरोध लगाता है और अन्य व्यक्ति के शामिल हुए बगैर उस व्यक्ति द्वारा शुरू से अंत तक किसी कार्य को करने में अवरोध उत्पन्न करता है। कर्तव्यों का अपर्याप्त पृथक्करण त्रुटियों के किए जानने तथा अनभिज्ञेय रहने की जोखिम, धोखेबाजी के अवसरों तथा अयोग्य अनैतिक कार्य प्रथा को अंगीकार करने को बढ़ाता है। इसे मौजूदगी तथा कार्य प्रकारों सहित अनुपालन के जरिए हासिल किया जा सकता है। उपरोक्त के होते हुए भी:

- i. एक विकासक को पी एस मॉड्युल में संपूर्ण प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जो उत्पादन के मौजूदा कार्यक्रम में हेर-फेर कर सकता था, उत्पादन पर्यावरण को सीमित मॉनिटरिंग में कन्फिगर कर सकता था, अनियमित विकास प्रथाओं को छुपा रख कर तथा तालिकाओं में डाटा का हेर-फेर करके तथा अनुपयुक्त रूपांतरित डाटा को उपयोग करते हुए प्रोग्राम को चालू कर सकता था। अतः एक विकासक को पी एस मॉड्युल के सभी अधिकारों को सौंपना सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा हेतु प्रचलित परंपरा के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि , ये कर्मचारी मॉड्युल के प्रयोक्ता नहीं हैं, बल्कि समस्या के समाधान देने वाले हैं तथा विशिष्टतया इस मॉड्युल से संबंधित समस्या का समाधान इन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है तथा उन्हें वित्तीय/गैर वित्तीय अनुमोदन कार्य का कोई प्राधिकार नहीं है।

- ii यद्यपि, एकीकृत सलाहकार (आई ए एफ ए) उसे दी गई सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा था तथा ऐसे सभी दस्तावेजों जिन पर आई ए एफ ए का अनुमोदन

आवश्यक था और जो कागजों पर लिखित रूप में लिया गया था उन्हें आर सी आई के निदेशक, संविदाओं तथा सामग्री प्रबंधन, द्वारा आई ए एफ ए के युजरनेम तथा पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टिम में डाले जा रहे थे। यह उत्तम सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा रीतियों के साथ समझौता करने तथा व्यय के अत्यावश्यक नियंत्रण पर भी समझौता करने जैसे था।

जवाब में डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, जैसे ही लिखित रूप में फाईल पर आई ए एफ ए के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो एक अधिकारी, आई ए एफ ए की ओर से अनुमोदन देने का कार्य करता है। यह भी कहा गया कि, जैसे ही आई ए एफ ए ई आर पी प्रणाली को प्रयोग में लाना शुरू कर देगा, तो ऊपर संदर्भित बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेखापरीक्षा को यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, उपर्युक्त प्रणाली कर्तव्यों के अपर्याप्त पृथक्करण जैसे कि, कर्मचारियों द्वारा बहुविध कार्यों को निष्पादित करना, डाटा में जोड़-तोड़, अधिप्राप्तियों की अनियमित संस्वीकृति की जोखिम को उत्पन्न करती है।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षा

रक्षा लेखा प्रधान निदेशक/रक्षा लेखा निदेशक (आर एण्ड डी) का संगठन डी आर डी ओ द्वारा रखे गए लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, लेखांकन प्रणाली तथा रचनातंत्र कुशल है तथा लेखांकन रिपोर्ट सही है तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करती है। इसमें संगठन के दस्तावेजों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं और प्रचालन का सुव्यवस्थित परीक्षण किया जाना शामिल है जैसे कि, कार्यकारी को सेवा दी जाती है। प्रयोगशालाओं/संस्थापनों/यूनिटों द्वारा लिए गए आर एण्ड डी परियोजनाओं की वित्तीय लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा भी रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु एवं वि.) द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में, स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी (एलएओ) अन्तःशेष/प्रारंभिक रोकड़ बही शेषों की लिंकिंग, पेयरिंग, कास्टिंग तथा चेकिंग करता है।

हमने देखा कि, आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यों के सम्पादन करने के लिए मॉड्यूल को ई आर पी प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप न केवल ई आर पी प्रणाली के जरिए लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं हो पाती बल्कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु हस्त लिखित दस्तावेजों के रखरखाव की जरूरत थी।

इस बात को इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु. एवं वि.) की सक्रिय सहभागिता आवश्यक थी। डी आर डी ओ द्वारा यह भी कहा गया कि, रक्षा लेखा नियंत्रक, यदि वे चाहे तो महीने की समाप्ति तक रूकने की बजाय वास्तविक समय के आधार पर अपने स्थान से ही ई आर पी का प्रयोग करते हुए दस्तावेजों को प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यक सुधारक उपाय

कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले दो-तीन वर्षों से ई आर पी के जरिए हस्तालिखित प्रतियाँ भी बनाई जा रही थीं। तथापि, रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु एवं वि.) ने अपने जवाब में यह कहा है कि, प्रणाली में लेखापरीक्षा मॉड्यूल समाविष्ट नहीं किया गया तथा उन्हें मॉड्यूलों के क्रियान्वयन में शामिल नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में डी आर डी ओ का ऐसा जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, प्रणाली के गो-लाईव के चार वर्षों की समाप्ति के बावजूद ई आर पी प्रणाली में लेखापरीक्षा मॉड्यूल को समाविष्ट नहीं किया गया था जैसे कि, रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु. एवं वि.) द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

6.2.2.2 व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा पुनर्प्राप्ति योजना

व्यवसाय की निरंतरता, आपदा पुनर्प्राप्ति योजना तथा सम्मिलित नियंत्रणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, किसी रुकावट या संकट जिससे कम्प्यूटर सुविधाओं की अस्थायी या स्थायी नुकसान होने की स्थिति में भी संगठन अपना मिशन कार्य जारी रख सकता है तथा रखी गई जानकारी की प्रक्रिया पुनःप्राप्ति तथा उसकी सुरक्षा की क्षमता नहीं खो देगा। हमने देखा कि, आर सी आई ने डाटा सेंटर बिल्डिंग के बाहर या उसी भूकंपीय क्षेत्र से बाहर बैकअप सर्वरों को स्थापित नहीं किया जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण डाटा की हानि अथवा व्यवसाय की निरंतरता भंग हो सकती है।

जवाब में, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, बैकअप डाटा के सुरक्षित भंडारण के लिए योग्य जगह का विचार किया जाएगा। आपदा पुनर्प्राप्ति तथा व्यवसाय निरंतरता योजना के संबंध में डी आर डी ओ ने बताया कि, वित्तीय संस्वीकृति की प्राप्ति पर इसको क्रियान्वित किया जाएगा। सुसज्जित तथा जाँचे गए व्यवसाय निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना की गैर मौजूदगी में आपदा के समय में संगठन के अस्तित्व को ही धोखा हो सकता है।

6.2.3 सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल

आर सी आई में एस ए पी कार्यान्वयन के अधीन एम एम मॉड्यूल का आधारभूत क्रियाकलाप सामग्री मास्टर, विक्रेता मास्टर, सामग्री की खरीद (माँग, निविदा प्रक्रिया, टी पी टी, आपूर्ति आदेशों, वाउचरों को तैयार करना इत्यादि) इन्वन्टरी प्रबंधन तथा सामग्री मूल्य निर्धारण को बनाए रखना।

6.2.3.1 प्रणाली में व्यवसाय नियमावतियों की व्यवस्था का न होना

व्यवसाय नियमावली व्यवसाय संगठन की नीतियों और उसके चलने का सारांश है जो किसी भी संगठन की संरचना प्रचलन तथा उसकी रणनीति को परिभाषित और

नियंत्रित करती है। विशिष्ट शर्तों के अधीन बनाई की गई नियमावली स्वयं ही कार्रवाई कर लेती है। हमने देखा कि, सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में कुछ व्यवसाय नियमों की व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई है जैसे कि, निम्नवत परिच्छेदों में ब्यौरेवार दिया गया है:

क) कार्य क्षेत्रों में व्यवस्था का न होना

लेखापरीक्षा ने आर सी आई में एस ए पी ई आर पी के क्रियान्वयन के अनुवर्ती, भण्डारों की अधिप्राप्ति से जुड़ी 64 कार्यक्षेत्रों से संबद्ध ब्यौरों की माँग की थी। प्रक्रिया की गति, खरीद नियमों का अनुपालन तथा स्वीकृति प्राप्ति से लेकर सप्लाई आदेशों को जारी करने तथा इसे पूरा होने तक संस्वीकृति प्राप्ति पर लिया गया समय तथा सामग्रीकरण का आकलन करने के लिए डाटा की माँग की गई थी। तथापि, आर सी आई ने अपने जवाब में कहा कि, 21 कार्यक्षेत्रों को ई आर पी प्रणाली के जरिए नहीं बनाया जा सका जिसमें निधियों की उपलब्धता, वह तिथि जब भंडार की आवश्यकता थी, वित्तीय संस्वीकृति, ई डी ई सी/सी डी ई सी का जारी होना, टी डी एस, डिलीवरी में विलंब के लिए निर्धारित क्षति की राशि उपभोक्ताओं के भंडारणों को जारी करने की तिथि, अन्योन्य शामिल था। लेखापरीक्षा में इसका स्पष्टीकरण माँगने पर, डी आर डी ओ ने बताया(अगस्त 2015) कि, कुछ लेन-देन प्रणाली के बाहर किए जाते हैं अर्थात् सी डी ई सी/डी सी ई सी, टी डी एस, निर्धारित क्षति की राशि। प्रक्रिया, जिसकी प्रणाली में व्यवस्था की जाती थी, से संबंधित क्रियान्वयन के प्रयासों को जारी रखा जाएगा। यह भी बताया गया कि डी आर डी ओ में जब कभी भी ई आर पी क्रियान्वित होगी तथा रक्षा लेखा नियंत्रक मॉड्यूल प्रभावी ढंग से काम करेगा तो प्रणाली में ये सभी लेन-देन उपलब्ध हो जाएंगे।

लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, इससे यह दिखाई देता है कि, अगस्त 2011 में एस ए पी ई आर पी प्रणाली के क्रियान्वयन के बावजूद, खरीद प्रक्रिया अभी भी पूर्णतया स्वचलित नहीं है, जो संपूर्ण खरीद प्रक्रिया के अंकीकरण के उद्देश्य को ही निष्फल कर देती है।

ख) निविदा प्रक्रिया तथा प्राधिकरण नियंत्रण- माँग की पहल

डी आर डी ओ खरीद प्रबंधन मैनुअल 2006, भंडार खरीद की माँग रखने वाले लोगों का प्राधिकार/स्तर निर्धारित करता है। दस्तावेजों का सारांश यह प्रकट करता है कि, ₹ 15.11 करोड़ मूल्य की 3392 माँगों को वैज्ञानिक 'सी' से नीचे की रैंक के अधिकारियों ने माँगा, जिसे माँगों को प्रारंभ करने का प्राधिकार नहीं था। लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, तकनीकी निदेशक के निवेदन के आधार पर कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त प्राधिकार दिया गया था, जो यथासंभव उन मामलों में माँग की स्वीकृति देते हैं तथा नियमों के

अनुसार प्रणाली को सही कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, माँग के पहल की वर्तमान प्रणाली नियमानुसार नहीं है।

ग) राजस्व के अधीन पूँजीगत व्यय की बुकिंग

डी आर डी ओ के भंडार प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.6 के अनुसार ₹10 लाख से अधिक की लागत तथा सात वर्षों की आयु वाले गैर-उपभोज्य सामग्रियों को पूँजीगत सामग्रियों के रूप में वर्गीकृत करना होता है। तथापि ₹ 34.75 करोड़ के मूल्य के 381 मामलों में जहाँ सामग्री की लागत ₹10 लाख से कम थी, को पूँजी शीर्ष के तहत माँगा गया। ₹31.48 लाख के वार्षिक रखरखाव के लिए सप्लाई आदेशों के चार मामले भी पूँजी शीर्ष में रखे गए थे। पुनः बुकिंग के स्वरूप की यथातथ्यता को सत्यापित करने के लिए भंडार की आयु को दर्शाने वाले क्षेत्र का प्रावधान प्रणाली में नहीं था। लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, ऐसे मामले जहाँ लागत ₹10 लाख के कम थी, को इसलिए पूँजी के अधीन बुकिंग किया क्योंकि सामग्रियों की शेल्फ लाइफ सात वर्षों से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्क संगत नहीं है, क्योंकि, पूँजीगत व्यय के लिए लागत तथा सात वर्षों की आयु की शर्तों को भंडार प्रबंधन दिशा-निर्देशों में उल्लेख है।

घ) भंडार अधिप्राप्ति समिति (एसपीसी) के अनुमोदन के बिना निविदाओं का स्वीकार करना

डी आर डी ओ खरीद मॅन्युअल का पैरा 4.4 यह निर्धारित करता है कि, एक ₹ लाख से अधिक की माँगों पर एसपीसी की अनुमति से कार्रवाई की जानी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि, ₹12.38 करोड़ मूल्य के 137 मामलों में जहाँ सामग्री की अनुमानित लागत ₹ एक लाख से ऊपर थी, वहाँ एस पी सी की अनुमति बगैर माँगों पर कार्रवाई की गई।

डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, वर्तमान में एक लाख से उपर के सभी मामलों को एस पी सी के मार्ग से ही भिजवाया गया था।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, डी आर डी ओ प्रणाली में नियमवातियों के मानचित्रण करने पर चुप्पी साधे हुए हैं।

ङ) गैर-पंजीकृत विक्रेताओं से ली गई निविदा शुल्कों की उगाही का कोई रिकार्ड न होना

डी आर डी ओ के खरीद प्रबंधन मॅन्युअल के पैरा 7.4.5 के अनुसार, गैर-पंजीकृत विक्रेताओं से निविदा शुल्कों की उगाही की जानी थी। यह देखा गया कि, 232 मामलों में जहाँ शामिल निविदा शुल्क राशि ₹1.08 लाख थी, वहाँ की रिकार्ड रसीद के

क्षेत्र को खाली रखा गया था। लेखापरीक्षा में इस मामले को उठाने पर यह कहा गया कि, सभी गैर-पंजीकृत विक्रेताओं से डिमांड ड्राफ्ट के जरिए निविदा शुल्क प्राप्त होती है जिसे रजिस्टर में हाथ से दर्ज किया जाता है। यह भी कहा गया कि, डी आर डी ओ ई-अधिप्राप्ति प्लैटफार्म पर भुगतान के जरिए निविदा फीस को एकत्रित करने की योजना बना रहा है। लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, निविदा शुल्क के वास्तविक संग्रहण की राशी की पावती मिलने के बाद भी नामित क्षेत्र में उसे प्रविष्ट नहीं किया गया। निविदा शुल्कों के संग्रह संबंधी नियमों को एम एम मॉड्यूल में नहीं लिया गया। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि, निविदा जारी करने के नियमों को प्रणाली में मानचित्रण नहीं किया गया जिसके कारण निविदा मुफ्त में जारी हो सकती है।

6.2.3.2 सत्यापन नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में नियंत्रण अन्तर्निहित हो सकता है इनपुट डाटा की वैधता तथा शुद्धता को स्वचालित रूप से जाँच कर सके। एस ए पी आर/3 प्रणाली में, वैधीकरण के कुछ प्रकारों को छोड़कर सभी इनपुट मूल्यों को प्रोग्राम या तालिकाओं से या मास्टर फाईलों से वैधीकृत किया जाता है परंतु विशेष रूप से संगठन के लिए वैधीकृत लेन-देनो के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। सत्यापन कार्य मूल्यों तथा मूल्यों की क्रमबद्धता की जाँच को समर्थ बनाता है क्योंकि, जैसे ही प्रणाली में इनकी प्रविष्टि होती है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वैध डाटा की ही प्रविष्टि हुई है तथा वह कार्यवाहक है।

क) सामग्री मास्टर

एस ए पी प्रणाली में जब किसी नई सामग्री की खरीद होती है, तो उसका एक मास्टर रिकार्ड बनाया जाता है। उस सामग्री के लिए अंक ही सामग्री कोड नम्बर होना चाहिए जिससे की डुप्लीकेशन से बचा जा सके। सामग्री के विशिष्ट डाटा की पुनःप्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत के रूप में इसका उपयोग होता है। सभी सामग्री के लिए निदेशालयों (प्लाटों) में एक ही बार सामग्री मास्टर रिकार्ड का निर्माण किया जाना चाहिए।

इस जानकारी को वैयक्तिक सामग्री मास्टर रिकार्डों में, दो वर्गों में संचित किया जाना था, पहला वर्णनात्मक स्वरूप जिसमें जानकारी घटक जैसे कि, नाम आकार या आयाम हो। डाटा का अन्य वर्ग, कीमत नियंत्रण प्रकार्य का निष्पादन करता है। इस तरह प्रत्येक सामग्री के लिए एक ही मास्टर रिकार्ड बनाया जाएगा, जिसका मतलब है सामग्री से संबंधित सभी जानकारी उदाहरण के लिए खरीदी इन्वेन्ट्री, लेखाकरण, गुणता इत्यादि को एकल रिकार्ड में बनाए रखा जा सके।

इस संदर्भ में, सामग्री मास्टर प्रकार्यों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नवत बिंदुओं को देखा गया:

- सामग्री मास्टर में 64226 वस्तुएँ शामिल थीं, उसमें से 6311 वस्तुएँ के लिए 19336 सामग्री कोड थे। यहाँ तक कि, सामग्री कोड नम्बर अद्वितीय नहीं थे बल्कि एक ही सामग्री कोड नम्बर को दो से 43 बार तक दोहराया गया था।
- फिल्टर ऑइल तथा कुलंट जैसी मर्चों की मापन की ईकाई को भी सही ढंग से दर्शाया नहीं गया था। मशीनरी की मापन की ईकाई “नम्बर” की बजाय “बॉक्स” थी। उन वस्तुओं को जिन्हें “लीटर” के रूप में मापन किया जाना था, उन्हें “नम्बर” के रूप में गणन किया गया।

वस्तुओं के मिथ्या निरूपण की परिणति भंडारों में रखे स्टॉक की मात्रा की गलत रिपोर्टिंग में हो सकती है जिससे, स्टॉक या अन्योन्य में वस्तुओं के धारण किए जाने के बावजूद उन्हीं वस्तुओं के लिए आदेश दिए जाने की संभावना हो सकती है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, उपर्युक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ख) सामग्री की कोडिंग

सामग्री मास्टर के अंतर्गत आर सी आई ने उत्तर अटलांटिक संधी संगठन (नाटो) के कोडीकरण मानकों के आधार पर कोडीकरण तर्क को अपनाया, जिसमें कोड 18 अंकों से बना होता है तथा जिसमें दो हायफन भी शामिल हैं। पहले दो अंक औद्योगिक सेक्टर का निरूपण करते हैं। दूसरे दो अंक ‘सामग्री प्रकार’ का निरूपण करते हैं। तीसरे दो अंक ‘मुख्य वर्ग’ का निरूपण करते हैं और चौथे दो अंक वस्तुओं के ‘उपवर्ग’ को प्रदर्शित करते हैं। अंतिम आठ अंक विशिष्ट वस्तु के लिए एक ही सामग्री कोड का निरूपण करते हैं। सामग्री मास्टर रिकार्डों के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि, सामग्री कोडिंग स्वीकृत मानक समूहों से भटक गई है जिसकी वजह से यथार्थता और संपूर्णता को क्षति पहुँचती है।

- पहले दो अंक जो औद्योगिकी का निरूपण करते हैं जिनका क्रम 01 से 12 तक होना चाहिए था। तथापि इस क्रम से ऊपर कोडिंग को नियत किया गया।
- अंकों की बजाय अक्षरों का प्रयोग किया गया।
- सामग्री प्रकारों के अंतर्गत, उपभोज्यो को “गैर- उपभोज्यो” तथा विपरित कोड के अधीन वर्गीकृत किया गया। वहाँ मुख्य वर्ग तथा उप वर्ग मर्चों के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण था जैसे कि, ‘शस्त्रों’ के अधीन मर्चों को वेट- कैंटीन, एल पी

जी के स्पेअर्स तथा 'कम्प्यूटर प्रिंटर' को 'गोला-बारूद तथा विस्फोटकों' के 'कारतूसों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, उपर्युक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गलत कोड किए गए सामग्री मास्टर का प्रयोग करके खोज करने पर भंडार की सही स्थिति का पता नहीं चलेगा जिसके कारण भंडार की निम्न/अति प्रावधान को बढ़ावा मिल सकता है। चूँकि, आर सी आई विस्फोटक पदार्थों का भी लेन-देन करता देखता है, उससे ऐसी सामग्री का असुरक्षित भंडारण हो सकता है।

ग) आदेश मूल्य से अधिक का भुगतान

4578 मामलों में से 144 मामलों में जिनका मूल्य ₹35.03 करोड़ है, प्रणाली यह प्रतिबिंबित करती है कि, ₹38.96 करोड़ राशि का वास्तविक भुगतान किया गया था जो कि आपूर्ति के आदेश मूल्य से ₹3.93 करोड़ अधिक था । इससे यह सूचित होता है कि आपूर्ति आदेश मूल्य तथा विक्रेताओं को किए गए कुल भुगतान के बीच कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा, दिए गए डाटा में संस्वीकृत राशि में संशोधन संबंधी कोई संकेत नहीं थे । लेखापरीक्षा में सवाल किए जाने पर, डी आर डी ओ ने कहा (अगस्त 2015) कि, उल्लेखित 144 मामलों में विनिमय दर बदलाव, कर रचना संशोधन इत्यादि के कारण आपूर्ति आदेश मूल्य से अधिक का भुगतान किया गया। यह भी कहा गया कि, बिना उचित अतिरिक्त वित्तीय संस्वीकृति के ई आर पी अधिक भुगतान की अनुमति नहीं देता तथा इसको ई आर पी के जरिए पंजीकृत तथा संशोधन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, डी आर डी ओ ने कार्यक्षेत्रों की मानचित्रण न होने के संबंध में कहा था कि, लेन-देन जैसे कि सी डी ई सी/ई डी ई सी, वित्तीय संस्वीकृत इत्यादि को प्रणाली के बाहर से कार्यान्वित किया जाता है । इससे यह सूचित होता है कि, आपूर्ति आदेश मूल्य के भीतर भुगतान को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में नियंत्रण मौजूद नहीं था और उसके अनुवर्ती दुर्बल वैधीकृत जाँच होती थी ।

घ) आदेश मूल्य से अधिक का अग्रिम भुगतान

जैसा कि प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है, ₹6.53 करोड़ मूल्य के 16 मामलों में ₹7.74 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया, जो आपूर्ति आदेश मूल्य से ₹1.22 करोड़ अधिक था। इससे यह सूचित होता है कि, आदेश मूल्य तथा वास्तविक भुगतान के बीच कोई तालमेल नहीं था। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, यह लिखित प्रणाली से ई आर पी तक परिवर्तन के दौरान उत्पन्न हुई त्रुटियों के कारण हुआ और कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया। प्रणाली

में शेष भुगतान को देने के लिए लिगैसी आपूर्ति आदेशों को बनाया गया परंतु, संपूर्ण राशि को आपूर्ति आदेश के सामने बुकिंग किया गया। आगे यह भी कहा कि, वास्तविक भुगतान को हरदम आदेश मूल्य के साथ जोड़ा जाता है जो बदले में वित्तीय संस्वीकृति से जुड़ जाता है। डी आर डी ओ का यह जवाब लेखापरीक्षा में तर्क संगत नहीं है क्योंकि, प्रणाली आपूर्ति आदेश मूल्य के भीतर अग्रिम भुगतान को प्रतिबंधित नहीं कर सकी। इस प्रकार आपूर्ति आदेश मूल्य, वित्तीय संस्वीकृति इत्यादि के संदर्भ में अग्रिम भुगतान को प्रतिबंधित करने के लिए वहाँ नियंत्रण में कमी दिखाई देती है ।

6.2.3.3. प्रणाली के बाहर से अभी भी लेन-देन करना

क) सुरक्षा जमा राशि का लेखाकरण

खरीद प्रबंधन मॅन्युअल का पैरा 7.11 यह निर्दिष्ट करता है कि, योग्य विक्रेता आदेश के जारी होने से पहले समवर्ती 'सुरक्षा' राशि जो सप्लाई आपूर्ति आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को जमा करेगा। यह डिपॉजिट रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु. एवं वि.) के नाम से की जाएगी तथा इसे प्रयोगशाला/संस्थापना के लोक निधि लेखा में नहीं रखा जाएगा। हमने देखा कि, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अर्नेस्ट मनी/डिपॉजिट सुरक्षा जमा/निष्पादन गारंटी से प्राप्त राशि को आर सी आई के करार तथा सामग्री प्रबंधन (डी सी एम एम) निदेशालय द्वारा इसे वित्तीय अनुभाग को सौंपा गया था। डिमांड ड्राफ्ट को आरसीआई के लोक निधि रोकड़ बही में जमा किया गया था, जिसे बाद में आर सी आई के नाम पर फिक्स डिपॉजिट में परिवर्तित किया गया। इस फिक्स डिपॉजिट की पावती (एफ डी आर) को लेखा अधिकारी की सेफ कस्टडी में रखा गया । मैच्युरिटी पर एफ डी आर को नकद करके जो राशि प्राप्त होती है उसे लोक निधि रोकड़ बही के जमा खाते में डाला जाता है। तब देय रकम ठेकेदार को दी जाती है और जो ब्याज आता है उसे मिलिटरी रिसिवेबल आर्डर के जरिए सरकारी तिजोरी में जमा कर दिया जाता है । फरवरी 2015 तक विभिन्न एफ डी आरों के तहत आर सी आई के पास कुल राशि ₹84.68 लाख रखी हुई थी ,जिसमें सबसे पुरानी वर्ष 2005 की थी। चूँकि, इसे ऑफलाईन प्राप्त किया गया था इस कारणवश एम एस मॉड्युल में विक्रेताओं से प्राप्त सुरक्षा जमा राशि के निशान को सूचित करने के लिए ई आर पी में कोई कार्यक्षेत्र मौजूद नहीं था। इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर डी आर डी ओ ने बताया कि, इस मामले को स्पष्टीकरण हेतु रक्षा लेखा नियंत्रक को भिजवाया गया है ।

चूँकि, फिक्स डिपॉजिट के कार्यकाल के दौरान इस राशि को लोक निधि रोकड़ वहीं से बाहर रखा जाता है तथा इसे परिसंपत्ति एवं उत्तरदायित्व विवरण में प्रतिबिंबित नहीं किया जाता इससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है और उपर्युक्त प्रथा गलत भी है। इसके अतिरिक्त, इन एफ डी ओ से मिला ब्याज का दुरुपयोग किया जा सकता है चूँकि, सुरक्षा जमा से अभिप्रेत यह नहीं कि, वह सरकार के लिए आमदनी पैदा करे

इसलिए सुरक्षा जमा राशि को रक्षा लेखा नियंत्रक के पास जमा करने की आवश्यकता है तथा इसकी लेखापरीक्षा में निशान देही के लिए है ई आर पी में आवश्यक कार्यक्षेत्र को समाविष्ट किया जाना चाहिए ।

ख) वाउचरों का कम्प्यूटरीकरण न किया जाना

ई आर पी के प्रारंभ होने के साथ यह ही अपेक्षा की जा रही थी कि, प्रणाली के जरिए भंडारों के लिए विभिन्न तरह के वाउचर अर्थात् पावती वाउचर, जारी वाउचरों एक्टरनल ईश्यू वाउचरों इत्यादि को बनाया जाए। तथापि, हमने देखा कि, ई आर पी माध्यम के बजाए वाउचरों को हस्त लिखित रूप में बनाया जा रहा था। इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओने बताया (अगस्त 2015) कि, स्टॉक के सत्यापन की समाप्ति पश्चात विभिन्न प्रकार के वाउचरों के कार्यान्वयन ई आर पी में किया जाएगा। इससे यह सूचित होता है कि, एम एम मॉड्युल गो-लाइव होने के चार वर्षों के समाप्ति के बाद भी आंशिक रूप में लागू हुआ है।

6.2.3.4 निर्णय लेने के लिए प्रणाली का गैर-उपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ निर्णय लेने के लिए प्रबंधन में संपूर्ण तथा भरोसेमंद डाटा प्रदान करते हुए प्रभावी एवं शीघ्र निर्णय लेने के लिए साधन के रूप उपयुक्त होती है। निम्नलिखित उदाहरणों में हमने देखा कि, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए ई आर पी प्रणाली अभी भी प्रभावी रूप से प्रयोग में नहीं लायी जा रही।

क) विक्रेता पंजीकरण

आर सी आई ने 10084 सीमित निविदाएँ विभिन्न विक्रेताओं को जारी किया । आपूर्ति आदेशों की प्रक्रिया के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, 47.50 प्रतिशत विक्रेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। 55 ऐसे विक्रेता हैं, जिन्हें निविदा प्राप्त हुई थी और जिन्होंने कभी कोई जवाब नहीं भेजा। डी आर डी ओ के खरीद प्रबंधन के पैरा 3.4 के अधीन निर्धारित ऐसे विक्रेताओं को अपंजीकृत अथवा काली सूची में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा में उपर्युक्त मामलों की ओर संकेत करने पर डीआरडीओं ने बताया (अगस्त 2015) कि, जो विक्रेता सीमित निविदाओं के जवाब नहीं देते, उनके लिए ई आर पी प्रणाली अपने से ही चेतावनी पत्र तैयार करती है । जो विक्रेता कभी जवाब नहीं देते उनके संबंध में डी आर डी ओ ने बताया कि, खरीद प्रबंधन मैनुअल 2006 के प्रावधान के अनुसार एक रिपोर्ट विक्रेता पंजीकरण समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवायी जाएगी ।

लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, मैनुअल का पैरा 3.4 (बी) यह निर्धारित करता है कि, यदि कोई फर्म उत्पादनों के क्रम के भीतर जिसके लिए वह पंजीकृत है, निविदा के लगातार तीन निमंत्रणों का जवाब देने में असफल रहती है या उसकी उपेक्षा करता है तो ऐसे विक्रेता को सप्लायरों की स्वीकृत सूची से हटा दिया

जाएगा। विक्रेता पंजीकरण समिति ने ऐसे अजवाबदेयी विक्रेताओं के ब्लैक लिस्टिंग/ब्लॉकिंग करने में डाटा का अनुकूल प्रयोग नहीं किया।

6.2.3.5 गलत तथा अविश्वसनीय डाटा

डाटा की विश्वसनीयता वह अवस्था है जो तभी आती है जब डाटा पर्याप्त रूप से पूर्ण हो तथा वैध हो। मास्टर डाटा उद्योग का निर्णायक घटक है जैसे कि उत्पादन कच्ची सामग्रियाँ, विक्रेता आदि। अविश्वसनीय डाटा की मौजूदगी समयोचित निर्णय तथा प्रचालन निष्पादन की व्यवस्था की क्षमता पर प्रभाव डालती है।

क) विक्रेता मास्टर

विक्रेता मास्टर एम एम मॉड्यूल की एक आधारभूत आवश्यकता है। विक्रेता व्यापार भागीदार होते हैं जो सामग्री की सप्लाई या सेवाओं द्वारा समर्थन करते हैं। प्रणाली में सभी विक्रेताओं को अद्वितीय कोड नम्बरों में रखा जाता है। उद्योग के लेन-देनों को विभिन्न खातों में रखा जाता है तथा विक्रेता मास्टर में रखे डाटा का प्रयोग करके इसकी व्यवस्था की जाती है। विक्रेताओं को पंजीकरण के दौरान प्रयोगशाला को अनिवार्य जानकारी जैसे कि, आवेदन तिथि विक्रेता का नाम, पंजीकरण का प्रकार, पता, दूरभाष नंबर, फॅक्स नंबर, ई-मेल आई डी, विक्रेता की अपर लिमिट इत्यादि देनी होती है। हमने देखा कि:

- डाटाबेस विक्रेताओं की सही संख्याओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। विक्रेता मास्टर में 2680 विक्रेता के नाम समाविष्ट थे जिसमें से 270 नाम डुप्लिकेट थे।
- 105 विक्रेताओं के संबंध में, सामग्री मास्टर में सामग्री वर्ग उपलब्ध नहीं था तथा 13 विक्रेताओं के संबंध में, वह सामग्री जिसके लिए विक्रेता ने पंजीकरण किया था, वह गायब थी। 94 विक्रेताओं के संबंध में अनिवार्य क्षेत्र, पता खाली थे और 95 विक्रेताओं संबंध में, पतों को दुबारा लिखा गया था। इससे इन विक्रेताओं को निविदा जारी नहीं करना या गलत विक्रेताओं को निविदा जारी किए जाने को बढ़ावा मिल सकता है।
- 768 विक्रेताओं के संदर्भ में सामग्री की सप्लाई के लिए ऊपर मॉनिटरी लिमिट शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप अक्षम विक्रेताओं को आदेश जारी की जा सकती है।
- 1900 विक्रेताओं के लिए, बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं थे तथा आठ विक्रेताओं के डुप्लिकेट बैंक खाता नम्बर थे। इससे डी आर डी ओ द्वारा अपनायी गई भुगतान की ई सी सी पद्धति असफल हो जाएगी। डुप्लिकेट

खाता नम्बरों का परिणाम गलत विक्रेताओं को भुगतान किए जाने में हो सकते हैं।

उपरोक्त बातों को इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, उपर्युक्त विसंगतियाँ विक्रेताओं के गलत वर्गीकरण के कारण हुई थी और इसका कारण था ड्रापडाऊन सूचियों से गलत चयन, डाटा प्रविष्टि की गलतियाँ, विक्रेताओं की जानकारी की अनुपलब्धता इत्यादि। यह भी कहा गया कि, जहाँ कहीं भी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है वह प्रारंभ की जाएगी तथा ई आर पी डाटाबेस कोई अधिप्रापण प्लैटफार्म के जरिए बदलने/अद्यतन किया जा रहा है जो विक्रेता के डाटाबेस की वैधता को सुनिश्चित करेगा। लेखापरीक्षा में यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, निर्धारित शर्तों को पूरा किए बगैर सप्लाइ आदेशों को इन विक्रेताओं को दिया गया था। इसके अलावा, डी आर डी ओ ने विक्रेताओं की संपूर्ण जानकारी जैसा कि, ई आर पी में उद्योगों के लेन-देनों में आवश्यक होती है हासिल नहीं की थी। इन्पुट नियंत्रण डुप्लिकेट बैंक खाता नम्बरों तथा काल्पनिक नम्बरों की प्रविष्टि को रोक नहीं पाया। इसलिए, वर्तमान रूप में डाटा भरोसेमंद नहीं था तथा ई आर पी के क्रियान्वयन द्वारा स्वचलन का विचार करें तो वह त्रुटिपूर्ण था।

ख) इन्वेंट्री लिगसी डाटा की अपूर्ण पोर्टिंग

एस ए पी ई आर पी के क्रियान्वयन सॉफ्टवेयर में रखा गया था और उसे ही आगे बढ़ाया जाना था। तथापि, हमने देखा कि, लिगसी डाटा में से स्टॉक में सकारात्मक शेष के साथ 13887 मदों के एस ए पी ई आर पी प्रणाली में इसे आगे नहीं लाया गया। भंडारों के कुल मूल्य जिनका ई आर पी में हिसाब होना बाकी था वह ₹848.74 करोड़ की थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि इन्वेंट्री को वैधीकरण के लिए आर सी आई द्वारा स्टॉक टेकिंग बोर्ड बनाया गया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर लिगसी इन्वेंट्री डाटा ई आर पी में अपलोड किया जाएगा। इससे यह साबित होता होता है कि, ई आर पी प्रणाली में डाटाबेस अपूर्ण तथा अविश्वसनीय था।

ग) इन्वेन्ट्री होल्डिंग

एस ए पी में, निदेशालय के अधीन रखी गई इन्वेन्ट्री को प्लान्ट के रूप में दर्शाया गया था तथा उस स्थान को जहाँ सामग्री भौतिक रूप में रखी थी उसे भंडारण स्थान के रूप में दर्शाया गया था। पुनः बहुविध सामग्री कोड नम्बर के साथ कोई भी मद रखा जाना अपेक्षित नहीं था। तथापि, 1985 मदों के संबंध में जिनका मूल्य ₹471.15 करोड़ था वहाँ उसी प्लान्ट के भीतर और उसी स्टोरेज लोकेशन में वस्तुओं के वर्णन

में डुप्लिकेशन था। डिवीजन द्वारा एक ही वस्तु को विभिन्न इन्वन्टरी कोड में रखने के कारण वस्तु की वास्तविक मात्रा का पता नहीं चलता।

51 वस्तुओं के संबंध में, स्टोरेज लोकेशनों को, एक ही प्लान के भीतर सामित होना था वह दूसरे प्लान में भी बिखर रहा था और 773 वस्तुओं के विषय में इन्वन्टरी होल्डरों के नामे 'डू नॉट यूज़' के रूप में दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त मामलों को उठाने पर डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, स्टॉक टेकिंग बोर्ड का कार्य प्रगति पर है तथा स्टॉक टेकिंग के कार्य के पूर्ण होने के बाद अंतिम सूची को सत्यापित किया जाएगा और उसे प्रणाली में अद्यतन कर लिया जाएगा। भंडारण स्थान के बिखरने के विषय में डी आर डी ओ ने बताया कि, पुनर्गठन करने की वजह से कुछ भंडारण स्थान विभिन्न प्लान्ट के भाग बन गए थे। इससे यह सूचित होता है कि, वर्तमान डाटाबेस गलत है और विश्वसनीय भी नहीं है। पुनः आर सी आई के पास मौजूद भंडार प्रयोग के लिए तब तक उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जब तक कि भंडारण स्थानों का पुनर्गठन पूरा नहीं हो जाता, साथ ही साथ प्रणाली की त्रुटियों को संशोधित कर लिया नहीं जाता ।

घ) *अवरोधित रकम को रोकने की अवधि*

डी आर डी ओ के खरीद मैनुअल का पैरा 7.23 वारंटी अवधि के दौरान जोखिम कवरेज हेतु सप्लाई आदेश रकम के 10 प्रतिशत अवरोधन को निर्धारित करता है । अवरोधन रकम को रोकने की अवधि 0 दिनों से 1787 दिनों के बीच थी । इससे यह प्रतीत होता है कि, कोई मानक प्रक्रिया अपनाई नहीं गई थी। पुनः आपूर्ति आदेश की वारंटी संबंधी शर्तों को डाटाबेस में शामिल नहीं किया गया ताकि उत्पादन के लिए आवश्यक गारंटी की सही अवधि को प्रतिबिंबित किया जा सके। लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, इन ब्यौरों को दर्ज करने का प्रावधान प्रणाली में था। आगे यह भी बताया गया कि, अवरोधन रकम को रक्षा लेखा नियंत्रक (आर एण्ड डी) द्वारा हस्तलिखित पद्धति से भुगतान किया जा चुका होगा और वही प्रणाली में प्रतिबिंबित नहीं हुआ है। रक्षा लेखा नियंत्रक (आर एण्ड डी) मॉड्यूल के प्रभावी प्रयोग ऑनलाइन भुगतान संबंधी ई आर पी प्रणाली में अद्यतन करना सुनिश्चित करेगा।

इससे यह सूचित होता है कि, अवरोधन रकम को वापस करने के संबंध में नियंत्रक (आर एण्ड डी) तथा डी आर डी ओ के बीच कोई संयोजन नहीं था ,जिसकी परिणति डी आर डी ओ द्वारा अधूरा डाटाबेस को रखे जाने में हुई। इसका परिणाम अवरोधन रकम को समय से पहले ही वापसी में हो सकता है और प्रणाली के जरिए इसे तब तक मॉनिटर नहीं किया जा सकता जब तक रक्षा लेखा नियंत्रक (आर एण्ड डी) प्रणाली को प्रयोग में नहीं लाता है।

इ) बैंक गारंटी के अपूर्ण ब्यौरों

निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) पर आर सी आई द्वारा रखे जाने वाले डाटा की संवीक्षा की गई तथा यह देखा गया कि, अत्यावश्यक जानकारी अर्थात सामग्री/मशीनरी की पूर्णता/इन्स्टॉलेशन की तिथि, निरीक्षण दस्तावेज संख्या, तिथि, सामग्री की स्वीकृति की तिथि, बैंक गारंटी नम्बर तथा तिथि, पीबीजी की अवरोधन राशि, पीजीबी की वैधता तथा पीबीजी बढ़ाई गई वैधता को प्राप्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इस पर सवाल किए जाने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, प्रणाली में बैंक गारंटी के ब्यौरों को रिकार्ड करने का प्रावधान था जिसे आपूर्ति आदेश को तैयार करते समय दर्ज कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में देखे गए सभी ब्यौरों का रिकार्ड हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं और जिन्हें ई आर पी प्रणाली में रिकार्ड कर दिया जाएगा ।

6.2.4 परियोजना प्रणालियाँ (पी एस) माँड्युल

एस ए पी, पी एस माँड्युल परियोजना प्रगति विश्लेषण के जरिए परियोजना नियोजन से उद्योग प्रक्रियाओं को अनुकूलन करता है। परियोजना प्रणाली अनिश्चितताओं तथा चुनौतियों से भरी बड़ी आर एण्ड डी परियोजनाओं की प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था करता है। तकनीकी निष्पादन के अनुसार परियोजना, सूची तथा लागत की जोखिम को घटाता है निर्णय लेने के लिए पिछले आई टी निवेश की सुरक्षा करने के लिए मौजूदा वैज्ञानिक सॉफ्टवेअर, डाटा तथा प्रयोज्य सॉफ्टवेअर को एकीकृत करता है। वह स्वचलित परियोजना की मॉनिटरिंग करता है तथा विभिन्न रिपोर्टों को ऑन लाइन जनरेट भी करता है जिसमें, प्रबंधन जानकारी की रिपोर्ट भी शामिल है ।

6.2.4.1 परियोजना प्रणाली माँड्युल का सबऑप्टिमल प्रयोग

डी आर डी ओ की परियोजना प्रस्तावों में क्रिटिकल पाथ मेथड (सी पी एम), तकनीकी मूल्यांकन के लिए निर्णय (डी ए टी ई), सहायक निष्पादन मूल्यांकन पुनरीक्षण, तकनीकियाँ (पी ई आर टी) अर्जित मूल्य विश्लेषण, माइलस्टोन ट्रेड एमॅलिसिस तथा लागत-लाभांश विश्लेषण शामिल होते हैं। परियोजना के लिए निधी वर्षवार तथा शीर्षवार आबंटित की जाती है तथा खर्च की मानिटरिंग की जाती है । परियोजना की समाप्ति के बाद परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों को बिल्टअप में हस्तांतरित किया जाता है। परियोजना की समाप्ति पर एक क्लोज रिपोर्ट भी बनाई जाती है। इस संपूर्ण क्रियाकलाप को पी एस माँड्युल में व्यवस्था की जानी थी। तदनुसार आर सी आई की उपरोक्त आवश्यकताओं से जाचने के लिए बिजनेस ब्ल्यू प्रिंट (बी बी पी) को तैयार किया गया था ।

आर सी आई 23 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही थी, जिसमें उप-परियोजनाएँ तथा ₹1066.63 करोड मूल्य का समझौता ज्ञापन का समावेश था, जो क्रियान्वयन के

विभिन्न स्तरों पर थी। चालू परियोजनाओं से संबंध पी एस मॉड्युल की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न बातों को उद्धाटित किया ।

23 परियोजनाओं में से, छह परियोजनाओं के ब्यौरे ई आर पी पर उपलब्ध थे तथा बाकी 17 परियोजनाओं के संबंध में डाटा ई आर पी प्रणाली में या तो नहीं बनाए गए थे या आंशिक रूप से बनाए गए थे। वर्ष 2012 के बाद समाप्त सात परियोजनाओं के ब्यौरे ई आर पी प्रणाली में मौजूद नहीं थे, हालाँकि बी बी पी के अनुसार उसे बनाए रखने की जरूरत थी। वर्क ब्रेकडाउन संरचना (डब्ल्यू बी एस) मात्र एक ही परियोजना के संदर्भ में मौजूद थी। एक परियोजना कार्यालय ने बताया कि तकनीकी दस्तावेजों को उनके संवेदनशील स्वरूप के कारण ई आर पी में लोड नहीं किया गया। वर्ष 2012 के पश्चात संस्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं में परियोजना खरीद पहलु उपलब्ध था। नौ परियोजनाओं की नमूना जाँच यह प्रकट करती है कि पी एस मॉड्युल के इस्तेमाल का प्रतिशत 12.5 से 81 प्रतिशत की रेंज में था। इस तरह से परियोजना कार्यालय द्वारा इस मॉड्युल को पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया था । इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि, ऐसे कार्य जैसे कि, नेटवर्क क्रियाविधि, परियोजना की संरचना, निधियों का पुनर्विनियोग क्रियान्वयन के प्रक्रिया में थे।

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त पहलुओं को इंगित किए जाने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, वहाँ परियोजना प्रबंधन क्रियात्मकता के कार्यान्वयन में कोई कमी नहीं थी बल्कि बहुत सारी परियोजना समूहों द्वारा तकनीकी संरचना को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। यह भी बताया गया कि प्रगति पर निर्भर करते हुए प्रणाली में तकनीकी संरचना की निर्मिती को अंगीकार करना तथा स्थिति का नियमित अध्ययन की आवश्यकता प्रयोक्ता की ओर से आनी चाहिए। जैसे ही यह संपन्न हुआ ई आर पी द्वारा सुस्पष्टता, नियंत्रण तथा प्रभावशीलता निश्चित ही लायी जाएगी जिससे परियोजना की डिलीवरी समय पर होने को बढ़ावा मिलेगा। यह भी कहा गया कि, परियोजना अधिकारी पी एस मॉड्युल के तकनीकी पहलुओं के बारे में अनभिज्ञ/पूर्ण जानकार नहीं भी हो सकते हैं। वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में यह कहा गया कि गोपनीय स्वरूप के कारण परियोजना कार्यालय ऐसी परियोजनाओं को प्रणाली में अपलोड नहीं कर सकते।

अतः परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा पी एस मॉड्युल को पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाना था । इस प्रकार पी एस मॉड्युल के गो-लाइव होने के चार वर्षों की समाप्ति के बाद भी एस ए पी ई आर पी प्रणाली के क्रियान्वयन से पहले रखे गए लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका।

6.2.4.2 परियोजना व्यय में बेमेल

एस ए पी ई आर पी प्रणाली में परियोजना प्रणाली मॉड्युल के क्रियान्वयन के पश्चात्, संगठन के विभिन्न स्तरों से प्राप्त बजट-व्यय के बेमेल आंकड़ों में कमी होनी थी। आर सी आय के दो स्तरों यथा नियोजना तथा उत्पादन समूह (पी पी जी) तथा एफ आय सी ओ मॉड्युल के व्यय आँकड़ों से हमने देखा कि, वे एक दूसरे के साथ समक्रमिक(सिंक्रोनाइज) नहीं होते थे। यह बेमेल 1.83 प्रतिशत से 374.46 प्रतिशत के बीच रहा। लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, डी आर डी ओ ने बताया (अगस्त 2015) कि, रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा किए गए ऑफ लाइन भुगतान की वजह से व्यय के आंकड़ों में भिन्नता आई थी और इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब रक्षा लेखा नियंत्रण पूरी तरह से ऑन लाइन कार्यरत हो जाएगा ।

जवाब यह निर्दिष्ट करता है कि, गो-लाईव होने के चार वर्षों के बाद भी मॉड्युल को पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा रहा था ।

निष्कर्ष

ई आर पी प्रणाली जिसे तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् अगस्त 2011 में स्थापित किया गया, को अपर्याप्त भौतिक तथा तार्किक प्राप्ति नियंत्रणों, इनपुट नियंत्रणों तथा वैधीकरण जाँचों को सहन करना पड़ा। पुनः उद्योग की आवश्यकताओं के अपूर्ण मानचित्रण के कारण तथा मॉड्युल के अपर्याप्त प्रयोग के कारण इआरपी एस ए पी का अपूर्ण प्रयोग हुआ। प्रणाली में स्थापित इन्वेन्टरी डाटा अपूर्ण, अविश्वसनीय तथा गलत था। इन अपर्याप्तताओं का परिणाम उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रणाली की असंगति में हुई, जिसने त्रुटिपूर्ण/लंबित एम आई एस रिपोर्टिंग तथा निर्णय लेने में जोखिम को बढ़ावा दिया तथा मैनुअल इन्टरवेशन को बढ़ावा दिया। ₹15 करोड़ रूपए की लागत से कार्यान्वित प्रणाली के अपूर्ण प्रयोग (अन्डर यूटिलाइजेशन) ने, परिचालन दक्षता, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जानकारी का लाभ उच्च उपयोगकर्ता सेवा और संतुष्टि प्राप्त करने के मूल उद्देश्य से समझौता कर लिया है।

अध्याय VII: आयुध निर्माणी संगठन

7.1 आयुध निर्माणी बोर्ड की दक्षता

7.1.1 प्रस्तावना

7.1.1.1 भारत में सबसे पुराना और संगठन के रूप में रक्षा औद्योगिक का इतिहास वर्ष 1787 से रहा है। 41 निर्माणियाँ⁵⁹ पाँच प्रचालन गुप्तों (तालिका - 27) में विभाजित हैं और रक्षा सेवाओं के लिए कई प्रकार के हथियारों, गोला बारूद, बख्तरबंद वाहनों और वस्त्र मदों के साथ ही पैराशूट उपलब्ध करती हैं। जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नियंत्रित आयुध निर्माणी संगठन (आ0 नि0 बो0) के अन्तर्गत कार्य करती हैं एक अध्यक्ष अन्य आठ सदस्यों⁶⁰ को मिलाकर एक बोर्ड का गठन होता है

तालिका - 27

प्रचालन गुप्त	निर्माणियों की संख्या
गोला बारूद और बिस्फोटक	10
हथियार, वाहन, और उपस्कर	10
सामाग्री और कलपुर्जे	8
बख्तरबंद वाहन	6
आयुध उपस्कर समूह	5
कुल	39
<i>स्रोत : आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा 2013-14</i>	

7.1.1.2 आयुध निर्माणी संगठन⁶¹ का उद्देश्य:-

- सशस्त्र बलों को हथियार, गोला बारूद, टैंक और उपकरणों की गुणवत्ता आपूर्ति
- उत्पादन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं आधुनिकीकरण
- नवीनतम प्रौद्योगिकी को तकनीकी हस्तान्तरण⁶² के तहत घरेलू अनुसंधान और विकास को अपनाना
- ग्राहक की संतुष्टि एवं उपभोक्ता के आधार का विस्तार

⁵⁹ दो आयुध निर्माणी नालंदा और कोरवा निर्माणधीन हैं। दोनों आयुध निर्माणी में उत्पादन की तिथि प्रचलन में शेष निर्माणधीन में विलंब के कारण अनिश्चित हैं।

⁶⁰ अपर सचिव पद के सदस्य हैं : वित्त कार्मिक, नियोजन सामाग्री प्रावधान, वाहनो और उपस्कर, गोला बारूद और विस्फोटक, बख्तर बंद वाहनो (अवाड़ी) आयुध उपस्कर (कानपुर)

⁶¹ प्रतिपादित मिशन तथा आयुध निर्माणी बोर्ड का संकल्पना वक्तव्य

⁶² रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या उपस्कर कलपुर्जे, मूल उत्पादक से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संविदाओं के माध्यम से खरीद

7.1.1.3 इसके आयुध निर्माणी बोर्ड से ऊपर रक्षा उत्पादन और खरीद पर सरकार की नीति, सूचीबद्ध निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति को लागू करने के साथ यह होगी:-

- यह सुनिश्चित करना की अनुमोदित की गयी आवश्यकता सशस्त्र बलों के लिए शीघ्र खरीददारी, उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग इष्टतम द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर मांगी आबंटित बजटीय संसाधन का पारदर्शी उपयोग
- मूलतः आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए खरीद डिजाइन, विकास और उत्पादन सेना उपस्कर / हथियार प्रणालियों/ प्लेटफॉर्म की आवश्यकता रक्षा के लिए उत्पादन में यथा शीघ्र ही एक समय सीमा ।
- लघु और मध्यम उद्यमों में स्वदेशी उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाना

7.1.1.4 उपरोक्त दिये गए उद्देश्यों से असंगत (विषय)आयुध निर्माणी बोर्ड का निष्पादन का विश्लेषण 2013-14 के दौरान था ।

7.1.2 आयुध निर्माणी बोर्ड का निष्पादन

नीचे तालिका- 28 में आयुध निर्माणी बोर्ड के मूल क्षेत्र में प्रबंधन के ऊपर तीन वर्ष 2013-14 का डाटा संक्षिप्त में दिया है । अनुलग्नक-XV में अलग अलग समूहों के प्रचालन का ब्यौरा दिया गया है ।

तालिका-28

(₹ करोड़ में)

		वर्ष			
		2011-12	2012-13	2013-14	अंतर 2011-14 (प्रतिशत)
I वित्तीय निष्पादन					
1	राजस्व खर्च	12141	11936	12834	6
2	राजस्व खर्च के उपयोग (प्रतिशत में)	97	99	98	1
3	राजस्व प्राप्ति	12876	12553	12001	(-) 7
4	बजट राजस्व (कम / ज्यादा)	735	617	(-)833 ⁶³	(-) 213

⁶³ यद्धपी आयुध निर्माणी बोर्ड का विनियोजन लेखा वर्ष 2013 -14 में ₹ 833 करोड़ का घाटा दिखाया गया था । आयुध निर्माणी बोर्ड के वर्ष 2013 -14 के लागत लेखा में उत्पादित मर्दों की बिक्री से लाभ ₹407 करोड़ दर्शाया गया था । यह इसलिए की नगद का वास्तविक लेन देन विनियोजन लेखाओं में हुआ था। जो वर्ष के दौरान वास्तविक बिक्री के आधार पर लाभ, जो माँगकर्ता से प्राप्त हुआ और जारी की गयी मर्दों आयुध निर्माणियों द्वारा उत्पादित, लागत लेखा दर्शाता है । लागत निर्माणियों द्वारा उत्पादित मर्दों एवं जारी तक का लागत खर्च समाहित है । जो लागत दर्शाया गया वह या तो पिछले वर्ष या फिर चालू वर्ष की थी।

		वर्ष			
		2011-12	2012-13	2013-14	अंतर 2011-14 (प्रतिशत)
5	उत्पादन की लागत (सी ओ पी)	15934	15973	15637	(-) 2
6	निर्गम का मूल्य	17273	17119	16122	(-) 7
7	लाभ	1339	1146	485	(-) 64
8	पूँजीगत व्यय	279	349	465	67
9	बजट उपयोग (प्रतिशत में) पूँजीगत व्यय	93	87	100	7
II उत्पादन लागत :- कलपुर्जे					
10	भंडार की कीमत	10070	9746	9303	(-) 8
11	श्रम की कीमत	1490	1617	1705	14
12	उपरिव्यय	4214	4393	4389	4
13	अन्य लागत अर्थात् प्रत्यक्ष व्यय	159	216	239	50
14	उत्पादन लागत का प्रतिशत के रूप में उपरिव्यय (12/5*100)	26	28	28	8
15	उत्पादन लागत का प्रतिशत के रूप में (11/5*100)	9	10	11	22
III भंडार सूची					
16	उपलब्ध भंडार (एस. आई. एच)	5336	5604	5588	5
17	प्रगति में कार्य (डब्ल्यू. आई. पी.)	2551	2999	3538	39
18	भंडार आवागमन में (एस. आई. टी)	538	682	854	59
19	तैयार सामान / कलपुर्जे	1212	1206	1305	8
20	उत्पादन लागत का प्रतिशत भंडार सूची के रूप में	60	66	72	20
21	उत्पादन लागत का प्रतिशत कार्य प्रगति के रूप में	16	19	22	38
IV श्रम एवं मशीनरी					
22	प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारी की संख्या	46568	47166	46206	(-)1
23	अनुपात प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारी : पर्यवेक्षक अधिकारी	1.41:1	1.46:1	1.5:1	
24	उत्पादकता (उत्पादन प्रति कर्मचारी)	1674490	1682000	1679736	स्थिर
25	श्रम घंटों का उपयोग (प्रतिशत में)	127	129	127	शून्य
26	मशीन घंटा उपलब्ध (लाख में)	1577	1603	1203	(-) 24
27	मशीन घंटा का उपयोग (प्रतिशत में)	78	76	73	(-) 6
V निर्गम : माँगकर्ता अनुसार					
28	थल सेना	10027	9609	8609	(-) 14
29	वायु सेना / नौ सेना	433	433	539	24
30	अन्य रक्षा प्रतिष्ठान	192	138	147	(-) 23

		वर्ष			
		2011-12	2012-13	2013-14	अंतर 2011-14 (प्रतिशत)
31	केन्द्रीय अर्धसैनिक बल संगठन (गृह मंत्रालय)	826	831	782	(-) 53
32	सिविल ट्रेड / निर्यात सहित	913	963	1046	15
VI अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)					
33	अनुसंधान और विकास में व्यय	36	48	43	19
34	कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत अनुसंधान और विकास के ऊपर	0.30	0.40	0.34	13


स्रोत : बजट और खर्च विवरण आ. नि. बोर्ड और वार्षिक लेखा आयुध निर्माणियों का

7.1.3 वित्तीय निष्पादन

चार्ट - 8 में प्राप्ति और खर्च का तरीका का विश्लेषण

राजस्व व्यय एवं प्राप्ति

राजस्व प्राप्ति और व्यय आयुध निर्माणी बोर्ड वर्ष को लेखा शीर्ष 2079 के अंतर्गत बजटीय आवंटन चालू खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्त हुआ था अर्थात् राजस्व व्यय के लिए वर्ष 2013 -14 का अनुदान ₹12834 करोड़ था।



यह देखा गया कि रक्षा


स्थापनाओं के लिए निर्गम में भी वही लेखा शीर्ष 2079 व्यय कि बुकिंग और प्राप्ति⁶⁴ के लिए भी। अन्य दूसरा शीर्ष 0079 गैर-रक्षा स्थापनाओं से अलग यानि (प्रादेशिक पुलिस) निर्यात या सिविल ट्रेड में उत्पादित माल / समान को बेचने में उपयोग किया जाता है। आयुध निर्माणी बोर्ड कि अनुमानित वृद्धि उत्पादन लागत कि प्राप्ति के लिए लागत मूल्य के लिए, मूल्य निर्धारित करते समय आठ प्रतिशत

⁶⁴ बोर्ड ने अपने सभी राजस्व व्यय लेखा शीर्ष 2079 में डेबिट करता है। रक्षा स्थापनाओं को निर्गम के समय यह (-) डेबिट खाता है।


को आधार बनाकर समग्र रूप से ज़ोर और इस बात को बनाए रखने के लिए कि न्यूनतम है।

चार्ट -9

अधिकतम उत्पादन करने के बाद और वर्ष 2011-12 में निर्गम, इन वर्षों में वर्ष 2011-14 में निर्गम मूल्य में सात प्रतिशत कि गिरावट दर्ज़ की गयी थी। जो कि परिणाम लाभांश गिरकर वर्ष 2011-13 में ₹1339 करोड़ से ₹1146 करोड़ वर्ष 2012-13 में, ₹485 करोड़ वर्ष 2013-14 में रहा (वर्ष 2011-14 तक 64 प्रतिशत था) ।



थल सेना आयुध निर्माणियों के उत्पाद के माँगकर्ता के रूप में प्रमुख है, वर्ष 2013-14 के दौरान कुल जारी कि जायी मदों का 77 प्रतिशत दर्ज़ किया गया दूसरे स्थान में सिविल ट्रेड एवं निर्यात जिसका दस प्रतिशत रहा । वर्ष 2011-14 के दौरान थल सेना के जारी मूल्य में सात प्रतिशत गिरावट रही जो मुख्यतः इस दौरान थल सेना को जारी मूल्य में 14 प्रतिशत कटौती के कारण थी और गिरावट का कारण मुख्यतः केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को जारी मदों के कारण हुआ था जो माँगकर्ता के रूप में इस दौरान दूसरे स्थान में था ।



दो प्रचालन समूहों में डब्ल्यू वी एण्ड डी (हथियार, वाहन एवं उपस्कर) और ए वी (बख्तरबंद वाहनों) का उत्पादन आयुध निर्माणी बोर्ड में दर्ज़ लेखा 42 प्रतिशत जो वर्ष 2011-14 के दौरान 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट दर्ज़ की गयी जिसका मुख्य कारण एम बी टी अर्जुन के उत्पादन को रोकना क्योंकि थल सेना द्वारा माँगों को

रोकना और टी-90 टैंक कम जारी होना था । उत्पादन निष्पादन प्रचालन समूहों से बातचीत की विस्तृत व्याख्या पैराग्राफ 7.1.4 में दी गयी है।

हमारी 10 निर्माणियों को लेखा परीक्षा में पाया गया कि अग्रिम निर्गम वाउचर के रूप में निष्पादन में निरंतर प्रवृत्ति अतिशयोक्ति कि पूर्ण कथन कि रही । निर्माणियाँ “अग्रिम निर्गम वाउचर” तैयार करती है जब भी आर्मी से भुगतान के लिए माँग की पेशकश की जाती है, बगैर वास्तविक भंडार के निर्गम के बगैर निर्माणियाँ अग्रिम निर्गम वाउचर तैयार करती है। इस अभ्यास के लक्ष्य के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ सकता है आदेश के लिए पीछा अटेंडेंट जोखिम लेखांकन गलतियों और उत्पादन के आँकड़े अर्थात राजस्व प्राप्तियों का और कार्य प्रगति में की विकृतिमान की उत्पादन लागत की मुद्रास्फीति में विकृति के साथ आता है। इस तरह का अभ्यास निष्पादन को बढ़ाचढ़ाकर लक्ष्य के विरुद्ध बताने वाला है जो लेखाओं की गलती में सहवर्ती जोखिम और उत्पादन आँकड़ों में विकृति उत्पादन लागत और राजस्व की प्राप्ति में गलती और कार्य प्रगति में कुरूपता का कारण है । खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली ने अक्टूबर 2007 में नियंत्रक वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ)⁶⁵ को अनुदेशित किया था की बगैर प्रेषण वौरण के ऐसे अग्रिम निर्गम वाउचर को स्वीकार न किया जाये। जैसा की तालिका- 29 में दर्शाया गया है कि निर्देशों के बावजूद भी वर्ष 2013-14 में इस तरह के अभ्यास करते हुए पाया गया इन निर्माणियों में आ नि बडमल, इटारसी, आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर और आयुध पैराशूट निर्माणी कानपुर का सबसे उच्च रहा ।

तालिका - 29

(₹ करोड़ में)

निर्माणी	अग्रिम वाउचर कि कीमत 2013-14 में	कुल निर्गम 2013-14 में	कुल निर्गम का प्रतिशत अग्रिम निर्गम वाउचर के रूप में
निर्माणियों का रासायनिक समूह :- विस्फोटक और गोला बारूद समूह			
आ. नि. इटारसी	60	234	26
आ. नि. भंडारा	15	241	6
उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी	6	145	4
आ. नि. बडमल	128	667	19
निर्माणियों का हथियार समूह:-			
आ. नि. तिरची	22	160	14
फील्ड गन निर्माणी कानपुर	8	250	3
गन एंड शैल निर्माणी काशीपुर	8	523	2

⁶⁵ नियंत्रक वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ) प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता के अंतर्गत निर्माणियों के समूह के रूप में क्षेत्रीय आधार पर कार्यरत है।

निर्माणी	अग्रिम वाउचर कि कीमत 2013-14 में	कुल निर्गम 2013-14 में	कुल निर्गम का प्रतिशत अग्रिम निर्गम वाउचर के रूप में
बखतरबंद वाहन :- बखतरबंद वाहन समूह			
आयुध निर्माणी मेढक	9	534	2
आयुध उपस्कर :- आयुध उपस्कर समूह			
आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर	58	351	17
आयुध पैराशूट निर्माणी कानपुर	34	166	20

स्रोत : आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा 2013-14

इसी प्रकार का निष्कर्ष हमारी अनुपालन लेखा परीक्षा के दौरान भी ध्यान में लाये गये थे कि मदों का बगैर उत्पादन किये मद को जारी दिखाया गया था, यह भी पाया गया था कि 4221 किलोग्राम काँपर निकल एलाय ट्यूब लागत ₹55.5 लाख आ.नि. कटनी वर्ष 2013-14 के जारी किया दिखाया गया था यद्यपि निर्माणी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था कि मद का उत्पादन वर्ष 2013-14 में बिलेट हीटर/ एक्सट्रक्शन प्रेस में समस्या होने के कारण उत्पादन नहीं हुआ था। अतः जारी की गयी मद की लागत उत्पादन लेखा लागत में आयुध निर्माणी कटनी द्वारा बढ़ा चढ़ा कर दर्शायी गयी थी।

जबकि आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो के लिए लेखा परीक्षा आपत्ति को दर्ज किया गया था। और प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियों) कोलकाता ने भी इसका जिक्र किया था और शाखा लेखा कार्यालयों को आदेशित भी किया था कि बगैर प्रेषण विवरण के इस प्रकार से जारी किए गए वाउचर को स्वीकार न करें। तथापि इस तथ्य के वावजूद परीक्षा संयुक्त को नजर अन्दाज किया क्योंकि न तो आ.नि. बोर्ड द्वारा और ना ही प्र.नि.ले. (निर्माणियां) कोलकाता द्वारा बगैर वास्तविक उत्पादन का प्रेषण किये वगैर जारी किया और लेखांकित करने, इस गलत अभ्यास को वादा करने के लिए कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई।


राजस्व व्यय में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई जो 2 प्रतिशत 2012-13 में थी जोकि 2013-14 में आठ प्रतिशत हो गई। कुल राजस्व खर्च का 41 प्रतिशत भंडार खर्च का गठन था। वर्ष 2013-14 में 36 प्रतिशत निर्माण खर्च का गठन था। वर्ष 2013-14 के दौरान दो घटकों के साथ 83 प्रतिशत कुल राजस्व व्यय को लेखांकित किया गया था। दोनो घटकों में वृद्धि 2013-14 में 5 प्रतिशत रही, इसके बावजूद भी वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट रही जो यह दर्शाता है कि कच्चे माल के परिवर्तन दर में गिरावट और जारी करने में थी। इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव माल सूची पर पड़ा। कार्य में प्रगति बढ़कर वर्ष 2013-14 में 39 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011-12 में स्तर से ऊँचा था। भंडार सूची का विश्लेषण का विस्तृत विवरण अगले पैरा 7.1.5 में है।

पूँजीगत खर्च

आयुध निर्माणी बोर्ड को पूँजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष 4076) को बजटीय सहायता भी प्राप्त होती है जो नया पूँजीगत अनुदान के रूप में भी जाना जाता है। यह अनुदान नई परियोजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए जिसमें संयन्त्र एवं मशीनों की खरीददारी में वर्ष 2013-14 में ₹465 करोड़ व्यय किये थे। इसके अतिरिक्त एक पृथक निधि नवीनीकरण और प्रतिस्थापनाओं (आर. आर. फण्ड) जो पुरानी मशीनरियों को नवीनीकरण प्रतिस्थापनाओं को बदलने के लिए निधि नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ₹117 करोड़ की निधि को सृजित राजस्व अनुदान⁶⁶ से वार्षिक स्थानान्तरण द्वारा किया जाता है।

चार्ट -10

नए पूँजीगत अनुदान के अंतर्गत पूँजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व आयुध निर्माणी बोर्ड के सम्पूर्ण वर्ष के व्यय का दो से तीन प्रतिशत था। पूँजी गत व्यय में 67 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 में हुई। (चार्ट-10), यद्यपि दो बड़ी परियोजनाओं⁶⁷ की धीमी प्रगति वर्ष 2011-14 में मंत्रालय द्वारा बड़ा हस्तक्षेप की आवश्यक बताया गया था।



7.1.4 उत्पादन से लक्ष्य को प्राप्त करना आयुध निर्माणी बोर्ड उत्पादन योजना निर्माणियों के आधार पर

- बलों द्वारा आवश्यकताओं की रूप रेखा

वर्ष 2011 से थल सेना हथियारों की आवश्यकतानुसार एक अनुमानित आधार है। पंचवर्षीय (रोल-आन) प्लान तैयार करती है। इस तरह का अभ्यास अभी वायु सेना और नौ सेना द्वारा अपनाया जाना वांछनीय है। और अभी भी आवश्यकताओं का आधार

⁶⁶ रकम का स्थानान्तरण राजस्व अनुदान (मुख्य शीर्ष 2027) से नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना निधि के लिए वार्षिक प्लान्ट एण्ड मशीनरी का वार्षिक क्षय के बराबर और वार्षिक प्रतिस्थापना के लगभग (रफ) व्यय के बराबर होता है।

⁶⁷ चल रही परियोजनाओं की स्थापना आ.नि. नालंदा परियोजनाओं और आयुध निर्माणी कोरवा नवम्बर 2001 और अक्टूबर 2007 में ₹2160 करोड़ और ₹408 करोड़ पूँजीगत परियोजना के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सितम्बर 2014 को ₹818 करोड़ दोनो परियोजनाओं पर व्यय हो चुका था।

वार्षिक माँग ही है। यद्यपि आयुध निर्माणी बोर्ड कम्पनी की माँग के आधार जो रक्षा बलों द्वारा प्रस्तुत माँग पर उत्पादन योजना बनाता है।

• **उत्पादन के लिए निर्माणियों की क्षमता:**

फीडर निर्माणी की उत्पादन क्षमता और एसेम्बली निर्माणी की क्षमता यह है कि उत्पादित मद को असेम्बली के बाद अन्तिम रूप से जारी करना, दोनों की क्षमता को मिलाकर आ.नि. बोर्ड का असेसमेन्ट निर्माणियों की क्षमता के आधार पर रक्षा बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

उत्पादन लक्ष्य आयुध निर्माणी बोर्ड रक्षा बलों से सलाह के बाद निर्धारित करता है। और यह लक्ष्य निर्माणियों को अन्तिम उत्पादों और फीडर निर्माणियों को सूचित किया जाता है जो आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा निर्माणियों तक पहुँचाया जाता है।

हमारा विश्लेषण प्रमुख मदों पर (जो सीधे तौर पर फोर्स को जारी किया जाता है) सम्पूर्ण प्रचालन समूहों पर पाया कि एक ही प्रकार के उत्पाद के कारण माँग पर गिरावट दर्ज भी की गई जो आयुध निर्माणी बोर्ड को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मिली। **तालिका-30** में परिणाम संक्षिप्त में दर्शाया है, प्रमुख रूप में बख्तर बंद वाहनों समूहों एवं हथियार समूह प्रभावित हुए हैं। गोला बारूद समूहों में कुछ मदों की माँग एक जैसी रही जो गोला बारूद का पुराना समूह के रूप में प्रभावित नहीं हुआ जैसे कि 84 मि.मी. एच ई ए टी, 551, 130 मि.मी. आर वी सी, 84 मि.मी. टार्गेट प्रैक्टिस ट्रेसर (टी पी टी) राकेट और नई मद पिनाका राकेट के सम्बन्ध में। लेकिन पुराने सदियों से चले आ रहे हथियार के लिए गोला बारूद की माँग में लगातार कम हो रही है।

तालिका-30

मद	2011-12	2012-13	2013-14	भिन्नता ओवर 2011-14
बख्तर बंद समूह				
टी-90 भीष्म (इंड)	75	85	35	(-)53
एम.बी.टी.अर्जुन	14	9	0	(-)100
इंजिन बी 46-6 (ओ.एस) टी.- 72 अजय के लिए	100	100	60	(-)40
बी.एम.पी. (ओ.ई.)	75	75	60	(-)20
बी.एम.पी. (ओ.एच.)	40	40	36	(-)10
हथियार वाहन और उपस्कर समूह				
84 मि.मी. राकेट लांचर	1789	589	1000	(-)44
राईफल्स 5.56 मि.मी. इंसास	60000	18733	0	(-)100
पीस्टल आटो 9 मि.मी.	5000	2093	1000	(-)80

मद	2011-12	2012-13	2013-14	भिन्नता ओवर 2011-14
81मि.मी. मोर्टर	471	338	25	(-)95
105 मि.मी. एल.एफ.जी	50	55	30	(-)40
गोला बारूद और विस्फोटक समूह				
84 एम.एम, एच ई ए टी 551	7000	7000	7000	0
130 मि.मी. आर.बी.सी.	132000	140000	140000	(+)6
रॉकेट पिनाका पी.एफ.	1000	1000	1000	0
रॉकेट 84 मि.मी. टी.पी.टी.	350000	400000	400000	(+)14
81 मि.मी. मोर्टर एच.ई.	650000	650000	635000	(-)2
130 मि.मी. एफ वी सी	20000	10000	12000	40(-)
120 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस	5000	5000	4000	20(-)
84 मि.मी. इल्यूमीनेटिंग	45000	40000	40000	11(-)
81 मि.मी. मोर्टर इल्यूमीनेटिंग	50000	40000	40000	20(-)
51 मि.मी. इल्यूमीनेटिंग	30000	23000	19000	37(-)
105 मि.मी. आई एफ जी इल्यूमीनेटिंग	5000	4000	4000	20(-)
120 मि.मी. इल्यूमीनेटिंग	2500	2000	2000	20(-)
105 मि.मी. आई एफ जी एच ई एस एच चार्ज	15000	0	0	100(-)
माइन ए पी एन एम 14	400000	300000	170000	58(-)
माइन ए/टी के सं. 1ए/2ए	50000	17000	16000	68(-)
आयुध उपस्कर समूह				
जैकेट कम्बैट आर्मी लोगो	550000	575000	667500	(+) 21
ट्राऊजर कम्बैट आर्मी लोगो	550000	575000	667500	(+) 21
बूट हाई एंकल डीवीसी	400000	280000	300000	(-) 25
कोट कम्बैट आर्मी लोगो	115000	130000	160000	(+) 39
शर्ट मेन अनगोला ड्रैब	372929	325000	264634	(-) 29
ब्लैकेट बैरक एन जी	390000	250000	90000	(-) 77
कैप एफ एस डीसरीपटीव विद आर्मी लोगो	350000	208000	145773	(-) 58
फलाई आऊटर	20299	13050	13600	(-) 33
शर्ट प्लेन वेव पी.वी.डी.डी खाकी	450000	280000	400000	(-) 11
जैकेट वीड चीटर	54000	24735	28766	(-) 47

स्रोत: मंत्रालय का डाटावेस जो आ.नि.बोर्ड से माँग की है ।

आयुध निर्माणी बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन समस्त आयुध निर्माणी की उपलब्धि प्राप्ति और लक्ष्य को समेकन (तालिका-31) में हैं। निर्धारित कार्यभार (लक्ष्य) में 30 प्रतिशत की कमी के बावजूद वर्ष 2013-14 में लक्ष्य की उपलब्धि 57 प्रतिशत केवल जो निर्माणियों के लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार गिरावट को दर्शाती है।

तालिका-31

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गिरावट का प्रतिशत
2011-12	547	195	64
2012-13	529	205	61
2013-14	382	163	57


स्रोत: आ. नि. बोर्ड को उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए

7.1.5 माल सूची

माल सूची निर्माणियों में वर्ष 2013-14 में ₹11285 करोड़ थी जो वर्ष 2012-13 की अपेक्षा माल सूची में मामूली वृद्धि आठ प्रतिशत दर्ज की गयी थी। वृद्धि के प्रतिशत का कारण उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन लागत दोनों में वृद्धि रही। जो वर्ष 2011-12 में 60 प्रतिशत संग्रह से अपेक्षाकृत बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत था। निर्माणी में माल सूची में संग्रह उच्च वृद्धि का कारण निधि का आवेदन और अधिक माल संग्रह का होना अद्यक्षता के अभ्यास को दर्शाता है।

चार्ट-11

वर्ष 2013-14 में माल सूची का कल पुर्जे



उपलब्ध भंडार

उपलब्ध भंडार (एस आई एच या कच्चे माल का भंडार) ₹5588 करोड था। माल सूची संग्रह का 50 प्रतिशत लेखांकित था वर्ष 2012-13 की तुलना में घटकर वर्ष 2013-14 में ₹16 करोड रह गया था। हमारी माल सूची प्रबंधन पर लेखा परीक्षा वर्ष 2010-13 में प्रदर्शित नौ निर्माणियों का उपलब्ध भंडार 95 प्रतिशत था। जो अनुमोदित सीमा से अधिक था और यह कि पाँच तिहाई उपलब्ध भंडार को गैर सक्रिय हो चुका था जो चालू वर्ष के दौरान फिलहाल उपयोग में नहीं लाया गया था। खरीदारी करने के लिए विनियमावली द्वारा अनुमोदित सीमा चार महीने या छ; महीने खपत के अनुसार होनी चाहिए थी या फिर निर्माणी के प्रकृति के ऊपर जबकि निर्देश निर्माणियों प्रावण के वर्षों के लिए (50 प्रतिशत अधिक विकल्प खंड) जरूरत को पूरा करने के लिए पूर्ति आदेश जारी करने की अनुमति देता है। एक सुदृढ माल पहुंचाने की व्यवस्था के अनुसार बजट आवंटन और स्टोर की शेल्फ लाईफ के लिए परिकल्पित है साथ ही अच्छी तरह से निर्धारित सीमा के स्तर को बनाये रखने के लिए, लेकिन निर्माणियों के उच्च भंडारण को धारण का मौजूदा माहौल में पाँच निर्माणियों⁶⁸ के साथ यह पाया गया कि 31 मार्च 2014 तक अधिक भंडारण 147 दिन से 190 दिन तक के लिए था। एक तरफ निर्माणियों में उत्पादन के लिए निर्धारित समय में भंडार को खरीद में असमर्थता थी दूसरी तरफ भंडार का अधिक धारण जो पूँजी को अवरूद्ध करता है। आयुध निर्माणी बोर्ड को इस मुद्दे पर उच्च प्राथमिकता के लिए प्रकाश डालना चाहिए।

आयुध निर्माणी बोर्ड ने कहा (अगस्त 2015) कि आयुध निर्माणी बोर्ड की बैठक में (27 फरवरी 2015) लिए गए निर्णय के संबंध में सभी निर्माणियों को मार्च 2014 की संपत्ति सूची धारिता की तुलना में 2015-16 के दौरान संपत्ति सूची धारिता को मूल्य के संदर्भ में 15 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया गया था।

समाप्त घटकों और भंडारण

समाप्त घटक 2013-14 में बढ़कर ₹48 करोड (पाँच प्रतिशत था) दिन के अनुसार समाप्त घटक का माल सूची का भंडारण कीमत वर्ष 2013-14 में बढ़कर पिछले वर्ष की तुलना में 20 दिनों का था। समाप्त भंडार का भंडारण बढ़कर ₹51 करोड था और जिसका परिणाम भंडारण शर्तों की दिनों के अनुसार उपयोग बढ़कर वर्ष 2012-13 तीन दिन से वर्ष 2013-14 में पाँच दिन का हो गया था ।

प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियों) अगस्त 2015 में कहा था कि शाखा लेखा कार्यालय को निर्देश दिये जा चुके हैं कि निर्माणी प्रबंधन में इस विषय को उठाए कि

⁶⁸ आयुध निर्माणी कटनी, आयुध निर्माणी चान्दा, आयुध निर्माणी भुसावल, गन एण्ड शैल निर्माणी काशीपुर और आयुध निर्माणी तिरची

घटकों के भंडार में आरामदायक स्थिति को बनाए रखें। समस्त घटकों के भंडार की वर्तमान स्थिति अभी तक अपेक्षित थी।

पारगमन में सामान

निर्माणियों के बीच पारगमन में सामान आ. नि. बोर्ड के लिए सब को मिलाकर बढ़कर ₹171 करोड़ (25 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में था। पारागमन की कीमत आयुध निर्माणी चान्दा की (₹ 252 करोड़) आयुध निर्माणी बोलंगगिरि (₹141 करोड़) भारी वाहन निर्माणी अवाडी (₹95 करोड़) आयुध निर्माणी बोर्ड में कुल कीमत पारागमन में सामान की थी, संगठित रूप से 30 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी।


प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता के कथनानुसार पारागमन में सामान "अत्याधिक बाकी" का कारण निर्माणियों के उत्पादित सामान की अस्वीकृति समकक्ष निर्माणियों द्वारा सामान में कमी या असमानता सुनिश्चित परिमाण के अनुसार न होने के कारण रहा। प्रति उत्तर में गौणता थी कि पारागमन में सामान के लिए क्या उचित कदम उठाए गये हैं ताकि इस तरह की ज्यादा घटनाओं को समस्त निर्माणियों के पुनर्निर्माण और कम से कम किया जा सके

7.1.6 उत्पादन लागत

भंडार लेखा आयुध निर्माणी बोर्ड में उत्पादन लागत का 60 प्रतिशत था। उपरिव्यय उत्पादन लागत को 28 प्रतिशत आयुध निर्माणी बोर्ड में कुछ में अधिक जैसा कि चार्ट-12 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-12

उत्पादन लागत का संयोजन 2013-14 में



वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन लागत (₹15637) करोड़ लगभग सामान्य थी, 2011-14 के अनुरूप ज्यों का त्यों था जबकि उत्पादन में हास के बावजूद उत्पादन की इकाई मद की लागत में बढ़ोतरी पायी गयी। लागत का संयोजन में समस्त आपरेटिंग ग्रुप (अनुलग्नक -XV) के साथ बख्तरबंद वाहनों समूह और गोला बारूद एवं विस्फोटक समूह सबसे अधिक माल की खपत में उत्तेजना पायी गयी।

हमने पाया कि उच्च लागत कार्य की तीव्रता पर ऊपरिव्यय जो कि उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन के क्षय के बावजूद पूरा वर्ष ऊपरिव्यय को बढ़ते हुए रूप में दर्शाया गया है। आयुध निर्माणी बोर्ड के सामग्री एवं कलपुर्जे समूह कुछ सबसे पुरानी निर्माणियों जिनका उत्पादन स्तर या कम उत्पादन होने के बावजूद ऊपरिव्यय को स्तर उच्च से उच्चतर दर्शाया गया है। स्थिर ऊपरिव्यय और अस्थिर ऊपरिव्यय क्रम से 27 प्रतिशत और 11 प्रतिशत जो कुल उत्पादन लागत को ऊपरिव्यय 38 प्रतिशत था। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि निर्माणियों के हथियार समूह का स्थिर ऊपरिव्यय उच्च था।

उत्पाद के निर्गम मूल्य निर्धारण की प्रथा वर्ष के प्रारम्भ में पिछले तीन वर्षों में प्रचलन के आधार पर किया जा सकता है जिसमें लागत में प्रभावी नियंत्रण जैसे लागत में असमान्य उतार-चढ़ाव, तथापि इस मामले निर्माणियों को दो नियंत्रण; स्थानीय लेखा कार्यालय द्वारा वर्तमान समीक्षा और तिमाही वित्तीय समीक्षा के द्वारा ढाँचागत कमी की कमजोरी के चलते परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्गम लागत वर्ष में उत्पादन लागत से सम्बंध नहीं पाया गया उतार-चढ़ाव वर्ष के शुरूवात में लाभ/ हानि का कारण बनता है।

आयुध निर्माणियों के लिए यह प्रतिस्पर्धा कि उत्पादन लागत के ऊपर प्रभावी नियंत्रण का अभ्यास करना होगा जो वर्तमान में बहुत अधिक है। आयुध निर्माणियों को प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादन लागत के ऊपर काफी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना होगा जो कि वर्तमान में बहुत उच्च है। वर्तमान संरचना और नियंत्रण पर यह नियंत्रण प्रभावी नहीं है।

आयुध निर्माणी बोर्ड को नई प्रतिस्पर्धा में योग्यता को पाने के लिए प्रभावी हो जब रक्षा प्रतिष्ठान में खुली प्रतिस्पर्धा हो।

7.1.7 हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत संगठन के समग्र रूप के जोखिम मुल्यांकन के आधार पर प्रत्येक इकाई व्यय की जटिलता और गतिविधियों के स्तर वित्तीय शक्तियों को प्रत्योजित की समग्र आंतरिक नियंत्रण और स्टेक चिंताओं का मूल्यांकन, पिछली लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। खतरा ऑकलन के आधार पर आवृत्ति और लेखा परीक्षा का विस्तार सुनिश्चित होता है। एक

वार्षिक योजना (वटेर को आकलन करने का आधार लेखा परीक्षा करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति के बाद स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इकाई के मुखिया को लेखा परीक्षा निष्कर्षों के लिए जारी किया जाता है। इस आशय के साथ की इकाई स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने के बाद एक महीने के अंदर लेखा परीक्षा निष्कर्षों को उत्तर प्रेषित करें जैसे प्रति उत्तर प्राप्त होता है लेखा परीक्षा निष्कर्षों को निस्तारित कर दिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु अगली कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अलावा निकल कर सामने आती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2013-14 में 4008 पार्टी दिनों के द्वारा 42 इकाइयों की लेखा परीक्षा की गयी थी। हमारी लेखा परीक्षा योजना यह सुनिश्चित करती है की सबसे अधिक संवेदनशील इकाई जिसमें सबसे अधिक जोखिम है उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों के भीतर पूरा करते हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान 36 स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया था जिसमें 377 पैराग्राफ शामिल थे। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2013 को 516 स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 1727 पैराग्राफ थे बकाया थे। नियमित रूप से इकाइयों के सम्पर्क से 65 स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 476 पैराग्राफ के सम्बंध में संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली थी 31 मार्च 2014 को स्थिति 487 स्थानीय नमूना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 1628 पैराग्राफ थे जिसके लिए हम इकाई अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

यह प्रतिवेदन (आ. नि. बोर्ड के) 7 मामलों को प्रकाशित किया है जो व्यक्ति क्रमों के हैं जो लेखा परीक्षा से उजागर हुये हैं जिसमें निधि को पर्याप्त ठोस रकम शामिल थी। साथ ही हमने जो एक रसायनिक समूह और दूसरी निर्माणियों के हथियार समूह की दक्षता लेखा परीक्षा का परिणाम है।

7.2 हथियार विनिर्माण निर्माणियों का उत्पादन

कार्यकारी सारांश

आयुध निर्माणी (बोर्ड) लघु शस्त्रों के निर्माता के रूप में, जिसकी प्रभावशाली उपस्थिति है, के लिए पहचाना जाता है। छह शस्त्र निर्माणी निर्माणियों तदैव राइफल निर्माणी, ईशापुर (आर एफ आई), लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर (एस ए एफ), गन एवं शेल निर्माणी (जी एस एफ), आयुध निर्माणी, त्रिची (ओ एफ टी), फील्ड गन निर्माणी (एफ जी के) एवं गन कैरिज निर्माणी (जी सी एफ) ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के बीच ₹5278 करोड़ की कुल उत्पादन लागत से बोर्ड की कुल उत्पादन लागत का 11 प्रतिशत का योगदान किया।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

आयुध निर्माणियों में हथियारों का उत्पादन मुख्य रूप से थल सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए है; इसी तरह से थल सेना को भी आयुध निर्माणियों पर पूर्ण भरोसा है। गृह मंत्रालय भी केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए हथियार खरीदता है, लेकिन यह निर्माणियों से हथियारों की बिक्री का एक छोटा भाग ही है। इतने सीमित ग्राहक वर्ग के साथ, थल सेना की आवश्यकताएं, निर्माणियों के प्रदर्शन हेतु संधान प्रस्तर है। थल सेना की सतत योजना 2011-12 से 2015-16 जिसमें अगले पांच वर्षों की संभावित जरूरतें प्रदर्शित होती हैं, को बोर्ड की लघु अवधि योजना में जोड़ दिया गया है। सतत योजनाओं में यद्यपि कुछ ही रणनीतिक मदों को समेटा गया किन्तु वर्ष के बीच में आवश्यकताओं में किए गए संशोधनों, जिसने बोर्ड द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाने या विविधता बढ़ाने की योजनाओं को अवरूद्ध किया, ने अनिश्चितता बढ़ाई। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, बोर्ड ने ग्राहकों द्वारा पेश की गई आवश्यकताओं से कम के लक्ष्य तय किए। बोर्ड ने निर्माणियों को लक्ष्य तीन महीने पूर्व ही बता दिए थे, किन्तु वर्ष के मध्य में कई बार संशोधन किए गए जिसमें 3 से 14 तक प्रतिदर्श मदें थीं, यह विघटनात्मक हैं एवं एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत नहीं करती।

निर्माणियों ने वर्ष 2013-14 में उपरोक्त 38 उदाहरणों में (51 प्रतिशत) उत्पादन लक्ष्य के 80 प्रतिशत एवं अधिक तक का स्तर प्राप्त किया। किन्तु 21 उदाहरणों में (28 प्रतिशत), लक्ष्य की प्राप्ति 60 प्रतिशत से कम थी। कुल मिलाकर, 75 उदाहरणों में से 16 में माँग कर्ताओं की आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी की गईं। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के बीच कुछ चुने हुए हथियारों के निर्गम में आई कमी की कुल कीमत, संशोधित लक्ष्य की अपेक्षा में ₹1479 करोड़ थी। निर्माणियों में निवेशित भण्डार की अधिप्राप्ति में होने वाली देरी इस कमी का सर्वप्रमुख कारण थी। हालाँकि, अग्रिम

प्राप्ति वाउचर अर्थात् वास्तविक रूप में भण्डार जारी किए बिना मदों को जारी दिखाने की प्रवृत्ति ने लक्ष्यों की प्राप्ति में स्फीति एवं खातों में हेर-फेर के खतरों को बढ़ाया है। निर्माणियों ने इस प्रवृत्ति को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि यह मदें मुख्यतः परिवहन के साधनों की कमी की वजह से रूकीं।

भण्डारों की खरीद में देर एक प्रमुख वजह थी, जिसने निर्माणियों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति को सीमित कर दिया। छह में से तीन निर्माणियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के बीच अपने आपूर्ति आदेशों को 60-70 प्रतिशत भण्डारों तक की खरीद की आवश्यकताओं को जानने के पाँच महीने के अंदर जारी कर दिया। शेष निर्माणियाँ कुल आपूर्ति आदेशों के 3 से 52 प्रतिशत मामलों में निर्धारित समय सीमा का पालन कर सकीं। व्यापारिक फर्मों से खरीद में होने वाली देरी, सहयोगी निर्माणियों द्वारा उच्च कैलीवर के हथियारों की बैरल के निर्माण हेतु आवश्यक फोर्जिंग की जरूरत को पूरा कर पाने में असफलता की एक और वजह थी। 51 प्रतिशत मामलों में निर्माणियों ने भण्डारों की गुणवत्ता नियंत्रण को निर्धारित 15 दिनों में पूर्ण कर लिया। फील्ड गन निर्माणी, कानपुर एवं गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने 63 प्रतिशत से अधिक मामलों में 15 दिनों की सीमा से अधिक, सबसे ज्यादा समय लिया। यह उत्पादों (फोर्जिंग) की कठिन गुणवत्ता की जरूरतों की वजह से था, यद्यपि बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि अवरोध बिन्दुओं को रोकने के लिए नजदीकी निरीक्षण आवश्यक था। सभी निर्माणियों ने प्रत्यक्ष औद्योगिक श्रमिकों को दिए जाने वाले उजरती कार्य लाभ की अधिकता प्रतिवेदत की, जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी एवं जिसके पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

निर्माणियों में बहुस्तरीय गुणवत्ता जांच की सुगठित व्यवस्था है, जिसमें निर्माणी का अपना गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू सी) अनुभाग एवं प्रत्येक निर्माणी से जुड़ा हुआ वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस क्यू ए ई) है। किन्तु गुणवत्ता समस्याओं से निर्माणियों की लागत पर प्रभाव, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सबसे ऊपर बोर्ड एवं इसके उत्पादों की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है। बड़ी मदों (राइफल 5.56 मि.मी.) के परिपेक्ष्य में आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के दौरान अपर्याप्त पाई गई। कुछ निश्चित उत्पादों जैसे कि 5.56 मि.मी. राइफल, 7.62 मि.मी. मैग, 30 मि.मी. तोप एवं टी-90 की अतिरिक्त बैरलों के संदर्भ में वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना द्वारा 'सुधार हेतु वापसी' (यद्यपि स्वीकृत प्रक्रिया में आवश्यक नहीं) एवं अस्वीकृति की घटनाएं उच्च थीं। कमियाँ जैसे कि गेज माप में विभिन्नताएं निर्माणी के गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू.सी.) के निरीक्षण क्षेत्र में आती हैं, जो पकड़ी न जा सकी तथा एस क्यू ए ई द्वारा बाद के चरणों में पकड़ी गई।

उत्पादों की निर्गम दर को पिछले तीन वर्षों के चलन के आधार पर, वर्ष की शुरुआत में ही तय करने की प्रवृत्ति उस ढाँचे में, जिसमें लागत नियंत्रण प्रभावी हो एवं

विशेषतः उपरिव्ययों में उतार-चढ़ाव नियंत्रित हो, में तो चल सकती है। ऐसा हालाँकि निर्माणियों के मामलों में नहीं था। निर्माणियों का हथियार निर्माता समूह उच्च उपरिव्ययों, विशेष रूप से स्थाई उपरिव्ययों पर कार्य करता है। उत्पादों पर होने वाले ऊपरी खर्चों का संविभाजन कुछ उत्पादों पर इसको चढ़ाना, उन्हें अलाभकर बनाना, अतार्किक था। आयुध निर्माणियाँ सामान्तः लागत नियंत्रण एवं कमी की बिना अधिक परवाह किए उन पर की गई माँगों को पूरा करने में केन्द्रित रहती हैं। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति एवं उच्च लागत के आयातों ने माँगकर्ताओं के पास निश्चित कोषों की उपलब्धता ने एक साथ मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा की, जिसमें सशस्त्र बलों ने उच्च निर्गम दरों की परवाह किए बिना बोर्ड के उत्पादों की स्वीकार किया।

बोर्ड ने 2007-08 से 2011-12 के बीच सशस्त्र बलों को 'धन की अधिक मूल्य के साथ विशिष्ट तकनीक को समयानुसार आपूर्ति' के लिए दृश्य योजना तैयार की। दृश्य योजना का स्वप्न, निर्णय लेने एवं नई मर्दों के विकास में देरी के कारण कार्यान्वयन प्रभावित होने की वजह से, सच्चाई में परिणित न हो सका। अब जब कि बोर्ड ने परिवर्ती समांतराल के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी, वातावरण काफी सीमा तक बदल गया था। थल सेना ने (2013) 15 वर्षों के समय को लेकर एक दीर्घ कालीन समेकित दृश्य योजना (एल टी आई पी पी) तैयार की, किन्तु इसे बोर्ड को नहीं दिया। इसलिए, बोर्ड को अपने आप को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने के लिए अभी भी एक योजना तैयार करनी थी। स्वदेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 को अनुमोदित कर दिया गया किन्तु इसमें बोर्ड को अन्य निर्माताओं से प्रतियोगिता करनी थी।


लघु शस्त्र निर्माणियों के सामने मांग कर्ताओं द्वारा माँग में कमी एवं गुणवत्ता समस्या, इसके नए उत्पादनों के लिए ग्राहकों की ठंडी प्रतिक्रिया एवं नई पीढ़ी की कार्बाइनों के विकास एवं परीक्षणों में देरी जैसी बहुआयामी चुनौतियाँ थीं। मध्यम कैलीबर के हथियारों की बढ़ती माँग पुष्टि के लिए एक अच्छी निशानी है। उच्च कैलीबर रेंज (81 मि.मी. मोर्टर, 105 मि.मी. एल एफ जी) में पारंपरिक हथियारों के जखीरे में गिरावट आ रही है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशीकरण में देरी एवं कुछ निश्चित संयोजनों के आयात पर निरंतर विश्वास ने निर्माणियों के सामने माँग पूरी करने में एक चुनौती प्रस्तुत की है।

7.2.1 परिचय

7.2.1.1 कार्यकारी समूह


आयुध निर्माणियाँ उत्पादन आधारित पाँच कार्यकारी समूहों में बाँटी गई हैं। हथियार उत्पादक निर्माणियाँ हथियार, वाहन तथा उपस्कर (डब्लू वी एवं ई) समूह के अंतर्गत आती हैं। इस समूह का आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के

बीच किए गए कुल उत्पादन मूल्य में 23 प्रतिशत का हिस्सा था। छह हथियार उत्पादक निर्माणियाँ यथा राइफल निर्माणी, ईशापुर (आर एफ आई)लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर (एस ए एफ.), गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर (जी एस एफ), आयुध निर्माणी, त्रिची (ओ एफ टी), फील्ड गन निर्माणी, कानपुर (एफ जी के) एवं गन कैरिज निर्माणी (जी सी एफ) ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के बीच ₹5278 करोड़ की कुल उत्पादन लागत कर 11 प्रतिशत का योगदान दिया।



यह उत्पादन मुख्य रूप से सशस्त्र बलों एवं गृह मंत्रालय⁶⁹ (एम.एच.ए.) की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह निर्माणियाँ हथियार हिस्सों जैसे बैरल एवं आयुधों को सहयोगी निर्माणियों में क्वचित एवं लड़ाकू वाहनों में संयोजन करने हेतु भी आपूर्ति करती है। 2011-12 से 2013-14 के बीच छह हथियार उत्पादक निर्माणियाँ द्वारा जारी उत्पादों की कीमत लगभग ₹5722 करोड़⁷⁰ थी। माँगकर्तावार विवरण हथियार उत्पादक निर्माणियों द्वारा निर्गम मूल्य का चार्ट-13 में दर्शाया गया है।

चार्ट -13



सशस्त्र बल हथियारों के लिए लगभग पूर्णतः बोर्ड पर निर्भर है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के बीच हथियारों का आयात लगभग ₹245 करोड़⁷¹ तक था। इन हथियारों

⁶⁹ गृह मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हथियार केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस को जारी किए जाते हैं।

⁷⁰ निर्गम मूल्य एवं उत्पादन लागत के अंतर से लाभ प्रदर्शित होता है।

⁷¹ आयातों में मुख्य रूप से सब मशीन गन, साइलेंसर के साथ माइक्रो यू.जेड.आई.9 मि.मी.पिस्टल, गलील स्नाइपर राइफल, 7.62 मि.मी. (थलसेना) ए.के. 103 राइफल, 9 मि.मी. पी. फाइव ए.थ्री राइफल्स, आई.एल.-38 (नौ सेना) के लिए के.एच.-35

को बैरल बोर के आकार के आधार पर लघु शस्त्रों, मध्यम कैलीबर बड़े कैलीबर में बाँटा गया है। बोर्ड ने मुख्य रूप से लघु शस्त्रों की आपूर्ति की (2011-12 से 2013-14 के बीच कुल निर्गम मूल्य का 65 प्रतिशत) जहाँ उत्पादन धीरे-धीरे गिर रहा है एवं अधिक मंहगे एवं गहन तकनीक वाले बड़े कैलीबर के हथियारों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। (चार्ट-14) तथापि, गिरावट के बावजूद 5.56 मि.मी. इन्सास राइफल का बोर्ड के लघु शस्त्रों के जखीरे में मुख्य स्थान है।

7.2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड के सदस्य (हथियार, वाहन तथा उपस्कर) इस परिचालन समूह द्वारा नीति निर्माण, योजना एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। निर्माणियों, महाप्रबंधकों द्वारा संचालित की जाती हैं। निर्माणियों में आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण निर्माणी के अतिरिक्त/संयुक्त महाप्रबंधकों की देखरेख में होता है।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए) जो कि बोर्ड से स्वतंत्र है, उत्पादों की गुणवत्ता हेतु आश्वासन देता है। यह अपना कार्य निर्माणियों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ), कोलकाता (पी सी ए (फै.)) समेकित वार्षिक लेखा, लागत नियंत्रण के साथ वित्त पर सलाहकार भूमिका के लिए उत्तरदायित्व प्रत्येक निर्माणी में मौजूद स्थानीय कार्यालयों (एल ए ओ) के माध्यम से पूर्ण करती है।

7.2.1.3 हमने यह लेखा परीक्षा क्यों की?

हथियार उत्पादक निर्माणियों की सशस्त्र बलों एवं गृह मंत्रालय को रणनीतिक हथियारों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के परिपेक्ष्य में हमने उत्पादन योजना, निष्पादन, गुणवत्ता एवं लागत नियंत्रण पर केन्द्रित व्यापक लेखापरीक्षा निश्चित की जो कि प्रबंधन के लिए मूल्य संवर्धन करेगी एवं सरकार तथा संसद में नीति निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी।

7.2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षण लिए गए सैंपल

हमारी लेखापरीक्षा में छह हथियार उत्पादक निर्माणियों का तीन वर्षों 2011-12 से 2013-14 के दौरान प्रदर्शन लिया गया। हम इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर; बोर्ड एवं छह निर्माणियों⁷² जबलपुर एवं ईशापुर स्थित गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (हथियार एवं लघु शस्त्र) एवं इन निर्माणियों से जुड़े हुए वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन

⁷² राइफल निर्माणी, ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर, गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर, आयुध निर्माणी, त्रिची, फील्ड गन निर्माणी, कानपुर एवं गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर।

स्थापना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के द्वारा पहुँचे हैं। 2014-15 से सम्बंधित जानकारी आवश्यकतानुसार शामिल की गई है।

हमने ₹2860 करोड़ की उत्पादन लागत वाले 25⁷³ हथियार मर्दों को चुना जो कि कुल मिलाकर 2011-12 से 2013-14 के बीच छह निर्माणियों की उत्पादन श्रंखला के 68 हथियार मर्दों की कुल उत्पादन लागत (₹3618 करोड़) का 79 प्रतिशत हिस्सा है। यह चुनाव सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों द्वारा मर्दों के रणनीतिक उपयोग, ग्राहक आधार की वैभिन्नता तथा उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था। परीक्षण हेतु चुने गए सैम्पलों का विवरण अनुलग्नक XVI में दिया गया है।

7.2.1.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमारी लेखापरीक्षा का उद्देश्य बोर्ड की उसके ग्राहकों मुख्यतः सशस्त्र बलों को उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को समय पर उपलब्ध कराने की क्षमता के बारे में एक अभिमत बनाना था। हमारी लेखापरीक्षा का वृहद उद्देश्य, जो कि इस लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार किया गया था, इस बारे में आश्वासन प्राप्त करना था कि:

- बोर्ड ने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य मांगकर्ताओं की जरूरतों एवं निर्माणियों की क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किए थे तथा निर्माणियों द्वारा ये लक्ष्य समय पर प्राप्त कर लिए गए थे;
- निर्माणियाँ अपनी उत्पादन योजना को समय से लागू करने के लिए अपने साधनों को सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने में सक्षम थीं;
- मजबूत गुणवत्ता नियंत्रक कदमों से मांगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता के हथियारों को समयानुसार आपूर्ति सुनिश्चित की गई;
- निर्माणियों ने निधियों के उपयोग के साथ-साथ उत्पादन लागत एवं लागतों की आपूर्ति पर नजदीकी निगाह रखने के लिए नियंत्रणों की स्थापना की तथा
- आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, निर्माणियाँ सशस्त्र बलों की सापेक्ष जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार थीं।

7.2.1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

हमने निम्नलिखित प्रलेखों को, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को सुनिश्चित करने हेतु के लिए चिन्हित किया:

⁷³ लघु शस्त्र: 12 मर्द, मध्यम कैलिबर: 3 मर्द, उच्च कैलिबर: 10 मर्द।

- ❖ बोर्ड का प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2010 (ओ.एफ.बी.पी.एम), .स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर एव डी.जी.ओ.एफ. प्रोसीजर मैनुअल;
- ❖ बोर्ड की मासिक बोर्ड मीटिंग का कार्यवृत्त;
- ❖ रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन का स्टैण्डिंग आर्डर (तकनीकी);
- ❖ रक्षा लेखा विभाग का आफिस मैनुअल भाग VI (डी.ए.डी.ओ.एम.) एवं
- ❖ मंत्रालय एवं बोर्ड द्वारा जारी की गई नीतियों/अनुदेश।

7.2.1.7 लेखापरीक्षा वर्गीकरण

बोर्ड एवं चार हथियार उत्पादक निर्माणियों में एक प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात अगस्त, 2014 में एक प्रविष्टि बैठक आयोजित की गयी थी, जहाँ कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखा परीक्षा वर्गीकरण पर सहमति बनी थी। जुलाई, 2014 से दिसम्बर 2014 के बीच विस्तार हेतु जैसा कि पैरा 7.1.7 में दिया गया है, चुनी हुई इकायों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई ताकि लेखापरीक्षा मानदण्डों के सापेक्षा निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। फील्ड लेखापरीक्षा में अभिलेखों का परीक्षण, आडिट मेमो एवं प्रश्नावलियों को उपयोग किए जाने वाले कम्प्यूटराइज्ड पैकेजों से प्राप्त किए गए डाटा का भी विश्लेषण किया।

फरवरी, 2015 में प्रतिवेदन प्रारूप, मंत्रालय एवं बोर्ड को जारी किया गया एवं मई, 2015 में बोर्ड के साथ समापन बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया। जबकि बोर्ड ने अपना जवाब मई, 2015 में दे दिया, तथापि मंत्रालय से उत्तर निर्धारित छह सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रतीक्षित (सितम्बर, 2015) था। बोर्ड का उत्तर एवं इक्विजट कांफ्रेंस के दौरान किए गए विचार-विमर्श को, प्रतिवेदन प्रारूप में की गई सिफारिशें भी बोर्ड द्वारा अपने उत्तरों में स्वीकार कर ली गई थी।

7.2.1.8 आभार

हम बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के हथियार,वाहन एवं उपस्कर विभाग के सदस्य, निर्माणियों के वरिष्ठ महाप्रबंधको/महाप्रबंधकों एवं लेखा अधिकारियों एवं छह हथियार उत्पादक निर्माणियों में अवस्थित वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं के द्वारा प्राप्त सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त इनपुट ने हमें लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाने में एवं एक प्रतिवेदन तैयार करने में मदद दी, जिससे हम आशा करते हैं कि बोर्ड एवं निर्माणियों की कार्यप्रणाली में मूल्य वृद्धि होगी।

इस प्रतिवेदन में उपयोग किए गए शब्द संक्षेपों की एक सूची एवं शब्दों की शब्दावली क्रमशः परिशिष्ट-I एवं परिशिष्ट-II में दी गई है।

लेखापरीक्षा निषकर्ष

7.2.2 मॉगकर्ताओं की मांग पूरा करने की ओर

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: बोर्ड ने मॉगकर्ताओं की मांग एवं निर्माणियों की क्षमता के आधार पर निर्माणियों के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य तय किए एवं निर्माणियों द्वारा लक्ष्य समय पर प्राप्त किए गए।

7.2.2.1 ग्राहकों की आवश्यकताओं के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारण

निर्माणियों में उत्पादित हथियार मदों के लिए थल सेना मुख्य मॉगकर्ता है। 'पंचवर्षीय सतत खरीद योजना' (2011-12 से 2015-16) का विचार फरवरी, 2011 में आया, जो थल सेना की बहुवर्षीय जरूरतों⁷⁴ की परियोजना है। हालांकि, यह थल सेना द्वारा प्राप्त निश्चित मॉगपत्र⁷⁵ है जो बोर्ड द्वारा निर्माणियों के लिए उत्पादन लक्ष्यों को तय करने का आधार बनाते हैं।

गृह मंत्रालय, जो अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार खरीदता है; के लिए लक्ष्य पूर्ववर्ती वर्ष के नवम्बर/दिसम्बर में होने वाली वार्षिक लक्ष्य निर्धारण अधिवेशन में तय किए जाते हैं। 2010 में पहली बार एक सतत योजना प्राप्त हुआ, जोकि हालांकि, केवल एक प्रतीकात्मक इच्छा सूची थी।

नौ सेना की जरूरतें उत्पादन (2011-12 से 2013-14 के बीच कुल निर्गम मूल्य का 2 प्रतिशत) का एक छोटा हिस्सा बनाती है। नौ सेना द्वारा जारी वार्षिक मॉगपत्र, बोर्ड⁷⁶ द्वारा लक्ष्य निर्धारण के लिए इकलौता माध्यम है। लेखापरीक्षा को बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया कि निजी मॉगकर्ताओं के लिए उत्पादन लक्ष्य, मॉग पर आधारित होती है, किन्तु प्रकृति में इसके परिवर्तनशील होने के कारण इसे अभिलेखित नहीं किया जाता।

⁷⁴ यह योजना, अपशिष्टों के प्रवाह की प्रवृत्ति पर आधारित न्यूनतम आवश्यक जरूरतों को दर्शाती हैं।

⁷⁵ मॉगपत्र एक निश्चित आदेश होता है। तकनीकी अनुदेश (महा निदेशक, आयुध सेवाएं, तकनीकी अनुदेश 307 जो वर्ग 'अ' भण्डारों के प्रबंध पुनरीक्षण को संचालित करता है) अपेक्षा करते हैं कि थल सेना प्रतिवर्ष नवम्बर में उपलब्ध भण्डारों एवं निर्माणियों पर जारी पुराने मॉगपत्रों पर लम्बित आपूर्तियों के सापेक्ष अपनी वार्षिक मांग को अनुमानित करने के लिए एक वार्षिक प्रबंध पुनरीक्षण करे

⁷⁶ ए.के. 630 गन को एक बड़ा मद होने के कारण छोड़कर, जिसके लिए नौ सेना ने दिसम्बर 2011 में कुल मॉग प्रस्तुत की।

अपने विशेष बोर्ड अधिवेशन (जुलाई 2011/अगस्त 2012) में बोर्ड ने ग्राहको द्वारा दीर्घकालीन ठोस मार्गों प्रस्तुत किए जाने की जरूरतों पर विचार किया, जिससे उत्पादन हेतु पर्याप्त समय मिल सके। थल सेना की हथियार प्रणालियों के दीर्घकालीन प्रवेश/निष्कासन योजना पर आधारित, हथियारों के सतत माँगपत्र पर विचार करने के लिए, यह मुद्दा विशेष रूप से थल सेना के साथ उठाया गया, जिससे बोर्ड थल सेना की माँग के अनुरूप अपनी आधुनिकीकरण एवं क्षमता वृद्धि योजना में सामंजस्य बिठा सकेगा।

7.2.2.2 ग्राहकों की माँगों का प्रस्तुतीकरण

थल सेना की बहुवर्षीय सतत योजना ने बोर्ड की उत्पादन योजना में मदद की। यद्यपि, सतत योजना में माँगों का प्रस्तुतीकरण 'अनंतिम' एवं थल सेना द्वारा किए जाने वाले वार्षिक प्रबंध पुनरीक्षण के पश्चात सामने आई वास्तविक जरूरतों पर आधारित बढ़ी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय था। इसके अनुसार, थल सेना को बढ़ी हुई आवश्यकताओं के लिए अनुपूरक माँगपत्र की योजना बनानी थी। हमने पाया कि थल सेना की सतत योजना में, निर्माणी द्वारा थल सेना के लिए बनाई जाने वाली मर्दों में केवल 13 से 21 हथियार आते थे। शेष उत्पादों की माँग, अभी भी थल सेना द्वारा माँगपत्रों के माध्यम से बताई जा रही थी।

थल सेना को सीधे जारी की गई एवं हमारी लेखापरीक्षा में सैंपल के रूप में ली गई 11 मर्दों में से, सतत योजना में केवल 8 रणनीतिक मर्दें थी; शेष 3 मर्दें वह थीं जिन्होंने उत्पादन⁷⁷ में अनिश्चितता का सामना किया था। इस सम्बंध में, हमने पाया कि:

- चार मर्दों यथा 5.56 मि.मी. राइफल, 105 मि.मी.लाइट फील्ड गन, 40 मि.मी. यू बी जी एल एवं 9 मि.मी. पिस्टल के परिपेक्ष्य में निर्माणियों (आर एफ आई, एस ए एफ, ओ एफ टी एवं जी सी एफ) ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के बीच, बोर्ड के पास 1 अप्रैल 2011 को लंबित थल सेना के माँगपत्रों को निबटाने के लिए उन मर्दों का उत्पादन किया। तत्पश्चात, बोर्ड ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान थल सेना की सतत योजना के संदर्भ में लक्ष्यों को सार्थक रूप से संशोधित नहीं किया। तथापि, थल सेना की 5.56 मि.मी. राइफल (फिक्स्ड बट) एवं 9 मि.मी. पिस्टल की माँग में कमी आई और 2013-14 में यह शून्य हो गई;

⁷⁷ इन मर्दों में 5.56 मि.मी. राइफल-फोल्डेबल बट, 5.56 मि.मी. लाइट गन मशीन एवं 7.62 मि.मी. गन मशीन थी। 5.56 मि.मी.लाइट गन मशीन एवं 7.62 मि.मी. मीडियम गन मशीन का उत्पादन लंबे समय के लिए रोक दिया गया एवं 2012-14 के दौरान पुनः चालू हुआ। थल सेना द्वारा 5.56 मि.मी. राइफल-फोल्डेबल बट के वृहद उत्पादन की अनुमति अक्टूबर, 2012 में दी गई।

- अन्य चार मर्दों यथा 81 मि.मी. मोर्टार, 84 मि.मी. राकेट लांचर एम.के.-III, स्पेयर बैरल (टी-72 टैंक) एवं स्पेयर बैरल (टी-90 टैंक) के परिपेक्ष्य में थल सेना ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान (अनुलग्नक-XVI-ए) अपनी सतत योजना में दर्शाई गई मात्रा की तुलना में वार्षिक मॉग 80 से 172 प्रतिशत तब बढ़ा दी। तथापि, इन मर्दों से संबंधित आठ में से पाँच मॉगपत्र थल सेना द्वारा इसी समयांतराल में वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए। किंतु बोर्ड ने निर्माणियों (जी.सी.एफ. एवं जी.एस.एफ.) को दिये गए लक्ष्यों को ऊपर की ओर संशोधित नहीं किया, जो पहले ही क्षमता की कमी का सामना कर रही थी;
- कुल मिलाकर, 2011-14 के दौरान (अनुलग्नक-XVII-ए) 31 में से 23 मौकों पर (11 मर्दें) लक्ष्यों को थल सेना की मॉग से कम पर तय किया गया।

हमने पाया कि गृह मंत्रालय के मामले में भी, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए लक्ष्य निर्धारण अधिवेशन में तय किए गए एवं बोर्ड द्वारा स्वीकृति किए गए लक्ष्य, 83 प्रतिशत मौकों पर (छह मर्दों) लक्ष्य निर्धारण बैठक (दिसम्बर 2010, नवम्बर 2011 एवं नवम्बर 2012) के दौरान लक्ष्यों में हुई कटौती के कारण सतत योजना से बहुत अलग थे। विशेषतः, बोर्ड ने 2013-14 में तीन मर्दों (5.56 मि.मी. राइफल, एल.एम.जी. एवं 9 मि.मी.कार्बाइन) में लक्ष्यों में कटौती का लक्ष्य निर्धारण अधिवेशन के दौरान विरोध किया (नवम्बर 2012), क्योंकि इसका परिणाम लघु शस्त्र उत्पादक निर्माणियों की निष्क्रियता होगा। बोर्ड ने (जुलाई/अगस्त 2012 में) गृह मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारण अधिवेशन (नवम्बर 2011) में 9 मि.मी.पिस्टल मर्दों एवं कार्बाइन (2012-13) के लिए दिए गए लक्ष्यों की तुलना में गृह मंत्रालय द्वारा कम/शून्य निधि जारी करने के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सशस्त्र बलों के मामले में, आपूर्ति के बदले में भुगतान बुक एडजस्टमेंट के द्वारा किया जाता है और इसलिए आपूर्ति समय निर्धारण करते समय यह कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। किन्तु ऐसा, यद्यपि, गृह मंत्रालय के मामले में नहीं है, जहाँ भुगतान में देरी या अप्राप्ति एक संकटपूर्ण घटक है, जो निर्माणियों को लक्ष्यों के सापेक्ष आपूर्तियों का नियत समय परिवर्तित करने या स्वयं लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए मजबूर करता है।

बोर्ड ने कहा कि सतत योजना के अंतर्गत दर्शाई गई मात्राएं उनके अनुरूप मॉगपत्रों से मेल नहीं खाती तथा दीर्घकालीन मॉगों की अनुपस्थिति में, निर्माणियाँ रणनीतिक रूप से आधुनिकीकरण या अपनी उपलब्ध क्षमता का विविधता के साथ अनुकूलतम उपयोग की योजना नहीं बना सकतीं। यह सभी घटक, ग्राहकों की समय पर रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

7.2.2.3 क्षमता के सापेक्ष लक्ष्य निर्धारण

बोर्ड ग्राहकों के माँगपत्रों एवं निर्माणियों की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्माणियों के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करता है और उन्हें सूचित करता है। माँगकर्ताओं की जरूरतों, निर्माणियों में उत्पादन क्षमता⁷⁸ एवं वार्षिक लक्ष्यों के सहसंबंध से निम्नलिखित उद्घाटन हुए:

- जब भी लक्ष्य निर्धारण क्षमता से अधिक किया गया, निर्माणियाँ लक्ष्य प्राप्ति में असफल हुईं। यह 17 मर्दों के परिपेक्ष्य में 31 मौकों पर हुआ, जहाँ संचयी कमी 2011-14 के बीच 16 मर्दों में थी (टी-72 की स्पेयर बैरल को छोड़कर)। यह कमी 5 से 71 प्रतिशत की सीमा में थी;
- बोर्ड ने 25 सैंपल ली गई मर्दों में से 17⁷⁹ के मामले में निर्माणियों की क्षमता, माँगकर्ताओं की जरूरतों⁸⁰ की अपेक्षा कम होने के कारण क्षमता में कमी का सामना किया(अनुलग्नक-XVII 'ए' एवं अनुलग्नक-XVII 'बी')। इनमें से कुछ रणनीतिक हथियार थे, जैसा कि तालिका-32 में दिखया गया है।

तालिका-32

हथियार का नाम	हथियार का महत्वपूर्ण उपयोग
40 मि.मी. अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर	थल सेना के सैनिकों द्वारा राइफल एवं ग्रेनेड लांचर द्वारा गोली दागने एवं ग्रेनेड चलाने के लिए इन्सास राइफल में फिट।
टी-90 आर्डनेंस/स्पेयर बैरल टी-90	भारतीय सेना की कवचित रेजीमेन्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टी-90 टैंक की मुख्य युद्धक सामग्री।
ए.के.-630 गन	मुख्य युद्धक सामग्री में छह संकेन्द्रित 30 मि.मी. की गन बैरल थी, जो भारतीय नौसेना के युद्धक पोतों में लगी थीं एवं एयरक्राफ्ट रोधी एवं मिसाइल-रोधी रक्षा के लिए उपयोग की जाती थी।
105 मि.मी. एल.एफ.जी.	भारतीय थल सेना की पैदल सेना रेजीमेन्ट के लिए उपयोग की जाने वाली हल्की मैदानी तोप
84 मि.मी. आर.एल. एम.के.-III	एंटी टैंक हथियार के रूप में उपयोग की जाती है, किन्तु कवचित पर्सनल कैरियर, मशीन गन पोस्टों एवं खुले में सैनिकों पर प्रहार करने के लिए उपयोगी।
81 मि.मी. मोर्टार	हल्का हथियार, जो गृह युद्ध के किसी भी चरण में तेज, सटीक एवं भारी गोलाबारी, पहाड़ी सहित किसी भी क्षेत्र में कर सकता है।

⁷⁸ बोर्ड के निर्देशों (मई 2010) के अंतर्गत दो समितियों ने उत्पादक निर्माणियों की चुने हुए हथियारों के लिए उत्पाद अनुसार क्षमता आँकी (अगस्त 2010) किन्तु तत्पश्चात छह सैंपल निर्माणियों में से पाँच में क्षमता आंकलन नहीं किया गया। लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर ने निर्माणी में उपलब्ध श्रमशक्ति को ध्यान में रखते हुए क्षमता को कम आँका। हमने अपने विश्लेषण के लिए, क्षमता पर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का उपयोग किया है।

⁷⁹ राइफल 5.56 मि.मी. (फिक्सड एवं फोल्डेबल बट), राइफल 7.62 मि.मी., गन मशीन, 7.62 मि.मी., पिस्टल ऑटो 9 मि.मी., 40 मि.मी. यू बी जी एल, ए के 630 गन, 105 मि.मी. एल एम जी, टी-72 एवं टी-90 की स्पेयर बैरल, 81 मि.मी. मोर्टार, 84 मि.मी. आर एल, 0.32" पिस्टल, टी-90 आर्डनेंस, 5.56 मि.मी. एल एम जी, 127 मि.मी. प्रहारी एवं 127 मि.मी. ए.डी. गन।

⁸⁰ पुराने माँगपत्रों के सापेक्ष बकाया को लेते हुए।

- लक्ष्य ग्राहकों की जरूरतों विशेषतः उन मदों में जिसमें निर्माणी को उत्पादन में समस्या थी, जैसा 5.56 मि.मी. लाइट मशीन गन (2011-12 से 2012-13), जिसमें उत्पादन 10 वर्षों की रूकावट के पश्चात पुनः शुरू हुआ था, से कम निर्धारित किए गए थे। इसी तरह से, 2011-12 से 2012-13 के दौरान स्पेयर बैरल टी-72 के लिए लक्ष्य, फोर्जिंग प्राप्त करने में समस्याओं एवं टी-90 बैरलों की जरूरतों को दी जाने प्राथमिकताओं के कारण, क्षमता से कम निर्धारित किए गए थे। यद्यपि लेखापरीक्षा को इस संबंध में माँगकर्ताओं से किए गए किसी पत्रव्यवहार या लक्ष्य निर्धारण से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख में क्षमता में कमी या उत्पादन में किसी समस्या का जिक्र नहीं पाया। यह भी पाया गया कि गृह मंत्रालय की तुलना में थल सेना के मामले में उसी समय पर ग्राहक माँगपत्र एवं लक्ष्यों में अंतर था। इनमें कुछ मदें 5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट एवं फोल्डेबल बट, 81 मि.मी. मोर्टार, 5.56 मि.मी. एल एम जी. एवं 9 मि.मी. पिस्टल ऑटो थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने कुछ निश्चित मदों जैसे 7.62 मि.मी. मैग, जहाँ उत्पादन 12 वर्षों (1999-2000 से 2010-11) के अवरोध के पश्चात् शुरू हुआ था या 84 मि.मी. आर.एल. जहाँ विदेशी सहयोगी की बैरल उपलब्ध कराने की क्षमता सीमित थी, के लिए विशेष सीमाओं को रेखांकित (मई 2015) किया। बोर्ड का उत्तर, बोर्ड की लक्ष्य निर्धारण अधिवेशन के दौरान क्षमता में कमी, उत्पादन समस्याओं को अभिलेखित करने और उसे माँगकर्ताओं को सूचित करने में कमी पर मौन था।

7.2.2.4 क्षमता संवर्धन

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हथियार उत्पादक निर्माणियाँ हथियारों की सीमा के परे वार्षिक माँगपत्रों की माँग पूरा करने में क्षमता में कमी का सामना कर रही थी (अनुलग्नक-XVII 'ए')। यद्यपि बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने विशेष बोर्ड अधिवेशन (अगस्त 2012) में यह सूचित किया कि बोर्ड ने केवल लार्ज कैलीबर के हथियारों (एल.सी.डब्ल्यू)⁸¹ की क्षमता वृद्धि का कार्य अपने हाथों में लिया है जहाँ क्षमता सतत योजना (2011-12 से 2015-16) में दर्शाई गई वर्तमान एवं भविष्य की माँग की अपेक्षा कम है एवं बोर्ड ने क्षमता संबंधी आंकड़े लेखापरीक्षा को प्रेषित किए।

मार्च, 2012 में एल सी डब्ल्यू के लिए क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव चार निर्माणियों में कुल 377 करोड़ की लागत तथा मार्च, 2015 की समाप्ति तिथि के साथ स्वीकृत किया गया। ये चार निर्माणियाँ मेटल एंड स्टील निर्माणी ईशापुर, फील्ड गन निर्माणी कानपुर, आर्डनेस निर्माणी कानपुर एवं गन कैरिज निर्माणी जबलपुर थी। दिसम्बर 2014 तक, केवल ₹47 करोड़ रुपये (स्वीकृत लागत का 12 प्रतिशत) आवश्यक 47

⁸¹ टी-90 आर्डनेस, टी-72/टी-90 की स्पेयर बैरल, 130/155 मि.मी. अपगनिंग एवं 155 मि.मी. गन

प्रतिशत उपस्करों की खरीद आदेशों पर खर्च किए गए थे, क्योंकि आवश्यक 11 सिविल कार्यों में से आठ अभी भी टेंडर चरण में थे।

सिविल कार्य पूरा होने में हुई देरी एवं मशीनों की खरीद में हुई देरी को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि एल सी डब्ल्यू परियोजना थल सेना की 155/52 कैलीबर टोड गन पर अंतिम निर्णय से जुड़ा है, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया अभी भी थल सेना ने पूरी नहीं की है।

यह दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एल.सी.डब्ल्यू. परियोजना केवल एल.सी.डब्ल्यू. परियोजना के कार्यक्षेत्र में अन्य मर्दों जैसे टी-90 आर्डनेंस, टी-72/टी-90 स्पेयर बैरल, 130/155 मि.मी. अपगनिंग, 155 मि.मी. (45 कैलीबर) गन आदि से ही नहीं जुड़ी हुई है। बोर्ड का उत्तर इन दो मर्दों, जो कि नियमित उत्पादन में है, की क्षमता संबंधन में हुई देरी के कारणों पर मौन था।

7.2.2.5 निर्माणियों को लक्ष्यों की सूचना

अनुलग्नक-1 के साथ पैरा 5.5.2 बोर्ड का प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2010 के अनुसार निवेशी माल की खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय छह माह, जो मंत्रालय की शक्ति के अंदर खरीद हेतु अधिकतम समय है। इसलिए निर्माणियों को लक्ष्य उत्पादन वर्ष के कम से कम छह माह पहले मिल जाने चाहिए (पूर्वर्ती वर्ष के सितंबर माह तक)। तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा जारी मॉगपत्र, लक्ष्यों के मध्यावधि संशोधन के बाद निर्माणियों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार लड़खड़ाते हुए पूरे किए जाते हैं।

हमने, यद्यपि, यह पाया कि वर्ष भर निर्माणियों को बोर्ड से समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। बोर्ड द्वारा निर्माणियों को लक्ष्यों की सूचना देने में दो से तीन महीने की देरी (पूर्वर्ती वर्ष के नवम्बर-दिसम्बर तक) हुई। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उत्पादन वर्ष में लक्ष्यों के बाद में भी 3 से 14 मर्दों तक संशोधन किया गया ((तालिका-33) किंतु लक्ष्यों के मध्यावधि संशोधन से 11 मर्दों का उत्पादन प्रभावित हुआ जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है।

हमने लक्ष्यों के संशोधन के कारणों का और ज्यादा विश्लेषण किया। 2011-12 में, थल सेना से सतत योजना जो पहली बार

(तालिका -33: एक एवं वर्ष में मूल संशोधित लक्ष्यों की तुलना

वर्ष	संशोधनों की प्रकृति	मर्दों की संख्या
2011-12	लक्ष्य में वृद्धि	5
	लक्ष्य में कमी	9
	यथा स्थिति	11
	योग	25
2012-13	लक्ष्य में वृद्धि	1
	लक्ष्य में कमी	2
	यथा स्थिति	22
	योग	25
2013-14	लक्ष्य में वृद्धि	7
	लक्ष्य में कमी	1
	यथा स्थिति	17
	योग	25

स्रोत: लक्ष्य के संबंध में ओ.एफ.बी. के पत्र

फरवरी, 2011 में प्रचलन में आई, प्राप्त होने पर संशोधन किए गए थे; सतत योजना ने मॉर्गों का मानचित्र प्रस्तुत किया जो कि जो वर्ष के लिए प्राप्त हुए वार्षिक मांगपत्र से भिन्न रहता था। संशोधनों से लक्ष्यों में वृद्धि पाँच बार एवं कमी नौ बार की गई। 2012-13 में बोर्ड द्वारा किए गए लक्ष्य संशोधन कम थे जिसमें एक मद् (84 मि.मी. राकेट लॉचर) के लिए लक्ष्य की वृद्धि जो कि थल सेना एवं गृह मंत्रालय की मॉर्गों में वृद्धि के कारण एवं दो मद् (9 मि.मी. पिस्टल ऑटो, 9 मि.मी. कार्बाइन) के लिए लक्ष्य की कमी थी। 2013-14 में, लक्ष्य वर्ष के मध्य में सात बार बढ़ाए गए जिसमें हमने पाया यह उपभोक्ता से प्राप्त मांगपत्रों के मध्य-वर्ष में संशोधनों कारण नहीं थे। राइफल 7.62 मि.मी. के लिए लक्ष्य संबंधित निर्माणियों के अनुरोध पर बढ़ाए गए थे एवं 40 मि.मी. यू जी बी एल के लिए यह पर्याप्त मांगपत्रों की उपलब्धता के कारण एवं ओ.एफ. त्रिची के स्वस्थ उत्पादन प्रवाह के कारण लक्ष्य वृद्धि हुई। शेष पाँच मद्⁸² के लिए, निर्माणियों के लक्ष्यों में वृद्धि की सूचना देते समय कोई विशेष कारण नहीं अभिलेखित किया गया।

आगे **अनुलग्नक-XVII 'ए'** एवं **अनुलग्नक-XVII 'बी'** से हमने यह पाया कि ऊपरी संशोधनों के 13 मौकों से 11 मौकों (11 मद्) के परिपेक्ष्य में निर्माणियाँ लक्ष्य प्राप्त न कर सकीं; पाँच मौकों⁸³ पर व मूल लक्ष्य प्राप्ति में केवल चार मौकों पर मदद की लेकिन आठ अन्य अवसरों⁸⁴ पर निर्माणियाँ लक्ष्य में कमी के बावजूद लक्ष्य प्राप्त न कर सकी।

बोर्ड ने लक्ष्यों में संशोधन (मई 2015) को ग्राहकों की मॉर्गों में परिवर्तन की वजह से जरूरी बताते हुए न्यायोचित ठहराया, जोकि हमारी विश्लेषण में हमेशा ऐसा नहीं था, जो ऊपर भी बताया गया है।

7.2.2.6 लक्ष्यों की प्राप्ति

तालिका-34 में 2011-14 के दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निर्माणियों का उत्पादन प्रदर्शन दर्शाया गया है। अधिक विवरण **अनुलग्नक-XVII 'ए'** एवं **अनुलग्नक-XVII 'बी'** में दिया गया है।

⁸² 5.56 मि.मी. राइफल फिक्सड बट, एल.एम.जी. 5.56 मि.मी., पिस्टल आटो 9 मि.मी., कार्बाइन 9 मि.मी., 12.7 मि.मी. प्रहरी।

⁸³ 5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट), राइफल 7.62 मि.मी., पिस्टल आटो 9 मि.मी., 12.7 मि.मी. प्रहरी, 84 मि.मी. राकेट लॉचर एम.के.-III।

⁸⁴ 5.56 मि.मी. एल.एफ.जी., पिस्टल 9 एम.एम, कार्बाइन 9 एम.एम, 12.7 मि.मी. प्रहरी, 84 मि.मी. राकेट लॉचर, ए.के. 630 गन, टी-90 आर्डनेंस, नई बैरल की ओवरहॉल।

तालिका-34: वर्षवार उत्पादन प्रदर्शन

वर्ष	संशोधित लक्ष्यों का प्रतिशत में उत्पादन: मर्दों की संख्या						मर्दों की कुल संख्या	कमी की कीमत (₹ करोड़ में)
	≥ 100	99-80	79-60	59-40	39-20	<20		
2011-12	8	8	4	2	2	1	25	199
2012-13	4	10	5	3	3	0	25	495
2013-14	4	4	7	4	5	1	25	785
योग	16	22	16	9	10	2	75	1479

जैसा कि तालिका में देखा गया है कि 2011-14 में निर्माणियों ने 38 अवसरों पर (51 प्रतिशत) औसतन 80 प्रतिशत तथा और अधिक के स्तर तक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए। निर्माणियों ने वर्ष 2011-12 में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जहाँ उन्होंने 2013-14 की आठ मर्दों के (32 प्रतिशत) की अपेक्षा 16 मर्दों (64 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत तथा अधिक के लक्ष्य प्राप्त किए। 2012-13 एवं 2013-14 में शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति वाले उत्पादों की संख्या कम होकर चार तक आ गई। यद्यपि, 37 अवसरों पर (49 प्रतिशत), 22 मर्दों⁸⁵ के उत्पादन/आपूर्ति में 21 से 100 प्रतिशत तक की कमी आयी थी। संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष चुने हुए हथियारों को जारी करने की कमी की कुल कीमत 2011-14 में ₹1479 करोड़ थी जो 2011-12 की मुख्यतः छह मर्दों⁸⁶ के उत्पादन/आपूर्ति में कमी की तुलना में 294 प्रतिशत ज्यादा थी (₹586 करोड़)।

2011-12 से 2013-14 अवसरों पर लक्ष्य प्राप्ति थल सेना की मॉर्गों से कम थी, जिस पर पैरा 7.2.2.2 में विचार किया गया था। 13 अवसरों (आठ मर्दों) पर उत्पादन, मॉर्गपत्र के सापेक्ष 60 प्रतिशत या उससे अधिक किया गया। उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति, थल सेना की मॉर्गों से 2011-12 एवं 2012-13 में 5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट), 2011-12 से 2013-14 में गन मशीन 7.62 मि.मी., 2011-12 एवं 2012-13 में 40 मि.मी. यू बी जी एल, 2011-12 एवं 2012-13 में 81 मि.मी. मोर्टर एवं 2011-12 से 2013-14 में टी-90 स्पेयर बैरल के मामले में काफी कम

⁸⁵ 5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट), 5.56 मि.मी. राइफल (फिक्स्ड बट), 5.56 मि.मी.एल एम जी, गन मशीन 7.62 मि.मी., राइफल 7.62 मि.मी., पिस्टल ऑटो 9 मि.मी., कार्बाइन 9 मि.मी., 40 मि.मी. यू बी जी एल, ए.के.630 गन, 81 मि.मी. मोर्टर, 84 मि.मी. राकेट लॉचर, 12.7 मि.मी., ए डी गन, फील्ड गन एसेम्बली के टी.90 टैंक, स्पेयर बैरल टी-72, स्पेयर बैरल टी-90, टी-90 आर्डनेंस, पुरानी बैरलों की ओवरहाल, नई बैरलों की ओवरहाल, 105 मि.मी. एल एफ जी आर्डनेंस, 0.32" स्पोर्टिंग राइफल, 105 मि.मी. एल एफ जी के साथ सी डू एस

⁸⁶ 84 मि.मी. राकेट लॉचर-2188 नं.237 करोड़, 5.56 मि.मी. फिक्स्ड राइफल, बट-28740 नं.103 करोड़, 105 मि.मी. एल एफ जी-41 नं.107 करोड़, 12.7 मि.मी. प्रहरी-100-29 करोड़, 5.56 मि.मी. एल एम जी 4671 नं.26 करोड़, ए के 630 गन-2 नं.14 करोड़।

था। यहाँ तक कि 15 मामलों (नौ मर्दों) के बोर्ड के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके, यथा 5.56 मि.मी. फोल्डेबल बट (2011-12 एवं 2012-13), 5.56 मि.मी. एल एम जी (2013-14), गन मशीन 7.62 मि.मी. (2012-13 एवं 2013-14), 40 मि.मी. यू जी बी एल (2011-12 एवं 2012-13), 81 मि.मी. मोर्टार (2012-13), 105 मि.मी. एल एफ जी (2012-13 एवं 2013-14), 84 मि.मी. राकेट लॉचर (2012-13 एवं 2013-14), स्पेयर बैरल टी-72 (2013-14) एवं स्पेयर बैरल टी-90 (2012-13 एवं 2013-14)।

हमने प्रत्येक निर्माणी के मुख्य हथियार मर्दों के सापेक्ष उत्पादन प्रदर्शन का विश्लेषण किया, जिसका परिणाम **अनुलग्नक-XVIII 'ए'** में दर्शाया गया है। इनपुट भंडारों की प्राप्ति में देरी, निर्माणियों में अवधि- पश्चात आपूर्ति का एक मुख्य कारण थी जैसा की **अनुलग्नक-XVIII 'बी'** में दर्शाया गया है। यह मुद्दा लेखापरीक्षा उद्देश्य 2 के पैरा 7.2.3 में और ज्यादा विश्लेषित किया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय, बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि वे बाधाओं के बावजूद अपने उपलब्ध स्रोतों के साथ उपभोक्ताओं की उन्नत हथियारों की माँग को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। इससे यह बात पता चली कि भौतिक रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीमाएं उपभोक्ताओं से संपर्क के पश्चात प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण था न कि समय पर सभी उत्पादों के लिए आवश्यक भण्डारों की व्यवस्था में बाधा के कारण। गृह मंत्रालय के संदर्भ में, बजट सीमाएं एक बाधा थीं। समापन बैठक के दौरान बोर्ड ने इंगित किया कि सीमाओं के बावजूद इसने 2014-15 में हथियारों को जारी करने में ₹400 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

यह दावा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय से भुगतान की प्राप्ति में हुई देरी से हटकर आवश्यक भण्डारों की खरीद में भी काफी देरी हुई। समापन बैठक के दौरान, बोर्ड ने आश्वासन दिया कि निर्माणियों को इस संबंध में कठोर संदेश दे दिया गया है। हमने यह भी पाया कि लक्ष्यों के सापेक्ष निर्माणियों का प्रदर्शन पर नजर रखने हेतु बोर्ड द्वारा किया जाने वाला आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था जैसा कि पैरा 7.2.2.8 में आगे विस्तार से चर्चा की गयी है।

7.2.2.7 उत्पादन आंकड़ों की विश्वसनीयता

रक्षा लेखा विभाग के ऑफिस मैनुअल-भाग IV (डी ए डी ओ एम) के पैरा 668 एवं 670 के अनुसार, निर्मित मर्दे निरीक्षण के पश्चात स्वीकार की जाती है, तत्पश्चात स्वीकृत मर्दे उत्पादन लेजर में प्रभार में ली जाती है। इसके पश्चात, वे मर्दे जब प्रोडक्शन इश्यू वाउचर के द्वारा ओ एफ बी की तय मूल्य सूची के अनुसार मांगकर्ता को जारी की जाती है और तदनुसार सेनाओं के शीर्ष से डेविट कर दिया जाता है।

यद्यपि, यह देखा गया है कि निर्माणियाँ 'अग्रिम इश्यू वाउचर' तैयार करती हैं जिसे वे थल सेना को बिना वास्तविक रूप में भण्डारों को जारी किए भुगतान के लिए माँग जारी कर देते हैं। लेखा अनियमितताओं (लेखाओं में अवास्तविक लाभ, उत्पादन लागत एवं जारी कार्यों से छेड़छाड़, निर्गम मूल्य एवं निर्माण शीर्ष के अंतर्गत बुक किए गए वास्तविक खर्चों में अंतर) एवं उत्पादन आँकड़ों से छेड़छाड़ को संज्ञान में लेते हुए महानिदेशक, रक्षा लेखा (सी जी डी ए), नई दिल्ली ने अक्टूबर 2007 में सभी नियंत्रक, वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ)⁸⁷ को प्रेषण विवरण के बिना अग्रिम इश्यू वाउचर को स्वीकार न करने का निर्देश दिया।

इस मुद्दे पर हमने वर्ष 2013 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 30 के पैरा 6.1.4.1 पर टिप्पणी की थी। मंत्रालय ने अपने कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) में कहा (मार्च 2015) कि मासिक/त्रैमासिक योजना की तुलना में मद-वार/निर्माणी-वार उत्पादन एवं आपूर्ति पर नजदीकी निगाह रखी जा रही है एवं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद, हमने पाया कि चुनी हुई मदों के लिए छह निर्माणियों में से चार में इस तरह की प्रवृत्ति जारी थी। 2011-14 के दौरान ₹222 करोड़ के अग्रिम वाउचर तैयार किए गए जो इन निर्माणियों की कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत है, जैसा कि नीचे तालिका-35 में विवरण दिया गया है:

तालिका-35: अग्रिम वाउचरों की निर्माणी वार कीमत

निर्माणी	अग्रिम वाउचरों की कीमत (₹ करोड़ में)			
	2011-12	2012-13	2013-14	योग
गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर	79	57	0	136
आयुध निर्माणी, त्रिची	14	33	22	70
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर	0	0.5	8	8
गन एवं शेल निर्माणी, कोशीपुर	0	0	8	8
कुल अवधि पश्चात आपूर्ति	93	91	38	222
आपूर्ति की कुल कीमत (चार निर्माणियाँ)	838	763	697	2298
अवधि पश्चात आपूर्ति का कुल आपूर्ति की तुलना में प्रतिशत	11	12	5	10

(स्रोत: उत्पादन इश्यू वाउचर एवं संबंधित गेट पास के आंकड़े)

⁸⁷ नियंत्रक वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ) क्षेत्रीय आधार पर निर्माणियों के समूह के लिए पी.सी.ए. (निर्माणियाँ), कोलकाता के अंतर्गत कार्य करता है।

2011-12 एवं 2012-13 में गन कैरेज निर्माणी, जबलपुर में अग्रिम वाउचर घटनाएं सबसे ज्यादा थीं। निर्माणी ने 2011-12 में सबसे ज्यादा कीमत की आपूर्ति (₹385 करोड़) प्रतिवेदित की जो कि स्फीतित ऑकड़ों में लक्ष्य प्राप्ति का 21 प्रतिशत था और जो 2012-13 में थोड़ा सा गिरकर 19 प्रतिशत तक आया।

बोर्ड ने कहा कि वाउचर केवल भण्डारों के पूर्ण निर्माण एवं गुणवत्ता आश्वासन स्थापना द्वारा निरीक्षण नोट जारी किए जाने के बाद तैयार किए जाते हैं। यद्यपि भण्डारों के प्रेषण में प्रत्येक मामले में पूर्ण प्रेषण को सुनिश्चित करते हुए मितव्ययिता रखने के कारण से देर हो सकती है। किन्तु प्राप्त तथ्य, बोर्ड के दावे का वर्ष 2012-13 के लक्ष्य के संदर्भ में सत्यापन नहीं करते, आर्डनेन्स निर्माणी, त्रिची एवं गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने 12.7 मि.मी. गन एवं स्पेयर बैरल टी-90 ने नवम्बर, 2013 तक माँगकर्ताओं को माल प्रेषित किया, यद्यपि यह मर्च मार्च 2013 में जारी दिखाई गयी थी।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा को समापन बैठक में आश्वासन दिया (मई 2015) कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है एवं 2014-15 कोई अवधि-पश्चात आपूर्ति नहीं है

7.2.2.8 लक्ष्यों की प्राप्ति पर आंतरिक नियंत्रण

निर्माणी का योजना अनुभाग उत्पादन योजना तैयार करता है एवं उसकी उत्पादन गति पर नजर रखता है। अनुभाग उत्पादों को दैनिक आधार पर जारी करने के ऑकड़े एकत्र करते हैं और निर्माणी बोर्ड को मासिक उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन भेजती है। निर्माणी में मासिक उत्पादन पुनरीक्षण बैठक में नियंत्रण का एक और स्तर है। इस मीटिंग में महाप्रबन्धक, उत्पादन शाप एवं योजना अनुभाग के प्रमुखों की उपस्थिति होती है। बोर्ड के प्रोसीजर मैनुअल का पैराग्राफ 4032 कहता है कि निर्माणियों को उत्पादन में देरी के कारणों एवं मांगकर्ताओं को उत्पादों की आपूर्ति तथा निर्माणी द्वारा देरी के कारणों को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों को बोर्ड को प्रतिवेदित करना चाहिए। हमने पाया कि बैठकें आयोजित की गईं; मासिक प्रतिवेदन भी तैयार किए गए एवं बोर्ड को भेजे गए। लेकिन पाँच निर्माणियों (आयुध निर्माणी, त्रिची को छोड़कर) उत्पादन की मुख्य बाधाओं को प्रतिवेदित नहीं किया और इसके बजाय केवल उत्पादन एवं मर्चों को जारी करने के ऑकड़े भेजे।

मंत्रालय के फरवरी, 1979 के आदेश के अनुसार, बोर्ड उत्पादन कार्यक्रम समेकित योजना, देख-रेख एवं कार्यान्वयन उनके कार्यकारी समूहों द्वारा एवं बोर्ड स्तर पर मासिक बोर्ड की बैठकों द्वारा करता है। बोर्ड के प्रोसीजर मैनुअल का पैरा 4039 यह भी कहता है कि बोर्ड को उन सभी मामलों में जहाँ आपूर्ति कार्यक्रम का प्रबंधन नहीं किया गया है या नहीं किए जाने की संभावना है, उचित कार्यवाही करने के लिए निर्माणियों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन का परीक्षण करना चाहिए। अपने, यद्यपि,

यह पाया कि बोर्ड ने नियमित तरीके से निर्माणियों के महाप्रबंधको को उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। यहाँ तक कि बोर्ड की मासिक बैठकों के कार्यवृत्तों में उत्पादन बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार इसका थोड़ा भी विचार नहीं किया गया।

बोर्ड ने कहा कि उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की बाधा एवं उत्पादन में अन्य कोई भी बाधा निर्माणियों द्वारा बोर्ड को भेजी गई मासिक प्रतिवेदनों द्वारा प्रतिवेदित किया गया। किंतु हमने पाया कि निर्माणी की प्रत्येक वर्ष (2011-12 से 2013-14) मार्च की उत्पादन निष्पादन/प्रगति प्रतिवेदन में विशेष जानकारी नहीं थी, जहाँ केवल आयुध निर्माणी, त्रिची ने उत्पादन में आने वाली बाधाओं के बारे में मददार विशेष जानकारी रेखांकित की। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन प्रक्रिया के एक नियमित अभ्यास में होने के कारण, निर्माणियां, अग्रिम इश्यू वाउचर तैयार करने की अनियमितता को रोकने में प्रभावी नहीं हो पाई।

निष्कर्ष

थल सेना का सतत प्लान 2011-12 एवं 2015-16 जिसमें अगले पाँच वर्षों की माँगों का प्रस्तुतीकरण था, एक अच्छी शुरुआत थी जिसने बोर्ड को लघु अवधि की योजना बनाने में मदद की। यद्यपि, थल सेना से प्राप्त माँगपत्र थल सेना की सतत योजना से मेल नहीं खाते थे। गृह मंत्रालय, हथियारों का एक महत्वपूर्ण खरीदार, ने 2010 में एक सतत योजना प्रस्तुत की। किंतु इसकी माँगें वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठक में काफी सीमित हो गईं।

50 प्रतिशत मदों के लिए थल सेना ने अपने बाद के माँगपत्रों में सतत प्लान की माँगों के प्रस्तुतीकरण से काफी मात्रा में परिवर्तन कर दिया। 60 प्रतिशत माँगपत्र उत्पादन वर्ष की शुरुआत के पश्चात प्राप्त हुए थे। किंतु बोर्ड ने निर्माणियों को पहले से दिए गए लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया।

68 प्रतिशत मदों के मामले में, बोर्ड को क्षमता की कमी का सामना कर रहा था एवं इसलिए इसने ज्यादातर मदों के लिए थल सेना की आवश्यकताओं से कम के लक्ष्य निर्धारित किए गए। यद्यपि बोर्ड ने मार्च, 2015 तक की अवधि समापन हेतु केवल उच्च कैलीबर के हथियारों के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना (₹377 करोड़) हाथ में ली। यह परियोजना अगस्त, 2015 तक भी पूर्ण नहीं हो सकी।

बोर्ड ने उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक छह माह के सापेक्ष निर्माणियों को अग्रिम योजना बनाने के लिए केवल तीन माह का समय देते हुए मूल लक्ष्य पूर्ववर्ती वर्ष के नवम्बर/दिसम्बर में उपलब्ध कराए। यह लक्ष्य भी वर्ष के मध्य में संशोधित कर दिए गए जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ।

2011-12 से 2013-14 के दौरान 8 से 16 मर्दों के लिए निर्माणी ने लक्ष्य 80 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किए। किन्तु 5 से 10 मर्दों के लिए लक्ष्य प्राप्ति 60 प्रतिशत से कम थी। उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की प्राप्ति में देरी सभी निर्माणियों में लक्ष्य प्राप्ति में कमी हेतु सर्वप्रमुख कारण है। चार से आठ मर्दों (75 में से 16 अवसरों पर) के लिए मांगकर्ताओं की मांगे निर्धारित लक्ष्य के परिपेक्ष्य में पूर्ण रूप से पूरी की गई।

चार निर्माणियों में बिना वास्तविक आपूर्ति जारी किए अग्रिम वाउचर बनाने की गलत प्रवृत्ति इसको रोकने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जारी रही।

संस्तुति 1: मंत्रालय, थल सेना एवं गृह मंत्रालय की हथियारों की दीर्घ अवधि की जरूरतों पर व्यापक एवं दृढ़ वचन बद्धता के लिए बोर्ड द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन कर सकता है।

संस्तुति 2: बोर्ड द्वारा उत्पादन वर्ष के मध्य में लक्ष्यों को संशोधित करने की प्रवृत्ति विघटनकारी है एवं केवल विशेष परिस्थितियों में की जानी चाहिए।

संस्तुति 3: मंत्रालय को निर्माणियों द्वारा अग्रिम इश्यू वाउचर जारी करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे लेखाओं एवं उत्पादन आँकड़ों में फेरबदल से बचा जा सके।

संस्तुतियों पर लेखापरीक्षित संस्था का उत्तर

बोर्ड ने संस्तुतियों को स्वीकार किया।

7.2.3 उत्पादन हेतु संसाधनों को व्यवस्थित करना


लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: निर्माणियां अपनी उत्पादन योजना को लागू करने के लिए अपने संसाधनों को समय पर सुव्यवस्थित करने में सक्षम थीं।

बोर्ड से लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक निर्माणी अपनी उत्पादन योजना तैयार करती है। उत्पादन के लिए लगाने जाने वाले संसाधन इसकी मूल आवश्यकताएं हैं: सामग्री, श्रमिक एवं मशीन। यह महत्वपूर्ण है कि बताई गई गुणवत्ता की सामग्री समय पर खरीदी जाएं एवं श्रमिक एवं मशीनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए।

7.2.3.1 सामग्री की खरीद में समयानुकूलता

मैनुअल के प्रावधानों⁸⁸ के अनुसार, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लक्ष्यों पर आधारित, निर्माणियों को सामग्री नियोजन शीट (एम पी एस) की जरूरत पड़ती है, जिससे प्रत्येक उत्पाद के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद मात्रा का पता चलता है। एम पी एस, सामग्री नियंत्रक अधिकारी को भेजी जाती है, जो योजना अनुभाग द्वारा खरीद के अनुभाग को वैधानिकता प्रदान करने के लिए सामग्री धारक आयोजना शीट (एस एच आई एस) जारी करता है। एस एच आई एस, भण्डार प्रावधान अनुभाग द्वारा खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आधार तैयार करता है।

चार्ट-15: खरीद का फ्लो चार्ट



संभावित आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं मांगने के लिए निविदा सूचना जारी की जाती है। निविदा मूल्यांकन/खरीद समिति द्वारा संभावित आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात सक्षम प्राधिकारी चुने हुए विक्रेताओं पर आपूर्ति आदेश जारी करने का निर्णय लेते हैं। खरीद का यह फ्लो चार्ट, चार्ट-15 में दिया गया है।

7.2.3.2 व्यापारिक स्रोतों से अधिप्राप्ति

बोर्ड का प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2010 (ओ.एफ.बी.पी.एम.) का पैरा 2.6.1 कहता है कि खरीद प्रक्रिया की श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समयांतराल में कार्रवाई

⁸⁸ रक्षा लेखा विभाग कार्यालय मैनुअल भाग-VI का पैरा 348 एवं 349, बोर्ड का प्रोसीजर मैनुअल 2010 का पैरा 4.5.1, 4.6.1, 4.15.5, 4.15.6, 5.2.1

करने के लिए जिम्मेदार है जिससे माँगकर्ताओं की आवश्यकताएं समय पर पूरी की जा सकें। इसी अनुसार, सामग्री धारक आयोजना शीट (एस एच आई एस)⁸⁹ की तैयारी के पश्चात, निविदा सूचना जारी करने की निर्धारित समय सीमा⁹⁰ दो सप्ताह है। सीमित निविदा सूचना एवं खुली निविदा सूचना के लिए, खरीद प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एस एच आई एस की शुरुआत से लेकर आपूर्ति आदेश⁹¹ जारी करने तक क्रमशः 15 एवं 19 सप्ताह (लगभग पाँच सप्ताह) दिए गए हैं। इन मानदण्डों के सापेक्ष, हमने सैंपल निर्माणियों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान अधिप्राप्ति में समयानुकूलता का परीक्षण किया। परीक्षण के परिणाम **अनुलग्नक - XIV 'ए'** में दिए गए हैं। अनुलग्नक से यह अवलोकित किया गया कि:

- सभी चुनी हुई छह निर्माणियों ने निविदा सूचना को जारी करने में निर्धारित चार सप्ताह के समय से बहुत ज्यादा समय (1 से 8 महीने और ज्यादा) लिया: 2011-12 से 2013-14 के दौरान पाँच निर्माणियों (आर एफ आई, एस ए एफ, जी सी एफ एवं एफ जी के) ने 45 से 94 प्रतिशत निविदा सूचनाएं देर से जारी कीं।
- आपूर्ति आदेश जारी करने (निविदा की प्राप्ति के पश्चात) की समय सीमा तीन निर्माणियों: राइफल निर्माणी, ईशापुर, स्माल आर्म्स निर्माणी, कानपुर एवं गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर में केवल 60-70 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों में पूरी की जा सकी। गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर एवं फील्ड गन निर्माणी, कानपुर, जिनके उत्पाद (टी-90 टैंकों के लिए गन असेम्बली एवं 105 मि.मी. एल एफ जी) मुख्यतः संयोजक निर्माणियों⁹² के लिए संघटक बनाते हैं, ने क्रमशः 97 प्रतिशत एवं 48 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों को जारी करने में काफी देरी की। जबकि आयुध निर्माणी, त्रिची ने 69 प्रतिशत आदेशों को जारी करने में पाँच माह से ज्यादा का समय लिया, गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने 68 प्रतिशत आदेशों को जारी करने में आठ महीने से ज्यादा का समय लिया।

इसके पश्चात यह भी देखा गया कि तीन निर्माणियों ने 59 आदेशों को जारी करने में इतना समय लिया कि वांछित प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी थी एवं एक विक्रेता की निविदा क्रय समिति (**तालिका-36**) के द्वारा संस्तुति की जा चुकी थी। इस संबंध में आयुध निर्माणी, त्रिची विशेष ढीली थी।

⁸⁹ एस एच आई एस से कुल माँग, उपलब्ध भण्डार एवं बकाया, शुद्ध माँग आदि का पता चलता है।

⁹⁰ अनुलग्नक-1 को ओ एफ बी पी एम के पैरा 2.6.1 के साथ पढ़ा जाय।

⁹¹ वे आदेश जो निर्माणी के महाप्रबंधक की शक्ति के अंतर्गत आते हैं।

⁹² हेवी वेहिकल निर्माणी, आवडी टी-90 टैंकों को संयोजित करती हैं, जिनके लिए गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर आपूर्ति करती हैं। गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर गन संयोजित करती हैं, जिसके लिए ऑर्डनेंस/बैरल, फील्ड गन निर्माणी, कानपुर आपूर्ति करती हैं।

तालिका-36: टी पी सी आदेश के पश्चात आदेशों को जारी करना

टी पी सी अनुमोदन के पश्चात आपूर्ति आदेश जारी करने में लिया गया समय (दिनों में)	आदेशों की संख्या			
	जी सी एफ	आर एफ आई	ओ एफ टी	योग
15 तक	9	7	8	24
15 से 30	6	1	4	11
30से 90	4	1	14	19
>90 दिन	1	0	4	5
कुल योग	20	9	30	59

(स्रोत: आपूर्ति आदेशों का डाटाबेस)

निर्माणियों की खरीद एवं आपूर्ति आदेशों को अंतिम रूप देने की धीमी प्रक्रिया ने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने को बुरी तरह प्रभावित किया। संबंधित घटकों की धीमी अधिप्राप्ति से जुड़े अंतिम उत्पादन में कमी के दर्शनीय मामले नीचे तालिका-37 में दिया गया है:

तालिका-37: संघटकों की धीमी अधिप्राप्ति एवं हथियारों के उत्पादन में कमी

संघटकों के नाम	आदेश जारी करने में लिया गया समय (दिनों में)	अंतिम उत्पादन का नाम (निर्माणी)	उत्पादन में कमी (प्रतिशत में)
रिटर्न स्प्रिंग, कांटेक्टर असेम्बली इलेक्ट्रिक ट्रिगर असेम्बली	306, 252, 183	30 मि.मी. कैन्नन (ओ.एफ.टी.)	17 (2011-12) 20 (2012-13)
बैरल इक्सटेंशन	174	40 मि.मी. यू.जी.बी.एल. (ओ.एफ.टी.)	36 (2011-12) 13 (2012-13)
स्टील राउन्ड 38 मि.मी. डायमीटर	154	7.62 मि.मी.राइफल (ओ.एफ.टी.)	22 (2011-12)
फोल्डेबल बठ, ग्रिन, गार्ड हैंड असेम्बली.	210, 180, 210	5.56 राइफल फोल्डेबल (आर.एफ.आई.)	62 (2011-12) 22 (2013-14)
लैनयार्ड, इक्सट्रैक्टर, हैमर, ट्रिगर लॉकिंग पीस, कैच मैगजीन	570, 600, 420, 390, 510, 210	पिस्टल ऑटो 9 मि.मी. (आर.एफ.आई.)	11 (2012-13) 48 (2013-14)

(स्रोत:आपूर्ति आदेश डाटाबेस एवं निर्माणियों का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन)

निर्माणियों ने (एफ.जी.के., आर.एफ.आई. एवं एस.ए.एफ.) ने इस देरी का कारण विक्रेताओं की कम संख्या, मोल-तोल करने में लगा समय, श्रम शक्ति की कमी, लक्ष्यों में बारम्बार परिवर्तन, "असामान्य" दरों की प्राप्ति के कारण निविदाओं का पतन, विक्रेताओं की ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से अनभिज्ञता, विक्रेताओं की क्षमता प्रमाणन में लगी देर इत्यादि को बताया। किंतु विक्रेता के चुनाव के बाद भी आदेश

जारी करने में हुई देरी के आँकड़े निर्माणियों की अक्षमता का प्रभावी संकेत है, जिसे पहचान सुधारा जाएगा।

बोर्ड ने अपने उत्तर (मई 2015) में कहा कि:

- खुली निविदा सूचना वाले मामलों में, प्रोक्योरमेंट मैनुअल में दी गई खरीद प्रक्रिया की सीमाओं के कारण बहुत समय लगा। सीमित निविदा सूचना वाले मामलों में यह देरी, पहले प्रयास में अकेले जवाब/जवाब प्राप्ति न होने के कारण हुई;
- यदि निविदा प्रक्रिया से क्षमता प्रमाणन की प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए तो ओ.एफ.टी. के मामलों में आपूर्ति आदेश जारी करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ निर्माणियों में वित्त सदस्यों की अनुपलब्धता की समस्या ने भी दिक्कतें पैदा कीं;
- निविदा सूचना जारी करने एवं आपूर्ति आदेशों को जारी करने में लगा समय कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; एवं
- अधिप्राप्ति में हुई देरी से लक्ष्यों की प्राप्ति पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा।

सामग्री की देरी से अधिप्राप्ति का कोई प्रभाव न पड़ने का बोर्ड का दावा, इसकी अपनी स्वीकारोक्ति (लक्ष्य प्राप्ति पर लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के सापेक्ष) कि उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी उत्पादन में एक बाधा थी, के विरुद्ध था।

समापन बैठक (मई 2015) के दौरान, इन मुद्दों पर विस्तर से चर्चा की गई। निर्माणियाँ एल.टी.ई. पर काफी अधिक भरोसा करती हैं एवं निविदा सूचना को जारी करने में हुई देरी एवं क्रय समिति में विक्रेता के चुनाव के बाद आपूर्ति आदेश जारी करना, नियमों की सीमा होने के बजाय नियमों को लागू करने में कमजोरी के कारण हैं। बोर्ड ने बोर्ड अध्ययन के इस मामले में जाँच के आदेश के द्वारा, आदेश जारी करने में ढिलाई को गम्भीरता से लिया।

7.2.3.3 सहयोगी निर्माणियों से अधिप्राप्ति

व्यापारिक फर्मों से उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति से अलग, हथियार निर्माता निर्माणियाँ सहयोगी निर्माणियों से भी संघटक मांगती हैं। टी-72/टी-90 बैरलों के उत्पादन के लिए फील्डगन निर्माणी, कानपुर एवं आयुध निर्माणी, कानपुर मेटल एवं स्टील निर्माणी, ईशापुर से विभिन्न फोर्जिंग मंगाती हैं। इसी प्रकार, गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर गनों के उत्पादन के लिए आयुध निर्माणी, कानपुर एवं फील्डगन निर्माणी, कानपुर पर भरोसा करती है।

यह देखा गया कि उच्च कैलीबर के हथियारों: 105 मि.मी. फील्ड गन, टी-72 एवं टी-90 गनों के लिए बैरलों का उत्पादन, मेटल एवं स्टील निर्माणी, ईशापुर में मेटल फोर्जिंग (विशेष रूप से विकसित "प्री-यूल्ड ट्रायल" फोर्जिंग) के लिए एनीलिंग फर्नेस की क्षमता न होने के कारण प्रभावित हुआ। यह क्षमता केवल 330 बैरल पी.वाई.टी./फोर्जिंग के लिए थी, जबकि 2011-12 से 2013-14 के बीच बैरलों की कुल मांग औसतन 490 थी। इसके अतिरिक्त, इस निर्माणी की क्षमता संबंधी बाधाएं इलेक्ट्रो स्लैग रिमेल्टिंग (ई.एस.आर.)⁹³ स्लैगों (इनपुट स्टील) को फोर्जिंग में बदलने में भी थी। इसलिए, निर्माणी ने एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यथा एम.आई.डी.एच.ए.एन.आई. पर भी आदेश जारी किया। सभी उच्च कैलीबर की बैरलों के लिए 5592 एम.टी.; ई.एस.आर. स्लैग की वार्षिक मांग के सापेक्ष उपलब्ध क्षमता (एम.आई.डी.एच.ए.एन.आई. की क्षमता को जोड़कर) केवल 3000 एम.टी. थी। परिणाम स्वरूप, बैरलों के उत्पादन के लिए मेटल एवं स्टील निर्माणी, ईशापुर से फील्ड गन निर्माणी, कानपुर एवं आयुध निर्माणी, कानपुर को फोर्जिंग की आपूर्ति आवश्यकता से कम थी। इससे, फील्ड गन निर्माणी, कानपुर से गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर होने वाली बैरलों की आपूर्ति कम हो गई, जैसा कि **अनुलग्नक-XIX बी** में विवरण दिया गया है।

बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि उच्च कैलीबर बैरलों के इनपुट की व्यवस्था करने में बाधाएं, थल सेना द्वारा टी-72 बैरलों की मांग बढ़ने के कारण हुई, यद्यपि उच्च कैलीबर के हथियारों की थल सेना की सभी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

यह दावा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि थल सेना की उच्च कैलीबर के हथियारों की मांग पूरी नहीं की जा सकी, क्योंकि टी-72 स्पेयर बैरल (2013-14), टी-90 स्पेयर बैरल (2012-13 एवं 2013-14), 105 मि.मी. एल.एफ.जी. (2012-13 एवं 2013-14) के उत्पादन में कमी थी, जिसको पैराग्राफ 7.2.2.6. में चर्चा की गई है।

7.2.3.4 उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री का निरीक्षण

उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण हथियारों की आवश्यक विशिष्ट को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पैराग्राफ 1.4 कहता है कि सभी सामग्रियों की उनकी निर्माणियों में प्राप्ति के पश्चात स्वीकृति के लिए 15 दिन के अंदर निरीक्षण हो जाना चाहिए। यह देखा गया है कि 51 प्रतिशत अवसरों पर, निर्माणियों ने सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य 15 दिन के अंदर कर लिया (**अनुलग्नक XIX-सी**)। जैसा कि अनुलग्नक में देखा जा सकता है कि 27 प्रतिशत अवसरों पर, उन्होंने सामग्रियों के निरीक्षण के लिए 16 से 30 दिन लिए। यहाँ यह नोट करने योग्य हैं कि 8775 अवसरों (22

⁹³ इलेक्ट्रो स्लैग रिमेल्टिंग (ई.एस.आर.) प्रक्रिया स्टील एवं विभिन्न, सुपर-एलॉय को पुनः पिघलाने एवं शुद्ध करके उच्च-गुणवत्ता के इनगॉट का उत्पादन किया जाता है।

प्रतिशत) ऐसे थे, जहाँ लिया गया समय एक माह से ज्यादा था। फील्ड गन निर्माणी, कानपुर एवं गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने 63 प्रतिशत मौकों पर 15 दिन की समय को पार करते हुए सबसे ज्यादा समय लगाने का प्रतिवेदन दिया।

फील्ड गन निर्माणी, कानपुर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि (अक्टूबर 2014) कि 15 दिनों की समय सीमा के अतिरिक्त लगा समय टी-72 एवं टी-90 बैरलों की फोर्जिंग एवं उनके संघटकों पर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग (बैरलों में बुलबुलों/दरारों को पता करने के लिए), कभी-कभी दो बार, की आवश्यकता के कारण था।

उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री का निरीक्षण एवं प्रभार लेने में हुई देरी अन्य निर्माणियों में (सितम्बर-अक्टूबर 2014) इन कारणों से थीं:

- जॉच प्रमाणपत्रों, प्रेषण-पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आपूर्तिकर्ता से गारंटी प्रमाणपत्र की देरी से प्राप्ति (एस.ए.एफ.);
- निरीक्षण के लिए सीमित ढाँचा एवं उत्पादन शॉपों के मशीनी परीक्षणों में देरी (ओ.एफ.टी.);
- 84 मि.मी. राकेट लॉचर एवं ए.के. 630 गन के इनपुट मैटीरियल के लिए औसत निरीक्षण समय क्रमशः 29 एवं 32 दिन थे जो कि निर्माणी का अंतिम स्वीकृत के लिए निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात डी.जी.क्यू.ए. अथॉरिटी द्वारा की जा रही गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी के कारण थी (जी.एस.एफ.);
- बाहरी प्रयोगशालाओं से जॉच प्रतिवेदन की देरी से प्राप्ति, जॉच के लिए सैंपल सामग्री की अनापूर्ति एवं कुछ जटिल मदों के परीक्षण में डी.जी.क्यू.ए. अथॉरिटी द्वारा लिया गया समय (जी.सी.एफ.)।

बोर्ड को इनपुट सामग्री के निरीक्षण में विभिन्न निर्माणियों के सामने आ रही विशेष व्यावहारिक बाधाओं का संज्ञान लेने की जरूरत है।

इनपुट सामग्री के निरीक्षण में हुई देरी को कारण बतलाते हुए, बोर्ड ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदुओं को नोट कर लिया गया है तथा निर्माणियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में दिए गये मानकों का पालन करने का निर्देश दे दिया गया है।

7.2.3.5 अधिप्राप्तियों का आंतरिक नियंत्रण एवं देख-रेख

इन निर्माणियों में एवं बोर्ड स्तर पर अधिप्राप्तियों के आंतरिक नियंत्रण एवं देख-रेख प्रक्रिया का अवलोकन किया गया और पाया कि:

- पाँच निर्माणियों (एस.ए.एफ., एफ.जी.के., जी.सी.एफ., आर.एफ.आई. एवं जी.एस.एफ.) ने सामग्री प्राप्ति पर्ची (एम.आई.एस.) बनाने की एवं प्रबंध सूचना

तंत्र के माध्यम से इनपुट सामग्री के निरीक्षण के पश्चात इसके वाउचर में परिवर्तन की प्रगति पर निगाह रखी। किन्तु भण्डारों की समय पर प्राप्ति एवं निरीक्षण के लिए अन्य कोई भी आवधिक प्रतिवेदन एवं विवरणी नहीं बनाई गई। निविदा सूचनाओं एवं आदेशों को समयानुसार जारी करने के लिए कोई भी व्यवस्थागत पुनरीक्षण भी नहीं किया गया। 2011-12 से 2013-14 के बीच निर्माणी प्रबंध एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की तदर्थ समिति की प्राप्ति एवं निरीक्षण का मुद्दा नहीं आया। इसी प्रकार, राइफल निर्माणी, ईशापुर को छोड़कर निर्माणी प्रबंधन एवं लेखा कार्यालय के बीच यूनिट स्तर की बैठक के दौरान भी इन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं हुई।

- निर्माणियों द्वारा अपने स्तर पर उपलब्ध सामग्री पर निगाह रखने के लिए बोर्ड ने कोई तंत्र नहीं बनाया है न ही 2012-13 तक दिए गए उत्पादन लक्ष्यों के परिपेक्ष्य में भण्डारों की अधिप्राप्ति की प्रगति पर निर्माणियों द्वारा बोर्ड को कोई अवधिक प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने की कोई प्रक्रिया थी। तत्पश्चात, निर्माणियों को 2013-14 के लिए उत्पादन लक्ष्य भेजते समय बोर्ड ने निर्माणी प्रबंधन को सामग्री के निरीक्षण में निर्माणियों द्वारा हो रही असाधारण देरी के बावजूद बोर्ड की मासिक बैठकों में इस समस्या को दूर करने के लिए कभी चर्चा नहीं हुई।

बोर्ड ने कहा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ, लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक साप्ताहिक इनपुट सामग्री पुनरीक्षण बैठक आयोजित की गई थी। फील्ड गन निर्माणी, कानपुर में पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया ऑनलाइन सुव्यवस्थित कर दी गई। आयुध निर्माणी, त्रिची ने दावा किया (अगस्त, 2014) कि अवरोधी मर्दों का दिन-प्रतिदिन पुनरीक्षण किया जा रहा है।

यह दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी चुनी हुई निर्माणियों ने, भण्डार की समय पर प्राप्ति एवं निरीक्षण पर नजर रखने के लिए आवधिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किए और न ही उन्होंने समय पर निविदा सूचना एवं आदेश जारी के प्रतिवेदन तैयार किए। बोर्ड का उत्तर, बोर्ड के स्तर पर निगाह रखने में अक्षमता पर मौन था।

7.2.3.6 श्रमशक्ति का उपयोग

उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने एवं मांगकर्ताओं को गुणवत्ता पूरक उत्पादों की समय पर आपूर्ति करने की लागत को न्यूनतम रखने में निर्माणियों की उत्पादकता सुनिश्चित करने में श्रमशक्ति एवं मशीनों का अनुकूलतम एवं प्रभावी उपयोगिता आवश्यक है।

प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारी⁹⁴ (आई.ई.) प्रत्येक उत्पादनशाला में कार्यभार पर आधारित उत्पादन में लगे हुए हैं। प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध मानक श्रम-घंटे (एस.एम.एच.), उत्पादन में लगे हुए प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों के माह में 25 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे की दर से निकाला जाता है। आउटपुट एस.एम.एच., माह के दौरान तैयार किए गए प्रत्येक मद की कुल मात्रा के आधार पर एवं सभी मदों के लिए आवश्यक एस.एम.एच. लेबर इस्टीमेट के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। उजरती कामगारों को प्रोत्साहन के रूप में उजरती कार्य लाभ दिया जाता है जो उनके इनपुट एस.एम.एच. की तुलना में वास्तविक आउटपुट एस.एम.एच. पर आधारित होता है। उजरती कार्य लाभ की, इनपुट एस.एम.एच. के ऊपर आउटपुट एस.एम.एच. की अधिकता की प्रतिशतता के रूप में गणना⁹⁵ की जाती है।

हमने परीक्षण किया कि किस प्रकार निर्माणियों ने, बोर्ड द्वारा भेजे गए उपलब्ध एस.एम.एच. व आउटपुट एस.एम.एच. के अॉकड़ों के आधार पर चुनी गई निर्माणियों में 2013-14 के सैंपल अवधि में उत्पादन गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को प्रभावी रूप से उपयोग किया। इसके अनुसार हमने प्रत्यक्ष औद्योगिक श्रमिकों की आवश्यकताओं पर अनुमान हेतु बोर्ड द्वारा उपयोग किए गए निम्न दो मानकों के सापेक्ष निर्माणी-वार एवं महीने-वार वास्तविक आउटपुट एस.एम.एच.(अनुलग्नक-XX-ए एवं बी) के लिए रूपरेखा तैयार की:

- 10 प्रतिशत अनुपस्थिति के साथ उपलब्ध श्रम-घंटे; एवं
- 10 प्रतिशत अनुपस्थिति एवं 50 प्रतिशत उजरती कार्य लाभ के साथ उपलब्ध श्रम-घंटे।

हमने पाया कि सभी निर्माणियों ने प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को उजरती कार्य लाभ देने के अधिक अवसरों को प्रतिवेदित किया। इन चार निर्माणियों में आउटपुट एस.एम.एच. ने, 2013-14 के कई महीनों में 50 प्रतिशत उजरती कार्य लाभ के साथ अधिकतम आउटपुट एस.एम.एच. की उचित सीमा पार कर ली; आर.एफ.आई.-आठ बार, ओ.एफ.टी.-छह बार, एस.ए.एफ.-ग्यारह बार, फील्ड गन निर्माणी, कानपुर-चार बार। हमने श्रम शक्ति के उपयोग एवं उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 2013-14 के पूरे 12 महीनों में उत्पादन के प्रवाह एवं आपूर्ति को चार्ट (अनुलग्नक-XX-बी) में प्रस्तुत किया। पर्याप्त श्रमिक उपलब्धता एवं आउटपुट एस.एम.एच. के बावजूद, इन निर्माणियों ने 2013-14 के दौरान 13 मदों के उत्पादन (लक्ष्य के सापेक्ष) में उसे 81 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की, जैसा कि पैरा 7.2.2.6 में चर्चा की गई है। लगातार 50 प्रतिशत एवं अधिक के उजरती कार्य लाभ का उच्च

⁹⁴ मशीन व सामग्री को लेते हुए उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिक।

⁹⁵ उजरती काम लाभ प्रतिशतता= ((आउटपुट एस एम एच- इनपुट एस एम एच)/इनपुट एस एम एच)x 100

प्रवाह यह संकेत करता है कि लेबर इस्टीमेट स्फीतित थे, जिससे उत्पादन की लागत प्रभावित हुई।

बोर्ड ने कहा कि प्रमाणित औद्योगिक इंजीनियरिंग तरीकों से बनाई गई लेबर इस्टीमेट अधिक नहीं थी। उच्च उजरती कार्य उपार्जन के लिए किसी विशेष कार्यक्रम में लम्बे समय तक लगे रहने वाले कर्मचारी की निपुणता इसका एक कारण थी। किसी भी मामले में, कोई उत्पादन में कमी नहीं थी और निर्माणियों ने अपने सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे किये।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2013-14 में आर.एफ.आई., एस.ए.एफ., एफ.जी.के. एवं ओ.एफ.टी. में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (13 मर्दों में तीन से 81 प्रतिशत की सीमा में) प्रतिवेदत की थी। लगातार 50 प्रतिशत या अधिक की दर से उच्च उजरती कार्य लाभ का प्रवाह स्फीतित लेबर इस्टीमेट का मजबूत संकेतक है, जिसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह अंतिम रूप से उत्पादन लागत में वृद्धि करता है।


7.2.3.7 मशीन घण्टों का उपयोग

फरवरी, 1979 के मंत्रालय के आदेश के अनुसार, आयुध निर्माणियों को अपनी मौजूदा क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत उपयोग करना होता है। यद्यपि बोर्ड ने बिना मंत्रालय की मंजूरी के मैनुअल फार प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एवं मशीनरी को संशोधित (अगस्त, 2013) कर दिया। मैनुअल के पैरा 3.2 में उल्लिखित है कि मशीन एवं श्रमशक्ति दोनों की 80 प्रतिशत दक्षता अर्थात् कुल मिलाकर 64 प्रतिशत किया गया है।

छः निर्माणियों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान कुल मशीन-घण्टों की उपलब्धता के सापेक्ष मशीन

घण्टों का उपयोग चार्ट-16 में दिया गया है। मशीन-घण्टों के उपयोग का लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर (82 से 77%) एवं गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर (62 से 59%) में गिरावट का प्रवाह, जबकि ऑर्डनेंस निर्माणी, त्रिची (62 से 81%), फील्ड

गन निर्माणी, कानपुर (66 से 75%) एवं गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर (58 से 68%) में चढ़ाव का प्रवाह था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राइफल निर्माणी



ईशापुर में मशीन-घण्टों का उपयोग 85 प्रतिशत के स्तर पर लगभग स्थिर था। तीन निर्माणियों (आर.एफ.आई-3, एस.ए.एफ.-2 एवं ओ.एफ.टी.-1) में केवल 6 से 18 अवसरों पर मशीन-घण्टों के उपयोग का 80 प्रतिशत एवं अधिक का पाया गया था।

निष्कर्ष

भण्डारो की अधिप्राप्ति में हुई देरी ने निर्माणियों द्वारा बोर्ड से प्राप्त लक्ष्यों को पूर्ति को प्रभावित किया। छः निर्माणियों में से तीन ने 2011-12 से 2013-14 में अपने आपूर्ति आदेशों के 60 से 70 प्रतिशत को भण्डारो की आवश्यकता को महसूस करने के पाँच महीनों के अंदर जारी कर दिया। शेष निर्माणियाँ 3 से 52 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों को समय पर जारी कर सकीं। गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने 67 प्रतिशत आदेशों पर आपूर्ति आदेश जारी करने में आठ महीने से ज्यादा का समय लिया। ऑर्डनेस निर्माणी, त्रिची ने 69 प्रतिशत अवसरों पर आपूर्ति आदेश जारी करने में देरी की। फील्ड गन निर्माणी, कानपुर में उच्च कैलीबर के हथियारों की बैरल के निर्माण के लिए फोर्जिंग की आवश्यकता पूरी करने में एक सहयोगी निर्माणी की अक्षमता एवं व्यापारिक स्रोतों से अधिप्राप्ति की अक्षमता ने मिलकर समस्या बढ़ाई।

हमने पाया कि निर्माणियाँ 40 से 63 प्रतिशत मौकों पर 15 दिनों में निर्धारित समय में भण्डारों की गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य पूरा नहीं कर सकीं। यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि 22 प्रतिशत मौकों पर निरीक्षण के लिए लिया गया समय एक से तीन माह और ज्यादा था।

सभी निर्माणियों ने उच्च उजरती-कार्य लाभ प्रतिवेदित किया। सर्वाधिक उपलब्ध श्रम घण्टों की सीमा से बढ़कर एवं इन घण्टों में इसकी नियामक आउटपुट के 1.5 गुना श्रम के योगदान के प्रतिवेदन के साथ, पूरे नमूना लेखा परीक्षित वर्ष (2013-14) में उत्पादन, अपने लक्ष्य पूरे न कर सका। यह संकेत करता है कि उत्पादन में लेबर इस्टीमेट स्फीतित हैं जो उच्च उजरती-कार्य लाभ भुगतानों के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

संस्तुति 4: बोर्ड, अधिप्राप्ति एवं भण्डारों के निरीक्षण में होने वाली ढिलाई का संज्ञान ले सकता है। आपूर्ति आदेशों को जारी करने में एक प्राप्त करने योग्य मानक बनाने के लिए निर्धारित पाँच माह के समय का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

संस्तुतियों पर लेखापरीक्षित संस्था की प्रतिक्रिया

बोर्ड ने संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया। हमें सूचना दी गई (मई 2015) कि बोर्ड ने खरीद की दृष्टि से कठिनाई से मिलने वाले विशेष मर्दों की अधिप्राप्ति, दीर्घकालीन

अवधि का संविदाओं को जारी करने का अधिकार एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए मंत्रालय से संपर्क किया।

7.2.4 गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: कठिन गुणवत्ता नियंत्रण उपायों ने मांगकर्ताओं को उत्तम हथियारों की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित किया।

7.2.4.1 गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन ढाँचा

हथियारों की गुणवत्ता सर्वोपरि है, क्योंकि यह इसको उपयोग करने वाले सिपाही की सुरक्षा एवं विशेष रूप से फायरिंग में सटीकता की संभावना सुनिश्चित करती है। हमने इस संबंध में बोर्ड के प्रदर्शन विशेष रूप से गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण किया।

आयुध निर्माणियां, मांगकर्ताओं को अंतिम उत्पाद जारी करने से पहले गुणवत्ता आश्वासन की एक बहुस्तरीय प्रणाली का उपयोग करती हैं। इसका पहला स्तर निर्माणी का गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू.सी.) अनुभाग है। इसका दूसरा स्तर प्रत्येक निर्माणी से जुड़ा हुआ वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस.क्यू.ए.ई.) है, जो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व करता है।

निर्माणी का क्यू.सी. अनुभाग, इनपुट सामग्री में संघटको का प्राप्ति के पश्चात निरीक्षण एवं स्वीकृति करता है, यह निर्माण प्रक्रिया के दौरान बनाए गए नियंत्रक बिंदुओं पर जांच करता है। डी.जी.क्यू.ए. के स्टैंडिंग आर्डर टेक्निकल भाग-II के पैरा 14 (डी) में डी.जी.क्यू.ए. को गुणवत्ता आश्वासन के लिए भेजने से पहले निर्माणियों द्वारा तैयार उत्पादों के शत प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण जाँचों का उल्लेख है। निर्माणी का यह क्यू.सी., डी.जी.क्यू.ए. के गुणवत्ता आश्वासन में निरीक्षण के लिए या तो मदों को स्वीकृत करता है या 'सुधार हेतु वापसी'(आर.एफ.आर.) करता है, जिसके द्वारा निर्माणी की उत्पादन शाला क्यू.सी. द्वारा बताए गए बिन्दुओं में सुधार करती है। यद्यपि बोर्ड ने पुष्टि की (मई 2015) कि जटिल मदों/संघटको के लिए क्यू.सी. शत प्रतिशत जाँच की जाती है।

डी.जी.क्यू.ए. तैयार उत्पादों⁹⁶ को मांगकर्ताओं को जारी करने से पूर्व सैंपल के आधार पर निरीक्षण द्वारा गुणवत्ता के लिए आश्वासन देता है। डी.जी.क्यू.ए. को उत्पादों या तो 'स्वीकृत' या 'अस्वीकृत' करना होता है। डी.जी.क्यू.ए. के स्टैंडिंग आर्डर (दिसंबर 2010) के अंतर्गत, डी.जी.क्यू.ए. को उत्पादों को या तो 'स्वीकृत' अथवा 'अस्वीकृत' करना होता है। डी.जी.क्यू.ए. के स्टैंडिंग आर्डर (दिसंबर, 2010) के अंतर्गत, डी.जी.क्यू.ए. द्वारा निरीक्षण के अंतिम चरण में 'सुधार हेतु वापसी' (आर.एफ.आर.)

⁹⁶डी.जी.क्यू.ए. टेस्ट के अलावा

नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर.एफ.आर. करना निर्माणी के क्यू.सी. की जिम्मेदारी है।

निर्माणी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि क्यू.सी. सामान्यतः मर्दों के दृष्टिक परीक्षण एवं मापों की नाप तक ही सीमित हैं। हथियारों की फायरिंग द्वारा वास्तविक परीक्षण केवल क्यू.ए. में की जाती है एवं क्यू.ए. में आर.एफ.आर, यद्यपि व्यवस्था में नहीं हैं, अपरिहार्य है।

डी.जी.क्यू.ए. गुणवत्ता सुधार हेतु सहायक कदमों को उठाने के लिए भविष्य के लिए 'गुणवत्ता सुधार नोट' भी जारी करता है। यह उत्पादन शाला में (उत्पादन के दौरान) नियंत्रक बिंदुओं पर निरीक्षण के आधार पर या अंतिम उत्पाद के निरीक्षण के दौरान जारी किए जाते हैं। निर्माणियों से इन नोटों को लागू करने में एस.क्यू.ए.ई. को फीड बैक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

यद्यपि गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन के लिए निर्माणियों में एक बहुस्तरीय ढांचा निर्मित एवं पूर्णतः स्थापित है। बोर्ड ने निर्माणियों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की, डी.जी.क्यू.ए. ने भी अंतिम उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा निरीक्षण के लिए समय सीमा तय नहीं की। हमारे सैंपल विश्लेषण से यह पता चला कि ज्यादातर निर्माणियों में गुणवत्ता जाँचे प्रत्येक स्तर पर: क्यू.सी. एवं क्यू.ए. में 15 से 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती हैं।

7.2.4.2 निर्माणियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण

संघटकों एवं पूर्ण हथियार दोनों के लिए निर्माणी के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग को शत-प्रतिशत निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। संघटकों के लिए, गुणवत्ता लेखापरीक्षा योजना (क्यू.ए.पी.) के अनुसार निरीक्षण के विभिन्न चरण सामग्री सत्यापन, विभिन्न नियंत्रण बिंदुओं एवं निगरानी बिंदुओं पर नापों की जांच, दरार जांच, कठोरता/प्रोटेक्टिव फिनिश की जांच होती हैं। इसी प्रकार, पूर्ण हथियार के लिए, संयोजन चरण के निरीक्षण प्रोटेक्टिव फिनिश के सत्यापन सभी संघटक के समान रंग संयोजन, क्षति, मापों की नाप, सेफ्टी फॉयर एवं अन्य तकनीकी प्राचलों⁹⁷ के निरीक्षण किए जाते हैं तथा तदनुसार राइफल संयोजन परीक्षण अभिलेख (आर.ए.वी.आर.) बनाए जाते हैं।

2012-13 एवं 2013-14 के दौरान महीनों⁹⁸ के लिए हमने गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाओं का इन संदर्भों में परीक्षण किया:

⁹⁷ट्रिगर पुल, कवर फिटमेंट, विभिन्न मार्गों/संघटकों का कार्य

⁹⁸पूर्ण हथियार (राइफल 5.56 मि.मी.) के लिए जून-जुलाई 2014 एवं जनवरी-मार्च 2013 तथा 2014 में आर.एफ.आई. में ब्रीच ब्लाक /एस.ए.एफ. में 7.62 मि.मी. मैग के लिए अगस्त-अक्टूबर 2012

- **5.56 मि.मी. राइफल (फिक्स बट)** पूर्ण हथियार एवं इसका एक मुख्य संघटक यथा ब्रीच ब्लाक, राइफल निर्माणी ईशापुर में एवं
- **7.62 मि.मी. मैग-** लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में इसके संघटक यथा ब्लाक फ्रंट के साथ पूर्ण हथियार।

हमारे परीक्षण के परिणाम निम्नवत हैं:

- संघटको यथा राइफल 5.56 मि.मी. के ब्रीच ब्लॉक के लिए निर्माणी के निरीक्षण नोट (जनवरी से मार्च 2013 एवं 2014) की संवीक्षा से यह पता चला कि जब संघटको की मापन जांच के लिए आवश्यक नियंत्रक बिन्दुओं का निरीक्षण निर्माणी के क्यू.सी. अनुभाग द्वारा किए जाते थे, निगरानी बिन्दुओं पर की जाने वाली मापन जांच नहीं की जाती थी। हमने पाया कि मापन विभिन्नताओं के कारण 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 1909, 1398 और 1177 ब्रीच ब्लॉक क्यू ए चरण के दौरान अस्वीकृत घोषित कर दिये गए, यद्यपि क्यू.सी. अनुभाग ने नियंत्रक बिन्दुओं पर मापन जांच की थी।
- निर्माणी प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर, 2015) कि निर्माणी के क्यू.सी. अनुभाग द्वारा पूर्ण हथियार (दृष्टिक निरीक्षण सहित) का शत प्रतिशत निरीक्षण/ जांच किया गया। यद्यपि, निर्माणी प्रबंधन अपने दावे के समर्थन में 2012-13 और 2013-14 के जांच पत्रक प्रस्तुत नहीं कर सका। इन्हें एक वर्ष के पश्चात नष्ट करने का, प्रतिवेदन दिया गया। यह निर्माणी (आर.एफ.आई.) के सर्वोच्च क्वालिटी मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था, जिसमें यह उल्लिखित है कि उत्पादों के मापन एवं निगरानी से संबन्धित सभी दस्तावेज़ उत्पादन अनुभाग एवं संबन्धित क्यू. सी. को दो वर्ष की अवधि के लिए रखना चाहिए। निर्माणी प्रबंधन ने माह जून एवं जुलाई, 2014 के लिए केवल 323 जांच पत्रकों (आर. ए. वी. आर.) को भेजा जो विभिन्न मानकों के अंतर्गत जांच की सीमा को इंगित करता है।

उन जांच पत्रकों की संवीक्षा में हमने पाया कि निरीक्षण के मानकों (यथा प्रोटेक्टिव फिनिश, संघटकों का रंग संयोजन, सेफ्टी फायर, बैरल बोर का माप निरीक्षण इत्यादि) को क्वालिटी आडिट प्लान के निरीक्षण कार्यक्रम के जांच पत्रकों में शामिल नहीं किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि सभी निर्धारित मानकों के 100 प्रतिशत जाँचों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्यू.सी. प्लान को उचित तरीके से जांच पत्रकों में शामिल नहीं किया गया।

- ब्लाक फ्रंट (संघटक) एवं पूर्ण हथियार (7.62 मि.मी. मैग) के लिए क्यू.सी. प्लान, लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर ने तैयार नहीं किया। संघटको एवं पूर्ण

हथियार के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मानको के लिए सभी मानको के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए जांच पत्रक तैयार नहीं किए गए। निर्माणी ने निर्धारित मानकों के सापेक्ष जांचो का विवरण अभिलेखित किए बिना केवल दैनिक कार्य पंजिका, केवल स्वीकृति दर्ज करने तक निरीक्षण नोट, आर.एफ.आर. एवं संघटको तथा पूर्ण हथियार की अस्वीकृति को अनुरक्षित किया। अतः, 2011-2012 से 2013-2014 के दौरान, आर.एफ.आर. (52 प्रतिशत) एवं अस्वीकृत (53 प्रतिशत) की उच्च दरों जैसा कि एस.क्यू.ए.ई. द्वारा क्यू.सी. निरीक्षण के पश्चात घोषित किया गया, के वावजूद लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में क्यू.सी. अपर्याप्त था, जैसा कि पैरा 7.2.4.3 में चर्चा की गई है।

7.2.4.3 गुणवत्ता आश्वासन में निर्णय: आर.एफ.आर. एवं अंतिम अस्वीकृति

यद्यपि सुधार हेतु वापसी (आर.एफ.आर.) एवं अंतिम अस्वीकृति पर निर्णय लेना निर्माणी के क्यू.सी. अनुभाग की जिम्मेदारी है, यह निर्णय हथियार मदों के लिए वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस.क्यू.ए.ई.) के द्वारा लिया जा रहा था, जो कि इस के प्राधिकार में नहीं है जैसा कि पैरा 7.2.4.1 में बताया गया था।

हमने सभी छह निर्माणियों में एस.क्यू.ए.ई. द्वारा आर.एफ.आर. के उदाहरण, एस.क्यू.ए.ई. एवं मांगकर्ताओं द्वारा की गई अस्वीकृति एवं गुणवत्ता सुधार नोटों को लागू करने का परीक्षण किया। बोर्ड ने मदों के विभिन्न वर्गों के सापेक्ष आर.एफ.आर. का स्वीकृति स्तर निर्धारित नहीं किया। चूंकि आर.एफ.आर. अंतिम उत्पादों को मांगकर्ताओं को जारी करने में देरी करता है, सुधार की लागत बढ़ाता है। संघटको एवं अंतिम उत्पादों के लिए विशिष्टियों का मानकीकरण, संघटकों की प्राप्ति के समय गुणवत्ता जाँचे आदि वे कदम हैं, जिससे आर.एफ.आर. की घटनाएँ कम हो सकती हैं खासतौर से स्थापित मदों की। राइफल निर्माणी, ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर एवं आयुध निर्माणी, त्रिची की एक स्थापित मद 5.56 मि.मी. राइफल की केस स्टडी **अनुलग्नक-XXI** बोर्ड द्वारा सामना की जा रही गुणवत्ता समस्या की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।

5.56 मि.मी. राइफल के अतिरिक्त, सभी निर्माणी में निर्माण की सभी बड़ी मदों में कमियां पाई गई, जिसमें लघु शस्त्र, निर्माणी कानपुर में आर.एफ.आर. एवं अस्वीकृति की अधिक घटनाएं मुख्य रूप से 7.62 मि.मी. मशीन गन एवं 5.56 मि.मी. एल.एम.जी. की थी। आर.एफ.आर. एवं अस्वीकृति की घटनाओं के साथ कारणों का निर्माणी-वार/मद-वार विवरण **अनुलग्नक- XXII** में इंगित किया गया है। 13 मदों में आर.एफ.आर. अस्वीकृति की आर.एफ.आर. अस्वीकृति की कुल कीमत 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹390 करोड़ एवं ₹145 करोड़ थी।

2011-12 से 2013-14 के दौरान 7.62 मि.मी. मशीन गन (मैग) में आर.एफ.आर. (52 प्रतिशत) एवं अस्वीकृति (53 प्रतिशत), 30 मि.मी. तोप में आर.एफ.आर. (34 प्रतिशत) एवं आयुध निर्माणी त्रिची में एअर डिफेंस गन में (100 प्रतिशत) तथा 84 मि.मी. राकेट लांचर मार्क- III श्रेणी में आर.एफ.आर. (19 से 66 प्रतिशत) विशेष नोट करने योग्य थे।

समापन बैठक के दौरान, लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि यद्यपि एस.क्यू.ए.ई. के दस्तावेजों में 7.62 मि.मी. मैग को अस्वीकृत कहा गया है, तथापि वे वास्तव में निर्माणी को वापस कर दिए गए थे जिसकी कमियों को दूर करके थल सेना को जारी कर दिया। यद्यपि, इसका हमें कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, जो कि मांगा गया था (जून, 2015)

देरी के कारण लक्ष्यों की पूर्ति न हो पाने के अतिरिक्त, 5.56 मि.मी. राइफल, 5.56 मि.मी. एल.एम.जी., 7.62 मि.मी. मैग एवं 9 एम.एम पिस्टल की प्रूफ टेस्टिंग में बार-बार टेस्टिंग की वजह से अधिक गोलियों⁹⁹ के खर्च के कारण ₹7 करोड़ का अधिक खर्च हुआ। इसके अलावा, एस.क्यू.ए.ई. के गुणवत्ता निरीक्षण नोटों के जरिए फील्ड गन निर्माणी कानपुर द्वारा निर्मित ओवर हॉल सहित टी-72 टैंक, टी-90 आर्डनेंस एवं 105 मि.मी. लाइट गन आयुध में मापन अंतर इंगित किए जो निर्माणी के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग द्वारा पकड़े जाने चाहिए थे, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण का एक संकेत है।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि:

- आर.एफ.आर. मर्दों में कमियाँ मामूली एवं अवास्तविक थे एवं उन्होंने हथियारों के कार्य को प्रभावित नहीं किया। एस.क्यू.ए.ई. द्वारा आर.एफ.आर. घोषित किए गए हथियारों में थोड़ी समायोजन की कमी थी जो लगातार फायरिंग की वजह से थी।
- एस.ए.एफ. में अस्वीकृति के संबंध में, ज्यादातर हथियारों की मरम्मत हो गई एवं उन्हें पुनः भेजा गया, जिसमें से कुछ अंतिम रूप से अस्वीकृत हथियार ड्रिल उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर दिए गए।
- उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिवेदित कमियां/ समस्याएं पुराने हथियारों के लगातार उपयोग के वजह से थी एवं कभी-कभी ये उपभोक्ताओं द्वारा हथियारों के अनुचित उपयोग/अनुचित रख-रखाव की वजह से हुई थी।

⁹⁹एस.क्यू.ए.ई. निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गोलियों से हथियारों की प्रूफ फायरिंग करता है, जिसके आधार पर इसे स्वीकार किया जाता है।

बोर्ड का उत्तर, आर.एफ.आर. की अधिक घटनाओं को न्यायोचित नहीं ठहरा पाया एवं 7.62 मि.मी. मैग, 30 मि.मी. तोप, 12.7 मि.मी. ए.डी. गन एवं 84 मि.मी. राकेट लांचर की अस्वीकृतियाँ जिसकी वजह से मरम्मत कार्य करने के बाद इन हथियारों को जारी करने में देरी हुई। बोर्ड ने, यद्यपि, आश्वासन दिया कि आर.एफ.आर. एवं अस्वीकृति का बोर्ड के गुणवत्ता लेखापरीक्षा समूह (क्यू.ए.जी.) द्वारा विस्तार में विश्लेषण किया जाएगा। यह उत्तर उस विशेष समयावधि को इंगित नहीं करता, जिसमें क्यू.ए.जी. अपना कार्य पूरा करेगा एवं सुधार के कदमों को लागू करने के लिए संस्तुतियाँ देगा।

7.2.4.4 हथियारों की विचलन के साथ स्वीकृति

हमने पाया कि एस.क्यू.ए.ई. ने डिजाइन, सामग्री, सेवा की क्षमता/कार्य, सुरक्षा इत्यादि को प्रभावित किए बिना निर्माण के दौरान अत्यल्प विचलनों के साथ हथियारों को स्वीकार किया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान गन कैरिज निर्माणी जबलपुर को जारी करने के लिए, फील्ड गन निर्माणी कानपुर में अवस्थित एस.क्यू.ए.ई. ने 'उत्पादन विचलन' के साथ ₹38 करोड़ के 84 हथियार (34 प्रतिशत)¹⁰⁰ स्वीकार किए। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, फील्ड गन निर्माणी, कानपुर ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ये विचलन सूक्ष्म थे जो 'गन की कार्यात्मक परिवर्तनीयता एवं सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा'।

इसी प्रकार, एस.क्यू.ए.ई. (लघु शस्त्र) कानपुर ने लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर द्वारा उत्पादित ₹27.00 करोड़ की कीमत की 592 मशीन गन 7.62 मि.मी. (71 प्रतिशत) बिना विशेष फायरिंग दर 900 से 1000 राउंड प्रति मिनट प्राप्त किए, जारी करने के लिए स्वीकृत किए। एस.क्यू.ए.ई. (लघु शस्त्र) ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितंबर 2014) कि इस प्रकार के विचलन बोर्ड अध्यक्ष एवं मंत्रालय के हस्ताक्षर के बाद नवंबर 2009 से स्वीकृत कर लिया गया है।

2011-12 के दौरान गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर ने भी 105 मि.मी. एल.एफ.जी. (क्रेडल, सेडल, वाल्व, रॉड, ब्रेकेट इत्यादि) एवं टी-90 गन (क्रेडल एसेम्बली, स्लीव) के विभिन्न संघटक विचलन के साथ स्वीकार किया।

हमने यह नोट किया कि थल सेना ने भी बोर्ड एवं मंत्रालय के सामने गुणवत्ता संबंधी चिंताये रखी थी (मई 2012)। यह महसूस किया गया कि 'बोर्ड से प्राप्त आपूर्तियों पर अधिक निर्भरता' को देखते हुए इस मुद्दे से प्राथकिमता के साथ निपटना चाहिए। थल सेना ने नोट किया (मई 2012) कि 'उपकरणों में होने वाली संख्या, आवृत्ति तथा कमियों की प्रकृति एक गंभीर चिंता का विषय है एवं यह मैदान में उपभोक्ता के आत्म विश्वास का हास कर रहा है'। बिना किसी के उत्तरदायित्व

¹⁰⁰2011-14 के दौरान जारी किए गए 250 हथियारों (105 मि.मी. एल.एफ.जी., टी-72 ओवरहाल एवं टी-90 आर्डनेन्स) में से

एवं जिम्मेदार अधिकारियों को बिना किसी सजा के कारण, इस बेचैनी को दूर करने के लिए तुरंत प्रभावी कदमों को उठाये जाने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने थल सेना की आपत्ति पर अपना कोई उत्तर नहीं दिया।

7.2.4.5 गुणवत्ता पर आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

तकनीकी एवं प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्माणियों के महा प्रबंधक एवं गुणवत्ता आश्वासन स्थापना के मुखिया के बीच गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी निगरानी के लिए मासिक पारस्परिक बैठक आवश्यक¹⁰¹ है। डी.जी.क्यू.ए. स्टैंडिंग आर्डर (टेक्निकल) के पैरा 30 से 32 के अनुसार, अतिरिक्त नियंत्रण के लिए क्यू.ए. स्थापनाओं को गुणवत्ता आश्वासन अवरोधों एवं अधिक अस्वीकृतियों पर अपना प्रतिवेदन निम्नवत भेजने की जरूरत होती है:

- एस.क्यू.ए.ई. द्वारा अधिक अस्वीकृतियों के मामले एवं ऐसी अस्वीकृतियों के कारण ए.एच.एस.पी.¹⁰² एवं डी.जी.क्यू.ए. को भेजने होते हैं; एवं
- अस्वीकृतियों/अवरोधों के मामलों की निर्माणियों या निर्माणियों तथा डी.जी.क्यू.ए. की गुणवत्ता आश्वासन स्थापना द्वारा संयुक्त रूप से तुरंत छानबीन की जानी चाहिए तथा इसकी आवृत्ति को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। यद्यपि ऐसी छानबीनों के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं दी गई है।

हमने पाया कि निर्माणियों अपने एस.क्यू.ए.ई. के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रही थीं जिससे आर.एफ.आर., अस्वीकृति, प्रूफ में गोलियों का खर्च इत्यादि के विवरण संबंधी मासिक प्रतिवेदन भी तैयार होता था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में 5.56 मि.मी. राईफलों, 5.56 मि.मी. एल.एम.जी., 7.62 मैग जैसी मर्दों की अधिक अस्वीकृति भी दिखाई गई थी। किन्तु अस्वीकृतियों पर छानबीनों का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था; न ही वहाँ ए.एच.एस.पी. तथा डी.जी.क्यू.ए. को ऐसी अस्वीकृतियों संबंधी सूचना से संबंधित दस्तावेज थे।

समिति/टीम का निर्माण

2008 में, मंत्रालय ने निर्माणी के महाप्रबंधक एवं डी.जी.क्यू.ए. के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ताओं को लेकर एक परिवर्तन समिति बनाने के लिए निर्देश जारी किए जो डिजाइन में संभावित सुधारों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी। निर्देशों के वावजूद,

¹⁰¹रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन (2010) के लिए स्टैंडिंग आर्डर (टेक्निकल) का पैरा 26

¹⁰² अथोरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स जैसे लघु शस्त्र एवं हथियार के लिए रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन (2010) ।

लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में मार्च 2014 तक परिवर्तन समिति नहीं बनाई गई। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में आर्डनेन्स निर्माणी त्रिची तथा गन एवं शेल निर्माणी काशीपुर में परिवर्तन समिति की कोई बैठक नहीं हुई। गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर के संदर्भ में मार्च 2012 एवं मार्च 2014 में ऐसी केवल दो बैठकें हुईं। परिवर्तन समिति की बैठकों में फील्ड गन निर्माणी कानपुर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे¹⁰³ नहीं लिए गये थे।

व्यवस्था के आधार पर गुणवत्ता चिंताओं को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने बोर्ड एवं डी.जी.क्यू.ए. को उपभोक्ताओं, गुणवत्ता आश्वासन ऐजेंसियों, डी.आर.डी.ओ. तथा उत्पादन ऐजेंसियों को लेकर गुणवत्ता आश्वासन की प्रभाविकता एवं गुणवत्ता नियंत्रण अभ्यासों के पुनरीक्षण के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने का आदेश दिया (अक्टूबर 2013)। इस टीम से गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण अभ्यासों में सुधारों पर विचार करने हेतु प्रत्येक निर्माणी के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा थी। सितंबर 2014 तक निर्माणियों में यह तंत्र तैयार नहीं हो सका। यह कमियां उच्च स्तर पर प्रबंधन द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन की निगरानी में कमियों का संकेत करती है।

बोर्ड ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर उठाई गई गुणवत्ता संबंधी आपत्तियों की निरीक्षकों की मासिक सम्पर्क बैठक में चर्चा की गई और इस प्रक्रिया में सुधारात्मक कदम लागू किए गए तथा डिजाइनों एवं निरीक्षण के तरीकों में आवश्यक कोई भी संशोधन/परिवर्तन भी लागू किए गए। बोर्ड ने इसमें जोड़ा कि निर्माणियों में पहले से ही परिवर्तन समिति बनी हुई है एवं उम्मीद के मुताबिक बैठकें हो रही हैं। लेकिन लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में परिवर्तन समिति नहीं बनाई गई; आयुध निर्माणी, त्रिची तथा गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर ने इस तरह से बनी समिति की 2011-12 से 2013-14 के बीच कोई बैठक नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के आदेशानुसार (अक्टूबर 2013) गुणवत्ता आश्वासन /गुणवत्ता नियंत्रण की प्रभाविकता के पुनरीक्षण के लिए सभी दावेदारों की एक टीम बनाने के मामले में उत्तर मौन है।

निष्कर्ष

निर्माणियों में निर्माणी के अपने गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू.सी.) अनुभाग एवं निर्माणियों में अवस्थित वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं (एस.क्यू.ए.ई.) को मिलाकर गुणवत्ता जाँचों की एक बहुस्तरीय व्यवस्था है। लेकिन गुणवत्ता समस्याओं ने निर्माणियों को लागत पर प्रभाव, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सबसे ऊपर, बोर्ड एवं उसके

¹⁰³मुद्दे जैसे कि 105 मि.मी. एल.एफ.जी. की 669 गनों की बिना 4500 राउंड की निर्धारित फायरिंग पूर्ण किए समय पूर्व अवसान।

उत्पादों की प्रतिष्ठा को घेर लिया। एस.क्यू.ए.ई. द्वारा “सुधारों हेतु वापसी” (यद्यपि ऐसा निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है, एस.क्यू.ए.ई. एक खराब हथियार को सुधार हेतु निर्माणी को वापस करता है) की घटनाएं एवं कुछ निश्चित उत्पादों जैसे 5.56 मि.मी. राइफल, 7.62 मि.मी. मैग, 30 मि.मी. तोप तथा टी-90 स्पेयर बैरल पर अस्वीकृतियाँ अधिक थीं। एस.क्यू.ए.ई. द्वारा इसके गुणवत्ता निरीक्षण नोटों में पहले बताई गई कमियों की पुनरावृत्ति इन नोटों पर अपर्याप्त ध्यान दिये जाने की ओर संकेत करती है। कमियाँ जैसे कि मापों में वैभिन्नता निर्माणी क्यू.सी. के निरीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो पकड़ी नहीं जा सकीं एवं एस.क्यू.ए.ई. द्वारा बाद के चरणों में पकड़ी गईं। हथियारों की इन कमियों के चलते उपभोक्ता, थल सेना ने अपनी मैदानी इकाइयों के विश्वास में की कमी पाई। निर्माणियाँ, एस.क्यू.ए.ई. द्वारा बताई गई कमियों को ‘सूक्ष्म’ एवं ‘अवास्तविक निर्णय’ की तरह मानती हैं। कुछ कमियाँ उपभोक्ताओं, थल सेना/गृह मंत्रालय द्वारा खराब रखरखाव का परिणाम मानी जाती हैं। दूसरी ओर, सामान्य विचार यह है कि आयुध निर्माणियों में खराब गुणवत्ता के हथियार बनाए जाते हैं। यह जनता के हित में नहीं है कि इसके नागरिक यह सोचें कि इसके सशस्त्र बलों को गुणवत्ता समस्याओं वाले हथियार दिए जाते हैं।

संस्तुति 5: बोर्ड हथियारों में बड़ी मदों को, एस.क्यू.ए.ई. एवं उपभोक्ताओं द्वारा बताई गई गंभीर, बड़ी एवं छोटी खराबियों¹⁰⁴ में बाँट सकता है एवं गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने तथा निर्माणियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने हेतु प्लॉट एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण सहित छोटी एवं मध्य अवधि की रणनीतियाँ तैयार कर सकता है।

संस्तुति 6: “सुधारों हेतु वापसी” को रोकने के सम्बंध में डी.जी.क्यू.ए. को अपनी नीति पर पुर्नविचार करना चाहिए जिसका इसकी इकाइयों में पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा मामला जिसमें “सुधारों हेतु वापसी” डी.जी.क्यू.ए. द्वारा स्वीकार्य हो बोर्ड को स्थापित एवं नई मदों के लिए अलग स्तरों पर “सुधारों हेतु वापसी” के लिए स्वीकृति सीमा तय करनी चाहिए।

संस्तुतियों पर लेखापरीक्षित संस्था का उत्तर

बोर्ड ने संस्तुतियों को स्वीकार किया।

¹⁰⁴ **गंभीर खराबियाँ:** वह खराबी जो विश्लेषण, निर्णय एवं अनुभाव के आधार पर बताती है कि यह रखरखाव करने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक या असुरक्षित परिस्थितियाँ पैदा कर सकती हैं या उत्पाद पर निर्भर होने अथवा किसी बड़े अंतिम उत्पाद के कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकता है।

बड़ी खराबियाँ: गंभीर खराबियों से हटकर वो खराबियाँ जो असफलता का परिणाम दे सकती हैं अथवा निश्चित उद्देश्य के लिए मद को उपयोग करने की क्षमता को कम कर सकती हैं।

छोटी खराबियाँ: स्थापित विशिष्टियों से वह विचलन जो उत्पाद के उपयोग/कार्य को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं।

7.2.5 वित्तीय प्रबन्धन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: निर्माणियों ने निधियों के उपयोग एवं उत्पादन की लागत तथा लागत की प्रतिपूर्ति पर नजदीक निगाह करने के लिए नियंत्रण तैयार किए।

7.2.5.1 बजट निधियों का उपयोग

खाते, प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक निर्माणी का स्थानीय लेखा कार्यालय (एल.ए.ओ.) मासिक खाते तैयार करता है जो समेकन के लिए सीधे प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता भेजे जाते हैं। यह खाते भारत की संचित निधि से बजट निर्धारण पर विनियोग खाते में समायोजित कर दिए जाते हैं।

बोर्ड अपने प्रतिदिन के खर्चों अर्थात् राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए बजट अनुदान प्राप्त करता है। रक्षा स्थापनाओं¹⁰⁵ के उत्पादों के विक्रय से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ क्रेडिट के रूप में बुक की जाती हैं। बोर्ड को अपनी लागत, मॉगकर्ताओं को उत्पादों के विक्रय द्वारा प्राप्त करने की अनुमति है। इन सभी तीन वर्षों (तालिका-38) में छह हथियार उत्पादक निर्माणियों के संचालन से खाते कुल लाभ में थे।

तालिका-38: बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय/आय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			आय			कुल बजट सहायता (वास्तविक)
	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर (प्रतिशत)	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3-6)
2011-12	1632	1768	8	2079	1919	-8	-151
2012-13	1823	1758	-4	2258	1885	-17	-127
2013-14	2133	1957	-8	2543	2031	-20	-74
योग	5588	5483	-2	6880	5835	-15	-352

(स्रोत: बोर्ड के बजट अनुभाग द्वारा भेजा गया बजट उपयोग का तथ्य कथन)

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है कि बोर्ड अपने व्ययों के अनुमान में काफी हद तक वास्तविकता के नजदीक था क्योंकि वास्तविक और अनुमानों के बीच अन्तर दस प्रतिशत से कम था। यद्यपि 2011-12 से 2013-14 के बीच वास्तविक आय, निर्माणियों की लक्ष्य प्राप्ति करने की अक्षमता के कारण अनुमानित आय से

¹⁰⁵ रक्षा स्थापनाओं की विक्रियों के सापेक्ष प्राप्तियों को दूसरे लेखों में अभिलेखित किया जाता है (गृह मंत्रालय, राज्य, निजी एवं निर्यात)।

8-20 प्रतिशत कम थी। जैसा कि पैरा 7.2.2.6 में चर्चा की गई है कि वास्तविक उत्पादन, लक्ष्य से 49 प्रतिशत मामलों में 21-100 प्रतिशत कम था। आगे जैसा कि पैरा 7.2.2.7 में चर्चा की गई है यदि अग्रिम इश्यू वाउचर¹⁰⁶ को भी ध्यान दिया जाय तो 2011-12 से 2013-14 के बीच वास्तविक आय ₹222 करोड़ कम थी। परिणामस्वरूप उसी अवधि में वास्तविक एवं अनुमानित आय का अंतर 12 से 22 प्रतिशत ज्यादा होगा।


7.2.5.2 लाभ एवं हानि का विश्लेषण

विनियोग खातों के अतिरिक्त बोर्ड समेकित वार्षिक खाते ही तैयार करता है जो लागत खाते हैं एवं जो निर्माणियों के उत्पादों की लागत एवं कीमत निर्धारित करता है। निर्माणियों से अपनी लागत, सशस्त्र बलों को विक्रय द्वारा वसूल करने की आशा की जाती है।

बोर्ड की मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, वर्तमान वर्ष के लिए मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की लागत तथा सामग्री, श्रम एवं ऊपरी व्ययों के आधार पर तय किए जाते हैं। मंत्रालय ने ओ.एफ.बी. को वार्षिक मूल्य वृद्धि को इसे कम से कम रखने के साथ सभी आधारों पर आठ प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी (मार्च 1994)। उत्पादों को जारी करने का मूल्य वर्ष की शुरुआत में मूल्य निर्धारण समिति¹⁰⁷ द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात मूल्य निर्धारण सूची जारी की जाती है जिसमें थल सेना का वह प्रतिनिधित्व भी होता है जिसे बोर्ड की बैठक में निमंत्रित किया जाता है। चूंकि मूल्य उत्पादन की शुरुआत के पूर्व ही तय कर लिए जाते हैं, यह वास्तविक लागत से अधिक या कम हो सकते हैं जिससे क्रमशः लाभ अथवा हानि हो सकती है जैसा कि बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

हमने छह निर्माणियों में चुने हुए उत्पादों के लिए उत्पादन, उत्पादन लागत तथा निर्धारित मूल्यों में प्रवाह का विश्लेषण किया। कुल मिलाकर छह निर्माणियों ने 2011-12 में राईफल निर्माणी, ईशापुर (₹ 40 लाख) तथा 2013-14 में लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर(₹13 करोड़) की हानियों को छोड़कर प्रतिवर्ष लाभ

अर्जित किया। यद्यपि 2011-12 से 2013-14 की अवधि में छह निर्माणियों ने कुल



¹⁰⁶ निर्माणियाँ मर्दों को जारी करना दिखाती हैं जबकि यह मर्दें निर्माणी गेट के बाहर नहीं निकल पाती हैं।

¹⁰⁷ इस समिति में वित्त नियंत्रक, संचालन खण्ड के निदेशक, निर्माणी के महाप्रबंधक का प्रतिनिधि, निर्माणी का स्थानीय लेखा कार्यालय एवं संयुक्त नियंत्रक वित्त।

मिलाकर ₹491 करोड़ का लाभ अर्जित किया। चार्ट-17 में छह निर्माणियों में लाभ/हानि के प्रवाह को दर्शाया गया है। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है कि 2011-12 से 2013-14 के बीच लघु शस्त्र निर्माणी, गन तथा शेल निर्माणी एवं गन कैरिज निर्माणी के लाभ में लगातार गिरावट आ रही थी। लाभ/हानि में निर्माणी-वार प्रवाह का विस्तृत विश्लेषण अनुलग्नक-XXIII में किया गया है। लाभ एवं हानि के निर्माणी-वार कारणों का सारांश नीचे दिया गया है:

- प्रधान हथियार मर्दों (7.62 मि.मी. मैग तथा 9 मि.मी. कार्बाइन) में श्रम लागत (21 से 25 प्रतिशत) तथा ऊपरी व्ययों (55 से 63 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण लघु शस्त्र निर्माणी का लाभ ₹21 करोड़ (2011-12) से घटकर 2012-13 में ₹9 करोड़ तथा 2013-14 में ₹13 करोड़ की हानि हुई जबकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य¹⁰⁸ 2012-13 के ऊपर 2013-14 में आठ प्रतिशत मूल्य वृद्धि न होने की वजह से अनुमानित/वास्तविक लागत से कम थे। वास्तव में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खरीदे गए संघटकों की तुलना में निर्माणी में निर्मित संघटकों की श्रम लागत अधिक होने के कारण, 2011-12 से 2013-14 की अवधि में 7.62 मि.मी. मैग की श्रम लागत का उत्पादन सामग्री की 399 से 466 प्रतिशत थी;
- राइफल निर्माणी, ईशापुर में, 2013-14 में गृह मंत्रालय को 5.56 राइफलों (फोल्डेबल एवं फिक्स्ड बट) तथा 9 मि.मी. पिस्टल जारी करने में 35 से 81 प्रतिशत की आई कमी के कारण लाभ ₹19 करोड़ (2012-13) से घटकर ₹9 करोड़ (2013-14) हो गया;
- गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर ने 2011-12 की अपेक्षा 2013-14 में 0.32” पिस्टल को सिविल मॉगकर्ताओं को अधिक खरीद मूल्य पर जारी कर एवं लागत मूल्य में आठ प्रतिशत की कमी द्वारा इन तीन वर्षों में लगभग ₹179 करोड़ का लाभ अर्जित किया। यद्यपि 2013-14 में नौ सेना को ए.के.- 630 गन जारी करने में हुई हानि के कारण लाभ में दश प्रतिशत की कमी आई। ऐसा अनुमानित एवं वास्तविक लागतों में 11 एवं 21 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद निर्गम मूल्य 2013-14 में संशोधित न किए जाने के कारण हुआ;
- गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर में, 2011-12 की अपेक्षा 2013-14 में, थल सेना को आपूर्ति किए जाने वाले 105 मि.मी. एल.एफ.जी., टी-72/टी-90 की स्पेयर बैरल, संशोधित कवच आपूर्ति करने में हुई भारी हानि के कारण लाभ ₹35 करोड़ से घटकर ₹15 करोड़ हो गया। ऐसा उत्पादन लागत में 15 से 22 प्रतिशत की भारी वृद्धि एवं सहयोगी निर्माणियों को अन्य मर्दें जारी करने में

¹⁰⁸ 7.62 मि.मी. मैग के लिए, निर्गम मूल्य-₹337154.; अनुमानित लागत ₹490654.; वास्तविक लागत ₹527082।

हुई हानि के कारण हुआ। 2013-14 में इस लागत वृद्धि का मुख्य कारण टी-90 की स्पेयर बैरल तथा 105 मि.मी. एल.एफ.जी. की श्रम लागत में क्रमशः 21 एवं 33 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2012-13 की अपेक्षा टी-72 की स्पेयर बैरल की निर्माण सामग्री की लागत में 24 प्रतिशत की वृद्धि थे;

- आर्डनेंस निर्माणी, त्रिची में, मुख्य रूप से 30 मि.मी. तोप की उत्पादन लागत में 49 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुए भारी नुकसान (₹4 करोड़) की वजह से 2013-14 में लाभ में 27 प्रतिशत की कमी आयी। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि 2012-13 की अपेक्षा 2013-14 में निर्गम मूल्य में हुई आठ प्रतिशत की वृद्धि, क्रमशः ऊपरी व्ययों में हुई 75 प्रतिशत एवं श्रम लागत में हुई 49 प्रतिशत की वृद्धि से मेल नहीं खाते;
- फील्ड गन निर्माणी, कानपुर में, सिविल ट्रेड में 0.32" रिवाल्वर की बिक्री में हुई वृद्धि (2013-14 में हुए लाभ का 40 प्रतिशत) तथा भारतीय नौ सेना को जारी करने के लिए रशियन एंटी-सबमैरीन रॉकेट गाइडेड बम्ब 60 (आर.जी.बी. 60) के स्वदेशी संस्करण के उत्पादन में वृद्धि के कारण लाभ ₹33 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹55 करोड़ (2013-14) हो गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट करते समय बोर्ड ने कहा कि बोर्ड द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण नीति ने सशस्त्र बलों से उत्पादन की कीमत प्राप्त करने में सम्पूर्णता के आधार पर अंतिम उत्पाद पर आठ प्रतिशत के अन्दर लाभ को सुनिश्चित किया है। यद्यपि यह उत्तर लागत एवं निर्गम मूल्यों के बीच के अंतर को कम कर उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में मौन था। बोर्ड ने आश्वासन दिया कि निर्गम मूल्यों के सभी प्रमुख मामलों का परीक्षण किया जा रहा है तथा दो से तीन वर्षों के अन्दर यह मूल्य वास्तविक रूप से संशोधित कर दिए जायेंगे।

7.2.5.3 उत्पाद लागत में उपरिव्यय

जैसा कि पैरा 7.2.5.2 में चर्चा की गई है, उच्च उपरिव्ययों के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई एवं लाभों में कमी आई। हमने उच्च उपरिव्ययों के कारणों का और अधिक विश्लेषण किया।

उत्पादन लागत पर प्रभारित उपरिव्ययों में अप्रत्यक्ष श्रम लागत, अप्रत्यक्ष भण्डार, पर्यवेक्षण, परिवहन, विद्युत, अवमूल्यन इत्यादि शामिल हैं। डी.ए.डी. ओ.एम. भाग-VI के पैरा 541 से 549 के अनुसार, निर्माणी की प्रत्येक उत्पादन शाला की अनुभाग

बजट समिति¹⁰⁹ आगामी वर्ष के उत्पादन कार्यक्रमों में होने वाले संभावित परिवर्तनों पर विचार करने के बाद, पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक उपरिव्ययों तथा वर्तमान वर्ष के प्रत्यक्ष श्रम अनुमानों पर उपरिव्ययों के संविभाजन की दर के आधार पर अनुमान करता है। सम्पूर्ण निर्माणी के लिए उपरिव्ययों की दर प्राप्त करने के लिए सभी उत्पादन शालाओं के अनुमानों को समेकित किया जाता है। 'केन्द्रीय बजट समिति¹¹⁰', परिवर्तनीय उपरिव्यय दर के निर्धारण में शामिल सभी कारकों यथा अनुमानित प्रत्यक्ष श्रम-घंटों, अनुमानित प्रत्यक्ष सामग्री, परिवर्तनीय प्रभारों इत्यादि का अनुमान लगाती है।

हमने चुनी हुई निर्माणियों में उत्पादन लागत के प्रवाह का परीक्षण किया और पाया कि चार निर्माणियाँ (एफ.जी.के., एस.ए.एफ., ओ.एफ.टी. तथा आर.एफ.आई.) ऊँचे उपरिव्ययों विशेषतः स्थाई उपरिव्ययों पर कार्य करते हैं। तालिका-39 में सभी निर्माणियों का 2013-14 के लिए डाटा उपलब्ध कराया गया है, 2011-12 एवं 2012-13 में प्रवाह 2013-14 से अधिक अलग नहीं था। उपरिव्ययों के मुख्य तत्वों के विश्लेषण से यह पता चला कि ऊँचे उपरिव्ययों के लिए उच्च पर्यवेक्षण प्रभार तथा अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार (48 से 73 प्रतिशत) मुख्य रूप से जिम्मेदार थे।

तालिका-39: उत्पादन लागत में उपरिव्यय (2013-14)

विवरण	एफ.जी.के.	एस.ए.एफ.	ओ.एफ.टी.	आर.एफ.आई.
उपरिव्यय, उत्पादन लागत की प्रतिशतता में	47	55	50	59
स्थायी उपरिव्यय, कुल उपरिव्ययों की प्रतिशतता में	63	25	78	69
पर्यवेक्षण प्रभार, कुल उपरिव्ययों की प्रतिशतता में	34	45	48	33
अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार, कुल उपरिव्ययों की प्रतिशतता में	20	21	25	14

(स्रोत: आर्डनेंस निर्माणी संगठन का वार्षिक लेखा)

हमने यह देखा कि उत्पादों की सीमा के परे स्थाई उपरिव्यय एवं उनके समावेशनों का प्रवाह अनियमित था। तीन चुनी हुई मर्दों की लागत आँकड़ों का विश्लेषण उन मर्दों की स्थाई उपरिव्ययों के संविभाजन में असंगत प्रवाह का संकेत करता है, जैसा कि तालिका-40 में विवरण दिया गया है।

¹⁰⁹ इस समिति में किस उत्पादन शाला के डिविजनल ऑफीसर, मुखिया तथा स्थानीय लेखा अधिकारी (एल.ए.ओ.) होते हैं।

¹¹⁰ इस समिति में महाप्रबन्धक एवं निर्माणी के चुने हुए कार्य प्रबन्धक तथा एल.ए.ओ. शामिल होते हैं।

तालिका-40: स्थाई उपरिव्ययों का संविभाजन

मर्दे	40मि.मी. यू.जी.बी.एल.	30मि.मी. तोप	12.7 मि.मी. ए.डी.
उत्पादन की इकाई लागत (₹)			
2011-12	29473	2932107	1186996
2012-13	51745	2529893	830962
2013-14	55557	3765225	893376
स्थायी उपरिव्यय प्रति इकाई (₹)			
2011-12	7504	1096199	554576
2012-13	18667	938545	399062
2013-14	16210	1523754	463332
जारी मात्रा (संख्या)			
2011-12	2538	82	76
2012-13	4001	84	40
2013-14	7000	72	60
कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन/ओ.एफ., त्रिची में स्थाई उपरिव्यय (₹ करोड में)			
	2012-13	2013-14	कमी की प्रतिशतता
कुल उत्पादन लागत	167.80	166.60	-
कुल स्थाई उपरिव्यय	70.80	64.30	9

तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि:

- 2011-12 से 2013-14 के मध्य 40 मि.मी. यू.जी.बी.एल. को उत्पादन लगभग तीन गुना बढ़ गया। प्रति इकाई स्थाई उपरिव्यय 2011-12 की अपेक्षा 2012-13 में 149 प्रतिशत बढ़ गये, यद्यपी (अ) निर्माणी के कुल स्थाई उपरिव्यय केवल 8 प्रतिशत बढ़े (ब) इसी अवधि में यू.बी.जी.एल. का उत्पादन 58 प्रतिशत बढ़ गया। यू.बी.जी.एल. पर स्थाई उपरिव्यय का प्रवाह निर्माणी के स्थाई उपरिव्ययों के प्रवाह से मेल नहीं खाता। उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रति इकाई लागत, विशेष रूप से स्थाई उपरिव्ययों में बड़ी मात्रा में बँट जायेगा, इसलिए इसे नीचे आना चाहिए। 2011-12 की अपेक्षा 2013-14 में 40 मि.मी. यू.बी.जी.एल. के उत्पादन में 176 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी अवधि में इस मद की प्रति इकाई उत्पादन लागत में 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2012-13 के आंकड़ों की अपेक्षा 2013-14 में निर्माणी के कुल स्थाई उपरिव्यय 09 प्रतिशत घटे किंतु इसी अवधि में 30 मि.मी. तोप की प्रति इकाई स्थाई उपरिव्यय आनुपातित रूप से 62 प्रतिशत बढ़ गये।
- 2012-13 की अपेक्षा 2013-14 में 12.7 मि.मी. एयर डिफेंस (ए.डी.) गन की प्रति इकाई स्थाई लागत 16 प्रतिशत बढ़ गई यद्यपि इसी अवधि में उत्पादन लागत 40 से 60 प्रतिशत बढ़ गया और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसी अवधि में निर्माणी की कुल स्थाई लागत 09 प्रतिशत घट गई।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को नोट करते हुए, बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया कि आर्डनेंस निर्माणियों में उपरिव्यय वार वेस्टेज रिजर्व क्षमता (जो ज्यादातर निष्क्रिय रहती है), इस्टेट/अस्पताल/स्कूल पर सामाजिक खर्च, उच्च श्रम मजदूरी तथा पर्यवेक्षण लागत इत्यादि के कारण अधिक है और यह आश्वस्त किया कि निर्माणियों को उनके उपरिव्यय नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि ये हथियारों के कुल निर्गम मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं।

यह उत्तर यद्यपि उत्पादों की सीमा के परे उपरिव्ययो के असंगत संविभाजन पर मौन था।

7.2.5.4 आंतरिक नियंत्रण

प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) के पर्यवेक्षण में स्थानीय लेखा कार्यालय (एल.ए.ओ.) निर्माणी प्रबंधन की लागत में कमी हेतु सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता हेतु उत्पादन के पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। डी.ए.डी. ओ.एम. भाग - VI के पैरा 635 तथा 637 के अनुसार, एल.ए.ओ. से चालू निर्माण वारंट¹¹¹ में अनुमानित लागत एवं वास्तविक व्यय के बीच अधिक अंतर वाले मामलों की पहचान एवं इसे सुधारात्मक कदमों हेतु निर्माणी प्रबंधन की जानकारी में लाने हेतु उत्पादन लागत के त्रैमासिक संगामी पुनरीक्षण की अपेक्षा की जाती है।

उत्पादन लागत के संगामी पुनरीक्षण से हटकर, डी.ए.डी. ओ.एम. पार्ट-VI का पैरा 1026 एल.ए.ओ. को अन्य निवेशों में से निर्गम मूल्यों, संचयी व्ययों, तत्व-वार उत्पादन लागत इत्यादि पर पिछले त्रैमास एवं पूर्ववर्ती वर्ष की उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ त्रैमासिक वित्त पुनरीक्षण (क्यू.एफ.आर.) प्रतिवेदन तैयार करने को कहता है। प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) से सभी निर्माणियों का प्रतिवेदन संवीक्षा, विश्लेषण तथा समेकन के पश्चात मूल्यांकन के लिए बोर्ड एवं महा नियंत्रक रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए.) को भेजने की अपेक्षा की जाती है।

¹¹¹ वारंट, उत्पादन शाला को एक उत्पाद के निर्माण हेतु निर्माणी के महाप्रबंधक द्वारा दिया जाने वाला एक प्राधिकार है।

वास्तविक अभ्यास में प्रक्रियाओं में बहुत बाधाओं का सामना पड़ता है जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

- अनुभाग/उत्पादन शाला बजट समिति के प्रतिबद्ध कार्यों एवं इसके पुनरीक्षण का या तो अभ्यास नहीं किया गया या वे अलग-अलग हथियार मर्दों के उपरिव्ययों को निर्धारित एवं सुनिश्चित करने में अप्रभावी थे जैसा कि पैरा 7.2.5.2 में चर्चा की गई है। उदाहरणार्थ, 2012-13 एवं 2013-14 में आर्डनेंस निर्माणी त्रिची में उत्पादन शाला बजट एवं केन्द्रीय बजट समिति की बैठके नहीं हुईं। जब हुईं, यह उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हुईं क्योंकि अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत की अधिकता वाले अंतरों का पुनरीक्षण सितंबर 2009 के पश्चात नहीं किया गया।
- चुनी हुई निर्माणियों द्वारा उत्पादन लागत एवं उत्पादन क्रियाओं का संगामी पुनरीक्षण व्यवस्थित तरीकों से नहीं किया गया क्योंकि कास्ट कार्ड समय पर नहीं बंद किए गए। यद्यपि दो निर्माणियों (एफ.जी.के. एवं एस.ए.एफ.) ने दावा किया कि एल.ए.ओ. ने संगामी पुनरीक्षण किया था, वे कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं उपलब्ध करा सके। इसके बावजूद बोर्ड ने निर्माणियों के विरुद्ध लागत की संगामी पुनरीक्षण कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और न ही इसने बढ़ती लागत के विरुद्ध अपनी बैठकों में सुधारात्मक कदमों को उठाने के लिए उत्पादन-वार लागत के प्रवाह का पुनरीक्षण किया;
- क्यू.एफ.आर. प्रतिवेदन, प्रधान निदेशक लेखा (निर्माणियाँ) द्वारा न ही विश्लेषित की गई और न ही बोर्ड और सी.जी.डी.ए. को प्रेषित किया गया। यहाँ तक कि बोर्ड ने भी क्यू.एफ.आर. प्रतिवेदन को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं दिया। परिणामस्वरूप, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्यू.एफ.आर. पर वह ध्यान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था।

उपरिव्ययों के उतार-चढ़ाव एवं गलत संविभाजन तथा उत्पादन लागत अथवा मूल्य नियंत्रण पर पहुँचने के लिए लागत आंकड़ों की विश्वसनीयता लागत अभिलेखन की सम्पूर्णता को सुनिश्चित नहीं करती है। आयुध निर्माणियां सशस्त्र बलों के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण अपने ऊपर रखी गई मॉर्गों को पूरी करने में सामान्यतः अधिक केन्द्रित होती हैं, लेकिन लागत नियंत्रण अथवा कटौती के लिए कोई प्रभावी कसरत नहीं की गई है। दूसरी ओर सशस्त्र बलों से सुनिश्चित निधि की उपलब्धता ने उन्हें निश्चित मर्दों के लिए ऊँचे निर्गम मूल्यों के बावजूद बोर्ड के उत्पादों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, तुलनात्मक उत्पादों के लिए किसी मानक की अनुपस्थिति से बोर्ड के सामने मूल्यों की कटौती का कोई दबाव नहीं था।

बोर्ड ने कहा कि उपरिच्ययों के स्थाईकरण की पुनरीक्षण के लिए अनुभाग बजट समितियाँ बनाई गई थीं एवं निर्माणियाँ लागत के सम्पूर्ण नियंत्रण के लिए एल.ए.ओं. के साथ नजदीकी संपर्क में थी। इसने आगे कहा कि आयात लागतों की तुलना में निर्माणियों के उत्पादन लागत में प्रभावी थे।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुभाग बजट समितियों में प्रभाविकता की कमी तथा लागत के संगामी पुनरीक्षण में असफलता से हुई अप्रभावी लागत नियंत्रण के कारण 2011-12 से 2013-14 की अवधि में छह निर्माणियों में लागतों में वृद्धि तथा लाभों में ₹ 189 करोड़ से घटाकर ₹131 करोड़ तक कमी आयी।

निष्कर्ष

उत्पादों की निर्गम दर को पिछले तीन वर्षों के चलन के आधार पर, वर्ष की शुरुआत में ही तय करने की प्रवृत्ति उस ढाँचे में, जिसमें लागत नियंत्रण प्रभावी हो एवं विशेषतः उपरिखर्च में उतार-चढ़ाव नियंत्रित हो, में तो चल सकती है। ऐसा हलाँकि निर्माणियों के मामलों में नहीं था।

निर्माणियों का हथियार निर्माता समूह उच्च ऊपरी खर्चों, विशेष रूप से निश्चित ऊपरी खर्चों पर कार्य करता है। उत्पादों पर होने वाले ऊपरी खर्चों का संविभाजन कुछ उत्पादों पर इसको चढ़ाना, उन्हें अलाभकर बनाना, अतार्किक था। आयुध निर्माणियाँ सामान्तः लागत नियंत्रण एवं कमी की बिना अधिक परवाह किए उनपर की गई मॉर्गों को पूरा करने में केन्द्रित रहती हैं। सशस्त्र बलों को उन्हें मिलने वाली सुनिश्चित निधि की उपलब्धता ने उच्च निर्गम मूल्यों की चिंता किए बगैर उन्हें बोर्ड से मिलने वाली उत्पादों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है।

मूल्य निर्धारण समिति की बैठकों में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधित्व की उपस्थिति एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन तुलनात्मक उत्पादों में मानकों की कमी के कारण ग्राहकों से मेलजोल में समझौता कर लिया गया।

संस्तुति 7: विश्वसनीय लागत आँकड़ों के एकत्रीकरण तथा समेकन तथा उत्पाद सीमाओं के परे लागत का प्रभावी संविभाजन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड लागत संरचना को मजबूत कर सकता है। लागत नियंत्रण के लिए अनुमानित एवं वास्तविक लागतों के आवधिक पुनरीक्षण की संरचना को संचालित किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षित संस्था का संस्तुतियों पर उत्तर

बोर्ड ने संस्तुतियों को स्वीकार किया।

7.2.6 भविष्य के लिए योजना

लेखापरीक्षा उद्देश्य 5: निर्माणियां, आयातों पर निर्भरता को घटाकर सशस्त्र बलों की परिपेक्ष्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य तैयार थीं।

7.2.6.1 बोर्ड की दृश्य योजना

बोर्ड ने 2000 में पहली दृश्य योजना तैयार की जिसके बाद 2007-08 से 2011-12 के बीच दूसरी योजना बनी जो कि XIवीं पंचवर्षीय योजना के साथ चल रही थी। 2007-08 से 2011-12 के बीच दृश्य योजना में तेजी से बदलते भारतीय रक्षा तंत्र के लिए निवेशित धन पर अधिक वापसी के साथ विशिष्ट हथियारों की समय पर आपूर्ति की बोर्ड से अपेक्षाओं को पहचाना गया। उत्पादन के वर्तमान स्तर एवं 2011-12 के अंत तक प्राप्त किए जा सकने वाले उत्पादन स्तर को इंगित करते हुए बनाई गई दृश्य योजना, सशस्त्र बलों तथा गृह मंत्रालय से संपर्क के पश्चात रोक ली गई।

बोर्ड ने इसके बाद 2013 से शुरू होने वाली अवधि के लिए योजना तैयार नहीं की। इस बीच, 15 वर्ष के समय को लेकर थल सेना ने दीर्घ अवधि समेकित दृश्य योजना (एल.टी.आई.पी.पी.) तैयार की (2013), किन्तु इसे बारम्बार निवेदनों के बावजूद बोर्ड को नहीं भेजा गया। एल.टी.आई.पी.पी. तथा 2012 के बाद की दृश्य योजना की अनुपस्थिति में, एल.टी.आई.पी.पी. में सूचीबद्ध रणनीतिक हथियारों की मदों के उत्पादन हेतु मास्टर प्लान बनाने के लिए अपने को मजबूत स्थिति में लाना बाकी था। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 में स्वदेशीकरण के उद्देश्यों, जिसमें बोर्ड को अन्य निर्माताओं से प्रतियोगिता करनी पड़े, को पूरा करने का अनुमोदन किया गया। लेखापरीक्षा में ली गई अवधि (2011-12 से 2013-14) के पश्चात पिछले एक वर्ष में रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. तथा नई सरकार की 'मेक इन इंडिया' की नीति के कारण नई चुनौतियाँ आई हैं जो बोर्ड को प्रभावित करेंगी।

इस अध्याय के अगले पैराग्राफों में हमारा विश्लेषण बोर्ड की 2007-08 से 2011-12 के लिए दृश्य योजना एवं रक्षा क्षेत्र में आए नए बदलावों पर है।

7.2.6.2 दृश्य योजना का कार्यान्वयन

दृश्य योजना में, बोर्ड ने हथियारों की तीन वर्गों: लघु शस्त्र, मध्यम कैलीबर तथा उच्च कैलीबर के हथियारों के लिए अनुमान प्रस्तुत किए गए। दृश्य योजना में इंगित किए गए मानकों के सापेक्ष 12 मदों के विकास की स्थिति का अनुलग्नक XXIV में विश्लेषण एवं चर्चा की गई है।

जैसा कि अनुलग्नक से देखा जा सकता है, विकास एवं नई बड़ी मदों के नियमित उत्पादन की मुख्य बाधाएं निम्नवत हैं:

- 2008-09 में 5.56 मि.मी. कार्बाइन (प्रोटेक्टिव) के उत्पादन की आशा के विरुद्ध, बोर्ड एवं डी.आर.डी.ओ. द्वारा उत्पाद के विकास में की गई देरी तथा परीक्षणों में पाई गई कमियों के कारण उत्पादन अभी भी शुरू होना था।
- तकनीकी हस्तांतरण (टी.ओ.टी.) के अंतर्गत 5.56 मि.मी. कार्बाइन (क्लोस क्वार्टर बैटल) का उत्पादन, थल सेना द्वारा तय वर्ष (2009-10) में तकनीकी हस्तांतरण के साथ आयात के लिए कार्बाइन के चुनाव में देरी के कारण अभी भी होना बाकी था।
- 30 मि.मी. आटोमेटिक ग्रेनेड लांचिंग सिस्टम (ए.जी.एस.) का उत्पादन, तय समय सीमा (2010-11) की तुलना में विभिन्न परीक्षणों में नोटिस की गई समस्याओं, डिजाइन में परिवर्तनों तथा प्रूफ ट्रायल के लिए गोला-बारूद की अनुपलब्धता के कारण क्षमता परीक्षण में देरी के कारण अभी भी सुव्यवस्थित करना बाकी था।
- 155 मि.मी. (45 कैलिबर) गन 'धनुष' के उत्पादन की समय सीमा (2010-11) की तुलना में, 2012 में विकसित की गई यह गन अभी भी पुष्टि हेतु परीक्षणों में थी तथा थोक उत्पादन के लिए स्वीकृति का अभी इंतजार था (मई 2015)
- एक इजराइली फर्म मेसर्स सोल्टम के साथ 130 मि.मी. का 150 मि.मी. में अपगनिंग का उत्पादन, तय समय सीमा (2010-11) में मेसर्स सोल्टम पर लगे प्रतिबन्ध तथा विकास एवं परीक्षणों में देरी के कारण शुरू नहीं हो सका।
- 5.56 मि.मी. राईफल (फोर्डींग बट) का उत्पादन की समय सीमा (2008-09) की तुलना में देरी से विकास (2012) के कारण 8454 राईफलों की आपूर्ति के पश्चात थल सेना का मांग पत्र (2006) को समय पूर्व बन्द कर दिया गया। थल सेना से आगे कोई मांग नहीं प्राप्त हुई।

इस विश्लेषण से यह पता चला कि नई मर्दों के विकास एवं उत्पादन के लिए बोर्ड की दृश्य योजना में तय की गई समय सीमा विकास में हुई देरियों के कारण वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकी, उपभोक्ताओं द्वारा मांगों को अंतिम रूप देने एवं परीक्षण में देरियों, जटिल संघटकों की डिजाइन के लिए टी.ओ.टी. की अपूर्णता/अनुपलब्धता के कारण देरियाँ हुईं जिनसे वार्षिक आयातों पर निर्भरता बढ़ी।

7.2.6.3 चुनौतियाँ एवं अवसर

प्रत्येक हथियार निर्माता निर्माणी के सामने आने वाली चुनौतियाँ एवं अवसरों के बारे में **अनुलग्नक- XXVI** में चर्चा की गई है। यह विश्लेषण निर्माणियों के लिए सशस्त्र बलों को विशेष हथियारों से लैस करने की मुख्य भूमिका के लिए प्रासंगिक रहने के लिए अनुमान लगाने में सहायता करने के लिए है।

जैसा कि अनुलग्नक से देखा जा सकता है, लघु शस्त्र निर्माणियाँ बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही थी। बोर्ड इंसास राइफलों (फोल्डेबल बट) के आधुनिक संस्करण के लिए पर्याप्त आदेश प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ जैसा कि पैरा 7.2.6.2. में चर्चा की गई है, थल सेना से की जाने वाली माँग में आई गिरावट के कारण राइफल निर्माणी, ईशापुर तथा लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर ने मुख्य मर्दों (5.56 मि.मी. राइफलों, 9 मि.मी. पिस्टल) के उत्पादन में गिरावट का सामना किया जैसा कि पैरा 7.2.2.2. में चर्चा की गई।


जैसा कि बोर्ड, लघु शस्त्र समूह की निर्माणियों के महा प्रबंधकों, गृह मंत्रालय की हुई बैठक (जनवरी 2013) में चर्चा की गई थी, सतत योजना के परिपेक्ष्य में इन्हें लघु शस्त्रों के लिए अपनी माँगें बढ़ाने के लिए प्रभावित किया गया ताकि थल सेना की लघु शस्त्रों की घटती माँग को ध्यान में रखते हुए निर्माणियों पर कार्यभार बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय द्वारा ग्लाक पिस्टल तथा ए.के.-47 राइफलों के नियमित आयात को देखते हुए बोर्ड ने गृह मंत्रालय से इन हथियारों को तकनीकी हस्तांतरण के अनुबन्ध के साथ आयात करने का आग्रह किया जो बोर्ड की इसके स्वदेशी निर्माण में मदद कर सकता था। यद्यपि बोर्ड के दृश्य प्लान में ग्लाक पिस्टल तथा ए.के.-47 राइफलों का विदेशी फर्म से टी.ओ.टी. के साथ विकास, पहले नहीं सोचा गया था।

बोर्ड ने उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद के संशोधन एवं नए हथियारों के विकास के लिए लघु शस्त्र समूह की निर्माणियों (आर.एफ.आई., ओ.एफ.टी. तथा एस.ए.एफ.) को आर. एवं डी. प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए निर्देशित किया है। राइफल निर्माणी, ईशापुर के एक मामले के अध्ययन में, नए उत्पादों के विकास के साथ बदलते व्यापारिक परिदृश्य को देखते हुए निर्माणी ने अपने को परिवर्तित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राइफल निर्माणी, ईशापुर के मामले का अध्ययन: बदलते समय के अनुसार अनुकूलन

राइफल निर्माणी, ईशापुर के अपने उत्पाद हैं: राइफल 5.56 मि.मी. (फिक्स्ड एवं फोल्डेबल बट), पिस्टल 9 मि.मी. (थल सेना/गृह मंत्रालय मर्दें) एवं 0.315" स्पोर्टिंग राइफल (सिविल मद)। बीतते हुए वर्षों के साथ निर्माणी ने और न आदेश प्राप्त न होने के कारण सशस्त्र बलों से माँग में लगातार गिरावट को देखा है। चार्ट-18, 2013-14 में थल सेना¹¹² से कोई माँग न होने से 5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट के उत्पादन में प्रवाह का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, वर्तमान उत्पादन पूरी तरह से एम एच ए के लिए था।

¹¹² थल सेना के पास राइफलों का अतिरिक्त भण्डार है तथा थल सेना मुख्यालय इंसास राइफलों को मल्टी रोल एसाल्ट राइफल (एम.आर.ए.आर.) से परिवर्तन का प्रयास कर रहा है।



राइफल निर्माणी, ईशापुर में गृह मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उत्पादों (तालिका-41) को विकसित करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए जबकि गृह मंत्रालय से अभी इस बारे में स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका-41: आर.एफ.आई. द्वारा विकसित उत्पाद (लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन/आपूर्ति)

क्र.सं.	उत्पाद	वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन	आपूर्ति	टिप्पणी
1.	12 बोर पंप एक्शन शाट गन	2012-13	4000	4025	4007	
		2013-14	13000	10807	10807	
		2014-15	6058	5826	3630	
2.	टियर गैस गन	2013-14	3500	299	173	जनवरी 2014 में थोक उत्पादन के लिए अनुमति प्राप्ति हुई
		2014-15	10919	7546	6316	
3.	एंटी-रायट गन	2013-14	4000	1998	1998	राज्य पुलिस से भुगतान नहीं प्राप्त हुआ
		2014-15	10000	1242	1129	भुगतान की प्राप्ति में बाधा
4.	0.32" पिस्टल	2013-14	2000	650	0	निजी मॉगकर्ताओं से कम भुगतान के कारण उत्पादन में कमी आयी
		2014-15	12000	3653	1853	
5.	7.62 मि.मी. स्नाइपर	2014-15	15	0	0	सामग्री खरीद प्रक्रिया जारी
6.	7.62 मि.मी. एसाल्ट राइफल (घातक)	2015-16	30000			केन्द्रीय सशस्त्र बलों के द्वारा परीक्षण जारी

(स्रोत: राइफल निर्माणी, ईशापुर का पत्र दिनांक 10-01-2015)

तत्पश्चात राइफल 5.56 मि.मी. एक्स-कैलीबर को राइफल 5.56 मि.मी. के स्थानापन्न के तौर पर विकसित किया गया है और इसे गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि गृह मंत्रालय से अधिक मात्रा में आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रकार, राइफल निर्माणी, ईशापुर द्वारा नई उत्पाद श्रृंखला के विकास के साथ इसे उपभोक्ता से इस बदलते परिदृश्य में अधिक मात्रा में आदेश प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

गन एवं शेल निर्माणी, काशीपुर तथा गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर में निर्मित हाई कैलीबर रेंज के हथियारों में यह देखा गया कि 81 मि.मी. मोर्टार तथा 105 मि.मी. फील्ड गन जैसे स्थापित उत्पादों की माँग में कमी आयी जैसाकि **अनुलग्नक-XVII-ए** में इंगित किया गया है। यद्यपि 2011-12 से 2013-14 के दौरान उच्च कैलीबर के हथियारों जैसे 84 मि.मी. रॉकेट लॉचर मार्क- III, ए.के. 630 गन, टी-90 आयुध तथा टी-72/टी-90 की स्पेयर बैरल की माँग का प्रवाह बढ़त की ओर था जैसा कि **अनुलग्नक-XVII-ए** एवं **अनुलग्नक-XVII-बी** में चर्चा की गई है। अपूर्ण टी.ओ.टी. समझौतों ने निर्माणियों को ए.के.-630 गनों तथा 84 मि.मी. रॉकेट लॉचर मार्क- III के जटिल संयोजनों के वार्षिक आयातों को निर्भर रहने के लिए मजबूर करते हुए स्वदेशीकरण के स्तरों को प्रभावित किया कि जैसा कि **अनुलग्नक-XXIV** एवं **अनुलग्नक -XXV** में चर्चा की गई है।

फील्ड गन निर्माणी, कानपुर तथा आयुध निर्माणी, कानपुर ने मेटल एवं स्टील निर्माणी, ईशापुर में फोर्जिंग की अपर्याप्त क्षमता के कारण, उच्च कैलीबर के हथियारों के उत्पादन में क्षमता में कमी का सामना किया गया जैसा कि पैरा 7.2.3.3 में चर्चा की गई है। अन्य महत्वपूर्ण हाई कैलीबर हथियारों जैसे 105 मि.मी. गन के संदर्भ में बोर्ड ने 114 स्वदेशी 105 मि.मी. (45 कैलीबर) धनुष गनों के लिए एक माँगपत्र प्राप्त किया, किन्तु थल सेना से थोक उत्पादन की अनुमति प्रतीक्षित थी (मई 2015)।

आयातों (ए.के.-630 गन, 84 मि.मी.रॉकेट लॉचर) पर निर्भरता कम कर स्वदेशी विकल्पों को विकसित करने की बोर्ड की क्षमता, 105 मि.मी. (45 कैलीबर) धनुष गनों के थोक उत्पादन की अनुमति प्राप्ति कर, गुणवत्ता एवं क्षमता अवरोधों को दूर कर दोनों उच्च कैलीबर गनों में बोर्ड के भविष्य को तय करेंगे। यह आयुध निर्माणियों में सभी वर्गों के हथियारों पर लागू होता है। यद्यपि बोर्ड का भविष्य मुख्य रूप से सभी दावेदारों यथा सशस्त्र बलों, डी.आर.डी.ओ. तथा बोर्ड की तकनीकी उन्नत तथा हथियारों के स्वदेशी विकास के लिए सभी के बीच उचित सहयोग पर निर्भर करेगा।

लेखापरीक्षा आपतियों को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने कहा:

- अर्न्तवर्ती आर एवं डी एवं डी.आर.डी.ओ. अथवा टी.ओ.टी. द्वारा नये उत्पादों के विकास/उत्पादन के द्वारा वे लघु शस्त्र निर्माणी के लिए अधिक कार्य-भर प्राप्त करने हेतु कठिन प्रयास कर रहे थे। नई पीढ़ी के हथियार जैसे एम.आर.ए.आर.(5.56 मि.मी. एवं 7.62 मि.मी.), एल.एम.जी. 7.62 मि.मी. तथा सी.क्यू.बी. कार्बाइन टी.ओ.टी. के लिए थल सेना द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में थे;
- बोर्ड 155x52 टोड गन के उत्पादन के लिए टी.ओ.टी. का प्राप्तकर्ता होगा तथा 155x52 कैलीबर माउंटेड गन के लिए थल सेना के अनुरोध के लिए प्रतियोगिता करेगा।

बोर्ड के दृश्य योजना 2007-12 में प्रदर्शित मील के पत्थर एवं आशाओं को पूरा करने के लिए बोर्ड के प्रयास गुणवत्ता एवं समयानुकूलता दोनों दृष्टियों से उत्साहजनक नहीं थे जैसा कि पैरा 7.2.6.2 में चर्चा की गई है। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से बिन निश्चित आदेश प्राप्त किए लघु शस्त्रों के विकास के लिए भी प्रयास किए। नए उत्पादों के विकास में वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए, निर्माणी की उत्तरजीविका के लिए पक्के आदेशों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को सहमत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बोर्ड ने सशस्त्र बलों को 'निवेशित धन पर अधिक वापसी के साथ विशिष्ट हथियारों की समय पर आपूर्ति' के साथ एक दृश्य योजना 2007-12 तैयार की। दृश्य योजना का स्वप्न इसे लागू करने में नई मर्दों के विकास में हुई देरी के कारण वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकी।

बोर्ड ने भी इसके बाद के समय के लिए कोई योजना तैयार नहीं की, वातावरण बहुत परिवर्तित हो चुका है। थल सेना ने, 15 वर्ष के समय को लेकर दीर्घ अवधि समेकित दृश्य योजना (एल.टी.आई.पी.पी.) तैयार की, जिसके लिए बोर्ड को स्वयं को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार करनी थी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 में स्वदेशीकरण के उद्देश्यों, जिसमें बोर्ड को अन्य निर्माताओं से प्रतियोगिता करनी पड़े, को पूरा करने का अनुमोदन किया गया।

लघु शस्त्र निर्माणी, मांग कर्ताओं से मांग में कमी तथा गुणवत्ता समस्याओं जैसे कि इसके नये उत्पादों के लिए ग्राहकों से ठंडा जवाब; नयी पीढ़ी की कारबाइनों के लिए परियोजनाओं में देरी जैसी बहुमुखी चुनौतियों का सामना कर रही थी। उच्च कैलीबर रेंज के पारंपरिक हथियार जैसे 81 मि.मी. मोर्टार, 105 मि.मी. एल.एफ.जी. गिरावट

का सामना कर रहे थे। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण में देरी एवं कुछ निश्चित संयोजनों के आयात पर लगातार निर्भरता ने निर्माणियों के सामने मांग पूरी करने की चुनौती पेश की। दूसरी ओर, नयी परियोजनाओं जैसे 'धनुष' एवं 105 मि.मी. गनों के संस्करणों ने भरोसा दिया।

संस्तुति 8: बोर्ड अपनी दृश्य योजना, सशस्त्र बलों, डी.आर.डी.ओ., डी.जी.क्यू.ए., गृह मंत्रालय तथा निजी क्षेत्रों के सहयोगियों सहित दावेदारों से चर्चा के बाद तैयार कर सकता है।

संस्तुति 9: सशस्त्र बलों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा राज्य पुलिस संगठनों में हथियारों की खरीद के लिए मंत्रालय, स्वदेशीकरण को अधिकतम करने, प्रयासों के दोहराव को कम करने तथा ऐसी तकनीकों के विकास के लिए जो अंतर-संचालनता की अनुमति दे एवं निर्माण में मितव्ययिता के मापदण्डों को उपलब्ध कराए, विभिन्न दावेदारों को लेकर एक बहु-मंत्रालयी संस्था का ढाँचा तैयार कर सकती है।

संस्तुतियों पर लेखापरीक्षित संस्था का उत्तर

बोर्ड ने कहा कि वे गृह मंत्रालय एवं राज्य पुलिस संगठन से उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई उचित एवं संतुलित आपत्तियों को स्वीकार किया गया एवं और लागू करने तथा सुधारात्मक कदमों के कई बिन्दुओं को नोट किया गया।

7.3 रसायन निर्माता निर्माणियों का कार्य निष्पादन

कार्यकारी सारांश

आयुध निर्माणियाँ पाँच उत्पादन आधारित प्रचालन समूहों में वर्गीकृत हैं। रासायनिक समूह की निर्माणियाँ शस्त्र एवं विस्फोटक (ए एंड ई) प्रचालन समूह के अंतर्गत एक उप-समूह में आती हैं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान इस समूह का उत्पादन व्यय कुल उत्पादन व्यय का 35 प्रतिशत था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान चार रसायन निर्माता निर्माणियों यथा आयुध निर्माणी भंडारा (ओ एफ बी ए), कार्डाइट निर्माणी अरुवंकाडु (सी एफ ए), आयुध निर्माणी इटारसी (ओ एफ आई) एवं उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी (एच ई एफ) का औसत वार्षिक उत्पादन लागत ₹755 करोड़ था, जो कि बोर्ड के कुल उत्पादन लागत का लगभग पाँच प्रतिशत था।

इन निर्माणियों द्वारा निर्मित प्रोपेलेंट तथा विस्फोटक प्राथमिक रूप से सहयोगी निर्माणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं (इसलिए इन्हें अंतर-निर्माणी मांग निर्माणियाँ कहा जाता है) जिससे सशस्त्र सेनाओं व गृह मंत्रालय (एम एच ए) जैसे मांगकर्ताओं को पूर्ण निर्मित गोलाबारूद आपूर्ति किए जा सकें।

मूल निष्कर्ष

पाँच वर्षों की आवश्यकता को दर्शाने वाले थल सेना के क्रमिक माँगपत्र से बोर्ड को नियोजन में सहायता मिलती है। आवश्यकता में बदलाव, मुख्यतः कमी किए जाने पर भी बोर्ड द्वारा रासायनिक निर्माणियों को पहले से दिये गए लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

निर्माणियों के वार्षिक लक्ष्य में बोर्ड द्वारा अधिकांश उत्पादों के संबंध में, वर्ष के मध्य में की गयी वृद्धि के अधिकतर मामलों में, लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माणियाँ पहले से दिये गए लक्ष्य को ही पूरा करने में अक्षम थीं।

रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों को प्रतिवर्ष जनवरी तक अपना लक्ष्य पूरा करना होता है किन्तु निर्माणियाँ इस प्रावधान का पालन करने में अक्षम रहीं जिसके कारण गोलाबारूद फिलिंग निर्माणियों की उत्पादन व्यवस्था प्रभावित हुई। तीन निर्माणियों में वास्तविक निर्गम के बिना अग्रिम वाउचर तैयार किया जाता रहा। बोर्ड में लक्ष्य के प्रति उत्पादन के अनुश्रवण पर आंतरिक नियंत्रण भी एक नित्यक्रम बनकर रह गया जिससे उसका प्रभाव कम हुआ।

एक तिहाई भाग की अधिप्राप्ति के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के संबंध में बोर्ड द्वारा निश्चित समयावधि का पालन करने में निर्माणियाँ विफल रहीं। आगे, यदि भंडार के प्रदाय में लगे समय को विभक्त किया जाय तो उत्पादन वर्ष का अधिकांश

भाग अधिप्राप्ति में ही लग गया। अधिप्राप्ति में विलंब के कारण निर्माणियाँ उत्पादन में समरूपता नहीं रख पायीं जिसके कारण वर्ष के अंतिम चरण में उत्पादन बहुत बढ़ गया। निर्माणियों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार श्रम उत्पादकता अधिक हो गयी जिसका लक्ष्य के प्रति निष्पादन से कोई संबंध नहीं था।

गुणवत्ता नियंत्रण जांच में अस्वीकृतियाँ हुईं एवं प्रूफ स्थापना में अत्यधिक समय व्यय किया गया जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निर्माणियों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं निर्माणियों व एस क्यू ए ई के मध्य अपर्याप्त समन्वय की स्थिति देखी गयी। निर्माणियों में स्वतंत्र प्रूफ रेंज की अनुपलब्धता के कारण गतिज प्रूफ के निष्पादन में विलंब हुआ; दिसंबर 2008 में एक परियोजना को परित्यक्त कर दिया गया पर उसका कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण रासायनिक गुप की निर्माणियों में पूंजी बजट का उपयोग नहीं किया जा सका। निर्माणियों में उपरिव्यय अधिक था जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ गया। पिछले तीन वर्षों के रुझान के आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में उत्पादों का निर्गम मूल्य निश्चित करने की व्यवस्था तब कारगर हो सकती थी जब लागत में अपसामान्य उतार-चढ़ाव पर निकट अनुश्रवण के लिए लागत नियंत्रण प्रणाली प्रभावी होती। तथापि, निर्माणियों के मामले में यह संभव नहीं था जहाँ दो प्रकार के नियंत्रण विद्यमान थे; कारखाना बजट समिति एवं त्रैमासिक वित्तीय पुनरीक्षण, जिनका ढांचागत विसंगतियों से कोई लेना देना नहीं था। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान किसी उत्पाद के निर्गम मूल्य का उसके उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं था जिसके कारण लाभ/हानि में काफी उतार-चढ़ाव पाया गया।

सशस्त्र सेनाओं के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण आयुध निर्माणियों से लागत नियंत्रण एवं कमी पर ध्यान दिये बिना उनपर प्रस्तुत मांगों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन आई एस ओ 14001: 2004, जो सभी चयनित निर्माणियों के पास उपलब्ध है, के अनुपालन के लिए निर्माणियों ने एक पर्यावरण प्रबंधन नियम पुस्तक तैयार किया है। किन्तु निर्माणियों ने विशिष्ट पर्यावरण जोखिमों को चिन्हित नहीं किया या प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की। सभी निर्माणियों में पर्यावरण साधनों पर धन का निवेश कम था। पुनः उपयोग, सुरक्षित निस्तारण तथा कचरे का उपयोग ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निर्माणियों को ध्यान देने की ज़रूरत है, विशेषकर विस्फोटक कचरे के निस्तारण के संबंध में।

दुर्घटनाओं का सामान्य रुझान, विशेष रूप से आयुध निर्माणी इटारसी में, कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने में विफलता की ओर इंगित करता है। निर्माणियों ने ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं की हैं तथा ऊर्जा की बचत के बारे में

जानकारी दी है, परंतु ऊर्जा लेखापरीक्षा के भारी संख्या में लंबित अनुशंसाओं में भविष्य की महत्वपूर्ण बचतों की ओर निर्दिष्ट किया गया है जिनपर धन के निवेश की आवश्यकता होगी।


7.3.1 भूमिका

7.3.1.1 प्रचालन समूह

आयुध निर्माणियाँ पाँच उत्पादन आधारित प्रचालन समूहों में वर्गीकृत हैं। रासायनिक समूह की निर्माणियाँ शस्त्र एवं विस्फोटक (ए एंड ई) प्रचालन समूह के अंतर्गत एक उप-समूह में आती हैं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान इस समूह का उत्पादन व्यय, कुल उत्पादन व्यय का 35 प्रतिशत था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान चार रसायन निर्माता निर्माणियों यथा, आयुध निर्माणी भंडारा (ओ एफ बी ए), कार्डाइट निर्माणी अरुंकाडु (सी एफ ए), आयुध निर्माणी इटारसी (ओ एफ आई) एवं उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी (एच ई एफ) का औसत वार्षिक उत्पादन लागत ₹755 करोड़ था जो कि बोर्ड के कुल उत्पादन लागत का लगभग पाँच प्रतिशत था।

इन निर्माणियों द्वारा निर्मित प्रोपेलेंट तथा विस्फोटक प्राथमिक रूप से सहयोगी निर्माणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं (इसलिए इन्हें अंतर-निर्माणी मांग निर्माणियाँ कहा जाता है) जिससे सशस्त्र सेनाओं व गृह मंत्रालय (एम एच ए) जैसे मांगकर्ताओं को पूर्ण निर्मित गोलाबारूद आपूर्त किए जा सके। 2011-14 के दौरान चार रसायन उत्पादक निर्माणियों का निर्गम मूल्य ₹ 2174 करोड़ एवं वार्षिक निर्गम औसत ₹725 करोड़ था। रासायनिक निर्माणियों द्वारा किए गए निर्गम का मांगकर्ता-वार वितरण चार्ट 19 में दिखाया गया है।

चार्ट-19



7.3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

इस प्रचालन समूह के लिए नीति निर्धारण, नियोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए, बोर्ड का सदस्य (गोलाबारूद एवं विस्फोटक) उत्तरदायी होता है। निर्माणियों के प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं। निर्माणियों में आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख निर्माणियों के अपर/संयुक्त महाप्रबंधक होते हैं।

बोर्ड से स्वतंत्र महानिदेशक, गुणता आश्वासन (डी जी क्यू ए) उत्पादों का गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है। वह निर्माणियों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपादित करता है। प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता, समेकित लेखाओं के संकलन व लागत नियंत्रण के साथ वित्तीय मामलों पर सलाह देने का कार्य भी करता है। प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) प्रत्येक निर्माणी में स्थित लेखा कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है।

7.3.1.3 हमने यह लेखापरीक्षा क्यों संपादित की ?

फिलिंग निर्माणियों में प्रयुक्त भंडार का 76 प्रतिशत भाग आई एफ डी भंडार का होता है। आई एफ डी निर्माणियों का निष्पादन क्रमिक रूप से फिलिंग निर्माणियों के निष्पादन पर प्रभाव डालता है। अतः आई एफ डी निर्माणियों की पुनरीक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने अनुभव किया कि उत्पादन नियोजन, निष्पादन, गुणवत्ता, लागत नियंत्रण एवं पर्यावरण के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक समावेशन से प्रबंधन में सहायता मिलेगी तथा सरकार व संसद में नीति निर्धारण के लिए सामग्री उपलब्ध रहेगी।

रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2008 के कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 के अध्याय III में दिये गये हैं जिसके प्रति रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने निम्नलिखित आश्वासन दिये:

वार्षिक उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण

- “गोलाबारूद एवं विस्फोटक निर्माता निर्माणियों की उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारण हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर कार्य जारी है। रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों में क्षमता उत्पाद विशिष्ट है। साधारण शब्दों में कहें तो वैकल्पिक उपयोग सीमित है।”

लक्ष्य प्राप्ति में मशीनरी का उपयोग

- “गोलाबारूद मर्दों के लिए क्रमिक मांग प्रस्तुत की जाती है जिससे दीर्घावधि की आवश्यकता प्रदर्शित होती है। इससे संयंत्र व मशीनरी के अधिकतम उपयोग हेतु नियोजन में सहयोग मिलेगा।”

लागत नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण

- “निर्माणियों को मूल्य निर्धारण के दौरान समग्र उपरिव्यय तक सीमित रहने और उसे कम करने की सलाह दी गयी है। रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों में मूल्य निर्धारण का स्तर इस प्रकार रखने का प्रयास किया जाएगा कि लागत की वसूली वर्ष के दौरान ही सुनिश्चित की जा सके।”

पर्यावरण एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन

- “सभी निर्माणियों में अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र नई दिल्ली (सी एफ ई ई एस) एवं क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक पुणे (आर सी एस) द्वारा किए जाने वाले आवधिक सुरक्षा जांच के लिए सुविधा उपलब्ध करने की सलाह दी गई है। तथापि, अपवाद के मामलों में जहां विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करता है तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास करता है। निर्माणी स्तर पर ऐसे सभी मामलों को देखने के लिए सुरक्षा नियंत्रक के अधीन विशेषज्ञों का एक पृथक कार्यालय होता है।”

हमने मंत्रालय द्वारा संसद को दिये गए आश्वासनों के प्रभाव की पुनरीक्षण करने का निर्णय किया।

7.3.1.4 लेखापरीक्षा की संभावना एवं लेखापरीक्षित प्रतिदर्श

हमारी लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2013-14 तक, तीन वर्षों के दौरान चार निर्माणियों के निष्पादन को शामिल किया गया। बोर्ड एवं चार निर्माणियों¹¹³, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक) पुणे, किरकी, भंडारा, इटारसी एवं अरुवंकाडु में अवस्थित गुणता आश्वासन स्थापना के अभिलेखों के प्रतिदर्श जांच के पश्चात हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष सामने आए।

हमने चार निर्माणियों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान 52 रासायनिक/प्रोपेलेंट मर्दों जिनकी उत्पादन लागत ₹1729 करोड़ थी, तथा जो कुल उत्पादन लागत (₹2266 करोड़) का 76 प्रतिशत था, को चयनित किया। चयन, उत्पादन लागत एवं

¹¹³ कार्डाइट निर्माणी अरुवंकाडु, उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी, आयुध निर्माणी भंडारा एवं आयुध निर्माणी इटारसी

मांगकर्ताओं, मुख्यतः सहयोगी निर्माणियों द्वारा मदों के सामरिक उपयोग पर आधारित था। जांच के लिए चयनित प्रतिदर्शों का विवरण अनुलग्नक XXVII में दिया गया है।

7.3.1.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य बोर्ड का अपने ग्राहकों को समय पर सही गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करने की योग्यता पर मत प्रकट करना था। लेखापरीक्षा के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्मित प्रमुख उद्देश्यों का ध्येय यह आश्वासन प्राप्त करना था कि:

- बोर्ड ने मांगकर्ताओं की आवश्यकता व निर्माणियों की क्षमता के आधार पर निर्माणियों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया तथा निर्माणियों द्वारा लक्ष्य समय पर पूर्ण किया गया;
- निर्माणियाँ उत्पादन योजना पर कार्यान्वयन हेतु अपने संसाधनों को व्यवस्थित करने व उपयोग करने में सक्षम थीं;
- सशक्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से मांगकर्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के विस्फोटक/प्रोपेलेंट का समय से निर्गम सुनिश्चित किया जा सका;
- निर्माणियों ने कोष का उपयोग करने तथा उत्पादन में लागत नियंत्रण रखने के लिए ज़रूरी प्रयास किए, एवं
- निर्माणियों ने जोखिम आकलन के आधार पर बोर्ड की सशक्त पर्यावरण नीति व प्रक्रियाओं का अनुपालन किया।

7.3.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों पर आश्वासन हेतु मानदंड तय करने के लिए निम्नांकित साधनों को चिन्हित किया गया:

- अधिप्राप्ति नियमपुस्तक 2010, सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक 2005, आयुध निर्माणी बोर्ड की मानक प्रचालन प्रक्रिया;
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 तथा जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974;
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत आई एस ओ 14001: 2004 'पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली -उपयोग के दिशानिर्देश के साथ आवश्यकता'; एवं
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 पर कार्रवाई टिप्पणी में संसद को दिये गए आश्वासन।

7.3.1.7 लेखापरीक्षा कार्यविधि

अगस्त 2014 में आयोजित एक आरंभ बैठक के दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्यों व कार्यविधि पर बोर्ड के साथ चर्चा की गई तथा लेखापरीक्षा के क्षेत्रों पर सहमति हुई। लेखापरीक्षा मानदंड के प्रति निष्पादन के मूल्यांकन हेतु अगस्त-अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान उपर्युक्त पैरा 7.3.1.4 में दर्शाई गई चयनित इकाइयों में विस्तृत लेखापरीक्षा संपादित की गई। निर्माणियों की लेखापरीक्षा में दस्तावेजों की जांच व लेखापरीक्षा ज्ञापन एवं प्रश्नावली जारी कर सूचनाओं का संकलन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान निर्माणियों में उपयोग किए जा रहे कंप्यूटरीकृत पैकेज से प्राप्त आकड़ों को भी विश्लेषित किया गया।

दिसंबर 2014 में मंत्रालय व बोर्ड को प्रारूप प्रतिवेदन सौंप दिया गया तथा जून 2015 में बोर्ड के साथ आयोजित 'समापन बैठक' में उस पर चर्चा की गई। यद्यपि बोर्ड ने जून 2015 में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी थी, पर उत्तर प्रस्तुत करने की छह सप्ताह की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय बोर्ड के उत्तर तथा 'समापन बैठक' के दौरान हुए विचार-विमर्श को दृष्टिगत रखा गया। यथासंभव बोर्ड व निर्माणियों की उत्तम व्यवस्थाओं को भी प्रकाश में लाया गया।

7.3.1.8 आभार

बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड में गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह के सदस्य, निर्माणियों के वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक एवं लेखा अधिकारी तथा चारो रसायन निर्माता निर्माणियों में उपस्थित गुणता आश्वासन स्थापनाओं द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से लेखापरीक्षा के नियोजन व क्रियान्वयन में सहयोग मिला जिससे अनुशंसाएँ प्रस्तुत की जा सकीं जो बोर्ड व रक्षा मंत्रालय के स्तर पर प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगी।

इस प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप व पदों की सूची क्रमशः परिशिष्ट III व IV में दी गयी हैं।

7.3.2 मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: बोर्ड ने मांगकर्ताओं की आवश्यकता व निर्माणियों की क्षमता के आधार पर निर्माणियों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया तथा निर्माणियों द्वारा लक्ष्य समय पर पूर्ण किया गया।

7.3.2.1 ग्राहकों की आवश्यकता के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारण

वर्ष के आरंभ के पूर्व बोर्ड को स्थिर मांगपत्र की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर रासायनिक निर्माणियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिससे निर्माणियों को उत्पादन हेतु पर्याप्त समय मिल सके। वर्ष 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या पी ए 4 के अध्याय III के पैरा 3.7.1 पर तैयार कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) में मंत्रालय ने संसद को आश्वासन दिया था कि “विस्फोटक निर्माता निर्माणियों की उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारण हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर कार्य चल रहा है”। इस आश्वासन से, लेखापरीक्षा उद्देश्य के प्रति हमारी लेखापरीक्षा के मानदंड तय हुए।

गोलाबारूद मर्दों के लिए थल सेना प्रमुख मांगकर्ता है जिसके लिए रासायनिक ग्रुप की निर्माणियाँ प्रदायक का कार्य करती हैं। ‘पंचवर्षीय क्रमिक अधिप्राप्ति माँगपत्र’ (2009-10 से 2013-14) की अवधारणा जनवरी 2010 में प्रवर्तित हुई जिसमें थल सेना की बहुवर्षीय आवश्यकता¹¹⁴ को दिखाया गया। थल सेना ने इस तरह की बहुवर्षीय मांग केवल गोलाबारूद के मामले में ही प्रस्तुत की।

विगत वर्ष के नवंबर/दिसंबर में आयोजित वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठक के माध्यम से गृह मंत्रालय, जो कि अर्धसैनिक बलों के लिए गोलाबारूद एवं विस्फोटक की अधिप्राप्ति करता है, के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अप्रैल 2010 में बोर्ड द्वारा पहली बार क्रमिक योजना प्राप्त की गई किन्तु वह भी संभावित इच्छित मर्दों की ही सूची है। वायु सेना, जिसकी आवश्यकता उत्पादन श्रृंखला का बहुत लघु भाग¹¹⁵ है, अपनी आवश्यकता वार्षिक माँगपत्र के माध्यम से ही प्रदान करता है।

7.3.2.2 ग्राहकों की आवश्यकता में संशोधन: वार्षिक तथा बहुवर्षीय संभाव्य आवश्यकता/मांग

यह देखा गया कि थल सेना, जनवरी 2010 में प्रस्तुत क्रमिक माँगपत्र में दर्शाई गयी आवश्यकता पर केवल 2013-14 को छोड़कर पूरी तरह कायम रहा। परिणामस्वरूप, बोर्ड के पास 2011-12 से 2012-13 के वर्षों के लिए थल सेना की स्थिर मांग उपलब्ध थी। 2013-14 में थल सेना ने अपनी आवश्यकता, अधिकांशतः मांग को कम करने के लिए संशोधित किया। किन्तु बोर्ड द्वारा निर्माणियों को पहले से दिया गया लक्ष्य, थल सेना के संशोधन के बावजूद संशोधित नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति गृह मंत्रालय के साथ नहीं थी जिसने अपने अप्रैल 2010 के क्रमिक योजना के संदर्भ में वार्षिक आवश्यकता को कई बार संशोधित किया। परंतु संशोधित

¹¹⁴ इस योजना में छीजन उत्पत्ति के रुझान के आधार पर न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकता को दिखाया जाता है।

¹¹⁵ 2011-14 के दौरान रासायनिक निर्माणियों के कुल निर्गम मूल्य का तीन प्रतिशत।

वार्षिक आवश्यकता के बारे में बोर्ड को सूचित किया गया जिससे उत्पादन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी।

7.3.2.3 क्षमता के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारण

मांगकर्ताओं की मांग के अतिरिक्त, बोर्ड को लक्ष्य निर्धारित करते समय निर्माणियों में उपलब्ध क्षमता तथा उत्पादन में आने वाले व्यवधानों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।¹¹⁶ लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि निर्माणियों ने उत्पादन हेतु उत्पाद आधारित क्षमता का आकलन किया,¹¹⁷ यद्यपि इसे समय-समय पर बोर्ड को सूचित नहीं किया जा रहा था। प्रतिदर्श उत्पादों के संबंध में, तीन निर्माणियों में सूचित क्षमता के साथ, लक्ष्य के संबंध को तालिका 42 में दर्शाया गया है (कार्डाइट निर्माणी अरुवकाडु को छोड़कर जिसने उत्पादों के मध्य क्षमता का विभाजन नहीं किया था)।

तालिका 42: क्षमता के संबंध में लक्ष्य

वर्ष	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य					योग
	मामलों की संख्या ¹¹⁸					
	< 20	21-50	51- 80	81-100	>100	
2011-12	4	5	3	2	5	19
2012-13	4	4	3	2	6	19
2013-14	2	10	3	0	4	19
योग	10	19	9	4	15	57
मार्च तक 100 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होने के मामलों की संख्या	4	7	2	1	3	

(स्रोत: (i) ओ एफ आई, ओ एफ बी ए, तथा एच ई एफ के अभिलेखों में उपलब्ध संयंत्र क्षमता एवं (ii) मार्च का मासिक उपलब्धि प्रतिवेदन)

51 प्रतिशत मर्दों के लिए क्षमता के 50 प्रतिशत से कम लक्ष्य निर्धारित किया गया। तथापि लक्ष्य की प्राप्ति का इस बात से कोई संबंध नहीं था कि लक्ष्य क्षमता के अनुरूप थे। ऐसे मामलों में भी जहां लक्ष्य क्षमता से अधिक निर्धारित किए गए थे, इन लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि वैसी ही थी जैसी कि अन्य श्रेणियों में, जहां क्षमता से कम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे (तालिका 42)।

¹¹⁶बोर्ड के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम पुस्तक 2005 (एम एम पी एम) का पैरा 3.7.3

¹¹⁷ गोलाबारूद एवं विस्फोटक दोनों ग्रुप की निर्माणियों के लिए आवश्यकता (भविष्य) एवं उपलब्ध क्षमता के विश्लेषण हेतु श्री बी एन सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक गोलाबारूद निर्माणी किरकी, की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया (अप्रैल 2010)। दिसंबर 2010 में बोर्ड को प्रस्तुत प्रतिवेदन में कुछ उत्पादों के लिए क्षमता वृद्धि की सिफारिश की गयी। प्रतिवेदन पर कार्यान्वयन अभी शेष था।

¹¹⁸ एक मशीन एक से अधिक उत्पादों के लिए प्रयोग की जा सकती है इसलिए तालिका में मर्दों की संख्या न लेकर मामलों की संख्या को लिया गया है।

उत्तर में बोर्ड ने कहा कि संयंत्र की क्षमता एवं उत्पादन की क्षमता में 1:1 का अनुपात कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि कई प्रोपेलेंट का प्रक्रम एक ही होता है जिससे अनेक प्रकार के उत्पादों के निर्माण के लिए संशोधनों का एक ही सेट उपयोग किया जाता है। अतः एक मद के उत्पादन की क्षमता, उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती है।

बोर्ड का उत्तर, लक्ष्य एवं उपलब्ध क्षमता के मध्य तारतम्य न होने संबंधी लेखापरीक्षा की आपत्ति की, पुष्टि करता है। समापन बैठक (जून 2015) में, बोर्ड इस बात से सहमत था कि रासायनिक निर्माणियाँ संयंत्र एवं मशीनरी की उपलब्धता से सीमित नहीं थीं बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति, निर्माण हेतु सामग्री की समय से उपलब्धता पर अधिक निर्भर करती थी।

7.3.2.4 निर्माणियों को लक्ष्य के बारे में सूचना: वार्षिक लक्ष्य व संशोधन

बोर्ड के अधिप्राप्ति नियम पुस्तक के अनुलग्नक-1 व पैरा 5.5.2 के अनुसार, उत्पादन कार्यक्रम¹¹⁹ के छह माह पूर्व निर्माणियों को लक्ष्य की सूचना प्रदान करनी होती है। अन्य प्रचालन समूहों को मार्च के अंत तक अपना लक्ष्य पूरा करना होता है, इसके विपरीत रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों को प्रतिवर्ष जनवरी तक लक्ष्य पूर्ण करना होता है। यह, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि फिलिंग निर्माणियों को (जहां गोलाबारूद का संयोजन किया जाता है) थल सेना /अन्य मांगकर्ताओं की आवश्यकता को मार्च तक पूरा करने के लिए दो माह का समय मिल जाय।

बोर्ड ने पिछले वर्ष के जनवरी माह में निर्माणियों को वार्षिक लक्ष्य के बारे में सूचित किया; यद्यपि इन लक्ष्यों को उत्पादन वर्ष के दौरान संशोधित किया गया। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2011- मार्च 2012 का मूल लक्ष्य मई 2011 में संशोधित किया

¹¹⁹ बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त, रासायनिक ग्रुप की निर्माणियाँ गोलाबारूद फिलिंग निर्माणियों से अंतर निर्माणी मांग भी प्राप्त करती हैं। उच्च विस्फोटक निर्माणी, किरकी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उन्होंने फिलिंग निर्माणियों से द्विवर्षीय मांग प्राप्त की। यह देखा गया कि बोर्ड द्वारा दिया गया लक्ष्य, गोलाबारूद निर्माणियों द्वारा सूचित मांग से मेल नहीं खाता था। उच्च विस्फोटक निर्माणी, किरकी में टी एन टी का उत्पादन एक उदाहरण है। 2012-13 में निर्माणी ने बोर्ड को सूचित किया कि फिलिंग निर्माणियों के पास टी एन टी का पर्याप्त स्टॉक है और वे सामग्री ग्रहण नहीं कर रही हैं, जिसके कारण एच ई एफ में टी एन टी का भंडारण, मैगजीन भंडारण की विस्फोटक सीमा अर्थात् बोर्ड द्वारा दी गई सीमा से अधिक हो गया है। बोर्ड ने उत्तर में कहा कि समान्यतया, एच ई एफ को टी एन टी का लक्ष्य, मांगकर्ताओं द्वारा दिये गए गोलाबारूद के लक्ष्य के आधार पर आकलित किया जाता है, जो फिलिंग निर्माणियों के अगले वित्त वर्ष के अप्रैल माह में टी एन टी के उपलब्ध स्टॉक के बारे में सूचित करने के पश्चात पुनरीक्षित किया जाता है। अतः रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों के लक्ष्य निर्धारण के दौरान फिलिंग निर्माणियों के अंतिम स्टॉक की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण, गोला बारूद निर्माणियों से विचार-विमर्श करने के पश्चात किया जाना चाहिए।

गया। 2012-13 के दौरान, मई 2012 में संशोधन किया गया। 2013-14 में, बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों की तुलना में तीन माह पूर्व अर्थात् अक्टूबर 2012 में, लक्ष्य के बारे में सूचित किया गया, यद्यपि बाद में मई 2013 में लक्ष्य को संशोधित किया गया। चूंकि बोर्ड द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति में मांग की स्थिरता एक महत्वपूर्ण घटक है, वर्ष के मध्य में संशोधन से भंडार के प्रावधान में समस्या आती है जो अंततः उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालता है।

हर वर्ष प्रतिदर्श उत्पाद श्रृंखला के मामले में औसत रूप से 66 प्रतिशत संशोधन किए गए (तालिका 43)। 2011-12 से 2012-13 के दौरान, 62 मामलों (43 प्रतिशत) में लक्ष्य को बढ़ाया गया, 33 मामलों (23 प्रतिशत) में कम किया गया, जबकि शेष 50 मामलों (34 प्रतिशत) में यथा स्थिति कायम रही। लक्ष्य वृद्धि के 62 मामलों में से 44 मामलों में, निर्माणियाँ लक्षित मात्रा प्राप्त नहीं कर सकीं। 17 मामलों में, निर्माणियाँ मूल लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकीं (अनुलग्नक-XXVIII)। लक्ष्य में कमी के 23 मामलों में, निर्माणियों ने लक्ष्य पूरा किया किन्तु 12 अन्य ऐसे मामले आए जहां लक्ष्य में कमी के बावजूद निर्माणियाँ उन्हें पूरा नहीं कर सकीं।

तालिका 43: वर्ष के दौरान मूल एवं संशोधित लक्ष्य की तुलना

वर्ष	संशोधन की प्रकृति	ओ एफ बी ए	ओ एफ आई	एच ई एफ ¹²⁰	सी एफ ए	योग
2011-12	लक्ष्य में वृद्धि (संख्या)	14	7	3	8	32
	लक्ष्य में कमी (संख्या)	1	1	1	0	3
	यथास्थिति (संख्या)	4	4	4	1	13
	योग	19	12	8	9	48
2012-13	लक्ष्य में वृद्धि (संख्या)	0	4	3	5	12
	लक्ष्य में कमी (संख्या)	5	2	0	2	9
	यथास्थिति (संख्या)	14	7	5	2	28
	योग	19	13	8	9	49 ¹²¹
2013-14	लक्ष्य में वृद्धि (संख्या)	9	4	3	2	18
	लक्ष्य में कमी (संख्या)	7	5	3	6	21
	यथास्थिति (संख्या)	3	3	2	1	9
	योग	19	12	8	9	48

(स्रोत: 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा आयुध निर्माणियों को सूचित लक्ष्य से निष्कर्षित)

¹²⁰इसके अतिरिक्त, छह मद इनिशिएटर्स थे जिनके लिए लक्ष्य एच ई एफ ने, बोर्ड के बजाय गोलाबारूद निर्माणी किरकी से प्राप्त किया था। इन मदों को तालिका में शामिल नहीं किया गया है।


¹²¹ 2012-13 में ओ एफ इटारसी को एक अतिरिक्त मद का लक्ष्य दिया गया।

2011-12 से 2013-14 के दौरान, मूल लक्ष्यों में बदलाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे: (i) अप्रैल 2011 में सभी संबन्धित निर्माणियों से विस्फोटक एवं प्रोपेलेंट के वास्तविक स्टॉक की पुनरीक्षण; एवं (ii) 2013-14 के दौरान, फिलिंग निर्माणियों में संघटकों की सीमित उपलब्धता। 2012-13 के दौरान मूल लक्ष्य में संशोधन का कोई कारण नहीं बताया गया।

बोर्ड ने कहा कि, मांगकर्ताओं द्वारा संशोधन किए जाने के कारण ये बदलाव आवश्यक थे। परंतु यह तथ्य बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये कारण से मेल नहीं खाता। बोर्ड में संशोधन के मामले अत्यधिक थे। इस संशोधनों का थल सेना की आवश्यकता में हुए बदलाव से कोई संबंध नहीं था। बोर्ड में, वर्ष के दौरान, संशोधन कर लक्ष्य को बढ़ाने का कोई विशिष्ट आधार उपलब्ध नहीं था और कई मामलों में निर्माणियां वर्ष के लिए तय, मूल लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकीं। समापन बैठक के दौरान बोर्ड ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया कि वर्ष के मध्य में लक्ष्य में वृद्धि/ कमी करने से भंडार के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

7.3.2.5 लक्ष्य की प्राप्ति

2013-14 में, मार्च के अंत तक, 83 प्रतिशत उत्पादों के मामले में, 2011-12 के 48 प्रतिशत की तुलना में लक्ष्य का 80 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया था। समग्र रूप से, 2011-12 2013-14 के दौरान, 10 मद् लक्ष्य प्राप्ति दर के निचले आयाम से 60 प्रतिशत एवं अधिक का आयाम प्राप्त कर सके (चार्ट 20)। किन्तु रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों को



अपना उत्पादन लक्ष्य जनवरी तक पूरा करना होता है जिससे गोलाबारूद फिलिंग निर्माणियां मार्च तक अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। प्रतिवर्ष लक्ष्य की सूचना देते समय बोर्ड ने जनवरी की समय सीमा पर जोर दिया।

प्रभाव के आकलन के लिए, जनवरी व मार्च को अंतिम सीमा मानते हुए, कुछ मूल उत्पादों पर लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में निर्माणियों के निष्पादन की तुलना की गई, जिसके परिणाम तालिका 44 में दिये गए हैं। (आगे का विवरण अनुलग्नक XXVIII में दिया गया है)

तालिका 44: जनवरी व मार्च तक लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिशतता

मद	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत					
	2011-2012		2012-2013		2013-2014	
	जनवरी 2012	मार्च 2012	जनवरी 2013	मार्च 2013	जनवरी 2014	मार्च 2014
आयुध निर्माणी भंडारा						
एन जी बी 204	100	100	36	85	77	100
एन जी बी 221	53	60	51	59	95	100
एन जी बी 241	42	60	61	100	91	100
आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	17	24	33	47	57	100
आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 B	22	31	37	50	46	89
आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 88:12	41	54	40	51	71	91
आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 95:5	0	0	34	39	58	86
आयुध निर्माणी इटारसी						
पिनाका	74	94	47	71	46	78
बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	72	94	63	86	83	100
बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	58	80	51	74	69	100
उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी						
टी एन टी	69	92	45	66	96	100
कार्डाइट निर्माणी अरुंकाडु						
130 मि.मी. आर वी सी	61	100	69	100	74	83
105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	80	100	61	78	68	99

(स्रोत: निर्माणियों का जनवरी और मार्च का उपलब्धि प्रतिवेदन)

तालिका 44 दर्शाता है कि निर्माणियाँ प्रत्येक वर्ष जनवरी तक लक्ष्य पूरा करने में विफल रहीं। निर्माणियों ने लक्ष्य की पूर्ति में विफलता के लिए निम्नलिखित कारण भी बताए:

- जब नए उत्पाद का उत्पादन आरंभ होता है तो उसके विकास में समय लगता है। जैसे आकाश प्रोपेलेंट: आयुध निर्माणी इटारसी एवं 81 मि.मी. व 120 मि.मी. गोलाबारूद के लिए अगमेंटेड चार्जस: उच्च विस्फोटक निर्माणी, किरकी;
- महानिदेशक गुणता आश्वासन स्थापना (डी जी क्यू ए ई) के प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्येक निर्माणी में संलग्न, गुणता आश्वासन स्थापना द्वारा गुणवत्ता जांच में लगने वाला समय;

- प्रोपेलेंट के प्रूफ परीक्षण में विलंब।

अधिप्राप्ति एवं प्रूफ परीक्षण में लगने वाले अधिक समय के बारे में, आगे के पैराग्राफों 7.3.3, 7.3.4 व 7.3.5 में चर्चा की गई है। नए उत्पादों के उत्पादन में आने वाली बाधाओं के संबंध में, निर्माणियों को उत्पाद के थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व, प्रथम लाट के प्रूफ जांच में सफल हो जाने के पश्चात, लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं। अतः विकास में लगने वाले समय को एक घटक नहीं माना जा सकता।

7.3.2.6 उत्पादन में कमी का प्रभाव

कमी का, फिलिंग निर्माणियों के थल सेना के माँगपत्रों की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। कमी का, फिलिंग निर्माणियों को रसायनों के निर्गम में विलंब, के प्रभाव का सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है क्योंकि गोलाबारूद में कई संघटक होते हैं, प्रोपेलेंट जिसका एक भाग है, हालांकि महत्वपूर्ण भाग है। तथापि कुछ मर्दों पर फिलिंग निर्माणियों द्वारा इसका सीधा संबंध बताया गया। जैसे आयुध निर्माणी, चांदा व आयुध निर्माणी, बदमल में, ऐसे संदर्भ देखे गए जब निर्माणियों ने कार्डाइट निर्माणी अरुंकाडु को सूचित किया कि प्रोपेलेंट कि समय पर आपूर्ति न होने के कारण उत्पादन बंद हो गया है। रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों द्वारा, प्रतिवर्ष जनवरी तक आपूर्ति सुनिश्चित करने में अयोग्यता के कारण बोर्ड द्वारा गोलाबारूद के माँगपत्रों को पूरा करने की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ा¹²² (तालिका-45)।

तालिका 45: उत्पादन में चूक के कारण फिलिंग निर्माणियों पर पड़ने वाला प्रभाव

रासायनिक मद	वर्ष	निर्माणी	रासायनिक निर्माणी के उत्पादन में कमी	गोलाबारूद से संबंध	फिलिंग निर्माणी	गोलाबारूद के निर्गम में कमी
प्रोपेलेंट 40 मि.मी. पी एफ एफ सी	2012-13	ओ एफ भंडारा	73 प्रतिशत	कारतूस 40 मि.मी. पी एफ एफ सी	ओ एफ के	51 प्रतिशत
आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए & बी	2012-13	ओ एफ भंडारा	64 प्रतिशत	125 मि.मी. एच ई	ओ एफ बी एल	81 प्रतिशत
पिनाका प्रोपेलेंट	2012-13	ओ एफ इटारसी	53 प्रतिशत	पिनाका (पी एफ)	ओ एफ सी एच	57 प्रतिशत

(स्रोत : ओ एफ भंडारा, ओ एफ इटारसी, ओ एफ के, ओ एफ बी एल एवं ओ एफ सी एच का 2012-13 का उपलब्धि प्रतिवेदन)

¹²² 1:1 का अनुपात स्थापित करना कठिन है, क्योंकि गोलाबारूद में कई संघटक होते हैं, प्रोपेलेंट जिसका एक भाग है, हालांकि महत्वपूर्ण भाग है।


उत्तर में, बोर्ड ने कहा कि (जून 2015) निर्माणियों को लक्ष्य, अगले 12 महीनों की अवधि में पूरा करने के लिए दिया जाता है तथा प्रति वर्ष जनवरी में, आपूर्त करने के लिए प्रोपेलेंट की आपूर्ति 10 माह में पूरा करने हेतु दबाव बनाना संभव नहीं है। समापन बैठक के दौरान निर्माणियों ने यह बात स्वीकार किया कि यदि रासायनिक निर्माणियों के लिए, उत्पादन वर्ष जनवरी से दिसंबर माना जाय तो इस समस्या से बचा जा सकता है।

वर्तमान व्यवस्था से, फिलिंग निर्माणियों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए रासायनिक ग्रुप की निर्माणियों के लिए इसे बेहतर किया जाना चाहिए, जिससे कि वे जनवरी माह में समाप्त होने वाले 12 माह के उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर कार्य कर सकें। समापन बैठक के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित किया गया कि इन निर्माणियों को द्विवर्षीय लक्ष्य प्रदान किया जा सकता है। थल सेना द्वारा दीर्घ अवधि की आवश्यकता (2014-15 से 2018-19) प्रस्तुत किए जाने कि स्थिति में, कार्यक्रम में ऐसा बदलाव किया जा सकता है। बोर्ड ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया।

7.3.2.7 अंतिम तिमाही में उत्पादन का चरम

उत्पादन के रुझान को देखने पर जात हुआ कि निर्माणियों में केवल अंतिम तिमाही:

जनवरी-मार्च के दौरान उत्पादन चरम पर होता है। अतः जैसा कि आवश्यक है, निर्माणियाँ जनवरी तक लक्ष्य को पूरा करने में अक्षम हैं। चार्ट 21 में, 2013-14 के दौरान, आयुध निर्माणी इटारसी के रुझान को दर्शाया गया है।¹²³ रक्षा मंत्रालय ने देखा (जुलाई 2012) कि उत्पादन को अंतिम तिमाही तक विस्तारित करना ज़रूरी नहीं था। आगे, मंत्रालय ने निदेश दिया कि "उत्पादन का मूल्य जहाँ तक संभव हो, चारो तिमाहियों में बराबर होना चाहिए।"



बोर्ड ने अंतिम तिमाही में तैयार उत्पादों के अधिकतम निर्गम को स्वीकार किया, और कहा कि इस क्षेत्र में निष्पादन में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

¹²³ उत्पादन के रुझान को प्रदर्शित करने के लिए 2013-14 का चयन पूर्व प्रथा के अनुसार किया गया। 2011-12 से 2013-14 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आयुध निर्माणी इटारसी में यह उत्पादन का सबसे अच्छा वर्ष था।

7.3.2.8 उत्पादन आंकड़ों की विश्वसनीयता

रक्षा लेखापरीक्षा विभाग के नियमपुस्तक भाग VI (डी ए डी ओ एम) के पैरा 668 एवं 670 के अनुसार, जांच में स्वीकृत निर्मित मद, मांगकर्ताओं को उत्पादन निर्गम वाउचर के माध्यम से निर्गमित किए जाते हैं तथा निर्गम का कुल मूल्य संबन्धित सेवा शीर्ष¹²⁴ के नामे किया जाता है।

तथापि, यह देखा गया कि निर्माणियों ने 'अग्रिम निर्गम वाउचर' तैयार किया जिसमें उन्होंने बिना वास्तविक निर्गम के थल सेना से भुगतान के लिए मांग प्रस्तुत की। लेखागत अनियमितताओं¹²⁵ व उत्पादन आंकड़ों में हेर-फेर को ध्यान में रखते हुए, महानियंत्रक रक्षा लेखा (सी जी डी ए), नई दिल्ली ने सभी नियंत्रक वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ)¹²⁶ को अक्टूबर 2007 में अनुदेश दिया कि वे बिना प्रेषण विवरण के अग्रिम निर्गम वाउचर को स्वीकार न करें।

हमने 2013 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 6.1.4.1 में, इस विषय पर टिप्पणी की है। मंत्रालय ने, अपनी कार्रवाई टिप्पणी में (मार्च 2015) कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियोजन, उत्पादन एवं निर्गम पर सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके बावजूद, यह देखा गया कि चयनित मदों के लिए, चार में से तीन निर्माणियों में यह व्यवस्था अब भी विद्यमान थी। 2011-14 के दौरान ₹141 करोड़ के अग्रिम वाउचर तैयार किए गए, जो कि कुल निर्गम का औसतन 8 प्रतिशत था (तालिका 46)।

तालिका 46: निर्माणी-वार अग्रिम वाउचरों का मूल्य

निर्माणी	अग्रिम वाउचरों का मूल्य (₹ करोड़ में)			
	2011-12	2012-13	2013-14	योग
ओ एफ आई	3.3	12.6	59.9	75.8
ओ एफ बी ए	17.7	19.4	15.4	52.5
एच ई एफ	4.1	2.6	5.8	12.5
योग	25.1	34.6	81.1	140.8
निर्गम का कुल मूल्य	573.7	531.0	621.3	1726.1
कुल निर्गम पर अग्रिम वाउचरों का प्रतिशत	4.4	6.5	13.1	8.2

(स्रोत: ओ एफ आई, ओ एफ बी ए एवं एच ई एफ के निर्गम वाउचर)

¹²⁴ बोर्ड अपने सारे राजस्व व्यय को लेखा शीर्ष 2079 के नामे करता है। रक्षा स्थापना को निर्गम के समय लेखे में (-) डेबिट होता है और साथ ही सेवा शीर्ष 2076 के नामे किया जाता है।

¹²⁵ लेखे में छद्म लाभ का दर्ज होना, उत्पादन लागत एवं जारी कार्य के आंकड़ों में हेर-फेर, निर्गम का मूल्य एवं निर्माण शीर्ष के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय के मध्य असमानता आदि।

¹²⁶ नियंत्रक, वित्त एवं लेखा (निर्माणियाँ), क्षेत्रीय आधार पर एक समूह की निर्माणियों के लिए पी सी ए (निर्माणियाँ) के अंतर्गत कार्य करता है।

2013-14 में, आयुध निर्माणी इटारसी में, अग्रिम वाउचर तैयार करने के मामले सर्वाधिक थे जो 2012-13 के स्तर से लगभग 4.8 गुना थे। 2011-14 के दौरान, इस निर्माणी का रुझान, तालिका-47 में दिखाया गया है। निर्माणी ने 2013-14 में, उत्पादन में काफी सुधार किया किन्तु उपलब्धियों के 25 प्रतिशत से अधिक भाग के आंकड़ों में स्फीति दृश्य है, जैसा कि तालिका-47 में दिखाया गया है।

तालिका-47 : कुल निर्गम के प्रतिशत के रूप में अवधि पश्चात उत्पादित मदों का विवरण

वर्ष	अग्रिम वाउचरों का मूल्य	कुल निर्गम	कुल निर्गम के प्रतिशत के रूप में अग्रिम वाउचर
2011-12	3.3	234.1	1.4
2012-13	12.6	226.4	5.6
2013-14	60	235.0	25.5

बोर्ड ने कहा कि यह परिवहन में विलंब व विभिन्न स्तरों पर दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया। इसीलिए निर्गम वाउचर, संभावित विलंब को दृष्टिगत रखते हुए प्रक्रमित किए गए। तथापि, अग्रिम वाउचर के निर्गम की व्यवस्था के साथ संलग्न जोखिम को देखते हुए यह ज़ोर दिया जाता है कि ऊपर दिये गए सी जी डी ए के अनुदेशों का पालन किया जाए।

7.3.2.9 लक्ष्य की प्राप्ति पर आंतरिक नियंत्रण

निर्माणी का नियोजन अनुभाग उत्पादन कार्यक्रम तैयार करता है तथा उसे उत्पादन की प्रक्रिया का अनुश्रवण करना होता है। अनुभाग, दैनिक आधार पर उत्पादों के निर्गम के आंकड़े एकत्रित करता है तथा उसके आधार पर, निर्माणी, बोर्ड को मासिक निष्पादन प्रतिवेदन भेजती है। निर्माणी में, मासिक उत्पादन पुनरीक्षण बैठक, नियंत्रण का एक और माध्यम है। इस बैठक में महाप्रबंधक, उत्पादन कारखानों के प्रमुख तथा नियोजन अनुभाग के प्रमुख शामिल होते हैं।

बोर्ड के, प्रक्रिया नियम पुस्तक के पैरा 4032 में उल्लेख है कि, निर्माणियों को उत्पादन एवं मांगकर्ताओं को निर्गम में, विलंब के कारण एवं उसके निदान के लिए की गई कार्रवाई के बारे में बोर्ड को सूचित करते रहना चाहिए। हमने पाया, कि बैठकें आयोजित होती हैं व मासिक प्रतिवेदन भी तैयार किए व भेजे जाते हैं, किन्तु निर्माणियाँ बोर्ड को उत्पादन में आने वाली बाधाओं से अवगत नहीं करातीं, बल्कि उसके स्थान पर मात्र, उत्पादन की स्थिति एवं मदों के निर्गम की स्थिति संबंधी आंकड़े प्रेषित कर दिये जाते हैं।

मंत्रालय के, फरवरी 1979 के आदेश के अनुसार, बोर्ड स्तर पर, मासिक बोर्ड बैठक के माध्यम से तथा संबन्धित प्रचालन समूह के माध्यम से, बोर्ड, समग्र रूप से नियोजन, अनुश्रवण एवं उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड के, प्रक्रिया नियम पुस्तक के पैरा 4039 में यह भी उल्लेख है कि, बोर्ड को, सभी मामलों में, जहां प्रदाय कार्यक्रम का अनुपालन नहीं हो रहा है, अथवा उसकी संभावना नहीं है, के प्रति उपयुक्त कार्रवाई की गयी है, यह सुनिश्चित करने के लिए, निर्माणियों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जांच करना आवश्यक है। फिर भी, लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि, बोर्ड ने एक निश्चित प्रारूप के अनुसार, मासिक उत्पादन रिपोर्ट के आधार पर, निर्माणियों के महाप्रबंधकों को सामान्य रूप से मासिक पत्र भेजे, जिसमें उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं थे। पत्र की आवधिकता इसे निष्प्रभावी सिद्ध कर सकती है, जब तक इसमें निर्माणियों के अनुरूप कुछ विशिष्ट अनुदेश समाविष्ट नहीं होंगे। वर्तमान रूप में इसके साथ, नित्यक्रम प्रकृति की रिपोर्ट होने का जोखिम है जिससे कमजोर आंतरिक नियंत्रण की स्थिति निर्मित होगी। यहाँ तक कि, बोर्ड की तिमाही बैठक के कार्यवृत्त में भी, अवरुद्ध उत्पादन पर किसी चर्चा का संकेत नहीं मिलता है। अग्रिम निर्गम वाउचरों की व्यवस्था का जारी रहना भी, बोर्ड के स्तर पर, निर्माणियों के उत्पादन निष्पादन के अपर्याप्त अनुश्रवण की ओर इंगित करता है।

निष्कर्ष

थल सेना की क्रमिक पंचवर्षीय आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाले माँगपत्र से बोर्ड को नियोजन में सहूलियत हुई। आवश्यकता में बदलाव, मुख्यतः कमी होने से रासायनिक निर्माणियों को बोर्ड द्वारा पहले से प्रदत्त उत्पादन लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश उत्पादों के संबंध में, बोर्ड द्वारा निर्माणियों को दिये गए वार्षिक लक्ष्य में वर्ष के दौरान वृद्धि करने से, कई मामलों में लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माणियाँ, मूल लक्ष्य को ही हासिल करने में सक्षम नहीं थी।

रासायनिक गुप की निर्माणियों को, प्रतिवर्ष जनवरी तक अपना लक्ष्य पूरा करना होता है किन्तु निर्माणियाँ इस व्यवस्था का पालन करने में विफल रहीं जिसके कारण गोलाबारूद फिलिंग निर्माणियों का उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। वास्तविक भौतिक निर्गम के बिना अग्रिम वाउचर तैयार करने की प्रथा तीन निर्माणियों में जारी रही। लक्ष्य के प्रति उत्पादन का अनुश्रवण करने के संबंध में बोर्ड में आंतरिक नियंत्रण, एक नित्यक्रम हो गया, जिससे उसका प्रभाव कम हुआ।

संस्तुति 1: बोर्ड को प्रतिवर्ष मई/जून में, लक्ष्य में संशोधन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा इसके स्थान पर एक उपयुक्त लक्ष्य प्रदान करने की प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए, इस प्रकार निर्माणियों द्वारा लक्ष्य पूर्ण करने की संभावना अधिक होगी।

संस्तुति 2: निर्माणियों द्वारा भेजे जाने वाली मासिक प्रतिवेदन, अलग तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसमें उत्पादन में आने वाली बाधाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। महानिदेशक, आयुध निर्माणियाँ द्वारा महाप्रबंधकों को भेजे जाने वाले पत्र की अवधिकता पर पुनर्विचार होना चाहिए तथा इसे निर्माणियों द्वारा सूचित विशिष्ट व्यवधानों पर केन्द्रित करके और भी प्रभावी किया जाना चाहिए।

7.3.3 उत्पादन के लिए संसाधनों का व्यवस्थापन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: निर्माणियाँ उत्पादन योजना पर क्रियान्वयन के लिए अपने संसाधनों का व्यवस्थापन करने में सक्षम थीं।

7.3.3.1 सामान्य

बोर्ड से लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात, प्रत्येक निर्माणी उत्पादन योजना तैयार करती है। यह महत्वपूर्ण है कि विहित गुणवत्ता के भंडार, समय पर अधिप्राप्त किए जाएँ तथा श्रम व मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

7.3.3.2 भंडार की समय से अधिप्राप्ति

भंडार की अधिप्राप्ति के लिए, समय सीमा संबंधी दिशानिर्देश एवं अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का फ़्लो चार्ट शस्त्र निर्माता निर्माणियों के समूह के समान ही है, जैसा कि पैरा 7.2.3.1 एवं 7.2.3.2 में उल्लेख किया गया है।

हमने 2011-12 से 2013-14 के दौरान, उपर्युक्त मानदंडों के प्रति, चयनित निर्माणियों द्वारा अधिप्राप्ति में समयबद्धता की जांच की। जांच के परिणाम निम्नवत हैं:

निविदा सूचना जारी करना

- केवल 14 प्रतिशत मामलों में ही एक महीने के अंदर निविदा पूछताछ जारी की गई थी। 42 प्रतिशत मामलों में 1-2 महीने, 21 प्रतिशत के संबंध में 1-2 महीने और 566 मामलों में छह महीने से अधिक समय लिया गया, जो ऐसे मामलों का 13 प्रतिशत बनता था। **अनुलग्नक-XXIX** इसका ब्योरा दिया गया है।

आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करना

- कुल प्रकरणों के 35 प्रतिशत के मामले में, निर्माणियों ने 26 सप्ताह (182 दिन) से अधिक का समय लगाया। 2011-14 के दौरान, 65 प्रतिशत प्रकरणों के मामले में 180 दिन से कम का समय; 20 प्रतिशत प्रकरणों के मामले में

181-240 दिन तथा 15 प्रतिशत प्रकरणों के मामले में 241 दिन से अधिक का समय लगा। विवरण **अनुलग्नक-XXX** में दिया गया है। 2013-14 में, आयुध निर्माणी भंडारा में, 55 प्रतिशत मामलों में, आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में छह माह से अधिक का समय लगा।

निर्माणियों ने कहा कि विलंब, प्रक्रियात्मक अवश्यकताओं के कारण हुआ, जिनमें काफी समय लगता है तथा यह विशेषकर उन्ही मामलों में हुआ, जिनमें निविदा के प्रति, प्रतिभागियों की संख्या कम थी, अथवा जहां फ़र्मों के साथ वार्ता करने व संस्वीकृति प्राप्त करने में देरी हुई।

विलंब के कारण उत्पादन कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए बोर्ड को प्राधिकृत प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने पर जोर देना चाहिये। विलंब के कारणों की पहचान हेतु प्रक्रियाओं की पुनरीक्षण की जानी चाहिये।

इनपुट सामग्री की जांच

- निर्माणियों ने, 87 प्रतिशत प्रकरणों में, 15 दिन की सीमा के अनुपालन के बारे में सूचित किया (**अनुलग्नक-XXXI**)। अन्य 10 प्रतिशत मामलों में, 16-30 दिन अर्थात् एक माह से कम का समय लगा, परंतु एक प्रतिशत प्रकरणों में, भंडार के स्वीकृत होने में दो माह से अधिक का समय लगा।

लेखापरीक्षा के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि दो तिहाई अधिप्राप्ति में, आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने की प्रक्रियाएं पूर्ण करने में औसत रूप से लगभग 6.5 माह का समय लगा। मद की वास्तविक प्राप्ति, प्रदाय कार्यक्रम पर निर्भर करता है, जो मद की प्रकृति तथा आपूर्ति आदेश की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होता है।

7.3.3.3 श्रमशक्ति का उपयोग



निर्माणियों में उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति एवं मशीनरी का अधिकतम व प्रभावी उपयोग आवश्यक है जिससे उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा कम लागत पर मांगकर्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद समय से प्रदत्त किए जा सकें। प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारी¹²⁷ (आई ई) प्रत्येक उत्पादनशाला में, कार्यभार के आधार पर उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं। प्रत्येक माह के लिए मानक श्रम घंटों की गणना, माह में 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 25 दिन तक उत्पादन कार्य में संलग्न औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, की जाती है। आउटपुट एस एम एच, माह के दौरान प्रत्येक मद की कुल मात्रा तथा श्रम अनुमान के अनुसार सभी मदों के लिए आवश्यक एस एम एच के आधार पर निश्चित किया जाता है।

¹²⁷ मशीनों व सामग्री के साथ उत्पादन कार्य में संलग्न प्रत्यक्ष श्रम

उजरती कामगारों को, उनके इनपुट एस एम एच की तुलना में वास्तविक आउटपुट एस एम एच के अनुसार, प्रोत्साहन के रूप में उजरती कार्य लाभ प्रदान किया जाता है। उजरती कार्य लाभ की गणना,¹²⁸ इनपुट एस एम एच पर, आउटपुट एस एम एच के आधिक्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध एस एम एच एवं आउटपुट एस एम एच के संबंध में दिये गए आंकड़ों के आधार पर हमने यह पड़ताल की, कि चयनित निर्माणियों में 2013-14 की प्रतिदर्श अवधि के लिए उत्पादन कार्यों हेतु निर्माणियों द्वारा प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को कितने प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया गया। तदनुसार, प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता के आकलन के लिए, बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले निम्नलिखित दो मानकों के प्रति, हमने निर्माणी-वार एवं माह-वार, वास्तविक आउटपुट एस एम एच की रूपरेखा तैयार की (चार्ट 22 से 23 एवं अनुलग्नक XXXII)।

- 10 प्रतिशत अनुपस्थिति के साथ उपलब्ध श्रम घंटे
- 10 प्रतिशत अनुपस्थिति एवं 50 प्रतिशत उजरती कार्य लाभ के साथ उपलब्ध श्रम घंटे



हमने पाया कि ओ एफ बी ए के अतिरिक्त सभी चार निर्माणियों ने, कुछ सीमा तक, औद्योगिक कर्मचारियों की उच्च उत्पादकता दर्शायी। यह सभी महीनों में 100 प्रतिशत से अधिक रहा (ओ एफ आई में दो महीनों को छोड़कर) जबकि एच ई एफ ने, मार्च 2014 में 200 प्रतिशत दक्षता दर्शायी। रुझान निम्नवत थे:

¹²⁸ उजरती कार्य लाभ प्रतिशतता = {(आउटपुट एस एम एच - इनपुट एस एम एच / इनपुट एस एम एच} * 100

तालिका 48: 2013-14 में प्रत्यक्ष श्रम की उत्पादकता

2013-14 में निष्पादन	एच ई एफ	सी एफ ए	ओ एफ आई	ओ एफ बी ए
महीनों की संख्या जब उत्पादकता 150 प्रतिशत या अधिक थी	6	7	3	1
उत्पादों की प्रतिशतता जब मार्च तक उत्पादन लक्ष्य का 100 प्रतिशत	88	78	70	42
लक्ष्य का 99-60 प्रतिशत	12	22	20	42
लक्ष्य के 60 प्रतिशत से कम	-	-	10	16
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	161	158	253	257
प्रत्यक्ष कामगारों की संख्या	345	980	648	871

(स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए निर्माणियों का उजरती कार्य लाभ विवरण, वार्षिक उत्पादन लेखा तथा प्रत्यक्ष श्रम विवरण)

उत्पादन की न्यूनतम मात्रा के साथ, दो निर्माणियों एच ई एफ एवं सी एफ ए ने, लक्ष्य के सातवें-आठवें और तीन चौथाई भाग में, 100 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, अर्धवर्ष में 150 प्रतिशत व अधिक तथा शेष अर्धवर्ष के दौरान 100-150 प्रतिशत उत्पादकता दिखाई। इसका तात्पर्य यह है, कि प्रत्येक कामगार के अपनी क्षमता के 1.5 गुनी क्षमता से उत्पादकता करने के बाद भी, निर्माणी अपने 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। चार निर्माणियों में से इन दो निर्माणियों का उत्पादन न्यूनतम था।

उत्पादन लागत, प्रत्यक्ष श्रम की संख्या एवं दिखाई गयी दक्षता में समन्वय न के बराबर था। उत्पादन लक्ष्य का 78 प्रतिशत भाग पूरा करने के लिए, चार निर्माणियों में अधिकतम श्रम शक्ति के साथ, (लगभग उसी उत्पादन मूल्य के साथ एच ई एफ का 2.8 गुना) वर्ष के सात महीनों के लिए, सी एफ ए ने 150 प्रतिशत उत्पादकता दिखाई। उत्तरवर्ती विश्लेषण (पैराग्राफ 7.3.3.4) में ज्ञात हुआ कि 2013-14 में यह उपलब्धि, मशीनों के 60 प्रतिशत उपयोग के साथ थी, इस कारण सी एफ ए ने 2011-13 में मशीनों के 100 प्रतिशत उपयोग से 40 प्रतिशत कम उपयोग प्रदर्शित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पादन में श्रम अनुमान वास्तविक¹²⁹ नहीं थे जिसके कारण, अधिक उजरती कार्य लाभ भुगतान की स्थिति निर्मित हुई।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि, निर्माणी में पूर्व प्रचलित समयोपरि व्यवस्था पर निर्भरता के कारण एस एम एच में भिन्नता हुई, जिस पर क्रमिक रूप से, निर्माणी के वर्ष विशेष

¹²⁹उदाहरण के लिए, यदि 150 यूनिट के लिए वास्तव में 100 घंटे आवश्यक हैं तथा अनुमान, 150 यूनिट के लिए 200 घंटे तक स्फीतित हो जाता है। जब 150 यूनिट का वास्तविक उत्पादन 100 घंटे में पूरा हो जाता है तो शेष 100 घंटे (200-100) की गणना उजरती कार्य लाभ के रूप में की जाती है।


के लक्ष्य के आधार पर, निर्णय लिया गया तथा वह ऊपर दिखाये गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता था। तथापि, बोर्ड ने अपने तर्क के समर्थन में, उपर्युक्त दृष्टान्तों से संबन्धित विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

7.3.3.4 मशीनों का उपयोग

2008 के प्रतिवेदन संख्या पी ए 4 के अध्याय III में, संयंत्र व मशीनरी के अल्प-उपयोग से संबन्धित लेखापरीक्षा पैराग्राफ 3.7.8.1 के उत्तर में, रक्षा मंत्रालय ने, अपनी कार्रवाई टिप्पणी में संसद को आश्वस्त किया था कि, गोलाबारूद के लिए योजनागत माँगपत्र से दीर्घकालिक नियोजन में सुविधा के कारण संयंत्र व मशीनरी के उचित एवं अधिकतम उपयोग में सहायता मिलेगी।

मंत्रालय के, फरवरी 1979 के आदेश के अनुसार, आयुध निर्माणियों को अपनी स्थापित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत, उपयोग करना आवश्यक है। तथापि, बोर्ड ने मंत्रालय की स्वीकृति के बिना, संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति के नियम पुस्तक को संशोधित कर दिया (अगस्त 2013)। नियम पुस्तक के पैराग्राफ 3.2 में, मशीन व श्रमशक्ति दोनों की 80 प्रतिशत दक्षता अर्थात्, समग्र रूप से 64 प्रतिशत दक्षता¹³⁰ के आधार पर क्षमता के आकलन के संबंध में उल्लेख है।

2011-12 से 2013-14 के दौरान, चार रसायन निर्माता निर्माणियों में कुल मशीन घंटों की उपलब्धता के प्रति उनके उपयोग का विवरण चार्ट -24 में दिया गया है। सभी चार निर्माणियों में, 2011-12 से 2012-13, दो वर्षों के दौरान मशीन घंटों का उपयोग स्थिर रहा जो 2013-14 में कम हो गया। एच ई एफ एवं सी एफ ए ने 2011-12 से 2012-13 में क्रमशः 102 व 104 प्रतिशत उपयोग दिखाया व 2013-14 में क्रमशः 59 से 62 प्रतिशत, जबकि ओ एफ भंडारा में यह 2011-13 के 94 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 66 प्रतिशत हो गया। ओ एफ इटारसी में मशीन घंटों का उपयोग 63-70 प्रतिशत के आयाम में लगभग स्थिर रहा।



¹³⁰ श्रमशक्ति व मशीन, दोनों के लिए, 80 प्रतिशत दक्षता पर 64 प्रतिशत आकलित किया जाता है=
80%*80%=64 प्रतिशत

निष्कर्ष

एक तिहाई अधिप्राप्ति के मामलों में, निर्माणियाँ आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समय सीमा का पालन करने में विफल रहीं। आगे, यदि भंडार के प्रदाय में लगने वाले समय को विभाजित किया जाय, तो उत्पादन वर्ष का अधिकांश भाग अधिप्राप्ति में ही लग गया। अधिप्राप्ति में विलंब के कारण, निर्माणियाँ उत्पादन का एक समान प्रवाह कायम नहीं रख सकीं और वर्षान्त में उत्पादन चरम पर देखा गया। निर्माणियाँ द्वारा दर्शाई गयी श्रम उत्पादकता उच्च रही तथा लक्ष्य के प्रति निष्पादन से उसका कोई संबंध नहीं था।

7.3.4 गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणता आश्वासन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से मांगकर्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के विस्फोटक/प्रोपेलेंट समय से निर्गमित किए जा सकें।

7.3.4.1 गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणता आश्वासन

विस्फोटक/प्रोपेलेंट की गुणवत्ता अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वांछित लक्ष्य पर वार करते समय यह गोलाबारूद की प्रभावात्मकता सुनिश्चित करता है। निर्माणी का बहुस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तथा महानिदेशक गुणता आश्वासन (डी जी क्यू ए) द्वारा गुणवत्ता आश्वासन की प्रणाली, शस्त्र समूह की निर्माणियों के समान ही है जैसा कि पैरा 7.2.4.1 में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा के दौरान, दो निर्माणियों (एच ई एफ व ओ एफ बी ए) में, दो प्रतिदर्श मर्दों (टी एन टी एवं एन सी-1066) के संबंध में, चयनित तीन माह की अवधि के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की जांच की गयी तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) में प्राधिकृत प्रक्रिया से कोई विचलन नहीं पाया गया।

7.3.4.2 क्यू सी एवं क्यू ए के मध्य समन्वय

दोषमुक्त उत्पादों के निर्माण एवं मांगकर्ताओं को उनका निर्गम सुनिश्चित करने के लिए निर्माणी व एस क्यू ए स्थापनाओं के मध्य समन्वय आवश्यक है। हमने पाया कि आयुध निर्माणी भंडारा ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 14 माह तक, एस क्यू ए ई के साथ कोई मासिक बैठक नहीं की जो कि नियमों के अनुसार आवश्यक है। हमने आगे देखा कि, 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुध निर्माणी भंडारा द्वारा ₹ 12.70 करोड़ मूल्य के प्रोपेलेंट, डी जी क्यू ए द्वारा क्लाइमेटिक हट परीक्षण (अनुलग्नक-XXXIII) में अस्वीकृत कर दिये गए। निर्माणी प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि क्लाइमेटिक हट परीक्षण के बारे में डी जी क्यू ए द्वारा उनसे संपर्क किए बिना एकपक्षीय निर्णय लिया गया। निर्माणी ने आगे कहा कि अस्वीकृत

लाटों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इससे, प्रूफ जांच के मानकों के बारे में डी जी क्यू ए एवं निर्माणी के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान व समन्वय की कमी के विषय में पता चलता है।

बोर्ड ने कहा (जून 2015) कि निर्माणी के पास उपलब्ध अभिलेखों से पता चलता है कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेटिक हट परीक्षण के लिए सी क्यू ए द्वारा ज़ोर दिया गया न कि स्थानीय एस क्यू ए ई द्वारा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। आगे, सील्ड विवरण धारक प्राधिकारी (ए एच एस पी) होने के कारण, प्रूफ के दौरान होने वाले परीक्षणों के विषय में, सी क्यू ए का निर्णय अंतिम होता है।

7.3.4.3 गुणवत्ता जांच में लगने वाला समय

बोर्ड ने, निर्माणी द्वारा गुणवत्ता जांच हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। गुणवत्ता नियंत्रण पर निर्माणी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि निर्माणी में गुणवत्ता जाँचों में औसत रूप से 15-30 दिन का समय लगा।

एस क्यू ए ई द्वारा स्वीकृति के लिए 15-30 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। हमने एस क्यू ए ई के स्तर पर विलंब के अनोखे दृष्टांत देखे, जिसमें 45 दिनों से अधिक का समय लगा: एस क्यू ए ई द्वारा, ओ एफ भंडारा में 2013-14 में निर्मित हेक्सोलाइट-बी के चार लाटों की स्वीकृति में, 61-90 दिन का समय लगाया गया।

बोर्ड ने कहा कि गुणवत्ता संबंधी कार्य एक ही एजेंसी को प्रदान करने से विलंब को कम करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था में, कई एजेंसियों के एकल प्रशासनिक नियंत्रण में न होने के कारण उत्तरदायित्व विस्तारित हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि अनेक यूनिटों में एस क्यू ए ई भी कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं जो कई अवसरों पर विलंब का कारण बनता है।

हमने प्रूफ स्थापना में अत्यधिक विलंब के मामले भी देखे। 2011-14 में, ओ एफ भंडारा में, चुने हुए प्रोपेलेंट के संबंध में, विलंब के प्रकरण **अनुलग्नक-XXXIV** में दिये गए हैं। निर्माणी द्वारा उत्पादित एन जी बी 204 के 54 प्रतिशत लाटों के प्रूफ परीक्षण में 60 दिन से अधिक का समय लगा।

गुणवत्ता जांच को समय से पूरा करने के लिए, दिसंबर 2008 में आयुध निर्माणियों के लिए, ₹85 करोड़ की लागत से, बेतूल में एक स्वतंत्र प्रूफ रेंज की स्थापना की परियोजना स्वीकृत की गयी। एक बार इसके स्थापित हो जाने के पश्चात, प्रूफ

स्थापना में विलंब को स्वीकार्य सीमा तक लाया जा सकता है। किन्तु बेतूल में भूमि की अनुपलब्धता के कारण, स्वतंत्र प्रूफ रेंज अब तक स्थापित नहीं किया जा सका।

समापन बैठक में, बोर्ड ने कहा कि, निर्माणियों को, गतिज परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र प्रूफ स्थापना की आवश्यकता है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता विचारणीय है। उन्होंने आगे कहा कि, विद्यमान प्रूफ रेंजों (पी एक्स इ बालासोर व सी पी इ इटारसी) से गुणवत्ता जांच को समय से पूरा करने के लिए किसी एक प्रूफ रेंज पर बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए या कम से कम उसका महत्वपूर्ण साझीदार होना चाहिए। तथापि, इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

7.3.4.4 अस्वीकृति

हमने देखा कि एच ई एफ में, 2011-12 2013-14 के दौरान, कोई अस्वीकृति नहीं हुई, जबकि सी एफ ए में, अस्वीकृति के मामले, विचलन सीमा के अंतर्गत थे। ओ एफ आई (अनुलग्नक-XXXV) में, 2012-13 में, अस्वीकृति के छह मामले प्रकाश में आए, जिनमें से एक, 105 मि.मी. आई एफ जी एन सी (फील्ड गन में प्रयुक्त नाइट्रो-सेलुलोस पर आधारित एकल बेस्ड प्रोपेलेंट) से संबन्धित था, जो काफी महत्वपूर्ण था तथा वर्ष के दौरान उत्पादित प्रोपेलेंट का 40 प्रतिशत था। इन दृष्टांतों का विवरण अनुलग्नक-XXXV में दिया गया है। पिनाका प्रोपेलेंट को छोड़कर, ये मद, लंबे समय से, निर्माणी के उत्पाद सूची का हिस्सा रहे हैं (आठ नए उत्पाद नहीं हैं) तथा वे थल सेना की अधिक मांग वाले गोलाबारूद में प्रयुक्त होते हैं। अस्वीकृतियों व दुर्घटनाओं (पैराग्राफ 7.6.3) के संदर्भ में ओ एफ आई का खराब निष्पादन श्रम की अकुशलता की ओर इंगित करता है जिस पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

बोर्ड ने समापन बैठक (जून 2015) में कहा कि जो उत्पाद ओ एफ आई में अस्वीकृत हुए थे, वे अंततः दोबारा प्रक्रमित किए गए, जांच में स्वीकृत हुए तथा एस क्यू ए ई द्वारा गुणता आश्वासन जांच में स्वीकृति के पश्चात मांगकर्ताओं को निर्गमित किए गए। फिर भी, अस्वीकृति से, उत्पादों के निर्गम कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा श्रमशक्ति का अधिक उपयोग होता है, जिसे वर्तमान उत्पादन में लाभकर तरीके से प्रयुक्त किया जा सकता था।

निष्कर्ष

गुणवत्ता नियंत्रण में अस्वीकृतियाँ हुईं तथा प्रूफ स्थापना में असामान्य विलंब हुआ जिसके कारण लक्ष्य के प्रति उपलब्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

निर्माणियों के लिए स्वतंत्र प्रूफ रेंज की अनुपलब्धता के कारण गतिज प्रूफ के सम्पादन में विलंब हुआ; दिसंबर 2008 में स्वीकृत एक परियोजना को परित्यक्त कर दिया गया तथा उसका कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

संस्तुति 3: आयुध निर्माणियों के लिए एक स्वतंत्र प्रूफ रेंज की स्थापना की परियोजना, पूर्णता की निश्चित तारीख के साथ, शीघ्र कार्यान्वित की जानी चाहिए तथा अन्य विद्यमान रेंजों में बोर्ड को बेहतर साझीदार की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए।

7.3.5 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: निर्माणियों ने कोष के उपयोग तथा उत्पादन में लागत नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रयास किए।

2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या पी ए 4 के अध्याय III के पैराग्राफ 3.7.1 पर कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) में, मंत्रालय ने संसद को आश्वस्त किया था कि, “निर्माणियों को, मूल्य निर्धारण के दौरान तय किए गए समग्र उपरिव्यय का परिपालन करने तथा आगे, उसे कम करने की सलाह दी गयी है। रासायनिक गुप की निर्माणियों में मूल्य स्तर इस प्रकार रखने का प्रयास किया जाएगा कि लागत की वसूली वर्ष के दौरान हो सके।” इस आश्वासन को मानदंड के रूप में लेते हुए, इस लेखापरीक्षा उद्देश्य पर विश्लेषण किया गया।

7.3.5.1 बजट कोष का उपयोग

लेखे, प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) कोलकाता द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक निर्माणी में स्थित लेखा कार्यालय (एल ए ओ) मासिक लेखे का संकलन करता है, जो सीधे प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) के पास समेकित किए जाने के लिए प्रेषित कर दिये जाते हैं। इन लेखाओं को, भारत की समेकित निधि से आवंटित बजट के उपयोग पर, विनियोजन लेखे में समन्वित किया जाता है।

बोर्ड, अपने सतत व्यय अर्थात्, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए बजट अनुदान प्राप्त करता है। रक्षा स्थापनाओं¹³¹ को उत्पादों के विक्रय सहित सभी प्राप्तियों को क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाता है। बोर्ड को, मांगकर्ताओं को उत्पादों के विक्रय से अपनी लागत वसूल करने का अधिकार है। 2013-14 को छोड़कर, रसायन निर्माता निर्माणियों (तालिका 49) के प्रचालन से, लेखाओं में शुद्ध आधिक्य था।

¹³¹ अन्य लेखा शीर्ष⁽²⁾ 0079 में, गैर रक्षा स्थापनाओं (राज्य पुलिस), खुले बाज़ार अथवा निर्यात से उत्पादों के विक्रय की प्राप्तियों को दर्ज किया जाता है।

तालिका 49: बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय/आय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			आय			शुद्ध बजट सहयोग (वास्तविक)
	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (प्रतिशत)	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3-6)
2011-12	629	698	(+) 11	777	733	(-) 06	(-) 35
2012-13	736	688	(-) 07	750	701	(-) 07	(-) 13
2013-14	781	784	(+) 03	803	781	(-) 03	(+) 03
योग	2146	2169	(+)1	2331	2215	(-) 05	(-) 46

(स्रोत: बोर्ड के बजट अनुभाग द्वारा प्रस्तुत बजट उपयोग का विवरण)

जैसा कि तालिका-49 से स्पष्ट है कि बोर्ड, वास्तविक एवं 10 प्रतिशत के अंदर की भिन्नता के अंतर के साथ, व्यय के अनुमान में बहुत यथार्थ था। निर्माणी के स्तर पर, हमने ऐसी भिन्नताएँ देखीं कि निर्माणियों के मध्य समयबद्ध पुनर्विनियोजन से, बोर्ड को अपना व्यय, बजट अनुमानों के आस-पास रखने में सहायता मिली। आगे, जैसा कि पैरा 7.3.2.8 में वर्णित है, यदि अग्रिम निर्गम वाउचर को लेखाओं में सम्मिलित किया जाता तो, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, वास्तविक आय को ₹141 करोड़ कम किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, अनुमानित एवं वास्तविक आय के मध्य भिन्नता, उसी अवधि के दौरान, नौ से 13 प्रतिशत के मध्य होती।

बोर्ड पूंजीगत व्यय के लिए भी बजट सहयोग प्राप्त करता है, जो संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति सहित नयी परियोजनाओं पर व्यय की पूर्ति करता है। हमने देखा कि पूंजीगत परियोजनाओं के प्रति मांगे गए व प्राप्त किए गए बजट अनुदान का उपयोग नहीं किया गया। एच ई एफ का एक मामला इसका उदाहरण है, जहां 2011-14 के दौरान, टी एन टी (ट्राइ-नाइट्रो टोलीन) का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। किन्तु, टी एन टी के निर्माण हेतु आवश्यक ट्राइ-नाइट्रो टोलीन/डीनाइट्रेशन एवं सल्फ्यूरिक एसिड सांद्रता संयंत्र के लिए निधि, 2011-12 से 2013-14 के दौरान किसी भी वर्ष में आहरित नहीं की गई। निर्माणी ने कुल मिलाकर, ₹119 करोड़¹³² की अपनी आवश्यकता के प्रति, ₹9.5 करोड़ प्राप्त किया। अनुलग्नक-XXXVI में, अधिप्राप्ति में हुए विलंब को दर्शाया गया है, जिसके कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। उसी प्रकार, सी एफ ए में, नाइट्रो सेलुलोस, नाइट्रो ग्लिसरीन तथा डी-सिल्टिंग संयंत्र के लिए दिखाई गयी आवश्यकता के प्रति, बोर्ड द्वारा निर्माणी को 2011-14 के दौरान आवंटित ₹266 करोड़ का केवल लघु भाग (₹15 करोड़) ही व्यय किया जा सका।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए कोष की संभावित आवश्यकता का अनुपयोग मुख्यतः विस्फोटक परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्र

¹³² आर एवं आर, पी एवं एम एवं पूंजीगत कार्य शीर्ष के अंतर्गत समग्र आवंटन


एवं मशीनरी के वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या के कारण था जो इन तकनीकों को प्रदत्त करने में विक्रेताओं के अनिच्छा से और वृद्धित हो गया। यह तथ्य फिर भी यथावत है कि बोर्ड को कोष के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

7.3.5.2 हानि एवं लाभ का विश्लेषण

विनियोजन लेखे के अतिरिक्त, बोर्ड समेकित वार्षिक लेखे भी तैयार करता है जो कि लागत लेखे होते हैं, जो निर्माणियों के मध्य, उत्पादों के लागत नियतन एवं मूल्यांकन के लिए दिशनिर्देश प्रदान करते हैं। निर्माणियों से, मांगकर्ताओं को विक्रय से उत्पादन लागत की वसूली की अपेक्षा की जाती है।

बोर्ड के मूल्यांकन नीति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन लागत एवं वर्तमान वर्ष के लिए सामग्री, श्रम व उपरिव्यय के रुझान के आधार पर मूल्य निश्चित किए जाते हैं। मंत्रालय ने बोर्ड को वार्षिक मूल्य वृद्धि, समग्र आधार पर आठ प्रतिशत तक सीमित रखने की अनुमति प्रदान की (मार्च 1994) व उसे न्यूनतम स्तर पर रखने पर ज़ोर दिया। उत्पाद का निर्गम मूल्य, वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य नियतन समिति¹³³ द्वारा किया जाता है। मूल्य सूची, थल सेना के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक, जिन्हे बोर्ड द्वारा आमंत्रित किया जाता है, के पश्चात, बोर्ड की स्वीकृति से जारी की जाती है। चूंकि, निर्गम मूल्य, उत्पादन के प्रारम्भ के पूर्व निश्चित किया जाता है, यह वास्तविक लागत से अधिक या कम हो सकता है, जिससे क्रमशः लाभ या हानि दर्ज की जा सकती है, जैसा कि आगे के पैरा ग्राफों में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्माणियाँ आई एफ डी निर्गम में हानि वहन कर रहीं थीं तथा मांगकर्ताओं को सीधे निर्गमित मदों में लाभ अर्जित कर रहीं थीं। 2011-12 में, ₹7 करोड़ के लाभ में (प्रतिदर्श मद) आई एफ डी निर्गम में हानि हुई: 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹34 करोड़ एवं ₹23 करोड़ की हानि हुई। दूसरी ओर, 2011-12 से 2013-14 के दौरान सभी वर्षों में, प्रत्यक्ष मांगकर्ताओं को निर्गम से लाभ हुआ। उदाहरण के लिए, स्लैब डिमालिसन, एच ई एफ, किरकी द्वारा एम एच ए को सीधे निर्गमित होने वाला एक उत्पाद है, जहां




¹³³ समिति में नियंत्रक वित्त, प्रचालन समूह के निदेशक, निर्माणी के महाप्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी, निर्माणी का स्थानीय लेखा कार्यालय तथा संयुक्त नियंत्रक, वित्त शामिल होते हैं।

2011-12 से 2013-14 की अवधि में, 2013-14 में उत्पादन में कमी के बावजूद, निर्गम मूल्य तेज़ी से बढ़ा (चार्ट 25)।

7.3.5.3 उत्पादन लागत का रुझान

हमने चार निर्माणियों में चयनित उत्पादों के उत्पादन का रुझान, उत्पादन लागत तथा निर्गम मूल्य का विश्लेषण किया। समग्र रूप से सभी चार निर्माणियों ने हर वर्ष (149) हानि¹³⁴ वहन किया जो कि 2011-14 की अवधि में कुल मिलाकर ₹58 करोड़ था। चार्ट-26 में, चार निर्माणियों में हानि/लाभ का रुझान दिखाया गया है, जिससे तीन वर्षों में, लाभ/हानि में भारी उतार-चढ़ाव प्रदर्शित होता है। विवरण अनुलग्नक XXXVII में दिया गया है।




2011-12 से 2013-14 के तीन वर्षों के दौरान निर्माणियों में गतिहीनता दिखाई; ओ एफ भंडारा (2013-14 में उत्पादन लागत में 24 प्रतिशत की वृद्धि) एवं ओ एफ इटारसी (2013-14 में 16 प्रतिशत की वृद्धि) इसके अपवाद थे। यदि स्फीति के अनुसार सूचीबद्ध किया जाय तो ओ एफ भंडारा एवं ओ एफ इटारसी में 2013-14 के दौरान, उत्पादन में क्रमशः 13 प्रतिशत व 7 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगत होगी। एच ई एफ में यह, उनके मुख्य उत्पाद, टी एन टी के उत्पादन में कमी के कारण, कम हो गया। उत्पादन में कमी के कारण, उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में नियत उपरिव्यय कम हुआ। सभी निर्माणियों में, उपरिव्यय, उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत रहा, जो कि उच्च था। ओ एफ भंडारा केवल एक अपवाद था, जहां 2011-12 में उत्पादन लागत के 73 प्रतिशत उपरिव्यय से, 2013-14 में घटकर 53 प्रतिशत हो गया।

7.3.5.4 उपरिव्यय का रुझान


उपरिव्यय के प्रमुख घटकों पर हमारे विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

¹³⁴निर्माणियों में लागत लेखे में हानि दर्ज़ थी यद्यपि विनियोजन लेखे में अधिकता अभिलिखित थी क्योंकि लागत लेखे उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा उसमें नकद रहित मद, जैसे निर्गम के प्रति अग्रिम प्राप्त तथा भंडार के लिए भुगतान किए गए अग्रिम आदि शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में, दोनों लेखाओं का, प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) द्वारा समाधान किया जाता है।

- डी ए डी ओ एम भाग VI के पैरा 541 से 549 के अनुसार, निर्माणी में कुल उपरिव्यय, उत्पादों में उत्पाद पर निवेश किए गए प्रत्यक्ष श्रम लागत की प्रतिशतता के रूप में वितरित होते हैं। किन्तु हमने पाया कि प्रत्यक्ष श्रम एवं उपरिव्यय में कोई संबंध नहीं था। 2013-14 में ओ एफ भंडारा में, एम4ए2 चार्ज के उत्पादन में, श्रम एवं उपरिव्यय लागत पर **चार्ट-27**, इस विसंगति को दर्शाता है, जिससे लागत दर्ज करने की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है।



- उत्पादन लागत तथा उपरिव्यय में असामान्य रुझान के कारण उत्पादों के निर्गम में हानि हुई। उदाहरण के लिए, एच ई एफ ने, टी एन टी (सामान्य) के उत्पादन में हर वर्ष हानि वहन किया: 2011-12 में ₹8 करोड़,



2012-13 में ₹27 करोड़, 2013-14 में ₹10 करोड़ (**चार्ट 28**)। प्रणाली में अदक्षता तथा किसी उत्पाद के निर्गम मूल्य में वृद्धि की संभावना न होने, जो कि विस्फोटकों के विविध प्रकारों के लिए एक आधार है, के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि, टी एन टी के उत्पादन में हानि का कारण बनी।

समापन बैठक के दौरान बोर्ड ने कहा कि, असामान्य तथा उच्च उपरिव्यय का आंशिक कारण, सामाजिक लागतों जैसे सम्पदा/अस्पताल/स्कूल पर व्यय का आवंटन हो सकता है जबकि ऐसे व्यय उत्पादन से असम्बद्ध होते हैं। तथापि, उपरिव्यय की अधिकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए की गयी कार्रवाई पर उत्तर मौन था।

7.3.5.5 आंतरिक नियंत्रण

प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में, स्थानीय लेखा कार्यालय (एल ए ओ), लागत कम करने के लिए, सुधारात्मक कदम उठाने हेतु निर्माणी प्रबंधन की सहायता के लिए, उत्पादन लागत की पुनरीक्षण हेतु उत्तरदायी है। डी ए डी ओ

एम भाग VI के पैरा 635 एवं 637 के अनुसार, चालू निर्माण अधिपत्र¹³⁵ में, दर्ज अनुमानित लागत एवं वास्तविक व्यय के मध्य महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के मामलों की पहचान करने तथा सुधारात्मक उपायों हेतु निर्माणी प्रबंधन की जानकारी में लाने के लिए, एल ए ओ को उत्पादन लागत की सतत रूप से तिमाही पुनरीक्षण संपादित करनी होती है। उत्पादन लागत एवं उत्पादन कार्यकलापों की सतत पुनरीक्षण के अतिरिक्त, डी ए डी ओ एम भाग VI के पैरा 1026 के अनुसार, एल ए ओ को, पिछले वर्ष की संबन्धित अवधि एवं पिछली तिमाही के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ अन्य इनपुट, निर्गम के मूल्य, प्रगामी व्यय, अवयव-वार उत्पादन लागत, व्यय का विश्लेषण इत्यादि पर तिमाही वित्तीय पुनरीक्षण (क्यू एफ आर) प्रतिवेदन तैयार करना होता है। प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ) को, बोर्ड एवं महा नियंत्रक रक्षा लेखा (सी जी डी ए) को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए, सभी निर्माणियों के प्रतिवेदनों को संपरीक्षित, विश्लेषित एवं समेकित करना होता है।

वास्तविक निष्पादन में, प्रक्रियाओं में अनेक व्यवधान उपस्थित होते हैं, जिनपर नीचे चर्चा की गयी है:

- उत्पादन लागत पर निकट दृष्टि रखने के लिए, शॉप बजट समिति एवं इसकी पुनरीक्षण ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जिन पर या तो कार्य नहीं किया जा रहा है या फिर वे निष्प्रभावी हो चुकी हैं।
- एल ए ओ द्वारा उत्पादन लागत एवं उत्पादन कार्यकलापों की तिमाही सतत पुनरीक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा की भांति था जिसमें उत्पादन के कई पक्षों को समाविष्ट करने वाले सात उद्देश्य थे, जिसमें से “चालू अधिपत्र में हुए व्यय द्वारा प्रकट अनुमानित एवं वास्तविक के मध्य महत्वपूर्ण भिन्नताओं के मामले” की पहचान, सात उद्देश्यों में से एक था।
- तिमाही वित्तीय पुनरीक्षण, अनुमान से लागत की भिन्नता के असामान्य रुझान तथा उतार-चढ़ाव के कारणों, यदि कोई हो, को चिन्हित नहीं करता। परिणामस्वरूप, यह लागत पर प्रभावी नियंत्रण नहीं सुनिश्चित कर सकता। पुनरीक्षणों को बोर्ड की सामान्य निकाय बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बोर्ड के सामान्य निकाय ने इसके प्रस्तुतीकरण के लिए निदेश दिया। फलस्वरूप, तिमाही वित्तीय पुनरीक्षण, जिससे लागत नियंत्रण की अपेक्षा की जाती थी, पर किसी का ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ।
- उपरिव्यय में भारी भिन्नता, लागत लेखांकन की सत्यता तथा लागत अथवा मूल्यांकन नियंत्रण की विश्वसनीयता हेतु आधार निर्मित करने के लिए लेखाओं से अपेक्षित आश्वासन पर संदेह उत्पन्न करता है।

¹³⁵ अधिपत्र, निर्माणी के महाप्रबंधक द्वारा उत्पादन शॉप को किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए दिया गया प्राधिकार है।

- सशस्त्र बलों के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण, आयुध निर्माणियों को लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी पर ध्यान दिये बिना, उन पर प्रस्तुत मांग को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन लागत तथा उस वर्ष के अनुमानित उत्पादन लागत, जिस वर्ष पुनरीक्षण संपादित की गयी है, के आधार पर उत्पादन वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व लागत के आकलन के लिए यह प्राधिकृत प्रक्रिया है। भिन्नताएं, कई कारणों, जैसे स्रोत, बाजार का रुझान, एक अवधि के दौरान आदेशित मात्रा इत्यादि के कारण प्रकट होती हैं। भिन्नताओं को समाप्त कर, निर्गम मूल्य इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि लागत की भरपाई हो सके। स्फीति को दृष्टिगत रखने के लिए, निर्गम मूल्य में वृद्धि को सामान्यतया आठ प्रतिशत तक सीमित रखा जाता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से सेवाओं के लिए बजट निर्धारण में सुविधा देने तथा मांगों के नियोजन हेतु, अग्रिम रूप से निर्गम मूल्य निश्चित किए जाते हैं। पूर्व-निर्धारित लागत निर्माण लागत के समान नहीं हो सकता। एल ए ओ द्वारा सतत रूप से पुनरीक्षण करने से, उत्पादन एवं मध्यावधि संशोधन पर तटस्थ सामग्री प्राप्त होती है।

बोर्ड का उत्तर, लागत नियंत्रण व कमी के मूल विषय का समाधान नहीं करता। पर्याप्त लागत नियंत्रण उपायों के बिना, विगत वर्षों के आधार पर उत्पादन लागत का अनुमान तय करने से, निश्चित रूप से लागत में वृद्धि होगी। इस बात पर जोर दिया जाता है कि उत्पादन लागत एवं निर्गम मूल्य के मध्य उतार-चढ़ाव असामान्य न हो। स्थानीय लेखा कार्यालय द्वारा सतत पुनरीक्षण अपर्याप्त थी तथा लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट कई व्यवधानों से, लागत नियंत्रण के मामले पर निर्माणी प्रबंधन के साथ सार्थक रूप से संलग्न होने के लेखा स्कन्ध की क्षमता की सीमा दृष्टिगत होती है।

निष्कर्ष

निर्माणियों ने उच्च उपरिव्यय के साथ कार्य किया जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों के रुझान के आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था, ऐसी प्रणाली में कारगर होती जिसमें लागत में असामान्य उतार-चढ़ाव के निकट अनुश्रवण हेतु, लागत नियंत्रण प्रभावी होती। किन्तु ऐसी स्थिति निर्माणियों के साथ नहीं थी जहां दो नियंत्रण: शॉप बजट समिति तथा तिमाही वित्तीय पुनरीक्षण विद्यमान थे, जो ढांचागत कमियों से युक्त थे तथा व्यवस्था में पर्याप्त हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थे। सशस्त्र बलों के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण, आयुध निर्माणियों को लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी पर ध्यान दिये बिना, उन पर प्रस्तुत मांग को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

संस्तुति 4: शॉप बजट समिति को पुनःप्रवर्तित किया जा सकता है जिससे यह उत्पादन लागत पर निकट नियंत्रण रखने में सहायक हो सके।

7.3.6 पर्यावरण संबंधी मामले

लेखापरीक्षा उद्देश्य 5: निर्माणियों ने जोखिम आकलन के आधार पर, बोर्ड के पूर्ण पर्यावरण नीति के आधार पर सक्षम व्यवस्था व प्रक्रिया का प्रवर्तन किया।

7.3.6.1 सामान्य

रासायनिक निर्माणियाँ, विभिन्न निर्माण प्रक्रमों के इनपुट एवं आउटपुट के रूप में अनेक प्रकार के रसायनों एवं विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करती हैं। निर्माणियाँ खतरनाक कचरा, अपगामी पदार्थ एवं खतरनाक गैसों का भी निस्सरण करती हैं जो पर्यावरण के तीन प्रमुख घटकों: वायु, जल व मृदा पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रदूषण कम करने तथा रसायनों व विस्फोटकों को सुरक्षित ढंग से उपयोग करने व भंडारित करने के लिए, निर्माणियों को राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों तथा सुरक्षा पर वैधानिक नियमों व नियमावलियों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या पी ए 4 के अध्याय III के पैराग्राफ 3.7.1 पर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) में मंत्रालय ने संसद को आश्वस्त किया था कि “सभी निर्माणियों में अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र नई दिल्ली (सी एफ ई ई एस) एवं क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक पुणे (आर सी एस) द्वारा किए जाने वाले आवधिक सुरक्षा जांच के लिए सुविधा उपलब्ध करने की सलाह दी गई है। तथापि, अपवाद के मामलों में जहां विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करता है तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास करता है। निर्माणी स्तर पर ऐसे सभी मामलों को देखने के लिए सुरक्षा नियंत्रक के अधीन विशेषज्ञों का एक पृथक कार्यालय होता है।”

इस आश्वासन से इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के प्रति हमारी जांच के लिए मानदंड निर्मित हुआ।

7.3.6.2 पर्यावरणीय उपाय: नियोजन एवं कार्यान्वयन

नियोजन

बोर्ड में पर्यावरणीय मामलों के लिए, कोलकाता स्थित मुख्यालय में पदस्थ सुरक्षा नियंत्रक, नोडल कार्यालय है। बोर्ड ने पर्यावरण नीति तैयार नहीं की जिससे पर्यावरण योजना को दिशानिर्देश प्राप्त हो सके। फिर भी, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन आई एस ओ 14001: 2004, जो सभी चयनित निर्माणियों के पास उपलब्ध है, के

अनुपालन के लिए निर्माणियों ने एक पर्यावरण प्रबंधन नियम पुस्तक तैयार किया है। किन्तु, उन्होंने विशिष्ट जोखिमों को चिन्हित नहीं किया अथवा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए सापेक्ष योजना तैयार नहीं की। आगे, हमने निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- यद्यपि निर्माणियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया, नियम पुस्तक में सभी लागू कानूनी आवश्यकताओं को समग्र रूप से समाविष्ट नहीं किया गया (अनुलग्नक XXXVIII)।
- निर्माणियों ने पर्यावरणीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय या वार्षिक योजना¹³⁶ तैयार नहीं की। निर्माणियों द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए उपाय खंडित रूप में थे तथा चिन्हित लक्ष्यों अथवा सापेक्ष योजना द्वारा निर्दिष्ट नहीं थे।

कार्यान्वयन

निर्माणियों ने पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए कई उपाय किए थे। तथापि, अनेक कमियाँ विद्यमान थीं, जो संक्षेप में निम्नवत हैं:

- उच्च विस्फोटक निर्माणी, किरकी में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर प्रिसीपीटेटर्स, बैग फिल्टर स्थापित नहीं किए गए थे।
- उच्च विस्फोटक निर्माणी, किरकी को छोड़कर संयंत्रों से परिशोधित अपगामी की जांच करके उसे खुले नाले/ड्रेन में निस्तारित कर दिया जाता है। जल अपगामी को निर्माणी प्रांगण के बाहर निस्तारित करना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के विरुद्ध है। निर्माणियों ने संसाधित जल का पुनः उपयोग के तरीके नहीं अपनाए बल्कि इसके स्थान पर 2011-12 से 2013-14 के दौरान बागवानी के उद्देश्य से तथा फायर ब्रिगेड के लिए शुद्ध जल की खरीद पर ₹3.20 करोड़ व्यय किया।
- निर्माणियों ने ठोस कचरे व खतरनाक कचरे के निस्तारण के लिए कई विक्रेताओं के साथ संविदा करार किया। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण के लिए कोई जोखिम नहीं है, ठेकेदारों द्वारा निस्तारण का वास्तविक तरीका नहीं बताया गया।

समापन बैठक के दौरान, प्रत्येक रासायनिक निर्माणी के लिए लागू विशिष्ट पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करने संबंधी लेखापरीक्षा संस्तुतियों पर अनुपालन के लिए तथा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए सापेक्ष योजना बनाने के लिए

¹³⁶ इसमें (i) संबन्धित कार्यों एवं संगठन के स्तरों पर लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दायित्व के पद (ii) साधन एवं समय सीमा जिसके अंदर उसे प्राप्त किया जाना था।

बोर्ड सहमत था। किन्तु इस प्रकार के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा को कोई समय सीमा नहीं सूचित की गयी।

आगे यह देखा गया कि एच ई एफ, ओ एफ बी ए तथा सी एफ ए ने, एस पी बी द्वारा दी जाने वाली छूट (₹19.74 लाख) प्राप्त नहीं की, जो सीवेज/ट्रेड अपगामी के उपचार हेतु संयंत्र स्थापित करने वाली यूनिटों को प्रदान की जाती है, क्योंकि जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) उपकर अधिनियम 1977 के खंड 7 के अनुसार एस पी सी बी को औद्योगिक एवं घरेलू अपगामी पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि उन्होंने प्रदूषण न्यूनीकरण उपाय के रूप में, सीवेज/ट्रेड अपगामी के उपचार हेतु संयंत्र की स्थापना कर ली थी।

7.3.6.3 निर्माणियों द्वारा प्रचालन में सुरक्षा उपायों पर कार्यान्वयन

कैलेंडर वर्ष 2011 से 2013 तक, निर्माणियों ने कुल 71 दुर्घटनाओं के बारे में सूचित किया (एच ई एफ में हुए एक को छोड़कर सभी बड़ी दुर्घटनाएँ) (तालिका 50)। अधिकांश बड़ी दुर्घटनाएँ¹³⁷ दोषपूर्ण संयंत्र एवं

तालिका-50: आयुध निर्माणियों में दुर्घटनाओं की संख्या

निर्माणी	दुर्घटनाओं की संख्या
सी एफ ए	2
ओ एफ आई	35
ओ एफ बी ए	32
एच ई एफ	2
योग	71

मशीनरी तथा असुरक्षित परिस्थितियों (28 दुर्घटनाएँ जो कि कुल दुर्घटनाओं का 39 प्रतिशत) के कारण थीं। सभी निर्माणियों द्वारा गठित जांच बोर्ड ने दुर्घटनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया। दुर्घटनाओं के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित नहीं किया गया।

स्रोत: निर्माणियों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत पर्यावरण लेखापरीक्षा विवरण

7.3.6.4 पर्यावरण मामलों पर आंतरिक नियंत्रण

पर्यावरणीय मामलों पर निर्माणियों में आंतरिक नियंत्रण छह स्तरों पर किया जाता है। वे (I) निर्माणी द्वारा संपादित मासिक सुरक्षा लेखापरीक्षा (II) सहयोगी निर्माणी द्वारा संपादित छमाही सुरक्षा लेखापरीक्षा (III) क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक द्वारा वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा (IV) क्षेत्रीय विद्युत निरीक्षक द्वारा छमाही विद्युत सुरक्षा लेखापरीक्षा (V) एस क्यू ए ई द्वारा मासिक सुरक्षा एवं निगरानी लेखापरीक्षा तथा (VI) सी एफ एफ ई ई एस द्वारा अग्नि, पर्यावरण व विस्फोटक सुरक्षा लेखापरीक्षा। निर्माणियों ने कोलकाता स्थित सुरक्षा नियंत्रक को विस्तृत मासिक सुरक्षा प्रतिवेदन भी प्रेषित किया। उसकी प्रति आर सी एस¹³⁸ एवं एस पी सी बी को भी प्रदान की

¹³⁷ 12 अन्य दुर्घटनाएँ जो कि कुल दुर्घटनाओं का 17 प्रतिशत थीं, सड़क दुर्घटनाएँ थीं।

¹³⁸ चेन्नई, कानपुर, पुणे, एवं अंबाझरी में स्थित चार क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक।

गयी। प्रतिवेदन, पर्यावरण घटकों सहित मुख्यतः सुरक्षा आवश्यकताओं पर केन्द्रित था।

हमने पाया कि 2011-14 के दौरान, स्तर I से III एवं VI की लेखापरीक्षा, निर्माणियों में संपादित की गयी, स्तर IV की लेखापरीक्षा केवल 2012 एवं 2013 में एच ई एफ को छोड़कर सभी निर्माणियों में संपादित की गयी। स्तर V की लेखापरीक्षा 2011 में किसी भी निर्माणी में नहीं की गयी किन्तु ओ एफ बी ए को छोड़कर 2012 एवं 2013 में संपादित हुई।

7.3.6.5 ऊर्जा संरक्षण

मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार (फरवरी 2006), बोर्ड ने, मई 2007 में, विद्युत ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बरतने के लिए, द्विस्तरीय ऊर्जा लेखापरीक्षा संपादित करने हेतु सभी रासायनिक निर्माणियों को दिशा निर्देश जारी किया। द्विस्तरीय ऊर्जा लेखापरीक्षा में, आंतरिक संसाधनों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा तथा पाँच वर्ष में एक बार अधिकृत वाह्य ऊर्जा लेखापरीक्षक द्वारा वाह्य प्रामाणिक ऊर्जा लेखापरीक्षा समाविष्ट होते हैं। आयुध निर्माणी भंडारा तथा आयुध निर्माणी इटारसी ने क्रमशः मार्च 2010 एवं मई 2010/मई 2013 के आपूर्ति आदेश के प्रति प्रामाणिक वाह्य लेखापरीक्षा संपादित कराई, उन्होंने 2011-14 में, आंतरिक संसाधनों के माध्यम से स्तर-I की लेखापरीक्षा नहीं कराई।

निर्माणियों ने, ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से प्राप्त अनुशंसाओं में निहित दिशानिर्देश के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के लिए

उपायों पर कार्यान्वयन प्रारम्भ करने के बारे में सूचित किया। निर्माणियों ने छोटे उपायों द्वारा महत्वपूर्ण बचतों के बारे में जानकारी दी। ओ एफ बी ए ने जल एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय ¹³⁹

तालिका-51: ऊर्जा लेखापरीक्षा की संस्तुतियों की संख्या

निर्माणी	संस्तुतियों की संख्या			कुल लागत (₹लाख में)
	योग	कार्यान्वित	लंबित	
ओ एफ बी ए	11	4	7	83
एच ई एफ	4	2	2	52
ओ एफ आई	37	9	28	उपलब्ध नहीं

(स्रोतः ऊर्जा लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

किए। उसी प्रकार, एच ई एफ ने 2013-14 के दौरान ईंधन की खपत में ₹715 लाख की बचत दिखाई। तथापि, निर्माणियों में लेखापरीक्षा की कई संस्तुतियों पर क्रियान्वयन लंबित था जैसा कि तालिका 51 में दर्शाया गया है। भविष्य में,

¹³⁹अल्प प्रयुक्त 660 टी आर(रेफिजेशन का टन) पुराने आर एक्स प्लांट के शीतक यूनिट का बंद होना, निर्माणी में प्रकाश उत्पन्न करने वाले डायोड स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना तथा लीकेज कम करना आदि।

महत्वपूर्ण बचतों के लिए लंबित संस्तुतियों पर कार्य हेतु निवेश की आवश्यकता होगी।

7.3.6.6: पर्यावरण उपायों में निर्माणियों द्वारा निवेश

निर्माणियों ने 2011-12 से 2013-14 में पर्यावरण के मामलों पर ₹11 करोड़ व्यय किया जो कि कुल व्यय का मात्र 0.6 प्रतिशत था। एच ई एफ ने 2011-12 में ₹14 लाख खर्च किया तत्पश्चात 2012-14 में कोई निवेश नहीं किया गया। विगत दिनों में हुई ऊर्जा की बचत, आसानी से उपलब्ध साधनों के दोहन से हुई तथा पर्यावरण के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया गया (तालिका-52)। निर्माणियों में अपगामी उपचार संयंत्र एक दशक से अधिक पुराने हैं यद्यपि कार्यशील हैं। कुछ पर्यावरणीय उपाय, उदाहरण के लिए, जो वायु प्रदूषण से संबन्धित हैं, संयंत्र एवं मशीनरी के समन्वित भाग हैं। पर्यावरणीय उपायों पर कम निवेश को इस तथ्य के साथ देखा जाना

तालिका-52: कुल व्यय पर पर्यावरण नियंत्रण पर किया गया व्यय			
निर्माणी	2011-14 में व्यय (₹करोड़ में)		
	योग (i)	पर्यावरण पर (ii)	(i) के प्रतिशत के रूप में (ii)
सी एफ ए	461	6.3	1.4
एच ई एफ	429	0.1	-
ओ एफ बी ए	609	4.4	0.7
ओ एफ आई	670	0	0
योग	2169	11	0.5
<i>(स्रोत :- 2011-14 के दौरान उपरिव्यय खर्च का सारांश)</i>			

चाहिए कि उत्पाद प्रोफाइल में बदलाव हुआ है। ऊर्जा लेखापरीक्षा की बहुत सी संस्तुतियाँ लंबित हैं तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दिये जाने से सुधार के बहुत से क्षेत्र दृष्टिगत होंगे जिसमें सतत निवेश की आवश्यकता होगी।

बोर्ड ने कहा कि रासायनिक ग्रुप की निर्माणियाँ, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहीं हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए, बड़े स्तर पर परंपरागत फ़िलामेंट-आधारित बल्ब सी एफ एल से बदले गए हैं तथा फरनेस आयल, भाप, विद्युत कारक इत्यादि के क्षेत्र में भी बचत सुनिश्चित की गयी है। विद्युत की खपत कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के दोहन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बोर्ड ने समापन बैठक में कहा कि कुछ संयंत्र एवं मशीनरी में पर्यावरण रक्षक तकनीक सहित निवेश किया जा रहा है। इन उपायों के बावजूद, पर्यावरण सुरक्षा पर और अधिक निवेश की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाता है।

समापन बैठक (जून 2015) के दौरान, बोर्ड ने कहा कि पर्यावरणीय उपायों पर निवेश दृश्य नहीं होता क्योंकि यह संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति में ही समन्वित होता

है। तथापि, लेखापरीक्षा के मत के अनुसार कोष के निवेश से समर्थित मध्य/दीर्घ अवधि की योजना के प्रवर्तन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन आई एस ओ 14001: 2004, जो सभी चयनित निर्माणियों के पास उपलब्ध है, के अनुपालन के लिए निर्माणियों ने एक पर्यावरण प्रबंधन नियम पुस्तक तैयार किया है। किन्तु, उन्होंने विशिष्ट जोखिमों को चिन्हित नहीं किया अथवा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए सापेक्ष योजना तैयार नहीं की। सभी निर्माणियों में पर्यावरण साधनों पर धन का निवेश कम था। पुनः उपयोग, सुरक्षित निस्तारण तथा कचरे का उपयोग ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निर्माणियों को ध्यान देने की ज़रूरत है, विशेषकर विस्फोटक कचरे के निस्तारण के संबंध में।

दुर्घटनाओं का सामान्य रुझान, विशेष रूप से आयुध निर्माणी इटारसी में, कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने में विफलता की ओर इंगित करता है। निर्माणियों ने ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं की हैं तथा ऊर्जा की बचत के बारे में जानकारी दी है, परंतु ऊर्जा लेखापरीक्षा के भारी संख्या में लंबित अनुशंसाओं में भविष्य की महत्वपूर्ण बचतों की ओर निर्दिष्ट किया गया है जिन पर धन के निवेश की आवश्यकता होगी।

संस्तुति 5: पर्यावरण प्रबंधन के लिए, निर्माणियों में, इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधियों के आकलन सहित, एक समन्वित तथा नियोजित व्यवस्था तैयार किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जा सके।

नियोजन

7.4 निर्यात आदेशों के विरुद्ध संविदात्मक शर्तों की अनापूर्ति के कारण ₹1.37 करोड़ की हानि

एक भारतीय फर्म द्वारा अग्नि नियंत्रण प्रणाली के अनापूर्ति एवं कवच (कवच का अंश) प्रणाली के विकास में गिरावट के कारण एक निर्यात आदेश के विरुद्ध कवच प्रणाली के सुपुर्दगी में आयुध निर्माणी बोर्ड ने विलंब किया। परिणामस्वरूप विदेशी फर्म ने बोर्ड के बिल में से ₹1.37 करोड़ के जुर्माने की कटौती की।

समायोजन¹⁴⁰ शर्त के साथ मेसर्स फिंकइंटियारी (फर्म) इटली के साथ अप्रैल 2008 एवं मार्च 2009 में रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) ने भारतीय नौ सेना के लिए दो फ्लीट टैंकरों को प्राप्त करने के लिए दो संविदाओं को निश्चित किया। भारतीय नौ सेना को आपूर्ति तथा फर्म द्वारा फ्लीट टैंकरों पर फिट करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) से समायोजन शर्त के अंतर्गत ए.के- 630 एम बंदूकों (बंदूक) एवं कवच मोड- II प्रणाली¹⁴¹ (कवच) की खरीददारी फर्म को करनी थी।

फर्म ने अक्टूबर तथा नवंबर 2009 में बोर्ड पर आठ बंदूकों तथा कवच के दो जोड़ों का दो आदेश दिया था। एक कवच प्रणाली की सुपुर्दगी की आवश्यकता 21 जून 2010 तक थी जो कि आगे बढ़ाकर 26 फरवरी 2011 की गई और फिर दोबारा अप्रैल 2011 की गई। बोर्ड द्वारा कवच के सुपुर्दगी में विलंबों के लिए संविदा ने एक जुर्माने¹⁴² की शर्त लगाई; बंदूकों की आपूर्ति के लिए संविदा में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी।

समायोजन शर्त के अंतर्गत प्राप्त आदेश को पूरा करने के लिए बोर्ड ने गन एण्ड शेल निर्माणी काशीपुर (जी.एस.एफ) को बंदूक के उत्पादन तथा सुपुर्दगी का कार्य सौंपा। जबकि मशीन टूल प्रोटोटाइप निर्माणी अंबरनाथ (एम.पी.एफ) को फर्म को कवच के उत्पादन एवं सुपुर्दगी का कार्यभार दिया गया। कवच के तीन उप- प्रणाली हैं जैसे (I) एम.पी.एफ द्वारा लॉंचर का उत्पादन (II) मेसर्स किलोसकर इलेक्ट्रिक, बेंगलुरु से

¹⁴⁰ भारतीय शर्तों से संविदात्मक मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत के चीजों के अधिप्राप्ति के लिए ₹300 करोड़ तथा उससे अधिक के विदेशी एकमुश्त क्रय के मामले में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता है।

¹⁴¹ कवच प्रणाली फ्लीट टैंकर के जहाज पर शस्त्रीकरण का एक अंश है जो कि आने वाले गोलों के विरुद्ध टैंकर के प्रतिरक्षा में सहायता करता है और इस प्रकार से टैंकर के रक्षात्मक बचाव में सहयोग करता है।

¹⁴² जुर्माने की गणना @0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह पर की गई थी जो कि अधिकतम रूप से आदेश के सम्पूर्ण राशि का पांच प्रतिशत थी।

विद्युतीय उप- प्रणाली की खरीददारी एवं (III) मेसर्स एस.ए.एम.ई.ई.आर.¹⁴³, चेन्नई से अग्नि नियंत्रक प्रणाली (एफ़.सी.एस) की अधिप्राप्ति। सम्पूर्ण कवच के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए एम.पी.फ में इन तीन उप- प्रणालियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी।

इस संबंध में लेखा परीक्षा ने यह देखा कि:

- जब फर्म ने आदेशों को प्रस्तुत किया तब तीन उप- प्रणालियों के संयोजन के लिए एम.पी.एफ़ के लिए एक नया मद होने पर भी कवच के उत्पादन प्रक्रिया को स्थापित करना बाकी था। जबकि ओ.एफ़.बी के सभापति द्वारा अनुमोदित तथा 25 फरवरी 2009 के उनके नोट में इंगित किए जाने के अनुरूप बढ़ते हुये निर्यात किए हुये मात्रा को रखने के लिए बोर्ड द्वारा आदेश को स्वीकार किया गया था।
- फर्म ने बोर्ड को आदेश प्रस्तुत करने की अनिच्छा प्रकट (फरवरी 2009) की थी क्योंकि बोर्ड ने आपूर्ति के कार्यक्षेत्र के तकनीकी विस्तृत विशिष्टिकरण को उपलब्ध नहीं कराया था।
- प्रोप्रीटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट मद होने के बावजूद भी एकल निविदा के आधार पर एफ़.एस.सी के अधिप्राप्ति के लिए एस.ए.एम.ई.ई.आर को आपूर्ति आदेश प्रस्तुत (जून 2010) तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए आदेश की प्राप्ति (अक्टूबर 2009) के तिथि से अनुमानित एम.पी.एफ़ तथा बोर्ड ने एक साथ करीब आठ महीने लिए।
- आदेशानुसार एस.ए.एम.ई.ई.आर को एफ़.एस.सी की सुपुर्दगी 15 मई 2011 तक करनी थी। जबकि एस.ए.एम.ई.ई.आर सुपुर्दगी नियत समय के अनुसार नहीं कर पाया तथा नियत सुपुर्दगी तिथि के एक वर्ष बीत जाने के पश्चात उसने उत्पादन की परिमितता को कारण दर्शाते हुये (जून 2012 में) अपनी प्रतिबद्धता को पूरा न कर पाने की अक्षमता व्यक्त की।
- परिणामस्वरूप बोर्ड ने भारतीय नौसेना को बिना एफ़.एस.सी के केवल एक कवच प्रणाली की सुपुर्दगी (मार्च 2013) कर पायी। दो वर्षों के पश्चात ही बोर्ड को एस.ए.एम.ई.ई.आर. से एफ़.एस.सी की प्राप्ति (मार्च 2015) हुई।

कवच के जत्थों के लिए नियत सुपुर्दगी के समय में ना पूरा कर पाने की बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप फर्म ने बंदूकों की आपूर्ति करने के विरुद्ध बोर्ड के भुगतान से ₹1.37 करोड़ के जुर्माने की कटौती की।

¹⁴³ सोसाइटी आफ अपलाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक रिसर्च एवं संवर्धन संगठन।

विलंबित सुपुर्दगी तथा परिणामतः जुर्माने की कटौती पर लेखा परीक्षा के अनुमानों को स्वीकार करते समय बोर्ड ने यह व्यक्त (अप्रैल 2015) किया कि जब फर्म ने यह आदेश प्रस्तुत किया तब एम.पी.एफ में कवच प्रणाली के लिए उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्थापित थी एवं व्यवसाय अव्यवों/ उप जमावड़ों के आपूर्ति के लिए स्रोतों की भी स्थापना हो चुकी थी। कवच के विलंबित सुपुर्दगी के मुख्य कारण के रूप में अंतिम उत्पाद के उपादानों के निरीक्षण में लिया गया अत्यधिक समय तथा एफ़.एस.सी के विकास में विलंब के लिए एस.ए.एम.ई.ई.,आर द्वारा सामना किया गया श्रमशक्ति की असहजता थी।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (I) बोर्ड एवं फर्म दोनों ने यह स्वीकार (जून तथा सितंबर 2012) किया है कि फर्म से आदेश को स्वीकार करते समय एम.पी.एफ ने कवच को विकसित नहीं किया था। जबकि बोर्ड से तकनीकी विशिष्टिकरण के अनुपलब्धता के कारण फर्म द्वारा अपनी अनिच्छा व्यक्त (फरवरी 2009) करने के बावजूद भी बोर्ड ने उनके निर्यातित मात्रा को बढ़ाए रखते हुये फर्म से आदेश को स्वीकार किया; (II) एफ़.एस.सी के आपूर्ति के लिए एकल निविदा के आधार पर एस.ए.एम.ई.ई.,आर पर आदेश प्रस्तुत करने के लिए एम.पी.एफ तथा बोर्ड ने एक साथ करीब आठ महीने लिया।

अतः एम.पी.एफ में अन्य दो उप- प्रणालियों के साथ लांचर तथा उसके जमावड़े के लिए उत्पादन प्रक्रिया को स्थापित किए बिना ही कवच प्रणाली के लिए आदेश को स्वीकार करने के साथ- साथ एम.पी.एफ को एफ़.एस.सी के सुपुर्दगी में कमी के साथ एस.ए.एम.ई.ई.,आर पर एफ़.एस.सी के लिए आदेश के प्रस्तुतीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप एफ़.एस.सी के बिना ही फर्म को कवच की विलंबित सुपुर्दगी तथा ₹1.37 करोड़ की हानि का सामना करना पड़ा।

इस विषय को मार्च 2015 में मंत्रालय को सौंप दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

मशीनों/भंडारों की अधिप्राप्ति

7.5 भंडारण टैंकों की अनुचित अधिप्राप्ति

हाई एक्सप्लोसिव निर्माणी किरकी द्वारा ₹1.08 करोड़ के कुल लागत पर चार भंडारण टैंकों की अधिप्राप्ति अनुचित थी चूंकि निर्माणी के पास पहले से ही पर्याप्त क्षमता थी।


हाई एक्सप्लोसिव निर्माणी किरकी (निर्माणी) ट्राई नाइट्रो टोल्यून (टी.एन.टी) एवं कंपोसिट एक्सप्लोसिक्स (सी.ई) का उत्पादन करती है जिसके लिए प्रभावशाली

नाइट्रिक एसिड एक उपादान है। इस एसिड का भंडारण एल्युमिनियम के टैंकों में किया जाता है। 2012 में निर्माणी ने ग्यारह¹⁴⁴ टैंकों को जिसमें प्रत्येक की प्रयोग में लाये जाने की क्षमता 70 टन¹⁴⁵ थी, को प्राप्त किया जिसमें से चार को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। सभी में निर्माणी किसी भी दिन को 490 टन¹⁴⁶ तक के एसिड भंडार कर सकती थी।

जून 2012 में आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) ने चार पुराने भंडारण प्लांटों को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्माणी के चार भंडारण टैंकों का क्रय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। टैंकों के लिए संरचनापूर्ण सामग्री की आपूर्ति की प्राप्ति ₹1.08 करोड़ के कुल लागत पर सितंबर 2013 तक हुई; मार्च 2015 तक ये सब संरचना/मूल संचालन के अंतर्गत थे।

हमने यह पाया (सितंबर 2014) कि निर्माणी में ट्राई नाइट्रो टोल्यून एवं कंपोसिट एक्सप्लोसिक्स के उत्पादन एवं जारी होना एक निरंतर निम्न प्रचलन को दर्शाता है।

पाँच वर्षों की अवधि में 55 प्रतिशत ट्राई नाइट्रो टोल्यून को जारी करने में हास हुआ है: 2010-14 जबकि उसी अवधि के दौरान 54 प्रतिशत से कंपोसिट एक्सप्लोसिक्स का हास हुआ। 2010-11 के अधिकतम उत्पादन लक्ष्यों के दौरान भी प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के लिए भंडारण क्षमता



की आवश्यकता 345 टन से अधिक नहीं हुई। 490 टनों के लिए सात प्रचलित टैंकों की एक संयोजित क्षमता थी जो कि उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक की प्रत्येक महीने में प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के केवल 400 टन के संदेहात्मक आपूर्ति के उल्लिखित विक्रेता के साथ निर्माणी ने अधिप्राप्ति की। 2012-14 के 24 महीनों में से पाँच अवसरों पर केवल 350 टन के मासिक आपूर्ति को पूरा करने के साथ प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड की वास्तविक आपूर्ति कहीं कम थी। औसतानुसार 2013-14 में निर्माणी में मासिक योगफल 145 टन था, जो कि मूलतः

¹⁴⁴ 2008 में प्रथम चरण में 3 टैंकों को प्रतिस्थापित किया गया, 2012 में द्वितीय चरण में चार टैंकों को प्रतिस्थापित किया गया तथा बचे हुये चार टैंकों के लिए वर्तमान लेखा परीक्षा पैराग्राफ संबंधित है।

¹⁴⁵ प्रत्येक भंडारण टैंक 400 से.मी. की ऊंचाई पर भरने के साथ प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के 50 क्युबिक मीटर के भंडारण की क्षमता रखता है। रसायनों के अतिप्रवाह से बचाने के लिए 375 से.मी. की ऊंचाई तक ही टैंकों को भरा जाता है। अतः प्रत्येक भंडारण टैंक 70 टन प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड का भंडार कर सकता है।

¹⁴⁶ 70 टन क्षमता के साथ 7 टैंक, अतः $7 \times 70 = 490$ टन

2011-12 में 250 टन से घट गया था। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के बिन-कार्ड की संवीक्षा ने यह उजागर किया कि विक्रेता ने दैनंदिन के आधार पर एसिड की आपूर्ति की तथा कुछ ही दिनों के भीतर उत्पादन में खपत के लिए आपूर्ति किए गए एसिड को तुरंत ही निकाल लिया जा रहा था।

हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ₹1.08 करोड़ की लागत पर बचे हुये चार टैंकों के प्रतिस्थापना के लिए चार टैंकों का क्रय अनुचित था।

उत्तर में बोर्ड ने निम्नांकित को दर्शाते (मार्च 2015) हुये चार भंडारण टैंकों के अधिप्राप्ति को उचित बताया:

- नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन योजना के अंतर्गत सुरक्षा एवं युद्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुये 39 दिनों के निरंतर उत्पादन के प्रत्येक के 70.5 टन की भंडारण क्षमता के लिए ग्यारह टैंकों का निर्माण किया गया।
- युद्ध परिस्थिति का सामना करने के लिए बनाए गए बचे हुये 40 प्रतिशत क्षमता के साथ बोर्ड के लक्ष्य पर आधारित 60 प्रतिशत प्लांट क्षमता पर निर्माणी ट्राई नाइट्रो टोल्यून का उत्पादन करती रही। अतएव टी.एन.टी प्लांट के पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए 11 प्रयोज्य टैंकों को संधृत रखना था।
- व्यवसाय से प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड की अधिप्राप्ति की जा रही थी तथा प्रत्येक दिन 24 घंटे के लिए टी.एन.टी प्लांट निरंतर कार्यरत था एवं उत्पादन में हानि से बचाने के लिए सभी सहयोगी सामग्री के अबाधित आपूर्ति को बनाए रखने की आवश्यकता थी।
- वर्ष 2011-12 के लिए टी.एन.टी तथा सी.ई के उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये चार दोषित टैंकों का प्रतिस्थापन आवश्यक था।

मंत्रालय ने बोर्ड के मत का समर्थन (जुलाई 2015) किया।

चार भंडारण टैंकों के प्रतिस्थापना के लिए बोर्ड/मंत्रालय का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं था चूंकि प्लांट एवं मशीनरी के अधिप्राप्ति के लिए बोर्ड के नियमावली के पैराग्राफ 2.3.1 में यह साफ दर्शाया गया है कि निर्माणी को निम्न के आधार पर अपनी भावी योजना निश्चित कर लेनी चाहिए (क) बचे हुये निर्माणियों के मामले में उपभोक्ता के आवश्यकता का प्रक्षेपण तथा (ख) अव्यव उत्पादित करने वाले निर्माणियों के मामले में अंतर निर्माणी मांग। भावी उत्पादन भार के आधार पर निर्माणी वार्षिक नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना योजना तैयार करेगी। 2586.40 टन (2014-15) तथा 3813.95 टन (2010-11) के बीच अनुक्रमित 2010-16 के दौरान निर्माणी को दिये गए टी.एन.टी एवं सी.ई के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को देखते हुये प्रति माह 223 टन एवं 333 टन के बीच अनुक्रमित प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता हुई।

इसी कारण से वर्ष 2010-11 से 2015-16 के वित्तीय वर्ष के लिए मासिक/वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चार और टैंकों के नए अधिप्राप्ति कार्य को सम्पन्न करते समय निर्माणी में उपलब्ध सात टैंक कहीं ज्यादा पर्याप्त थे। यहाँ तक की प्रत्येक माह 333 टन प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के 2010-11 में उत्पादन के लिए लक्ष्यों के उच्चतम दरों को ध्यान में रखने के बाद भी अवस्थित सात टैंक प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड को भंडार करने के लिए कहीं ज्यादा पर्याप्त थे।

अतः उत्पादन में प्रभावशाली नाइट्रिक एसिड के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता एवं एक गिरती मांग के बावजूद भी निर्माणी द्वारा ₹1.08 करोड़ की कुल लागत पर चार भंडारण टैंकों की अधिप्राप्ति प्रतिस्थापना के लिए होने के बावजूद भी अनुचित थी।

7.6 फीडर प्रणाली का अनुपयोग

स्विच गियर की अधिप्राप्ति व उसकी स्थापना (अप्रैल 2015) में राइफल निर्माणी ईशापुर आर.एफ.आई. की विफलता के कारण जून 2006 में राइफल निर्माणी ईशापुर द्वारा ₹4.09 करोड़ की लागत से स्थापित सब स्टेशन उपयोग नहीं किया जा सका।

राइफल निर्माणी ईशापुर (निर्माणी) अपनी विद्युत आवश्यकताओं को मुख्यतः 6 के.वी. से धातु एवं इस्पात निर्माणी (एम.एस.एफ.) के पाँच फीडरों के माध्यम से पूरा करती है। इसके अतिरिक्त यह विद्युत वितरण कंपनी, कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सी.ई.एस.सी.) के सब स्टेशन से 33 के.वी. के रेडियल¹⁴⁷ टाइप वितरण प्रणाली द्वारा भी बिजली प्राप्त करती है।

एम.एस.एफ. से प्राप्त विद्युत ऊर्जा में वोल्टेज के असामान्य उतार-चढ़ाव से उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण निर्माणी ने प्रस्तावित किया (मई 2002) कि निम्नलिखित संघटकों के साथ एक नई प्रणाली स्थापित की जाये।

- रिंग मैन फीडर प्रणाली¹⁴⁸ के साथ एक नया सब स्टेशन;

¹⁴⁷ एक ऐसी विद्युत वितरण प्रणाली जिसमें सब-स्टेशन से विभिन्न फीडर त्रिज्यिक रूप से आकर प्राथमिक वितरण ट्रांसफार्मर में सीधे जुड़ जाते हैं। इसमें एक प्रमुख कमी यह है कि यदि कोई फीडर बंद हो जाता है तो संबंधित उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पायेगी क्योंकि ट्रांसफार्मर तक बिजली पहुंचाने के लिए कोई वैकल्पिक पथ नहीं मिल सकेगा। ट्रांसफार्मर बंद होने पर भी तब तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी जब तक फीडर अथवा ट्रांसफार्मर का सुधार नहीं कर लिया जाता।

¹⁴⁸ रेडियल विद्युत वितरण प्रणाली के दोषों के निराकरण के लिए यह एक विकल्प है। इस प्रणाली के अंतर्गत वितरणों का एक रिंग नेटवर्क तक एक से अधिक फीडरों द्वारा बिजली पहुंचाई जाती है। यदि एक फीडर खराब है या मरम्मत के अंतर्गत है तो भी अन्य फीडरों से संबद्ध होने के कारण रिंग वितरण तक बिजली पहुंचती रहती है। अतः किसी फीडर के बंद होने पर भी उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा नहीं आती।

- उच्च तकनीक के मशीनिंग सेंटर तथा कम्प्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कन्ट्रोल्ड कोल्ड स्वेजिंग मशीन वाले सभी शॉपस् के लिए अबाधित तथा झटका-मुक्त विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 33 के.वी. रिंग मेन प्रणाली के विकास के लिए उच्च¹⁴⁹ एवं निम्न दाब¹⁵⁰ हेतु सज्जित स्विच गियर तथा;
- सी.ई.एस.सी. से सीधे प्राप्त विद्युत ऊर्जा के लिए एक डिजिटल एस.सी.ए.डी.ए. नियंत्रण प्रणाली¹⁵¹।

नये 33 के.वी. सब स्टेशन के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2003) जिसे जून 2004 तक पूर्ण किया जाना था। निर्माणी ने सी.ई.एस.सी. से ₹ 4.09 करोड़ की लागत से 33 के.वी. सब स्टेशन की अधिप्राप्ति की, जिसे अप्रैल 2006 में विद्युत प्रवाह से संबन्ध कर दिया गया।

हमने पाया कि यद्यपि सब स्टेशन में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी थी किंतु निर्माणी नये रिंग प्रणाली को अगले 09 वर्षों तक प्रचालित करने के लिए आवश्यक स्विच गियर की अधिप्राप्ति पर कोई निर्णय न ले सकी। निर्माणी यह निश्चित नहीं कर सकी कि एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली आवश्यक थी अथवा नहीं। वैधता अवधि के अंतर्गत निविदा प्रस्तावों पर निर्णय लेने में अक्षमता के कारण सितंबर 2004, जून 2005, दिसंबर 2006 तथा नवंबर 2007 में पुनः निविदा करनी पड़ी।

अंततः निर्माणी ने बिना एस.सी.ए.डी.ए. के स्विच गियर की अधिप्राप्ति का विकल्प इस आधार पर चुना (जनवरी 2012) कि विद्यमान 33 के.वी. प्रणाली (सी.ई.एस.सी. सब स्टेशन से फीडर) के साथ माडेम प्रणाली काम नहीं करेगी। निर्माणी ने आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की (नवंबर 2012)। 6 माह बाद, निर्माणी ने निविदा सूचना जारी की (मार्च 2013)। तथापि, अप्रैल 2015 तक क्रय आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

परिणामस्वरूप, विद्युत आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के कारण शस्त्रों के निर्माण में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए जून 2006 में अधिप्राप्त नयी 33 के.वी. रिंग मेन प्रणाली स्विच गियर की अनुपलब्धता के कारण उपयुक्त पड़ी रही।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने (अप्रैल 2015) निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए:-

¹⁴⁹आठ कि. मी. लंबे निम्न दाब के भूमिगत केबल, कैपिसीटर बैंक व पावर पैनल से युक्त

¹⁵⁰भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार दो किमी लंबे उच्च दाब केबल, सर्किट ब्रेकर , बैटरी बैंक, ट्रांसफार्मर , सब-स्टेशन लाइटिंग अरेस्टर से युक्त।

¹⁵¹सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एंड एक्विजिशन सिस्टम (एस.सी.ए.डी.ए.) एक ऐसी प्रणाली है जो संचार चैनलों पर कोडल सिग्नलों के साथ काम करती है जिससे दूरस्थ उपस्कर (विशिष्ट रूप से प्रति दूरस्थ स्टेशन एक संचार चैनल का उपयोग करने वाले) पर नियंत्रण रखा जा सके।

- विद्यमान 33 के.वी. फीडर के अतिरिक्त सी.ई.एस.सी. सब स्टेशन से सीधे विद्युत आपूर्ति करने के लिए एक स्वतंत्र 33 के.वी. सब स्टेशन का प्रस्ताव इसलिए रखा गया कि विद्यमान 33 के.वी. आपूर्ति स्रोत के बंद होने की स्थिति में निर्माणी हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रिंग मेन प्रणाली को विकसित किया जा सके तथा आर.एफ.आई. की एम.एस.एफ. से आपूर्ति पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके।
- 19 अक्टूबर 2013 को आर.एफ.आई. में सी.ई.एस.सी. एच.टी. साइड के विद्यमान 33 के.वी. फीडर के बंद होने की स्थिति में सी.ई.एस.सी. ने बस कपलर¹⁵² का उपयोग करके स्थापित 33 के.वी. एच.टी. फीडर से आर.एफ.आई. को 4 दिनों तक विद्युत आपूर्ति की, जिसके कारण उत्पादन हानि से बचा जा सका।
- 33 के.वी. रिंग मेन प्रणाली के उपयोग के कारण निर्माणी सी.ई.एस.सी. से लोड फैक्टर, पावर फैक्टर तथा अधिकतम डिमांड के रूप में प्रतिवर्ष ₹1.86 करोड़ की छूट प्राप्त करती रही है।
- 33 के.वी. रिंग मेन प्रणाली की स्विच गियर की अधिप्राप्ति तथा स्थापना के लिए निविदा खोली जा चुकी है तथा आर.एफ.आई. अधिप्राप्ति व स्थापना की प्रक्रिया को त्वरित आधार पर पूर्ण करने जा रही है।

उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:-

- निर्माणी ने एम.एस.एफ. के प्राथमिक फीडर से वोल्टेज के उतार-चढ़ाव वाली बिजली को प्राप्त करने से बचने तथा महत्वपूर्ण संस्थापनाओं में अबाधित तथा झटका मुक्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रिंग मेन प्रणाली विकसित करने के हेतु विद्यमान 33 के.वी. रेडियल प्रकार की प्रणाली के अतिरिक्त एक नये 33 के.वी. रिंग मेन प्रणाली की स्थापना को औचित्यपूर्ण बताया (मई 2002)
- विद्यमान रेडियल प्रकार के सब-स्टेशन के बंद होने की स्थिति में नये रिंग प्रकार के सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति जारी रखना संभव नहीं था¹⁵³ क्योंकि नये स्थापित सब स्टेशन से सभी कारखानों के लिए अबाधित तथा झटका

¹⁵²बस कपलर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत आपूर्ति में बाधा डाले बिना तथा खतरनाक आर्क उत्पन्न किए बिना एक बस को दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

¹⁵³क्योंकि 33 के.वी. सब-स्टेशन से प्राप्त उच्च बोल्टेज विद्युत को 6 के.वी. के निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए उच्च एवं निम्न दाब स्विच गियर आवश्यक होते हैं।

मुक्त बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निम्न उच्च दाब के स्विच गियर की आवश्यकता थी¹⁵⁴।

- चूंकि नये 33 के.वी. सब-स्टेशन के लिए बिलिंग नहीं हो रहीं थी जैसा कि निर्माणी द्वारा लेखा परीक्षा को बताया गया (अप्रैल 2015), अतः ओ.एफ.बी. के उत्तर में दिए गए तथ्य के अनुसार विद्युत खपत पर छूट प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं थी।

अतः स्विच गियर की अधिप्राप्ति व उसकी स्थापना में आर.एफ.आई. की विफलता के कारण (अप्रैल 2015), जून 2006 में राइफल निर्माणी ईशापुर द्वारा ₹4.09 करोड़ की लागत से स्थापित नये सब-स्टेशन का उपयोग संभव न हो सका।

मामले को फरवरी 2015 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

7.7 परीक्षण उपस्कर की निष्क्रियता

भारी वाहन निर्माणी आवडी द्वारा ₹9.21 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त किए गए टैस्ट स्टैंट अपनी प्राप्ति के समय दिसम्बर 2010 से निष्क्रिय पड़े हुए थे।

ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणी देहरादून (ओ.एल.एफ़) में टी-90 टैंकों में निर्धारण के लिए साइटिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, इंजन निर्माणी आवडी में टी-90 इंजनों तथा भारी वाहन निर्माणी आवडी (एच.वी.एफ़) में टी-90 टैंकों के देशी उत्पादन के लिए मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस (ओ.ई.एम) के साथ रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने एक तकनीक का अंतरण (टी.ओ.टी) करार स्थापित किया।

मंत्रालय ने यह निर्देश (मई 2006) दिया कि टी.आई.ई.एस.एस.ए.¹⁵⁵ दृश्य उपकरण की अधिप्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस जो कि वास्तविक उपस्कर उत्पादककर्ता नहीं थे, के स्थान पर मेसर्स बेल-टेक एक्सपोर्ट, बेलारूस द्वारा ही की जानी थी। मंत्रालय ने यह भी शर्त लगाया (दिसंबर 2006) कि पूर्ण अधिकार के साथ ओ.ई.एम से अधिप्राप्ति के संबंध में अतिरिक्त करार को निश्चित करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी)/ महाप्रबंधक/ वरिष्ठ महाप्रबंधक प्राधिकृत थे।

¹⁵⁴जैसा कि राइफल निर्माणी ईशापुर द्वारा स्विच गियर की अधिप्राप्ति की आवश्यकता को औचित्यपूर्ण बताते हुए (मई 2002) कहा गया था।

¹⁵⁵ सामान्य एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत तथा दिन एवं रात्रि के दौरान लक्ष्यों का पता लगाने के लिए थर्मल कल्पना के सिद्धांत पर कार्यरत कमांड वर्शन टैंकों तथा टी-90 तोपची में प्रयोग में लाये जाने वाला एक रात्रि परिकल्पित यंत्र।

हमने यह पाया कि दृश्य उपकरणों के टी.ओ.टी के लिए आधारित फर्म बेलारूस को प्रस्ताव देने के स्थान पर ओ.एफ़.बी ने टी.ओ.टी के हस्ताक्षरित होने के सात वर्षों के पश्चात मई 2008 में अवलोकन के लिए टी.ओ.टी के आपूर्ति के लिए आश्वासित किया, बैठकों के अनुक्रम के द्वारा ओ.ई.एम के साथ इस विषय को संभाला। तदनुसार एच.वी.एफ़ ने रूसी भाषा में तकनीकी दस्तावेजीकरण (यू.एस.डी 5.50 लाख) के आपूर्ति तथा दिसंबर 2006 के आदेश में दर्शाये गए मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर टी-90 टैंकों के साथ एकीकरण के पश्चात दृश्य उपकरणों के जांच के लिए आवश्यक उपस्कर (यू.एस.डी 20.53 लाख में जांच स्टैंड¹⁵⁶ को शामिल करते हुये 17 मर्दों की समाविष्टि) के लिए एक अतिरिक्त मसौदा करार हस्ताक्षरित किया।

हमने आगे यह देखा कि एच.वी.एफ़ ने ₹2.55 करोड़ की लागत पर जुलाई 2010 में टी.ओ.टी दस्तावेजों को प्राप्त किया एवं अक्टूबर 2010 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाने के लिए ₹5.10 लाख का व्यय किया। एच.वी.एफ़ ने ₹9.29 करोड़ की लागत पर टी.ओ.टी के साथ दिसंबर 2010 में उपस्कर (जांच स्टैंड को शामिल करते हुये 17 मर्दों की समाविष्टि) प्राप्त किया।

जबकि दिसंबर 2011 में 16 प्रकार के उपस्करों का प्रभार में लिया गया था, ₹9.21 करोड़ के मूल्य के जांच स्टैंड का मार्च 2012 में प्रभार में लिया गया था। जबकि ओ.ई.एम से प्राप्त रेखाचित्र के अनुसार जांच स्टैंड को साधिकार नहीं किया जा सका जिसे 'अध्ययन के अंतर्गत' के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

जब इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तब एच.वी.एफ़ ने यह उत्तर दिया कि ओ.ई.एम द्वारा प्राप्त रेखाचित्र दस्तावेजों का सम्पूर्ण रूप से अध्ययन किया गया था और 11 दिसंबर 2013 से 13 दिसंबर 2013 के बीच एच.वी.एफ़ में आयोजित बैठक के दौरान रूसी विशेषज्ञों के साथ आवश्यक स्पष्टीकरणों को देखा गया था तथा चूंकि रूसी पक्षों ने अपने बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया था, मामला 'अध्ययन के अंतर्गत' था।

वास्तविकता इस प्रकार से है कि:

- मई 2006 में मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों के विपरीत दिसंबर 2006 में दर्शाये गए मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर मेसर्स बेल-टेक एक्सपोर्ट, बेलारूस के स्थान पर ओ.ई.एम से एच.वी.एफ़ ने दृश्य उपकरणों की अधिप्राप्ति की जो कि सही नहीं था चूंकि दिसंबर 2006 के निर्देश अधिप्राप्ति के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के लिए सामान्य निर्देश थे।

¹⁵⁶ जांच स्टैंड का अर्थ टी.आई.ई.एस.एस.ए स्थानों के एकीकरण के पश्चात किसी त्रुटि के मामले में दोष परीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर।

- इसके अतिरिक्त नवीनतम स्टैंड के मार्च 2010 में प्राप्ति के बाद भी उसका प्रभार मार्च 2012 में लिया गया। लिए गए समय के संबंध में एच.वी.एफ ने यह उत्तर दिया कि फरवरी 2011 में 'डमी आपूर्ति आदेश' तथा 'डमी प्राप्ति रसीद' के सृजन के परिणामस्वरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा अतिरिक्त मसौदा करार के अस्वीकृति को विलंब का कारण ठहराया। जबकि फरवरी 2011 से फरवरी 2012 तक हुये विलंब के कारणों को एच.वी.एफ द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित नहीं किया गया।
- ₹9.21 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त किया गया जांच स्टैंड एच.वी.एफ में तब तक निष्क्रिय पड़ा हुआ था चूंकि वह अधिकृत नहीं किया गया था।

इस विषय को मार्च 2015 में मंत्रालय एवं बोर्ड को सौंप दिया गया था। अपने प्रत्युत्तर में बोर्ड ने यह उल्लेख (मई 2015) किया कि जांच स्टैंड के अधिकृतिकरण एवं निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी निदेशन, स्रोतों तथा औजारों को सुनिश्चित करने के लिए एच.वी.एफ द्वारा ओ.ई.एम से प्राप्त सम्पूर्ण रेखाचित्र का अध्ययन किया जा रहा था और अध्ययन के पूरा हो जाने पर संचालन कार्य को किया जाएगा। जबकि बोर्ड ने जांच स्टैंड के संचालन के लिए रेखाचित्रों के अध्ययन के समापन के लिए किसी भी विशिष्ट समय की अनुसूची का सम्प्रेषण नहीं किया था।

अतः मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत एच.वी.एफ ने एक रूसी फर्म से ₹9.21 करोड़ की लागत पर एक जांच स्टैंड की अधिप्राप्ति की जो कि दिसंबर 2010 में अपनी प्राप्ति के बावजूद भी निष्क्रिय पड़ी थी चूंकि जांच स्टैंड के संचालन के लिए विदेशी फर्म से प्राप्त रेखाचित्रों के अध्ययन को पूरा करने में चार वर्षों से अधिक समय के साथ एवं एक वर्ष से अधिक का समय होने के बाद भी निर्माणी ने जांच स्टैंड का प्रभार ग्रहण नहीं किया।

इस विषय को मंत्रालय को मार्च 2015 में सौंप दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

7.8 निविदा पूछताछ/आपूर्ति आदेश में विकल्प उपबंध का समावेश न होने के कारण अतिरिक्त व्यय

अधिप्राप्ति नियम में विद्यमान प्रावधानों के विरुद्ध निविदा सूचना/आपूर्ति आदेश में, विकल्प उपबंध का समावेशन करने में, आप्टो इलेक्ट्रानिक निर्माणी देहरादून की विफलता के कारण बाद में निर्माणी को ₹1.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कर इमेज इन्टेंसिफायर ट्यूब की अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक (नियमपुस्तक) 2005 के पैराग्राफ 9.15 में, वर्णित है कि निविदा के प्रति प्रस्तुत

किए जाने वाले आपूर्ति आदेश में मात्रा वृद्धि हेतु किसी विकल्प उपबन्ध का समावेशन किए जाने के संबंध में आयुध निर्माणियों द्वारा निविदा के स्तर पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। नियम पुस्तक में आगे वर्णित है कि (i) यदि विकल्प उपबन्ध का समावेशन छूट भी जाये तो निविदा के विशिष्ट अनुदेशों में 25 प्रतिशत अधिक मात्रा का आदेश प्रस्तुत करने के लिए उपबन्ध को समाविष्ट करने का अधिकार होता है।(ii) जहाँ इस तरह के विकल्प उपबन्ध को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया है उस स्थिति में इसे निविदा सूचना में ही दिया जाना चाहिए एवं प्रारंभिक आपूर्ति आदेश के प्रक्रमण के दौरान परिचालित विकल्प उपबन्ध के प्रति 100 प्रतिशत तक वृद्धित मात्रा के लिए स्वीकृति दिया जाना चाहिए तथा प्राप्त उध्दरणों के आधार पर निविदा क्रय समिति, विकल्प उपबन्ध एवं मात्रा के समावेशन पर निर्णय लेगी।

2007-2008 के लिए उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आप्टो इलेक्ट्रॉनिक निर्माणी देहरादून (ओ.एल.एफ.)¹⁵⁷ ने 9592 नग की संभावित कमी के प्रति 4944 नग उच्च क्षमता सुपरजेन इमेज इन्टेसिफायर ट्यूब¹⁵⁸ (ट्यूब) की अधिप्राप्ति के लिए एक वैश्विक निविदा (जी.टी.ई.) जारी की (मई 2007)। हमने देखा कि नियमों के विरुद्ध जी.टी.ई. में मात्रा वृद्धि के संबंध में कोई विकल्प उपबन्ध नहीं था।

ओ.एल.एफ. ने प्रमुख विक्रेताओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी बिड (अगस्त 2007-मार्च 2008) एवं वाणिज्यिक बिड (अप्रैल 2008) का मूल्यांकन किया तथा मे. फोटोनिश-डेप, फ्रांस से 1975 यूरो की लागत पर ट्यूब की अधिप्राप्ति के लिए ओ.एफ.बी. से संपर्क किया। ओ.एफ.बी. ने, तथापि ओ.एल.एफ. को मे. बीलॉप¹⁵⁹, पुणे से 1935 यूरो की इकाई लागत पर 4248 ट्यूब की अधिप्राप्ति करने तथा वार्षिक आवश्यकता की 20 मात्रा के लिए क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हेतु स्रोत विकास प्रारंभ करने का निदेश।

तदनुसार, ओ.एल.एफ. ने आदेश प्रस्तुत किया (जून 2008) तथा 1935 यूरो की इकाई दर पर मे. बीलॉप से 4248 ट्यूब की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, ओ.एल.एफ. ने 2010-11 की उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य 2400 ट्यूब की अधिप्राप्ति हेतु एक निविदा सूचना जारी कर दी (जनवरी 2009) जिसमें लक्षित मात्रा के 25 प्रतिशत वृद्धित मात्रा हेतु

¹⁵⁷ओ.एल.एफ., आयुध निर्माणी बोर्ड के शस्त्र सज्जित वाहन समूह के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है जिसका मुख्यालय अर्थात शस्त्र सज्जित वाहन मुख्यालय आवडी, चेन्नई में अवस्थित है। इसी तरह शस्त्र सज्जित वाहन मुख्यालय, कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

¹⁵⁸ड्रायवर पैसिव नाइट विजन डिवाइस के निर्माण में आवश्यकता।

¹⁵⁹मे. भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड-डेप, फ्रांस का संयुक्त उपक्रम

प्रावधान किया गया। उत्तर में, एल वन फर्म मे. बीलॉप से 2075 यूरो की इकाई लागत से आपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

हमने पाया कि ओ.एफ.एफ. (मार्च 2009) एवं शस्त्र सज्जित वाहन मुख्यालय आवाडी (ए.वी.एच.क्यू.) (मई 2009) दोनों ही जून 2008 के आपूर्ति आदेश के प्रति उसी इकाई दर 1935 यूरो पर, आदेशित मात्रा के 25 प्रतिशत अर्थात् 1062 ट्यूब के लिए विकल्प उपबन्ध का उपयोग करना चाहते थे। किंतु, मे. बीलॉप ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (मई 2009) क्योंकि न ही मई 2007 की निविदा सूचना में और न ही जून 2008 के आपूर्ति आदेश में विकल्प उपबन्ध को समाविष्ट किया गया था। फिर भी, मे. बीलॉप, 1935 यूरो के इकाई दर पर 1062 ट्यूब की आपूर्ति के लिए इस शर्त के साथ सहमत हो गया कि उनकी कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदेशित मूल्य के 15 प्रतिशत भाग का भुगतान अग्रिम के रूप में कर दिया जाय।

हमने आगे देखा कि यद्यपि ए.वी.एच.क्यू. ने मे. बीलॉप में अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा 1935 यूरो की इकाई दर पर 1062 ट्यूब तथा शेष ट्यूब 2075 यूरो की इकाई दर पर आदेशित मूल्य के 15 प्रतिशत भाग का अग्रिम भाग का भुगतान कर अधिप्राप्त करने के लिए अनुशंसा कर दी (जून 2009)। किंतु ओ.एफ.बी. इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ (अगस्त 2009) क्योंकि मई 2007 के जी.टी.ई. तथा जून 2008 के आदेश में विकल्प उपबन्ध का उपलब्ध न होने तथा निविदा शर्तों के विरुद्ध 15 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने से अधिप्राप्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बुरा असर पड़ेगा तथा निविदा पश्चात संशोधन से सतर्कता जाँच की स्थिति निर्मित होगी।

अतः ओ.एल.एफ. ने अपने आदेश (सितंबर 2009) के प्रति मे. बीलॉप से 2025 यूरो की इकाई दर पर 2400 ट्यूब की अधिप्राप्ति की (फरवरी 2010 से फरवरी 2011)। परिणामस्वरूप, ओ.एल.एफ. को उसके सितंबर 2009 के आदेश के प्रति 90 यूरो की अधिक इकाई लागत पर 2400 ट्यूब की अधिप्राप्ति करनी पड़ी जिससे ₹1.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा इस स्थिति से बचा जा सकता था यदि मई 2007 के जी.टी.ई. में निविदा में उल्लिखित मात्रा के साथ-साथ विकल्प उपबन्ध के रूप में 100 प्रतिशत बढ़ी हुई मात्रा के लिए उध्दरण मांगा जाता तथा पूर्व के आपूर्ति आदेश के प्रक्रमण के दौरान उसका उपयोग किया जाता।

उत्तर में, आयुध निर्माणी बोर्ड ने कहा कि (अप्रैल 2015) (i) ट्यूब की कुल आवश्यकता मात्रा, जैसा कि सामग्री नियोजन पत्र (एम.टी. शीट) में उपलब्ध है, 7463 नग थी न कि 9592 नग जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है। (ii) आयुध निर्माणी वर्जन 2005 के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम पुस्तक के अनुलग्नक 4.1 (डी) के अनुसार, विकल्प उपबन्ध केवल ऐसे ही मामलों में समाविष्ट किया जाना है जहाँ वार्षिक आवश्यकता का 80 प्रतिशत भाग स्थापित स्रोतों से

सीमित निविदा जाँच द्वारा पूर्ण किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान प्रकरण में आवश्यकता के आधार पर जी.टी.ई. के माध्यम से आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था अतः आपूर्ति आदेश में विकल्प उपबंध को शामिल नहीं किया गया।

ओ.एफ.बी. का तर्क वास्तविक रूप से सही नहीं है क्योंकि (i) 2007-2008 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 19 अप्रैल 2007 के सामग्री नियोजन पत्र में कुल आवश्यक मात्रा 7463 प्रदर्शित की गई तथा 2032 ट्यूब की आवक शेष पर 4944 ट्यूब की अधिप्राप्ति प्रस्तावित की गई किंतु 20 अप्रैल 2007 को आयोजित निविदा क्रय समिति की बैठक में आप्टो इलेक्ट्रानिकि निर्माणी देहरादून के महाप्रबंधक ने 9592¹⁶⁰ की आवश्यकता मात्रा के प्रति 4944 ट्यूब की अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की; तथा (ii) नियम पुस्तक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जी.टी.ई. के माध्यम से अधिप्राप्ति की स्थिति में विकल्प उपबंध के समावेशन से ओ.एल.एफ. को प्रतिबंधित करता हो। इसके अतिरिक्त, ओ.एफ.बी. के नियम पुस्तक के पैरा 6.6 (जे.) में निविदा सूचना तैयार करने के लिए आवश्यक जांच बिंदु दिए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भंडार की मांग के आवर्ती के होने पर 100 प्रतिशत तक अधिक मात्रा की पूर्ति से संबंधित निविदा सूचना में विकल्प उपबंध के समावेशन के संबंध में आयुध निर्माणियों से एक आश्वासन अपेक्षित होता है। इसके अलावा, जी.टी.ई. में विकल्प उपबंध का समावेशन, भंडार के मूल्य में कमी का रूझान न होने की स्थिति में प्रस्तावित आपूर्ति आदेश के लंबित होने की अवधि के अंदर बढ़ी हुई मात्रा की अधिप्राप्ति उन्ही शर्तों व प्रावधानों पर किए जाने का आश्वासन मात्र है और वह भी निर्माणी के उपर निर्भर है। वर्तमान मामले की और मात्रा की आवश्यकता विद्यमान रही क्योंकि अधिप्राप्ति 4944 नग ट्यूब के प्रति महाप्रबंधक ओ.एल.एफ. द्वारा अनुमोदित कुल आवश्यक मात्रा 9592 नग थी।

अतः अधिप्राप्ति नियम पुस्तक के प्रावधानों के विरुद्ध जी.टी.ई./आपूर्ति आदेश में आवश्यक उपबंध को समाविष्ट करने में ओ.एल.एफ. की विफलता के कारण बाद में ₹1.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके ट्यूब की अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

हमने अनुशंसा की कि ओ.एफ.बी. को निविदा सूचना में विकल्प उपबंध के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आयुध निर्माणियों को अनुदेश जारी करना चाहिए चाहे वर्ष की समय आवश्यकता पूर्ण हो अथवा नहीं।

मामले को फरवरी 2015 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

¹⁶⁰9592 ट्यूब की कुल आवश्यकता की गणना कुल आवश्यकता 13234 ऋण अब तक प्राप्त मात्रा 1610 ट्यूब की आवक शेष मात्रा 2032 ट्यूब, के आधार पर की गई।

विविध

7.9 रूपान्तरण आदेशों में ब्रास छड़ों की वसूली कम होने के कारण हानि

व्यवसाय फर्मों में से एक फर्म द्वारा अधिक उत्पाद लाभ एवं न्यूनतम प्रक्रिया हानि होने के बावजूद भी ब्रास टिकानों के ब्रास छड़ों में रूपान्तरण के लिए व्यवसाय फर्मों पर उनके आदेशों में मेटल एंड स्टील निर्माणी इशापुर द्वारा उच्चतम प्रक्रिया हानि तथा न्यूनतम उत्पाद लाभ के प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ तक की ब्रास छड़ों की निम्न वसूली हुई थी तथा उन व्यवसाय फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिन्होंने उसी सीमा तक रूपान्तरण आदेश का कार्यान्वयन किया था।

मेटल एंड स्टील निर्माणी इशापुर (एम.एस.एफ़) सहयोगी निर्माणियों¹⁶¹ को आपूर्ति के लिए विभिन्न आकारों के परिपूर्ण ब्रास छड़ों के उत्पादन में संलग्न है। इस मांग को पूरा करने के लिए एम.एस.एफ़ अपने गलनांक प्लेटफार्म अनुभाग द्वारा बनाए गए 175 मि.मी. व्यास वाले ब्रास टिकान का निष्कासन करता है तथा उसी को ब्रास टिकान को ब्रास छड़ों में बाहर निकालने के लिए एक राज्य द्वारा स्वीकार किए गए उपक्रम मेसर्स नियो पाइप्स एंड ट्यूब्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.पी.टी.सी.एल) को भेजता है।

सुपर्दगी अनुसूची को समय में पूरा ना कर पाने की मेसर्स एन.पी.टी.सी.एल की असफलता को देखते हुये एम.एस.एफ़ को (अगस्त 2010) में नए स्रोतों का विकास करने की आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार एम.एस.एफ़ ने मेसर्स सेनर मेटल्स, जामनगर (एस.एम) को 80 प्रतिशत के न्यूनतम प्राप्ति एवं तीन प्रतिशत के अधिकतम प्रक्रिया हानि के साथ विभिन्न आकारों के 175 मि.मी. व्यास के ब्रास टिकानों के 13720 कि.ग्रा. ब्रास छड़ों के रूपान्तरण के लिए एक विकास आदेश प्रस्तुत (अगस्त 2010) किया। जबकि एस.एम ने तीन प्रतिशत अस्वीकृत प्रक्रिया हानि एवं 86.43 प्रतिशत के उत्पाद लाभ पर एम.एस.एफ़ से 15875 कि.ग्रा.के 175 मि.मी. व्यास के ब्रास टिकानों के विरुद्ध विभिन्न आकारों के 13720 कि.ग्रा. ब्रास छड़ों की सुपर्दगी (सितंबर 2010) की।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इसके पश्चात एम.एस.एफ़ ने एन.पी.टी.सी.एल तथा एस.एम पर ब्रास टिकानों के 1609 टन ब्रास छड़ों में रूपान्तरण के लिए दिसंबर 2010 तथा अगस्त 2012 के बीच सात क्रय आदेशों को प्रस्तुत किया। इन क्रय आदेशों ने चार प्रतिशत के प्रक्रिया हानि एवं न्यूनतम 70 प्रतिशत के उत्पाद लाभ की अपेक्षा की जबकि अगस्त 2010 के एक पूर्व आदेश के विरुद्ध एस.एम द्वारा तीन

¹⁶¹ गन एण्ड शेल निर्माणी काशीपुर, आयुध निर्माणी दम दम, आयुध निर्माणी अंबाझरी तथा आयुध निर्माणी खामरिया।

प्रतिशत की दर पर प्रक्रिया हानि एवं 86 प्रतिशत के लाभ को प्राप्त कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि नवंबर 2010 तथा अप्रैल 2011 के निविदा जांच के विरुद्ध एस.एम के तीन प्रतिशत प्रक्रिया हानि एवं न्यूनतम 80 प्रतिशत के उत्पाद लाभ के साथ ब्रास टिकानों का ब्रास छड़ में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु एम.एस.एफ ने क्रय आदेशों को प्रस्तुत करते समय इस उत्पाद लाभ दर तथा अस्वीकृत प्रक्रिया हानि पर कोई ध्यान नहीं दिया।

एम.एस.एफ ने एस.एम तथा एन.पी.टी.सी.एल से 2081.116 टन के 175 मि.मी. व्यास के ब्रास टिकानों को जारी (दिसंबर 2010 एवं अप्रैल 2013) और विभिन्न आकारों के 1584.66 टन के ब्रास छड़ों को प्राप्त (अप्रैल 2011 से मई 2013) किया। इनमें से एम.एस.एफ ने 1556.557¹⁶² टन ब्रास छड़ों को स्वीकार किया और इस प्रकार से एस.एम तथा एन.पी.टी.सी.एल द्वारा चार प्रतिशत प्रक्रिया हानि के साथ 75 प्रतिशत के औसत उत्पाद लाभ को प्राप्त किया गया।

अतः ब्रास टिकानों के ब्रास छड़ों में परिवर्तन के लिए एम.एस.एफ द्वारा सात क्रय आदेशों में (दिसंबर 2010 से अगस्त 2012) चार प्रतिशत के उच्च प्रक्रिया हानि एवं 70 प्रतिशत के न्यून उत्पाद लाभ के प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹3.32 करोड़ के ब्रास छड़ों की कम वसूली हुई तथा इसी के कारण एन.पी.टी.सी.एल और एस.एम को भी अनावश्यक लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर बोर्ड ने (ओ.एफ.बी) हाट एक्सड्रेशन के दौरान यह उल्लेख (अप्रैल 2015) किया कि ब्रास टिकानों को गलनांक के पास के तापक्रम पर गर्म किया जा रहा है जिसके कारण जब उसे खुली हवा में उजागर किया जाएगा तब ब्रास टिकानों के बाहरी आवरण का उपचयन हो सकता है। उपचयन आवरण के घनत्व को शामिल करते हुए विभिन्न मानदंडों पर 70 प्रतिशत से अधिक लाभ अनिश्चित था। यह विवादास्पद हानि गर्म किए जाने की प्रक्रिया के दौरान हटाये गए टिकान धरातल पर स्थापित अशुद्धियों की मात्रा पर भी निर्भर करता है तथा तीन प्रतिशत के प्रक्रिया हानि के अलावा गणना में एक अतिरिक्त दो से तीन प्रतिशत सामान्य अस्वीकृत हानि को शामिल किया गया था। रूपान्तरण के दौरान प्राप्त वास्तविक लाभ पर भुगतान किया गया था, अतः कोई हानि नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि परिपूर्ण ब्रास छड़ों का मूल्य प्रक्रिया टुकड़ा तथा प्रक्रिया हानि के मूल्य से कहीं अधिक था। अतः वास्तविक लाभ पर किए गए भुगतान के कारण कोई हानि नहीं हुई से संबंधित दावा स्वीकार्य नहीं था।

¹⁶² प्राप्त किए गए 1584.66 टन के राशि तथा स्वीकार किए गए 1556.56 टन के राशि के बीच का अंतर उन 28.10 टन ब्रास छड़ों को दर्शाता है जो प्रयोजनीय विशिष्टीकरण जैसा ना होने के कारण अस्वीकार कर दिये गए थे।

अतः उनके प्रस्ताव में न्यूनतम प्रक्रिया हानि तथा एक व्यवसाय फर्म द्वारा प्रस्तावित अधिकतम लाभ के बावजूद भी ब्रास टिकानों के ब्रास छड़ों में परिवर्तन के लिए व्यवसाय फर्मों पर उनके आपूर्ति आदेशों में एम.एस.एफ़ द्वारा अधिकतम प्रक्रिया हानि एवं न्यूनतम उत्पाद लाभ के प्रावधान और रूपांतर आदेशों को निष्पादित करने वाले व्यवसाय फर्मों को अनावश्यक लाभ देने के परिणामस्वरूप ₹3.32 करोड़ की हानि हुई।

इस विषय को मार्च 2015 में मंत्रालय को सौंप दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

7.10 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

प्रतिभूति जमा पर ब्याज एवं परिशोधन क्षति की वसूली में चूक, विद्युत की अधिकतम डिमांड से अधिक खपत पर छूट प्राप्त करने तथा विलंबित आपूर्ति के लिए भी मूल्य विचलन उपबंध के अंतर्गत भुगतान जारी करने के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आयुध निर्माणी मुरादनगर, आयुध निर्माणी कानपुर तथा उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी ने संबन्धित विद्युत आपूर्ति एजेंसियों व फर्म से ₹1.68 करोड़ की वसूली की।

तीन आयुध निर्माणियों ने लेखा परीक्षा की आपत्ति पर प्रतिभूति जमा पर ब्याज, विद्युत खपत पर छूट, परिशोधन क्षति एवं मूल्य विचलन उपबंध के अंतर्गत किए गए भुगतान की वापसी के रूप में ₹ 1.68 करोड़ की वसूली की।

प्रकरण -1: आयुध निर्माणी मुरादनगर

1994 एवं 2010 के मध्य आयुध निर्माणी मुरादनगर (ओ एफ एम) ने पश्चिमाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पी वी वी एन एल) के पास प्रतिभूति जमा के रूप में 3.20 करोड़ रुपये जमा कराया जिस पर पी वी वी एन एल को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना था। ओ एफ एम ने प्रतिभूति जमा पर 2011-12 के पश्चात अर्थात् 2012-13 एवं 2013-14 में ब्याज प्राप्त नहीं किया। हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2014 ओ एफ एम) ने पी वी वी एन एल के विद्युत बिल (मई 2014) से ₹45.79 लाख के ब्याज की राशि को समायोजित कराया।

प्रकरण -2: आयुध निर्माणी कानपुर

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू पी ई आर सी) ने अक्टूबर 2012 से टैरिफ अनुसूची में 7.5 से 20 प्रतिशत का लोड फैक्टर छूट देने का प्रावधान किया। यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए अनुमेय थी जिनकी खपत (i) प्रति के वी ए 396 के

वी ए एच से लेकर प्रति के वी ए 432 के वी ए एच प्रति माह थी उन्हें 7.5 प्रतिशत की छूट मिलनी थी (ii) प्रति के वी ए 432 के वी ए एच से लेकर प्रति के वी ए 504 के वी ए एच तक थी उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलनी थी (iii) प्रति के वी ए 504 के वी ए एच से अधिक खपत पर 20 प्रतिशत की छूट मिलनी थी।

हमने विद्युत बिलों की जांच की और पाया की आयुध निर्माणी कानपुर (ओ एफ के) ने अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2012 के दौरान¹⁶³ प्रति के वी ए 396 के वी ए एच से अधिक खपत के बावजूद कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (केसको) से ₹43.09 लाख की छूट प्राप्त नहीं की। हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2013) ओ एफ के ने छूट की प्राप्ति के लिए मामले पर केसको से संपर्क किया (फरवरी 2013)। मई 2013 के मासिक बिल से ₹27.83 लाख की छूट की राशि समायोजित कर ली गयी थी तथा शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी थी।

प्रकरण -3: उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी

उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी ने 4094 टन आर्थो नाइट्रो टोलीन (ओ एन टी) की आपूर्ति के लिए मे. दीपक नाइट्रेट लिमिटेड मुंबई (फर्म) को विकल्प उपबंध व मूल्य विचलन सहित ₹ 23.62 करोड़ की कुल लागत से एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया (सितंबर 2011) जिसकी आपूर्ति विभक्त मासिक कार्यक्रम के अनुसार की जानी थी तथा जो 31 दिसंबर 2012 तक पूर्ण हो जानी थी। दिसंबर 2012 में विकल्प उपबंध के अंतर्गत आदेशित मात्रा को बढ़ाकर 1150 टन कर दिया गया जिसकी आपूर्ति हेतु मार्च 2015 तक का समय दिया गया।

हमने पाया कि अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2013 के दौरान 1050 टन ओ एन टी के प्रदाय कार्यक्रम के प्रति फर्म ने वास्तव में मात्र 435.44 टन की आपूर्ति की तथा शेष 614.56 टन ओ एन टी बाद के महीनों में आपूर्त किया गया। तथापि, एच ई एफ ने 614.56 टन की विलंबित आपूर्ति के लिए फर्म से ₹50.68 लाख की वसूली नहीं की। आगे, एच ई एफ ने अगस्त 2013, नवंबर 2013 एवं मई 2014 में हुई विलंबित आपूर्ति के लिए मूल्य विचलन उपबंध के अंतर्गत फर्म को उच्च दर पर भुगतान करते हुए ₹43.20 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया जो की आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) के अधिप्राप्ति नियम पुस्तक 2010 के पैरा 7.5.1 (जी)¹⁶⁴ में उपलब्ध प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

¹⁶³ अक्टूबर 2009, नवंबर 2009, मार्च 2010, नवंबर 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2011, अप्रैल 2011, जनवरी 2012, एवं अप्रैल 2012

¹⁶⁴ यदि आपूर्तिकर्ता प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत भंडार की आपूर्ति में विफल रहता है तो क्रेता के पास परिशोधन क्षति सहित प्रदाय अवधि को बढ़ाने का विकल्प मौजूद रहता है। तथापि यदि आपूर्तिकर्ता की विफलता के कारण प्रदाय अवधि में विस्तार होता है तो आपूर्तिकर्ता को मूल्य विचलन उपबंध का लाभ अनुभवे नहीं होगा किन्तु विस्तारित अवधि में मूल्य में कमी का रुझान होने पर इसका लाभ क्रेता को प्राप्त होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने पर बोर्ड ने जुलाई 2015 में कहा कि ₹50.68 लाख की परिशोधन क्षति एवं मूल्य विचलन उपबंध के अंतर्गत ₹43.20 लाख के अनियमित भुगतान की वसूली फर्म के लंबित बिलों से की जा रही है। आगे की जाँच में पता चला कि एच ई एफ ने फर्म से ₹93.88 लाख की वसूली कर ली है (जून 2015)।

अतः लेखापरीक्षा की आपत्ति पर एच ई एफ ने फर्म से रसायन की विलंबित आपूर्ति के लिए ₹50.68 लाख की परिशोधन क्षति तथा मूल्य विचलन उपबंध के अंतर्गत किए गए ₹43.20 लाख के अनियमित भुगतान की वसूली की।

लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में ओ एफ बी ने उपर्युक्त तीन प्रकरणों में लेखापरीक्षा की आपत्ति पर ₹1.68 करोड़ की वसूली की पुष्टि की (फरवरी/सितंबर 2015)।

यह मामला मार्च 2015 में मंत्रालय को भेज दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

अध्याय VIII : रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

बी ई एम एल लिमिटेड, बंगलौर

8.1 अधिप्राप्ति तथा सम्पत्ति-सूची प्रबंधन

8.1.1 प्रस्तावना

8.1.1.1 कम्पनी रूपरेखा

बी ई एम एल लिमिटेड (कम्पनी), जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सूचीबद्ध 'मिनी नवरत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है और वह अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। यह कम्पनी खनन तथा निर्माण उपकरण, रक्षा उत्पादों, रेलवे तथा मेट्रो रेल उत्पादों के डिजाइन, विनिर्माण, विपणन तथा पश्च-बिक्री सेवा में कार्यरत है। यह कम्पनी तीन अलग-अलग व्यापार खण्डों अर्थात् खनन एवं निर्माण, रक्षा एवं वांतरिक्ष तथा रेल एवं मेट्रो के अन्तर्गत कार्य करती है तथा उसके बंगलौर,¹⁶⁵ कोलार गोल्ड फील्ड्स¹⁶⁶ (के जी एफ), मैसूर¹⁶⁷ और पालाक्काड में स्थित नौ विनिर्माण इकाइयों सहित चार विनिर्माण परिसर हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय तथा केन्द्रीय विपणन प्रभाग बंगलौर में स्थित है। कम्पनी का बिक्री एवं सेवा कार्यालयों तथा पुर्जों के डिपुओं का एक राष्ट्र-व्यापी नेटवर्क है।

8.1.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

8.1.2.1 हमने लेखापरीक्षा के लिए यह विषय क्यों चुना

इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या कम्पनी के वाणिज्यिक हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा रही थी, लेखापरीक्षा ने 2010-11से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी में अधिप्राप्ति एवं सम्पत्ति-सूची प्रबंधन की प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया। लाभ में कमी से संबंधित हमारे विश्लेषण से पता चला कि इसके बहुत से कारणों में से एक कारण अत्यधिक सम्पत्ति-सूची स्तर था जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता था।

¹⁶⁵ रेल एवं मेट्रो प्रभाग

¹⁶⁶ अर्थ मूविंग प्रभाग, रेल कोच, हैवी फ्रेब्रिकेशन एण्ड हाईड्रॉलिक एवं पॉवर लाईन

¹⁶⁷ ट्रक प्रभाग एवं इंजन प्रभाग

8.1.2.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने अधिप्राप्ति क्रियाकलापों पर अधिप्राप्ति नीतियों, प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा निर्देशों, सम्पत्ति-सूची नियंत्रण तंत्र, कार्यशील पूंजी सुविधा तथा समस्त विनिर्माण इकाईयों/विपणन प्रभागों द्वारा इनके कार्यान्वयन का अध्ययन किया। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान दिए गए ₹ 9,007.68 करोड़ मूल्य के 86,794 क्रय आदेशों (पीओ) में से, लेखापरीक्षा ने प्रतिस्थापन नमूना विधि के बिना आकार के अनुसार स्तरित यादृच्छिक नमूने के आधार पर समीक्षा हेतु ₹ 5,498.51 करोड़ मूल्य के 1,577 पीओ¹⁶⁸ का चयन किया (अनुलग्नक - XXXIX)।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन के साथ एक एण्ट्री कॉन्फ्रेंस (19 जुलाई 2013) के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई, इसके पश्चात् यूनिटों की पी ओ फाईलों की समीक्षा की गई, आंकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया, प्राथमिक टिप्पणियां जारी की गई तथा प्रबंधन के साथ चर्चा की गई। लेखापरीक्षा कम्पनी के सर्वोच्च प्रबंधन के साथ एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस (30 दिसम्बर 2013) के बाद बन्द कर दी गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों तथा लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा की गई थी।

अक्टूबर 2013 में जारी ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2013 में दिया गया था। कम्पनी ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई दस में से आठ सिफारिशें स्वीकार कर थी तथा दो सिफारिशों पर संदेह/व्यवरोध व्यक्त किया जिसकी चर्चा पैरा 8.3.3.1 और 8.3.3.4 में की गई है।

हमने इसके अलावा 2013-14 की स्थिति की भी समीक्षा की तथा वर्ष के तदनुसारी वित्तीय आंकड़ का अद्यतन किया गया था।

प्रतिवेदन मंत्रालय को जनवरी 2015 में जारी किया गया था और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

8.1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. यह जांच करना कि क्या अधिप्राप्ति हेतु कम्पनी की नीति और कारविधि को भली-भांति परिभाषित किया गया है, सांविधिक/सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाए गए हैं तथा समय-समय पर उनको अद्यतन किया गया है;
2. यह सुनिश्चित करना कि क्रय-पद्धति का पालन किया गया है;
3. सम्पत्ति-सूची प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;

¹⁶⁸ 1577 पीओ में से, विक्रेताओं को दिए गए 1217 पीओज़ बाह्य पोओज़ थे तथा शेष 360 पीओज़ कम्पनी के आन्तरिक प्रभागीय पीओ थे।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए ई-अधिप्राप्ति में अपनाई गई पद्धति की जांच करना और योजना बनाना कि वे प्रलेखित हैं तथा क्रय नियमावली, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों तथा एसटीक्यूसी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

8.1.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

कम्पनी के निष्पादन का निम्नलिखित मापदण्ड के प्रति आकलन किया गया था:

- क्रय नीति एवं कार्यविधि तथा समय-समय पर जारी अनुदेश/दिशानिर्देश;
- निदेशक-मंडल, लेखापरीक्षा समिति, संचालन एवं आन्तरिक समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त;
- लक्ष्य एवं उपलब्धियों, उत्पादन योजना तथा उत्पादन समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त;
- सीवीसी तथा अन्य नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- क्रय आदेशों तथा आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अनुबंधों तथा आपूर्तियों की प्रगति, आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिपुष्टि की समीक्षा;
- सम्पत्ति-सूची प्रतिमान एवं धारिता।

8.1.2.5 लेखापरीक्षा आभार

हम अभिलेखों तथा सूचना के प्रस्तुतिकरण, मामलों के स्पष्टिकरण तथा उत्तर देने के लिए सभा स्तरों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

8.1.2.6 सम्पत्ति-सूची स्थिति

2010-11 से 2013-14 तक चार वर्षों के लिए सम्पत्ति-सूची की स्थिति नीचे तालिका - 53 में दर्शाई गई है:

तालिका- 53: सम्पत्ति-सूची स्थिति


वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कच्ची सामग्री एवं संघटक	553.94	656.74	624.40	439.10
भण्डार एवं पुर्जे	27.16	26.67	23.31	22.59
चालू निर्माण कार्य	472.10	604.97	730.29	579.29
तैयार माल	444.39	739.59	680.45	737.70
अन्य	391.32	394.44	397.75	373.42
जोड़	1888.91	2422.41	2456.20	2152.10
महीने के उपभोग के अनुसार कच्ची सामग्री थी सूची	4.01	4.27	4.35	3.26
महीने की कुल बिक्री के अनुसार तैयार माल की सूची	2.01	3.26	2.91	3.04

2013-14 के अन्त में कम्पनी के पास ₹ 737.70 करोड़ का अधिक तैयार माल था। तथापि मुख्यतः कच्ची सामग्री में कमी तथा चालू निर्माण-कार्य के कारण पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2014 में समग्र सम्पत्ति-सूची की स्थिति ₹ 204.10 करोड़ कम हो गई।

8.1.2.7 अधिप्राप्ति तथा सम्पत्ति-सूची क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने बिक्री तथा वितरण, उत्पादन एवं योजना, सामग्री प्रबंधन, वित्त एवं नियंत्रण, उत्पादन एवं योजा, सामग्री प्रबंधन, वित्त एवं नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन, भुगतान रजिस्टर, मानव संसाधन के लिए एस ए पी को अपनाया है। एस ए पी में प्राप्त भण्डार के लेखाकरण हेतु अधिप्राप्ति क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट- 30 में दिया गया है:

चार्ट- 30 सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया प्रवाह



एस ए पी का सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में अधिप्राप्ति तथा सामग्री लेन-देन पर कब्जा है और साथ ही उसका वित्तीय लेखांकन एवं नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूल में वित्तीय प्रविष्टियाँ जैसे विक्रेता को अग्रिम भुगतान, विक्रेता को देयता, विक्रेता को अन्तिम भुगतान, आदि पर भा कब्जा है। एस ए पी में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ पैरा 8.3.3.4, 8.3.3.6, 8.3.4.1, 8.3.4.4, 8.3.5.4 तथा 8.3.5.5 में शामिल की गई हैं।

कम्पनी के ई-अधिप्राप्ति कार्यों जैसे निविदाकरण(सभी प्रकार की निविदाएं जैसे, एकल, मालिकाना, सीमित तथा खुली निविदाएं), बोलियों की प्राप्ति, बोलियों तथा उल्टी नीलामियों की सूची को शामिल करते हुए आपूर्तकर्ता संबंध प्रबंधन (एस आर एम) एस ए पी के एड-ऑन मॉड्यूल को भी अपनाया है। एस आर एम मॉड्यूल में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ पैरा 8.3.6.1 से 8.3.6.3 में शामिल की गई हैं।

8.1.3 अधिप्राप्ति प्रणाली एवं कार्यविधि

लेखापरीक्षा उद्देश्य: इस बात की जांच करना कि क्या अधिप्राप्ति हेतु कम्पनी की नीति तथा कार्यविधियों को भली-भांति परिभाषित किया गया है तथा समय-समय पर अद्यतन किया गया है और वे सांविधिक/सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में ही बनाई गई हैं;

8.1.3.1 सीवीसी दिशानिर्देशों तथा क्रय नियमावली के उल्लंघन में की गई पश्च-निविदा बातचीत

सीवीसी दिशानिर्देशों (मार्च 2007) के अनुसार, एल-1 के साथ पश्च-निविदा बातचीत केवल अपवादात्मक स्थितियों में की जानी चाहिए क्योंकि प्रायः यह भ्रष्टाचार का स्रोत होता है। कम्पनी की क्रय-नियमावली में यह भी प्रावधान है कि एल-1 के साथ बातचीत एक अपवाद ही होना चाहिए तथा यह केवल मालिकाना मदों, आपूर्ति के सीमित स्रोत वाली मदों और उन मदों जहां कॉर्टल फॉर्मेशन का शक हो, के मामलों में ही होनी चाहिए। क्रय नियमावली में यह भी विनिर्दिष्ट है कि उक्त बातचीत का अधिकार-क्षेत्र और विवरण विधिवत् रिकॉर्ड किए जाने चाहिए तथा समय की किसी हानि के बिना प्रलेखित किए जाने चाहिए और बातचीत के लिए सिफारिश करते समय तर्कसंगत कारण दर्ज किए जाने चाहिए। बातचीत पर सुपुर्दगी के कार्यक्रम के साथ बोलीदाताओं सहित वार्तालाप समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसका कार्यवृत्त भी बनाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने समीक्षित 1217¹⁶⁹ पीओ में से 717 पीओ (59 प्रतिशत) के मामले में बातचीत का सहारा लिया। उक्त बातचीत के लिए वांछित अपवादात्मक परिस्थितियां दर्ज नहीं की गई थी।

प्रबंधन में अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में कहा कि सीवीसी दिशानिर्देशों में समग्र रूप से कीमत पर सोल-भाव में कोई प्रतिबंध नहीं था। बातचीत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत प्राप्त करने के लिए की गई थी, विशेष कर उन बोलीदाताओं के साथ जहां विक्रेताओं के साथ कॉर्टल-फॉर्मेशन की संभावना का शक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बातचीत, दिए गए 50 प्रतिशत से अधिक क्रय आदेशों में की गई थी जो इस बात को दर्शाता था कि बातचीत एक प्रथा के रूप में की गई थी न कि अपवाद-स्वरूप। इसके अतिरिक्त, उक्त बातचीत हेतु वांछित अपवादात्मक परिस्थितियों को दर्ज न करने के संबंध में भी उत्तर में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

8.1.3.2 बैंक गारण्टी राशि, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार न होना।

सीवीसी दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) में यह प्रावधान है कि अग्रिम राशि के कम से कम 110 प्रतिशत के समान राशि की बैंक गारण्टी (बी.जी) प्राप्त की जानी चाहिए ताकि चूक की दशा में मूलधन तथा ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जा सके। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्रय नियमावली में अग्रिम राशि के समान बीजी स्वीकार करने का प्रावधान था जिसका कम्पनी द्वारा अनुसरण किया जा रहा था।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि एक समान राशि (100 प्रतिशत) के लिए बीजी स्वीकार करके केवल ब्याजधारी अग्रिम के भुगतान के प्रावधान द्वारा कम्पनी के हितों की रक्षा करने का समुचित ध्यान रखा जा रहा था।

उत्तर तथ्यपूर्ण नहीं है क्योंकि कम्पनी ने समान राशि के लिए बीजी के प्रति तीन¹⁷⁰ मामलों में ब्याज-मुक्त अग्रिम का भुगतान किया था। उत्तर को क्रय-नियमावली में किए गए प्रावधान की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से प्रावधान का कि सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम भुगतान ब्याजधारी होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सीवीसी दिशानिर्देशों में ब्याजधारी तथा ब्याज-मुक्त अग्रिम के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। इस प्रकार, अग्रिम की राशि के बराबर बीजी स्वीकार करना सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था तथा कम्पनी के हितों की रक्षा नहीं करता था।

¹⁶⁹ 1577 पीओ के नमूने में से 360 एसटीओ/आन्तरिक पीओ को छोड़कर।

¹⁷⁰ पीओ 4580067427, 4580067428 प्रत्येक के संबंध में ₹0.11 करोड़ तथा पीओ 4580070003 के संबंध में ₹0.16 करोड़।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बैंक गारण्टी की कोई मॉनीटरिंग नहीं हुई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- क) सीवीसी दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2007) में प्रावधान है कि संगठन/इकाई में एक अधिकारी, बीजी की जांच, समय पर नवीनीकरण तथा उनके समय पर नकदीकरण के उत्तरदायित्व के साथ विशेष रूप से विनिर्दिष्ट होना चाहिए। तथापि, कम्पनी में बीजी की प्राप्ति और स्वीकृति कई विभागों द्वारा संचालित की जा रही थी तथा सीवीसी दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधान के अनुसार बीजी की जांच, उनके समय पर नकदीकरण तथा नवीनीकरण के लिए कोई अधिकारी निर्दिष्ट नहीं किया गया था।
- ख) सीवीसी दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि पर यह दबाव डाला जाना चाहिए कि उन्हें प्रस्तुत की जाने वाली बीजी, जारीकर्ता बैंक द्वारा सीधे संगठन को भेजी जानी चाहिए तथा अपवादात्मक मामलों में जहां बीजी ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, आदि के माध्यम से प्राप्त की गई हों, जारीकर्ता बैंक को मूल बीजी के साथ मिलाने और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह सही थी, बीजी की एक बिना मुहर वाली दोहरी प्रति तत्काल भेजने का अनुरोध करना चाहिए। जबकि कम्पनी द्वारा अनुरक्षित बीजी रजिस्टर में विक्रेता, पी ओ संदर्भ, बीजी संदर्भ, बैंक संदर्भ, राशि, समाप्ति की तिथि, पुष्टि हेतु भेजने के लिए तिथि तथा पुष्टि की प्राप्ति की तिथि आदि स्माविष्ट हैं, विवरण जैसे प्राप्ति की विधि, वे तिथियां जब बीजी प्राप्त हुई थी और उद्देश्य जिनके लिए वे स्वीकार की गई थीं, बीजी रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं किए जा रहे थे। प्राप्ति की विधि, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु अपेक्षित थी, प्राप्ति की तिथि से यह सुनिश्चित किया जाना कि संबंधित बहुविध बीजी, कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए अग्रिम के भुगतान से पूर्व प्राप्त की गई थी तथा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उन मामलों में जहां उसी विक्रेता से कई बीजी प्राप्त हुई थी, केवल संबंधित बीजी अनुबंध के समापन के पश्चात् ही वापिस की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि एसएपी के पास बीजी से संबंधित लेनदेन को अपने अधिकार में लेने तथा मॉनीटर करने की सुविधा थी, तथापि, कम्पनी ने उसका प्रयोग नहीं किया था।

उपर्युक्त मॉनीटरिंग तन्त्र के अभाव में विक्रेताओं द्वारा निष्पादन न करने, समाप्त बीजी रखने की दशा में बीजी का नकदीकरण न होने का अन्तर्निहित जोखिम था, जिससे कम्पनी को हानि हो सकती थी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि बीजी की मॉनीटरिंग की प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

8.1.3.3 क्रय अभिलेखों का प्रलेखन सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार न होना

सीवीसी दिशानिर्देशों (जनवरी 2002) में यह प्रावधान है कि अधिप्राप्ति से संबंधित सभी क्रिया-कलापों के लिए समुचित दस्तावेज अनुरक्षित किए जाने चाहिए। कम्पनी की क्रय नियमावली में विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक पीओ फाईल संख्यांकित होनी चाहिए। 1217 पीओज की नमूना जांच से पीओ फाईलों में सामग्री क्रय अनुरोध (एमपीआर), टिप्पण, विक्रेताओं के साथ पत्राचार, मालिकाना प्रमाणपत्र आदि की प्रतियों की अनुपलब्धता जैसी कमियों का पता चला। यह देखा गया था कि ईआरपी प्रणाली में दर्शाई गई तिथि, अनुमोदन की वास्तविक तिथि तथा पीओ के जारी होने की तिथि से भिन्न थी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि समुचित प्रलेखन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2015) कि प्रबंधन ने बीजी तथा क्रय अभिलेखों के प्रलेखन से संबंधित सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु समुचित अनुदेश जारी किए थे (जुलाई 2014)।

8.1.3.4 विक्रेता प्रबंधन का क्रय नियमावली के अनुसार न होना

क्रय नियमावली में एकल स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए दो अथवा अधिक स्रोतों के विकास की परिकल्पना की गई है। कम्पनी ने वैकल्पिक स्रोतों के विकास की संभावना पर विचार करने के लिए एक विक्रेता विकास एवं स्रोत (वीडीएस) सैल का भी गठन किया (2007) जैसा कि पैरा 2.7 में उल्लेख किया गया है, एक क्रमबद्ध ढंग में ई-अधिप्राप्ति के कार्यान्वयन के लिए मार्च 2009 में कम्पनी द्वारा एस ए पी का एसआरएम मॉड्यूल प्रतिष्ठापित किया गया था। तदनुसार, ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से खरीद हेतु सीमा-रेखा शुरु में ₹ 50 लाख (जून 2007) तय की गई थी तथा फिर धीरे-धीरे कम करके अगस्त 2009 में ₹ 10 लाख, नवम्बर 2011 में ₹ 5 लाख तथा जुलाई 2012 में ₹ 1 लाख कर दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएपी के बाहर निविदाकरण क्रियाकलाप मैनुअल रूप से अथवा एसआरएम मॉड्यूल के माध्यम से किए जाते हैं। एसआरएम और एसएपी के बीच इंटर-फेस के अभाव के कारण एसएपी के पास निविदाकरण क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़े जैसे निविदा आमन्त्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि अर्थात् प्रकाशन की तिथि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि, बोली खोलने की तिथि, तुलनात्मक विवरण, विक्रेताओं की सूची आदि, नहीं हैं। इस प्रकर, निविदाकरण क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़े प्रणाली में उपलब्ध न होने के कारण, कम्पनी क्रय नियमावली के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन नहीं कर सकी:

- i. क्रय नियमावली के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों जैसे निर्माण, मशीनिंग, असेम्बली, कच्ची सामग्री, कास्टिंग एवं फोर्जिंग्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल हाइड्रॉलिक सिलेण्डरों, रबड़-मदों, हौजों आदि के लिए अनुमोदित विक्रेता सूची (ए वी एल) 'श्रेणी-वार' वर्गीकृत की गई थी। क्रय नियमावली में क्रय प्रस्तावों के मूल्य के आधार पर न्यूनतम संख्या में विक्रेताओं¹⁷¹ के साथ सम्पर्क करने का प्रावधान था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मद का अनुरक्षण न किए जाने अथवा आंशिक संख्या-वार विक्रेता आंकड़ों के कारण, कम्पनी अपने विक्रेता डाटाबेस से अपेक्षित सामग्री से डील करने वाले विक्रेताओं की पहचान नहीं कर सकी और इसलिए वह अर्थ मूविंग प्रभाग से संबंधित नमूना-जांच किए गए 376 पीओ में से 100 पीओ के संबंध में सम्पर्क किए जाने वाले विक्रेताओं की न्यूनतम संख्या का पालन नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा 32 पीओ की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि सभी विक्रेताओं, जिन्हें एनआईटी भेजी गई थी, ने उत्तर नहीं दिया था तथा 13 मामलों में, केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो इस तथ्य के कारण था कि विक्रेता, एनआईटी में विनर्दिष्ट सामग्री के साथ डील नहीं कर रहे थे।
- ii. मद अथवा आंशिक संख्या-वार विक्रेता आंकड़ों के अभाव में, जिन विक्रेताओं को पूछताछ भेजी जानी थी, उनकी परम्परागत निविदाकरण तथा एसआरएम प्रणाली के माध्यम से निविदाकरण दोनों के संबंध में मैनुअल रूप से पहचान की जा रही थी।
 - क) आंशिक संख्या-वार विक्रेता आंकड़ों का संकलन विचाराधीन था तथा
 - ख) नियमावली में निर्धारित कार्यविधियों का सदैव कड़ाई से पालन किया जाता था तथा अपवादिक मामलों में, कारणों को दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

तथापि, आंशिक संख्या-वार एवीएल को अभी अन्तिम रूप दिया जाना था (अगस्त 2015) तथा लेखापरीक्षा में समीक्षित क्रय प्रस्तावों में न्यूनतम संख्या का पालन न किए जाने के कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं थे।
- iii. क्रय नियमावली में प्रावधान है कि पांच बार अथवा दो वर्ष से अधिक, जो भी पहले हो, से पूछताछ का उत्तर न देने वाले विक्रेताओं के नाम, एवीएल से हटा दिए जाने चाहिए। तथापि, ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था जिससे

¹⁷¹ ₹5000 तक के क्रय प्रस्तावों के लिए चार विक्रेता, ₹5000 से अधिक परन्तु ₹25,000 से कम के क्रय प्रस्तावों के लिए छः विक्रेता, ₹25000 से अधिक परन्तु ₹ एक लाख से कम के क्रय प्रस्तावों के लिए आठ विक्रेता, ₹ एक लाख से अधिक परन्तु ₹10 लाख से कम के क्रय प्रस्तावों के लिए 10 विक्रेता, ₹10 लाख से अधिक के क्रय प्रस्तावों के लिए 12 विक्रेता।

मैनुअल प्रावधानों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जो उन विक्रेताओं के लिए निवारक होगा जो निविदाओं में नियमित रूप से भाग नहीं लेते।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उन विक्रेताओं का डेटाबेस बनाने का प्रयास किया जाएगा जो कम्पनी की निविदाओं का उत्तर देने में विफल रहे ताकि उन विक्रेताओं को हटाया जा सके जैसा कि नियमावली में प्रावधान है।

- iv. लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित 1217 नमूनागत पीओ में से, 223 पीओ (18 प्रतिशत) एकल निविदा थे। कम्पनी ने समीक्षा की अवधि के दौरान 288 विक्रेता विकसित किए परन्तु आदेश केवल 151 विक्रेताओं को ही दिए गए थे। लेखापरीक्षा इस बात की जांच नहीं कर सकी कि क्या विकसित विक्रेता भी क्रय पूछताछ भेजने के लिए शामिल किए गए थे ताकि बेहतर प्रतिस्पर्धा तथा एकल निविदाओं पर निर्भरता कम करने को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि एसआरएम तथा एस ए पी के बीच कोई इंटर-फेस नहीं था। विक्रेताओं के अपर्याप्त विकास के कारण कम्पनी एकल/सीमित स्रोतों पर निर्भर करती रही।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि कई व्यापार खण्डों जैसे रेल एवं मेट्रो में विक्रेता आधार ग्राहक अनुमोदित स्रोत पर निर्भर था तथा तदनुसार, विस्तार की गुंजाइश सीमित थी और उसने यह भी कहा कि विक्रेताओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

तथ्य यह है कि समुचित डेटाबेस के अनुरक्षण से एकल निविदाओं पर कम्पनी की निर्भरता कम हो सकती थी।

8.1.3.5 विक्रेताओं की रेटिंग

क्रय नियमावली के अनुसार, विक्रेताओं की रेटिंग के लिए विक्रेता मूल्यांकन वहां किया जाना था जहां सामग्री की उसी मद के लिए एक से अधिक स्रोत उपलब्ध था। क्रय नियमावली में पूर्व-आदेश अवस्था तथा पश्च-आदेश अवस्था में सात¹⁷² प्राचल उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक ऐसे प्रचल के लिए, सौंपे जाने वाले बल बिन्दुओं को दर्शाने वाली इस रेटिंग के लिए विशिष्ट कार्यप्रणाली, विक्रेता निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निर्धारित नहीं थी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि आईएसओ लेखापरीक्षा अपेक्षा के अनुपालन में, विक्रेता मूल्यांकन गुणवत्ता और सुपुर्दगी को क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की भारिता देते हुए प्रभाग स्तर पर किया गया था।

¹⁷² निविदा में भागीदारी के लिए पूर्वदेश अवस्था तथा गुणवत्ता, आदेश निष्पादन, कीमत, सुपुर्दगी, पश्च बिक्री सेवा तथा सामान्य के लिए पश्च-आदेश अवस्था।

तथ्य यह है कि मैनुअल प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा सात प्रचलों के प्रति कम्पनी द्वारा केवल दो प्रचलों पर ही विचार किया गया था। लेखापरीक्षा ने कम्पनी द्वारा 2012-13 और 2013-14 के दौरान पांच¹⁷³ विक्रेताओं का मूल्यांकन केवल एक प्राचल अर्थात् केवल गुणवत्ता के आधार पर ही किया गया था न कि सुपुर्दगी से संबंधित प्राचल के आधार पर

8.1.3.6 अनुमोदित सूची में विक्रेताओं का दोहरीकरण

कम्पनी, एसएपी में विक्रेता मास्टर का अनुरक्षक करती है जिसमें पता, कर सूचना, बैंक विवरण, लेखांकन सूचना, आदेश मुद्रा, भुगतान शर्तें, विक्रेता मूल्य-निर्धारण योजना, साझीदार विवरण आदि शामिल होते हैं। मास्टर में विक्रेताओं के नाम प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा जोड़े और काटे गए थे। विक्रेता मास्टर में विक्रेताओं की पांच श्रेणियां शामिल हैं, जैसे

अनुमोदित विक्रेता (70 श्रृंखला¹⁷⁴);

परियोजना मांग के लिए विक्रेता विकास सैल द्वारा अनुशंसित विक्रेता (76 श्रृंखला);

परियोजना मांग के लिए प्रभागीय क्रय समूह द्वारा अनुशंसित विक्रेता (77 श्रृंखला);

विदेशी विक्रेता (80 एवं 90 श्रृंखला); तथा

गैर-परियोजना मांग के लिए विक्रेता (60 श्रृंखला)

विक्रेता मास्टर में आंकड़ों के एक विश्लेषण से, लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 विक्रेता एक ही श्रृंखला में दोहराए गए थे (70 श्रृंखला में नौ तथा 77 श्रृंखला में 13) तथा सात विक्रेता दो भिन्न-भिन्न श्रृंखलाओं में दोहराए गए थे (70 श्रृंखला और 76 श्रृंखला तीन विक्रेता तथा 70 श्रृंखला और 77 श्रृंखला में चार विक्रेता दोहराए गए थे) जिसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं का दोहरीकरण हुआ। इस प्रकार, विक्रेता के दोहरीकरण के सृजन से बचने के लिए एसएपी का समनुरूपण नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कम्पनी में बहु विक्रेता कोड जमा हो गए थे तथा बहु विक्रेता कोडों के सृजन से बचने के लिए विक्रेता मास्टर का सृजन कॉरपोरेट गुणवत्ता विभाग में केन्द्रीयकृत कर दिया गया।

कम्पनी का उत्तर सही नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा विक्रेता मास्टर में जोड़े गए नामों की नमूना जांच से पता चला कि कॉरपोरेट गुणवत्ता विभाग के अलावा अन्य विभाग प्रणाली में विक्रेताओं का सृजन करते रहे जिसके कारण एक ही विक्रेता को

¹⁷³ मेसर्स इंजीनियरिंग स्टील (701288), श्री रामानुज इण्डस्ट्रीज (701978), स्टील कास्ट लिमिटेड (702000), ट्राइडेंट फेब्रिकेशन्स (702081) तथा अर्नी मके. प्रॉडक्ट (702226)।

¹⁷⁴ विक्रेता कोड एक बहु-डिजिट संख्या है तथा विक्रेता कोड की पहली दो संख्याएं उस श्रेणी को दर्शाती हैं जिससे विक्रेता संबंधित है।

विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग कोड दे दिए गए थे। विक्रेताओं के दोहरीकरण के परिणामस्वरूप उनके वाली सूची में डाले जाने के बावजूद विक्रेता डाटाबेस में बने रहेंगे और विक्रेताओं को दिए गए पीओ का प्रबंधन कठिन हो जाएगा क्योंकि अलग-अलग प्रभाग अलग-अलग विक्रेता कोडों का प्रयोग करेंगे हालाँकि विक्रेता एक ही होगा। इसके अतिरिक्त, विक्रेता सूची में दोहरीकरण आन्तरिक नियंत्रण के अभाव को दर्शाता था जिसका प्रबंधन द्वारा 'उच्च वरीयता' पर समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

8.1.4 अनुबंध प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि क्रय-प्रक्रिया का पालन किया जाता है

क्रय नियमावली में समय पर सुपुर्दगी, निरीक्षण तथा सामग्री की स्वीकृति तथा परिनिर्धारित हानियों के भुगतान/उद्ग्रहण को सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

पी ओ देने से लेकर सामग्री की प्राप्ति तथा विक्रेताओं को भुगतान तक क्रय प्रक्रिया का पालन ने करने से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

8.1.4.1 अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना, सामग्री की अनापूर्ति तथा विलम्बित आपूर्ति

लेखापरीक्षा ने क्रय नियमावली में दर्शाई गई निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए, चयनित 1217 बाह्य पी ओ के लिए अधिप्राप्ति क्रियाकलाप की विभिन्न अवस्थाओं पर लिए गए समय की समीक्षा की और देखा कि:

- (i) सामग्री क्रय मांग (एम पी आर) करने की तिथि से निविदाएं आमंत्रित करने के लिए लिया गया समय 10 दिन की निर्धारित समय सीमा के प्रति 339 नमूनागत पीओ के संबंध में 30 दिन से अधिक था।
- (ii) एम पी आर के परिवर्तन से लेकर क्रय आदेश के लिए लिया गया समग्र समय, एम पी आर के अनुमोदन की तिथि से सीमित निविदा के लिए 60 दिन और खुली निविदा के लिए 90 दिन के निर्धारित समय के प्रति 289 नमूना पी ओ के संबंध में 6 महीने से अधिक था।
- (iii) अधिप्राप्ति क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सृजित एम पी आर में अन्य बातों के साथ-साथ वह 'प्रत्याशित सुपुर्दगी तिथि' भी शामिल थी जब तक सामग्री अभिप्रेत विभाग को उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी। 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी 3777 एम पी आर की समीक्षा से, यह देखा गया था कि 2352 एम पी आर के संबंध में, पी ओ एम पी आर में विनिर्दिष्ट 'प्रत्याशित

सुपुर्दगी तिथि' के बाद जारी किए गए थे जो इस बात को दर्शाता था कि सामग्री की खरीद में पी ओ जारी करते समय ही विलंब हुआ था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्रय नियमावली में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन मॉनीटर करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के सृजन हेतु प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था। क्रय नियमावली में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप न देने के कारण सामग्री की अधिप्राप्ति में विलम्ब होता है और परिणामतः ग्राहक को तैयार उत्पाद की आपूर्ति में विलंब के अतिरिक्त उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित होता है।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसंबर 2013) कि:

- एम पी आर के पी ओ में परिवर्तन में विलंब उत्पादन योजना में विलंब, शीघ्र समाप्ति, सुनिश्चित ग्राहक आदेशों की प्राप्ति लम्बित होने के कारण पी ओ जारी करने में विलम्ब के कारण था;
- वास्तविक घटनाक्रम का लिहाज़ किए बिना एम पी आर की मूल तिथि बनाए रखी जाती है तथा आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणी नोट कर ली गई थी;
- एम पी आर में दर्शाया गया सुपुर्दगी कार्यक्रम केवल संभावित था तथा वास्तविक मांग, ग्राहक के सुपुर्दगी कार्यक्रम, स्टॉक की उपलब्धता तथा आपूर्ति समय सीमा पर आधारित था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि:

- सामग्री की प्राप्ति में विलंब के परिणामस्वरूप ग्राहकों को विलंब से आपूर्ति होती है तथा परिणामतः ग्राहकों द्वारा परिनिर्धारित हानियों (एल डी) का उद्ग्रहण होता है। चूंकि एस ए पी, पी ओ को ग्राहक आदेश के साथ लिंक करने में समर्थ नहीं थी, अतः ग्राहक आदेशों के निष्पादन पर पी ओ देने में विलंब के कारण प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, कम्पनी द्वारा विलम्बित अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप आपूर्तियों में विलंब हुआ और यह इस तथ्य से समर्थित है कि कम्पनी ने पहले ही 2010-11 में ₹18.29 करोड़, 2011-12 में ₹27.18 करोड़, 2012-13 में ₹7.20 करोड़ तथा 2013-14 में ₹6.96 करोड़ के एल डी किए थे।
- एम पी आर अधिप्राप्ति कार्य शुरू करने के लिए क्रय विभाग द्वारा अपेक्षित मूल दस्तावेज़ था और क्रय नियमावली में यह प्रावधान है कि गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम को समुचित रूप से उत्पादन व्यवस्था कार्यक्रम के साथ लिंक किया जाना चाहिए। तथापि, गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम, उत्पादन व्यवस्था

कार्यक्रम के साथ लिंक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 609 एम पी आर पी ओ में परिवर्तित किए परन्तु पी ओ के अनुसार आदेशित मात्रा, एम पी आर में दर्शाई गई मात्रा से कम थी। यद्यपि एम पी आर आंशिक रूप से पी ओ में परिवर्तित कर दिए गए थे, तथापि निविदाकर्ता प्रभागों ने शेष मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए मामला आगे नहीं बढ़ाया तथा ये एम पी आर, शेष मात्रा, जिसके लिए आदेश अभी दिया जाना था, खुले रहे। पी ओ देने के पश्चात् एम पी आर बन्द न करने के कारण मांग के बिना अधिप्राप्ति कार्य शुरू हो सकता था तथा परिणामतः सम्पत्ति-सूची और निधियों का अवरोधन हो सकता था। इसके अतिरिक्त, एम पी आर के अनुसार पूर्ण मात्रा की अधिप्राप्ति न करना दर्शाता था कि सामग्री की वास्तविक मांग को एम पी आर देते समय ध्यान में नहीं रखा गया था।

8.1.4.2 क्रय नियमावली के प्रावधानों के विपरित विक्रेताओं के अग्रिमों को क्लीयर न करना

क्रय नियमावली के अनुसार, विशिष्ट मामलों को छोड़कर अग्रिम भुगतानों को सामान्यतः हतोत्साहित करने की आवश्यकता थी। सी वी सी दिशानिर्देशों (अप्रैल 2007) में भी यही विनिर्दिष्ट था। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2015 को एस ए पी से लम्बित अग्रिम के ब्यौरे लिए तथा आयु-वार विश्लेषण नीचे तालिका -54 में दर्शाया गया है:

तालिका- 54 लम्बित विक्रेता अग्रिम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी ओ के पास अग्रिम	अन्य क्रियाकलापों के लिए अग्रिम	कुल
2007-08	0.56	0.03	0.59
2008-09	0.28	1.30	1.58
2009-10	0.26	-0.13	0.13
2010-11	2.48	3.93	6.41
2011-12	36.81	0.97	37.78
2012-13	7.89	0.29	8.18
2013-14	14.91	0.75	15.66
2014-15	48.13	9.53	57.66
कुल	111.32	16.67	127.99

लेखापरीक्षा ने देखा कि असमायोजित शेष पांच वर्ष से अधिक से बकाया थे और विश्लेषण से यह पता चला कि प्रोफॉर्मा बीजक के प्रति भुगतान, लम्बित पी ओ के प्रति तदर्थ भुगतान, साख-पत्र के माध्यम से किए गए भुगतान आदि अग्रिमों के

अन्तर्गत शामिल किए गए थे। इन अग्रिमों के प्रति प्राप्त सामग्री के प्रति समायोजन, तदनुरूपी देयता से मिलाने के लिए प्रणाली में लम्बित रखे गए थे। यह प्रणाली की कमजोरियों को दर्शाता था जिसके कारण मॉनीटरिंग तन्त्र का अभाव हुआ।

इससे पूर्व कि अग्रिम अवसूलीयोग्य हो जाएं, उनकी वसूली के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अग्रिमों के समायोजन में किसी भी विलम्ब के परिणामस्वरूप उधार दी गई निधियों का अवरोधन हो सकता है और परिणामतः कम्पनी की वित्तीय लागत में वृद्धि हो सकती है।

प्रबंधन ने आवश्यक संशोधक कार्रवाई के लिए असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया (दिसम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2015) कि 2012-13 से पहले की अवधि से संबंधित असमायोजित अग्रिम मार्च 2013 में ₹ 169.54 करोड़ से घट कर प्रतिवेदन के जारी होने के पश्चात् मार्च 2015 में ₹ 54.67 करोड़ हो गए।

8.1.4.3 मेसर्स स्पेक सिस्टम्स को प्रदत्त अग्रिम नियमित न करना

लेखापरीक्षा ने लम्बित अग्रिमों की और संवीक्षा से देखा कि मेसर्स स्पेक सिस्टम्स, हैदराबाद (एस एस) को दिया गया ₹ 3.45 करोड़ (फरवरी 2012) का अग्रिम भुगतान समायोजन हेतु लम्बित था (मार्च 2015)। यह अग्रिम कमान पोस्ट वाहनों के विनिर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) से आदेशों की पूर्वाशा में फरवरी/मार्च 2012 तक ₹ 38.70 करोड़ की कुल कीमत पर 43 सुपर ढांचों की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा जारी आशय-पत्र (एल ओ आई) के आधार पर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एस एस द्वारा 14 सुपर ढांचे आपूर्त किए गए थे (फरवरी 2012) तथा एम ओ डी के साथ प्रत्याशित अनुबंध कार्यान्वित नहीं हुआ था (मार्च 2015)। कम्पनी ने न तो आपूर्ति नियमित की थी और न ही आपूर्तिकर्ता को प्रदत्त अग्रिम का समायोजन किया था।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि आंशिक भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया था तथा सामग्री का लेखांकन पी ओ के नियमन पर किया जाएगा। प्रबंधन ने यह भी कहा (जून 2014) कि एम ओ डी से प्रत्याशित आदेश कार्यान्वित नहीं हुआ था और इसलिए, कोई क्रय आदेश नहीं दिया गया था क्योंकि इससे क्रेता और विक्रेता के बीच कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध का सृजन होता है।

उत्तर उचित नहीं है क्योंकि एम ओ डी से आदेश की पूर्वाशा में पी ओ देना और अग्रिम का भुगतान करना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्राप्त सामग्री कम्पनी की लेखा बहियों में मार्च 2015 तक भी लेखाबद्ध नहीं की गई थी हालांकि वह फरवरी 2012 से ही कम्पनी के पास पड़ी थी।

8.1.4.4 क्रय क्रियाकलाप से संबंधित एस ए पी में वैधीकरण जांचों का अभाव

इनपुट नियंत्रण कार्यविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्रणाली में समस्त आंकड़े पूर्ण रूप से, सही ढंग से तथा बिना किसी दोहरीकरण के दर्ज किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि वैधीकरण जांच यह सुनिश्चित करती है कि प्रणाली में प्रविष्ट आंकड़ा वैध था। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि समुचित इनपुट नियंत्रण तथा वैधीकरण जांचों के अभाव के कारण, आंकड़े अधूरे और अविश्वसनीय थे।

पैरा 8.3.2.7 में दिए गए फ्लो चार्ट के अनुसार कंपनी द्वारा सामग्री की प्राप्ति के पश्चात्, सामग्री का निरीक्षण, विक्रेता को भुगतान करने के लिए देयता को स्वीकार करने और उसके सृजन से पूर्व किया जाना था। निरीक्षण पूरा करने से पहले, सामग्री स्वीकार नहीं की जानी चाहिए तथा विक्रेता के प्रति तदनुसूची देयता का प्रणाली में सृजन नहीं किया जाना चाहिए। उक्त वैधीकरण नियंत्रण के अभाव के कारण, समीक्षित नमूना पी ओ की 74203 लाईन मदों में से, यह देखा गया था कि सामग्री को स्वीकार करने तथा उसका निरीक्षण पूरा होने से पहले 1611 लाईन मदों में देयता का सृजन किया गया था। यद्यपि कम्पनी ने यह कमी स्वीकार कर ली थी (अक्टूबर 2009) और भविष्य में इस समस्या के समाधान पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, तथापि वैधीकरण जांच अभी की जानी थी (मार्च 2015)।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि ईआरपी में क्रम क्रियाकलापों के अनुसार, देयता का सृजन निरीक्षण के बाद ही होता था, विक्रेताओं को भुगतान देयता के सृजन के बाद ही होता है और गुणवत्ता अनुमोदन से पूर्व कोई भुगतान नहीं किए गए थे।

कम्पनी का उत्तर गुणवत्ता अनुमोदन के पश्चात् भुगतान के संदर्भ में था तथा गुणवत्ता अनुमोदन से पूर्व देयता के सृजन के मुद्दे को संबोधित नहीं करता तथा अनुमोदित क्रम के अनुसार घटनाओं को अधिकार में लेने के लिए आवश्यक वैधीकरण नियंत्रण विद्यमान होने चाहिए।

8.1.5 सम्पत्ति-सूची प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य: सम्पत्ति-सूची प्रबंधन प्रणाली की जांच करना तथा उसकी प्रभावकारिता का आकलन करना।

8.1.5.1 प्रस्तावना

समीक्षा की अवधि के दौरान हमने देखा कि कम्पनी की सम्पत्ति धारिता, 2010-11 में ₹1888.90 करोड़ से बढ़कर (30 प्रतिशत) 2012-13 में ₹2456.20 करोड़ हो गई जबकि कुल बिक्री में ₹2652.24 करोड़ से ₹2808.81 करोड़ की बहुत कम (5.90

प्रतिशत) वृद्धि हुई थी। सम्पत्ति सूची की धारिता के उच्च स्तर से कार्यशीलपूंजी का अवरोधन होता है। कार्यशील पूंजी की वित्तीय लागत 2010-11 में ₹48.01 करोड़ से 2012-13 में लगभग दुगुनी ₹ 82.09 करोड़ हो गई। इससे कम्पनी की लाभकारिता पर प्रभाव पड़ा था।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि संशोधित संग्रहणों तथा वित्त वर्ष 2013-14 के अन्त तक सम्पत्ति-सूची में कमी के माध्यम से वित्त लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे। उसने यह भी कहा कि न्यायिक लागत मूल्यांकन के पश्चात् पुराने तैयार माल को बेचने तथा स्वदेशी मासग्री के संबंध में स्टॉक को दो महीने के उपभोग तक सीमित करके अधिप्राप्ति को घटाने के आदेश जारी कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि कम्पनी की माल धारिता 2013-14 में ₹2152.10 करोड़ तथा फिर 31 मार्च 2015 को ₹1921.20 करोड़ हो कर ₹304.10 करोड़ घट गई थी। इसी प्रकार, वित्त लागत 2013-14 में ₹62.45 करोड़ से ₹19.64 करोड़ घट कर 2014-15 में ₹ 30.62 करोड़ हो गई थी।

लेखापरीक्षा समिति, निदेशक-मण्डल की एक उप-समिति है। इस समिति को सभी वित्तीय विवरण, उन्हें निदेशक-मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, अनुमोदित करने होते हैं। यद्यपि सम्पत्ति-सूची की स्थिति बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती थी जिससे 2010-13 की समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के कार्य परिणाम प्रभावित हुए थे, तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने सम्पत्ति सूची की स्थिति की मई 2010 में एक बार समीक्षा और चर्चा की थी। समिति के विचारार्थ विषय में सम्पत्ति-सूची की आवधिक समीक्षा के लिए विशिष्ट निदेश शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर, कम्पनी ने लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में सम्पत्ति-सूची की समीक्षा भी शामिल की (फरवरी 2014)।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी में विद्यमान सम्पत्ति सूची प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

8.1.5.2 क्रय नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार सम्पत्ति सूची प्रतिमान नियत न करना

क्रय नियमावली में समय समय पर प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति सूची के लिए सूची प्रतिमान नियत करने का प्रावधान था जिसे ऊपरी सीमा के रूप में माना जाना था। तथापि, कम्पनी द्वारा उक्त संपत्ति-धारिता नियत नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में इसके कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए।

क्रय नियमावली में परिकल्पित सम्पत्ति सूची प्रतिमानों के अभाव में, लेखापरीक्षा ने कम्पनी के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु एम ओ डी के साथ वार्षिक रूप से किए गए समझौता जापन (एम ओ यू) में विनिर्दिष्ट प्राचलों के संदर्भ में कम्पनी के सम्पत्ति-सूची स्तर का विश्लेषण किया। एम ओ यू में विनिर्दिष्ट प्राचलों के विवरण तथा उनके प्रति वास्तविक उपलब्धियां नीचे तालिका - 55 में दी गई हैं:

तालिका-55: सम्पत्ति धारिता के लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एम ओ यू मापदण्ड	उत्पादन ¹⁷⁵ का मूल्य (वीओपी)	वर्ष के अन्त में सम्पत्ति-सूची	वीओपी के दिनों के रूप में सम्पत्ति सूची	एम ओ यू मापदण्ड की तुलना में उपलब्धि
2010-11	वीओपी के 114 दिन	3,795.07	1,888.91	179	एम ओ यू में विनिर्दिष्ट 114 दिन के प्रति सम्पत्ति सूची 179 दिन थी
2011-12	2010-11 के प्रति सम्पत्ति में 4 प्रतिशत कमी	4,077.19	2,422.41	214	घटने के बजाए सम्पत्ति 28 प्रतिशत बढ़ गई
2012-13	2011-12 के प्रति सम्पत्ति में 4 प्रतिशत कमी (वीओपी दिन)	3,359.69	2,456.20	263	205 दिन के प्रति वीओपी के अनुसार सम्पत्ति 263 दिन थी
2013-14	वी ओ पी के 6 महीने	3,165.14	2,152.10	245	वी ओ पी महीनों के अनुसार सम्पत्ति 6 महीने के प्रति 8 महीने थी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, कम्पनी ने सभी चार वर्षों (2010-11 से 2013-14) में एम ओ यू प्राचल प्राप्त नहीं किए और सम्पत्ति का स्तर ऊंचा रहा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में कहा कि विशेषकर खनन और निर्माण में बाजार में मन्दी के कारण तैयार माल का ढेर लग गया था और उसके कारण उत्पादन के संशोधन से कच्ची सामग्री इकट्ठी हो गई, जिसके कारण कम निष्पादन हुआ।

उत्तर यह दर्शाता है कि अधिप्राप्ति, उत्पादन योजनाओं के संशोधन के साथ संशोधित नहीं की गई थी जिसके कारण माल का संचय हो गया तथा एम ओ डी के साथ एम

¹⁷⁵ उत्पादन का सकल मूल्य जो वास्तविक उत्पादन आऊटपुट को मापता है।

ओ यू में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। इन उदाहरणों की जिनके कारण माल का संचय हुआ, परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क. कच्चे माल और संघटकों की सूची में प्रवृत्ति

कच्चा माल और संघटक 2010-11 में 4.01 महीने के उपभोग से घट कर 2014-15 में 3.65 महीने का उपभोग हो गया जैसा कि नीचे तालिका-56 में दर्शाया गया है:

तालिका- 56 कच्चे माल की धारिता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कच्चे माल और संघटकों का स्टॉक	553.94	656.74	624.40	439.10	418.04
उपभोग की गई सामग्री	1,658.81	1,846.33	1,724.27	1,617.34	1373.68
महीने के उपभोग के अनुसार कच्चा माल	4.01	4.27	4.35	3.26	3.65

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि अधिप्राप्ति को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी ताकि स्टॉक को स्वदेशी सामग्री के संबन्ध में दो महीने के उपभोग तक घटाया जा सके जिससे वित्तीय वर्ष 2013-14 में माल में कमी होगी।

प्रबंधन के प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि माल दो महीने के उपभोग के लक्षित स्तर से अधिक ही रहा। तथापि, जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कच्चा माल और संघटक 2013-14 में ₹439.0 करोड़ से घट कर 2014-15 में ₹418.04 करोड़ हो गए, जो लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा के पश्चात् अधिप्राप्ति की कटौती को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बख्तरबन्द वसूली वाहनों के लिए अधिप्राप्ति के मामले में, कम्पनी ने विदेशी विक्रेता के साथ अनुबंध लम्बित होने के कारण स्वदेशी विक्रेता से आपूर्तियां रोक कर अच्छी प्रथा अपनाई, हालांकि माल के अवरोधन से बचने के लिए औपचारिक पी ओ दे दिए गए थे।

ख. तैयार-माल सूची स्तर

तैयार माल सूची (एफ जी आई) 2010-11 में ₹444.39 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़ कर 2013-14 में ₹737.70 करोड़ हो गई। समीक्षा अवधि के दौरान एफ जी आई

सभी वर्षों में महीने की कुल बिक्री के अनुसार दो महीने से अधिक थी जैसा कि नीचे तालिका-57 में दर्शाया गया है:

तालिका- 57: तैयार माल धारिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
तैयार माल	444.39	739.59	680.45	737.70
कुल बिक्री	2652.24	2726.49	2808.91	2911.51
महीने की कुल बिक्री के अनुसार एफ जी आई की सूची	2.01	3.26	2.91	3.04
कुल माल की तुलना में तैयार माल की प्रतिशतता	23.53	30.53	27.70	34.28

प्रबंधन ने विशेषकर खनन और निर्माण के व्यापार में एफ जी आई के संचय के जो कारण बताए, वे थे (दिसम्बर 2013) बाजार में मन्दी, अत्याधिक प्रतिस्पर्धा तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा मूल्य कम करना, परियोजनाओं/मॉडलों का अप्रचलन और अचलन।

कम्पनी विभिन्न बाजार स्थितियों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। उत्पादन योजना 'मेड टू ऑर्डर' और 'मेड टू शेल्फ' श्रेणियों में अलग-अलग होती है। नियमावली में परिकल्पित रूप से विनिर्दिष्ट संपत्ति प्रतिमानों के गैर-निर्धारण के कारण संपत्ति-सूची नियंत्रण के लिए एक प्रभावकारी क्रियाविधि का अभाव होता है। 2013-14 में कुल माल की तुलना में तैयार माल की प्रतिशतता में वृद्धि कच्चे माल और चालू कार्य के तैयार माल में परिवर्तन के कारण थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कम्पनी ने एफ जी आई के संचय हेतु विशेषकर खनन और निर्माण कारोबार में परियोजनाओं/मॉडलों के अप्रचलन और अचलन को इसके कारण बताए थे, तथापि कम्पनी द्वारा अप्रचलित उत्पादों की कोई विशिष्ट पहचान नहीं की गई थी और इसीलिए एफ जी आई पर अप्रचलन के प्रभाव की लेखापरीक्षा में जाँच नहीं की जा सकी।

8.1.5.3 भण्डार नियमावली का संशोधन न करना

भण्डार नियमावली में भण्डार विभाग के विभिन्न कार्यों तथा कार्यविधियों एवं लेखांकन का उल्लेख है जिनका प्राप्ति, स्टॉकिंग, अनुरक्षण तथा सम्पत्ति-सूची की विभिन्न मदों के आहरण में अनुसरण किया जाता है। मई 1990 में जारी नियमावली को उसके बाद अद्यतन नहीं किया गया था। यद्यपि, भण्डार कार्यों को शामिल करने वाली एस ए पी, भण्डार क्रियाकलापों में विभिन्न परिवर्तन लागू करते हुए 2007 में लागू की गई थी, तथापि, भण्डार नियमावली का अभी अद्यतन किया जाना था (अगस्त 2015)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि एस ए पी के साथ समक्रमण करते हुए भण्डार नियमावली के संशोधन हेतु कार्रवाई शुरू की जा रही थी। प्रबंधन ने यह भी कहा (अगस्त 2015) कि भण्डार नियमावली को अद्यतन किया जा रहा था तथा जनवरी 2016 से उसे लागू करने का प्रस्ताव था।

एस ए पी के लागू होने के पश्चात् सभी भण्डार संबंधी आंकड़े और प्रक्रियाएं अधिकार में ले ली गई थी तथा उन्हें ऑन लाईन अनुरक्षित किया जा रहा था। परिणामतः मैनुअल रूप से बिन कार्डों के अनुरक्षण, एम पी आर एस देने, वाऊचर प्राप्त और जारी करने की प्रक्रिया बन्द कर दी गई थी। ये परिवर्तन भण्डार नियमावली में नहीं दर्शाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप भण्डार नियमावली एस ए पी के समक्रमण में नहीं थी।

8.1.5.4 क्रय नियमावली के प्रावधानों के विपरीत प्राप्ति से पूर्व सामग्री का लेखांकन

ऑन लाईन प्रणाली में लेन-देन होते ही उसे केचर कर लिया जाता है। कम्पनी द्वारा गेट पर प्राप्त सामग्री माल प्राप्ति टिप्पणी (जी आर एन) करने के लिए भण्डार विभाग में ले जाई जाती है। जी आर एन के पश्चात् गुणवत्ता विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निपटाई गई सामग्री प्राप्ति के रूप में लेखाबद्ध की जाती है।

एस ए पी ने किसी भी दिए गए समय पर दो महीने, अर्थात् एक पिछला महीना और एक चालू महीना, से संबंधित लेन-देन को खतियाने की अनुमति प्रदान की। दो महीने की अवधि खुली रखने के कारण, प्रणाली, दो महीने तक अग्र-दिनांक लेन-देन स्वीकार करती है। इसके कारण 'सूचना की ऑन लाईन पहुंच' का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

उपर्युक्त प्रणाली प्रावधानों के कारण, 2010-11 से 2012-13 के दौरान दिए गए नमूना पी ओ से संबंधित 74203 लाईन मदों की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि 9047 लाईन मदों के संबंध में, केचर की गई जी आर एन तिथि गेट पर प्राप्ति की तिथि से पहले थी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि जी आर एन प्रविष्टि तिथि, गेट पर प्राप्ति की तिथि के बाद होती है, श्रृंखला प्रणाली संचालित थी तथा प्रणाली में नियंत्रण तैनाती की तिथि के अनुसार विद्यमान हैं।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

- गेट प्रविष्टि तिथि प्रणाली तिथि थी (अर्थात् वह तिथि जिसको उसे प्रणाली में प्रविष्टि किया गया था), जबकि जी आर एन तिथि, प्रणाली के प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्टि की जाती थी। नमूना मामलों में लेखापरीक्षा जाँच से अवधियों को दो महीने तक खुला रखने के कारण स्थिति प्रक्रिया प्रवाह के अपवादों का पता

चला। कलेण्डर महीनों के अनुसार अवधियों की व्यवस्था के द्वारा प्रणाली को ऑन-लाईन लाने से उपर्युक्त विसंगतियों से बचा जा सकता है।

- एस ए पी में अवधियों के देर से खुलने तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन¹⁷⁶ में उसके प्रभाव के बारे में बताने के बावजूद, कम्पनी ने वही प्रथा जारी रखी।
- लेखे बन्द करने के दौरान दो महीने खुले रखने के कारण अपूर्ण उपकरण की बिक्री मान ली जाएगी जहां सामग्री वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त और लेखाबद्ध हुई थी आन्तरिक नियंत्रणों को कमजोर करता है जैसा कि पिछले प्रतिवेदन¹⁷⁷ में देखा गया था। अतः इनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए नियंत्रणों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

8.1.5.5 क्रय नियमावली के प्रावधानों के विपरीत उप-ठेकेदारों को जारी सामग्री की पुष्टि न होना

कम्पनी के उत्पादन प्रभागों को क्षमता की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय से समुचित अनुमोदन के साथ क्रियाकलापों को आऊटसोर्स करने/उप-अनुबंध पर देने की अनुमति है। क्रय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, उप-अनुबंध के प्रति जारी कच्ची सामग्री सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार नियमित करनी होती है तथा उप-अनुबंध सेल द्वारा आवधिक पुष्टिकरण/समाधान प्राप्त करने होते हैं।

₹10.53 करोड़ मूल्य की सामग्री उप-ठेकेदारों के पास पड़ी थी (मार्च 2014) जैसा कि नीचे तालिका- 58 में दर्शाया गया है:

तालिका-58: उप-ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री का मूल्य

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	मार्च के अन्त में उप-ठेकेदारों के पास सामग्री	
	2013	2014
बंगलौर	9.21	3.12
पालक्काड	0.15	0.05
के जी एफ परिसर	4.03	3.33
मैसूर परिसर	5.72	4.03
कुल	19.11	10.53

¹⁷⁶ 2010 की प्रतिवेदन संख्या 10 अध्याय IV- चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में आई टी प्रणालियों की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

¹⁷⁷ 2009-10 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 24- अध्याय-VI- बिक्रियों की मान्यता के लिए आन्तरिक कार्यविधियों का जानबूझ कर उल्लंघन।

एस ए पी उप-ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री के वर्ष-वार ब्यौरे सृजित करने के लिए समानुरूप नहीं बनाई गई थी। सामग्री के वर्ष-वार ब्यौरों के अभाव में, उस अवधि के विवरण जब से सामग्री उप-ठेकेदारों के पास पड़ी थी, पड़ी हुई सामग्री का मूल्य तथा उप-ठेकेदारों द्वारा सामग्री वापिस न करने के प्रभाव को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि प्रभागों को तीसरे पक्षों के पास पड़ी सामग्री के लिए शेष की पुष्टि एकत्र करने की सलाह दी गई थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा बताने के पश्चात् उप-ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री मार्च 2013 के अन्त में ₹19.11 करोड़ से घट कर मार्च 2014 के अन्त में ₹10.53 करोड़ हो गई थी, तथापि शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा उसका लगातार अनुसरण करने की आवश्यकता है।

8.1.6 ई-अधिप्राप्ति प्रणाली

लेखापरीक्षा उद्देश्य: ई-अधिप्राप्ति में अपनाई जाने वाली कार्यविधि की जांच करना और उसका नक्शा बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रलेखित हैं तथा क्रय नियमावली, सी वी सी दिशानिर्देशों तथा एस टी क्यू सी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

8.1.6.1 सी वी सी दिशानिर्देशों के अनुसार तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा करने में विफलता

लेखापरीक्षा ने एस आर एम मॉड्यूल की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने और यह आकलन करने के लिए उसकी समीक्षा की कि क्या वह एक प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी अधिप्राप्ति प्रणाली के लिए शुरू किया गया था। ई-निविदाकरण समाधानों पर सी वी सी दिशानिर्देशों (अप्रैल 2010) में यह प्रावधान था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा की जानी थी तथा भारत सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन मानकीकरण जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) निदेशालय द्वारा ई-अधिप्राप्ति प्रणाली की अनिवार्य रूप से जाँच और लेखापरीक्षा का प्रावधान किया था। तथापि, इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा की योजना एस आर एम रूपान्तर को अद्यतन करने के बाद बनाई गई थी।

तदनुसार, तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई थी तथा प्राप्त रिपोर्ट (जनवरी 2015) की जांच की जा रही थी (अगस्त 2015)।

8.1.6.2 सुरक्षा कारकों का अभाव

ई-बोली आमंत्रण परम्परागत मैन्युअल निविदाकरण प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है। ई-बोली में, बोली आमंत्रण (निविदाएं) कम्पनी द्वारा बोलीदाताओं को ऑन लाईन प्रकाशित किए जाते हैं तथा बोलीदाता प्रस्तुतिकरण की समय-सीमा तक अपनी ऑन लाईन बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां प्रधिकृत व्यक्तियों को आगे की प्रोसेसिंग के लिए खुलने की तिथि और समय के पश्चात् ही प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं। 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा की गई ई-बोली के ब्यौरे नीचे तालिका- 59 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 59: कम्पनी द्वारा की गई ई-बोली के ब्यौरे

(संख्याओं में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	ई-बोली निविदाएं	8,577	13,790	12,426	12,113
2.	स्थानीय विक्रेता	8,572	13,785	12,418	12,107
3.	विदेशी विक्रेता	5	5	8	6

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2010-14 की चार वर्षों की अवधि के दौरान की गई ई-बोली में केवल 24 विदेशी विक्रेताओं ने भाग लिया। कम्पनी ने सूचित किया (दिसम्बर 2013) कि एस आर एम में सुरक्षा कारकों के अभाव के कारण विदेशी विक्रेता ई-मोड में अपने तकनीकी प्रलेखन को शेयर करने में संकोच कर रहे थे जिसके कारण 'आयात निविदा' श्रेणी के अन्तर्गत विदेशी विक्रेताओं की कम भागीदारी हुई।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि शंकाएं केवल कम्पनी के लिए ही सीमित नहीं थी क्योंकि सुरक्षा कारक अपर्याप्त थे। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की कार्यविधि जटिल थी क्योंकि उसमें दूतावास द्वारा विक्रेताओं के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण किया जाता था। अतः ये प्रक्रियाएं विदेशी विक्रेताओं को ई-निविदाओं में भाग लेने से रोकती हैं तथा विदेशी विक्रेता भागीदारी को सुधारने के प्रयास किए गए थे।

कम्पनी को सी वी सी परिपत्र (जनवरी 2012) के अनुसार विदेशी विक्रेताओं द्वारा बेहतर भागीदारी के लिए ई-अधिप्राप्ति प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रबंधन ने यह भी कहा (अगस्त 2015) कि वर्तमान एस ए पी और एस आर एम का अपग्रेडेशन एवं एकीकरण शुरू किया जा रहा था, जिससे विदेशी विक्रेताओं की सुरक्षा की चिन्ता दूर हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

8.1.6.3 उल्टी नीलामी प्रक्रिया में गिरावट

ई-नीलामी, जिसे उल्टी नीलामी भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी है जहां आपूर्तिकर्ता एक प्रकाशित विनिर्देशन और पूर्व-स्थापित मानदण्ड के प्रति उत्पादों/सेवाओं के लिए क्रय आदेशों/अनुबंधों के लिए वास्तविक समय में एक दूसरे से ऑन लाईन बोली और प्रतिस्पर्धा करते हैं। ई-नीलामी ऑनलाईन, वास्तविक समय गतिशील मूल्य मोल-भाव में सहायक है। उल्टी नीलामी की प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी है क्योंकि बोलीदाताओं को उल्टी नीलामी के दौरान अपनी स्थिति का सक्रिय रूप से पता चलता है। उल्टी नीलामी सामान्यतः उन मर्दों के लिए की जाती है जहां विनिर्देशन भली-भांति परिभाषित हों, जहां कम से कम तीन विक्रेता हों और जहां वर्तमान बाजार प्रवृत्ति यह दर्शाती हो कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली की गुंजाइश है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी की उल्टी नीलामी 2010-13 की अवधि के दौरान 120 से घट कर 24 हो गई जिसके कारण प्रचालनात्मक कार्यक्षमता तथा लागत प्रभावकारिता/कटौती के लाभ प्राप्त नहीं हुए थे।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि उल्टी नीलामियां प्रभावी ढंग से काम करती हैं जब कच्ची सामग्री, विद्युत, ईंधन आदि के लिए कीमतों के घटने की प्रवृत्ति हो। विगत तीन वर्षों से बाजार में कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण, उल्टी नीलामी, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें प्राप्त करने का प्रभावी औजार नहीं थी।

कम्पनी के इस उत्तर की, कि उल्टी नीलामियां प्रभावी ढंग से तब काम करती हैं जब कच्ची सामग्री, विद्युत, ईंधन आदि के लिए कीमतों के घटने की प्रवृत्ति हो, जांच नहीं की जा सकी क्योंकि कम्पनी ने उसके समर्थन में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। चूंकि उल्टी नीलामी मानवीय भागीदारी को कम करती है, चालू बाजार कीमतों का पूरा ज्ञान प्रदान करती हैं अन्तिम मूल्य तक पहुंचने में खर्च किए गए समय को घटाती हैं तथा सभी सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं को अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने का समान अवसर प्रदान करती हैं, अतः कम्पनी को उल्टी नीलामियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

कम्पनी द्वारा सहारा ली गई पश्च-निविदा बातचीत तथा दिए गए अग्रिमों के लिए प्राप्त बैंक गारण्टियों की राशि, क्रय नियमावली तथा सी वी सी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रलेखन अपर्याप्त था। प्रणाली में सभी निविदाओं से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन विश्वसनीय नहीं था तथा विक्रेता सूची में दोहरीकरण निहित था जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता था। क्रय नियमावली में विनिर्दिष्ट कार्यविधि का विक्रेताओं के मूल्यांकन हेतु अनुसरण नहीं किया गया था। भण्डार नियमावली को विगत 25 वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया था, कम्पनी की एस आर

एम प्रणाली में अपर्याप्त सुरक्षा कारकों के कारण विदेशी विक्रेताओं के विश्वास का अभाव था। एस ए पी तथा एस आर एम के बीच आंकड़ों का कोई एकीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

सिफारिशें

- 1) पश्च-निविदा बातचीत समुचित प्रलेखन के साथ क्रय नियमावली/सी वी सी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपवादिक मामलों तक सीमित होनी चाहिए।
- 2) एस आर एम प्रणाली सभी निविदाओं के आंकड़ों को शामिल करने के लिए अपग्रेड की जाए ताकि क्रय नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार विक्रेता प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी रिपोर्टों का सृजन किया जा सके तथा क्रय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा सके।
- 3) विक्रेता मूल्यांकन कार्यविधि क्रय नियमावली के अनुसार कार्यान्वित की जाए।
- 4) एस ए पी के आन्तरिक नियंत्रण बढ़ाए जाएं ताकि विक्रेताओं के दोहरीकरण से बचा जा सके।
- 5) बाकाया अग्रिमों की समीक्षा की जाए तथा कम्पनी के हितों की रक्षा करने के लिए अग्रिमों के अवसूली योग्य होने से पूर्व समय की किसी और हानि के बिना उनका निपटान किया जाए।
- 6) सम्पत्ति सूची प्रतिमान, सम्पत्ति सूची का अभीष्टतम स्तर बनाए रखने के लिए क्रय नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार नियत किए जाएं।
- 7) भण्डार नियमावली समय-समय पर अद्यतन की जाएं।
- 8) कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए उप-ठेकेदारों को जारी सामग्री के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएं।
- 9) सुरक्षा कारकों को बढ़ाकर तथा डिजिटल हस्ताक्षर को सरल बना कर विदेशी विक्रेताओं सहित ई-निविदाकरण प्रणाली की भागीदारी बढ़ायी जाएं।
- 10) बेहतर प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए उल्टी नीलामी प्रक्रिया प्रवर्तिक की जाएं।

बी ई एम एल लिमिटेड

8.2 बैंक टू बैंक अनुबंध में सुपुर्दगी कार्यक्रमों के गैर-तुल्यकालन के कारण ₹4.90 करोड़ की हानि

आपूर्तिकार के सुपुर्दगी कार्यक्रम को संशोधित करते समय ग्राहक के साथ सुपुर्दगी कार्यक्रम का संशोधन करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹4.90 करोड़ के परिनिर्धारित हरजानों (एल डी) की हानि हुई।

बी ई एम एल लिमिटेड (कम्पनी) ने एफ ओ आर गंतव्य आधार पर पुर्जों तथा उपभोज्य सामग्री सहित दो रस्सी शॉवेलो¹⁷⁸ की आपूर्ति हेतु नार्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड¹⁷⁹ (एन सी एल) से एक क्रय आदेश (पी ओ) प्राप्त किया, जिसे ₹47.48 करोड़ के कुल मूल्य पर आदेश देने की तिथि 15 महीने तथा 15 दिन के अन्दर अर्थात् 15 सितम्बर 2010 तक सुपुर्द किया जाना था। बी ई एम एल द्वारा निर्माण तथा कमीशनिंग, स्थल पर सम्पूर्ण उपकरण की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर पूरी की जानी थी। पी ओ की शर्तों के अनुसार, उपकरण की सुपुर्दगी में विलम्ब, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त पर आपूर्त न किए गए किसी भण्डार की कीमत के प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत परिनिर्धारित हानि (एल डी) आकृष्ट करता था तथा उपकरण के निर्माण/कमीशनिंग में विलम्ब, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत की शर्त पर उपकरण की उतराई कीमत के प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत एल डी आकृष्ट करता था।

बी ई एम एल लिमिटेड ने बैंक-टू-बैंक आधार पर मेसर्स बुसिरस इंटरनेशनल इंक, यू एस ए, (बी आई आई) को रस्सी शॉवेलों के सी के डी¹⁸⁰ के दो सैटों की आपूर्ति के लिए एक पी ओ दिया (अगस्त 2009), जिनकी सुपुर्दगी फ्री ऑन बोर्ड (एफ ओ बी), संयुक्त साम्राज्य (यू के)/संयुक्त राष्ट्र अमरीका (यू एस ए) पत्तन पर जून 2010 के अन्त तक की जानी थी। कम्पनी ने बी आई आई के अनुरोध पर सुपुर्दगी कार्यक्रम 40 सप्ताह तक तथा संशोधित पी ओ की तिथि से 44 सप्ताह तक संशोधित किया (अक्टूबर 2009)। संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार, बी आई आई को सी के डी अगस्त 2010 तथा सितम्बर 2010 तक सुपुर्द करनी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बी आई आई की सुपुर्दगी अवधि एफ ओ बी यू के/यू एस ए पत्तन थी तथा यू के/यू एस ए पत्तन से एन सी एल स्थल तक सी के डी के परिवहन हेतु अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम, एन सी एल द्वारा विनिर्दिष्ट सुपुर्दगी अवधि से आगे बढ़ा दिया गया था। कम्पनी ने एन सी एल से डिलीवरी कार्यक्रम का विस्तार प्राप्त नहीं किया।

¹⁷⁸ 10 सी यू एम ए सी इलेक्ट्रिकल रस्सी शॉवेल

¹⁷⁹ एन सी एल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश- कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम की एक सहायक कम्पनी।

¹⁸⁰ समूहों एवं संघटकों का पूर्णतः नॉक डॉऊन

बी आई आई ने मेसर्स बॉमर एण्ड लॉरी (कम्पनी का भाड़ा प्रेषक) को 27 जुलाई 2010 तथा 17 अगस्त 2010 को क्रमशः 10 दिन तथा चार दिन के विलम्ब के साथ सी के डी की आपूर्ति की। तथापि, सी के डी कम्पनी में 8 अक्टूबर 2010 तथा 10 दिसम्बर 2010 को प्राप्त हुई थी तथा एन सी एल को दिसम्बर 2010 में सुपुर्द की गई थी। निर्माण एवं कमीशनिंग मई 2011 से जुलाई 2011 के दौरान पूरे हुए थे। रस्सी शॉवेलों की आपूर्ति एवं निर्माण में विलम्ब के कारण, एन सी एल उपकरण की विलम्बित आपूर्ति के प्रति ₹3.03 करोड़ की तथा उपकरण के प्रतिष्ठापन और कमीशनिंग में विलम्ब के लिए ₹1.87 करोड़ की एल डी उद्ग्रहीत की।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में कहा कि संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम, ग्राहक के सुपुर्दगी कार्यक्रम के अन्दर थे। चूंकि प्रेषण के लदान में विलम्ब प्रेषक के कारण था, अतः मेसर्स बॉमर एण्ड लॉरी से एल डी की वसूली पर विचार किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ सुपुर्दगी कार्यक्रम को संशोधित करते समय, ग्राहक के साथ सुपुर्दगी कार्यक्रम का संशोधन साथ-साथ शुरू नहीं किया जो बैक-टू-बैक अनुबंधों में अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, प्रबंधन ने दिसम्बर 2013 में कहा था कि मेसर्स बॉमर एण्ड लॉरी से एल डी की वसूली पर विचार किया जा रहा था, तथापि, कम्पनी ने अभी तक (सितम्बर 2015) कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था।

इस प्रकार, ग्राहक के सुपुर्दगी कार्यक्रम के साथ आपूर्तिकर्ता के सुपुर्दगी कार्यक्रम को समक्रमिक बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹4.90 करोड़ की एल डी का उद्ग्रहण हुआ।

8.3 सम्पत्ति-सूची के संचय के कारण निधियों का अवरोधन- ₹16.14 करोड़

जब नई प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी तब कच्ची सामग्री की निरंतर अधिप्राप्ति तथा उपयुक्त शॉवेल के बिना डम्पर के उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹16.14 करोड़ मूल्य के माल का अवरोधन हुआ।

मेसर्स बी ई एम एल लिमिटेड (कम्पनी), बी डी-475 डोजरों तथा बी एच 150 ई डम्परों का विनिर्माण कर रही थी। डोजर का प्रयोग खानों में बोल्टरों/डर्जियों के निपटान हेतु किया जाता था तथा डम्पर का प्रयोग खानों में अतिभार को वहन करने के लिए किया जाता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इसके बावजूद कि प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी, कच्ची सामग्री की निरन्तर खरीद तथा उपयुक्त शॉवेल के बिना ही डम्पर के विनिर्माण के कारण ₹ 16.14 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति अवरुद्ध रही जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

क) बी डी 475 डोजरों

कम्पनी ने 2008-09 के दौरान पांच बी डी 475 मॉडल डोजरों के उत्पादन की योजना बनाई हालांकि 2003-04 में निर्मित ₹ 2.39 करोड़ मूल्य का एक डोजर अभी भी पड़ा हुआ था। उत्पादन योजना के अनुसार, कम्पनी ने ₹4.77 करोड़ मूल्य के कच्चे माल की अधिप्राप्ति की (जुलाई 2009 से जून 2011) तथा ₹ 3.39 करोड़ की कुल लागत पर 2008-09 के दौरान एक डम्पर का निर्माण किया। कम्पनी ने 2009-10 से डोजरों का उत्पादन तो रोक दिया परन्तु कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति जारी रखी। दोनों डोजर नहीं बिके और स्टॉक में पड़े हुए थे (मार्च 2015)। डोजरों के अप्रचलन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने डोजरों के मूल्य में कमी के प्रति ₹4.57 करोड़ का प्रावधान किया (जिसके कारण दो डोजरों का मूल्य घट कर ₹1.21 करोड़ हो गया)। चूंकि कम्पनी ने मांग के अभाव के कारण 2009-10 से डोजरों का उत्पादन रोक दिया था, अतः ₹3.37 करोड़ मूल्य की कच्ची सामग्री¹⁸¹ का उपयोग तथा ₹1.71 करोड़ के चालू निर्माण कार्य अनिश्चित थे। दो डोजरों के न बिकने के बावजूद, कच्ची सामग्री की निरंतर अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप मार्च 2015 को ₹6.29¹⁸² करोड़ की सीमा तक माल का संचय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि कम्पनी मेसर्स कोमात्सु से सहयोग के अधीन 1992 से ही डोजरों का निर्माण कर रही थी। मेसर्स कोमात्सु से सहयोग सहायता की वापसी के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक इंजन का विकास मेसर्स क्यूमिन्स के साथ शुरू किया गया था तथा इन-हाऊस परीक्षणों के दौरान निष्पादन संबंधी मामले देखे गए थे। प्रबंधन ने यह भी कहा कि अप्रयुक्त माल को अन्य मॉडलों के उत्पादन में प्रयोग करने तथा इन्हें समाप्त करने के लिए पुर्जों को बेचने के प्रयास किए जाएंगे।

यद्यपि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक इंजन के बिना डोजर मॉडल का विकास करने में सफल नहीं हुई, तथापि व तब भी कच्ची सामग्री की खरीद करती रही जब नई प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी, जिसके परिणामस्वरूप माल का संचय हुआ।

ख) बी एच 150 ई डम्पर

कम्पनी ने बी एच 150 डम्प ट्रकों की बाजार सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, ₹10.20 करोड़ की कुल उतराई लागत पर एक 150 एच डम्प ट्रक के डिज़ाइन, विकास, आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक (जी ई) को आदेश दिया (जुलाई-अक्टूबर 2011)। डम्पर का उत्पादन ₹9.85 करोड़ की कुल लागत पर

¹⁸¹ मई 2009 से मार्च 2011 के बीच अधिप्राप्त बियरिंग, ट्रेक-शू असेंबली, सील रिंग असेंबली, रीकॉयल स्प्रिंग तथा बुशिंग असेंबली सहित 339 मर्दे।

¹⁸² ₹1.21 करोड़ मूल्य का तैयार माल + ₹3.37 करोड़ की कच्ची सामग्री + ₹1.71 करोड़ मूल्य के चालू कार्य।

पूरा किया गया था (दिसम्बर 2012)। तथापि, कम्पनी ने अपेक्षित उपयुक्त शॉवेल का निर्माण नहीं किया और इसलिए, निर्मित डम्पर न तो बेचा जा सका और न ही उसे क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए तैनात किया जा सका। उपयुक्त शॉवेल की अनुपलब्धता के कारण, डम्प की बिक्री की संभावना कम है तथा कम्पनी ने तैयार माल की सूची (मार्च 2015) में ₹9.85 करोड़ मूल्य का डम्पर बनाए रखा।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि अर्हता मापदण्ड के कारण 2007 में 150 टी डम्परो के लिए निविदा में भाग नहीं ले सकी तथा एक प्रोटोटाइप को डिज़ाइन और विकसित करने का निर्णय दिसम्बर 2010 में लिया गया था क्योंकि कोई प्रौद्योगिकी साझीदार उपलब्ध नहीं था।

उपयुक्त शॉवेल के बिना केवल डम्परो के निर्माण के विशिष्ट कारण नहीं बताए गए थे। डम्पर की बिक्री निश्चित नहीं थी क्योंकि उपयुक्त शॉवेल विकसित नहीं किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों से अधिक तक सम्पत्ति-सूची में ₹9.85 करोड़ का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था और उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2015)।

नई दिल्ली
दिनांक:

(पराग प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएं

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक - I

(पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

बकाया ए टी एन की स्थिति

रक्षा मंत्रालय-आयुध निर्माणी बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्ष से अधिक लंबित

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
1.	1989 की सं. 2	11**	155 मि.मी. टोव्ड गन सिस्टम और गोला-बारूद का क्रय एवम् लाइसेंस उत्पादन
2.	1990 की सं. 12	9**	(क) 155 मि.मी. गन सिस्टम तथा (ख) काउंटर ट्रेड के लिए बोफोर्स के साथ संविदा
3.	1991 की सं. 8	10*	मांग से अधिक भंडारों की अधिप्राप्ति
4.		13*	केंद्रीय आयुध डिपो, आगरा
5.	1993 की सं. 8	29*	पर्वतारोहण उपकरणों एवम् क्रीड़ा मर्दों का आयात
6.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
7.	1997 की सं. 7	18**	रक्षा भूमि प्रबंधन
8.	1998 की सं. 7	32*	घटिया सिलेंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
9.	2001 की सं. 7	15**	अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
10.	2001 की सं. 75	@ संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैराओं में से 8 के लिए ए टी एन पहली बार प्राप्त होना अभी बाकी है)	ऑप. विजय (थलसेना) के लिए अधिप्राप्ति की समीक्षा
11.	2003 की सं. 6	2**	रक्षा भूमि का उपयोग
12.		14**	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
13.	2004 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
14.	2005 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों तक लंबित			
15.	2007 की प्रतिवेदन सं. 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थानों चलाने के लिए रक्षा परिसंपत्तियों एवम् लोक निधि का अनधिकृत उपयोग
16.		3.5**	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
17.	2008 की प्रतिवेदन सं. पी ए 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय I**	थलसेना में सामान्य भंडारों तथा पोशाक का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
18.	2008-09 की प्रतिवेदन सं. सी ए 17	2.7*	सेना गोल्फ क्लब द्वारा अधिभुक्त भूमि के पट्टे का अनवीनीकरण

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
19.		3.4*	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी द्वारा ए-1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग
20.		3.5*	गैर-सरकारी प्रयोजनों हेतु सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग
3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक लंबित			
21.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 12	2.1**	एस एम ई आर सी एच मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का त्रुटिपूर्ण आयात
22.		3.6*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां एवम् बचतें
23.		4.1**	गोल्फ क्लब के लिए आवास की अनियमित संस्वीकृति एवम् निर्माण
24.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन***	भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
25.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 14(निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन*	कैन्टीन भंडार विभाग
26.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 35(निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन*	रक्षा संपदा प्रबंधन
27.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 11 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	संपूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी, मुम्बई पर विशेष प्रतिवेदन
28.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 24	3.1**	उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय
29.		3.11**	सिविल हाइड परिवहन ठेकेदारों को अनियमित भुगतान
30.		3.14*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां एवम् बचतें
31.		5.2**	संस्वीकृति के बारह वर्षों के बाद भी पुल का निर्माण पूर्ण न होना
		(ii) 3 वर्षों तक लंबित	
32.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण पर राजस्व की हानि
33.		2.3*	छावनी बोर्ड अहमदाबाद में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लाइसेंस शुल्क न लगाए जाने के कारण हानि
34.		3.1**	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी के हितार्थ रक्षा परिसंपत्तियों एवम् श्रमशक्ति का अनधिकृत उपयोग
35.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 18	संपूर्ण प्रतिवेदन*	रक्षा सेवाओं की चिकित्सा स्थापनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
36.	2013 की प्रतिवेदन सं. 30	2.1*	रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन
37.		2.3*	टैंकों में वातानुकूलकों का अप्रवर्तन
38.		2.5*	प्रभावकारी नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
39.		3.1***	एक अपंजीकृत तथा अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी निरीक्षण के बिना घटिया भंडारों की स्वीकृति
40.		3.6***	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग
41.		3.7*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां, बचतें एवम् लेखाओं में समायोजन
42.		4.4*	ठेकेदारों को वृद्धि प्रभागों का अस्वीकार्य भुगतान
43.	2014 की प्रतिवेदन सं. 35	2.1***	टाटरा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब
44.		2.2***	₹27.32 करोड़ के अस्वीकार्य उपस्करों की अधिप्राप्ति
45.		2.3***	युनाइटेड सर्विस क्लब, मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि
46.		2.4***	रक्षा पट्टा भूमि पर अनियमित निर्माण
47.		2.5***	मांगी गई भूमि के लिए अतिदत्त किराए की गैर-वसूली
48.		2.6***	केन्टीन भंडार विभाग द्वारा बैंडविथ प्रभागों के भुगतान पर निष्फल व्यय
49.		3.1***	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवम् नाभिकीय (सी बी आर एन) उपस्करों की अधिप्राप्ति में ₹ 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय
50.		3.2*	वैधता अवधि के अंदर चाय की अधिप्राप्ति हेतु निविदा स्वीकार करने में विफलता के कारण ₹2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
51.		3.3***	फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्कैपों का संग्रहण न करने के कारण राजस्व की हानि
52.		3.4**	त्रुटिपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति
53.		3.5**	सी ओ डी आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान और अलाभकर निर्गम
54.		3.6***	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां, बचतें एवम् लेखाओं में समायोजन
55.		4.1***	अधिक दरों के निर्माण पर परिहार्य व्यय
56.		4.2***	ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप वृद्धि प्रभागों का परिहार्य भुगतान
57.		4.3***	अनुपयुक्त स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ खर्च करने के पश्चात् कार्य का पूर्व समापन

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
58.		5.1***	एक बहुप्रयोजन हॉल के निर्माण हेतु निधियों का अनधिकृत उपयोग
59.		5.2***	अव-मृदा की जाँच किए बिना पुल निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ की हानि
60.		7***	रक्षा अनुसंधान एवम् विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना

* लेखापरीक्षा द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की जाँच की गई, परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में मंत्रालय द्वारा अभी संशोधन किया जाना है - 26

** लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एनों की जाँच की गई, परंतु मंत्रालय से अंतिम रूप दिए गए ए टी एनों की प्रति प्रतीक्षित है - 13

*** की गई कार्रवाई की टिप्पणियां पहली बार के लिए भी प्राप्त नहीं हुई - 20

@ आंशिक ए टी एन प्राप्त हुई - 01

अनुलग्नक - II

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 के अनुसार छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवाओं को दर्शानेवाला विवरण

- i. सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिजली की सुविधा प्रदान करना ;
- ii. सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पानी की सुविधा देना ;
- iii. सड़कों, सार्वजनिक स्थलों तथा नालियों की सफाई करवाना, उपद्रवों का शमन तथा हानिकारक वनस्पतियों को हटाना ;
- iv. आक्रमक, धोखादायक तथा हानिकारक व्यापारों, कॉलिंगों तथा प्रथाओं को नियंत्रित करना ;
- v. जनसाधारण की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाओं के आधार पर सड़कों अन्य सार्वजनिक स्थलों में अनावश्यक रूकावटों तथा प्रक्षेपणों को हटाना ;
- vi. खतरनाक इमारतों और जगहों को सुरक्षित करना या हटाना ;
- vii. मृत व्यक्तियों के निपटान के लिए स्थलों का अधिग्रहण, रखरखाव, परिवर्तन तथा नियंत्रण ;
- viii. सड़को, पुलियों, पूलों, नदिपथों, बाजारों, कसाई खानों शौचालयों, प्रिविसों, पेशाबघरों, नालियों, नालिका-निकास कार्यों तथा मल-निकास के कार्यों के निर्माण,परिवर्तन तथा बनाए रखना और उनके प्रयोग को नियंत्रित करना;
- ix. सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ों को लगाना तथा उसे बनाए रखना ;
- x. पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति करना या व्यवस्था करना, जहाँ ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं वहाँ के मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिए प्रदूषित पानी के प्रयोग से बचाव करना तथा ऐसे प्रदूषित जल के प्रयोग करने से रोकना ;
- xi. जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण ;
- xii. भयानक बीमारियों को फैलने से रोकना तथा जाँच करना, जनसामान्य के लिए टीका पद्धति को स्थापित करना तथा उसका बनाए रखना और इसी उद्देश्य से टीका लगवाना ;

- xiii. सार्वजनिक अस्पतालों, प्रसूती तथा बाल-कल्याण केन्द्रों तथा दवाखानों को स्थापित करना तथा बनाए रखना या सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा मदद प्रदान करना ;
- xiv. प्राथमिक विद्यालयों इत्यादि स्थापित करना तथा बनाए रखना या सहयोग करना ;
- xv. आग उन्मूलन में सहायता देना, तथा जब आग लगे तो बिजली और संपत्ति का रक्षण करना ;
- xvi. छावनी की निहित, या सौपी गई संपत्ति के मूल्य, प्रबंधन को बनाए रखना और विकसित करना ;
- xvii. नागरी रक्षा सेवाओं को स्थापित करना तथा बनाए रखना ;
- xviii. टाऊन प्लैनिंग स्कीमों को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना ;
- xix. आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को बनाना तथा कार्यान्वित करना ;
- xx. सड़कों तथा परिसरों का नामकरण तथा नंबर डालना ;
- xxi. इमारत के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान करना या अस्वीकार करना ;
- xxii. सांस्कृतिक तथा खेलों के क्रियाकलापों को आयोजित करना, प्रोत्साहन देना या सहायता देना ;
- xxiii. स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस को मनाना तथा उस पर खर्च करना;
- xxiv. इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अथवा किसी अन्य कानून के तहत दिए गए कर्तव्य को पूरा करना।

अनुलग्नक - III

(पैराग्राफ- 2.1.2.2 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जांच किए गए 17-छावनी बोर्डों की श्रमशक्ति का प्राधिकृत तथा तैनात संख्याबल

क्रम सं.	छावनी बोर्ड	31 मार्च 2010 की स्थिति		31 मार्च 2011 की स्थिति		31 मार्च 2012 की स्थिति		31 मार्च 2013 की स्थिति		31 मार्च 2014 की स्थिति		प्रतिशतता
		प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	
1	लखनऊ/I	613	525	613	517	613	504	604	488	594	470	79
2	देहरादून/I	453	320	453	318	453	304	453	304	453	292	64
3	मेरठ/I	844	730	844	710	843	690	843	668	843	638	76
4	रामगढ़/I	268	239	268	239	268	223	268	212	268	214	80
5	अहमदनगर/I	210	186	209	185	209	182	249	178	209	166	79
6	बैरकपुर/II	214	151	214	140	213	137	213	132	213	125	59
7	क्लेमेन्ट टाउन/II	156	136	156	141	156	129	156	115	156	115	67
8	दानापुर/II	181	136	179	127	179	130	178	128	179	120	67
9	खास योल/II	78	65	77	66	77	64	77	61	75	62	83
10	पंचमारी/II	112	78	100	80	110	82	114	86	114	105	92
11	रानीखेत/II	352	276	351	261	352	252	352	240	352	227	64
12	शिलांग/II	73	62	73	62	73	62	73	62	73	60	82
13	वेल्लिंग्टन/II	190	176	191	175	191	176	191	176	191	175	92
14	छकराता/III	117	76	117	75	118	71	118	70	118	66	56
15	लैंकडाउन/III	102	87	103	84	103	79	103	75	103	71	68
16	डलहाउसी/IV	78	58	79	59	79	56	79	55	79	54	68
17	जालपाहर/IV	56	54	56	54	56	54	56	55	57	51	89
	कुल	4097	3355	4083	3293	4093	3195	4127	3105	4077	3011	74

अनुलग्नक - IV

(पैराग्राफ 2.1.2.5 के संदर्भ में)

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों द्वारा सप्लाई किए गए जल की आपूर्ति तथा नेटवर्क आवरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	छावनी परिषद का नाम	वर्ग	निवासियों की संख्या	नेटवर्क आवरण (प्रतिशत में)	प्रति व्यक्ति को लीटरों में आपूर्ति - एलपीसीडी
1	देहरादून	I	8475	100	150 to 187
2	लखनऊ	I	2275	80	140
3	मेरठ	I	6003	100	140
4	रामगढ़	I	8242	28	70
5	अहमदनगर	II	2947	100	57
6	बैरकपुर	II	1162	100	135
7	क्लेमेंट टाऊन	II	एन ए	एन ए	
8	दानापुर	II	2006	100	158
9	खास्योल	II	1466	100	50
10	पछमढ़ी	II	899	100	56
11	रानीखेत	II	970	100	85
12	शिलाँग	II	156	100	48
13	वेलिंग्टन	II	3609	35	95
14	चक्राता	III	765	100	66
15	लॅणसडाऊन	III	268	99	36
16	डलहौजी	IV	497	100	70
17	जलपहार	IV	70	100	140

अनुलग्नक - V

(पैराग्राफ 2.1.2.6 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धता तथा आबादी को दर्शाने वाला विवरण

छावनी/वर्ग	आबादी	छावनी बोर्डों में चिकित्सा सुविधाएँ		अस्पताल में बिस्तरों की संख्या
		अस्पताल	डिस्पेसरी/ पॉलिक्लिनिक	
मेरठ/I	93312	1	0	70
लखनऊ/I	63003	1	1	44
रामगढ़/I	88781	1	0	32
देहरादून/I	52716	1	1	18
दानापुर/II	28723	0	1	0
क्लेमेंट टाऊन/II	22557	1	0	14
अहमदनगर/II	28986	1	1	36
बैरकपुर/II	17380	1	0	25
वेलिंग्टन/II	19462	1	0	30
रानीखेत/II	18886	0	1	0
शिलाँग/II	11919	0	1	0
खास्योल/II	12028	1	0	20
पछमढ़ी/II	12062	0	1	0
चक्राता/III	5117	0	0	0
लेंप्सडाऊन/III	5667	1	0	33
डलहौजी/IV	3549	1	0	2
जलपहार/IV	1711	0	1	0

अनुलग्नक - VI

(पैराग्राफ 2.1.2.6 के संदर्भ में)

2009 -10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनियों में
शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

छावनी/वर्ग	छावनी बोर्डों में शैक्षणिक सुविधाएँ						
	केजी	प्रा.वि	अं.मा.वि	ज्यु.हा.स्कू	हा.स्कू	जी.आई.सी	इं.का
मेरठ/I	--	4	--	--	--	--	1
लखनऊ/I	--	4	1	1	1	--	--
रामगढ़/I	--	6 मी. स्कू	--	--	1	--	--
देहरादून/I	--	2	1	2	--	1	--
दानापुर/II	-	-	-	-	-	-	--
क्लेमेंट टाऊन/II	-	-	--	1	--	--	--
अहमदनगर/II	1	5	--	--	1	--	--
बैरकपुर/II		2	--	--	--	--	--
वेलिंगटन/II	--	1	--	--	1	--	--
रानीखेत/II	--	4	--	1	1	--	--
शिलाँग/II	--	1	--	--	--	--	--
खास्योल/II	--	4	--	--	1	--	--
पछमढी/II	--	1	--	--	--	--	--
चक्राता/III	-	2	--	--	1	--	--
लॅणसडाऊन/III	--	1	--	--	1	--	--
डलहौजी/IV	-	1	--	--	--	--	--
जलपहार/IV	--	1	--	--	--	--	--

केजी- किंडर गार्टन स्कूल, प्रा.वि- प्राथमिक विद्यालय, अं.मा.वि- अंग्रेजी माध्यम विद्यालय,
ज्यु.हा.स्कू- ज्युनियर हाई स्कूल, हा.स्कू- हाई स्कूल, जी.आई.सी- गर्ल्स इंटरमिडिएट कॉलेज,
इं.का- इंटरमिडिएट कॉलेज, मी.स्कू- मिडिल स्कूल

अनुलग्नक - VII

(पैराग्राफ 2.1.3.1 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गईं छावनी बोर्डों द्वारा संस्थापन, नए कार्यों तथा मरम्मत कार्यों पर किए गए खर्च को निर्दिष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	छावनी बोर्ड का नाम / वर्ग	संस्थापन पर व्यय	नए कार्यों पर व्यय	मरम्मत कार्यों पर व्यय	कुल व्यय
1	देहरादून/I	22.63	1	27.23	50.86
2	लखनऊ/I	73.48	0.23	48.86	122.57
3	मेरठ/I	85.32	0	24.71	110.03
4	रामगढ़/I	17.95	2.1	19.17	39.22
5	अहमदनगर/II	30.44	0.66	7.31	38.41
6	बैरकपुर/II	18.1	0	8.73	26.83
7	क्लेमेंट टाऊन/II	10.32	0	14.51	24.83
8	दानापुर/II	13.76	0	4.29	18.05
9	खास्योल/II	14.13	0	2.86	16.99
10	पछमढ़ी/II	7.08	0	7.88	14.96
11	रानीखेत/II	30.07	0	7.28	37.35
12	शिलाँग/II	12.48	0.75	6.53	19.76
13	वेलिंगटन/II	21.5	0	29.61	51.11
14	चक्राता/III	16.71	0	15.54	32.25
15	लॅप्सडाऊन/III	14.94	1.57	12.75	29.26
16	डलहौजी/IV	4.16	0	1.19	5.35
17	जलपहार/IV	5.75	0	7.93	13.68
	कुल	398.82	6.31	246.38	651.51

अनुलग्नक VIII

(पैराग्राफ 2.1.3.2 के संदर्भ में)

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों के संबंध में निधि के प्रत्याशित व्यय तथा वास्तविक आबंटन का प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमानों के अनुसार प्रत्याशित व्यय	प्रधान निदेशक रक्षा संपदा द्वारा निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत बनाम संशोधित अनुमान	व्यय का प्रतिशत बनाम आबंटन
1	देहरादून छावनी बोर्ड					
	2009-10	39.78	29.43	18.10	45.50	61.50
	2010-11	43.92	30.50	21.72	49.45	71.21
	2011-12	48.67	28.97	17.81	36.59	61.48
	2012-13	38.36	31.56	21.06	54.90	66.73
	2013-14	40.92	36.03	20.94	51.17	58.12
2	लखनऊ छावनी बोर्ड					
	2009-10	33.71	33.71	24.92	73.92	73.92
	2010-11	45.37	45.37	27.50	60.61	60.61
	2011-12	40.50	40.50	30.88	76.25	76.25
	2012-13	49.91	49.91	36.77	73.67	73.67
	2013-14	56.36	56.36	41.00	72.74	72.74
3	मेरठ छावनी बोर्ड					
	2009-10	39.05	39.05	28.62	73.29	73.29
	2010-11	41.03	42.60	33.74	82.23	79.20
	2011-12	39.84	39.84	31.96	80.22	80.22
	2012-13	44.64	44.64	37.01	82.91	82.91
	2013-14	59.56	59.50	41.52	69.71	69.78

4	रामगढ़ छावनी बोर्ड					
	2009-10	20.20	20.20	12.20	60.40	60.40
	2010-11	22.51	22.51	13.68	60.77	60.77
	2011-12	21.24	21.24	14.49	68.22	68.22
	2012-13	40.72	41.87	10.94	26.87	26.13
	2013-14	56.86	52.63	22.51	39.59	42.77
5	अहमदनगर छावनी बोर्ड					
	2009-10	13.74	12.33	9.59	69.80	77.78
	2010-11	16.47	14.20	11.50	69.82	80.99
	2011-12	19.62	16.06	12.83	65.39	79.89
	2012-13	21.50	17.22	12.37	57.53	71.84
	2013-14	21.08	19.69	14.70	69.73	74.66
6	बैरकपुर छावनी बोर्ड					
	2009-10	17.70	17.70	7.08	40.00	40.00
	2010-11	20.19	16.79	10.83	53.64	64.50
	2011-12	18.23	18.23	10.69	58.64	58.64
	2012-13	20.55	20.55	9.10	44.28	44.28
	2013-14	18.08	18.08	10.35	57.25	57.25
7	क्लेमेंट टाउन छावनी बोर्ड					
	2009-10	7.75	7.75	4.82	62.20	62.20
	2010-11	10.53	10.53	8.88	84.33	84.33
	2011-12	16.23	16.23	8.30	51.14	51.14
	2012-13	15.96	15.96	10.16	63.66	63.66
	2013-14	20.25	20.25	10.81	53.38	53.38

8	दानापुर छावनी बोर्ड					
	2009-10	13.22	10.12	3.86	29.20	38.14
	2010-11	18.64	16.25	6.12	32.83	37.66
	2011-12	18.31	18.96	5.41	29.55	28.53
	2012-13	16.80	16.90	7.42	44.16	43.90
	2013-14	19.99	18.10	8.95	44.77	49.45
9	खास्योल छावनी बोर्ड					
	2009-10	3.47	4.89	3.40	97.98	69.53
	2010-11	4.17	5.45	4.24	101.67	77.80
	2011-12	4.71	5.89	4.64	98.51	78.78
	2012-13	5.24	6.39	5.59	106.67	87.48
	2013-14	6.61	7.88	6.66	100.76	84.52
10	पछमढी छावनी बोर्ड					
	2009-10	8.42	6.06	2.70	32.07	44.55
	2010-11	6.27	6.27	5.89	93.94	93.94
	2011-12	13.57	7.60	6.20	45.69	81.58
	2012-13	15.33	14.23	8.40	54.79	59.03
	2013-14	11.11	16.75	8.18	73.63	48.84
11	रानीखेत छावनी बोर्ड					
	2009-10	15.08	15.08	8.49	56.29	56.29
	2010-11	15.20	15.20	13.07	85.99	85.99
	2011-12	16.76	16.76	11.74	70.05	70.05
	2012-13	19.84	19.84	12.89	64.97	64.97
	2013-14	22.23	22.23	13.21	59.42	59.42

12	शिलाँग छावनी बोर्ड					
	2009-10	4.29	5.17	3.33	77.62	64.41
	2010-11	7.96	7.96	4.33	54.40	54.40
	2011-12	6.33	6.50	3.93	62.09	60.46
	2012-13	13.65	13.83	4.25	31.14	30.73
	2013-14	7.81	11.40	6.81	87.19	59.74
13	वेलिंग्टन छावनी बोर्ड					
	2009-10	19.04	12.46	7.35	38.60	58.99
	2010-11	31.63	15.30	14.93	47.20	97.58
	2011-12	37.38	18.86	16.73	44.76	88.71
	2012-13	44.08	26.86	17.74	40.25	66.05
	2013-14	54.54	32.81	21.78	39.93	66.38
14	चक्राता छावनी बोर्ड					
	2009-10	15.89	15.89	5.90	37.13	37.13
	2010-11	11.72	11.72	7.36	62.80	62.80
	2011-12	16.56	16.56	5.31	32.07	32.07
	2012-13	20.48	20.48	6.86	33.50	33.50
	2013-14	24.10	24.10	10.43	43.28	43.28
15	लॅण्डडाऊन छावनी बोर्ड					
	2009-10	8.18	8.18	5.98	73.10	73.10
	2010-11	9.85	9.85	6.52	66.19	66.19
	2011-12	12.64	12.64	7.13	56.41	56.41
	2012-13	13.91	13.91	9.68	69.59	69.59
	2013-14	13.22	13.22	10.51	79.50	79.50

16	डलहौजी छावनी बोर्ड					
	2009-10	3.16	3.16	2.17	68.67	68.67
	2010-11	3.75	3.75	2.78	74.13	74.13
	2011-12	4.19	4.19	3.07	73.27	73.27
	2012-13	5.13	5.13	3.37	65.69	65.69
	2013-14	6.36	6.36	3.85	60.53	60.53
17	जलपहार छावनी बोर्ड					
	2009-10	4.71	4.71	2.83	60.08	60.08
	2010-11	4.53	4.53	3.50	77.26	77.26
	2011-12	5.25	5.25	4.29	81.71	81.71
	2012-13	4.64	4.64	3.30	71.12	71.12
	2013-14	6.66	4.89	3.14	47.15	64.21

देहरादून, क्लेमेंट टाऊन, खास्योल, लॅणसडाऊन तथा डलहौजी छावनी बोर्डों के विषय में बजट अनुमान उपलब्ध नहीं थे। इसलिए छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा- XIX में से आँकड़ों को लिया गया।

पुनरीक्षण अवधि दौरान 17 छावनी बोर्डों में संशोधित अनुमानों तथा बजट आबंटन का प्रतिशत के रूप में छावनी बोर्डों के व्यय ब्योरे

क्र. सं.	छावनी बोर्ड का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय
1	देहरादून	45.50	61.50	49.45	71.21	36.59	61.48	54.90	66.73	51.17	58.12
2	लखनऊ	73.92	73.92	60.61	60.61	76.25	76.25	73.67	73.67	72.74	72.74
3	मेरठ	73.29	73.29	82.23	79.20	80.22	80.22	82.91	82.91	69.71	69.78
4	रामगढ़	60.40	60.40	60.77	60.77	68.22	68.22	26.87	26.13	39.59	42.77
5	अहमदनगर	69.80	77.78	69.82	80.99	65.39	79.89	57.53	71.84	69.73	74.66

क्र. सं	छावनी बोर्ड का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय
6	बैरकपुर	40.00	40.00	53.64	64.50	58.64	58.64	44.28	44.28	57.25	57.25
7	क्लेमेंट टाऊन	62.20	62.20	84.33	84.33	51.14	51.14	63.66	63.66	53.38	53.38
8	दानापुर	29.20	38.14	32.83	37.66	29.55	28.53	44.16	43.90	44.77	49.45
9	खास्योल	97.98	69.53	101.67	77.80	98.51	78.78	106.67	87.48	100.76	84.52
10	पंचमढी	32.07	44.55	93.94	93.94	45.69	81.58	54.79	59.03	73.63	48.84
11	रानीखेत	56.29	56.29	85.99	85.99	70.05	70.05	64.97	64.97	59.42	59.42
12	शिलाँग	77.62	64.41	54.40	54.40	62.09	60.46	31.14	30.73	87.19	59.74
13	वेलिंग्टन	38.60	58.99	47.20	97.58	44.76	88.71	40.25	66.05	39.93	66.38
14	चक्राता	37.13	37.13	62.80	62.80	32.07	32.07	33.50	33.50	43.28	43.28
15	लॅप्स डाऊन	73.10	73.10	66.19	66.19	56.41	56.41	69.59	69.59	79.50	79.50
16	डलहौजी	68.67	68.67	74.13	74.13	73.27	73.27	65.69	65.69	60.53	60.53
17	जलपहार	60.08	60.08	77.26	77.26	81.71	81.71	71.12	71.12	47.15	64.21

स्रोत दस्तावेज: पुनरीक्षण अवधि के लिए 17 छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा-XIX में दिए गए वार्षिक समेकित लेखाओं, बजट अनुमानों तथा प्रस्तुत जानकारी

अनुलग्नक - X

(पैराग्राफ 4.1.1 के संदर्भ में)

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट के शुल्क शीर्ष के अंतर्गत
आबंटन तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जी ई का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	जी ई (यूटिलिटी) मेरठ	1466.25	1455.19	1528.50	1634.77	2009.20	2009.68
2.	जी ई (उत्तर) मेरठ	65.00	59.80	80.00	81.84	102.81	102.81
3.	जी ई (रूड़की)	573.230	631.446	650.00	722.028	746.00	838.054
4.	जी ई (सी/टी) देहरादून	386.520	386.515	371.00	403.610	380.30	405.47
5.	जी ई (एम सी टी ई) मऊ	721.068	721.068	795.200	795.170	777.105	777.105
6.	जी ई (पूर्व) बरेली	239.500	191.661	198.500	198.500	302.000	326.018
7.	जी ई (सेना) सूरतगढ़	750.00	850.00	840.337	992.16	993.00	1002.90
8.	जी ई चण्डीगढ़	510.77	510.77	615.28	615.28	436.58	436.58
9.	जी ई (दक्षिण) जयपुर	844.00	892.71	1226.92	1056.63	1274.05	1343.78
10.	जी ई (पूर्व) जालंधर	1637.20	1637.18	2724.64	2724.69	2274.58	2274.58
11.	जी ई (सी एम ई), दिपोड़ी, पुणे	927.84	927.82	943.56	943.55	834.97	872.57
12.	जी ई (आई) आर एंड डी पाषाण, पुणे	826.21	744.02	810.80	891.52	810.00	748.00
13.	जी ई (एन) एम ई जी सेंटर, बेंगलूर	425.40	425.40	557.85	557.85	599.04	599.04
14.	जी ई (आर एंड डी)(आर सी आई) हैदराबाद	1569.24	1569.24	1943.38	1943.38	2496.58	2498.58
15.	जी ई (एम ई एस) कानपुर	268.39	268.39	353.47	353.47	461.61	461.61
16.	जी ई (ई) लखनऊ	12.00	12.00	9.01	9.01	14.39	14.39
17.	जी ई (पूर्व) इलाहाबाद	483.62	483.62	506.06	506.06	600.00	601.80
18.	जी ई बबीना	502	484.88	511.61	511.31	635.85	647.57
19.	जी ई झांसी	900.00	864.97	955.55	939.55	1209.00	1208.80
20.	जी ई (डब्ल्यू) जबलपुर	1288.77	1215.45	1391.34	1432.58	1399.89	1354.09
21.	जी ई दिपातोली	331.61	319.24	314.07	352.09	338.87	361.59
22.	जी ई (यू) उधमपुर	2225.00	2046.22	2625.38	2418.67	2597.30	2042.51
23.	जी ई सतवारी	824.20	824.21	1025.69	999.12	1228.93	1228.93
24.	जी ई (यूटिलिटी) दिल्ली छावनी	180.00	177.726	242.424	242.424	265.798	265.798
25.	जी ई मीसामरी	256.165	284.74	318.321	352.398	406.06	406.059

क्रम सं.	जी ई का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
26.	जी ई (आई) आर एंड डी (पूर्व) बेंगलूर	1720.40	1720.40	1850.00	1850.00	1953.58	1953.58
27.	जी ई (उत्तर) बिन्नागुडी	-	-	1274.000	1261.007	1378.783	1378.766
28.	जी ई (केन्द्रीय) कोलकाता	-	-	439.00	439.00	505.50	505.50
29.	जी ई अलीपुर	-	-	793.230	793.229	919.00	918.53
30.	जी ई 869 ई डब्ल्यू एस	-	-	78.72	78.72	104.00	104.00

आंकड़ों का स्रोत: उपरोक्त आंकड़ा एम ई एस प्राधिकारियों से प्रदत्त/प्राप्त सूचना से संकलित किया गया है।

अनुलग्नक - XI

(पैराग्राफ 4.1.3.1.ए के संदर्भ में)

शुल्क अनुसूची के गलत प्रयोग के कारण विद्युत प्रभारों के लिए किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जी ई का स्टेशन नाम जिसके द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान किया गया	शुल्क अनुसूची जिसके अंतर्गत विद्युत आपूर्ति अभिकरण द्वारा विद्युत बिलिंग किया गया	एम ई एस के लिए लागू शुल्क अनुसूची	अवधि जिसके लिए राज्य विद्युत आपूर्ति अभिकरण द्वारा गलत बिलिंग किया गया	ऊर्जा एवं नियत प्रभार दरों में अंतर के कारण भुगतान की गयी अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	सहारनपुर (उ. प्र.) जी ई रुड़की	एच वी - 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	93.68
2.	पुरकाजी (उ. प्र.) जी ई रुड़की	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	28.21
3.	बाबूगढ़ जी ई (उत्तर), मेरठ (उ. प्र.)	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	53.62
4.	दाब थुआ जी ई (यूटिलिटी) ई/एम मेरठ (उ. प्र.)	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 01/2014	32.40
5.	कानपुर जी ई (आई) आर एंड डी, कानपुर	एल एम वी आई ए	एल एम वी आई (बी)	04/2011 से 11/2012	27.89
6.	मऊ जी ई (एम सी टी ई), मऊ (म. प्र.)	एच वी 3.2	एच वी 6.1	04/2011 से 02/2014	352.26
7.	पंचमढी ए जी ई (1) पंचमढी (म. प्र.)	एच वी 3.2	एच वी 6.1	04/2011 से 03/2013	09.96
8.	दपोडी, जी ई (सी एम ई) दपोडी, पुणे	औद्योगिक	आवासीय	04/2011 से 03/2014	104.06
9.	पाषाण, पुणे जी ई (आई) आर एंड डी पाषाण, पुणे	औद्योगिक	आवासीय	04/2009 से 10/2013	110.19
10.	देहरादून जी ई (सी टी), देहरादून (उ. खं)	आर टी एस- 2	आर टी एस-8	04/2011 से 03/2014	31.36
11.	तावी (संगरूर) जी ई (यू) उधमपुर	अनुसूची- 3	अनुसूची- 7	04/2011 से 03/2014	208.49
12.	द्वारका, जी ई (डब्ल्यू) दिल्ली छावनी	एम एल एच आई/एन डी एच टी	सी जी एच एस (एस डी आर)	04/2011 से 01/2014	132.58
				कुल	1184.70

आकड़ों का स्रोत: जी ई द्वारा भुगतान किए गए मासिक विद्युत बिलों और संबंधित स्टेशनों के लिए लागू शुल्क अनुसूची।

अनुलग्नक - XII

(पैराग्राफ 4.1.3.2 के संदर्भ में)

मांग/नियत प्रभारों के परिहार्य भुगतान जी ई/स्टेशन-वार विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	जी ई का नाम, जिसने विद्युत बिलों का भुगतान किया	अवधि, जिसके लिए जी ई द्वारा परिहार्य भुगतान किया गया	वास्तविक, अधिकतम मांग की तुलना में स्फीत/अति आकलित सी एम डी पर नियत/मांग प्रभारों के भुगतान के कारण भुगतान की गई अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	दाबथुआ	जी ई (यूटिलिटी) मेरठ	10/2012 से 12/2013	40.44
2.	शाहजहानपुर	जी ई (पूर्व), बरैली	04/2011 से 03/2014	14.90
3.	सूरतगढ़	जी ई (सेना) सूरतगढ़	04/2009 से 03/2013	63.79
4.	बैंगलूर	जी ई (आई) आर एंड डी (ई) बैंगलूर	01/2013 से 03/2014	34.16
5.	बबीना	जी ई बबीना	04/2011 से 03/2014	11.16
6.	झांसी	जी ई झांसी	04/2011 से 03/2014	13.86
7.	नौगांव (म. प्र.)	जी ई झांसी	04/2011 से 03/2014	11.83
8.	कानपुर	जी ई कानपुर	04/2011 से 03/2014	07.17
9.	जबलपुर	जी ई (डब्ल्यू) जबलपुर,	/2011 से 03/2014	76.79
		जी ई (ई) जबलपुर	03/2011 से 03/2014	37.53
10.	आनंद पर्वत दिल्ली	जी ई (उत्तर), दिल्ली छावनी	04/2011 से 03/2014	12.89
11.	हिरण कूदना दिल्ली	-वही-	04/2011 से 03/2014	05.35
12.	शिलांग	जी ई शिलांग	04/2011 से 03/2014	32.69
13.	दिपातोली	जी ई दिपातोली	04/2011 से 03/2014	26.03
14.	कोलकाता	जी ई (केंद्रीय) कोलकाता	04/2011 से 03/2014	09.76
			कुल	398.35

अनुलग्नक - XIII

(पैराग्राफ 4.1.4.1 के संदर्भ में)

गैर/अल्प वसूली किए गए नियत प्रभारों का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	जी ई/बी एस ओ का नाम	राशि (₹ लाख में)	अवधि
1.	बरेली	जी ई (पूर्व)	07.08	04/2011 से 03/2014
2.	कानपुर	जी ई (आई) आर एंड डी	153.30	01/2011 से 06/2012
3.	दिल्ली छावनी	जी ई (केन्द्रीय)	31.95	03/2008 से 03/2014
		जी ई (दक्षिण)	11.39	04/2011 से 12/2013
4.	अलीपुर	जी ई अलीपुर	07.73	04/2011 से 03/2014
5.	मीसामरी	जी ई मीसामरी	12.24	04/2011 से 03/2014
6.	लीनाखोंग	जी ई 869 ई डब्ल्यू एस	07.70	04/2011 से 03/2014
7.	बिन्नागुड़ी	जी ई (उत्तर) बिन्नागुड़ी	04.77	04/2011 से 03/2014
8.	नगरोता	जी ई नगरोता	01.29	04/2013 से 03/2014
9.	उधमपुर	(i) जी ई (दक्षिण) उधमपुर	02.05	04/2013 से 03/2014
		(ii) जी ई (उत्तर) उधमपुर	01.20	04/2013 से 03/2014
10.	मामुन	जी ई (उत्तर) मामुन	03.92	04/2013 से 03/2014
		कुल	244.62	

अनुलग्नक - XIV

(पैराग्राफ 4.1.4.3 के संदर्भ में)

घरेलू उपभोक्ताओं से जी ई/बी एस ओ द्वारा वसूल नहीं किए गए मीटर किराए को दर्शाने वाला विवरण

जी ई का नाम	संस्थापित किए गए मीटरों की संख्या	शुल्क-सूची के अनुसार मीटर किराया (प्रति माह) (₹ में)	माह	राशि (₹ लाख में)	अवधि
जी ई चांदीमंदिर	4655	11.00 (20-9)	31	15.87	09/2011 से 03/2014
जी ई चंडीगढ़	349	10.00 (मार्च 2013 तक)	24	1.68	04/2011 से 03/2014
		20.00 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)	12		
जी ई (उत्तर) अंबाला	9131	20.00	31	56.61	09/2011 से 03/2014
जी ई (पूर्व) जबलपुर	3732	10.00	24	08.96	04/2011 से 03/2013
	3782	10.00	12	04.54	04/2013 से 03/2014
जी ई (पश्चिम) जबलपुर	5092	10.00	12	06.11	04/2011 से 03/2012
	6135	10.00	24	14.72	04/2012 से 03/2014
कुल				108.49	

अनुलग्नक- XV

(पैराग्राफ 7.1.2 एवं 7.1.6 के संदर्भ में)

उत्पादन लागत एवं निर्गम मूल्य का विवरण

	एम एण्ड सी	डब्ल्यू वी एण्ड ई	ए एण्ड ई	ए वी	ओ ई एफ	योग
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)						
2011-12	2074.90	3812.50	5266.52	3818.35	961.17	15933.44
2012-13	2363.68	3693.91	5285.98	3515.71	1113.16	15972.44
2013-14	2286.95	3655.37	5517.54	2930.54	1246.27	15636.67
वी ओ आई						
2011-12	2368.64	4165.54	5585.65	4263.68	874.88	17273.20
2012-13	2516.28	4109.93	5540.77	3836.42	1115.90	17119.30
2013-14	2382.40	3966.44	5584.44	2926.91	1261.91	16122.10
2013-14 में अवयव-वार लागत का विवरण (₹ करोड़ में)						
सामग्री	1034.76	1928.29	3710.22	2085.45	544.58	9303.30
	(45.25)	(52.75)	(67.24)	(71.16)	(43.70)	(59.50)
श्रम	283.95	426.26	436.40	230.25	327.97	1704.83
	(12.42)	(11.66)	(7.91)	(7.86)	(26.32)	(10.90)
प्रत्यक्ष व्यय	101.35	42.23	66.85	24.23	4.68	239.34
	(4.43)	(1.16)	(1.21)	(0.83)	(0.38)	(1.53)
एफ ओ एच	618.03	876.16	1040.97	431.97	277.35	3244.48
	(27.02)	(23.97)	(18.87)	(14.74)	(22.25)	(20.75)
वी ओ एच	248.86	382.43	263.10	158.64	91.69	1144.72
	(10.88)	(10.46)	(4.77)	(5.41)	(7.36)	(7.32)
योग	2286.95	3655.37	5517.54	2930.54	1246.27	15636.67
भंडार की स्थिति (₹ करोड़ में)						
उपलब्ध भंडार	621.12	978.71	2269.56	1596.99	121.47	5587.85
डब्ल्यू आई पी	419.42	881.02	1002.14	1184.65	50.84	3538.07
तैयार भंडार	335.26	204.35	186.16	559.09	20.11	1304.97
पारगमन में भंडार	41.18	133.22	561.69	116.16	0.73	852.98
योग	1388.91	2197.3	4019.55	3456.89	193.15	11255.80

(स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए आयुध निर्माणियों के वार्षिक लेखे)

(कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अवयव-वार उत्पादन लागत को प्रदर्शित करते हैं)

अनुलग्नक XVI

(पैराग्राफ 7.2.1.4 के संदर्भ में)

चयनित मर्दों का उत्पादन लागत

क्रम संख्या	2011-12			
	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ आर एफ आई	31200	28834	899620800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	31068	28834	895814712
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ओ एफ टी	5400	29757	160687800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए/यू टी)/ओ एफ टी	18603	29757	553569471
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	20000	32221	644420000
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	3548	30182	107086836
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	4050	45344	183643200
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	264	401861	106091304
5	राइफल 7.62 मि.मी. (एम एच ए)/ओ एफ टी	7774	26020	202279480
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (थलसेना)/आर एफ आई	3000	18552	55656000
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	6000	21121	126726000
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(थलसेना/ आई एफ डी/ओ एफ टी	76	1186996	90211696
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना)/जी सी एफ	50	2662431	133121550
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी/एम एच ए)/एफ जी के	11065	40080	443485200
	रिवाल्वर 0.32" सी टी/एम एच ए)/एस ए एफ	7820	28800	225216000
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	10628	30604	325258781
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	8161	39799	324799369
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन (आई एफ डी)/ओ एफ टी	82	2932107	240432774
14	ए के-630 गन (नौसेना)/जी एस एफ	4	65618063	262472250
		4	47075065	188300258
15	40 मि.मी. यू बी जी एल (थलसेना/एम एच ए)/ओ एफ टी	2538	29473	74802474
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (थलसेना)/जी सी एफ	111	1483949	164718339
17	84 मि.मी. राकेट लॉचर एम के-III (थलसेना)/जी एस एफ	838	796113	667142694
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना)/जी सी एफ	54	23247352	1255357008
19	टी-90 टैंक का फाइजल गन संयोजन (आई एफ डी)/जी सी एफ	100	11797962	1179796200
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना)/जी सी एफ	50	4118316	205915800
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना)/जी सी एफ	120	3760872	451304640
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी)/एफ जी के	26	9645622	250786172
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी)/एफ जी के	26	3477538	90415988
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी)/एफ जी के	8	5198717	41589736
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी)/एफ जी के	32	4067324	130154368
	योग			1068,08,76,900

2012-13

क्रम संख्या	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (नौसेना)/ आर एफ आई	685	29988	20541780
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	39590	29988	1187224920
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ओ एफ टी	3900	32600	127140000
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ओ एफ टी	15438	32600	503278800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	19724	36818	726198232
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	11035	32419	357743665
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	3201	54418	174192018
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	300	449612	134883600
5	राइफल 7.62 मि.मी. (राज्य पुलिस/यू टी)/ओ एफ टी	6586	23210	152861060
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी./आर एफ आई (थलसेना)	3899	19027	74186273
	पिस्टल आटो 9 मि.मी./आर एफ आई (एम एच ए)	11656	19027	221778712
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	1234	24363	30063942
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(आई एफ डी)/ओ एफ टी	40	830962	33238480
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना) /जी सी एफ	14	2739784	38356976
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी) /एफ जी के	11224	40366	453067984
	रिवाल्वर 0.32" (सी टी)/एम एच ए /एस ए एफ	8399	32241	270792159
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	10840	28883	313091720
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	6296	38085	239783160
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैन्नन (आई एफ डी) /ओ एफ टी	84	2529893	212511012
14	ए के-630 गन (नौसेना) /जी एस एफ	5	67157451	335787255
15	40 मि.मी. यू बी जी एल (थलसेना)/ओ एफ टी	4001	51745	207031745
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (डी आर डी ओ) /जी सी एफ	6	1896092	11376552
	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (एम एच ए) /जी सी एफ	15	1025397	15380955
17	84 मि.मी. राकेट लाँचर एम के-III (थलसेना) /जी एस एफ	827	783287	647778349
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना) /जी सी एफ	44	23555526	1036443144
19	टी-90 टैंक का फाइनल गन संयोजन (आई एफ डी) /जी सी एफ	39	12918756	503831484
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	22	4066411	89461042
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	235	3868338	909059430
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी) /एफ जी के	30	8733656	262009680
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	27	2923948	78946596
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	21	4450561	93461781
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी) /एफ जी के	9	4046888	36421992
	योग			949,79,24,498

2013-14				
क्रम संख्या	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (नौसेना)/ आर एफ आई	820	32746	26851720
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	9739	32746	318913294
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (राज्य पुलिस/यू टी)/आर एफ आई	23982	32746	785314572
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए/यू टी)/ओ एफ टी	3609	34482	124445538
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	5055	43557	220180635
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (थलसेना)/आर एफ आई	8454	35559	300615786
	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	2050	35559	72895950
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	6303	65154	410665662
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	270	527082	142312140
5	राइफल 7.62 मि.मी. (यू टी)/ओ एफ टी	4239	29134	123499026
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (एम एच ए)/आर एफ आई	843	20847	17574021
	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (यू टी)/आर एफ आई	7545	20847	157290615
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	2339	28197	65952783
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(थलसेना/आई एफ डी)/ओ एफ टी	60	893376	53602560
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना) /जी सी एफ	34	3462132	117712488
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी) /एस ए एफ	8685	37288	323846280
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	13952	28284	394618368
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	6740	43926	296061240
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन/ओ एफ टी	72	3765225	271096200
14	ए के-630 गन (नौसेना) /जी एस एफ	7	81290335	569032345
15	40 मि.मी. यू बी जी एल/ओ एफ टी	7000	55557	388899000
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार/जी सी एफ	182	1929423	351154986
17	84 मि.मी. राकेट लॉंचर एम के-III/जी एस एफ	757	821830	622125310
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना) /जी सी एफ	13	28114405	365487265
19	टी-90 टैंक का फाइनेल गन संयोजन (आई एफ डी) /जी सी एफ	28	14480990	405467720
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	24	4664847	111956328
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल/जी सी एफ	215	4731040	1017173600
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी) /एफ जी के	21	9256432	194385072
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	26	3202908	83275608
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	13	5313149	69070937
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी) /एफ जी के	5	4326133	21630665
	योग			842,31,07,714
	कुल योग			2860,19,09,112
	25 चयनित शस्त्र मर्दों की कुल उत्पादन लागत			यानी ₹2860 करोड़
	छह निर्माणियों में अन्य 43 शस्त्र मर्दों की कुल उत्पादन लागत - ₹758 करोड़			
	अतः 68 मर्दों की कुल उत्पादन लागत पर 25 चयनित शस्त्र मर्दों की उत्पादन लागत की प्रतिशतता- 79%			
	(स्रोत: आयुध निर्माणी संगठन के वार्षिक लेखे खंड I एण्ड II)			

अनुलग्नक- XVI (ए)

(पैराग्राफ 7.2.2.2 के संदर्भ में)

थलसेना की आवश्यकता में वृद्धि

मद	वर्ष	रोल ऑन योजना	पूर्व के माँगपत्रों से प्राप्य शेष	वर्ष के लिए मांगी गयी मात्रा	माँगपत्र प्राप्ति की तारीख	आवश्यकता में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(4+5-3)}{3} \times 100$
81 मि.मी. मोर्टार	2011-12	150	0	321	05.04.2011	114
	2012-13	150	210	188	15.06.2012	165
84 मि.मी. रॉकेट लॉचर एम के-III	2011-12	600	7	1189	21.04.2011	99
	2013-14	300	2	700	29.07.2013	134
स्पेयर बैरल टी-72 टैंक	2012-13	100	20	128	09.01.2012	172
	2013-14	100	37	192	27.03.2012	129
स्पेयर बैरल टी-90 टैंक	2012-13	50	60	30	02.09.2013	80

(स्रोत: थलसेना की रोल ऑन योजना, ओ एफ बी को प्रस्तुत थलसेना के माँगपत्र)

अनुलग्नक- XVI (बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.2 के संदर्भ में)

ओ एफ बोर्ड एवं एम एच ए के मध्य लक्ष्य निर्धारण बैठक में निर्धारित लक्ष्य एवं एम एच ए की रोल ऑन योजना

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्ष	रोल ऑन योजना के अनुसार आवश्यकता (संख्या)	लक्ष्य निर्धारण बैठक के अनुसार लक्ष्य (संख्या)
1.	राइफल 5.56 मि.मी. इंसास	2011-12	42496	45000
		2012-13	47562	54167
		2013-14	44540	9888
2.	पिस्टल आटो 9 मि.मी.	2011-12	21896	10000
		2012-13	23932	10255
		2013-14	26029	2244
3.	एल एम जी 5.56 मि.मी. इंसास	2011-12	3522	2770
		2012-13	3997	2531
		2013-14	3204	1952
4.	81 मि.मी. मोर्टार	2011-12	142	32
		2012-13	161	5
		2013-14	140	4
5.	7.62 मि.मी. एम ए जी	2011-12	81	200
		2012-13	93	48
		2013-14	65	--
6.	कार्बाइन मशीन 9 मि.मी.	2011-12	7404	4530
		2012-13	7957	6096
		2013-14	8565	2935

(स्रोत: एम एच ए की रोल ऑन योजना (2010) तथा लक्ष्य निर्धारण बैठक का कार्यवृत्त)

अनुलग्नक-XVII-ए

(पैराग्राफ 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.2.2.5 एवं 7.2.2.6 के संदर्भ में)

मांगकर्ताओं की आवश्यकता, लक्ष्य, उत्पादन क्षमता, तथा उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट (आर एफ आई, एस ए एफ, ओ एफ टी)	2011-12	77733	45000		122733	45000	55000		100000	81	93000 (5.56 एम एम राइफल फिक्स्ड एवं फोल्डबल बट की संयुक्त क्षमता)	118	106781	107
	2012-13	31133	54167		85300	27733	70000		97733	115		114	97161	99
	2013-14	0	9888		9888	0	72000		72000	728		96	43260	60
5.56 मि.मी. राइफल फोल्डेबल बट (आर एफ आई)	2011-12	8454	4500		12954	4454	5000		9454	73			3548	38
	2012-13	8454	11200		19654	4000	4747		8747	45		11035	126	
	2013-14	8454	1100		9554	8454	9083		17537	184		13722	78	
5.56 मि.मी. एल एम जी (एस ए एफ)	2011-12	8132	2770		10902	0	4000		4000	37	8000	50	3639	91
	2012-13	8132	2531		10663	0	3997		3997	37	8000	50	3360	84
	2013-14	9232	1952		11184	5000	5620		10620	95	8000	133	6293	59
राइफल 7.62 मि.मी. (ओ एफ टी)	2011-12		6000		6000		10000		10000	167	5000	200	7774	78
	2012-13		14990 (अनुमानित)		14990		8000		8000	53	5000	160	6586	82
	2013-14		0		0		4000		4000		5000	80	4239	106
गण मशीन 7.62 मि.मी. (एस ए एफ)	2011-12	378	200		578	0	300	60	360	62	300	120	264	73
	2012-13	378	48		426	160	160	40	360	85	300	120	300	83
	2013-14	721	558 (अनुमानित)	221	1500	400	0	0	400	27	300	133	265	66

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
पिस्टल आटो 9 मि.मी. (आर एफ आई)	2011-12	5806	10000		15806	3000	11000		14000	89	9600	146	13208	94
	2012-13	3899	10255		14154	3899	13661		17560	124	9600	183	15555	89
	2013-14	0	2244		2244	0	16000		16000	713	9600	167	8332	52
कार्बाइन 9 मि.मी. (एस ए एफ)	2011-12		4530		4530		6000		6000	132	7680	78	4458	74
	2012-13		6096		6096		7592		7592	125	7680	99	3632	48
	2013-14		2935		2935		2935		2935	100	7680	38	2640	90
12.7 मि.मी. प्रहरी (जी सी एफ)	2011-12				0			30	30		60	50	0	0
	2012-13				0			35	35		40	88	64	183
	2013-14			10	10			140	140	1400	40	350	40	29
40 मि.मी. यू बी जी एल(ओ एफ टी)	2011-12	11581	0		11581	4000	0		4000	35	1500	267	2549	64
	2012-13	9032	0		9032	4607	0		4607	51	1500	307	4001	87
	2013-14	6732	0		6732	7000	239		7239	108	1500	483	7055	97
ए के- 630 गन (जी एस एफ)	2011-12				0			15	15		10	150	4	27
	2012-13				0			18	18		10	180	5	28
	2013-14				0			15	15		10	150	10	67
81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (जी सी एफ)	2011-12	321	32		353	111	32		143	41	150	95	145	101
	2012-13	398	5		403	150	50	6	206	51	150	137	146	71
	2013-14	273	4		277	150	50	6	206	74	150	137	182	88
105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (जी सी एफ)	2011-12	106			106	54			54	51	34	159	54	100
	2012-13	52			52	52			52	100	34	153	44	85
	2013-14	8			8	54			54	675	34	159	13	24

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
84 मि.मी. राकेट लॉचर एम के III (जी एस एफ)	2011-12	1196	55		1251	600	405		1005	80	1800	56	804	80
	2012-13	542	0		542	2000	300		2300	424	1800	128	806	35
	2013-14	702	575 (प्रदर्शित)		1277	2500	300		2800	219	1800	156	612	22
टी-72 के लिए स्पेयर बैरल (जी सी एफ)	2011-12	140			140	80		6	86	61	120	72	136	158
	2012-13	272			272	120		20	140	51	200	70	247	176
	2013-14	229			229	270		20	290	127	280	104	215	74
टी-90 के लिए स्पेयर बैरल (जी सी एफ)	2011-12	110			110	40			40	36	33	121	50	125
	2012-13	90			90	40			40	44	33	121	22	55
	2013-14	68			68	40			40	59	33	121	24	60
रिवाल्वर 0.32" (एस ए एफ, एफ जी के)	2011-12							19000	19000		20700	92	20474	108
	2012-13							20000	20000		20700	97	19623	98
	2013-14							20000	20000		20700	97	19153	96
0.32" पिस्टल (जी एस एफ)	2011-12							12000	12000		15000	80	9882	82
	2012-13							12500	12500		12000	104	11563	93
	2013-14							12000	12000		12000	100	13409	112
0.315" स्पोर्टिंग राइफल (आर एफ आई)	2011-12							10000	10000		15000	67	8171	82
	2012-13							10000	10000		15000	67	6296	63
	2013-14							10000	10000		15000	67	6785	68

* अन्य = नौसेना+ओ डी डी+पी एस यू/सी टी

(स्रोत: थलसेना की रोल ऑन योजना, ओ एफ बी को प्रस्तुत थलसेना की मांग, थलसेना मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन तथा शस्त्र निर्माता निर्माणियों के लिए बोर्ड का लक्ष्य, उपलब्धि प्रतिवेदन, आयुध निर्माणियों में क्षमता आकलन समिति की रिपोर्ट)

अनुलग्नक-XVII(बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.3, 7.2.2.5 और 7.2.2.6 के संदर्भ में)

ओ एफ बी द्वारा दिये गये लक्ष्य, क्षमता एवं उपलब्धि का विवरण (आई एफ डी मद)

क्रम संख्या	मद	वर्ष	ओ एफ बी द्वारा दिया गया लक्ष्य (संख्या)		क्षमता		उपलब्धि	
			मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	भौतिक (संख्या)	संशोधित/ मूल लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में
1	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन (ओ एफ टी)	2011-12	50		120	42	91	182
		2012-13	100		120	83	40	40
		2013-14	150		120	125	60	40
2	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन(ओ एफ टी)	2011-12	70	105	110	95	87	83
		2012-13	105		110	95	84	80
		2013-14	105	72	110	65	72	100
3	टी-90 टैंकों के फाइनल गन संयोजन (जी सी एफ)	2011-12	100		100	100	100	100
		2012-13	100		234	43	39	39
		2013-14	100		234	43	53	53
4	टी-90 आयुध (एफ जी के)	2011-12	40	30	33	91	26	87
		2012-13	50		33	152	30	60
		2013-14	50		33	152	10	20
5	बैरल के बिना ओवरहाल (एफ जी के)	2011-12	15	45	120 (संयुक्त क्षमता)	50	26	58
		2012-13	45			50	27	60
		2013-14	45			50	14	31
6	नए बैरल के साथ ओवरहाल (एफ जी के)	2011-12	45	15			8	53
		2012-13	15				21	140
		2013-14	15				42	280
7	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (एफ जी के)	2011-12	36		36	100	32	89
		2012-13	13		36	36	9	69
		2013-14	27		36	75	5	19

(स्रोत: बोर्ड द्वारा शस्त्र निर्माणियों को दिया गया लक्ष्य, निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन, आयुध निर्माणियों में क्षमता आकलन हेतु गठित समिति की प्रतिवेदन)

अनुलग्नक-XVIII(ए)

(पैराग्राफ 7.2.2.6 के संदर्भ में)

उत्पादन निष्पादन का मद-वार विश्लेषण

मद	उपलब्धि (संख्या) (लक्ष्य के प्रति उपलब्धि की प्रतिशतता ¹⁸³)			2011-14 के दौरान लक्ष्य में परिवर्तन (%)	2011-14 के दौरान उत्पादन में परिवर्तन (%)
	2011-12	2012-13	2013-14		
5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट)	3548 (38)	11035 (126)	13722 (78)	85	287
पिस्टल आटो 9 मि.मी.	13208 (94)	15555 (89)	8332 (52)	14	(-)37
0.315" स्पोर्टिंग राइफल	8171 (82)	6296 (63)	6785 (68)	0	(-)17
5.56 मि.मी. एल एम जी	3639 (91)	3360 (84)	6293 (59)	166	73
7.62 मि.मी. मशीन गन	264 (73)	300 (83)	265 (66)	11	0
9 मि.मी. कार्बाइन	4458 (74)	3632 (48)	2640 (90)	(-)51	(-)41
30 मि.मी. कैनन (बी एम पी)	87 (83)	84 (80)	100 (100)	(-)31	(-)17
40 मि.मी. यू बी जी एल	2549 (64)	4001 (87)	7055 (97)	81	177
81 मि.मी. मोर्टार	145 (101)	146 (71)	182 (88)	44	26
गन संयोजन टी-90	100 (100)	39 (39)	53 (53)	0	(-)47
स्पेयर बैरल टी-90	50 (125)	22 (55)	24 (60)	0	(-)52
टी-90 आयुध (ओ ई)	26 (87)	30 (60)	10 (20)	67	(-)62
105 मि.मी. एल एफ जी आयुध	32 (89)	9 (69)	5 (19)	(-)25	(-)84
84 मि.मी. राकेट लाँचर मार्क III	804 (80)	806 (35)	612 (22)	179	(-)24
ए के 630 गन	4 (27)	5 (28)	10 (67)	0	150
0.32" पिस्टल	9882 (82)	11563 (93)	13409 (112)	0	36

(स्रोत: शस्त्र मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन तथा शस्त्र निर्माता निर्माणियों को बोर्ड द्वारा दिया गया लक्ष्य व निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन)

¹⁸³ ओ एफ बी द्वारा क्षमता से संबन्धित प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दो मदों के अतिरिक्त, 2011-14 के दौरान क्षमता में परिवर्तन नहीं हुआ। अतः यह माना जा सकता है कि 2011-14 के दौरान, कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई।

विश्लेषण से पता चला कि:

- लेखापरीक्षा में विश्लेषित 16 मदों में से तीन मदों के लिए, 2011-14 के दौरान, बोर्ड ने लक्ष्य कम कर दिया, कुछ मामलों में महत्वपूर्ण रूप से, उदाहरण के लिए, 9 मि.मी. कार्बाइन (51 प्रतिशत) एवं 30 मि.मी. कैन्नन (31 प्रतिशत)। यहाँ तक कि, निर्माणियां न्यूनीकृत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकीं तथा वास्तव में, पिछले वर्षों में, उपलब्धि 17 से 84 प्रतिशत तक गिर गया। उदाहरण के लिए, 105 मि.मी. एल एफ जी आयुध तथा 9 मि.मी. कार्बाइन के लक्ष्य, 2013-14 में, 2011-12 के प्रति, 25 एवं 51 प्रतिशत कम कर दिये गए, किन्तु इन मदों का उत्पादन आगे, 2013-14 में, थलसेना से औपचारिक आदेश की प्राप्ति (अक्टूबर 2013) में विलंब, एम एच ए से कम भुगतान की प्राप्ति तथा 9 मि.मी. कार्बाइन के लिए ट्रिगर संयोजन की अनुपलब्धता के कारण क्रमशः 84 एवं 41 प्रतिशत कम हो गया।
- लक्ष्य में वृद्धि के बावजूद, निर्माणियां लक्ष्य प्राप्ति के लिए चयनित मदों के उत्पादन में वृद्धि कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, 5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट), 5.56 मि.मी. एल एम जी, 81 मि.मी. मोर्टार एवं 40 मि.मी. यू बी जी एल के उत्पादन में वृद्धि हुई, जो कि 2011-14 की अवधि के दौरान लक्ष्य में 44 से 166 प्रतिशत की वृद्धि को पूरा कर सकती थीं।
- निर्माणियों ने छह मदों के लक्ष्य की पूर्ति में अधिक एवं 60 प्रतिशत की सतत उपलब्धि दर्शाई¹⁸⁴। तथापि, 2011-14 के दौरान हर वर्ष में, केवल दो मदों यथा, 30 मि.मी. कैन्नन एवं 0.32” पिस्टल के मामले में सतत रूप से 80 प्रतिशत एवं अधिक का उच्च निष्पादन देखा गया। 2013-14 में, गन एवं शेल निर्माणी काशीपुर की 84 मि.मी. राकेट लॉचर मार्क III श्रृंखला के मामले में उपलब्धि, वर्ष के दौरान, गुणवत्ता नियंत्रण में 66 प्रतिशत आर एफ आर सहित, 22 प्रतिशत पायी गयी जिस पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

¹⁸⁴ 0.315” स्पोर्टिंग राइफल, 7.62 मि.मी. मशीन गन, 30 मि.मी. कैन्नन, 40 मि.मी. यू बी जी एल, 81 मि.मी. मोर्टार एवं 0.32” पिस्टल

अनुलग्नक-XVIII(बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.6 के संदर्भ में)

लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारण

निर्माणी	मद	कमी का कारण
राइफल निर्माणी, ईशापुर	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट)	अक्टूबर 2012 में थोक उत्पादन स्वीकृति की विलंबित प्राप्ति तथा गुणवत्ता समस्याओं के कारण से थलसेना द्वारा माँगपत्र का पूर्व समापन
	9 मि.मी. पिस्टल	व्यापार से इनपुट भंडार की अधिप्राप्ति में बाधा उच्च निर्गम मूल्य के कारण एम एच ए द्वारा कम सामग्री ग्रहण
	0.315" स्पोर्टिंग राइफल	गुणवत्ता समस्याओं के कारण से निजी मांगकर्ताओं द्वारा कम सामग्री ग्रहण
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्स्ड बट)	एम एच ए द्वारा भुगतान न होना
लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	5.56 मि.मी. एल एम जी	संघटकों की विलंबित प्राप्ति (मेटल इंजेक्शन मोल्ड रूप में)
	7.62 मि.मी. एम ए जी	फायरिंग की कम दर के कारण गुणवत्ता समस्या
आयुध निर्माणी, त्रिची	30 मि.मी. कैनन	प्रूफ परीक्षण के लिए गोला बारूद की अनुपलब्धता तथा रूस से संघटकों की प्राप्ति हेतु विलंबित आयात आदेश
	40 मि.मी. यू बी जी एल	निर्माण में (कोटिंग प्रक्रिया) में समस्या तथा सहयोगी निर्माणी से प्रूफ गोला बारूद की आपूर्ति में विलंब
गन एवं सेल निर्माणी, काशीपुर	84 मि.मी. राकेट लाँचर/ ए के 630 गन	आयातित उत्पाद सहयोग के लिए आदेशों के प्रक्रमण में विलंब। आयात से प्राप्त बैरल की अनुपलब्धता
गन कैरेज निर्माणी, जबलपुर	12.7 मि.मी. प्रहरी	नौसेना से औपचारिक आदेश की अनुपलब्धता; अभिकल्प संशोधन की प्राप्ति में विलंब
	81 मि.मी. मोर्टार	आयात के माध्यम से बेस प्लेट की विलंबित अधिप्राप्ति तथा प्रूफ परीक्षण एवं प्रूफ पश्चात कार्यकलापों में विलंब
	स्पेयर बैरल टी-90	टी- 90 एवं टी-72 गन के उत्पादन को प्राथमिकता दिया जाना, सहयोगी निर्माणियों से इनपुट बैरल की कम उपलब्धता
	स्पेयर बैरल टी-72	आयुध निर्माणी कानपुर, फील्ड गन निर्माणी कानपुर से इनपुट बैरल तथा धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर से केशिंग की कम प्राप्ति
	टी-90 गन	आयुध एवं गन के प्रूफ के लिए गोलाबारूद की कमी
	105 मि.मी. एल एफ जी	परीक्षण व प्रूफ पश्चात कार्यकलापों में विलंब तथा औपचारिक आदेशों की विलंबित प्राप्ति .
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर	टी-90 आयुध	मेसर्स मिथानी से इनपुट मदों की विलंबित प्राप्ति
	टी-72 बैरल	धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर से फोर्जिंग की विलंबित प्राप्ति

(स्रोत: शस्त्र मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन, निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन तथा बोर्ड/निर्माणियों का उत्तर)

अनुलग्नक-XIX(ए)

(पैराग्राफ 7.2.3.2 के संदर्भ में)

अधिप्राप्ति: आपूर्ति आदेशों के प्रस्तुतीकरण में विलंब (2011-14 के दौरान समय)

निर्माणी (आदेशों की संख्या)	लिया गया समय (महीनों में)	निविदा सूचना का देरी से जारी होना (संख्या)	विलंब से प्रस्तुत आदेश (संख्या)
आर एफ आई (1402)	1-2	788	-
	2-5	471	-
	5-8	56	327
	>8	7	136
	योग		1322(94%)
एस ए एफ (266)	1-2	75	-
	2-5	89	-
	5-8	30	81
	>8	9	26
	योग		203(76%)
जी एस एफ (665)	1-2	257	-
	2-5	84	-
	5-8	63	67
	>8	59	132
	योग		463(70%)
ओ एफ टी (26)	1-2	2	-
	2-5	2	-
	5-8	0	10
	>8	0	8
	योग		4 (15%)
एफ जी के (29)	1-2	4	-
	2-5	8	-
	5-8	1	5
	>8	0	9
	योग		13(45%)
जी सी एफ (34)	1-2	2	-
	2-5	20	-
	5-8	1	10
	>8	7	23
	योग		30(88%)

(स्रोत: निर्माणियों का आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक- XIX(बी)

(पैराग्राफ 7.2.3.3 के संदर्भ में)

सहयोगी निर्माणियों से संघटकों की प्राप्ति

आई एफ डी मद	वर्ष-वार आवश्यकता	प्राप्त मात्रा
धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर से एफ जी के में संघटकों की प्राप्ति		
बैरल फोर्जिंग (टी-72)	2013-14 : 261	2013-14 : 142
केशिंग फोर्जिंग (टी-72)	2013-14 : 364	2013-14 : 184
आयुध निर्माणी कानपुर से जी सी एफ में संघटकों की प्राप्ति		
स्पेयर बैरल टी-90	2013-14 : 21	2013-14 : 6
स्पेयर बैरल टी-72	2012-13 : 118	2012-13 : 107
टी-90 आयुध	2012-13 : 36	2012-13 : 30
फील्ड गन निर्माणी कानपुर से जी सी एफ में संघटकों की प्राप्ति		
स्पेयर बैरल टी-90	2013-14 : 29	2013-14 : 20
स्पेयर बैरल टी-72	2012-13 : 155 2013-14 : 150	2012-13 : 138 2013-14 : 139
टी-90 आयुध	2012-13 : 50 2013-14 : 17	2012-13 : 30 2013-14 : 10
105मि.मी. एल एफ जी आयुध	2012-13 : 21 2013-14 : 8	2012-13 : 9 2013-14 : 5

(स्रोत: निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन)

अनुलग्नक- XIX (सी)

(पैराग्राफ 7.2.3.4 के संदर्भ में)

इनपुट सामग्री के परीक्षण में लगा समय

निर्माणी	परीक्षित प्रकरणों की संख्या	लिया गया समय (दिनों में) प्रकरणों की संख्या					विलंब के मामलों की कुल संख्या (प्रतिशत में)
		≤15	16-30	31-60	61-90	>91	
आर एफ आई	7342	3729	2619	841	109	44	3613(49)
एस ए एफ	9392	4222	3119	1504	393	154	5170(55)
जी एस एफ	3080	1841	665	367	101	106	1239 (40)
ओ एफ टी	15048	8887	3472	1816	530	343	6161(41)
एफ जी के	498	183	10	36	46	223	315(63)
जी सी एफ	5117	1856	1099	1145	582	435	3261(63)
योग	40477	20718	10984	5709	1761	1305	

(स्रोत: निर्माणियों का प्राप्ति वाउचर डेटाबेस)

अनुलग्नक-XX(ए)

(पैराग्राफ 7.2.3.6 के संदर्भ में)

श्रम दक्षता एवं उत्पादन उपलब्धि







2013-14 में निष्पादन	आर एफ आई	एस ए एफ	ओ एफ टी	जी एस एफ	एफ जी के	जी सी एफ
महीनों की संख्या जब श्रम दक्षता 150 प्रतिशत से अधिक थी	8	11	6	2	4	0
मार्च तक लक्ष्य की प्राप्ति	प्रतिदर्श मर्दों की प्रतिशतता					
लक्ष्य का 100 प्रतिशत	25	0	40	33	40	0
लक्ष्य का 99-60 प्रतिशत	50	80	20	33	0	50
लक्ष्य के 60 प्रतिशत से कम	25	20	40	33	60	50
उत्पादन लागत (करोड़ रु. में)	340	197	167	479	204	501
प्रत्यक्ष श्रम की संख्या	1863	877	710	1723	576	1488






(स्रोत: ओ एफ बी द्वारा प्रस्तुत छह शस्त्र निर्माता निर्माणियों में उपलब्ध/प्रयुक्त मानक श्रम घंटे (एस एम एच) एवं ओ एफ संगठन का वार्षिक लेखे खंड-1)

अनुलग्नक- XX(बी)

(पैराग्राफ 7.2.3.6 के संदर्भ में)

उत्पादन/निर्गम का मूल्य तथा एस एम एच का उपयोग





(स्रोत: उत्पादन/निर्गम का मूल्य तथा छह शस्त्र निर्माता निर्माणियों में उपलब्ध/प्रयुक्त एस एम एच, जैसा कि ओ एफ बी द्वारा सूचित किया गया, वार्षिक लेखे खंड-I)

अनुलग्नक-XXI

(पैराग्राफ 7.2.4.3 के संदर्भ में)

मामला अध्ययन 1: बोर्ड में उत्पादित 5.56 मि.मी.राइफलों की गुणवत्ता

2011-14 के दौरान 5.56 मि.मी.राइफल- फिक्स्ड बट क्रमशः राइफल निर्माणी ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर एवं आयुध निर्माणी त्रिची में उत्पादन के लिए 47, 28 तथा 30 प्रतिशत लेखे।

2011-14 के दौरान ₹87 करोड़ मूल्य के राइफलों के 6-16 प्रतिशत के लिए एस.क्यू.ए.ई ने आर.एफ.आर पंजीकृत किया। उसी अवधि के दौरान एस.क्यू.ए.ई द्वारा ₹65 करोड़ की कीमत के राइफलों को अस्वीकार किया

गया जो कि एस.ए.एफ में एस.क्यू.ए.ई द्वारा अस्वीकृति के 24 प्रतिशत का उच्चतम अवसर था।

निर्माणी	अस्वीकृति			
	आर.एफ.आर		अस्वीकृति	
	अवसर (% में)	मूल्य (क.)	अवसर (% में)	मूल्य (क.)
आर.एफ.आई	6 ¹⁸⁵	35	1	4.83
एस.ए.एफ	11	22	24	57
ओ.एफ.टी	16	30	1	2.8
कुल		87		64.63

आर.एफ.आर एवं अस्वीकृति का कारण हैमर¹⁸⁶ (ट्रिगर से जुड़ा हुआ) तथा ब्रीच ब्लाक¹⁸⁷; नली (अधिक चढ़ाव) के हिलाते हुये भागों का रुकाव; गोलाबारी के पश्चात कारतूस केस का खराब (प्रक्षेपपथ का) निष्कासन¹⁸⁸; नली के छेद में त्रुटि (नली का आंतरिक कक्ष) तथा अनियमित गोलाबारी या गोलाबारी की निम्न गति; पिस्टन आयतन, ब्रीच ब्लाक, ट्रिगर गार्ड जैसे विभिन्न भागों को क्षति जैसे अव्यवों के अधिकता को ठहराया गया।

एस.क्यू.ए.ई ने गुणवत्ता संशोधन नोट में यह उल्लेख किया कि नली के नाप में विचलन (राइफल निर्माणी ईशापुर में; 2011-12) तथा 2011-12 एस.ए.एफ में फ्लैश अवशोषक (शत्रु द्वारा परिचयन को बचाने के लिए की गई गोलाबारी के दौरान अवशोषित किया गया "फ्लैश") के सामग्री संरचना में त्रुटियां हैं। परंतु त्रुटियों के पुनरावृत्ति को देखा गया। 2013-14 में एस.क्यू.ए.ई ने राइफल निर्माणी ईशापुर द्वारा संशोधित किए गए ब्रीच ब्लाक पर प्रश्न उठाया।

¹⁸⁵ इसके अतिरिक्त ₹1.4 करोड़ के मूल्य के 4 प्रतिशत मर्दों को संशोधन के पश्चात पुनः निर्गम किया गया जिन्हें फिर से आर.एफ.आर के लिए वापस कर दिया गया था

¹⁸⁶ जब ट्रिगर को खींचा जाता है तब गोलाबारी को करने के लिए एक झटका (प्रभाव) देने के लिए हैमर को हिलाया जाता है

¹⁸⁷ ट्रिगर को दबाते ही गोली के तीन क्रम नली की ओर बढ़ते हैं एवं इस समय ब्रीच को बंद हो जाना चाहिए। अगर वह बंद ना हुआ तो शस्त्र खराब हो सकता है

¹⁸⁸ खाली कारतूस केस के निष्कासन में विचलन से सैनिक को हानि पहुंचा सकता है

इसके साथ ही मांगकर्ताओं (थलसेना, वायुसेना एवं पैरा सैनिक बलों) ने राइफल निर्माणी ईशापुर को 2011-14 के दौरान ₹1.3 करोड़ मूल्य के 456 राइफलों को वापस कर दिया, जिनमें से 323 राइफलों को आर्थिक पैमाने पर ठीक करने से परे पाया गया। नली के छेद में विकसित उभार (जो कि शस्त्र को हानि पहुंचा सकता है) तथा अव्यव टूटे या फटे हुये जैसी शिकायतें थीं। निर्माणी ने इन त्रुटियों का परिशोधन किया तथा मांगकर्ताओं को पुनः राइफलों को निर्गम किया। इसी प्रकार से लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर को 2011-14 में सी.आर.पी.एफ़ द्वारा ₹23 लाख की कीमत के 70 राइफलों को वापस कर दिया गया क्योंकि नली के आयतन को टूटा हुआ पाया गया।

बोर्ड के उत्पादन प्रालेख में मुख्य मदों में से एक मद, सेना के मद मांग के बावजूद भी इस मद की निरंतरता को बनाए रखते हुये से संबंधित विभिन्न 'जांच बिन्दुओं' पर उठाए गए गुणवत्ता से जुड़े प्रश्नों को बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-XXII

(पैराग्राफ 7.2.4.3 के संदर्भ में)

आर.एफ.आर एवं अस्वीकृति का मदवार अवसर

मद	प्रकृति	परिमाण		कारण
		अवसर (प्रतिशत में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	
राइफल निर्माणी, ईशापुर				
9 मि.मी. पिस्तौल	आर.एफ.आर	13	14	खाली कारतूस केस का खराब निष्कासन; ब्रीच का बंद ना होना; स्लाइड ¹⁸⁹ का कस जाना; कोई प्रबंध ना होना (मैगजीन से गोली का)
	अस्वीकृति	3	3	
लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर				
5.56 मि.मी. एल.एम.जी	आर.एफ.आर	14	11	खाली कारतूस केस का खराब निष्कासन, अनियमित गोलाबारी, ब्रीच का असम्यककार्यता आदि।
	अस्वीकृति	22	28	अव्यवस्था में क्रियात्मक त्रुटि (जैसे ब्रीच ब्लाक, पिस्टन निष्कासन, ब्रेकेट, ट्रिगर, नली का निष्कासन), प्लग गौज तथा कारतूस हेड स्पेसिंग में गौज का अतिक्रमण, नली के छेद में त्रुटि आदि।
7.62 मि.मी. मशीन गन	आर.एफ.आर	52	75	कारतूस केस का खराब निष्कासन, गोलाबारी की धीमी गति, अनियमित गोलाबारी आदि।
	अस्वीकृति	53	43	निष्कासक, ट्रिगर, बैक-साइट, नितंब का हैंडल, पिस्टन निष्कासन में दरार आदि जैसे विभिन्न अव्यवस्था में क्रियात्मक त्रुटि
9 मि.मी. कारबाइन	आर.एफ.आर	16	5	ट्रिगर केस, नली का कक्ष तथा अनियमित गोलाबारी आदि जैसे अव्यवस्था में त्रुटि
	अस्वीकृति	19	6	ट्रिगर जमावड़ा, लीवर लाक, बंदूक के सिरे के आधार निष्कासक, ब्रीच ब्लाक तथा नली के बोर्ड में कटने का निशान/दाग आदि में क्रियात्मक त्रुटि
आयुध निर्माणी, त्रिची				
40 मि.मी. यू.बी.जी.एल	आर.एफ.आर	8	4	नली में दरार/हानि, बाडी हाउसिंग, अनियमित गोलाबारी, सुरक्षा लाभ, सीयर, रिकायेल युनिट, ब्रीच, नली के छेद में विमितीय अतिक्रमण तथा कारतूस हेड स्पेसिंग, खराब सूक्ष्मता आदि जैसे अव्यवस्था का असम्यककार्यता

¹⁸⁹ एक पिस्तौल में स्लाइड की गति से तीन काम पूरे होते हैं: खाली कारतूस केस का निष्कासन, अगले दाव के लिए मारने वाले या हैमर को उठाकर तैयार करना एवं जब स्लाइड सामने आता है तब कक्ष में दूसरे कारतूस को डालना

मद	प्रकृति	परिमाण		कारण
		अवसर (प्रतिशत में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	
30 मि.मी. कैन्नन	आर.एफ.आर	34	21	गैस सिलिंडरों में धुंधले क्रोमियम का आवरण, नली, नली जमावड़े का असम्यककार्यता, पिस्टन, भक्षण, सुरक्षा लीवर, लाइन/पिट/नली के कैच में टूल के निशान, आतिशबाज़ी धारक एवं ब्रीच
12.7 मि.मी. ए.डी गन	आर.एफ.आर	100	16	पिन गोलाबारी, सुरक्षा लाक, पिस्टन, ब्रेकेट बैक साइड एवं लाक नली में खराब रंग/पालिश, पिस्टन, कड़ी को मिटाने वाला, सीयर आदि जैसे अवयवों में त्रुटि/असम्यककार्यता तथा निष्कासक, रेग्युलेटर गैस, प्लंजर पिन, ट्रे फीड जमावड़े में विमितीय अतिक्रमण
गन शेल निर्माणी, काशीपुर				
84 मि.मी. आर.एल-मार्क- III	आर.एफ.आर 2011-12			नली के उप- जमावड़े में उभार, नली में "लकीरों के प्रारम्भ" पर विशिष्टताओं से अतिक्रमण
		19	2	
		2012-13	58	
	2013-14	66	21	
गन कैरेज निर्माणी, जबलपुर				
105 मि.मी. एल.एफ.जी	आर.एफ.आर	26	67	नली में गोलाबारूद की प्रतिबंधित गति, ब्रीच ब्लाक की अनुचित क्रियात्मकता
स्पेयर बैरल टी-72	आर.एफ.आर	9	20	नली के छेद में त्रुटि
स्पेयर बैरल टी-90	आर.एफ.आर	63	21	नली के छेद में त्रुटि
81 मि.मी. मोर्टर	आर.एफ.आर	2	2	नली के छेद में त्रुटि
कुल: आर.एफ.आर (5.56 मि.मी. राइफल को शामिल करते हुये)			390	
कुल: अस्वीकृति (5.56 मि.मी. राइफल को शामिल करते हुये)			145	
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर				
निर्माणी एवं क्यू.ए.ई (एफ.जी) द्वारा अंतिम उत्पाद के लिए आर.एफ.आर/ अस्वीकृति पर कोई डाटा नहीं दिया गया। विभिन्न अवयवों में विमितीय अतिक्रमण; गुणवत्ता निरीक्षण नोट में ब्रीच में (जहां से गोला-बारूद को लादा जाता है) टी-72 तथा टी-90 नली में छेद में अंतर के साथ पर ध्यान दिया गया। परंतु एक ही जैसे त्रुटियों के पुनरावृत्ति ने यह दर्शाया कि सुधारात्मक कार्रवाई अपर्याप्त थे।				

(स्रोत: आर.एफ.आर तथा अस्वीकृति को दर्शाते हुये एस.क्यू.ए.ई पत्र)


अनुलग्नक - XXIII

(पैराग्राफ 7.2.5.2 में संदर्भित)

मुनाफे में प्रचलन का निर्माणी-वार विश्लेषण

लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर

2011-14 के दौरान अपने उत्पाद प्रालेख में छः मुख्य मद स्थिर रहे। 5.56 मि.मी. राइफल, 5.56 मि.मी. लाइट मशीन गन (एल.एम.जी), 9 मि.मी. कारबाइन एवं 7.62 मि.मी. मीडियम मशीन गन (एम.ए.जी) एक साथ सेना तथा एम.एच.ए को मर्दों के उत्पादन के 53 प्रतिशत निर्गम किया है। विभिन्न श्रेणी के रिवाल्वर सिविल व्यवसाय में निर्गमित हुई निर्माणी के प्रालेख का एक आवश्यक भाग है।



हमने यह देखा कि 2012-13 में 5.56 मि.मी. राइफल के अलावा सभी मुख्य उत्पादों में सामग्री लागत श्रम लागत से अधिक हो गया। यहाँ तक की 7.62 मि.मी. एम.ए.जी का श्रम लागत सामग्री लागत का 400 प्रतिशत था। ऊपरी व्यय भी अधिक था, विशिष्ट रूप से निर्धारित ऊपरी व्यय जो कि छः मुख्य उत्पादों के लिए 51 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत के बीच के स्तरों का था। उत्पादन लागत के संबंध में 7.62 मि.मी. एम.ए.जी ने 60 प्रतिशत उपरीव्यय को पंजीकृत किया। निर्माणी ने मूल्य निर्धारण में रुढ़िवाद द्वारा संयोजन के उपरीव्यय उच्च श्रम तथा उपरीव्यय के लागत के कारण हानि का सामना किया। जैसा की देखा गया कि 29 से 56 प्रतिशत तक निर्गम मूल्यों से अधिक बढ़ते हुये वास्तविक लागत के बावजूद भी 16 से 31 प्रतिशत तक अनुमानित लागत से कम 7.62 मि.मी. एम.ए.जी का निर्गम मूल्य हमेशा से निर्धारित था।

निर्माणी ने अपने मुख्य उत्पादों में एक नियमित गिरावट को चिन्हित किया। 2011-14 के दौरान 9 मि.मी. कारबाइन को 62 प्रतिशत से तथा 5.56 मि.मी. राइफल 75 प्रतिशत तक हास होकर निर्गम किया गया। 7.62 एम.ए.जी एवं 9 मि.मी. कारबाइन में उच्च उत्पादन लागत ने उनके उत्पादन को अलाभकर बना दिया। 2013-14 में प्रत्येक बंदूक पर ₹43,605 से ₹25,712 के अनुक्रम में लाभ ने निर्माणी को चलायमान रखा। सिविल व्यवसाय में रिवाल्वर पर प्राप्त अधिक लाभ के बावजूद भी उनके अनुमानित/ वास्तविक लागत की तुलना में बोर्ड द्वारा 7.62 मि.मी. एम.ए.जी एवं 9 मि.मी. कारबाइन के लागत में (श्रम तथा उपरीव्यय) 30 प्रतिशत बढ़ोतरी परंतु कम निर्गम मूल्य को निर्धारित करने के कारण मुख्य रूप से 2013-14 में निर्माणी को ₹13 करोड़ की हानि का सामना करना पड़ा।

राइफल निर्माणी ईशापुर

निर्माणी के मुख्य उत्पादों (आई.एन.एस.ए.एस राइफल तथा 9 मि.मी.पिस्तौल) के लिए जब सेना की मांग मूलतः नीचे आ गई, सिविल व्यवसाय के लिए उनके उत्पादों की बढ़ोतरी हुई। एम.एच.ए को मूलतः 5.56 मि.मी.राइफल- मुड़ा हुआ बट्ट एवं 5.56 मि.मी. फिक्स बट्ट को निर्गम करने के मात्रा में 39 प्रतिशत हास तथा 81 प्रतिशत हास के कारण 2013-14 में लाभ में गिरावट आ गई। 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए अधिक मांग होने के बावजूद भी 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 35 प्रतिशत से एम.एच.ए को समय में भुगतान की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण निर्माणी को निर्गम हुये चीजों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 0.315” राइफल के बिक्री में मुनाफे तथा निरंतर मांग के कारण सीमांत रूप से अन्य उत्पादों के मुनाफे पर तथा मांग में समायोजन घटता गया।

फील्ड गन निर्माणी कानपुर

गन कैरेज निर्माणी जबलपुर में उच्च क्षमता वाले बंदूकों में जमा किए गए आवरण तथा आयुध, बैरल,अपने उत्पादों के साथ निर्माणी मूल रूप से एक आई.एफ.डी निर्माणी है। 2011-12 में 19 एवं 2012-13 तथा 2013-14 में मुख्यतः 22 नौ मुख्य उत्पादों में से निर्माणी के उत्पाद प्रालेख का आवश्यक परिवर्तन हुआ। उत्पाद प्रालेख में परिवर्तन निर्माणी में घटित निरंतर परिवर्तन के चित्र को उजागर करता है। एम.बी.टी अर्जुन के लिए 120 मि.मी. बंदूक के लिए निर्माणी द्वारा नलियों का उत्पादन किया गया परंतु 124 एम.बी.टी से अधिक मांग बोर्ड द्वारा प्राप्त ना किया जाने के कारण 2009-10 से उत्पादन में गतिरोध आ गया। दूसरी तरफ एक नए मद् का उत्पादन 2012-13 में प्रारम्भ हुआ तथा मुख्यतः 2013-14 में बढ़ गया, वह भारतीय नौसेना के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशियन एंटी- सबमरीन राकेट गाइडेड बम 60 (आर.जी.बी 60) के स्वदेशी प्रारूप के लिए नलियां थीं। जबकि उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी ने मुख्य मद्दों पर विभाजित निर्धारित उपरिव्यय में कोई हास नहीं हुआ।

निर्गम मूल्य में साधारण बढ़ोतरी के बावजूद भी निर्माणी ने 2011-14 से लाभ पर 66 प्रतिशत बढ़ोतरी को देखा। 2013-14 में सिविल व्यापार में 0.32” रिवाल्वर की बिक्री के कारण 40 प्रतिशत का लाभ हुआ।

आयुध निर्माणी त्रिची

2012-13 में 33 प्रतिशत से लाभ में बढ़ोतरी के पश्चात 2013-14 में 27 प्रतिशत से लाभ में गिरावट आ गई। आई.एफ.डी मद्दों के अलावा (इन्फैन्ट्री कंबाइट व्हीकल बी.एम.पी- II एवं 12.7 मि.मी.एयर डिफेंस गन के लिए 30 मि.मी. कैनन) उसके मुख्य उत्पाद आई.एन.एस.ए.एस राइफल, 40 मि.मी. अंडर बैरल ग्रेनेड लॉंचर तथा

स्पोर्टिंग राइफल है। उत्पादन का मदवार लागत, निर्गम मूल्य एवं लाभ/हानि को नीचे दर्शाया गया है।

मर्दे	आई.एन.एस.ए.एस राइफलें (सेना)	आई.एन.एस.ए.एस राइफलें (एम.एच.ए)	40 मि.मी. यू.बी.जी.एल	0.315” स्पोर्टिंग राइफल	30 मि.मी. कैनन
2011-12					
उत्पादन लागत	29757	29757	29473	35019	2932107
निर्गम मूल्य	28710	30800	51710	43200	2726947
लाभ/हानि	(-)1047	1043	22237	8181	(-)205160
2012-13					
उत्पादन लागत	32600	32600	51745	13754	2529893
निर्गम मूल्य	31007	33264	55400	43200	2972815
लाभ/हानि	(-)1593	664	3655	29446	442922
2013-14					
उत्पादन लागत	कोई उत्पादन नहीं	34482	55557	11776	3765225
निर्गम मूल्य		35925	59832	47700	3207355
लाभ/हानि		1443	4275	35924	(-)557870

सेना को आई.एन.एस.ए.एस राइफलों को घाटे में निर्गम किया गया परंतु आवश्यक लाभकर सीमा के साथ उसका थोक में उत्पादन कर एम.एच.ए को निर्गम किया गया था। 2011-12 में यू.बी.जी.एल का मूल्य लागत से 75 प्रतिशत अधिक था। प्रत्येक वर्ष 7.9 प्रतिशत औसत से निर्गम मूल्य के बढ़ने पर तथा 2011-14 के समय 89 प्रतिशत से उत्पादन लागत के बढ़ने पर भी मुख्य रूप से शुरुआती अधिक निर्गम मूल्य के कारण इस मद पर निर्माणी निरंतर लाभ पाती रही। 2011-14 के समय में सामग्री (79%) तथा श्रम (66%) में मुख्य रूप से उत्पादन लागत में 66 प्रतिशत हास एवं निर्गम मूल्य में अत्यल्प बढ़ोतरी के कारण अन्य लाभप्रद मद 0.315” स्पोर्टिंग राइफल था। 2013-14 में 30 मि.मी. कैनन पर हुआ भारी नुकसान-मुनाफे में 27 प्रतिशत गिरावट का सबसे बड़ा सहयोगी था। 2012-13 से 2013-14 में निर्गम मूल्यों में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद भी श्रम में 49 प्रतिशत बढ़ोतरी तथा उपरिव्यय में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण मुख्य रूप से उत्पादन लागत में 49 प्रतिशत बढ़ोतरी के हानि के लिए मुख्य कारक था।

गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर

निर्माणी ने निर्माणियों के हथियार समूह में सबसे अधिक लाभ होने की बात की। 0.32” पिस्तौल के बिक्री में वास्तविक लाभ ने निर्माणी को सीमित रखा: 2011-14 के समय में लागत में आठ प्रतिशत के अतिरिक्त हास से अनुगमित 2011-12 में उत्पादन लागत से अधिक 125 प्रतिशत के निर्गम मूल्य के निर्धारण के कारण मुख्य

रूप से 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में ₹41 करोड़, ₹43 करोड़ एवं ₹57 करोड़ का लाभ हुआ। भारत सरकार के समायोजन¹⁹⁰ नीति के अंतर्गत 2011-12 में अन्य उत्पाद: ए.के. 630 गन का निर्यात हुआ। 2011-12 में समायोजन निर्यातों के विपरीत ₹19 करोड़ के उपार्जन- लाभ का मुख्य कारण 2012-13 में ₹76 करोड़ (2011-12) से ₹56 करोड़ तक मुनाफे में हास हुआ। मुख्यतः 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान 33 एवं 27 प्रतिशत से अनुमानित लागत से अधिक निर्गम मूल्य को प्रतिष्ठापित करने के कारण सेना को 84 मि.मी.आर.एल (एम.के-III) को निर्गम करने में निर्माणी को प्रतिवर्ष संतोषजनक लाभ प्राप्त हुआ। जबकि उत्पादन के वास्तविक एवं अनुमानित लागत में 11 तथा 21 प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद भी निर्गम मूल्य में कोई भी परिवर्तन ना होने के कारण 2013-14 के दौरान नौ सेना को ए.के. 630 बंदूक की बिक्री करने में निर्माणी को हानि हुई। सहयोगी निर्माणियों को निर्गम मर्दों के लिए भी निर्माणी को हानियों का सामना करना पडा। अतः 2013-14 में समस्त लाभ सीमांत रूप से गिरते हुए 10 प्रतिशत से ₹47 करोड़ हो गया

गन कैरेज निर्माणी जबलपुर

निर्माणी ने 2013-14 में ₹35 करोड़ (2011-12) से ₹15 करोड़ तक के लाभ के गिरते हुए प्रवृत्ति को दर्शाया। 2011-14 के दौरान मुख्य मर्दों की संख्या प्रायः एक जैसी ही रही। निर्माणी के मुख्य उत्पाद संशोधित राकेट लांचर कवच¹⁹¹ (नया) , 105 मि.मी.लाईट फिल्ड गन, टी-90 एवं टी-72 टैंकों के लिए स्पेयर नलियां, टी-90 टैंक का बन्दूक जमावडा, 81 मि.मी. मोर्टार तथा 12.7 मि.मी.प्रहरी (नौ सेना) हैं।

2011-14 के दौरान स्पेयर नली टी.-90 के उत्पादन का हास 52 प्रतिशत से हुआ; 13 प्रतिशत से उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के साथ उत्पादन में गिरावट आने के कारण टी-90 नलियों को निर्गम करने में हानि हुई। 2012-13 में 19 प्रतिशत से 105 मि.मी. एल.एफ. बन्दूकों के उत्पादन में गिरावट आई। 2013-14 में मुख्यतः 105 मि.मी.बन्दूक, स्पेयर नली टी-90 तथा स्पेयर नली टी-72 के संबंध में 19 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत से उत्पाद की दिशा की ओर से उत्पादन लागत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। 70 प्रतिशत से 105 मि.मी.एल.एफ. बन्दूक में उत्पादन के वास्तविक हास के कारण इस मद के हानि को रोका जा सका।

¹⁹⁰ समायोजन के अंतर्गत व्यापार के लिए बदले में खरीददार से एक विदेशी विक्रेता को कुछ मर्दों की खरीददारी करना आवश्यक है

¹⁹¹ कवच एक नौसैनिक डिकायर प्रणाली है जो रडार निर्देशित मिसाइलों को उनके लक्ष्य से विचलित करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा एक स्वरक्षा के उपाय के रूप में कार्य करता है। यह उत्पाद रूस के एंटी सबमरीन वारफेयर राकेट (ए.एस.डबल्यू) का देशज रूप है। कवच डिकाएट प्रणाली सिल्वर आवरण ग्लास फाइबर मिश्रित धुंध पैदा करता है। यह हवा में अदृश्यता की स्थिति पैदा करता है जिससे की जो निर्देशित मिसाइलें हैं वे अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं तथा वास्तविक लक्ष्य के स्थान पर धुंध में लाक हो जाती हैं। ये चाफ रॉकेट तीन प्रकार के आयामों के होते हैं: माध्यम से दीर्घ आयाम।

अनुलग्नक-XXIV

(पैराग्राफ 7.2.6.2 के संदर्भ में)

नये उत्पादों के विकास की कार्यान्वयन स्थिति

मदें (उत्पादन की अनुमानित शुरुआत)	कार्यान्वयन स्थिति
(क) लघु शस्त्र	
5.56 मि.मी.राईफल (मुड़ा हुआ नितम्ब) (2008-09)	सेना के 20,000 राईफलों के मांग पत्र (2006) के विपरीत बोर्ड ने उत्पादन की सुपूर्दगी जून 2012 में की। सेना ने अक्टूबर 2012 में थोक उत्पादन निकासी दी। उत्पादन में विलम्ब को कारण बताते हुए सेना ने अप्रैल 2011 में मांग पत्रों को 8454 तक सीमित कर दिया। 8454 राईफलों (2013-14) की सुपूर्दगी के पश्चात आर.एफ.आई. सेना से आगे के मांग पत्रों के लिए प्रतिक्षा कर रही थी।
5.56 मि.मी.कारबाइन (संयुक्त उपक्रम रक्षा) (2009-10)	मंत्रालय के मांग के अनुमोदन (2006) के विपरीत विश्वसनीयता तथा वजन के विशिष्टिकरण के शर्त को पूरा न कर पाने के कारण बोर्ड तथा डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित (अक्टूबर 2011) कारबाइन को प्रारंभिक परीक्षण (अक्टूबर 2012) में असंतोषजनक पाया गया। डिजाइन के परिशोधन के पश्चात परीक्षण के अगले चरण का मई 2015 तक पूरा होने का अनुमान था। विकास एवं परीक्षणों में विलंबों से संदर्श योजना में इंगित उत्पादन के महत्वपूर्ण पड़ाव विपथित हुए।
5.56 मि.मी.कारबाइन (क्लोस क्वार्टर बैटल) (2009-10)	उत्पादन प्रारूप के निश्चयात्मकता के पहले ही कारबाइनों के उत्पादन के लिए कोरवा में एक निर्माणी स्थापित करने के दोषपूर्ण निर्णय का उल्लेख भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-12 के पैराग्राफ 7.2 में किया गया था। सेना द्वारा वैश्विक क्रय के पश्चात बोर्ड को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी.ओ.टी) के साथ कारबाइन के उत्पादन की योजना बनाई गई थी। वैश्विक अधिकारों के समस्याओं एवं टी.ओ.टी के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण अप्रैल 2007 तथा अप्रैल 2008 के प्रस्तावों (आर.एफ.पी) के लिए सेना के अनुरोध को दो बार वापस (दिसंबर 2007/जून 2009) लेना पड़ा। तीसरे आर.एफ.पी के विपरीत प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया गया परंतु क्रय का सुनिश्चितिकरण अभी भी करना बाकी था चूंकि मार्च 2015 तक सामान्य स्टाफ मूल्यांकन में अभी तक कारबाइन का सुनिश्चितिकरण बाकी था। 2013-14 में केवल ₹2.59 करोड़ मूल्य के 12 बोर पंप एक्शन गन के उत्पादन के साथ कारबाइन के उत्पादन के लिए ₹237 करोड़ (मार्च 2015) के खर्च पर कोरवा (अमेठी) में स्थापित एक नई निर्माणी लगभग निष्क्रिय पड़ी रही।
12.7 मि.मी.प्रहरी (2007-08)	गन कैरेज निर्माणी जबलपुर में 2012-13 में प्रहरी बंदूक का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। निर्माणी ने नौसेना से औपचारिक मांगपत्र के देरी से प्राप्ति के कारण 2012-14 के दौरान 59 प्रतिशत के लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(ख) मध्यम क्षमता शस्त्र	
30 मि.मी.आटोमैटिक ग्रेनेड लांचिंग सिस्टम (2010-11)	आयुध निर्माणी त्रिची ने 2008 में विपरीत इंजीनियरिंग के द्वारा मद के विकास का उत्तरदायित्व लिया। प्रदर्शन परीक्षण के दौरान (दिसंबर 2008), निरंतर गोलाबारी के पश्चात नियमित प्रतिरोध को देखा गया। अप्रैल 2010 के दौरान पाँच नमूनों को परीक्षण के लिए चलाया गया। विशिष्टिकरणों को सुनिश्चित करने के पश्चात (सितंबर 2013) जून 2014 में तीन बंदूकों के नए उत्पादन की शुरुआत हुई जिनके मई 2015 में अंतर्वर्तीय परीक्षण के लिए गोलाबारी करने की योजना बनाई गई तथा जिन्हें जुलाई 2015 में डी.जी.क्यू.ए को सहनशक्ति के परीक्षण का वर्णन करना था। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि (मई 2015) पूर्व- आयात गोलाबारूद अभ्यास के अनुपलब्धता के कारण विकसित शस्त्रों को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
40 मि.मी. यू.बी.जी.एल (2009-10)	2011-14 के दौरान सेना ने चरणानुसार निर्गम करने के लिए 11,719 के लिए आयुध निर्माणी त्रिची पर एक मांगपत्र प्रस्तुत (जून 2009) किया। 2011-12 में 64 प्रतिशत से 2013-14 में 97 प्रतिशत तक लक्ष्यों के विपरीत कार्य सम्पादन के साथ उत्पादन ने तेजी पकड़ी। यू.बी.जी.एल के देशज उत्पादन के लिए एम.ए.ओ (माइक्रो आर्क आक्सीडेशन) आवरण के प्रक्रिया को स्थिर नहीं किया जा सका। अतः एक कर्मी दल ने कठोर एनोडाइस्ड (एच.ए) के आवरण की संस्तुति (फरवरी 2012) की। तदनुसार 2013-14 तक ओ.एफ़ त्रिची एच.ए आवरण के साथ यू.बी.जी.एल का उत्पादन करती रही। बोर्ड ने यह उल्लेख (मई 2015) किया कि एम.ए.ओ आवरण की आवश्यकता अब तक परिकल्पित नहीं की गई थी चूंकि कठोर एनोडाइज़ के साथ आवरित नलियों ने अपेक्षित आयु को प्राप्त नहीं किया था।
एंटी- मटेरियल राइफल (2009-10)	शत्रु के टैंकों, तेल के अधिष्ठापनों, बंकरों आदि के विनाश के लिए बनाए गए राइफल का विकास (2005) आयुध निर्माणी त्रिची में हुआ। 2008-09 में एम.एच.ए द्वारा 100 राइफलों के आदेशों की पूर्ति हुई। इसके अतिरिक्त एम.एच.ए या सेना द्वारा किसी मांगपत्र को प्राप्त नहीं किया गया। सेना ने यह निर्णय लिया कि किसी भी राइफल को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा चूंकि इन्होंने वजन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था।
ए.के-630 बंदूक (2007-08)	गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने एक रूसी फर्म से टी.ओ.टी पर आधारित 2009-10 से देशज उत्पादन की शुरुआत की। 2013-14 तक नली को शामिल करते हुये महत्वपूर्ण मर्दों के लिए आयात होता रहा। बोर्ड ने यह उल्लेख (मई 2015) किया कि बी.ई.एल एवं ओ.एफ़ मेडक के साथ गन एंड शेल निर्माणी ने बंदूक के जमावड़े के 90 प्रतिशत का देशीकरण किया। स्वदेशीकरण में असामान्य विलंब तथा टी.ओ.टी संविदा में त्रुटि के कारण उत्पादन समर्थन का निरंतर आयात होता रहा। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।
(ग) उच्च क्षमता शस्त्र	
84 मि.मी. राकेट लांचर (2007-08)	एक स्वीडिश फर्म से टी.ओ.टी पर आधारित 2007-08 से (75 प्रतिशत आयातित उत्पादन समर्थन सहित देशज उत्पादन की शुरुआत गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने की। 2013-14 तक नली, दृश्य उपकरण प्रणाली को शामिल करते हुये महत्वपूर्ण मर्दों के लिए आयात होता रहा। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि (मई 2015) 2016 तक देशज नली का विकास अनुमानित था। सूक्ष्मदर्शी दृश्य उपकरणों के 50 प्रतिशत अव्यव तथा शास्त्रों के अव्यवों के 70 प्रतिशत के प्रारूप के स्थानान्तरण ना होने के कारण विलंबित स्वदेशीकरण से लक्ष्य के अनुसार देशज उत्पादन में हानि हुई। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।

<p>130 मि.मी.का 155 मि.मी.तक अप-गनिंग (2010-11)</p>	<p>इसाइल फर्म एस.ओ.एल.टी.ए.एम पर प्रतिबंध के कारण अभी तक आंशिक रूप से परियोजना सफल नहीं रही है। 2010-11 में परीक्षण के आधार पर गन कैरेज निर्माणी जबलपुर ने दो बंदूकों का उत्पादन किया परंतु दिसंबर 2014 तक सेना ने किसी भी प्रकार का मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया। बोर्ड ने यह सूचित (मई 2015) किया कि अक्टूबर 2015 से 130/155 अप- गनिंग के प्रयोगकर्ता के परीक्षण को अनुमानित किया जा सकता है। विलंबित विकास तथा परीक्षण ने सेवाओं में बंदूक के अधिष्ठापन पर प्रभाव डाला।</p>
<p>155 गन अपग्रेडेशन (2010-11)</p>	<p>फरवरी 2012 में विकसित उन्नत 155मि.मी.(45 कैलिबर) बंदूक तथा 2012-15 के दौरान विभिन्न प्रदर्शन एवं प्रयोगकर्ता के परीक्षण के लिए बनाए गए 'धानुष' ने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादन किया। सेना द्वारा 114 बंदूकों के मांगपत्र को देने के बावजूद भी वह पुष्टि करने वाले परीक्षण के अंतर्गत था एवं थोक उत्पादन की निकासी की प्रतीक्षा की जा रही थी (मई 2015)। विकास एवं परीक्षण में चार वर्षों के विलंब के कारण परिकल्पित घटनाक्रम को हानि हुई।</p>
<p>टी-90 टैंक के लिए 125 मि.मी. बंदूक (2008-09)</p>	<p>टी-90 टैंक के लिए टी.ओ.टी में बंदूक नली के सामग्री विशिष्टिकरण को वास्तविक उत्पादककर्ताओं, रूसी फर्म ने उसका आदान-प्रदान नहीं किया जो कि स्वदेशीकरण में मुख्य अवरोध था। मंत्रालय के द्वारा विकल्पों पर निर्णय लेने में विलंब हुआ जिसके कारण एक साथ 175 बंदूकों का आयात तथा आयतित नलियों के साथ (2007-13) 125 बंदूकों का उत्पादन हुआ। टी-90 के लिए स्पेयर नलियों के उत्पादन में त्रुटि हुई जिससे 2012-14 में 55-60 प्रतिशत की कार्यसिद्धि हुई। 2014 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं 35 के पैराग्राफ 8.3.3 में इस योजना को समाप्त करने के लिए पहले से ही टिप्पणी की जा चुकी है। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।</p>

अनुलग्नक-XXV

(पैराग्राफ 7.2.6.3 और अनुलग्नक XXIV के संदर्भ में)

ए के 630 गन, 84 मि.मी. आर एल मार्क-III और टी-90 टैंक के संबंध में टी ओ टी का मामला अध्ययन

(क) ए के 630 गन का विकास

कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल ध्वंसकों (भारतीय नौसेना के लिए मझगाँव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित) जैसे पोतों पर स्थापित ए के 630 गनों को वायुयान भेदी तथा मिसाइल भेदी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें 30 मि.मी. अभ्यंतर व्यास के छह सकेन्द्री बैरलों का समूह होता है तथा उसकी प्रति मिनट 4000 से 5000 राउंड्स की फायरिंग गति तथा 4 से 5 कि.मी. का परास होता है।

मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, मॉस्को (मेसर्स आर ओ ई) से टी ओ टी के माध्यम से गन के स्वेदशी उत्पादन के लिए मंत्रालय के निर्णय के आधार पर बोर्ड ने ₹97 करोड़ की कुल लागत पर 16 गनों¹⁹² के आयात सहित टी ओ टी अनुबंध किया (मई 2004)। लाइसेंस की वैधता 20 वर्षों के अंदर 100 गनों के लिए थी।

डिजाइन प्रलेख मई 2006 को प्राप्त हुए थे; उन प्रलेखों के भाषांतर में दो वर्ष निकल गए। टी ओ टी पर किया गया अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें 148 पुर्जों तथा गन की उप-असंब्लियों के प्रूफ परीक्षण के लिए उपस्करों सहित गनों की 17 यूनितें शामिल नहीं थीं, जिससे ₹2 करोड़ के उपस्करों का अतिरिक्त आयात आवश्यक हो गया।

गन में 40 प्रमुख उप-असंब्लियां थीं, जिनमें दो निर्माणियां और एक रक्षा पी एस यू सम्मिलित थीं, जो थीं:

- 24 उप-असंब्लियों तथा पूर्ण रूप से बने गन की असेंबल के विनिर्माण तथा नौसेना को उसके निर्गम के लिए गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर;
- तीन उप-असंब्लियां अर्थात् क्रेडल, कैरिज तथा रेस रिंग के विनिर्माण हेतु आयुध निर्माणी मेडक; और
- इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत-द्रवचालित/वायवीय इकाईयों से संबंधित 13 उप-असंब्लियों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)।

प्रारंभिक योजना 2007-08 तक स्वेदशी उत्पादन शुरू करने की थी। निर्माणी ने बी ई एल के प्रक्षेत्र में आने वाली असेंबलियों सहित 31 असेंबलियों के मामले में 75 प्रतिशत

¹⁹² 6 पूर्णतः तैयार (एफ एफ) गन, 4 एस के डी गन, 3 ग्रुप एस पी टी ए सेट और अमानक (विशेष) उपस्कर

स्वदेशीकरण का दावा किया। तथापि, बैरल सहित अतिमहत्वपूर्ण मदों के लिए आयात जारी रहा। कुल मिलाकर, 19 गनों के उत्पादन के लिए 2011-14 के दौरान ₹155 करोड़ के विभिन्न संघटकों का आयात किया गया।

बोर्ड ने बताया (मई 2015) कि गन एंड शेल निर्माणी तथा बी ई एल और आ.नि. मेडक ने गन की 90 प्रतिशत असंबलियों का स्वदेशीकरण किया।

(ख) 84 मि.मी. रॉकेट लांचर मार्क III का विकास

84 मि.मी. रॉकेट लांचर एक बिना रीकॉयल वाला गन है, जो मूलतः टैंक भेदी शस्त्र है, किंतु वह कवचित सैनिक वाहनों, मशीन गन चौकियों और खुले मैदान में सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए भी उपयुक्त है। रॉकेट लांचर को सिपाही के कंधों से फायर किया जाता है; मार्क III रूपांतर उसके पुराने रूपांतर से अधिक सघन (गन 60 मि.मी. छोटा था) और हल्का था: मार्क II रूपांतर के 15 कि.ग्रा. की तुलना में 9 कि.ग्रा. था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं उन्नत दूरबीनी दर्शा और बैरल में हल्की सामग्रियों का प्रयोग हैं: इपॉक्सी एवं कार्बन फाइबर की परत के साथ एक स्टील लाइनर।

1985 में मेसर्स एफ एफ वी ऑडनन्स स्वीडन द्वारा मार्क III का विकास किया गया था। 17 वर्षों के बाद, मार्च 2003 में सेना ने ₹347 करोड़ की कुल लागत पर टी ओ टी के साथ 2000 रॉकेट लांचरों तथा 24,000 गोला-बारूदों के अधिष्ठापन पर विचार किया। फरवरी 2005 में किया गया टी ओ टी अनुबंध निम्नलिखित के स्वदेशी उत्पादन के लिए था:

- आयुध निर्माणी खमारिया पर 84 मि.मी. एच ई ए टी 551 गोला-बारूद;
- गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर पर रॉकेट लांचर; और
- आयुध निर्माणी देहरादून पर दूरबीनी दर्शा।

मार्च 2005 में, बोर्ड ने स्वदेशीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए फर्म (ओ ई एम) से ₹19 करोड़ की कुल लागत पर रॉकेट लांचरों के एस के डी (अर्ध-ध्वस्त) के 100 सेटों एवं सी के डी (पूर्णतः ध्वस्त) के 200 सेटों की अधिप्राप्ति की। प्रलेख जनवरी 2006 को प्राप्त हुए थे। इनमें 240 मदों के संबंध में आरेख शामिल थे। शेष 168 मदों के लिए, चूंकि ये अन्य फर्मों की स्वामित्व वाली मदें थीं, इसलिए ओ ई एम ने डिज़ाइनों का भी हस्तांतरण नहीं किया था (शस्त्र के 70 प्रतिशत संघटक और दूरबीनी दर्शाओं¹⁹³ के 50 प्रतिशत संघटक)। इसके अतिरिक्त गोला-बारूद के 78 प्रतिशत डिज़ाइनों का भी हस्तांतरण नहीं किया गया था।

तीन महत्वपूर्ण असंबलियों, अर्थात् बैरल, अग्र दर्शा तथा रंध्र दर्शा, जिसके लिए 41 प्रतिशत लागत होती है, का स्वदेशीकरण नहीं किया गया है। बैरल के लिए आवश्यक कार्बन फिलामेंट स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था तथा आयात पर लगे प्रतिबंध के कारण

¹⁹³ प्रदीपक बिंदु के साथ अग्र दर्शा तथा रंध्र दर्शा

उदगम देशों से (फ्रांस और जापान) उनका आयात भी नहीं किया जा सका। धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर में उत्पादित (2006-09) वैकल्पिक कार्बन फाइबर के साथ बैरल फार्जिंग्स का प्रयोग सफल नहीं था। 2010-11 के दौरान ₹83 लाख की लागत पर बैरल के स्वदेशी विकास के लिए डी आर डी ओ के साथ एक परियोजना शुरू की गई थी तथा गन एंड शेल निर्माणी ने रुपये 3 करोड़ का व्यय किया। विफलता विश्लेषण बोर्ड ने विनिर्माण प्रक्रियाओं, प्रयोग की जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता, लाइनर की तल सज्जा तथा अन्य डिज़ाइन त्रुटियों को रिपोर्ट किया (जनवरी 2013)।

1489 के मांगपत्र के प्रति गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने 2011-14 के दौरान मुख्यतः ओ ई एम से ₹121 करोड़ मूल्य के संघटकों का आयात करके 1782 का उत्पादन किया। बोर्ड ने मार्च 2014 तक 59 प्रतिशत स्वदेशीकरण का दावा किया।

“अननुमेय फायरिंग से परिशुद्ध फायरिंग होती है” के संबंध में गुणवत्ता समस्याएँ भी रिपोर्ट की गई थीं।

एक समानांतर कार्यक्रम में, डी आर डी ओ वर्ष 2000 से पहले से 84 मि.मी. आर एल मार्क III के समतुल्य हल्के भार के शस्त्र का विकास करने की प्रक्रिया में था। 2012 में किए गए परीक्षण सफल नहीं हुए थे और गन एंड शेल निर्माणी द्वारा उसमें आशोधन किए गए।

बोर्ड ने बताया (मई 2015) कि स्वदेशी बैरल का विकास 2016 के अंत तक प्रतीक्षित था।

(ग) टी-90 टैंकों का स्वदेशी उत्पादन: 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 35 से उद्धृत

डिज़ाइन प्रलेखों के भाषांतर में विलंब तथा गन असेंबलि जैसी महत्वपूर्ण असेंबलियों पर डिज़ाइनों को शेयर करने में रूसी फर्म की विफलता से टी-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बाधित हुआ था। इन डिज़ाइनों के वैकल्पिक उपायों पर निर्णय लेने में विलंबों के कारण यह समस्या बढ़ गई थी। विषयगत स्थिति यह है कि डी जी क्यू ए ने टी-90 टैंक के बैरल के लिए प्रस्तावित “आशोधित रसायन” का प्रयोग करने हेतु आयुध निर्माणियों के प्रस्ताव को विफल कर दिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि निर्माणियों को टी-72 टैंकों (टी-90 टैंक का पूर्वगामी) के बैरल के लिए “आशोधित रसायन” का अनुभव था; टी-72 और टी-90 टैंक समान गन बैरल का प्रयोग करते हैं। नवंबर 2007 में उसी फर्म से ₹4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों (और किटों) के नये आयात द्वारा विलंबों के प्रभाव को कम किया गया था, जो एम बी टी अर्जुन की उत्पादन रूपरेखा (2005-06 तक, नियोजित कार्यक्रम की गति के अनुसार चलने के लिए उत्पादन प्रारंभ किया गया) तथा टी-90 टैंक के उत्पादन की समस्याओं पर निर्णय लेने में अबोधय विलंबों को देखते हुए अनुचित था। इसके अतिरिक्त, टी-90 टैंक की महत्वपूर्ण असेंबलियों/संघटकों के आयात पर ₹2372 करोड़ खर्च किया गया, जो टी-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन की कुल लागत का 62 प्रतिशत था।

अनुलग्नक-XXVI

(पैराग्राफ 7.2.6.3 के संदर्भ में)

चुनौतियाँ और अवसर

	मद	चुनौतियाँ और अवसर
	निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)	
राइफल निर्माणी ईशापुर		
1.	5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट 2011-12 = 184 2012-13 = 191 2013-14 = 124	<p>क्षमता: 2010-11 में पूर्व मांगपत्रों से अधिक बैकलॉग के कारण 2012-14 के दौरान क्षमता का अभाव था।</p> <p>गुणवत्ता: हाम्मर, ब्रीच ब्लॉक जैसे संघटकों की जामिंग के कारण समस्याएँ, खराब उत्क्षेपण, बैरल रंध में दोष, फायरिंग की निम्न दर अथवा अनिश्चित गोलीबारी, पिस्टल विस्तारण, ब्रीच ब्लॉक, ट्रिगर गार्ड जैसे विभिन्न भागों में क्षति आदि।</p> <p>मांग: चूँकि सेना के पास वर्तमान में अगले 7-8 वर्षों के लिए राइफलों की पर्याप्त मात्रा का भंडार है, इसलिए निर्माणी को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय ही इस मद के लिए उसका एकमात्र ग्राहक है।</p> <p>चुनौती: सेना ने मल्टी रोल एसॉल्ट राइफल के लिए केंद्रक उत्पादन अभिकरण के रूप में बोर्ड को नामित किया। आर एफ आई ने '5.56 मि.मी. एक्सकैलिबर राइफल एम के -1 का निर्यात नमूना' विकसित किया, उसका परीक्षण मूल्यांकन विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों द्वारा किया गया। तथापि, पर्याप्त आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। असम राइफल तथा चार राज्य पुलिस संगठनों को मात्र 1852 राइफल्स आपूर्ति किए गए थे।</p>
2.	5.56 मि.मी. राइफल फोल्डेबल 2011-12 = 11 2012-13 = 37 2013-14 = 36	<p>मांग: 20,000 राइफलों के लिए सेना की मांग को उत्पादन में विलंब के कारण अप्रैल 2011 में 8454 तक कम किया गया। गृह मंत्रालय की मांग 2013-14 में घट गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस संगठनों ने निधियों की अनुपलब्धता के कारण शस्त्रों को नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप विशाल भंडार का अवरोधन हुआ, उदाहरणार्थ 2013-14 के दौरान ए पी पुलिस 6743 राइफल (₹33 करोड़) नहीं ले सकी।</p>
3.	पिस्टल ऑटो 9 मि.मी. 2011-12 = 26 2012-13 = 33 2013-14 = 2	<p>क्षमता: 2011-14 के दौरान मांग 46% से 83% तक क्षमता से अधिक थी।</p> <p>मांग: सेना से अभी तक कोई नया मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सेना ने सूचित किया (दिसंबर 2013) कि अब वह व्यवहार्य नहीं था। अधिकांश राज्य/केन्द्रीय पुलिस बलों ने ग्लॉक पिस्तौल खरीदी और गृह मंत्रालय से 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए मांग में कमी थी। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने महसूस किया कि 9 मि.मी. पिस्तौल की कीमत अधिक थी, जिसने निर्माणी को कीमत कम करने के लिए मजबूर किया।</p> <p>गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 3% अस्वीकरण, जो मुख्यतः खाली कारतूत केस का खराब उत्क्षेपण, ब्रीच का बंद न होना, स्लाइड के कस जाने आदि के कारण था।</p> <p>अवसर: बोर्ड ने उत्पादन के लिए टी ओ टी शर्त सहित ग्लॉक पिस्तौल की अधिप्राप्ति करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। तथापि, उस समय तक, 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए सृजित क्षमता का न्यून-उपयोग होगा। गृह मंत्रालय द्वारा पिस्तौलों का निरंतर आयात बोर्ड के लिए चिंता का विषय है।</p>

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
प्रधान उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता)		2011-12 = 221 (72%) 2012-13 = 261 (71%) 2013-14 = 162 (46%)
लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर		
1.	गन मशीन 7.62 मि.मी. 2011-12 = 8 2012-13 = 10 2013-14 = 9	क्षमता: मांगकर्ताओं की आवश्यकता (2010-13) के दौरान 578 से 1500 नग) निर्माणी की क्षमता से अधिक थी(300 नग) मांग: सेना की प्रति वर्ष 500 गनों (लगभग) की रोल ऑन मांग सुनिश्चित, किंतु अप्रैल 2011 में 781 गनों के लिए मात्र एक मांगपत्र तथा कोई और मांगपत्र नहीं। गुणवत्ता: 53% अस्वीकरण (₹43 करोड़) जो मुख्यतः फायरिंग की निम्न दर के कारण था। एस ए एफ मार्च 2014 तक अप्रैल 2011 के मांगपत्र के प्रति सेना को एक भी गन की आपूर्ति नहीं कर सकी। चुनौती: यदि गुणवत्ता समस्याओं को दूर किया जाता है तो इस शस्त्र तथा उसके पुर्जों के लिए निरंतर मांग होगी।
2.	राइफल 5.56 मि.मी. फिक्स्ड बट्ट 2011-12 = 72 2012-13 = 61 2013-14 = 16	जैसा कि आर एफ आई के क्रमांक- 1 में चर्चा की गई है।
3.	5.56 मि.मी. एल एम जी 2011-12 = 20 2012-13 = 19 2013-14 = 37	क्षमता: 2013-14 का लक्ष्य 10620 सं. के लिए था, जो क्षमता का 133% था। मांग: सेना/गृह मंत्रालय की मांग सुसंगत है। एस ए एफ को शस्त्र की गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 22% (₹57 करोड़) का अस्वीकरण, जो बहुत अधिक था।
प्रधान उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गम की प्रतिशतता)		2011-12 = 101(51%) 2012-13 = 90(47%) 2013-14 = 62(34%)
आयुध निर्माणी त्रिचि		
1.	5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट्ट 2011-12 = 73 2012-13 = 63 2013-14 = 13	जैसा कि आर एफ आई के क्रमांक- 1 में चर्चा की गई है।
निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता के रूप में लघु शस्त्र		2011-12 = 38% 2012-13 = 33% 2013-14 = 8%

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
मध्यम क्षमता वाले शस्त्र		
1.	40 मि.मी. अधो बैरल ग्रेनेड लांचर 2011-12 = 13 2012-13 = 22 2013-14 = 42	क्षमता: लक्ष्य 2011-14 के दौरान क्षमता (1500 नग) के 267% से 483% की श्रेणी में 1 वर्धित मांग की दृष्टि में, निर्माणी की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता: प्रमुख व्यवधान धात्विक विकृति को रोकने के लिए बैरलों का एम ए ओ (माइक्रो-आर्क ऑक्सीडेशन) लेपन है। एम ए ओ लेपन सुविधा की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि एम ए ओ लेपन की मांग अब परिकल्पित नहीं की गई थी, क्योंकि हार्ड ऐनोडाइजिंग से लेपित बैरलों ने निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा किया था। अवसर: सेना तथा गृह मंत्रालय से उत्पाद के लिए मांग है। इसके अतिरिक्त, टी ए वी ओ आर एसॉल्ट राइफल के साथ यू बी जी एल को फिट किए जाने के विकल्प का पता लगाया जा रहा था।
2.	युद्ध वाहन बी एम पी के लिए 30 मि.मी. तोप 2011-12 = 22 2012-13 = 25 2013-14 = 23	आयात पर निर्भरता: गनों के स्प्रिंगों (विशेष पदार्थ से बना ताप वेल्लित स्प्रिंग) से संबंधित समस्या का हल नहीं हुआ था; जो रूसी फर्म मेसर्स आर ओ ई से आयात की जाने वाली एक परिवार्षिक मद है। स्थानीय व्यापार स्रोतों से खरीदे गए एवजियों को निरीक्षण के दौरान अस्वीकार किया गया। बोर्ड ने हमें बताया (मई 2015) कि तब से स्प्रिंगों का स्वदेशीकरण किया गया था तथा समस्या का समाधान हुआ था। चुनौती: वर्ष 2012-13 की तुलना में उत्पादन लागत में 49 प्रतिशत वृद्धि के कारण निर्माणी को विशेषतया 2013-14 में इस मद के उत्पादन में हानि हुई।
3.	12.7 मि.मी. एयर डिफेन्स गन 2011-12 = 6 2012-13 = 4 2013-14 = 6	क्षमता: प्रतिवर्ष 120 गनों का उत्पादन करने की क्षमता तथा 2011-14 को तीन वर्षों में क्रमशः 50, 100 एवं 150 गनों के लक्ष्य के बावजूद ओ एफ टी ने क्रमशः 91, 40 एवं 60 गनों का उत्पादन किया। अवसर: हेलिकॉप्टर पर स्थापित करके (सी जी एच क्यू) गन का प्रयोग करने के लिए अनेक विकल्पों की खोज की गई है। बी ई एम एल ने दूर से नियंत्रित शस्त्र प्रणालियों हेतु 200 गनों के लिए आदेश दिया था। मारुति जिप्सी पर गन स्थापित करने के लिए सेना प्रस्ताव भी कर रही थी।
	मध्यम क्षमता वाले उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता)	2011-12 = 42 (22%) 2012-13 = 51 (26%) 2013-14 = 71 (28%)
गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर		
1.	ए के- 630 गन 2011-12 = 66 2012-13 = 50 2013-14 = 21	मांग: 2011-14 को दौरान लक्ष्य (15, 18, और 15 नग) क्षमता (10 नग) से अधिक थे। तथापि, 2011-14 के दौरान उपलब्धि कम थी (4, 5 और 10 नग)। चुनौती: मई 2006 की टी ओ टी के प्रति ओ एफ बी द्वारा जून 2012 तक 40 प्रमुख असेंबलियों में से 27 का स्वदेशीकरण किया जाना था। जनवरी 2015 तक केवल 19 असेंबलियों का ही स्वदेशीकरण किया गया था (मूल्य के हिसाब से 67%)। शेष असेंबलियों के लिए निर्माणी अब भी आयात पर निर्भर करती है।
	निर्माणी के निर्गमों के मूल्य की कुल प्रतिशतता	2011-12 = 16% 2012-13 = 11% 2013-14 = 4%

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
उच्च क्षमता वाले गन		
गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर		
1.	84 मि.मी. रॉकेट लांचर एम के - III 2011-12 = 92 2012-13 = 90 2013-14 = 82	क्षमता: वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए 2300 तथा 2800 नगों का लक्ष्य क्षमता (1800 नग) से अधिक था। क्षमता से कम उपलब्धि :2011-14 के दौरान 612 से 806। गुणवत्ता: आर एफ आर का उच्च प्रभाव : मुख्यतः बैरल की उप-असेंब्लि में उभाड़, बैरल में 'राइफलिंग के आरंभ' पर विनिर्देशनों से विचलनों के कारण 2011-12 में 19%, 2012-13 में 58% और 2013-14 में 66%। चुनौती: स्वीडिश निर्माता से टी ओ टी गैर-प्राप्ति के कारण तीन महत्वपूर्ण असेंबलियों, अर्थात् अग्र दर्शा और रंध दर्शा का स्वदेशीकरण नहीं हुआ था। 2011-14 के दौरान निर्माणी को ₹168 करोड़ मूल्य के इन संघटकों का आयात करना पड़ा था। बैरल के इन-हाउस विकास के लिए निर्माणी का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है।
	निर्माणी के निर्गमों के मूल्य की कुल प्रतिशतता	2011-12 = 22% 2012-13 = 21% 2013-14 = 16%
गन कैरिज निर्माणी जबलपुर		
1.	सी ई एस के साथ 81 मि.मी. मोर्टार 2011-12 = 18 2012-13 = 23 2013-14 = 35	मांग: सेना ने रोल-ऑन योजना में मांग की भारी कटौती प्रक्षिप्त की : 2011-13 के लिए प्रति वर्ष 150 नगों से 2013-16 के लिए प्रति वर्ष 25 नग। चुनौती: उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 150 नग है। निर्माणी मुख्यतः उत्पाद के पुर्जे जोड़ती है, जहाँ जी एस एफ द्वारा अधिकांश संघटकों का उत्पादन किया जाता है; अतः इस उत्पाद को 2015-16 से जी एस एफ में स्थानांतरित किया जाएगा। 2015-16 से जी सी एफ पर निष्क्रिय क्षमता होगी।
2.	105 मि.मी. लाइट फील्ड गन 2011-12 = 133 2012-13 = 108 2013-14 = 34	मांग: उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 34 नग है। रोल-ऑन योजना में सेना ने 2013-14 से 30 एल एफ जी की वार्षिक मांग प्रक्षिप्त की। किंतु 2013-14 में केवल 8 गनों का मांगपत्र ही प्राप्त हुआ था। गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान आर एफ आर का उच्च प्रभाव 26% (₹67 करोड़), जो मुख्यतः बैरल में बारूद के सीमित संचलन, ब्रीच ब्लॉक के गलत प्रकार्य के कारण था।
3.	टी- 72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल 2011-12 = 48 2012-13 = 101 2013-14 = 100	गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 9% की आर एफ आर के अतिरिक्त बैरल के फटने की अनेक घटनाएं हुई थीं। जांच से पता चला कि टी ओ टी में दिए गए विनिर्देशों को बदलने की आवश्यकता थी। चुनौती: ओ एफ सी तथा एफ जी के पर टी- 72 बैरलों के उत्पादन में मुख्य व्यवधान बैरलों के लिए फोर्जिंग्स की आपूर्ति करने में एम एस एफ की अपर्याप्त क्षमता थी। एल पी आर पर फायरिंग बट्ट की क्षति के कारण 2013 के दौरान सेना को स्पेयर बैरल का निर्गम करने में अवरोध हुआ था, जिससे प्रूफ पर बुरा प्रभाव पड़ा।
	उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता के रूप में)	2011-12 = 199 (36%) 2012-13 = 233 (52%) 2013-14 = 169 (33%)

अनुलग्नक-XXVII

(पैराग्राफ 7.3.1.4 के संदर्भ में)

कोरडाईट निर्माणी, अरवांकाडु	उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी	आयुध निर्माणी भंडारा	आयुध निर्माणी, ईटारसी
(i) 105 मि.मी. आई एफ जी/एन सी	(i) स्लैब विध्वंस	(i) चार्ज एम 4 ए 2	(i) 130 मि.मी. कारतूस आर वी सी के लिए आई एन सी चार्ज
(ii) कारतूस 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए आई एन सी चार्ज	(ii) 81 मि.मी. के लिए ए यू जी	(ii) आंसू गैस	(ii) 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए प्रोप
(iii) 130 मि.मी. आर वी सी के लिए प्रोप	(iii) 120 मि.मी. के लिए ए यू जी	(iii) विस्फोटक कॉर्ड	(iii) आकाश एस प्रणोदक
(iv) कारतूस 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए सहायक ईग्नीटर	(iv) पी ई के	(iv) नग्न केबीएस	(iv) आकाश बी प्रणोदक
(v) एस पी ए II के लिए प्रोप	(v) टी एन टी	(v) एन जी बी 204,	(v) 155 मि.मी. ई आर एफ बी (बी बी) के लिए एस डी- 122
(vi) एसपीए III के लिए प्रोप	(vi) डी एन आर	(vi) एन जी बी 221	(vi) 5.56 मि.मी. बाल पाउडर
(vii) ए.के. 100 नौसेना के लिए प्रोप	(vii) डी एन टी गुच्छे	(vii) एन जी बी 241	(vii) 7.62 मि.मी. बाल पाउडर
(viii) कारतूस 120 एम के लिए एन क्यू / एम प्रोप	(viii) मध्यवर्ती उत्पादों अर्थात लेड स्थीपनेट, बुनियादी लेड ए जेड, एच एन एस, लेड एजाईड, मरकरी फलमीनेट, समग्र विस्फोटक और टेट्राजीन	(viii) 30 मि.मी. बीएमपी - II	(viii) ए -7 के लिए बाल पाउडर
(ix) कारतूस 130 मि.मी. के लिए एफ वी सी के लिए एन क्यू/ एम 254 के लिए ल्यूज प्रोप		(ix) एन सी-1066	(ix) पिनाका प्रणोदक
		(x) एन सी 688	(x) पिक्राईट/एन आई जी यू
		(xi) प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	(xi) राइफल ब्लेंड एन. सी.
		(xii) एम ई 305 और	(xii) चार्ज 8
		(xiii) हेक्सोलाईट-ए	
		(xiv) पी एफ एफ सी	
		(xv) आर डी एक्स / टीएनटी 60:40 ए	
		(xvi) आर डी एक्स / टीएनटी 60:40 बी	
		(xvii) आर डी एक्स /डब्ल्यू ए एक्स 88:12	
		(xviii) आर डी एक्स /डब्ल्यू ए एक्स 95: 5	
		(xix) हेक्सोलाईट बी	

अनुलग्नक-XXVIII

(पैराग्राफ 7.3.2.4 एवं 7.3.2.5 के संदर्भ में)

2011-14 के दौरान रासायनिक निर्माणियों की उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण
(मार्च की उपलब्धि)

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी	प्रतिशतता	
			लक्ष्य			संशोधित लक्ष्य के संदर्भ में	कमी	उपलब्धि
2011-12								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4 ए 2 चार्ज	संख्या	15000	29603	580	-29023	98.04	1.96
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	526000	526329	506515	-19814	3.76	96.24
4	के बी एस नेकेड	संख्या	0	2500	1452	-1048	41.92	58.08
5	एन जी बी 204	एम टी	72	72	85.83	13.83	-19.21	119.21
6	एन जी बी 221	एम टी	40	112.7	67.5	-45.2	40.11	59.89
7	एन जी बी 241	एम टी	20	67	40	-27	40.30	59.70
8	30 मि.मी. बी एम पी-11	एम टी	53	64	24	-40	62.50	37.50
9	एन सी 1066	एम टी	100	125	84	-41	32.80	67.20
10	एन सी 688	एम टी	22	30	30	0	0.00	100.00
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	211	266	64.5	-201.5	75.75	24.25
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	316	388	119	-269	69.33	30.67
13	आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	101	149.5	81	-68.5	45.82	54.18
14	आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	57	57	0	-57	100.00	0.00
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	0	27	0	-27	100.00	0.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	148.5	150	109	-41	27.33	72.67
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	6000	6000	3414	-2586	43.10	56.90
18	एम ई 305	एम टी	7.3	9.5	6.66	-2.84	29.89	70.11
19	पी एफ एफ सी	टन	21	15	5	-10	66.67	33.33
ओ एफ आई								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	45000	50500	40000	-10500	20.79	79.21
21	प्रोप 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	67000	80000	72000	-8000	10.00	90.00
22	पिकराइट	एम टी	360	500	400	-100	20.00	80.00

23	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	490	515	486.47	-28.53	5.54	94.46
24	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	150	119.31	-30.69	20.46	79.54
25	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	20	20	8.005	-11.995	59.98	40.03
26	155मि.मी. ई आर एफ बी के लिए एस डी 122	संख्या	15000	20000	20460	460	-2.30	102.30
27	पिनाका	सेट	1100	1500	1416	-84	5.60	94.40
28	आकाश बी	संख्या	8	8	4	-4	50.00	50.00
29	आकाश एस	संख्या	80	80	44	-36	45.00	55.00
30	राइफल ब्लेन्ड	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	2000	200	200	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/टी एन टी विशिष्ट	एम टी	2677	3030	2784	-246	8.12	91.88
33	स्लैब डिमालिशन	संख्या	332740	293398	294709	1311	-0.45	100.45
34	सी ई 14/100	एम टी	89.65	112	62	-50	44.64	55.36
35	एच एन एस	किलोग्राम	1036	1490	1160	-330	22.15	77.85
36	पी ई के	एम टी	7.316	7.316	12.881	5.565	-76.07	176.07
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	147	8	-5.76	105.76
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	90000	110000	110000	0	0.00	100.00
41	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	65000	69000	69000	0	0.00	100.00
42	130 मि.मी. के लिए सहायक ईग्नाइटर	संख्या	20000	32059	22500	-9559	29.82	70.18
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	32059	22500	-9559	29.82	70.18
44	एस पी ए II	किलोग्राम	4135	6000	6000	0	0.00	100.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	13280	14000	14000	0	0.00	100.00
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	5000	6025	5500	-525	8.71	91.29
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	250265	249930	-335	0.13	99.87

2012-13								
ओ एफ भंडारा								
1	एम4ए2 चार्ज	संख्या	20000	15000	15008	8	-0.05	100.05
2	ऑसू गैस	टन	16	16	16	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	1000194	600000	599810	-190	0.03	99.97
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2500	2500	2062	-438	17.52	82.48
5	एन जी बी 204	एम टी	182.5	99	84	-15	15.15	84.85
6	एन जी बी 221	एम टी	112.33	56	32.5	-23.5	41.96	58.04
7	एन जी बी 241	एम टी	79.7	19.7	20	0.3	-1.52	101.52
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	68.03	68.03	49.9	-18.13	26.65	73.35
9	एन सी 1066	एम टी	100	100	84.9	-15.1	15.10	84.90
10	एन सी 688	एम टी	29.1	29.1	30.2	1.1	-3.78	103.78
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	164.98	164.98	78	-86.98	52.72	47.28
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	295.13	295.13	148	-147.13	49.85	50.15
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98.2	98.2	50	-48.2	49.08	50.92
14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	55.6	55.6	21.625	-33.975	61.11	38.89
15	हेक्सोलाइट A	एम टी	15	15	4	-11	73.33	26.67
16	हेक्सोलाइट B	एम टी	212.2	212.2	89	-123.2	58.06	41.94
17	प्राप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	7750	7750	4000	-3750	48.39	51.61
18	एम ई 305	एम टी	12.5	12.5	8.37	-4.13	33.04	66.96
19	पी एफ एफ सी	टन	37	37	20	-17	45.95	54.05
ओ एफ इटारसी								
20	पिकराइट	एम टी	320	387	353.54	-33.46	8.65	91.35
21	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	488	488	419.66	-68.34	14.00	86.00
22	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	140	140	104.13	-35.87	25.62	74.38
23	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	63	63	55.545	-7.455	11.83	88.17
24	155 मि.मी. ई आर एफ बी (बीबी) के लिये एस डी 122	संख्या	20000	10000	10230	230	-2.30	102.30
25	पिनाका प्रोपेलेंट	एम टी	1500	1500	1061	-439	29.27	70.73
26	आकाश बी	एम टी	8	8	8	0	0.00	100.00
27	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	66000	68000	2000	-3.03	103.03
28	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	50000	80000	80000	0	0.00	100.00
29	130 मि.मी. एफ वी सी	संख्या	0	1000	1000	0	0.00	100.00
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	24	24	0	0.00	100.00
31	आकाश एस	संख्या	134	134	134	0	0.00	100.00
32	चार्ज 8	संख्या	644	644	644	0	0.00	100.00

एच ई एफ								
33	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	2593	2593	1703	-890	34.32	65.68
34	स्लैब डिमालिशन	संख्या	125000	132500	141886	9386	-7.08	107.08
35	सी ई 14/100	एम टी	85	85	85	0	0.00	100.00
36	एच एन एस	किलोग्राम	1032	1032	1032	0	0.00	100.00
37	पी ई के	एम टी	6.588	6.588	12.136	5.548	-84.21	184.21
38	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	121.8	-17.2	12.37	87.63
39	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	400000	200000	-200000	50.00	50.00
40	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	70000	16170	-53830	76.90	23.10
सी एफ ए								
41	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	100400	134900	104900	-30000	22.24	77.76
42	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	80000	74000	74000	0	0.00	100.00
43	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	16000	20000	20030	30	-0.15	100.15
44	130मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	16000	20000	20030	30	-0.15	100.15
45	एस पी ए II	किलोग्राम	4540	2000	2000	0	0.00	100.00
46	एस पी ए III	किलोग्राम	16320	16320	16320	0	0.00	100.00
47	ए के 100 नेवल	किलोग्राम	0	7000	6045	-955	13.64	86.36
48	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34680	34680	34680	0	0.00	100.00
49	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	219620	219955	335	-0.15	100.15
2013-14								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	22000	15000	14084	-916	6.11	93.89
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	686900	446965	472830	25865	-5.79	105.79
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2750	2750	2745	-5	0.18	99.82
5	एन जी बी 204	एम टी	160	120	120	0	0.00	100.00
6	एन जी बी 221	एम टी	55.8	63	68	5	-7.94	107.94
7	एन जी बी 241	एम टी	57.76	35	35	0	0.00	100.00
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	55.2	65	21.65	-43.35	66.69	33.31
9	एन सी 1066	एम टी	110	85	63	-22	25.88	74.12
10	एन सी 688	एम टी	25	28	26.8	-1.2	4.29	95.71
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	91.55	85.24	88	2.76	-3.24	103.24
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	184	192	171	-21	10.94	89.06
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98	70	64	-6	8.57	91.43

2015 की प्रतिवेदन संख्या 44 (रक्षा सेवाएं)

14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	21.8	42.8	37	-5.8	13.55	86.45
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	6	10	6	-4	40.00	60.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	180	180	181	1	-0.56	100.56
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	5000	7000	434	-6566	93.80	6.20
18	एम ई 305	एम टी	12.96	16.5	9.99	-6.51	39.45	60.55
19	पी एफ एफ सी	टन	0	18	8.9	-9.1	50.56	49.44
ओ एफ इटारसी								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	77000	40000	39000	-1000	2.50	97.50
21	पिनाका	एम टी	1500	1500	1164	-336	22.40	77.60
22	आकाश बी	एम टी	0	50	0	-50	100.00	0.00
23	प्रोपेलेंट 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	76000	64000	86200	22200	-34.69	134.69
24	पिकराइट	एम टी	524	425	425	0	0.00	100.00
25	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	420	432	432.54	0.54	-0.13	100.13
26	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	128	128.16	0.16	-0.12	100.13
27	बाल पाउडर ए 7	एम टी	82	41	40.03	-0.97	2.37	97.63
28	एस डी 122 मि.मी. 155 मि.मी.	संख्या	22000	2000	2046	46	-2.30	102.30
29	आकाश एस	एम टी	0	120	125	5	-4.17	104.17
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	900	900	900	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	3123	1307	1648.95	341.95	-26.16	126.16
33	स्लैब डिमालिशन	संख्या	202147	78290	78290	0	0.00	100.00
34	सी ई 14/100	एम टी	70.4	36	42.5	6.5	-18.06	118.06
35	एच एन एस	किलोग्राम	285	1360	1179	-181	13.31	86.69
36	पी ई के	एम टी	12.18	12.397	11.509	-0.888	7.16	92.84
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	154	154	156.45	2.45	-1.59	101.59
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	1500000	2400000	2400000	0	0.00	100.00
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	250000	250000	249934	-66	0.03	99.97
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	134000	176500	174880	-1620	0.92	99.08
41	130 एम एम आर वी सी	संख्या	70000	46756	38836	-7920	16.94	83.06
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	15000	15030	30	-0.20	100.20

43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	15000	15030	30	-0.20	100.20
44	एस पी ए II	किलोग्राम	6400	2000	7000	5000	-250.00	350.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	12900	12000	12000	0	0.00	100.00
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34400	27000	27000	0	0.00	100.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	163025	163370	345	-0.21	100.21

**2011-14 के दौरान रसायन निर्माता निर्माणियों की उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण
(जनवरी की उपलब्धि)**

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
2011-12								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए2 चार्ज	संख्या	15000	29603	0	-29603	100.00	0.00
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	526000	526329	383385	-142944	27.16	72.84
4	के बी एस नेकेड	संख्या	0	2500	915	-1585	63.40	36.60
5	एन जी बी 204	एम टी	72	72	71.828	-0.172	0.24	99.76
6	एन जी बी 221	एम टी	40	112.7	59.5	-53.2	47.20	52.80
7	एन जी बी 241	एम टी	20	67	28	-39	58.21	41.79
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	53	64	20.5	-43.5	67.97	32.03
9	एन सी 1066	एम टी	100	125	63	-62	49.60	50.40
10	एन सी 688	एम टी	22	30	24	-6	20.00	80.00
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	211	266	46.5	-219.5	82.52	17.48
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	316	388	87	-301	77.58	22.42
13	आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	101	149.5	61	-88.5	59.20	40.80
14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	57	57	0	-57	100.00	0.00
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	0	27	0	-27	100.00	0.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	148.5	150	24	-126	84.00	16.00
17	प्रोप 68मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	6000	6000	2500	-3500	58.33	41.67
18	एम ई 305	एम टी	7.3	9.5	4.77	-4.73	49.79	50.21
19	पी एफ एफ सी	टन	21	15	5	-10	66.67	33.33
ओ एफ इटारसी								

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	45000	50500	40000	-10500	20.79	79.21
21	प्रोप 130मि.मी. आर वी सी	संख्या	67000	80000	60000	-20000	25.00	75.00
22	पिकराइट	एम टी	360	500	352	-148	29.60	70.40
23	बाल पाउडर 5.56मि.मी.	एम टी	490	515	368.46	-146.54	28.45	71.55
24	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	150	87.61	-62.39	41.59	58.41
25	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	20	20	24.19	4.19	-20.95	120.95
26	155 मि.मी. ई आर एफ बी के लिए एस डी 122	संख्या	15000	20000	16368	-3632	18.16	81.84
27	पिनाका	सेट	1100	1500	1107	-393	26.20	73.80
28	आकाश बी	संख्या	8	8	0	-8	100.00	0.00
29	आकाश एस	संख्या	80	80	21	-59	73.75	26.25
30	राइफल ब्लेन्ड	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	2000	200	200	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	2677	3030	2087	-943	31.12	68.88
33	स्लैब डीमालिशन	संख्या	332740	293398	181810	-111588	38.03	61.97
34	सी ई 14/100	एम टी	89.65	112	50	-62	55.36	44.64
35	एच एन एस	किलोग्राम	1036	1490	456	-1034	69.40	30.60
36	पी ई के	एम टी	7.316	7.316	4.98	-2.336	31.93	68.07
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	108.15	-30.85	22.19	77.81
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
सी एफ ए								
40	105मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	90000	110000	88315	-21685	19.71	80.29
41	130मि.मी. आर वी सी	संख्या	65000	69000	42337	-26663	38.64	61.36
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	32059	16342	-15717	49.03	50.97
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	32059	16342	-15717	49.03	50.97
44	एस पी ए II	किलोग्राम	4135	6000	6000	0	0.00	100.00

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
45	एस पी ए III	किलोग्राम	13280	14000	11000	-3000	21.43	78.57
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	5000	6025	0	-6025	100.00	0.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	250265	0	-250265	100.00	0.00
2012-13								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	20000	15000	6911	-8089	53.93	46.07
2	ऑसू गैस	टन	16	16	9.48	-6.52	40.75	59.25
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	1000194	600000	471000	-129000	21.50	78.50
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2500	2500	1541	-959	38.36	61.64
5	एन जी बी 204	एम टी	182.5	99	36	-63	63.64	36.36
6	एन जी बी 221	एम टी	112.33	56	28.5	-27.5	49.11	50.89
7	एन जी बी 241	एम टी	79.7	19.7	12	-7.7	39.09	60.91
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	68.03	68.03	38.85	-29.18	42.89	57.11
9	एन सी 1066	एम टी	100	100	59.4	-40.6	40.60	59.40
10	एन सी 688	एम टी	29.1	29.1	23.7	-5.4	18.56	81.44
11	आर डी एक्स /टी एन टी 60:40 ए	एम टी	164.98	164.98	55	-109.98	66.66	33.34
12	आर डी एक्स /टी एन टी 60:40 बी	एम टी	295.13	295.13	109	-186.13	63.07	36.93
13	आर डी एक्स / डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98.2	98.2	39	-59.2	60.29	39.71
14	आर डी एक्स / डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	55.6	55.6	19.125	-36.475	65.60	34.40
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	15	15	4	-11	73.33	26.67
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	212.2	212.2	80	-132.2	62.30	37.70
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	7750	7750	0	-7750	100.00	0.00
18	एम ई 305	एम टी	12.5	12.5	6.75	-5.75	46.00	54.00
19	पी एफ एफ सी	टन	37	37	10	-27	72.97	27.03
ओ एफ इटारसी								
20	पिकराइट	एम टी	320	387	255.54	-131.46	33.97	66.03
21	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	488	488	306.83	-181.17	37.13	62.88
22	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	140	140	72.09	-67.91	48.51	51.49
23	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	63	63	39.535	-23.465	37.25	62.75

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
24	155 मि.मी. ई आर एफ बी (बी बी) के लिए एस डी 122	संख्या	20000	10000	8184	-1816	18.16	81.84
25	पिनाका प्रोपेलेंट	एम टी	1500	1500	704	-796	53.07	46.93
26	आकाश बी	एम टी	8	8	4	-4	50.00	50.00
27	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	66000	35520	-30480	46.18	53.82
28	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	50000	80000	63000	-17000	21.25	78.75
29	130 मि.मी. एफ वी सी	संख्या	0	1000	1000	0	0.00	100.00
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	24	24	0	0.00	100.00
31	आकाश एस	संख्या	134	134	98	-36	26.87	73.13
32	चार्ज 8	संख्या	644	644	644	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
33	टी एन टी/टी एन टी स्पेशल	एम टी	2593	2593	1173	-1420	54.76	45.24
34	स्लैब डीमालिशन	संख्या	125000	132500	116444	-16056	12.12	87.88
35	सी ई 14/100	एम टी	85	85	57	-28	32.94	67.06
36	एच एन एस	किलोग्राम	1032	1032	384	-648	62.79	37.21
37	पी ई के	एम टी	6.588	6.588	2.089	-4.499	68.29	31.71
38	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	103.95	-35.05	25.22	74.78
39	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	400000	44160	-355840	88.96	11.04
40	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	70000	7504	-62496	89.28	10.72
सी एफ ए								
41	105मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	100400	134900	82295	-52605	39.00	61.00
42	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	80000	74000	51180	-22820	30.84	69.16
43	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	16000	20000	16332	-3668	18.34	81.66
44	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	16000	20000	16332	-3668	18.34	81.66
45	एस पी ए II	किलोग्राम	4540	2000	2000	0	0.00	100.00
46	एस पी ए III	किलोग्राम	16320	16320	12000	-4320	26.47	73.53
47	ए के 100 नेवल	किलोग्राम	0	7000	0	-7000	100.00	0.00
48	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/ एम 110	किलोग्राम	34680	34680	34680	0	0.00	100.00
49	लूज प्रोप एन क्यू 254	संख्या	0	219620	0	-219620	100.00	0.00

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
2013-14								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	22000	15000	6069	-8931	59.54	40.46
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	686900	446965	298260	-148705	33.27	66.73
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2750	2750	2745	-5	0.18	99.82
5	एन जी बी 204	एम टी	160	120	92	-28	23.33	76.67
6	एन जी बी 221	एम टी	55.8	63	60	-3	4.76	95.24
7	एन जी बी 241	एम टी	57.76	35	32	-3	8.57	91.43
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	55.2	65	16.5	-48.5	74.62	25.38
9	एन सी 1066	एम टी	110	85	60.5	-24.5	28.82	71.18
10	एन सी 688	एम टी	25	28	21.7	-6.3	22.50	77.50
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	91.55	85.24	49	-36.24	42.52	57.48
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	184	192	88	-104	54.17	45.83
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98	70	50	-20	28.57	71.43
14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	21.8	42.8	25	-17.8	41.59	58.41
15	हेक्सीलाइट ए	एम टी	6	10	4	-6	60.00	40.00
16	हेक्सीलाइट बी	एम टी	180	180	87	-93	51.67	48.33
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	5000	7000	310	-6690	95.57	4.43
18	एम ई 305	एम टी	12.96	16.5	3.51	-12.99	78.73	21.27
19	पी एफ एफ सी	टन	0	18	0	-18	100.00	0.00
ओ एफ इटारसी								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	77000	40000	39000	-1000	2.50	97.50
21	पिनाका	एम टी	1500	1500	684	-816	54.40	45.60
22	आकाश बी	एम टी	0	50	0	-50	100.00	0.00
23	प्रोपेलेंट 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	76000	64000	64000	0	0.00	100.00
24	पिकराइट	एम टी	524	425	380	-45	10.59	89.41
25	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	420	432	360.45	-71.55	16.56	83.44
26	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	128	88.11	-39.89	31.16	68.84
27	बाल पाउडर ए 7	एम टी	82	41	40.03	-0.97	2.37	97.63

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
28	एस डी 122मि.मी. 155 मि.मी.	संख्या	22000	2000	2046	46	-2.30	102.30
29	आकाश एस	एम टी	0	120	83	-37	30.83	69.17
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	900	900	800	-100	11.11	88.89
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	3123	1307	1251.96	-55.04	4.21	95.79
33	स्लैब डीमालिशन	संख्या	202147	78290	34210	-44080	56.30	43.70
34	सी ई 14/100	एम टी	70.4	36	42.5	6.5	-18.06	118.06
35	एच एन एस	किलोग्राम	285	1360	1160	-200	14.71	85.29
36	पी ई के	एम टी	12.18	12.397	11.241	-1.156	9.32	90.68
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	154	154	118.65	-35.35	22.95	77.05
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	1500000	2400000	1218360	-1181640	49.24	50.77
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	250000	250000	190025	-59975	23.99	76.01
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	134000	176500	119180	-57320	32.48	67.52
41	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	46756	34816	-11940	25.54	74.46
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	15000	9431	-5569	37.13	62.87
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	15000	9431	-5569	37.13	62.87
44	एस पी ए II	किलोग्राम	6400	2000	7000	5000	-250.00	350.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	12900	12000	10000	-2000	16.67	83.33
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34400	27000	27000	0	0.00	100.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	163025	0	-163025	100.00	0.00

(स्रोत: (i) मूल लक्ष्य के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का पत्र संख्या (i) 110/प्रोड/पी एक्स दिनांक 23 फरवरी 2011, 5/10 जनवरी 2012 एवं 26 अक्टूबर 2012 (ii) संशोधित लक्ष्य के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का पत्र संख्या (i) 110/प्रोड/पी एक्स दिनांक 20 मई 2011, 26 मई 2011, 20 जून 2012, 27 जुलाई 2012, 10/22 मई 2013 एवं 21 मार्च 2014 (iii) माह जनवरी 2012, 2013 एवं 2014 के लिए निर्माणी की उपलब्धि प्रतिवेदन और (iv) माह मार्च 2012, 2013 एवं 2014 के लिए निर्माणी की उपलब्धि प्रतिवेदन)

अनुलग्नक- XXIX

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

एस एच आई एस से टी ई के प्रस्तुतीकरण में लगा समय

निर्माणी	वर्ष	एस एच आई एस की संख्या जिसके प्रति टी ई निर्गम हुए	एस एच आई एस के तैयार होने के बाद निविदा सूचना निर्गम होने में लगा समय (महीनों में)					एक माह से कुल अधिक
			<1	1-2	3-5	6-8	>9	
सी एफ ए	2011-12	1129	5	687	269	29	2	987
	2012-13	671	129	300	46	22	15	383
	2013-14	636	100	256	68	25	36	385
ओ एफ आई	2011-12	103	18	61	5	9	10	85
	2012-13	138	9	78	41	8	2	129
	2013-14	97	24	53	16	3	1	73
ओ एफ भंडारा	2011-12	108	10	8	24	43	23	98
	2012-13	52	7	12	4	8	21	45
	2013-14	102	9	43	28	13	9	93
एच ई एफ	2011-12	454	45	89	153	84	83	409
	2012-13	504	119	107	194	63	21	385
	2013-14	320	109	99	76	25	11	211
योग	2011-12	1794	78	845	451	165	118	1579
	2012-13	1365	264	497	285	101	59	942
	2013-14	1155	242	451	188	66	57	762

(स्रोत: संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXX

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

एस एच आई एस की तारीख से आदेश के प्रस्तुतीकरण में लगा समय

निर्माणी	वर्ष	एस एच आई एस की संख्या जिसके प्रति आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया	एस एच आई एस के बाद आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लगा समय (महीनों में)			कुल छह माह से अधिक
			< 6	6-8	>9	
सी एफ ए	2011-12	1129	923	146	60	206
	2012-13	671*	538	100	32	132
	2013-14	636	434	77	125	202
ओ एफ इटारसी	2011-12	103	67	14	22	36
	2012-13	138	112	16	10	26
	2013-14	97	68	15	12	27
ओ एफ भंडारा	2011-12	108	20	29	59	88
	2012-13	52	13	10	29	39
	2013-14	102	46	30	26	56
एच ई एफ	2011-12	454	163	125	160	285
	2012-13	504	246	174	73	247
	2013-14	320	155	94	55	149
योग	2011-12	1794	1173	314	301	615
	2012-13	1365	909	300	144	444
	2013-14	1155	703	216	218	434

* डाटाबेस में एक मामले में निविदा सूचना तिथि का अभाव

(स्रोत- संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXXI

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

भंडार की निरीक्षण में समाशोधन में लगा समय





निर्माणी	वर्ष	परीक्षित प्राप्ति वाउचर की संख्या	लगने वाला समय (दिनों में)					योग
			<16	16-30	31-60	61-90	>91	
सी एफ ए	2011-12	2133	1903	174	37	6	13	230
	2012-13	1861	1725	103	23	1	9	136
	2013-14	1488	1303	133	44	8	0	185
ओ एफ आई	2011-12	639	566	65	8	0	0	73
	2012-13	473	410	61	1	0	1	63
	2013-14	471	325	125	19	0	2	146
ओ एफ भंडारा	2011-12	3471	3041	302	117	7	4	430
	2012-13	3532	2954	446	109	16	7	578
	2013-14	4357	3608	522	172	35	20	749
एच ई एफ	2011-12	1666	1557	68	28	11	2	109
	2012-13	1287	1180	82	20	4	1	107
	2013-14	1148	971	144	24	2	7	177
योग	2011-12	7909	7067	609	190	24	19	842
	2012-13	7153	6269	692	153	21	18	884
	2013-14	7464	6207	924	259	45	29	1257

(स्रोत: संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित प्राप्ति वाउचर डाटा बेस)

अनुलग्नक-XXXII

(पैराग्राफ 7.3.3.3 के संदर्भ में)

(2013-14 के दौरान कार्डाइट निर्माणी अरुवकाडु एवं आयुध निर्माणी इटारसी के संबंध में 10 प्रतिशत अनुपस्थिति के साथ मानक श्रम घंटों का रुझान)



(स्रोत: आयुध निर्माणी बोर्ड के वित्त अनुभाग द्वारा एकत्रित निर्माणियों के उजरती कार्य लाभ एवं वास्तविक एस एम एच का विवरण)

अनुलग्नक-XXXIII

(पैराग्राफ 7.3.4.2 के संदर्भ में)

आयुध निर्माणी भंडारा में अस्वीकृति के मामले

1. 30 मि.मी. बी एम पी -II के लिए निर्माणी द्वारा 2011-14 के दौरान ₹4.6 करोड़ की लागत से निर्मित 16 एम टी प्रोपेलेंट के तीन लाट (वर्ष के दौरान उत्पादित 92.60 एम टी में से) प्रूफ के दौरान, विशिष्ट नालमुख वेग एवं दाब को प्राप्त न करने के कारण डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।
2. 2013-14 के दौरान, ₹4.2 करोड़ की लागत से उत्पादित 63 एम टी एन सी 1066 प्रोपेलेंट के 21 टन वाले दो लाट (नाइट्रो सेलुलोज आधारित प्रोपेलेंट) डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए क्योंकि यह क्लाइमेट हट परीक्षण, वूल विच परीक्षण तथा प्रोपेलेंट की सेल्फ लाइफ की निश्चितता के लिए एक्सिलरेटेड एजिंग टेस्ट में अस्वीकृत हो गया।
3. 2013-14 में ₹3.9 करोड़ की लागत से निर्मित 16.68 टन प्रोपेलेंट एन सी 688 के चार लाट(नाइट्रो सेलुलोज आधारित प्रोपेलेंट) डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए क्योंकि यह क्लाइमेट हट परीक्षण, वूल विच परीक्षण तथा प्रोपेलेंट की सेल्फ लाइफ की निश्चितता के लिए एक्सिलरेटेड एजिंग टेस्ट में अस्वीकृत हो गया।

अनुलग्नक-XXXIV

(पैराग्राफ 7.3.4.3 के संदर्भ में)

गुणवत्ता निरीक्षण में लगने वाला समय

प्रूफ में लगा समय (दिनों में)	लाटों की संख्या जहां 30 दिन से अधिक का समय लगा
प्रोपेलेंट-एन जी बी 221	
लाटों की कुल संख्या: 42	
30-45	7
46-60	1
61-120	10
>120	1
कुल लाट	19
प्रोपेलेंट-एन जी बी 204	
लाटों की कुल संख्या: 89	
30-45	17
46-60	16
61-120	31
>120	17
कुल लाट	81
प्रोपेलेंट एम4ए2 चार्ज	
लाटों की कुल संख्या: 46	
30-45	13
46-60	8
61-120	6
>120	6
कुल लाट	33

(स्रोत: आयुध निर्माणी भंडारा द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXXV

(पैराग्राफ 7.3.4.4 के संदर्भ में)

आयुध निर्माणी इटारसी में अस्वीकृति

1. 2012-13 में निर्मित 105 मि.मी. आई एफ जी एन सी के लिए 80000 प्रोपेलेंट के दस लाटों में से, ₹10 करोड़ मूल्य के 33000 नग वाले तीन लाट, सितंबर 2012 एवं जून 2013 के मध्य गुणवत्ता आश्वासन स्थापना नियंत्रणालय (गोलाबारूद) किरकी द्वारा उच्च माध्यम विचलन तथा प्रोपेलेंटों के समग्र रूप से असंतोषजनक निष्पादन के कारण अस्वीकृत कर दिये गए।
2. 2013-14 में ₹0.66 करोड़ की लागत से निर्मित ए-7 का 8.015 टन प्रोपेलेंट वाला एक लाट (निर्मित 43 टन में से) वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (शस्त्र) वारंगांव द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वेग प्राधिकृत सीमा के अंतर्गत नहीं पाया गया।
3. 2013-14 में ₹4.29 करोड़ की लागत से निर्मित 20 लाटों (1164 ग्रैन के साथ) में से पिनाका प्रोपेलेंट का एक लाट (132 ग्रैन) परिशून्य एवं दरार के कारण अस्वीकृत एवं निस्तारण के लिए अनुशंसित कर दिया गया। 2012-13 में ₹2.18 करोड़ की लागत से निर्मित 62 सेट का एक अन्य लाट भी सितंबर 2012 में एच ई एम आर एल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि प्रोपेलेंट एम्ब्रेंट परीक्षण में विफल हो गया।
4. ₹0.55 लाख मूल्य का 8.01 टन वाला 7.62 मि.मी. बाल पाउडर प्रोपेलेंट का एक लाट (2011-12 के दौरान निर्मित 119.31 टन वाले 17 लाट में से) आयुध निर्माणी वारंगांव को निर्गमित किया गया और फिलिंग निर्माणी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ₹0.84 करोड़ की लागत से निर्मित 7.62 मि.मी. बाल पाउडर प्रोपेलेंट के 15.995 टन वाले अन्य दो लाट (निर्मित 135 टन में से) आयुध निर्माणी वारंगांव को निर्गमित किए गए तथा परेषिती निर्माणी द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।
5. ₹97 लाख मूल्य के 5.56 मि.मी. बाल पाउडर के लिए 16.02 टन प्रोपेलेंट वाले दो लाट (2011-12 के दौरान निर्मित 486.47 टन वाले 68 लाट) आयुध निर्माणी वारंगांव द्वारा, प्राधिकृत बैलिस्टिक आवश्यकता को पूरा न कर पाने के कारण अस्वीकृत कर दिये गए। निर्माणी ने हमें सूचित किया की इन दो लाटों का सुधार कर लिया गया है तथा फिलिंग निर्माणी को पुनःनिर्गमित कर दिया गया है।

अनुलग्नक-XXXVI

(पैराग्राफ 7.3.5.1 के संदर्भ में)

(मशीनों की अधिप्राप्ति में विलंब का विवरण)

I टी एन टी संयंत्र के प्रतिस्थापन में अपसामान्य विलंब

एच ई एफ में विद्यमान टी एन टी संयंत्र 1974-75 अधिप्राप्त तथा 1976-77 में स्थापित की गयी। नियमित उत्पादन 1978 से प्रारम्भ हुआ। लगातार चलने व एसिडिक धुंवे में रहने के कारण संयंत्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। नौ प्रतिष्ठित संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर एच ई एफ ने दिसंबर 2002 में नए संयंत्र के लिए कार्रवाई की। केवल एक फर्म मेसर्स एस डब्ल्यू एस, डिफेंस ए बी, स्वीडन ने बजट उद्धरण के साथ प्रतिक्रिया दी। किन्तु प्रस्तावित मशीन विद्यमान मशीन से निम्न गुणवत्ता की थी बेहतर तकनीक के संयंत्र प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुए क्योंकि यूरोपियन एवं अमेरिकन कंपनियों ने टी एन टी का उत्पादन बंद कर दिया था। इस बीच, एच ई एफ ने कुछ महत्वपूर्ण भागों का प्रतिस्थापन करके संयंत्र को चलाये रखने के लिए कार्रवाई की।

ओ एफ बी ने संयंत्र की भौतिक स्थिति की परीक्षण, उपलब्ध तकनीक के अध्ययन, प्रतिस्थापन के योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों/ नवीनीकरण, योग्य साइटों व रूपरेखा की पहचान कर प्रतिस्थापन/ नवीनीकरण (सितंबर 2006) तकनीकी एवं वित्तीय मामलों पर उचित राय देने के लिए एक समिति गठित की। समिति ने समानान्तर नाइट्रेशन सुविधा स्थापित करने व वाशिंग तथा फ्लेक बिल्डिंग नवीनीकरण की सिफारिश की। इसलिए एच ई एफ ने टी एन टी संयंत्र, रिएक्शन बिल्डिंग के प्रतिस्थापन तथा अप्रैल 2008 में मेसर्स जी ई ए प्रोसेस इंजीनियरिंग(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा से प्राप्त बजट प्रस्ताव के आधार पर ₹23.96 करोड़ की अनुमानित लागत से, नए संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक पृथक बिल्डिंग के लिए एक मांग प्रस्तुत की। मई 2009 में ओ एफ बी द्वारा माँग को स्वीकार कर लिया गया।

नवंबर 2010 एवं नवंबर 2011 में जी टी ई निर्गम हुए किन्तु आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका। टी ई सी/ ओ एफ बी ने निर्माणी द्वारा तैयार तकनीकी विशिष्टि की पुनरीक्षा की तथा प्रदूषण नियमों का पालन करने के लिए नॉक्स अवशोषण टावर शामिल करने तथा मामले पर पुनर्निविदा करने का निर्देश दिया (जुलाई 2006)

तदनुसार, एच ई एफ ने मेसर्स न्यूबर्ग, नोएडा से ₹47.59 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्राप्त किया। तथापि, ओ एफ बी ने, नॉक्स टावर सहित टी एन टी संयंत्र एवं

रिएक्शन बिल्डिंग के लिए अक्टूबर 2013 में ₹43.89 करोड़ की अनुमानित लागत को स्वीकार कर लिया।

हमने पाया कि प्रस्तावित टी एन टी संयंत्र की विशिष्टि पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी था। वरिष्ठ महाप्रबंधक ने अक्टूबर 2014 में कहा कि टी एन टी संयंत्र का प्रतिस्थापन ओ एफ बी की स्वीकृति के पश्चात हुआ था तथा सहयोगी निर्माणियों से प्राप्त मांग के अनुसार टी एन टी की आवश्यकता बढ़ती-घटती रहती है।

अतः टी एन टी संयंत्र के प्रतिस्थापन में असामान्य विलंब होने के कारण श्रमशक्ति की बचत, लागत की बचत, उत्पादकता में सुधार एवं अस्वीकृति में कमी का लाभ नहीं मिल सका। आगे, आदेश को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण ₹19.93 करोड़ की लागत अधिक हो गयी।

II डी ई एन एस ए सी संयंत्र के प्रतिस्थापन में विलंब

डी-नाइट्रेशन एवं सलफ्यूरिक अम्ल सांद्रता (डी ई एन एस ए सी) संयंत्र दो प्रचालनों, यथा, निस्कर्षित अम्ल कचरा के डीनाइट्रेशन तथा सलफ्यूरिक अम्ल की सांद्रता में प्रयुक्त किया जाता है।

विद्यमान संयंत्र, एच ई एफ में 1954 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में इसकी दशा खराब हो चुकी है। मई 2008 में, एच ई एफ ने डी ई एन एस ए सी संयंत्र की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की स्वीकृति प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर ओ एफ बी ने अक्टूबर 2009 में, ₹48.03 करोड़ की अनुमानित लागत पर, स्वीकृति प्रदान कर दी थी।।

जी टी ई निर्गम किया गया जिसके उत्तर में, दो फर्मों, (i) मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे जो कि मेसर्स दी-डाइट्रिक, जर्मनी के सहयोग से कार्य करता है (ii) मेसर्स अकर सल्यूशन, मुंबई से प्रस्ताव प्राप्त हुए। मेसर्स अकर सल्यूशन का प्रस्ताव टी ई सी/ ओ एफ बी में अस्वीकृत हो गया तथा मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे का फलतः एकल प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 07/03/2012 को आयोजित कालेजिएट समिति कि बैठक में मामले पर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

चूंकि, पूर्व के बजट उद्धरण में कुछ मदों को शामिल नहीं किया गया था, जो कि तीन वर्ष से अधिक पुराने थे तथा यूरो के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी, मई 2012 में, बोर्ड को, ₹60.69 करोड़ की संशोधित अनुमानित लागत प्रस्तुत की गयी, जिस पर बोर्ड ने जून 2012 में स्वीकृति प्रदान की।

सितंबर 2012 के टी ई के प्रति डी ई एन एस ए सी संयंत्र की आपूर्ति के लिए, चार फर्मों ने उद्धरण प्रस्तुत किया। 06/06/2013 को तकनीकी बिड खोले गए, निर्माणी टी ई सी-1 ने नवंबर 2013 में, मूल्य बिड खोलने के लिए, चारो फर्मों के प्रस्तावों को

मोल-तोल के लिए ओ एफ बी को संदर्भित कर दिया। ओ एफ बी ने एच ई एफ को कुछ संदेहास्पद विषयों को हल करने तथा प्रस्तावों को पुनः आकलित करने के बारे में सूचित किया (दिसंबर 2013)। ओ एफ बी के दिशानिर्देश के अनुपालन में, टी ई सी-1 ने फरवरी 2014 में निर्णय लिया तथा मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे के प्रस्ताव की अनुशंसा की। तथापि, ओ एफ बी ने एच ई एफ को, विचलन को दूर करने /फ़र्मों की क्षमता का आकलन करने हेतु फ़र्मों को पुनः आमंत्रित करने निर्देश दिया (अप्रैल 2014)।

तदनुसार, एच ई एफ ने फ़र्मों की क्षमता के आकलन के लिए विचलनों की छटाई की। इस बीच, निर्माणी के अनुरोध पर सभी फ़र्मों ने अपनी वैधता, नवंबर 2014 तक बढ़ा दी।

अतः आदेश को अंतिम रूप देने/प्रस्तुत करने में विलंब के कारण, ₹12.66 करोड़ की लागत बढ़ गयी (₹60.69 करोड़- ₹48.03 करोड़) तथा प्रतिवर्ष ₹15.31 करोड़ की संभावित बचत प्राप्त नहीं की जा सकी।

अनुलग्नक-XXXVII

(पैराग्राफ 7.3.5.3 के संदर्भ में)

(2011-14 के दौरान उत्पादन लागत, उपरिव्यय तथा उत्पादों के निर्गम में लाभ/हानि का रुझान)

(i) 2011-14 के दौरान चार रासायनिक निर्माणियों के उत्पादन लागत का रुझान

एच ई एफ

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	163.23	137.40 (-15.82 प्रतिशत)	161.16 (17.29 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	49.93	62.55 (25.28 प्रतिशत)	27.61 (- 55.86 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	11.61	6.90 (- 40.57 प्रतिशत)	37.02 (436.52 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	61.54	69.45 (12.85 प्रतिशत)	64.63 (-6.94 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	30.59	45.52	17.13
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	7.11	5.02	22.97
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	37.70	50.54	40.10

सी एफ ए

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	144.32	159.73 (10.68 प्रतिशत)	157.84 (-1.18 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	67.77	71.88 (6.06 प्रतिशत)	73.23 1.88 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	8.69	8.39 (- 3.45 प्रतिशत)	9.11 (8.58 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	76.46	80.27 (4.98 प्रतिशत)	82.34 (2.58 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	47	45	46
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	6	5	6
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	53	50	52

ओ एफ भंडारा

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	191.64	207.22 (8.13 प्रतिशत)	257 (24.02 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	85.74	85.64 (-0.12 प्रतिशत)	103.67 (21.06 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	53.75	12.94 (- 51.74 प्रतिशत)	32.53 (25.44 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	139.49	111.58 (-20.01 प्रतिशत)	136.22 (22.08 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	45	41	40
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	28	13	13
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	73	54	53

ओ एफ इटारसी

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	217.20	216.87 (- 0.15 प्रतिशत)	252.54 (16.45 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	86.35	95.46 (11 प्रतिशत)	101.94 (7 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	16.23	18.74 (15.74 प्रतिशत)	23.79 (26.95 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	102.57	114.20 (11.33 प्रतिशत)	125.73 (10.10 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	40	44	40
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	7	9	9
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	47	53	49

(ii) प्रत्यक्ष श्रम के संदर्भ में उपरिव्यय का रुझान

आयुध निर्माणियों में, उपरिव्यय, प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में प्रभारित किया जाता है। इसलिए, प्रत्यक्ष श्रम के साथ एफ ओ एच/ वी ओ एच का सीधा संबंध होता है। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

निर्माणी	2011-12 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)			2012-13 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)			2013-14 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)		
	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच
एच ई एफ	30.76	134.19	-62.06	-9.54	25.28	-40.57	15.01	-55.86	436.52
सी एफ ए	13.09	13.35	24.86	17.27	6.06	-3.45	5.89	1.88	8.58
ओ एफ बी ए	15.76	18.52	5.60	18.00	-0.12	-51.74	17.88	21.06	25.44
ओ एफ आई	24.79	12.26	-5.47	-13.42	10.55	15.47	21.84	6.79	26.95

(iii) मांगकर्ताओं को उत्पादों के निर्गम (प्रतिदर्श मदों) लाभ/हानि का रुझान

निर्माणी	2011-12 (₹ करोड़ में)		2012-13 (₹ करोड़ में)		2013-14 (₹ करोड़ में)	
	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को
ओ एफ बी ए	-10.70	1.11	-0.69	5.87	4.80	6.18
ओ एफ आई	23.12	0.02	0.69	27.38	-15.89	-0.65
एच ई एफ	-8.53	10.28	-31.73	-0.90	-3.63	-1.31
सी एफ ए	3.51	0	-1.79	0	-8.24	0
योग	7.40	11.41	-33.59	32.35	-22.96	4.22

(स्रोत: 2011-14 के वर्षों के लिए आयुध निर्माणी संगठन के वार्षिक लेखे से निष्कर्षित प्रत्येक निर्माणी के आउटटर्न विवरण का सारांश)

अनुलग्नक: XXXVIII

(पैराग्राफ 7.3.6.2 के संदर्भ में)

(लागू पर्यावरणीय वैधानिक रूपरेखा के समेकन को दर्शाने वाला विवरण)

1. पर्यावरण के संबंध में निर्माणियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण के लिए कई राष्ट्रीय कानून विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य का अपना कानून होता है। राष्ट्रीय कानून में ये शामिल हैं:
 - I. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974.
 - II. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) कर अधिनियम 1977.
 - III. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) कर (संशोधन) अधिनियम 2003.
 - IV. वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981.
 - V. पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम 1986.
 - VI. हानिकारक कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 1989 जैसा कि 2000 में संशोधित किया गया.
 - VII. निर्माण, भंडारण, एवं आयात अथवा हानिकारक रसायन नियम 1989 जैसा कि 2000 में संशोधित किया गया.
 - VIII. लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991.
 - IX. रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए आपात नियोजन तैयारी तथा प्रतिक्रिया नियम 1996.
 - X. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995.
 - XI. रासायनिक दुर्घटना (आपात नियोजन तैयारी तथा प्रतिक्रिया) नियम 1996.
 - XII. पुनःचक्रित प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग नियम 1999.
 - XIII. भारतीय बायलर अधिनियम 1923
 - XIV. गैस सिलिंडर नियम 1981 फ्लाइं एश अधिसूचना 1999.

XV. नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 2000.

2. प्रत्येक कानून के विशिष्ट प्रावधान निम्नवत हैं:

I. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974

इस अधिनियम में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने, उसकी रोकथाम करने व उसकी शुद्धता कायम रखने के लिए प्रावधान दिये गए हैं। इस प्रकार, इस अधिनियम में, जल की गुणवत्ता से संबन्धित सभी मानवीय कार्यकलापों पर उपबंध समाविष्ट हैं। इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी) की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उद्योग, प्रक्रम या प्रचालन, कोई उपचारी तथा निस्तारण प्रणाली स्थापित या उसका विस्तार नहीं कर सकता जिससे नाले का पानी व व्यापार अपगामी का बहते जल, कुएं या भूमि पर रिसाव होने की संभावना हो। इसके लिए संबन्धित एस पी सी बी से 'स्थापना की स्वीकृति' तथा उद्योग की स्थापना के बाद उसके 'प्रचालन की स्वीकृति' लेनी होती है।

II. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1977

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अधिनियम के अंत में संलग्न अनुसूची में दी गयी उद्योग की कुछ श्रेणियों द्वारा खपत किए गए जल पर उपकर लगाना और वसूलना है। इस प्रकार एकत्रित धन से, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल प्रदूषण नियंत्रित एवं उसकी रोकथाम करता है।

III. वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981

वायु अधिनियम 1981 का उद्देश्य, ध्वनि प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना व कम करना है। इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में, एस पी सी बी की अनुमति के बिना, कोई औद्योगिक संयंत्र न तो स्थापित कर सकता है और न ही उसका परिचालन कर सकता है। निर्माणी प्रचालक को एस पी सी बी/प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। औद्योगिक संयंत्र परिचालित करने वाला कोई व्यक्ति, एस पी सी बी द्वारा निश्चित किए गए मानकों से अधिक प्रदूषक वायु का उत्सर्जन नहीं कर सकता है तथा उसे संबन्धित नियम एवं शर्तों का अनुपालन करना होता है।

IV. पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986

यह पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार एवं उससे संबन्धित मामलों के लिए एक छत्र अधिनियम है। इसके अनुसार, औद्योगिक संयंत्र या कोई प्रक्रम संचालित करने

वाला कोई व्यक्ति, प्राधिकृत मानकों से अधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं कर सकता है

खतरनाक रासायनिक कचरे, रद्दी आदि के प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नियमों के कई संग्रह अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों में स्थान के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं तथा द्रव अपगामी व शोरगुल के उत्सर्जन के विषय में अधिसूचित किया गया है। प्रदूषकों के संबंध में मानकों को, विशेषकर, उच्च प्रदूषक उद्योगों के मामले में, अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर लागू करना होता है। तथापि, यदि कोई विशिष्ट एस पी सी बी चाहे तो इस समयावधि को कम कर सकता है एवं अपने कार्यक्षेत्र में उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए और कड़े नियम बना सकता है। तथापि, एस पी सी बी, भारत सरकार द्वारा निश्चित मानकों अथवा समय सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं कर सकता। धारा 15 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर सज़ा, अर्थदण्ड, एवं जेल भी हो सकती है।

इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के पास, पर्यावरण प्रदूषण रोकने, कम करने, नियंत्रित रखने व बेहतर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार प्राप्त है।

खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के लिए प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय, निषेध आदि के साथ साथ उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंधों व निषेधों तथा विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन व प्रक्रमण पर अधिसूचित किया गया है। नाजुक क्षेत्रों जैसे यू पी मे दून घाटी, अलवर, राजस्थान में अरावली क्षेत्र, समुद्र किनारे के क्षेत्र, भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों आदि (एम ओ ई एफ, 1989 व 1992 ए) में विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खतरनाक पदार्थ के रख रखाव के दौरान दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत देने के लिए लोक दायित्व बीमा (पी एल आई) अधिनियम 1991 का भी प्रवर्तन किया गया है (एम ओ ई एफ, 1991 व 1992 बी)।

V. खतरनाक कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 1989 व 2000

संक्षिप्त में, एच डब्ल्यू नियमावली 1989 के अनुसार, खतरनाक कचरे के साथ कार्य करने वाले कार्मिक को रद्दी के रखरखाव के बारे में फार्म-1, रद्दी के रख रखाव का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए फार्म-2, उचित अभिलेख फार्म-3, वार्षिक प्रतिवेदन फार्म-4, पैकेज, परेषण को लेबल करना आदि को बराबर करना, दुर्घटना की तत्काल सूचना देने के लिए फार्म-5 तथा खतरनाक कचरे के आयात-निर्यात की प्रतिवेदन फार्म-6 में दी जाती है। खतरनाक रद्दी को 18 श्रेणियों में बाटा गया है।

विगत दिनों में, एम ओ ई एफ ने 6 जनवरी 2000 में (एम ओ ई एफ, 2000 ए) एच डब्ल्यू (एम & एच) संशोधन नियमावली को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, टॉक्सिक रसायन, ज्वलनशील रसायन व विस्फोटकों को 'खतरनाक रसायन' के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है। नए मानदंडों के अनुसार, एच डब्ल्यू नियमावली, 1989 में वर्णित 4343 रसायनों के स्थान पर 684 खतरनाक रसायनों की पहचान की गयी है। सभी खतरनाक पदार्थों को तीन श्रेणियों में रखा गया है (i) प्रक्रम विशिष्ट औद्योगिक रद्दी (ii) सांद्रता सीमा के साथ रद्दी पदार्थ तथा (iii) केवल आयात एवं निर्यात के लिए आवश्यक रद्दी। प्राधिकार आवेदन पर एस पी ई बी द्वारा 90 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाती है। यह 5 वर्ष तक वैध रहता है, तथा इसका नवीनीकरण, उत्सर्जित, पुनःचक्रित अथवा पुनःप्रयुक्त कचरे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करता है। खतरनाक कचरे के निस्तारण के लिए स्थान की पहचान राज्य सरकार, सुविधा के प्रचालक अथवा स्वामी द्वारा की जाती है। उपयुक्त साइट के चयन के लिए ई आई ए संपादित की जाती है। सुझावों तथा आपत्तियों पर लोक सुनवाई की व्यवस्था, एस पी सी बी द्वारा 30 दिनों के अंदर की जाती है। एस पी सी बी, सुविधा की स्थापना व उसके प्रचालन सतत अनुश्रवण करता है। लैंडफिल साइट का प्रचालन एवं समापन, नियम 8ए के तहत, एस पी सी बी द्वारा किया जाता है। एकत्रीकरण एवं निस्तारण के लिए खतरनाक कचरे का आयात निर्यात बिलकुल प्रतिबंधित है। इसकी अनुमति केवल तभी है जब कच्चे माल को पुनःचक्रण अथवा पुनः उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है।

VI. खतरनाक कचरे के निर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली 1989 & 2000 .

इन नियमों के अंतर्गत, किसी भी खतरनाक उद्योग में संलग्न व्यक्ति को संभावित खतरा व जोखिम क्षेत्र की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें साइट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने व उसके प्रभाव को सीमित रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाया जाना भी आवश्यक है। अनुसूची-7 के अनुसार, दुर्घटनाओं की सूचना को अद्यतन किया जाना चाहिए। प्रक्रमित किए जा रहे सभी रसायनों का सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एम एस डी एस) तैयार किया जाना चाहिए। साइटों पर संलग्न कार्मिकों को, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सूचना, प्रशिक्षण तथा आवश्यक उपस्कर प्रदान किए जाने चाहिए। साइट पर कोई काम प्रारम्भ करने के पहले, आन-साइट आपात योजना तैयार की जानी चाहिए। साइट पर किसी संभावित दुर्घटना के लिए योजना कार्यान्वयक के सहयोग से जिलाधिकारी द्वारा आफ-साइट आपात योजना तैयार की जानी चाहिए। संयंत्र के आस-पास रहने वाले लोगों को घातक दुर्घटनाओं की प्रकृति जो कि साइट पर घट सकती हैं, के बारे में, सूचित किया जाना चाहिए तथा ऐसी स्थिति आने पर 'ड्रिज़ एण्ड डॉट' की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। खतरनाक रसायनों के आयात के बारे में, आयात की तारीख से 30 दिनों के अंदर, संबन्धित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

विगत दिनों में, एम ओ ई एफ ने, 20 जनवरी, 2000 में एम एस आई एच सी नियमों, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए संशोधनों के अनुसार, खतरनाक रसायनों की संख्या में वृद्धि के साथ अनुसूची-1 को समाविष्ट किया गया है। प्राधिकार का नवीनीकरण, खतरनाक कचरे के निस्तारण; उत्सर्जित, पुनःचक्रित अथवा पुनः प्रयुक्त कचरे की मात्रा में कमी का प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, प्राधिकार शर्तों को पूरा करने एवं प्रक्रमण तथा एवं विश्लेषण शुल्क जमा करने पर ही संभव हो सकेगा। राज्य सरकार तथा स्वामी, सामान्य कचरा निस्तारण सुविधा के लिए साइट की पहचान, के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। गज़ट अधिसूचना, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 (एम ओ ई एफ, 1997, रस्तोगी 1997ए एवं 2000 सी) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार कोई सामान्य खतरनाक कचरा निस्तारण सुविधा के लिए, राज्य सरकार द्वारा साइट की अधिसूचना निर्गम होने के पूर्व, जन सुनवाई अनिवार्य रूप से आयोजित की जाय। सामान्य कचरा निस्तारण सुविधा/लैंडफिल साइट के लिए केंद्र/राज्य सरकार, डिजाइन, प्रचालन एवं समापन संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करेंगी। प्रस्तावित खतरनाक कचरा निस्तारण सुविधा के डिजाइन एवं रूपरेखा के लिए एस पी सी बी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। खतरनाक कचरे के निर्यात एवं आयात के विनियमन हेतु एम एस आई एच सी नियमावली, 2000 में, भी विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है।

VII. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

यह अधिनियम, भारत का एकल अधिनियम है जिसमें अधिसूचित खतरनाक रासायनिक पदार्थों में से किन्हीं पदार्थों के रख रखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा चोट अथवा संपत्ति की क्षति होने पर स्वामी के ऊपर तात्कालिक राहत देने की व्यवस्था उपलब्ध करता है। यह सहायता 'दोषहीनता' आधार पर प्रदान की जाती है। खतरनाक रासायनिक पदार्थों के रख रखाव में लिप्त स्वामी को क्षतिपूर्ति के दायित्व को पूरा करने के लिए 'भुगतान की पूंजी' अथवा ₹500 मिलियन, दोनों में से जो कम हो, की एक बीमा पालिसी लेनी पड़ती है। पालिसी को प्रतिवर्ष नवीनीकृत करना पड़ता है। इस कार्यकलाप का प्रारम्भ करने के पूर्व, इस पालिसी के लिए नया घोषणापत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। स्वामी को, केंद्र सरकार के पर्यावरण राहत कोष (ई आर एफ) को, वार्षिक प्रीमियम के बराबर की राशि का भुगतान करना पड़ता है। घातक दुर्घटनाओं की स्थिति में ₹12,500 तक के प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त ₹25000 तक की सहायता का प्रावधान है। बीमा का दायित्व, प्रति दुर्घटना ₹150 मिलियन प्रतिवर्ष अथवा पालिसी की अवधि तक, ₹50 मिलियन तक सीमित है। इस दायित्व से अधिक किसी दावे का भुगतान ई आर एफ से किया जाएगा। यदि, राशि फिर भी अधिक होती है, तो शेष राशि का भुगतान स्वामी को करना पड़ता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान, केवल तात्कालिक राहत की होती है, तथा स्वामी को, कानूनी प्रक्रियाओं के कारण (एम ओ ई एफ,

1991 एवं 1992; सिंह ई.टी.एल 1994) देय अंतिम क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है।

VIII. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995, खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति हेतु कड़ा दायित्व तय करने के लिए देश भर में कानूनी संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से तथा व्यक्ति, संस्था तथा पर्यावरण को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, इस प्रकार की दुर्घटनाओं के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण तैयार करने के लिए बनाया गया था।

(*स्रोत: भारत सरकार के संबन्धित पर्यावरण अधिनियम*)

अनुलग्नक - XXXIX

(पैराग्राफ 8.1.2.2 के संदर्भ में)

कुल संख्या तथा चयनित प्रतिदर्शों की संख्या का विवरण

(₹ करोड़ में)

निर्माण इकाई/प्रभाग	क्रय आदेशों की संख्या	क्रय आदेशों का मूल्य	प्रतिदर्श क्रय आदेशों की संख्या	प्रतिदर्श क्रय आदेशों का मूल्य
बेंगलोर	14,911	2,958.61	420	2,000.10
मैसूर	23,691	1,908.31	390	1,063.71
कोलार गोल्ड फील्ड	34,129	1,952.15	553	766.76
विपणन प्रभाग	14,063	2,188.61	214	1,667.94
योग	86,794	9,007.68	1,577	5,498.51

परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ 7.2.1.8 के संदर्भ में)

संक्षिप्त की सूची

ए	
ए डी	: वायु रक्षा
ए जी एस	: स्वचालित ग्रेनेड शुभारंभ प्रणाली
ए एच एस पी	: प्राधिकरण होल्डिंग विशेष सील
ए एम आर	: विरोधी सामग्री राइफल
ए टी एन	: की गई कार्रवाही की टिप्पणी
बी	
बी. ई.	: बजट अनुमान
बी ई एल	: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
बी पी सी	: थोक उत्पादन अनुमति
सी	
सी के डी	: कम्पलीट नाक डाउन
सी क्यू ए	: गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रक
सी क्यू बी	: क्लोज क्वार्टर बैटल
डी	
डी जी क्यू ए	: गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय
डी आर डी ओ	: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ई	
ई एस आर	: इलेक्ट्रो लावा रिमेलिटिंग
एफ	
एफ ए बी	: विफलता विश्लेषण बोर्ड
एफ डी आई	: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ जी के	: फील्ड गन निर्माणी कानपुर

जी	
जी सी एफ	: गन कैरिज निर्माणियाँ, जबलपुर
जी एस एफ	: गन एंड शैल निर्माणी, काशीपुर
जी एस क्यू आर	: सामान्य स्टाफ गुणवत्ता माँग
एच	
एच ए	: हार्ड अनोडाइस्ड
एच ई ए टी	: उच्च विस्फोटक टैंक रोधी
आई	
आई ई	: औद्योगिक कर्मचारी
आई एफ डी	: अन्तर निर्माणी माँग
इंसास	: भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली
जे	
जे. वी. पी. सी	: संयुक्त उद्यम सुरक्षा कार्बाइन
एल	
एल ए ओ	: स्थानीय लेखा कार्यालय
एल एफ जी	: लाइट फील्ड गन
एल एम जी	: लाइट मशीन गन
एल टी ई	: सीमित निविदा पूछताछ
एल टी आई पी पी	: लॉन्ग टर्म एकीकृत योजना के परिप्रेक्ष्य
एम	
एम ए जी	: मशीन गन
एम ए ओ	: माइक्रो आर्क ऑक्सीकरण
एम बी टी	: मुख्य युद्धक टैंक
एम एच ए	: गृह मंत्रालय
एम पी एस	: सामग्री योजना पत्रक
एम आर ए आर	: मल्टी रोल असाल्ट राइफल
ओ	
ओ ई एम	: मूल उपकरण निर्माता
ओ एफ टी	: आयुध निर्माणी, त्रिची
ओ टी ई	: खुली निविदा पूछताछ

पी

पी सी ए (निर्माणियाँ)	:	प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ)
पी एस यू	:	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी. वाई टी	:	पूर्व प्राप्ति परीक्षण

क्यू

क्यू ए	:	गुणवत्ता आश्वासन
क्यू ए जी	:	गुणवत्ता लेखापरीक्षा समूह
क्यू सी	:	गुणवत्ता नियंत्रण
क्यू आई एन	:	गुणवत्ता सुधार नोट

आर

आर एफ आई	:	राइफल निर्माणी, ईशापुर
आर एफ पी	:	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर एफ आर	:	सुधार के लिए वापसी
आर एल	:	रॉकेट लांचर

एस

एस ए एफ	:	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर
एस एच आई एस	:	स्टोर धारक असमर्थता शीट
एस के डी	:	सेमी नॉकड डाउन
एस एम एच	:	मानक श्रम घण्टा
एस ओ पी	:	मानक संचालन प्रक्रिया
एस क्यू ए ई	:	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना
एस आर सी जी	:	रिमोट नियंत्रित गन स्थिर
एस टी ई	:	एकल निविदा पूछताछ

टी

टी ई सी	:	तकनीकी मूल्यांकन समिति
टी ओ टी	:	प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण
टी पी सी	:	निविदा क्रय समिति

यू

यू बी जी एल	:	अधोबैरल ग्रेनेड लांचर
-------------	---	-----------------------

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 7.2.1.8 के संदर्भ में)

पारिभाषिक शब्दावली

1.	रोल-ऑन-योजना	सेना की योजना जिसमें अपव्यय में रुझानों के आधार पर न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता को दर्शाते हुए बहुवर्षीय परियोजनाओं की आवश्यकता है।
2.	मांगपत्र	सेना की फर्म आदेश जो बोर्ड पर विधिवत मद लागत और सुपुर्दगी कार्यक्रम के नाम का उल्लेख करते हुए दिया जाता है।
3.	अग्रिम निर्गम वाउचर	बिना कोई सामान दिए सेना से भुगतान के लिए मांग बढ़ाने हेतु निर्माणी द्वारा तैयार करना।
4.	लघु शस्त्र	हथियार बैरल बोर व्यास 12.7 मि.मी. तक लघु शस्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5.	मध्यम कैलिबर	हथियार 12.7 मि.मी. से ऊपर एवं 51 मि.मी. तक के बोर व्यास के साथ मध्यम क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
6.	उच्च कैलिबर	हथियार 51 मि.मी. से ऊपर एवं 155 मि.मी. तक के बोर व्यास के साथ उच्च क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
7.	गुणवत्ता नियंत्रण	निर्माणी के खण्ड, जहां प्रथम स्तर में गुणवत्ता की जांच डीजीक्यूए प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले किया जाता है।
8.	गुणवत्ता आश्वासन	यह डीजीक्यूए के अधीन प्रत्येक निर्माणी से संबंध एसक्यूई द्वारा द्वितीय स्तर की गुणवत्ता की जांच होती है।
9.	सुधार के लिए वापिस।	जो समान गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा निरीक्षण में स्वीकार नहीं होता को "सुधार के लिए वापसी" (आर एफ आर) के रूप में वर्गीकृत किया है।
10.	नियत उपरी व्यय	निर्धारित प्रभार जो अचर रूप से या निर्माणी की भार के साथ किसी भी प्रशंसनीय हद तक भिन्न नहीं है, जैसे स्टाफ के वेतन एवं भत्ता, प्रशिक्षण, सड़कों, भवनों आदि के रखरखाव।
11.	परिवर्तनीय उपरी व्यय	निर्माणी के भार के साथ सहानुभूति में उतार चढ़ाव को भार प्रभार में दर्शाता है जैसे उपयोग की लागत (बिजली, पानी, भाप) आदि
12.	एस एच आई एस	जब भण्डार निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो सामान धारक द्वारा अपनी असमर्थता प्रतिवेदन का दस्तावेज तैयार किया जाता है। ताकि आपूर्ण करने का प्रबंध किया जा सके। यह उपलब्ध भण्डार, औसत खपत, अवलोकन करने में असमर्थता एवं उत्तरदायित्वों का पूरा करने की आवश्यकता है।
13.	निविदा क्रय समिति	₹10 लाख से अधिक सामान की सभी खरीद प्राप्त निविदा की संवीक्षा हेतु एवं सामान की आपूर्ति हेतु क्रेता के नाम की सिफारिश करने के लिए एक उचित स्तर की टी.पी.सी. बनाई जाती है।

14.	ए एच एस पी	भण्डार की उत्तरदायित्व के संबंध में तकनीकी जानकारी, आरेखन एवं विनिर्देशों सहित के रखरखाव का उत्तरदायित्व स्थापना का है। रक्षा माँग के तहत निविदाओं की संविक्षा, निरीक्षण का मापदण्ड, भण्डार का प्रवर्तन के तकनीकी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना एवं उद्योग द्वारा भण्डार का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व ए. एच. ए. पी. का है।
15.	क्यू आई एन	डी. जी. क्यू. ए प्राधिकारी द्वारा गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु निर्माणी प्रबंधन को जारी करना। यह उत्पादन शॉप में या अन्तिम उत्पाद के निरीक्षण के समय नियंत्रण बिन्दुओं पर निरीक्षण पर आधारित है।
16.	परिवर्तन समिति	2008 में मंत्रालय ने निर्माणी के महाप्रबंधक और डी.जी.क्यू.ए एवं प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ समिति की संरचना, जो आरेखन में संभावित सुधार की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा जोकि, गुणवत्ता दोषों की जाँच, के लिए जरूरी निर्देश जारी किए।
17.	शॉप बजट समिति	एक निर्माणी की प्रत्येक उत्पादन शॉप में एक शॉप समिति होती है जो चालू वर्ष में प्रत्यक्ष श्रम का आंकलन एवं पिछले वर्ष में वास्तविक आधार पर कार्य प्रबंधक एवं स्थानीय लेखा अधिकारी द्वारा उपरिव्यय के प्रभाजन की दर का आंकलन करती है।
18.	मूल्य निर्धारण समिति	वित्त नियंत्रक, प्रचालन प्रभाग के निदेशक, निर्माणी प्रबंधन के नामिनी, स्थानीय लेखे कार्यालय एवं वित्त के संयुक्त नियंत्रक से निर्मित समिति।
19.	तिमाही वित्तीय समीक्षा	अन्तिम तिमाही के तुलनात्मक आकड़ों के साथ उपरिव्यय एवं पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि, श्रम के विभिन्न तत्वों को अलग करना, जो संबंधित तिमाही में कुल लागत दर्ज का डाटा निर्माणी स्तर पर देना, को प्रधान लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाता है।
20	ई.एस.आर	इलेक्ट्रो लावा रिमेल्टिंग प्रक्रिया में पुनः गलित एवं शुद्ध इस्पात और विभिन्न सुपर मिश्रित धातुओं के फलस्वरूप- उच्च गुणवत्ता की धातुपिण्ड में प्रयोग किया जाता है।
21	उजरती कार्य लाभ	एक श्रमिक (उजरती मजदूर) उजरती कार्य लाभ का नियत हकदार है जब वह आंकलन में प्राधिकृत उत्पादन से अधिक उत्पादन करे।

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 7.3.1.8 के संदर्भ में)

संकेताक्षर की सूची

ए

ए एवं ई	:	गोला बारूद और विस्फोटक
ए एफ के	:	गोला बारूद निर्माणी, किरकी
ए पी आर	:	वार्षिक प्रावधान समीक्षा
ए टी एन	:	की गई कार्रवाही पर टिप्पणी

बी

बी बी	:	बेस ब्लीड
बी ई	:	बजट अनुमान
बी एम पी	:	बयावाईका मशीन पेखोटी (इन्फैंट्री समाघात वाहन रूसी नाम)
बी एस एस	:	ब्रिटिश मानक विशिष्टता
बी टी	:	बल्लास्टीट

सी

सी ई	:	समेकित विस्फोटक
सी एफ एल	:	क्लोरो प्रतिदीप्ति दीपक
सी जी डी ए	:	महानियंत्रक रक्षा लेखा
सी पी ई	:	केन्द्रीय सबूत प्रतिष्ठानों, इटारसी
सी ओ पी	:	उत्पादन की लागत
सी क्यू ए एम (एम इ)	:	गुणवत्ता आश्वासन के नियंत्रक (सैन्य विस्फोटक)
सी एफ ए	:	कोर्डिट निर्माणी अरुवंकाडु
सी एफ ई ई एस	:	आग के लिए केंद्र, पर्यावरण तथा विस्फोटक सुरक्षा

डी

डी ए वी पी	:	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
डी ई एन एस ए सी	:	डी-नाइट्रीकरण और सल्फ्यूरिक एसिड एकाग्रता

डी जी क्यू ए	:	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय
डी जी क्यू ए ई	:	गुणवत्ता आश्वासन स्थापना महानिदेशालय
डी जी ओ एफ	:	महानिदेशक, आयुध निर्माणियां
डी एन आर	:	डि-नाइट्रो रेसोर्सिनोल
डी एन टी	:	डाई- नाइट्रो टोल्युनि

ई

ई आर एफ बी	:	विस्तारित रेंज फास्ट बोर
ई आर एफ	:	पर्यावरण राहत कोष
ई टी पी	:	प्रवाह उपचार संयंत्र

एफ

एफ ओ एच	:	निर्धारित उपरिव्यय
एफ वी सी	:	फिक्स्ड परिवर्तनीय प्रभार

एच

एच ई एफ	:	उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी
एच एन एस	:	हेक्सा नाइट्रो स्टीलबेने

आई

आई एफ डी	:	अन्तर निर्माणी मांग
आई एफ जी	:	भारतीय फील्ड गन
आई एस ओ	:	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन

एल

एल ए ओ	:	स्थानीय लेखा कार्यालय
एल ई डी	:	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एल पी आर	:	लंबे प्रूफ रेंज, खमरिया
एलटीई	:	सीमित निविदा पूछताछ
एल टी पी ई	:	प्लास्टिक विस्फोटक कम तापमान प्लास्टिक

एम

एम एंड सी	:	सामग्री और घटकों
एम एच ए	:	गृह मंत्रालय
मि.मी. पी एम	:	सामग्री प्रबंधन और अधिप्राप्ति नियमावली
एम ओ डी	:	रक्षा मंत्रालय

एम ओ ई एफ	:	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमपीएस	:	सामग्री योजना पत्रक
एम एस एच आई सी	:	निर्माण, भंडारण और खतरनाक रासायनिक का आयात
एम टी	:	मीट्रिक टन

एन

एन सी	:	नाइट्रो सेलूलोज या सामान्य प्रभार
एन जी	:	नाइट्रो ग्लिसरीन
एन जी बी	:	नाइट्रो ग्लिसरीन बल्लास्टीट
एन आई जी यू	:	नाइट्रो गुयानिडाइन
एन ओ एक्स	:	नाइट्रस ऑक्साइड
एन क्यू डी बी एम एस	:	नेटवर्क गुणवत्ता डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली

ओ

ओ एफ बी	:	आयुध निर्माणी बोर्ड
ओ एफ बी ए	:	आयुध निर्माणी, भंडारा
ओ एफ आई	:	आयुध निर्माणी, इटारसी
ओ एच	:	उपरिव्यय
ओ टी ई	:	खुली निविदा पूछताछ

पी

पी ए	:	निष्पादन लेखापरीक्षा
पी सी ए (निर्माणियाँ)	:	प्रधान नियंत्रक लेखा (निर्माणियाँ)
पी सी बी	:	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पी सी सी	:	प्रदूषण नियंत्रण समिति
पी एफ	:	पूर्व खंडित
पी एफ एफ सी	:	टंगस्टन क्यूब्स के साथ विखंडन पूर्व गठित
पी एम	:	अधिप्राप्ति नियमावली
पी एंड एम	:	संयंत्र और मशीनरी

क्यू

क्यू ए	:	गुणवत्ता आश्वासन
क्यू ए जी	:	गुणवत्ता लेखापरीक्षा समूह
क्यू सी	:	गुणवत्ता नियंत्रण
क्यू एफ आर	:	गुणवत्ता वित्तीय समीक्षा

आर

आर सी एस	:	सुरक्षा के क्षेत्रीय नियंत्रक
आर डी एक्स	:	अनुसंधान और विस्फोटक विकास
आर वी सी	:	ह्रासमान परिवर्ती प्रभार

एस

एस एच आई एस	:	भंडार धारक असमर्थता पत्रक
एस एम एच	:	मानक श्रम घंटा
एस ओ पी	:	मानक संचालन प्रक्रिया
एस पी सी बी	:	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एस क्यू ए ई	:	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना

टी

टी आई	:	निविदा पूछताछ
टी ई सी	:	निविदा मूल्यांकन समिति
टी एन टी	:	ट्राई नाइट्रो टोल्यून
टी पी सी	:	निविदा क्रय समिति
टी आर	:	प्रशीतन के टन

वी

वी ओ एच	:	परिवर्ती उपरीव्यय
---------	---	-------------------

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ 7.3.1.8 के संदर्भ में)

पारिभाषिक शब्दावली

1.	रोल-ऑन-इंडेंट	सेना के फर्म आदेश जिसमें अपव्यय में रुझानों के आधार पर न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता को दृशाते हुए बहु-वर्षीय परियोजनाओं की आवश्यकता है।
2.	मांगपत्र	सेना के फर्म आदेश जो बोर्ड पर विधिवत् मद, लागत और सुपर्दगी कार्यक्रम के नाम के उल्लेख करते हुए दिया जाता है।
3.	अग्रिम निर्गम वाऊचर	बिना कोई सामान दिए सेना से भुगतान के लिए मांग बढ़ाने हेतु निर्माणी द्वारा तैयार किया जाता है।
4.	गुणवत्ता नियंत्रण	निर्माणी के खण्ड, जहां प्रथम स्तर में गुणवत्ता की जांच डी. जी क्यू ए प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले किया जाता है।
5.	गुणवत्ता आश्वासन	यह डीजीक्यूए के अधीन प्रत्येक निर्माणी से संबंध एस क्यू ए ई द्वारा द्वितीय स्तर की गुणवत्ता की जांच होती है।
6.	निर्धारित उपरिव्यय	निर्धारित प्रभार जो अचर रूप से या निर्माणी के भार के साथ किसी भी प्रशसनीय सीमा तक भिन्न नहीं है जैसे स्टाफ के वेतन एवं भत्ता, प्रशिक्षण, सड़को, भवनों आदि के रखरखाव।
7.	परिवर्तनीय उपरिव्यय	निर्माणी के भार के साथ सहानुभूति में उतार चढ़ाव को भार प्रभार में दृशायता है जैसे उपयोग की लागत (बिजली, पानी, आग) आदि।
8.	एस एच आई एस	जब भण्डार निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो भण्डार धारक द्वारा अपनी असमर्थता प्रतिवेदन का दस्तावेज तैयार किया जाता है ताकि उसका आपूर्ण करने का प्रबन्ध किया जा सके। यह उपलब्ध भण्डार, औसत खपत, अवलोकन करने में असमर्थता एवं उत्तरदायित्वों का पूरा करने की आवश्यकता है।
9.	निविदा क्रय समिति	₹10 लाख से अधिक भण्डार की सभी खरीद, प्राप्त निविदा की संवीदा एवं भण्डार की आपूर्ति हेतु क्रेता के नाम की सिफारिश करने के लिए एक उचित स्तर की टी.पी.सी. बनाई जाती है।
10.	शॉप बजट समिति	एक निर्माणी की प्रत्येक उत्पादन शॉप में एक शॉप बजट समिति होती है जो चालू वर्ष में प्रत्यक्ष श्रम का आकलन एवं पिछले वर्ष में वास्तविक आधार पर कार्य प्रबन्धक एवं स्थानीय लेखा अधिकारी द्वारा उपरिव्यय के प्रभाजन की दर का आकलन करती है।
11.	तिमाही वित्तीय समीक्षा	अंतिम तिमाही के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ उपरिव्यय एवं पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि श्रम के विभिन्न तत्वों को अलग करना, जो संबंधित तिमाही में कुल लागत दर्ज का डाटा निर्माणी स्तर पर देना को, प्रधान नियन्त्रक लेखा द्वारा तैयार किया जाता है।
12.	उजरती कार्य लाभ	एक श्रमिक (उजरती मजदूर) उजरती कार्य लाभ का नियत हकदार है जब वह आकलन में प्राधिकृत उत्पादन से अधिक उत्पादन करे।

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in